SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा

Dedicated to Truth in Public Interest

# मार्च 2022 को समाप्त अवधि के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

## हिमाचल प्रदेश सरकार

## 2025 का प्रतिवेदन संख्या 3

## (संयुक्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन-II)

# मार्च 2022 को समाप्त अवधि के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

**हिमाचल प्रदेश सरकार**

**2025 का प्रतिवेदन संख्या 3**

**(संयुक्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन-II)**

## अनुक्रमणिका


| विवरण | संदर्भ | |
|---|---|---|
| | परिच्छेद | पृष्ठ संख्या |
| प्रस्तावना | *iii* | |
| विहंगावलोकन | *v* | |
| **अध्याय I: सामान्य** | | |
| परिचय | 1.1 | 1 |
| हिमाचल प्रदेश राज्य के बारे में | 1.2 | 1 |
| राज्य सरकार की रूपरेखा | 1.3 | 3 |
| लेखापरीक्षा प्राधिकार | 1.4 | 4 |
| लेखापरीक्षा पर राज्य सरकार की प्रतिक्रिया | 1.5 | 5 |
| आभार | 1.6 | 9 |
| **अध्याय II: भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकारों के कल्याण पर निष्पादन लेखापरीक्षा** | | |
| **श्रम एवं रोजगार विभाग (हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड)** | | |
| परिचय एवं लेखापरीक्षा रूपरेखा | 2.1 | 11 |
| नियमों की अधिसूचना एवं निरूपण | 2.2 | 18 |
| स्थापनाओं एवं लाभार्थियों का पंजीकरण | 2.3 | 21 |
| उपकर का निर्धारण, संग्रहण एवं हस्तांतरण | 2.4 | 39 |
| स्वास्थ्य एवं सुरक्षा मानदंड | 2.5 | 52 |
| विभागीय निरीक्षण | 2.6 | 56 |
| निधि का प्रशासन एवं उपयोग | 2.7 | 60 |
| आंतरिक नियंत्रण तंत्र एवं लाभार्थी सर्वेक्षण | 2.8 | 107 |
| निष्कर्ष | 2.9 | 113 |
| अनुशंसाएं | 2.10 | 115 |
| **अध्याय III: खाद्य सामग्री की खरीद, भंडारण एवं वितरण में गुणवत्ता प्रबंधन** | | |
| **खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग** | | |
| परिचय | 3.1 | 117 |
| संगठनात्मक ढांचा | 3.2 | 118 |
| लेखापरीक्षा उद्देश्य | 3.3 | 119 |
| लेखापरीक्षा मानदंड | 3.4 | 119 |
| लेखापरीक्षा का कार्य-क्षेत्र एवं कार्यप्रणाली | 3.5 | 120 |
| वित्तीय प्रबंधन | 3.6 | 121 |
| लेखापरीक्षा के परिणाम | 3.7 | 122 |
| खाद्य सामग्रियों की खरीद, भंडारण व वितरण के समय गुणवत्ता प्रबंधन में कमियां | 3.8 | 122 |
| निगरानी एवं पर्यवेक्षण में कमियां | 3.9 | 135 |
| उपभोक्ता जागरूकता गतिविधियों में कमियां | 3.10 | 140 |

| विवरण | संदर्भ | |
|---|---|---|
| | **परिच्छेद** | **पृष्ठ संख्या** |
| गोदामों एवं उचित मूल्य की दुकानों के संयुक्त भौतिक निरीक्षण के निष्कर्ष | 3.11 | 142 |
| लाभार्थी सर्वेक्षण के निष्कर्ष | 3.12 | 146 |
| खाद्य सामग्रियों के स्वतंत्र गुणात्मक विश्लेषण के निष्कर्ष | 3.13 | 147 |
| निष्कर्ष | 3.14 | 150 |
| अनुशंसाएं | 3.15 | 151 |
| **अध्याय IV: हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम की कौशल विकास में भूमिका** | | |
| **तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग** | | |
| परिचय | 4.1 | 153 |
| नियोजन एवं कार्यान्वयन | 4.2 | 158 |
| निधि प्रबंधन | 4.3 | 166 |
| कौशल प्रशिक्षण की अवसंरचना | 4.4 | 175 |
| प्रशिक्षण | 4.5 | 182 |
| क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षकों की पर्याप्तता | 4.6 | 200 |
| निगरानी एवं आंतरिक नियंत्रण तंत्र | 4.7 | 203 |
| निष्कर्ष | 4.8 | 212 |
| अनुशंसाएं | 4.9 | 213 |
| **अध्याय V: स्वदेश दर्शन योजना के माध्यम से हिमाचल प्रदेश में थीम आधारित पर्यटन सर्किट का एकीकृत विकास** | | |
| **पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग** | | |
| परिचय | 5.1 | 215 |
| पर्यटक सर्किटों/परियोजनाओं/स्थलों/घटकों की डिजाइन, पहचान व चयन के लिए योजना | 5.2 | 221 |
| निधि प्रबंधन | 5.3 | 230 |
| योजना का निष्पादन | 5.4 | 232 |
| निष्कर्ष | 5.5 | 239 |
| अनुशंसाएं | 5.6 | 240 |
| **अध्याय VI: स्वतंत्र लेखापरीक्षा टिप्पणियां (विभाग)** | | |
| **कृषि विभाग** | | |
| कृषि यंत्रीकरण उप-मिशन के तहत ट्रैक्टर खरीद पर किसानों को सब्सिडी का अधिक भुगतान | 6.1 | 241 |
| **हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग** | | |
| पुल के निर्माण पर निष्फल एवं परिहार्य व्यय | 6.2 | 242 |
| ठेकेदार को अनुचित वित्तीय लाभ/पक्ष लेने एवं सड़क निर्माण पर निष्फल व्यय | 6.3 | 249 |
| **अध्याय VII: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर स्वतंत्र लेखापरीक्षा टिप्पणी** | | |
| **हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड** | | |
| ट्रांसमिशन लाइनों के निर्माण पर निष्फल व्यय | 7.1 | 255 |
| **परिशिष्ट** | | 265 |

# प्रस्तावना

मार्च 2022 को समाप्त अवधि के लिए योजना, वित्त तथा आर्थिक एवं सांख्यिकी विभागों को छोड़कर सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों के विभागों की निष्पादन एवं अनुपालन लेखापरीक्षा पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

प्रतिवेदन में हिमाचल प्रदेश सरकार की प्राप्तियों तथा व्यय की भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) के अधिनियम, 1971 के नियमानुसार संचालित की गई निष्पादन एवं अनुपालन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण निष्कर्ष समाविष्ट हैं।

इस प्रतिवेदन में अनुपालन लेखापरीक्षा के वे दृष्टांत वर्णित हैं जो वर्ष 2021-22 के लिए की गई नमूना लेखापरीक्षा के दौरान सामने आए, साथ ही वे भी जो पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान सामने आए किन्तु विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रतिवेदित नहीं किए जा सके थे। निष्पादन लेखापरीक्षा में वर्ष 2017-22 की अवधि को सम्मिलित किया गया है। वर्ष 2021-22 के पश्चात् की अवधि से संबंधित दृष्टांतों को भी, जहां भी आवश्यक है, सम्मिलित किया गया है।

लेखापरीक्षा को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किए गए लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप संचालित किया गया है।

# विहंगावलोकन

# विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में श्रम एवं रोजगार विभाग, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग, कृषि विभाग, लोक निर्माण विभाग तथा राज्य के एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम यथा हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड की अनुपालन लेखापरीक्षा और निष्पादन लेखापरीक्षा से उत्पन्न मामले सम्मिलित हैं। इस प्रतिवेदन में एक निष्पादन लेखापरीक्षा, तीन विषय-विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षाएं एवं चार स्वतंत्र अनुपालन लेखापरीक्षा टिप्पणियां समाविष्ट हैं। प्रतिवेदन को निम्नलिखित सात अध्यायों में व्यवस्थित किया गया है:

**अध्याय I - सामान्य**

इस अध्याय में हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार का विवरण, वर्ष 2021-22 के लिए राज्य की संक्षिप्त रूपरेखा, लेखापरीक्षा का प्राधिकार तथा निरीक्षण रिपोर्टों एवं लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर राज्य सरकार की प्रतिक्रिया सम्मिलित है।

**निष्पादन लेखापरीक्षा**

**श्रम एवं रोजगार विभाग**
**(हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड)**

**अध्याय II - भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकारों का कल्याण**

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार भारत में असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों में सबसे कमज़ोर वर्ग है, जहां कर्मकारों को जीवन और अंगो के लिए अंतर्निहित जोखिम, रोजगार की अनिश्चित प्रकृति, अनिश्चित कार्य-घंटे और अपर्याप्त कल्याण सुविधाओं का सामना करना पड़ता है। इन समस्याओं के समाधान के लिए भारत सरकार ने भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 अधिनियमित किया तथा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 के तहत सामाजिक सुरक्षा और कल्याण योजनाओं के वित्तपोषण के लिए निर्माण लागत पर उपकर की स्थापना की। हिमाचल प्रदेश ने इसी के अनुरूप हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) नियम, 2008 लागू किया तथा 2009 में हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड का गठन किया, जिसके परिणामस्वरूप हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण निधि की स्थापना हुई।

लेखापरीक्षा में वर्ष 2017-18 से 2021-22 तक की पांच वर्ष की अवधि को सम्मिलित किया गया। हालांकि लेखापरीक्षा अवधि के अतिरिक्त भी जहां नियमों में असंगतता एवं अद्यतन डेटा की उपलब्धता देखी गई, उसे भी आवश्यकतानुसार प्रतिवेदन में शामिल किया गया है।

विवाह के लिए वित्तीय सहायता पर बनाए गए नियम में स्पष्टता का अभाव था क्योंकि यह निर्दिष्ट करने में विफल रहा कि कितने सदस्य आवेदन कर सकते हैं और परिवार से कौन सहायता का दावा करने के लिए पात्र है। यह एक ही विवाह हेतु एक से अधिक बार सहायता प्राप्त होने की स्थिति में परिणत हुआ। साथ ही स्वास्थ्य जांच ढांचे में बोर्ड द्वारा निगरानी एवं रिकॉर्ड रखने में कमी थी। इसके अतिरिक्त भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा बनाई की गई आदर्श कल्याण योजना के तहत अनुशंसित 10 वर्ष की न्यूनतम पंजीकरण अवधि को बोर्ड द्वारा नहीं अपनाया गया। उसने पेंशन की दीर्घकालिक देयता का आकलन किए बिना तीन वर्ष की न्यूनतम पंजीकरण अवधि को अपनाया।

राज्य सरकार ने राज्य की सन्निर्माण गतिविधियों की निगरानी के लिए कोई तंत्र विकसित नहीं किया। स्थापनों के पंजीकरण की प्रक्रिया में नियोक्ताओं से प्रारंभ/समापन सूचना प्राप्त न करने, पंजीकरण में विलम्ब एवं पात्र स्थापनों का पंजीकरण न होने जैसी समस्याएं देखी गईं। कर्मकारों के पंजीकरण की प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण थी क्योंकि नियोक्ताओं से मासिक रिटर्न प्राप्त न करना, पात्र कर्मकारों का पंजीकरण न होना, दोहरा/तिहरा पंजीकरण, फर्जी पंजीकरण एवं कर्मकारों के दस्तावेज प्राप्त किए बिना पंजीकरण करने के मुद्दे पाए गए।

साथ ही शिविरों के आयोजन व कर्मकारों के पंजीकरण में कमी थी तथा नियोक्ता द्वारा कार्य की अवधि की वैधता सुनिश्चित करने के लिए किए गए कार्य का विवरण कर्मकारों के पहचान-पत्रों में प्रविष्ट करना सुनिश्चित नहीं किया गया। बोर्ड व श्रम अधिकारी/श्रम निरीक्षक कार्यालयों के पंजीकृत कर्मकारों तथा आयोजित शिविरों के आंकड़ों में मिलान न होना निष्प्रभावी रिपोर्टिंग तंत्र को परिलक्षित करता है।

निर्धारण अधिकारी-सह-श्रम अधिकारी सभी नियोक्ताओं से उपकर नियमों के अनुसार फॉर्म-I प्राप्त करने में विफल रहे एवं ₹ 12.91 लाख की राशि के मात्र छः निर्धारण आदेश जारी किए गए, जबकि वर्ष 2017-22 के दौरान ₹ 407.61 करोड़ की उपकर राशि बिना किसी निर्धारण के जमा कर दी गई। बोर्ड ने स्वीकृत भवन योजनाओं व सन्निर्माण परियोजनाओं की जानकारी साझा करने के लिए स्थानीय निकायों के साथ समन्वय स्थापित नहीं किया। इसके अतिरिक्त संग्रहित उपकर का स्थापन-वार डेटा अनुरक्षित नहीं किया तथा उपकर का मिलान न करने के कारण बोर्ड एवं श्रम अधिकारियों के उपकर आंकड़ों में ₹ 226.52 करोड़ का अंतर आया। बोर्ड या विभाग ने उपकर राशि को निधि में हस्तांतरित करने के लिए एक समान प्रारूप उपलब्ध नहीं कराया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 112.39 करोड़ का उपकर उचंत लेखा में रखा गया,

₹ 13.24 करोड़ श्रम अधिकारी के क्षेत्राधिकार की जानकारी के बिना निधि में जमा कर दिए गए तथा संग्रहण शुल्क सरकारी कोषागार में जमा नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त अस्वीकृत चेक/बैंक ड्राफ्ट का समय पर त्रुटिसुधार/पुनर्वैध नहीं किए जाने के कारण ₹ 4.20 करोड़ के उपकर की कम वसूली तथा ₹ 8.26 लाख के उपकर का प्रेषण न करने के दृष्टांत सामने आए।

नमूना-जांचित श्रम अधिकारियों/श्रम निरीक्षकों के कार्यालयों ने उन स्थलों का निरीक्षण नहीं किया जहाँ दुर्घटनाएँ पहले या बाद में हुई थीं और दुर्घटनाओं के बाद जाँच/पूछताछ नहीं की गयी। संयुक्त भौतिक निरीक्षण में यह भी पाया गया कि निर्माण-स्थलों पर अनिवार्य सुरक्षा उपायों का अभाव था, जिनमें प्राथमिक चिकित्सा किट, सुरक्षा उपकरण, स्थल पर अग्नि सुरक्षा उपकरण तथा पानी, शौचालय व आश्रय जैसी बुनियादी सुविधाएं शामिल थीं।

राज्य सरकार ने सितम्बर 2011 के बाद से निरीक्षण लक्ष्यों को संशोधित नहीं किया, जो उपलब्ध जनशक्ति के संदर्भ में चल रही सन्निर्माण गतिविधियों के विश्लेषण में कमी को दर्शाता है। वर्ष 2017-22 के दौरान निरीक्षणों में 62 से 76 प्रतिशत तक की उल्लेखनीय कमी देखी गई। श्रम अधिकारियों/श्रम निरीक्षकों ने विगत निरीक्षणों में पाई गई सुरक्षा कमियों के अनुपालन की निगरानी के लिए निरीक्षण टिप्पणी या पंजिका अनुरक्षित नहीं की। निरीक्षण तंत्र में निर्माण स्थलों के आकार के अनुसार जोखिम-आधारित आकलन का अभाव था तथा स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा अनुमोदित बड़ी निर्माण परियोजनाओं का निरीक्षण नहीं किया गया।

प्रशासनिक अनियमितताओं में बोर्ड की बैठकों के आयोजन में 77 प्रतिशत की कमी, राज्य सलाहकार समिति के गठन में विलम्ब एवं उसकी कोई बैठकें आयोजित न होना शामिल है। लेखापरीक्षा हेतु वार्षिक लेखे 19 माह के बाद प्रस्तुत किए गए, वार्षिक रिपोर्ट 33 माह के विलम्ब से अनुमोदित की गई तथा राज्य सरकार को 31 माह के विलम्ब से प्रस्तुत की गई। वार्षिक बजट को अनुमोदित करने में तीन से 15 माह का विलम्ब हुआ।

35 प्रतिशत कार्मिकों की कमी देखी गई, प्रमुख पदों पर अतिरिक्त प्रभार के तहत कार्य किया जा रहा था तथा 75 प्रतिशत पदों को आउटसोर्स आधार पर भरने के कारण कल्याण अधिनियमों के कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न हुई।

वित्तीय रूप से निधि में ₹ 703.15 करोड़ संचित हुए, वर्ष 2017-18 व वर्ष 2018-19 में प्रशासनिक व्यय की पांच प्रतिशत सीमा का दो बार उल्लंघन हुआ तथा ₹ 15.89 करोड़ का व्यय अनियमित रूप से दान, सन्निर्माण व विज्ञापन पर किया गया। आयकर अधिनियम के तहत गलत पंजीकरण के कारण बोर्ड पर ₹ 191.01 करोड़ की आयकर देयता उत्पन्न हुई।

कल्याण योजनाओं के कार्यान्वयन में नियमों में असंगति, लाभार्थियों का समावेशन न करना, सामग्री का वितरण न होना एवं अनुचित भुगतान जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा। अस्वीकृत दावों के सुधार के लिए श्रम अधिकारियों/श्रम निरीक्षकों की निष्क्रियता तथा कल्याण

लाभों के वितरण में भी विलम्ब देखा गया। बोर्ड ने लाभों की सामाजिक लेखापरीक्षा के लिए कोई प्रभावी प्रणाली स्थापित नहीं की।

आंतरिक नियंत्रण एवं निगरानी तंत्र लगभग न के बराबर था, क्योंकि बोर्ड और श्रम अधिकारी/श्रम निरीक्षक ने नियंत्रण पंजिकाओं या अभिलेखों का अनुरक्षण नहीं किया। 243 कर्मकारों के सर्वेक्षण में केवल सात (तीन प्रतिशत) ही वास्तव में सन्निर्माण कार्य में संलिप्त पाए गए, जिससे यह संदेह उत्पन्न होता है कि कल्याण लाभ वास्तव में लक्ष्यित सन्निर्माण कर्मकारों को मिल रहे थे या नहीं। अपंजीकृत कर्मकार कल्याण लाभों से अनभिज्ञ थे, जो बोर्ड के अप्रभावी प्रचार-प्रसार को परिलक्षित करता है।

*राज्य सरकार:*

- *विवाह के लिए वित्तीय सहायता से संबंधित आवेदन-पत्र में स्पष्ट करें कि एक ही व्यक्ति के विवाह के लिए स्वयं सहित परिवार के विभिन्न सदस्यों द्वारा सहायता के लिए आवेदन नहीं किया गया/सहायता प्राप्त नहीं की गई। एक से अधिक बार विवाह सहायता प्राप्त करने की घटनाओं से बचने के लिए नियम में स्पष्टता भी लाएं।*
- *आदर्श कल्याण योजना की अनुशंसाओं का अनुपालन सुनिश्चित करें। यदि कोई विचलन हो तो उसे अपनाने से पहले उसका समुचित आकलन करें।*
- *विभाग राज्य की सन्निर्माण गतिविधियों की निगरानी के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली मैपिंग का उपयोग आरंभ करें एवं यथोचित निरीक्षण करें।*
- *राज्य के सभी पात्र कर्मकारों का पंजीकरण कर्मकारों की पहल पर ना छोड़ते हुए बोर्ड व विभाग की ओर से आयोजित शिविरों, लक्ष्य केन्द्रित प्रचार अभियानों, विशेष अभियानों आदि सक्रिय गतिविधियों द्वारा सुनिश्चित करें।*
- *श्रम अधिकारी नियोक्ता/ठेकेदार से फॉर्म-XXX में मासिक रिटर्न का प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करें ताकि निर्माण-स्थल पर पंजीकरण के पात्र सन्निर्माण कर्मकारों की जानकारी श्रम अधिकारियों के पास उपलब्ध हो।*
- *साथ ही रजिस्ट्रीकरण प्रक्रिया में त्रुटियों के कारण हुए दोहरे पंजीकरण, फर्जी प्रमाणपत्र के आधार पर झूठे पंजीकरण इत्यादि को उपयुक्त सॉफ्टवेयर विकसित कर आवश्यक नियंत्रण के माध्यम से दूर किया जाए।*
- *विभाग एवं बोर्ड उपकर से सम्बंधित विस्तृत डाटाबेस श्रम कार्यालयों व बोर्ड स्तर पर तैयार करना सुनिश्चित करें।*
- *राजस्व की किसी भी हानि से बचने के लिए फॉर्म-I प्राप्त करने और तदोपरांत उपकर निर्धारण की प्रक्रिया का सावधानीपूर्वक पालन सुनिश्चित करें।*

- *विभाग राज्य के सभी पात्र स्थापनों से उपकर संग्रहण हेतु अन्य संबंधित विभागों के साथ समन्वय करें। स्थानीय निकायों के भवन योजना अनुमोदन के आवेदन में "उपकर जमा" का प्रावधान समाविष्ट किया जा सकता है।*
- *बोर्ड एवं साथ ही उपकर-संग्रहकर्ता उपकर संग्रह का नियमित रूप से मिलान करें।*
- *सरकार या बोर्ड सभी उपकर कटौतीकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला एक समान प्रारूप उपलब्ध करवाएं, जिसमें प्रत्येक स्थापनाओं/सन्निर्माण कार्यों, राशि, उपकर कटौती की अवधि, बोर्ड के बैंक खाते में उपकर हस्तांतरण का तरीका, लंबित उपकर का विवरण (यदि कोई हो), अग्रिम भुगतान की गई उपकर राशि (यदि कोई हो), श्रम कार्यालय के क्षेत्राधिकार, इत्यादि का विवरण हो।*
- *श्रम अधिकारी और श्रम निरीक्षक विभाग व बोर्ड के क्षेत्रीय एजेंट होने के नाते निर्माण-स्थलों का नियमित रूप से निरीक्षण करें तथा सन्निर्माण कर्मकारों की सुरक्षा व स्वास्थ्य के संदर्भ में विगत निरीक्षणों के दौरान उठाए गए मुद्दों या देखी गई कमियों की अनुपालना सुनिश्चित करने हेतु निरीक्षण टिप्पणी एवं पंजिका का अनुरक्षण करें।*
- *विभाग चल रही सन्निर्माण गतिविधियों एवं उपलब्ध कार्मिकों की संख्या का भी विश्लेषण करने के बाद नियमित रूप से निरीक्षण लक्ष्य संशोधित करें एवं राज्य में निर्माण-स्थलों के आवधिक दौरे एवं जोखिम-आधारित आकलन को निर्दिष्ट करते हुए एक व्यापक निरीक्षण नीति तैयार करें।*
- *विभाग एवं बोर्ड कर्मकारों व स्थापनों के पंजीकरण हेतु सॉफ्टवेयर विकसित करें, जिसके माध्यम से कल्याण लाभों के आवेदन प्रस्तुत किए जा सकें, उनकी जांच की जा सकें व कर्मकारों को लाभ के त्वरित वितरण की स्वीकृति दी जा सकें।*
- *बोर्ड एवं राज्य सलाहकार समिति की बैठकें नियमित अंतराल पर आयोजित की जाएं तथा वार्षिक लेखाओं व वार्षिक रिपोर्टों की तैयारी और अनुमोदन निर्धारित समयसीमा के भीतर सुनिश्चित किया जाए।*
- *बोर्ड राज्य की सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई के साथ समन्वय स्थापित करके राज्य के सभी ब्लॉकों में आवधिक रूप से सामाजिक लेखापरीक्षा संचालित करने का प्रयास करें।*
- *राज्य के सभी पात्र कर्मकारों को अधिकतम लाभ प्रदान करने हेतु बोर्ड योजनाओं का कार्यान्वयन सुनिश्चित करें, जिससे निधियों के संचय से बचा जा सके। साथ ही अधिनियम/नियमों के प्रावधानों के अनुसार निधि से व्यय हो।*
- *आयकर देयता को बढ़ाने वाले अनावश्यक व्यय से बचने की अनुशंसा की जाती है।*
- *कल्याण लाभों के संदर्भ में एक डाटाबेस तैयार किया जाए, ताकि दोहरी स्वीकृति, अनुचित एवं अनियमित भुगतानों जैसी अनियमितताओं को समाप्त किया जा सके तथा दावों की स्वीकृति के समय क्षेत्रीय अधिकारियों एवं बोर्ड द्वारा प्रस्तुत आवेदनों एवं संलग्न दस्तावेजों की समुचित संवीक्षा भी की जाएं।*

## अनुपालन लेखापरीक्षा

## खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग

## अध्याय III - खाद्य सामग्री की खरीद, भंडारण एवं वितरण में गुणवत्ता प्रबंधन

राज्य सरकार ने विभाग एवं हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (निगम) को क्षेत्रीय पदाधिकारियों की सहायता से विभिन्न स्तरों पर लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत विभिन्न खाद्य सामग्रियों को खरीदने एवं वितरण करने के साथ ही उसकी निगरानी व गुणवत्ता नियंत्रण की जिम्मेदारी सौंपी है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि विभाग ने लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश, 2015 के अनुरूप निरीक्षण लक्ष्यों को संशोधित नहीं किया, अतः लक्ष्यों का कम निर्धारण हुआ। इसके अतिरिक्त निरीक्षण हेतु विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य भी पूर्ण नहीं हुए। खाद्य सामग्रियों की गुणवत्ता की जांच के लिए नमूनों के संग्रह में कमी देखी गई। परीक्षण रिपोर्ट क्षेत्रीय इकाइयों तक पहुंचाने में विलम्ब के कारण राज्य में अवमानक खाद्य सामग्रियां वितरित कर दी गई। विभागीय खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला के उन्नयन व आधुनिकीकरण में उदासीन दृष्टिकोण के कारण आवंटित बजट की अवधि समाप्त हो गई, प्रयोगशाला को मान्यता नहीं मिल सकी और उसका उन्नयन भी नहीं हो पाया। अतः प्रयोज्य अधिनियम/आदेश के तहत अपेक्षित संयुक्त भौतिक निरीक्षण एवं प्रयोगशाला परीक्षण के माध्यम से खाद्य सामग्रियों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की विभागीय कार्रवाई लेखापरीक्षा में अपर्याप्त पाई गई।

विभाग सभी स्तरों पर यथोचित निगरानी व पर्यवेक्षण सुनिश्चित करने में असमर्थ पाया गया। प्रत्येक ब्लॉक व उचित मूल्य की दुकान स्तर पर गठित करने हेतु अपेक्षित सतर्कता समितियां कई ब्लॉकों एवं उचित मूल्य की दुकानों में गठित नहीं की गई। इसके अतिरिक्त सतर्कता समितियों की निर्धारित सीमा में आवधिक बैठकें न होने के कारण राज्य में लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की पारदर्शिता व जवाबदेही प्रभावित हुई। विभाग उपभोक्ता जागरूकता गतिविधियों के लिए आवंटित बजट का उपयोग करने में भी पिछड़ रहा था, जिससे लाभार्थियों की गुणवत्ता नियंत्रण प्रक्रिया में भागीदारी की क्षमता सीमित रह गई।

थोक गोदामों के भौतिक सत्यापन के दौरान गुणवत्ता संबंधी कई कमियां पाई गईं। लाभार्थियों ने भी लाभार्थी सर्वेक्षण के दौरान खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता औसत से कम होने की सूचना दी। इसके अतिरिक्त अधिकांश लाभार्थियों को विभाग के टोल-फ्री नंबर की जानकारी नहीं थी एवं वे शिकायत निवारण तंत्र से भी अनभिज्ञ थे। अतः लेखापरीक्षा का निष्कर्ष है कि विभाग द्वारा अपनाई गई निगरानी प्रणाली व उपभोक्ता जागरूकता के उपाय अपर्याप्त थे एवं इनमें सुधार की गुंजाइश है।

लेखापरीक्षा में किए गए खाद्य वस्तुओं के स्वतंत्र गुणात्मक विश्लेषण से उजागर हुआ कि फोर्टिफाइड चावल व फोर्टिफाइड गेहूं के आटे का कोई भी नमूना सूक्ष्म पोषक तत्वों के निर्धारित

स्तर के अनुरूप नहीं था। इसके अतिरिक्त फोर्टिफाइड नमक के कुछ नमूने भी सूक्ष्म पोषक तत्वों के निर्धारित स्तर के अनुरूप नहीं थे।

सरकार निम्नलिखित पर विचार कर सकती है:

- *लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश, 2015 के अनुरूप विभिन्न क्षेत्रीय पदाधिकारियों के निरीक्षण लक्ष्य निर्धारित करना तथा लक्ष्यों की समय पर प्राप्ति सुनिश्चित करना।*
- *यह सुनिश्चित करने के उपाय करना कि क्षेत्रीय पदाधिकारी उचित मूल्य की दुकानों, मिलों व गोदामों से विभिन्न खाद्य सामग्रियों के नमूने संग्रहित करने में कोई कमी न रखे।*
- *अपनी खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला के उन्नयन व आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में गति लाना एवं मानकीकृत एजेंसी से इसकी मान्यता सुनिश्चित करना।*
- *यह सुनिश्चित करना कि किसी भी खाद्य वस्तु का परीक्षण किए बिना उसका वितरण न किया जाए तथा परीक्षण के परिणाम त्वरितता से क्षेत्रीय इकाइयों को सूचित किए जाएं।*
- *सभी स्तरों पर सतर्कता समितियों का गठन और उनकी नियमित बैठकें सुनिश्चित करना।*
- *राज्य में जवाबदेही एवं पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सामुदायिक भागीदारी को एक प्रमुख घटक के रूप में महत्व देना।*
- *राज्य में फोर्टिफिकेशन कार्यक्रम की सक्रिय निगरानी सुनिश्चित करना।*

## तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग

### अध्याय IV - हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम की कौशल विकास में भूमिका

कौशल और ज्ञान किसी भी देश की आर्थिक वृद्धि एवं सामाजिक विकास की प्रेरक शक्तियां हैं। हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम राज्य के युवाओं को स्वरोजगार और निजी क्षेत्र में रोजगार के लिए अल्पकालिक पाठ्यक्रमों के माध्यम से कौशल प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। राज्य/विभागीय स्तर की दो निगरानी समितियों द्वारा कार्यक्रम कार्यान्वयन पर उचित ध्यान नहीं दिया गया। हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम में प्रभावी कार्य-योजना का अभाव था क्योंकि हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम की वार्षिक योजनाएं तैयार नहीं की गई थीं। विभिन्न विभागों द्वारा कार्यान्वित कौशल विकास योजनाओं को एक छत्र के नीचे लाने के प्रयास प्रभावी नहीं रहे। कृषि और बागवानी क्षेत्रों में प्रशिक्षण पर्याप्त नहीं थे। वर्ष 2017-22 के दौरान प्रशिक्षण सेवा प्रदाताओं का पैनल बनने में विलम्ब, प्रशिक्षण आरंभ करने में विलम्ब, सिविल कार्यों की धीमी प्रगति आदि के कारण निधियों का उपयोग कम हुआ। प्रशिक्षण सेवा प्रदाताओं से निष्पादन प्रतिभूति नहीं ली गई। प्रशिक्षण सेवा प्रदाताओं द्वारा संचालित प्रशिक्षण पर वस्तु व सेवा कर अदायगी हेतु वस्तु व सेवा कर परिषद से छूट प्राप्त नहीं की गई। महिला

एवं दिव्यांग अभ्यर्थियों को वेतनयुक्त रोजगार उपलब्ध कराने में कमी पाई गई। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना दिशा-निर्देशों के विभिन्न प्रावधानों जैसे बायोमेट्रिक उपस्थिति, अभ्यर्थियों का बीमा, कौशल मेलों का आयोजन, कैप्टिव प्लेसमेंट से जुड़े प्रशिक्षण आदि से संबंधित अभिलेखों का या तो अनुरक्षण नहीं किया गया अथवा इन प्रावधानों का निगरानी, निरीक्षण द्वारा अनुपालन नहीं किया गया और आंतरिक नियंत्रण तंत्र भी प्रभावी नहीं था। हिमाचल प्रदेश कौशल विकास परियोजना के कार्यान्वयन हेतु नियुक्त कंसल्टेंसी फर्मों का प्रदर्शन भी संतोषजनक नहीं था। सर्वेक्षित अभ्यर्थियों ने उनके प्रमाणन के पश्चात् प्रशिक्षण सेवा प्रदाताओं द्वारा रोजगार मेलों का आयोजन न करने तथा प्लेसमेंट उपलब्ध न कराने पर असंतोष व्यक्त किया।

*लेखापरीक्षा निष्कर्षों के दृष्टिगत राज्य सरकार निम्नलिखित पर विचार कर सकती है:*

- *अभ्यर्थियों की आकांक्षाओं के अनुरूप क्षेत्रों में कौशल विकास, ताकि वे दीर्घकालिक रोजगार के उद्देश्य से प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें, प्लेसमेंट ले सकें और संबंधित रोजगार कर सके।*
- *अभ्यर्थियों के प्रशिक्षण के लिए अधोसंरचना को समय पर पूर्ण कर पर्याप्त अवसंरचना उपलब्ध कराई जाए।*
- *स्थानीय रोजगार के अवसरों वाले क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान किया जाए एवं वित्त, विपणन, प्रदर्शन-बिक्री केंद्रों की व्यवस्था के साथ स्थानीय कला एवं शिल्प में कौशल विकास किया जाए तथा प्रशिक्षण को कैप्टिव प्लेसमेंट से जोड़ा जाए।*
- *कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी शीर्ष स्तर पर सुनिश्चित की जाए तथा विभिन्न विभागीय अधिकारियों द्वारा प्रशिक्षण का पर्याप्त निरीक्षण किया जाए।*
- *संविदात्मक अनुबंध के अनुपालन में फर्मों व प्रशिक्षण सेवा प्रदाताओं के प्रदर्शन की निगरानी सुनिश्चित की जाए।*

## पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग

### अध्याय V - स्वदेश दर्शन योजना के माध्यम से हिमाचल प्रदेश में थीम आधारित पर्यटन सर्किट का एकीकृत विकास

हिमालयन सर्किट के एकीकृत विकास की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में स्थानीय युवाओं को रोजगार दे कर, पर्यटन गतिविधि द्वारा आय बढ़ाने के माध्यम से स्थानीय अर्थव्यवस्था को सशक्त करने से संबंधित उल्लिखित उद्देश्यों को प्राप्त नहीं किया गया।

योजना के तहत सर्किट को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया क्योंकि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में प्रवेश/अंतिम बिंदु चिह्नित किए बिना परियोजनाएं अलग-अलग स्थानों पर चिह्नित एवं प्रस्तावित की गई। अतएव प्रस्तावित पर्यटक सर्किट पर्यटकों को सर्किट के अधिकांश या अगले गंतव्यों पर जाने के लिए प्रेरित करने में असमर्थ रहा।

स्वतंत्र घटकों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए निविदा प्रक्रिया का पालन किए बिना परामर्शदाता नियुक्त किए गए। संपूर्ण सर्किट की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने एवं अंतिम रूप देने में काफी समय लगा। परामर्शदाताओं ने निर्धारित समय के भीतर स्वतंत्र घटकों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार नहीं की।

भूमि की अनुपलब्धता एवं विभिन्न विभागों/एजेंसियों से आवश्यक स्वीकृति/अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त न होने के कारण दो घटकों को बीच में ही छोड़ना पड़ा तथा अन्य घटक लंबे समय तक अपूर्ण रहे, जो निष्फल/व्यर्थ व्यय में परिणत हुए।

सूचना, शिक्षा एवं संचार गतिविधियों पर कोई व्यय नहीं किया गया। घटकों के पूर्ण होने में अत्यधिक विलम्ब के बावजूद दो मामलों में परिनिर्धारित क्षति अधिरोपित नहीं की गई।

स्वदेश दर्शन योजना घटक क्यारीघाट स्थित कन्वेंशन सेंटर में सोलन जिले के एकीकृत विकास योजना की निधियों का अपयोजन पाया गया जो स्वदेश दर्शन योजना दिशानिर्देशों के विरुद्ध था।

विभाग ने एक पूर्ण घटक का संचालन एवं रखरखाव संबंधित एजेंसी के साथ समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए बिना हस्तांतरित कर दिया जबकि एक अन्य पूर्ण घटक का संचालन एवं रखरखाव एजेंसी को हस्तांतरित नहीं किया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा किए गए संयुक्त भौतिक निरीक्षण में पाया गया कि स्वीकृत घटकों के कुछ उप-घटक या तो निर्मित नहीं किए गए या अनुमोदन के अनुरूप निर्मित नहीं किए गए, जिससे व्यय निष्फल हो गया।

सफल निविदाकार से ₹ 1.57 करोड़ की निष्पादन प्रतिभूति प्राप्त नहीं की गई, जो ठेकेदार को अनुचित लाभ देने के रूप में परिणत हुआ।

राज्य सरकार निम्नलिखित पर विचार कर सकती है:

- *परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट मानकों/दिशानिर्देशों के अनुसार तैयार करना, ताकि घटकों में विलम्ब/घटक बीच में छोड़ने से बचा जा सके।*
- *सुनिश्चित किया जाए कि कार्य सौंपे जाने से पूर्व भूमि/वन मंजूरी की उपलब्धता, सभी संबंधित विभागों से अनापत्ति प्रमाणपत्र तथा सभी कोडल औपचारिकताएं पूर्ण करने सम्बन्धी जांच-सूची का पूरी तरह से अनुपालन हो, ताकि निर्धारित अवधि के भीतर उनका निष्पादन सुनिश्चित किया जा सके।*
- *परियोजनाओं के तहत निधियों के उपयोग एवं बुनियादी सुविधाओं के सृजन में तेजी लाना ताकि योजना के अभीष्ट लाभ समय पर प्राप्त किए जा सकें।*
- *ठेकेदार से परिनिर्धारित क्षति की वसूली सहित संविदा अनुबंध के निर्धारित खंडों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करना।*

## अध्याय VI - स्वतंत्र लेखापरीक्षा टिप्पणियां (विभाग)

### कृषि विभाग

### कृषि यंत्रीकरण उप-मिशन के तहत ट्रैक्टर खरीद पर किसानों को सब्सिडी का अधिक भुगतान

केंद्र प्रायोजित योजना 'कृषि यंत्रीकरण उप-मिशन' के तहत सहायता के पैटर्न का पालन न करने के कारण नमूना-जांचित जिलों में 1,005 लाभार्थियों को ₹ 4.61 करोड़ की वित्तीय सहायता का अधिक भुगतान किया गया।

***(परिच्छेद 6.1)***

### हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग

### पुल निर्माण पर निष्फल एवं परिहार्य व्यय

गलत डिजाइन के साथ पुल के निर्माण सहित चूककर्ताओं/ठेकेदार के विरुद्ध कार्रवाई न करने एवं जांच की कमी तथा क्षतिग्रस्त पुल के पुनर्वास कार्य के निष्पादन के प्रति विभाग की उदासीन प्रवृत्ति के कारण ₹ 10.60 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ। इसके अतिरिक्त क्षतिग्रस्त पुल (₹ 2.15 करोड़) के पुनर्वास व सुदृढ़ीकरण और वैकल्पिक बहु-स्पैन बेली पुल (₹ दो करोड़) के निर्माण पर ₹ 4.15 करोड़ का परिहार्य व्यय भी हुआ, जिसके परिणामस्वरूप यात्रियों को राहत प्रदान करने का उद्देश्य विफल हो गया।

***(परिच्छेद 6.2)***

### ठेकेदार को अनुचित वित्तीय लाभ/पक्ष लेने एवं सड़क निर्माण पर निष्फल व्यय

कार्य को निर्धारित अवधि के भीतर शीघ्रता से निष्पादित करने में विभाग की विफलता ठेकेदार को ₹ 1.69 करोड़ के अनुचित वित्तीय लाभ/पक्ष लेने में परिणत हुई, साथ ही कार्य समय पर पूर्ण न होने के कारण ₹ 4.86 करोड़ का व्यय भी निष्फल हो गया।

***(परिच्छेद 6.3)***

## अध्याय VII- राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर स्वतंत्र लेखापरीक्षा टिप्पणी

### हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड

### ट्रांसमिशन लाइनों के निर्माण पर निष्फल व्यय

निर्माण (i) समतुल्य वोल्टेज सब-स्टेशन के प्रावधान के बिना 400 केवी सिंगल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन, तथा (ii) आवश्यक बे के बिना दो 33 केवी लाइन हेतु खराब/त्रुटिपूर्ण योजना, ₹ 76.26 करोड़ के निष्फल व्यय में परिणत हुई। साथ ही इसके परिणामस्वरूप इन कार्यों के संबंधित उद्देश्यों की प्राप्ति भी नहीं हो सकी।

***(परिच्छेद 7.1)***

# अध्याय-I
# सामान्य

# अध्याय-I: सामान्य

## 1.1 परिचय

यह प्रतिवेदन राज्य सरकार के विभागों एवं राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की निष्पादन लेखापरीक्षा व अनुपालन लेखापरीक्षा से उत्पन्न मामलों को समाविष्ट करता है। इस प्रतिवेदन का प्राथमिक उद्देश्य लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणामों को विधायिका के संज्ञान में लाना है। लेखापरीक्षा के निष्कर्षों से कार्यपालिका को सुधारात्मक कार्रवाई करने के साथ-साथ नीतियों और निर्देशों को तैयार करने में सक्षम होने की उम्मीद है जिससे संगठनों के वित्तीय प्रबंधन में सुधार होगा और बेहतर शासन में योगदान मिलेगा।

प्रतिवेदन को निम्नलिखित सात अध्यायों में व्यवस्थित किया गया है:

अध्याय-I में हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार का विवरण, वर्ष 2021-22 की राज्य की संक्षिप्त रूपरेखा, लेखापरीक्षा का प्राधिकार, विभिन्न लेखापरीक्षा परिणामों यथा निरीक्षण प्रतिवेदनों, स्वतंत्र टिप्पणियों/परिच्छेदों पर राज्य सरकार की प्रतिक्रिया एवं लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई शामिल है।

अध्याय-II में 'भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकारों के कल्याण' पर निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन शामिल है।

अध्याय-III में 'खाद्य सामग्री की खरीद, भंडारण एवं वितरण में गुणवत्ता प्रबंधन' पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा शामिल है।

अध्याय-IV में 'हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम' पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन शामिल है।

अध्याय-V में 'स्वदेश दर्शन योजना के माध्यम से हिमाचल प्रदेश में थीम आधारित पर्यटन सर्किट का एकीकृत विकास' पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन शामिल है।

अध्याय-VI में विभागों की अनुपालन लेखापरीक्षा से संबंधित स्वतंत्र टिप्पणियां शामिल हैं।

अध्याय-VII में राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों की अनुपालन लेखापरीक्षा से संबंधित स्वतंत्र टिप्पणी शामिल हैं।

## 1.2 हिमाचल प्रदेश राज्य के बारे में

हिमाचल प्रदेश पश्चिमी हिमालय में स्थित है। राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल 55,673 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का 1.69 प्रतिशत है। राज्य का अभिलिखित वन क्षेत्र राज्य के क्षेत्रफल का 66.52 प्रतिशत है। राज्य मुख्य रूप से पहाड़ी है जिसकी ऊंचाई समुद्र

तल से 350 मीटर से लेकर 6,975 मीटर तक है। राज्य का लगभग एक तिहाई क्षेत्र स्थायी रूप से बर्फ, ग्लेशियर और ठंडे रेगिस्तान से आच्छादित है। औसत वार्षिक वर्षा लगभग 1,800 मिलीमीटर है। राज्य का तापमान शून्य से नीचे से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब एवं यमुना राज्य की प्रमुख नदियां हैं।

हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971 को एक राज्य बना। यह एक विशेष श्रेणी राज्य है। राज्य की सीमा पंजाब, हरियाणा, जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश से लगती है। राज्य चीन के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है।

राज्य में 12 जिले हैं, जिनमें से अधिकांश पहाड़ी जिले हैं एवं तीन जनजातीय जिले हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार, हिमाचल प्रदेश की कुल जनसंख्या 68.6 लाख है, जो भारत की कुल जनसंख्या का 0.57 प्रतिशत है। ग्रामीण एवं शहरी जनसंख्या क्रमशः 89.97 प्रतिशत व 10.03 प्रतिशत है। जनजातीय जनसंख्या राज्य की आबादी का 5.71 प्रतिशत है। हिमाचल प्रदेश के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है, क्योंकि यह मुख्य कार्यशील आबादी के लगभग 69 प्रतिशत को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करती है। विनिर्माण, बागवानी एवं पर्यटन राज्य के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं।

### 1.2.1 राज्य की अर्थव्यवस्था

वित्तीय वर्ष 2021-22 की समाप्ति तक हिमाचल प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद[1] स्थिर मूल्यों[2] (2011-12) पर ₹ 1,24,400 करोड़ होने का अनुमान है, जो विगत वर्ष की तुलना में 8.35 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। हिमाचल प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स्थिर मूल्यों पर) राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद (₹ 147.36 लाख करोड़) का 0.84 प्रतिशत था। वर्ष 2020-21 की तुलना में वर्ष 2021-22 हेतु सकल राज्य घरेलू उत्पाद व प्रति व्यक्ति आय (चालू व स्थिर दोनों मूल्यों पर) **चार्ट 1.1** में दर्शाई गई है।

[1] राज्य के भीतर एक वित्तीय वर्ष के दौरान उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य। किसी राज्य की अर्थव्यवस्था के आकार को मापने के लिए यह सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला संकेतक है।

[2] स्थिर मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद में मुद्रास्फीति का प्रभाव शामिल नही होता है, जबकि चालू मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद में मुद्रास्फीति का प्रभाव शामिल होता है।

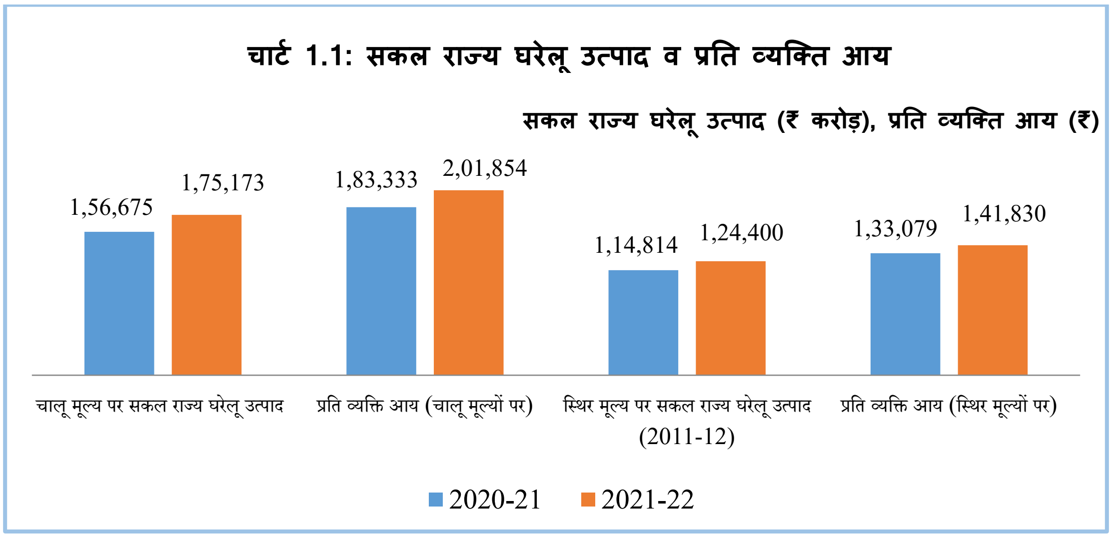


*स्रोत: हिमाचल प्रदेश के आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग द्वारा दी गई जानकारी।*

## 1.3 राज्य सरकार की रूपरेखा

### 1.3.1 सरकार की संरचना

हिमाचल प्रदेश सरकार 48 विभागों एवं 29 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में संगठित है। उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य में 53 स्वायत्त निकाय हैं।

राज्य में 61 शहरी स्थानीय निकाय हैं, जिनमें पांच नगर निगम (शिमला, धर्मशाला, सोलन, मंडी व पालमपुर), 29 नगर परिषद् एवं 27 नगर पंचायतें शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, 31 मार्च 2022 तक 3,708 पंचायती राज संस्थान हैं, जिनमें 12 जिला परिषदें, 81 पंचायत समितियाँ व 3,615 ग्राम पंचायतें शामिल हैं।

### 1.3.2 राज्य सरकार की प्राप्तियां

वर्ष 2017-18 से 2021-22 की अवधि के दौरान राज्य सरकार की कुल प्राप्तियों व उसके घटकों की प्रवृत्ति **चार्ट 1.2** में दर्शाई गई है।

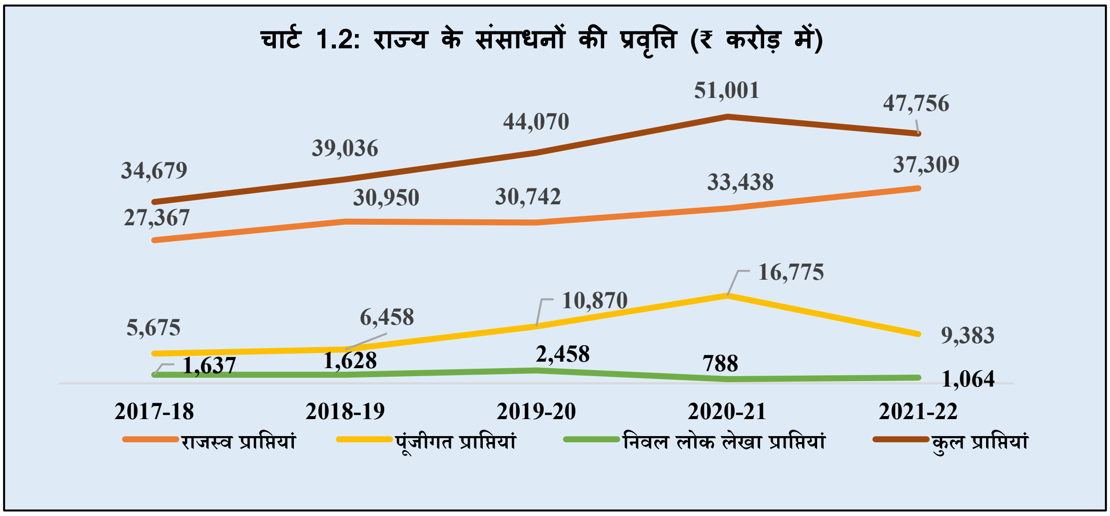


*स्रोत: 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार का राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।*

वर्ष 2017-18 से 2021-22 की अवधि के दौरान राजस्व प्राप्तियों के घटकों की प्रवृत्ति को **चार्ट 1.3** में दर्शाया गया है।

**चार्ट 1.3: राजस्व प्राप्तियों के घटक (₹ करोड़ में)**

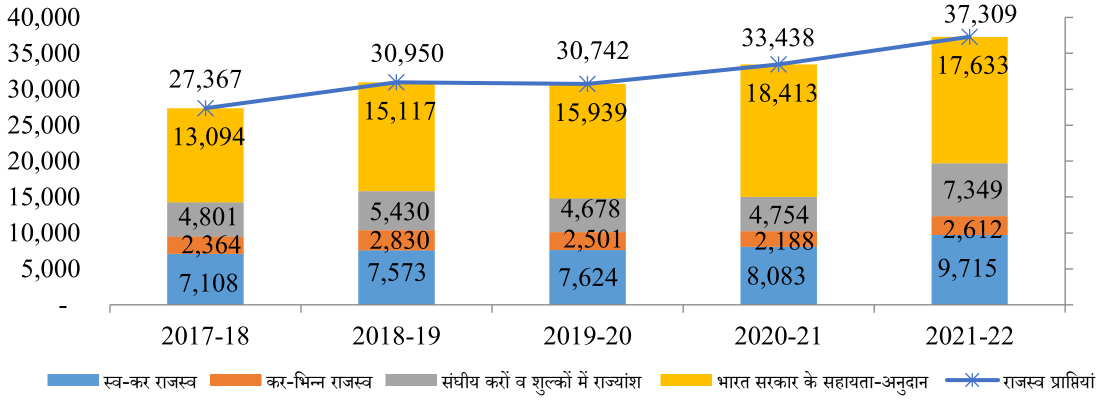


*स्रोतः 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार का राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।*

## 1.3.3 राज्य सरकार की व्यय रूपरेखा

विगत पांच वर्षों के दौरान राज्य सरकार का कुल व्यय एवं उसका संघटन **चार्ट 1.4** में दर्शाया गया है।

**चार्ट 1.4: राज्य सरकार का कुल व्यय (₹ करोड़ में)**

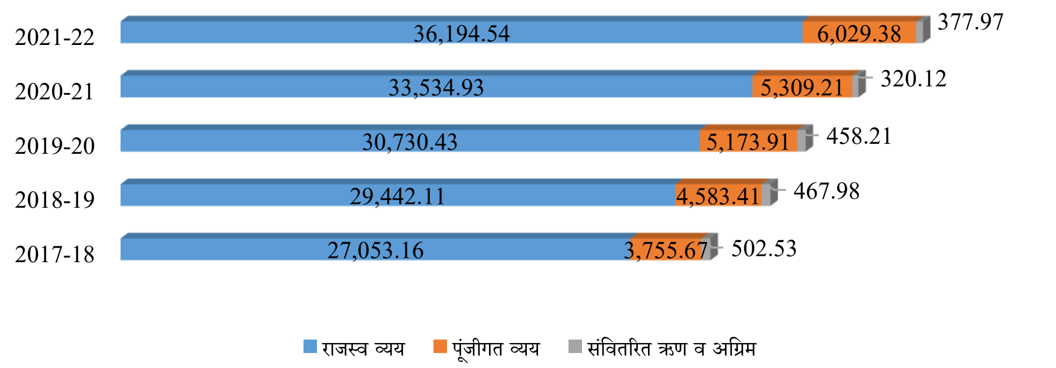


*स्रोतः 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार का राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।*

*हिमाचल प्रदेश के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में बजट, प्राप्तियां, व्यय एवं राज्य वित्त के अन्य आयामों पर विस्तृत चर्चा की गई है।*

## 1.4 लेखापरीक्षा प्राधिकार

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को लेखापरीक्षा प्राधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 व 151 तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 से प्राप्त होता है। भारत के नियंत्रक एवं

महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम की धारा 13[3] के तहत नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक राज्य सरकार के विभागों के व्यय की लेखापरीक्षा करता है। साथ ही नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक सरकार द्वारा पर्याप्त रूप से वित्तपोषित अन्य स्वायत्त निकायों की भी लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 14[4] के तहत करता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 16 नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को भारत सरकार एवं प्रत्येक राज्य व विधायिका वाले प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश की सभी प्राप्तियों (राजस्व व पूंजीगत दोनों) की लेखापरीक्षा करने एवं यह सुनिश्चित करने का अधिकार देती है कि नियम व प्रक्रियाएं राजस्व के आकलन, संग्रहण व उचित आवंटन पर प्रभावी जांच सुनिश्चित करने के लिए तैयार की गई हैं और उनका विधिवत पालन किया जा रहा है। लेखापरीक्षा व लेखा विनियमन (संशोधन), 2020 तथा भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों में विभिन्न लेखापरीक्षा के सिद्धांत एवं पद्धतियां निर्धारित की गई हैं।

## 1.5 लेखापरीक्षा पर राज्य सरकार की प्रतिक्रिया

### 1.5.1 निरीक्षण प्रतिवेदनों पर प्रतिक्रिया

निरीक्षण प्रतिवेदन से तात्पर्य लेखापरीक्षा कार्यालय [अर्थात प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हिमाचल प्रदेश] द्वारा लेखापरीक्षा योग्य संस्था[5] की लेखापरीक्षा पूर्ण हो जाने के पश्चात् जारी किए गए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन से है। निरीक्षण प्रतिवेदन में स्वतंत्र लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां/निष्कर्ष (लेखापरीक्षा परिच्छेद के रूप में संदर्भित) शामिल होते हैं तथा इसमें किसी विषय विशिष्ट पर लेखापरीक्षा निष्कर्ष शामिल हो सकते हैं।

लेखापरीक्षा योग्य संस्थाओं के प्रमुख से, उनके आगामी उच्च प्राधिकारियों के माध्यम से, निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त होने के चार सप्ताह के भीतर प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हिमाचल प्रदेश को निरीक्षण प्रतिवेदन में निहित निष्कर्षों के संबंध में अनुपालन प्रतिवेदित करना अपेक्षित है। की गई कार्रवाई के आधार पर एक लेखापरीक्षा परिच्छेद का या तो निपटान किया जाता है या लेखापरीक्षा योग्य संस्था से आगे सुधारात्मक कार्रवाई करने का अनुरोध किया जाता है। जब किसी निरीक्षण प्रतिवेदन में सभी लेखापरीक्षा परिच्छेदों का निपटान हो जाता है, तो निरीक्षण प्रतिवेदन को समायोजित माना जाता है। वित्त विभाग वार्षिक आधार पर तदर्थ समिति की बैठकें निर्धारित करता है, जहां निरीक्षण प्रतिवेदन के लेखापरीक्षा परिच्छेदों को समायोजित करने पर चर्चा की जाती है। 31 मार्च 2022 तक सामाजिक, सामान्य (तीन विभागों

---

3 (i) राज्य की समेकित निधि से सभी व्यय; (ii) आकस्मिकता निधि व लोक लेखा से संबंधित सभी लेन-देन; एवं (iii) सभी व्यापार, विनिर्माण, लाभ व हानि लेखे, बैलेंस शीट व अन्य सहायक लेखाओं की लेखापरीक्षा।

4 रोजगार सृजन, गरीबी उन्मूलन, साक्षरता का प्रसार, सभी के लिए स्वास्थ्य और बीमारियों की रोकथाम, पर्यावरण आदि के लिए योजनाओं को लागू करने हेतु स्थापित एवं सरकार द्वारा पर्याप्त रूप से वित्तपोषित कई गैर-वाणिज्यिक स्वायत्त/अर्ध-स्वायत्त निकायों की धारा 14 के तहत लेखापरीक्षा की जाती है।

5 लेखापरीक्षा योग्य संस्था से तात्पर्य राज्य सरकार की किसी भी संस्था से है, जिसमें कोई कार्यालय, प्राधिकरण, निकाय, कंपनी, निगम, निधि, स्थानीय निकाय या भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा के अधीन कोई अन्य संस्था शामिल है।

को छोड़कर[6]) एवं आर्थिक क्षेत्रों से संबंधित निरीक्षण प्रतिवेदन तथा उनमें निहित लेखापरीक्षा परिच्छेदों की स्थिति **तालिका 1.1** में दर्शाई गई है।

**तालिका 1.1: निरीक्षण प्रतिवेदन एवं लेखापरीक्षा परिच्छेदों के निपटान की स्थिति**

| क्र. सं. | विवरण | निरीक्षण प्रतिवेदन | लेखापरीक्षा परिच्छेद |
|---|---|---|---|
| 1. | 31 मार्च 2021 तक लंबितता | 11,254 | 50,912 |
| 2. | वर्ष 2021-22 के दौरान जारी | 617 | 8,414 |
| 3. | 2021-22 के दौरान निपटान | 328 | 4,557 |
| 4. | 31 मार्च 2022 तक लंबितता | 11,543 | 54,769 |

## 1.5.2 नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में निहित लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर राज्य सरकार की प्रतिक्रिया

विधायिका में प्रस्तुत किये जाने वाले नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन लोक लेखा समिति/सार्वजनिक उपक्रम समिति को भेजे जाते हैं। लोक लेखा समिति/सार्वजनिक उपक्रम समिति के नियमों व प्रक्रियाओं के अनुसार (शकधर समिति की संस्तुति के अनुसार) सभी राज्य सरकार के प्रशासनिक विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को इन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल सभी लेखापरीक्षा परिच्छेदों पर सुओ-मोटो कार्रवाई करनी अपेक्षित है। राज्य विधायिका में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के तीन माह के भीतर उन्हें लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में अंतर्निहित लेखापरीक्षा परिच्छेद के संदर्भ में उनके द्वारा की गई या प्रस्तावित सुधारात्मक कार्रवाई इंगित करते हुए लोक लेखा समिति/सार्वजनिक उपक्रम समिति को विस्तृत टिप्पणी प्रस्तुत करनी अपेक्षित है।

31 मार्च 2022 तक पिछले वर्षों के सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों पर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में निहित लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के सुओ-मोटो उत्तरों की स्थिति **तालिका 1.2** में दी गई है।

**तालिका 1.2: पिछले वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में निहित लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर सुओ-मोटो उत्तर दिए जाने की स्थिति**

| प्रतिवेदन का नाम | प्रतिवेदन का वर्ष | प्रतिवेदन में शामिल कुल लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां | | प्राप्त सुओ-मोटो उत्तर | | प्राप्त न हुए सुओ-मोटो उत्तर | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | निष्पादन लेखापरीक्षा | अनुपालन लेखापरीक्षा परिच्छेद | निष्पादन लेखापरीक्षा | अनुपालन लेखापरीक्षा परिच्छेद | निष्पादन लेखापरीक्षा | अनुपालन लेखापरीक्षा परिच्छेद |
| सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक (गैर- सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) क्षेत्रों पर भारत के नियंत्रक एवं | 2012-13 से 2018-19 | 24 | 138 | 21 | 111 | 3 | 27 |

6 योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी तथा वित्त विभाग।

| प्रतिवेदन का नाम | प्रतिवेदन का वर्ष | प्रतिवेदन में शामिल कुल लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां | | प्राप्त सुओ-मोटो उत्तर | | प्राप्त न हुए सुओ-मोटो उत्तर | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | निष्पादन लेखापरीक्षा | अनुपालन लेखापरीक्षा परिच्छेद | निष्पादन लेखापरीक्षा | अनुपालन लेखापरीक्षा परिच्छेद | निष्पादन लेखापरीक्षा | अनुपालन लेखापरीक्षा परिच्छेद |
| महालेखापरीक्षक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन | | | | | | | |
| सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन | 2016-17 से 2018-19 | 2 | 34 | 2 | 23 | 0 | 11 |

प्राप्त न हुए सुओ-मोटो उत्तरों का वर्ष-वार विवरण, जैसाकि **तालिका 1.2** में दर्शाया गया है, **परिशिष्ट 1.1** में दिया गया है।

### 1.5.3 नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर लोक लेखा समिति/ सार्वजनिक उपक्रम समिति में चर्चा

लोक लेखा समिति व सार्वजनिक उपक्रम समिति को भेजे गए नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर संबंधित समिति द्वारा चर्चा एवं मौखिक जांच की जाती है। लोक लेखा समिति/सार्वजनिक उपक्रम समिति राज्य सरकार के अधिकारियों (आमतौर पर राज्य सरकार के संबंधित विभाग के प्रशासनिक सचिव/राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रमुख) को मौखिक जांच हेतु बुलाती है। वर्ष 2021-22 के दौरान लोक लेखा समिति/सार्वजनिक उपक्रम समिति द्वारा चर्चा की गई लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की स्थिति तथा 31 मार्च 2022 तक लोक लेखा समिति/सार्वजनिक उपक्रम समिति में चर्चा हेतु लंबित लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की स्थिति **तालिका 1.3** में दी गई है।

**तालिका 1.3: वर्ष 2021-22 के दौरान लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर हुई चर्चा एवं 31 मार्च 2022 तक लोक लेखा समिति/सार्वजनिक उपक्रम समिति में चर्चा हेतु लंबित लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां**

| संबंधित विधायी समिति - प्रतिवेदन का नाम | प्रतिवेदन का वर्ष | प्रतिवेदन में शामिल कुल लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां | | लोक लेखा समिति/सार्वजनिक उपक्रम समिति में मार्च 2021 तक की लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर चर्चा की गई | | 2021-22 के दौरान लोक लेखा समिति/सार्वजनिक उपक्रम समिति में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर चर्चा की गई | | 31 मार्च 2022 तक लोक लेखा समिति/ सार्वजनिक उपक्रम समिति में चर्चा हेतु लंबित लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | निष्पादन लेखापरीक्षा | अनुपालन लेखापरीक्षा परिच्छेद | निष्पादन लेखापरीक्षा | अनुपालन लेखापरीक्षा परिच्छेद | निष्पादन लेखापरीक्षा | अनुपालन लेखापरीक्षा परिच्छेद | निष्पादन लेखापरीक्षा | अनुपालन लेखापरीक्षा परिच्छेद |
| **लोक लेखा समिति -** सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक | 2008-09 से 2018-19 | 43 | 322 | 28 | 240 | 5 | 23 | 10 | 59 |

| संबंधित विधायी समिति - प्रतिवेदन का नाम | प्रतिवेदन का वर्ष | प्रतिवेदन में शामिल कुल लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां | | लोक लेखा समिति/सार्वजनिक उपक्रम समिति में मार्च 2021 तक की लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर चर्चा की गई | | 2021-22 के दौरान लोक लेखा समिति/सार्वजनिक उपक्रम समिति में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर चर्चा की गई | | 31 मार्च 2022 तक लोक लेखा समिति/ सार्वजनिक उपक्रम समिति में चर्चा हेतु लंबित लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | निष्पादन लेखापरीक्षा | अनुपालन लेखापरीक्षा परिच्छेद | निष्पादन लेखापरीक्षा | अनुपालन लेखापरीक्षा परिच्छेद | निष्पादन लेखापरीक्षा | अनुपालन लेखापरीक्षा परिच्छेद | निष्पादन लेखापरीक्षा | अनुपालन लेखापरीक्षा परिच्छेद |
| (गैर-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) क्षेत्रों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन | | | | | | | | | |
| **सार्वजनिक उपक्रम समिति** - सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन | 2015-16 से 2019-20 | 3 | 50 | 1 | 3 | 0 | 12 | 2 | 35 |

वर्ष 2021-22 के दौरान लोक लेखा समिति/सार्वजनिक उपक्रम समिति द्वारा चर्चा की गई लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की स्थिति **परिशिष्ट 1.2** में दी गई है तथा लोक लेखा समिति/ सार्वजनिक उपक्रम समिति में चर्चा हेतु लंबित लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का वर्ष-वार विवरण **परिशिष्ट 1.3** में दिया गया है।

### 1.5.4 लोक लेखा समिति/सार्वजनिक उपक्रम समिति की संस्तुतियों पर राज्य सरकार की प्रतिक्रिया

समिति की सुनवाई, राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा की गई कार्रवाई एवं समिति की संस्तुतियां सारांशित करते हुए लोक लेखा समिति/सार्वजनिक उपक्रम समिति रिपोर्ट तैयार करती है। ये रिपोर्टें राज्य विधायिका को प्रस्तुत की जाती हैं। लोक लेखा समिति/सार्वजनिक उपक्रम समिति की संस्तुतियां प्राप्त होने की तिथि से तीन माह के भीतर प्रशासनिक विभागों व सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को इन संस्तुतियों पर एक्शन टेकन नोट्स प्रस्तुत करना अपेक्षित है। 31 मार्च 2022 तक लोक लेखा समिति/सार्वजनिक उपक्रम समिति की संस्तुतियों पर एक्शन टेकन नोट्स की स्थिति **तालिका 1.4** में दर्शाई गई है।

**तालिका 1.4: लोक लेखा समिति/सार्वजनिक उपक्रम समिति की संस्तुतियों पर एक्शन टेकन नोट्स की स्थिति**

| प्रतिवेदन का नाम | संबंधित विधायी समिति | विधानसभा कार्यकाल से संबंधित लोक लेखा समिति/सार्वजनिक उपक्रम समिति की संस्तुति | विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या | लोक लेखा समिति/ सार्वजनिक उपक्रम समिति की संस्तुतियों पर लंबित कुल एक्शन टेकन नोट्स की संख्या |
|---|---|---|---|---|
| सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक (गैर-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) क्षेत्रों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन | लोक लेखा समिति | विधान सभा VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII | 20 | 95 |
| सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन | सार्वजनिक उपक्रम समिति | विधान सभा XII व XIII | 11 | 26 |

**तालिका 1.4** का विभाग-वार एवं विधानसभा कार्यकाल-वार विवरण **परिशिष्ट 1.4** में दिया गया है।

## 1.6 आभार

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों व अन्य लेखापरीक्षा योग्य संस्थाओं को लेखापरीक्षा के दौरान दिए गए सहयोग के लिए आभार व्यक्त करता है। हम निष्पादन लेखापरीक्षा के संचालन के दौरान हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड और हिमाचल प्रदेश के श्रम एवं रोजगार विभाग द्वारा दिए गए सहयोग के लिए आभार व्यक्त करते हैं।

हम खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों; तकनीकी शिक्षा; तथा पर्यटन और नागरिक उड्डयन विभागों द्वारा विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा के संचालन के दौरान दिए गए सहयोग के लिए आभार व्यक्त करते हैं। हमें उम्मीद है कि हमारे लेखापरीक्षा निष्कर्ष सुधार के लिए क्षेत्रों को उजागर करने और इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में निहित टिप्पणियों के आधार पर सुधारात्मक कार्रवाई का सुझाव देने में मदद करेंगे।

# अध्याय-II

# भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकारों के कल्याण पर निष्पादन लेखापरीक्षा

# अध्याय II: भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकारों के कल्याण पर निष्पादन लेखापरीक्षा

## श्रम एवं रोजगार विभाग
## (हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड)

## 2.1 परिचय एवं लेखापरीक्षा रूपरेखा

### 2.1.1 परिचय

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार भारत में असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों में सबसे कमज़ोर वर्ग हैं। भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्यों के चारित्रिक लक्षणों में कर्मकारों के जीवन और अंगों के लिये अंतर्निहित जोखिम है। इस कार्य का चारित्रिक लक्षण आकस्मिक प्रकृति, नियोक्ता और कर्मचारी का अस्थायी संबंध, अनिश्चित कार्य-घंटे, बुनियादी सुविधाओं का अभाव एवं अपर्याप्त कल्याण सुविधाएं भी हैं।

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकारों के लाभार्थ सामाजिक सुरक्षा योजनाएं एवं कल्याणकारी उपाय प्रदान करने तथा उनकी निगरानी हेतु प्रत्येक राज्य में कल्याण बोर्ड का गठन करना आवश्यक समझा गया। उक्त प्रयोजनार्थ भारत सरकार ने भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 (आगे "अधिनियम" के रूप में संदर्भित) नामक एक व्यापक कानून बनाया। सामाजिक सुरक्षा योजनाएं व कल्याणकारी उपाय करने के लिए कल्याण बोर्ड को पर्याप्त निधियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्यों पर नियोक्ताओं द्वारा किए गए निर्माण की लागत पर उपकर लगाना भी आवश्यक समझा गया। उपकर का प्रावधान भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 (आगे "उपकर अधिनियम" के रूप में संदर्भित) में किया गया।

हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) नियम, 2008 अधिसूचित किया। मार्च 2009 में राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (आगे "बोर्ड" के रूप में संदर्भित) का गठन किया और तदोपरांत हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण निधि (आगे "निधि" के रूप में संदर्भित) सृजित की गई।

बोर्ड में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष, केन्द्र सरकार द्वारा नामित एक सदस्य, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिकतम पांच व्यक्ति, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त सन्निर्माण व भवन कर्मकारों के नियोक्ताओं में से अधिकतम पांच व्यक्ति, राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिकतम पांच सदस्य, जिनमें से एक राज्य के भवन एवं सन्निर्माण निरीक्षण का मुख्य निरीक्षक हो

तथा वित्त विभाग, विधि विभाग, श्रम विभाग व कल्याण विभाग का एक-एक प्रतिनिधि हो, शामिल होंगे।

बोर्ड के कार्यों का संचालन सचिव-सह-मुख्य कार्यकारी अधिकारी करता है, जिसे आगे लेखा व वित्तीय कार्यों के प्रबंधन हेतु सहायक नियंत्रक, प्रशासनिक मामलों हेतु कार्यकारी अधिकारी, कल्याणकारी योजना आवेदनों की जांच हेतु अनुभाग अधिकारी तथा दिन-प्रतिदिन के कार्यों में सहायता हेतु अन्य कर्मचारियों द्वारा सहयोग किया जाता है। बोर्ड और विभाग के कार्यों के प्रभावी निर्वहन हेतु संपूर्ण राज्य में क्षेत्रीय स्तर पर श्रम व रोजगार विभाग के 12 श्रम अधिकारी[1] एवं 33 श्रम निरीक्षक[2] नियुक्त किए गए हैं। इसके अतिरिक्त मार्च 2023 में 12 श्रम कल्याण अधिकारी[3] नियुक्त किए गए, जो बोर्ड के क्षेत्रीय पदाधिकारियों के रूप में काम करते हैं।

हिमाचल प्रदेश सरकार के श्रम एवं रोजगार विभाग (आगे "विभाग" के रूप में संदर्भित) का उद्देश्य निवारक चरणों, सुलह प्रयासों, न्यायिक व दंडात्मक कार्रवाई तथा कर्मकारों की कल्याणकारी गतिविधियों को बढ़ावा देकर नियोक्ता और कर्मकारों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध सुनिश्चित करते हुए औद्योगिक व व्यावसायिक गतिविधियों के विकास को बढ़ावा देना है। यह कार्य राज्य में 27 केन्द्रीय अधिनियमों व दो राज्य अधिनियमों के कार्यान्वयन के माध्यम से किया जाता है। इन अधिनियमों को **परिशिष्ट 2.1** में सूचीबद्ध किया गया है। अधिनियम व उपकर अधिनियम, जो इस निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का मूल है, इन 27 केन्द्रीय अधिनियमों में से हैं।

विभाग के श्रम आयुक्त-सह-निदेशक क्रमशः अधिनियम व उपकर अधिनियम के तहत मुख्य निरीक्षक एवं अपीलीय प्राधिकारी हैं। हर 12 श्रम कार्यालय का नेतृत्व विभाग का एक श्रम अधिकारी करता है, जिसे उपकर संग्रहकर्ता-सह-निर्धारण अधिकारी, प्राधिकृत अधिकारी एवं निरीक्षक के रूप में नियुक्त किया जाता है। इसके अतिरिक्त श्रम निरीक्षक कार्यालय, हमीरपुर

---

1 श्रम अधिकारी उपकर अधिनियम के तहत उपकर के निर्धारण व संकलन हेतु निर्धारण अधिकारी-सह-उपकर संग्रहकर्ता हैं, स्थापनाओं के पंजीकरण के लिए पंजीकरण अधिकारी हैं, अपने संबंधित अधिकार क्षेत्र में निरीक्षण के लिए निरीक्षक हैं और अधिनियम के तहत भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकारों के पंजीकरण के लिए प्राधिकृत अधिकारी हैं (मार्च 2023 से कर्मकारों का पंजीकरण श्रम कल्याण अधिकारी द्वारा किया जा रहा है)।

2 श्रम निरीक्षक अधिनियम के तहत अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में निरीक्षण के लिए निरीक्षक हैं। श्रम निरीक्षक हमीरपुर को पात्र कर्मकारों के पंजीकरण, लाभार्थियों को लाभ वितरण व जागरूकता शिविरों के आयोजन की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है।

3 श्रम कल्याण अधिकारी लाभार्थियों के पंजीकरण, लाभार्थियों को लाभ वितरित करने और जागरूकता शिविरों के आयोजन के लिए बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं के रूप में कार्य करते हैं।

भी अपने क्षेत्राधिकार में कर्मकारों के पंजीकरण और लाभार्थियों के कल्याण दावों को प्रस्तुत करने के लिए अधिकृत है।

### 2.1.2 संगठनात्मक संरचना

विभाग एवं बोर्ड का संगठनात्मक ढांचा नीचे दिया गया है:

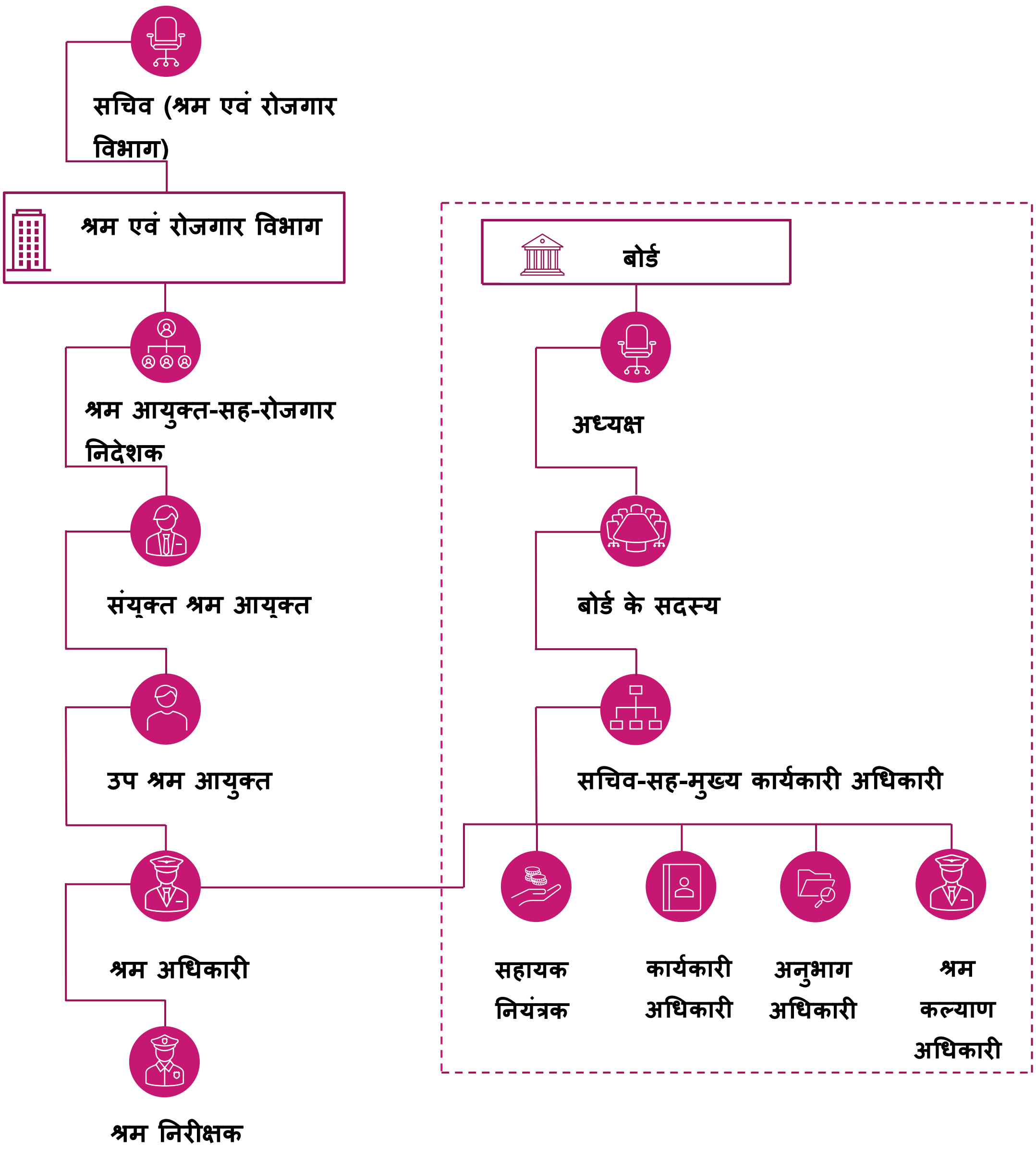


मार्च 2022 तक बोर्ड ने 3,73,513 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकारों व 2,267 स्थापनाओं/निर्माण-कार्यों को पंजीकृत किया। मार्च 2022 तक 2,90,929 कर्मकारों का सक्रिय पंजीकरण था। वर्ष 2017-22 के दौरान बोर्ड ने 2,62,988 लाभार्थियों को पंजीकृत किया एवं ₹ 407.74 करोड़ की उपकर राशि निधि में जमा की गई, जबकि लाभार्थियों को ₹ 315.42 करोड़ की कल्याण लाभ राशि वितरित की गई।

### 2.1.3 लेखापरीक्षा रूपरेखा

#### 2.1.3.1 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह आकलन करना था कि:

1. राज्य सरकार द्वारा अधिनियम के तहत अधिसूचित नियम, अधिनियम व उपकर अधिनियम की भावना के अनुरूप हैं।
2. स्थापनाओं एवं लाभार्थियों के पंजीकरण हेतु एक प्रभावी प्रणाली विद्यमान थी।
3. उपकर का निर्धारण, संग्रहण व संग्रहित उपकर का निधि में स्थानांतरण करना कुशल था।
4. सरकार ने उपयुक्त स्वास्थ्य एवं सुरक्षा मानदंड निर्धारित किए तथा नियोक्ताओं द्वारा उन मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित किया गया है।
5. सरकार ने श्रम उपकर की चोरी रोकने एवं नियोक्ताओं द्वारा स्वास्थ्य व सुरक्षा मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण की पारदर्शी एवं प्रभावी प्रणाली लागू की है।
6. बोर्ड द्वारा कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन पर निधियों का प्रशासन व उपयोग कुशल एवं प्रभावी था तथा राज्य सरकार व केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए अधिनियम और नियमों के अनुसार था।

#### 2.1.3.2 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा निष्कर्षों के न्यूनतम मानदंडों को निम्नलिखित स्रोतों से लिया गया हैं:

(i) भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996

(ii) हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) नियम, 2008

(iii) भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 तथा उपकर नियम, 1998

(iv) हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम, 2009

(v) बोर्ड द्वारा पारित प्रस्ताव

(vi) भारतीय राष्ट्रीय भवन संहिता, 2016 शीर्षक 'निर्माण प्रबंधन प्रथाएं व सुरक्षा'

(vii) मचान एवं सीढ़ियों हेतु भारतीय मानक सुरक्षा कोड भाग I व II (आईएस: 3696)

(viii) राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित निरीक्षण नीति

### 2.1.3.3 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं कार्यपद्धति

वर्ष 2017-18 से 2021-22 तक की पांच वर्ष की अवधि को लेखापरीक्षा हेतु लिया गया। हालांकि लेखापरीक्षा अवधि के अतिरिक्त भी जहां नियमों में असंगतता एवं अद्यतत डेटा की उपलब्धता देखी गई, उसे भी यथावश्यक प्रतिवेदन में शामिल किया गया। लेखापरीक्षा में बोर्ड, श्रम आयुक्त-सह-रोजगार निदेशक, दो श्रम अधिकारियों एवं एक श्रम निरीक्षक के कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना-जांच की गई। क्षेत्रीय इकाइयों, कल्याणकारी योजनाओं, सर्वेक्षण के लिए लाभार्थियों और संयुक्त भौतिक निरीक्षण के लिए स्थापनाओं के चयन पर **परिच्छेद 2.1.3.4** से **2.1.3.7** में चर्चा की गई है।

### 2.1.3.4 इकाइयों का चयन

लेखापरीक्षा में नमूना-जांच किए गए नमूने में दो श्रम अंचल कार्यालय, चार स्थानीय निकाय एवं चार कार्यकारी एजेंसियां (प्रत्येक नमूना-जांचित श्रम अंचल अधिकारी से दो-दो) शामिल थीं। इसके अतिरिक्त लाभार्थियों की पात्रता शर्तों और लाभ के समयबद्ध वितरण के मूल्यांकन हेतु 10 कल्याणकारी योजनाओं की भी नमूना-जांच की गई। सर्वेक्षण करने के लिए कुल 243 लाभार्थी आवेदनों की संवीक्षा की गई। 26 स्थापनाओं/स्थलों का संयुक्त भौतिक निरीक्षण भी किया गया।

### 2.1.3.4 (क) श्रम कार्यालय अंचलों का चयन

विभाग ने संपूर्ण राज्य को 12 श्रम अधिकारी अंचलों में विभाजित किया है एवं कल्याणकारी योजनाओं के लाभों का वितरण व उपकर का संग्रह इन अंचलों के श्रम अधिकारियों के माध्यम से किया जाता है। अनुमोदित नमूनाकरण पद्धति के अनुसार दो श्रम कार्यालय अंचल अर्थात श्रम कार्यालय, बिलासपुर (श्रम निरीक्षक, हमीरपुर सहित जो श्रम अधिकारी, बिलासपुर के क्षेत्राधिकार में है) तथा श्रम कार्यालय, कुल्लू को वर्ष 2017-22 के दौरान क्रमशः वितरित लाभों की अधिकतम राशि और निधि में अधिकतम उपकर योगदान के आधार पर चुना गया था।

### 2.1.3.4 (ख) चयनित दो श्रम कार्यालय अंचलों में कार्य निष्पादन एजेंसियों एवं स्थानीय निकायों का चयन

- वर्ष 2017-22 के दौरान निर्माण-कार्यों पर व्यय करने वाले हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के शीर्ष चार मंडलों यथा हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग घुमारवीं, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग बड़सर, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग कुल्लू और हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग बंजार (मानचित्र में दर्शाए गए है) के अभिलेखों की नमूना-जांच यह सत्यापित करने के लिए की गई कि क्या स्थापनाओं को नियमानुसार पंजीकृत किया जा रहा था एवं प्रयोज्य श्रम उपकर किए गए भुगतान से काटा जा रहा था तथा उपकर अधिनियम के प्रावधानुसार बोर्ड के खाते में समय पर जमा किया गया था।

- चार स्थानीय निकाय/नगर एवं ग्राम नियोजन कार्यालयों अर्थात नगर परिषद बिलासपुर, नगर परिषद हमीरपुर, नगर परिषद कुल्लू व नगर एवं ग्राम नियोजन मनाली (मानचित्र में दर्शाया गया है) के अभिलेखों को यादृच्छिक नमूनाकरण के माध्यम से यह आकलन करने के लिए चुना कि क्या भवन योजना को मंजूरी देते समय प्रयोज्य श्रम उपकर एकत्र किया गया था और बोर्ड को जमा किया गया था।

नमूना-जांचित इकाइयों का विवरण **मानचित्र 2.1** में दर्शाया गया है:

**मानचित्र 2.1: नमूना-जांचित इकाइयों का विवरण**

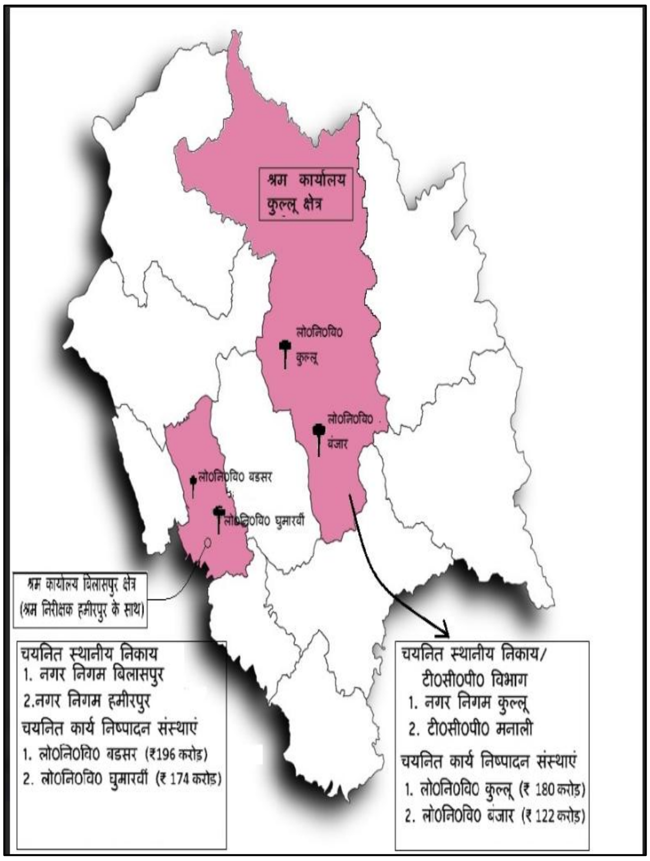


**इकाइयों का चयन**

1. कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत अधिकतम लाभ वाला श्रम कार्यालय: श्रम अधिकारी बिलासपुर (श्रम निरीक्षक हमीरपुर के साथ)
2. उपकर निधि में अधिकतम योगदान वाला श्रम कार्यालय: श्रम अधिकारी कुल्लू

### 2.1.3.5 कल्याणकारी योजनाओं का चयन

वर्ष 2017-22 के दौरान वितरित सहायता राशि के स्तरीकृत आंकड़ों के आधार पर दस कल्याणकारी योजनाओं का चयन किया गया, जैसा कि **चार्ट 2.1** में दिया गया है।

**चार्ट 2.1: चयनित दस कल्याणकारी योजनाओं का विवरण**

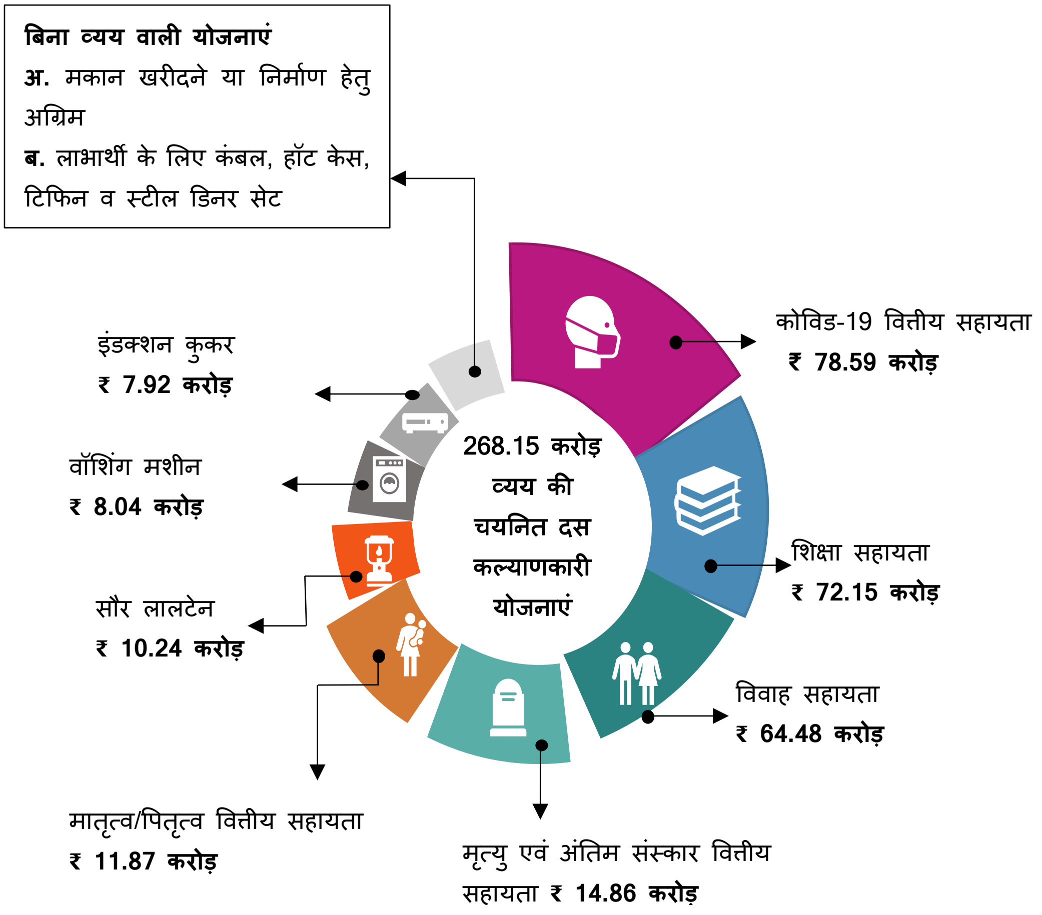


## 2.1.3.6 सर्वेक्षण हेतु लाभार्थियों का चयन

नमूना-जांचित श्रम अधिकारियों/श्रम निरीक्षक में पंजीकृत लाभार्थियों के कुल 243 आवेदनों[4] को पात्रता शर्तों की जांच एवं लाभों के समयबद्ध वितरण हेतु चुना गया। लाभार्थियों की पहचान व पंजीकरण, उनके आवेदनों की जांच एवं लाभार्थियों की शिकायतों, यदि कोई हो तो उसके समाधान के संबंध में बोर्ड के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए इन लाभार्थियों का सर्वेक्षण किया गया।

इसके अतिरिक्त नमूना-जांचित श्रम अधिकारी /श्रम निरीक्षक अंचलों में संयुक्त भौतिक निरीक्षण हेतु चयनित कार्यस्थलों पर 82 कर्मकारों[5] का लाभार्थी सर्वेक्षण भी किया गया। लाभार्थी सर्वेक्षण के निष्कर्षों पर **परिच्छेद 2.8** में चर्चा की गई है।

[4] श्रम अधिकारी बिलासपुर: 65, श्रम अधिकारी कुल्लू: 112, श्रम निरीक्षक हमीरपुर: 66

[5] श्रम अधिकारी बिलासपुर: 09, श्रम अधिकारी कुल्लू: 20, श्रम निरीक्षक हमीरपुर: 53

### 2.1.3.7 स्थापनाओं/कार्यस्थलों का चयन

लेखापरीक्षा में नमूना-जांचित श्रम अधिकारियों/श्रम निरीक्षक के 26[6] स्थापनाओं/निर्माण-स्थलों का संयुक्त भौतिक निरीक्षण किया गया। श्रम अधिकारियों के डेटाबेस से नौ पंजीकृत निर्माण-स्थलों का यादृच्छिक चयन किया गया। स्थानीय निकायों एवं कार्य निष्पादन इकाइयों के डेटाबेस से उच्च निर्माण लागत के आधार पर 14 अपंजीकृत निर्माण स्थलों का चयन किया गया। दुर्घटनाग्रस्त तीन निर्माण-स्थलों का भी चयन किया गया। संयुक्त भौतिक निरीक्षण के निष्कर्षों पर **परिच्छेद 2.3.3** व **परिच्छेद 2.5.2** में चर्चा की गई है।

### 2.1.3.8 प्रथम बैठक एवं अंतिम बैठक

श्रम एवं रोजगार सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ 6 दिसंबर 2022 को प्रथम बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें लेखापरीक्षा के उद्देश्य, कार्यक्षेत्र, मानदंड व कार्यप्रणाली पर चर्चा की गई। लेखापरीक्षा समाप्त होने पर 20 अक्टूबर 2023 को श्रम एवं रोजगार सचिव के साथ एक अंतिम बैठक आयोजित की गई एवं सचिव की टिप्पणियों को प्रतिवेदन में यथोचित रूप से समाविष्ट किया गया है।

## लेखापरीक्षा निष्कर्ष

## 2.2 नियमों की अधिसूचना एवं निरूपण

अधिनियम की धारा 62(1) में प्रावधान है कि उपयुक्त सरकार, विशेषज्ञ समिति[7] से परामर्श के पश्चात् अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए नियम बना सकती है। तदोपरांत हिमाचल प्रदेश राज्य ने विशेषज्ञ समिति (सितंबर 2003 में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा गठित) की अनुशंसाओं के साथ अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) नियमावली, 2008 को अधिसूचित किया।

### 2.2.1 विवाह के लिए वित्तीय सहायता के नियम में स्पष्टता का अभाव

विवाह के लिए वित्तीय सहायता[8] के संबंध में हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) नियमावली, 2008 के नियम 282 के अनुसार सदस्यता के दो माह पूर्ण होने के उपरांत लाभार्थी केवल उसके विवाह एवं दो बच्चों के विवाह हेतु वित्तीय

---

6 श्रम अधिकारी बिलासपुर: 06, श्रम अधिकारी कुल्लू: 11, श्रम निरीक्षक हमीरपुर: 09

7 अधिनियम की धारा 5 में प्रावधान है कि उपयुक्त सरकार इस अधिनियम के अंतर्गत नियम बनाने के लिए सरकार को परामर्श देने हेतु भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्य में विशेष रूप से योग्य व्यक्तियों से मिलकर बनी एक या अधिक विशेषज्ञ समितियों का गठन कर सकती है।

8 विवाह सहायता की दर: दिसंबर 2008 से ₹ 5,100-, नवंबर 2011 से ₹ 11,000/-, मई 2013 से ₹ 21,000/- अगस्त 2014 से ₹ 25,000/-, जनवरी 2018 से ₹ 35,000/-, सितंबर 2020 से ₹ 51,000/-

सहायता प्राप्त करने का पात्र होगा। लाभार्थी को ऐसी सहायता के लिए सचिव या प्राधिकृत अधिकारी को फॉर्म संख्या-XLIV में विवाह प्रमाणपत्र, परिवार पंजिका की प्रति आदि जैसे आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि:

I. नियम में यह स्पष्ट नहीं है कि यदि एक से अधिक परिवार के सदस्य अर्थात पिता, माता और स्वयं पुत्र/पुत्री एक ही विवाह के लिए वित्तीय सहायता हेतु आवेदन करते हैं, तो कौन पात्र होगा।

II. साथ ही, नियम में इस बात पर कोई प्रतिबंध/सीमा नहीं है कि परिवार के एक से अधिक सदस्य बोर्ड में पंजीकृत होने पर उसी परिवार के कितने सदस्य (पिता, माता, पुत्र/पुत्री स्वयं) परिवार के एक[9] सदस्य के विवाह हेतु वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

बोर्ड ने बताया (अप्रैल 2023) कि उपरोक्त मुद्दों को निदेशक मंडल की बैठक के दौरान ध्यान में लाया जाएगा।

लेखापरीक्षा में ऐसे 12 मामले पाए गए जहां नियम की स्पष्टता के अभाव के कारण परिवार के दो सदस्यों को परिवार के एक ही व्यक्ति के विवाह हेतु विवाह सहायता मिली, जैसा कि **परिच्छेद 2.7.10.4 (क)** में चर्चा की गई है।

### 2.2.2 केन्द्रीय सलाहकार समिति की अनुशंसाओं का अनुपालन न करना

अधिनियम की धारा 3 में प्रावधान है कि केन्द्रीय सरकार एक समिति का, इस प्रशासन से उद्‌भूत होने वाले ऐसे विषयों के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार को सलाह देने के लिए, जो उसे निर्दिष्ट किए जाएं, गठन करेगी जिसका नाम केन्द्रीय भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार सलाहकार समिति (केन्द्रीय सलाहकार समिति) होगा। केन्द्रीय सलाहकार समिति की अनुशंसाएं राज्यों को भेजी जाती हैं। केन्द्रीय सलाहकार समिति की अनुशंसाओं से संबंधित मुद्दों पर अनुवर्ती परिच्छेद में चर्चा की गई है।

---

[9] ऐसे मामले जहां परिवार के सभी सदस्य (माता-पिता दोनों व बच्चे) बोर्ड में पंजीकृत हैं और उन सभी ने संतान या स्वयं के विवाह हेतु विवाह सहायता के लिए आवेदन किया है।

### 2.2.2.1 लाभार्थियों के स्वास्थ्य जांच की आवृत्ति

केन्द्रीय सलाहकार समिति[10] ने उसकी 16वीं बैठक (सितंबर 2014) में अनुशंसा की थी कि प्रत्येक पंजीकृत सन्निर्माण कर्मकार की वार्षिक स्वास्थ्य जांच संबंधित राज्य भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा कराई जाएं।

जनवरी 2020 में हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) नियमावली, 2008 का नियम 280 (3) अधिसूचित किया, जिसमें कहा गया कि बोर्ड पंजीकृत कर्मकारों/ लाभार्थियों एवं उनके आश्रितों की स्वास्थ्य जांच करेंगा, जिसका व्यय बोर्ड द्वारा वहन किया जाएगा।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि:

I. यह नियम केन्द्रीय सलाहकार समिति की अनुशंसा (सितंबर 2014) के पांच वर्ष से अधिक के विलम्ब के बाद बनाया गया। इसके अतिरिक्त यह नियम स्वास्थ्य जांच की आवृत्ति निर्दिष्ट नहीं करता, जिसे केन्द्रीय सलाहकार समिति ने वार्षिक रूप से आयोजित करना निर्धारित किया था।

II. इसी दौरान यद्यपि बोर्ड ने श्रम अधिकारियों/श्रम निरीक्षक को उनके द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार स्वास्थ्य जांच करने का निर्देश दिया (अगस्त 2019) तथापि बोर्ड द्वारा आयोजित स्वास्थ्य जांच एवं लक्ष्य के प्रति सम्मिलित किए गए कर्मकारों का कोई रिकॉर्ड नहीं रखा गया।

### 2.2.3 आदर्श कल्याण योजना के अनुसार पेंशन के लिए मानदंड न अपनाना

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 4 जुलाई 2018 के निर्देशों के अनुसरण में, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार ने भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकारों के लिए आदर्श योजना एवं कार्यान्वयन तंत्र के सुदृढ़ीकरण हेतु कार्य योजना निरुपित करते हुए सभी राज्य सरकारों व केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों से इस योजना का अनुपालन करने का अनुरोध किया। आदर्श कल्याण योजनानुसार पेंशन केवल उन पंजीकृत भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकारों को ही अनुमत होगी, जो कम से कम 10 वर्षों से पंजीकृत हैं। इस संदर्भ में राज्य कल्याण बोर्ड भवन

---

10 केन्द्रीय सलाहकार समिति अधिनियम के प्रशासन से उत्पन्न होने वाले मामलों पर केन्द्र सरकार को सलाह देती है और इसमें केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष, संसद के तीन सदस्य शामिल होंगे जिनमें से दो लोक सभा द्वारा और एक राज्य सभा द्वारा निर्वाचित किया जाएगा, महानिदेशक पदेन सदस्य, अन्य सदस्यों की ऐसी संख्या, जो 13 से अधिक नहीं परंतु नौ से कम नहीं होगी, जिन्हें केन्द्र सरकार नियोक्ताओं, भवन सन्निर्माण कर्मकारों, वास्तुकारों, इंजीनियरों, दुर्घटना बीमा संस्थानों और किसी अन्य हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए नामित कर सकती है, जिन्हें केन्द्र सरकार के मत में केन्द्रीय सलाहकार समिति में प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए।

एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार के 10 वर्षों की अवधि तक पंजीकृत होने के आशय का प्रमाणपत्र जारी करेगा।

हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) नियमावली, 2008 के नियम 272 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने से ठीक पहले कम से कम तीन वर्षों तक लगातार लाभार्थी रहा है तो वह पेंशन[11] पाने के लिए पात्र होगा तथा पेंशन उस माह के पहले दिन से देय होगी, जिसमें वह 60 वर्ष की आयु पूर्ण करता है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि बोर्ड ने पेंशन हेतु न्यूनतम 10-वर्षीय पंजीकरण मानदंड, जो आदर्श कल्याण योजना में निर्धारित था, को नहीं अपनाया एवं लाभार्थियों को हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) नियमावली, 2008 के नियम 272 के अनुसार पेंशन देना जारी रखा।

वर्ष 2017-22 के दौरान बोर्ड में तीन वर्षों की सदस्यता के मानदंड पर बोर्ड ने राज्य में ₹ 0.98 करोड़ राशि की पेंशन 454 लाभार्थियों को वितरित की।

बोर्ड ने बताया (दिसंबर 2022) कि बोर्ड की 35वीं बैठक में पेंशन पात्रता के मामले पर चर्चा की गई थी जिसमें पेंशन हेतु तीन वर्ष की निरंतर सेवा के मानदंड को बनाए रखने का निर्णय लिया गया।

लेखापरीक्षा का मानना है कि 10-वर्षीय मानदंड को न अपनाने से बोर्ड को अधिक देयता वहन करनी पड़ सकती है। चूंकि पेंशन एक दीर्घकालिक देयता है, इसलिए बोर्ड को भविष्य की वित्तीय धारणीयता तथा कर्मकारों को अन्य कल्याण लाभ प्रदान करने की क्षमता पर इसके प्रभाव का विश्लेषण करना चाहिए।

## 2.3 स्थापनाओं एवं लाभार्थियों का पंजीकरण

यह अधिनियम "ऐसी प्रत्येक स्थापना पर लागू होता है जो पूर्ववर्ती बारह मास में किसी भी दिन किसी भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य में दस या उससे अधिक भवन सन्निर्माण कर्मकारों को नियोजित करता है या नियोजित कर चुका है"। अधिनियम की धारा 7 में प्रावधान है कि प्रत्येक नियोक्ता उस स्थापना के संबंध में, जिस पर यह अधिनियम उसके प्रारंभ होने पर लागू होता है, ऐसे प्रारंभ से 60 दिनों की अवधि के भीतर ऐसे स्थापना के पंजीकरण हेतु पंजीकर्ता अधिकारी को आवेदन करेगा। आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् पंजीकर्ता अधिकारी स्थापना को पंजीकृत करेगा तथा उसके नियोक्ता को पंजीकरण का प्रमाणपत्र जारी करेगा।

[11] पेंशन की दर (प्रति माह): दिसंबर 2008 से ₹ 200/-, नवंबर 2011 से ₹ 500/-, जनवरी 2020 से ₹ 1,000/-

सरकारी अधिसूचना (अप्रैल 2009[12]) के अनुसार, राज्य के श्रम अधिकारियों को भवन और अन्य सन्निर्माण कार्यों को पंजीकृत करने हेतु पंजीकर्ता अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। मार्च 2022 तक बोर्ड ने 2,267 स्थापनाओं/सन्निर्माण कार्यों को पंजीकृत किया।

## स्थापनाओं का पंजीकरण

### 2.3.1 राज्य में सन्निर्माण गतिविधियों की नियमित निगरानी हेतु तंत्र का विकास न होना

माननीय सर्वोच्च न्यायालय (4 जुलाई 2018) के निर्देशों के अनुसरण में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आदर्श कल्याण योजना निरुपित की गई। स्थापनाओं के पंजीकरण तंत्र के सुदृढ़ीकरण हेतु सुझाए गए उपायों में से एक यह था कि राज्य सरकारों द्वारा राज्य में चल रही सन्निर्माण गतिविधियों की नियमित निगरानी हेतु एक तंत्र विकसित किया जाएं तथा इस उद्देश्यार्थ भौगोलिक सूचना प्रणाली प्रौद्योगिकी/मानचित्रण आदि का उपयोग किया जाए। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएं कि निजी क्षेत्र भी इसमें शामिल हों।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि जनवरी 2023 तक न तो बोर्ड एवं न ही विभाग ने राज्य में चल रही सन्निर्माण गतिविधियों का पता लगाने/नियमित जांच के लिए उपयुक्त तंत्र तैयार किया, न ही उन्होंने अधिनियम के तहत प्रत्येक सन्निर्माण कार्य को 'स्थापना' के रूप में पंजीकृत करने के लिए किसी भौगोलिक सूचना प्रणाली तकनीक या मानचित्रण का उपयोग किया।

बोर्ड ने बताया (दिसंबर 2022) कि सरकार के स्तर पर कार्रवाई की जानी अपेक्षित थी परन्तु सरकार से कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ।

यह उत्तर बोर्ड एवं विभाग के पास राज्य की सन्निर्माण गतिविधियों की जांच हेतु निगरानी तंत्र के अभाव की पुष्टि करता है। इसे इस तथ्य के साथ भी देखा जाना चाहिए कि लेखापरीक्षा में पाया गया कि उपकर राशि का बड़ा हिस्सा निजी नियोक्ताओं की तुलना में सरकारी नियोक्ताओं द्वारा जमा किया जा रहा था, जैसा कि **परिच्छेद 2.7.8.1 (ङ)** में चर्चा की गई है। विभाग नियोक्ताओं की ओर से उनके स्थापनाओं/कार्यों को पंजीकृत करने हेतु स्वतः प्रेरित कार्रवाई (सुओ-मोटो) पर निर्भर है, जबकि उसे राज्य सरकार के सहयोग से निजी निर्माण स्थलों सहित सभी नियोक्ताओं के पंजीकरण हेतु एक तंत्र विकसित करने के लिए सक्रिय कार्रवाई की पहल करनी होगी। यह तंत्र कर्मकारों के पंजीकरण के साथ-साथ उपकर के भुगतान का सत्यापन करने में सक्षम बनाएगा और इस प्रकार अधिनियम/नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

अंतिम बैठक में सचिव ने बताया (अक्टूबर 2023) कि हिमाचल प्रदेश सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत भौगोलिक सूचना प्रणाली स्कंध के सृजन को मंजूरी दे दी गई है तथा निर्माण स्थलों के मानचित्रण की सुविधा को नवनिर्मित स्कंध की परिधि में शामिल किया जाएगा।

[12] अधिसूचना संख्या: श्रम (ए)4-6/2007- बीओसीडब्लू-भाग-II, दिनांक 30 अप्रैल 2009

### 2.3.2 पंजीकरण शर्तों का अनुपालन न करना

हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) नियमावली, 2008 के नियम 26 व 27 में पंजीकरण की कुछ शर्तों को पूर्ण करने तथा स्थापना के पंजीकरण में विलम्ब पर शास्ति उद्ग्रहित करने का प्रावधान है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि पंजीकर्ता अधिकारियों ने यह सुनिश्चित नहीं किया कि नियोक्ताओं द्वारा इन नियमों का अनुपालन किया जा रहा है। पंजीकरण से संबंधित लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर अनुवर्ती उप-परिच्छेदों में चर्चा की गई है।

#### 2.3.2.1 नियोक्ताओं से कार्य आरंभ/पूर्ण करने का नोटिस प्राप्त न करना

हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) नियमावली, 2008 के नियम 26 (3) के अनुसार नियोक्ता को किसी भी भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के आरंभ एवं पूर्ण होने से 30 दिन पूर्व निरीक्षक को एक लिखित नोटिस प्रस्तुत करना होगा, जिसमें फॉर्म-IV[13] में ऐसे भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के आरंभ होने या पूर्ण होने, जैसा भी मामला हो, की वास्तविक तिथि की जानकारी दी जाए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2017-22 के दौरान नमूना-जांचित श्रम अधिकारी कार्यालयों में अधिनियम के तहत 35 स्थापना[14] पंजीकृत किए गए। हालांकि नियोक्ताओं/ठेकेदारों ने संबंधित श्रम अधिकारी को किसी भी भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के आरंभ या पूर्ण होने के विषय में नोटिस प्रस्तुत नहीं किया।

श्रम अधिकारी, बिलासपुर व श्रम अधिकारी, कुल्लू ने बताया (जनवरी 2023) कि कार्य की अधिकता तथा श्रम निरीक्षक का पद रिक्त होने के कारण स्थापनाओं को पूर्णता रिपोर्ट प्रस्तुत न करने पर नोटिस नहीं दिया जा सका।

सन्निर्माण कार्य के आरंभ/पूर्ण होने सम्बन्धी जानकारी प्रस्तुत करने से श्रम अधिकारी/श्रम निरीक्षक को निर्माण-स्थल का निरीक्षण करने का अवसर मिलता है, साथ ही कार्य पूर्णता की स्थिति में यह श्रम अधिकारी/श्रम निरीक्षक को यह सुनिश्चित करने की अनुमति देता है कि नियोक्ता द्वारा संपूर्ण उपकर राशि जमा कर दी गई है। सन्निर्माण कार्य के आरंभ/पूर्ण होने संबंधी जानकारी प्राप्त करने के किसी तंत्र का अभाव राज्य में चल रही सन्निर्माण गतिविधियों के संदर्भ में बोर्ड के कमजोर नियंत्रण को परिलक्षित करता है।

अंतिम बैठक में सचिव ने श्रम अधिकारियों को सभी स्थापनाओं/स्थलों को पंजीकृत करने एवं अपेक्षित प्रमाणपत्र की मांग करने का निर्देश दिया (अक्टूबर 2023)।

---

[13] फॉर्म-IV में प्रतिष्ठान एवं नियोक्ता का नाम व पता, उस स्थान का नाम व अवस्थिति जहां कार्य किया जाना है, पंजीकरण प्रमाणपत्र की संख्या व तिथि, प्रभारी व्यक्ति का नाम व पता, शामिल कार्य की प्रकृति, कार्य आरंभ करने या पूर्ण होने की तिथि के विषय में जानकारी होती है।

[14] श्रम अधिकारी बिलासपुर: 14 एवं श्रम अधिकारी कुल्लू: 21

#### 2.3.2.2 स्थापनाओं का समय पर पंजीकरण न करना एवं विलम्ब होने पर विलम्ब शुल्क न लगाना

अधिनियम की धारा 10 में यह प्रावधान है कि किसी स्थापना का कोई भी नियोक्ता, जिस पर यह अधिनियम लागू होता है, अधिनियम की धारा 7 के तहत स्थापना के पंजीकरण के लिए दी गई 60 दिनों की अवधि की समाप्ति के बाद, या धारा 8 के तहत पंजीकरण रद्द होने के बाद या धारा 9 के तहत अपील करने की अवधि की समाप्ति के बाद या अपील के खारिज होने के बाद, जैसा भी मामला हो, स्थापना में भवन सन्निर्माण कर्मकारों को नियुक्त नहीं करेगा।

हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) नियमावली, 2008 के नियम 27 में प्रावधान है कि यदि पंजीकरण का आवेदन समय-सीमा अर्थात कार्य आरम्भ होने के 60 दिनों के भीतर प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो जहां विलम्ब एक माह तक है, वहां शुल्क की दर का 25 प्रतिशत विलम्ब शुल्क[15] लगाया जाएगा, जहां विलम्ब एक माह से अधिक व छः माह तक है, वहां 50 प्रतिशत विलम्ब शुल्क लगाया जाएगा एवं जहां विलम्ब छः माह से अधिक है, वहां 100 प्रतिशत विलम्ब शुल्क लगाया जाएगा।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि नमूना-जांचित श्रम अधिकारी कार्यालयों में वर्ष 2017-22 की अवधि के दौरान पंजीकृत 35 स्थापनाओं[16] में से 16 स्थापनाओं[17] के आवेदन साठ दिनों की निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के बाद, 15 दिनों से 1,570 दिनों तक के विलम्ब के साथ प्रस्तुत किए गए। इन स्थापनाओं ने कर्मकारों को काम पर रखना जारी रखते हुए बिना पंजीकरण के निर्माण कार्य किया। वे नियोक्ताओं से आवेदन प्राप्त होते ही निर्माण कार्य रोके बिना या प्रयोज्य विलम्ब शुल्क लगाए बिना संबंधित श्रम अधिकारियों द्वारा पंजीकृत कर लिए गए, जो कि उक्त अधिनियम/नियम का उल्लंघन है।

श्रम अधिकारी, बिलासपुर ने बताया (मार्च 2023) कि स्थापनाओं को उचित समय पर नोटिस जारी किया जाएगा। श्रम अधिकारी, कुल्लू ने बताया (मई 2023) कि पंजीकरण ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है तथा उल्लेखित नियोक्ताओं द्वारा जमा किए गए कम शुल्क की वसूली की जाएगी।

---

15 पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए चुकाया जाने वाला शुल्क नियुक्त किए जाने वाले प्रस्तावित कर्मकारों की संख्या पर आधारित है एवं यह 10 से 50 कर्मकारों के लिए ₹ 100/-, 51 से 100 कर्मकारों के लिए ₹ 500/-, 101 से 250 कर्मकारों के लिए ₹ 1,000/-, 251 से 500 कर्मकारों के लिए ₹ 2,500/- व 500 से अधिक कर्मकारों के लिए ₹ 5,000/- है।

16 श्रम अधिकारी बिलासपुर: 14, श्रम अधिकारी कुल्लू: 21

17 श्रम अधिकारी बिलासपुर: सात, श्रम अधिकारी कुल्लू: नौ

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि श्रम अधिकारियों/श्रम निरीक्षकों को सुनिश्चित करना चाहिए था कि सन्निर्माण कार्य बिना पंजीकरण के न हो तथा पंजीकरण के समय नियोक्ताओं से विलम्ब शुल्क लिया जाना चाहिए था।

### 2.3.3 संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान पाई गयी अपंजीकृत स्थापनाएं

अधिनियम की धारा 7 में कार्य प्रारंभ होने से साठ दिनों की अवधि के भीतर पंजीकर्ता अधिकारी के पास स्थापनाओं का पंजीकरण करने का प्रावधान है। धारा 10 में पंजीकरण न होने के प्रभाव का प्रावधान है जिसमें कहा गया है कि जिस स्थापना पर यह अधिनियम लागू होता है, उसका कोई भी नियोक्ता स्थापना के पंजीकरण के लिए कार्य प्रारंभ होने से साठ दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद स्थापना में भवन सन्निर्माण कर्मकारों को नियोजित नहीं करेगा।

लेखापरीक्षा के लोक निर्माण विभाग व श्रम कार्यालयों के कर्मचारियों के साथ किए गए संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान नमूना-जांचित दो श्रम कार्यालयों में 14 अपंजीकृत[18] सन्निर्माण कार्य पाए गए। इनमें से 13 सन्निर्माण कार्यों को उक्त धारा 7 के तहत पंजीकृत किया जाना अपेक्षित[19] था। इन 14 स्थापनाओं में कार्यरत 206 कर्मकारों में से 82 कर्मकारों का सर्वेक्षण किया गया, जिसमें से मात्र 11 कर्मकार ही बोर्ड में पंजीकृत पाए गए।

अपंजीकृत 14 सन्निर्माण कार्यों में से 11 स्थापनाओं का उपकर उनके प्रधान नियोक्ताओं[20] द्वारा जमा किया जा रहा था जबकि उपकर जमा करने के लिए पात्र तीन निजी नियोक्ताओं ने लेखापरीक्षा में सम्मिलित अवधि (2017-22) के दौरान इसका भुगतान नहीं किया, जो उपकर अधिनियम के प्रावधानों के विरुद्ध था।

इस प्रकार अधिनियम के तहत स्थापनाओं का पंजीकरण न होना इस बात का परिचायक है कि पंजीकरण प्रक्रिया प्रभावी नहीं थी तथा संबंधित श्रम अधिकारियों ने निरीक्षण नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप पात्र स्थापनाओं की पहचान नहीं हुई एवं धारा 10 'अपंजीकरण का प्रभाव' का प्रावधान लागू नहीं किया जा सका।

---

18 लोक निर्माण विभाग के आंकड़ों से 11 स्थलों का चयन किया गया तथा नगर परिषद्/नगर एवं ग्राम नियोजन के आंकड़ों से तीन स्थलों का चयन किया गया।

19 निर्माण अवधि के दौरान किसी भी दिन स्थापनाओं ने दस या अधिक भवन सन्निर्माण कर्मकारों को नियोजित किया था।

20 ठेका श्रम (पंजीकरण व उन्मूलन) अधिनियम, 1970 में प्रधान नियोक्ता को इस प्रकार परिभाषित किया गया है, "सरकार या स्थानीय प्राधिकरण के किसी कार्यालय या विभाग के संबंध में उस कार्यालय या विभाग का प्रमुख या ऐसा कोई अन्य अधिकारी जिसे सरकार या स्थानीय प्राधिकरण, जैसा भी मामला हो, इस संबंध में निर्दिष्ट करे"। नमूना-जांचित प्रधान नियोक्ताओं में लोकनिर्माण विभाग कुल्लू, लोकनिर्माण विभाग बंजार, लोकनिर्माण विभाग बड़सर व लोकनिर्माण विभाग घुमारवीं शामिल हैं।

संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान देखे गए कुछ अपंजीकृत स्थलों के चित्र नीचे दर्शाए गए हैं:

**चित्र 2.1**
**राजकीय डिग्री कॉलेज, गाड़ागुशैणी, कुल्लू**

**चित्र 2.2**
**बारा खलौट नंदल सुद्दर बटलाहु जोरेघाट रोड, हमीरपुर पर सुक्कर खड्ड पर पुल का निर्माण**

**चित्र 2.3**
**50 बिस्तरों वाला एकीकृत आयुष सोवा-रिग्पा अस्पताल, बाजौरा, कुल्लू**

**चित्र 2.4**
**शिव मंदिर मुख्य बाजार, हमीरपुर के पास शॉपिंग कॉम्प्लेक्स**

## कर्मकारों का पंजीकरण

अधिनियम की धारा 12 में प्रावधान है कि प्रत्येक भवन कर्मकार, जो 18 से 60 वर्ष की आयु समूह का है और जो पूर्ववर्ती बारह मास के दौरान कम से कम 90 दिन तक किसी भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य में लगा रहा है, इस अधिनियम के अधीन लाभार्थी के रूप में पंजीकरण के लिए पात्र होगा।

हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) नियमावली, 2008 के नियम 266 के अनुसार निधि का लाभार्थी बनने के लिए पात्र प्रत्येक भवन सन्निर्माण कर्मकार को सचिव या उसके द्वारा तदहेतु प्राधिकृत अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करना होगा। जहां बोर्ड के सचिव या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को यह संतुष्टि हो जाती है कि आवेदक शर्तों को पूरा करता है, ऐसे भवन सन्निर्माण कर्मकारों को सदस्य के रूप में पंजीकृत किया जाएगा।

सरकारी अधिसूचना (मार्च 2010[21]) के अनुसार राज्य के श्रम अधिकारियों को भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकारों के पंजीकरण हेतु प्राधिकृत अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है।

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकारों का लाभार्थी के रूप में पंजीकरण करने की प्रक्रिया का प्रवाह चार्ट इस प्रकार है:

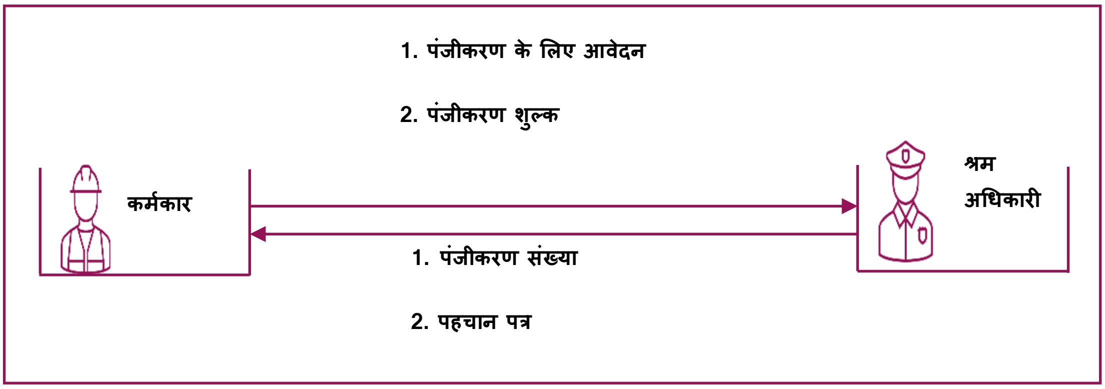


## 2.3.4 कर्मकारों के पंजीकरण से सम्बंधित प्रगति

मार्च 2022 तक बोर्ड ने 3,73,513 लाभार्थियों/कर्मकारों का पंजीकरण किया। निम्नलिखित चार्ट बोर्ड के साथ कर्मकारों के पंजीकरण से सम्बंधित प्रगति को दर्शाता है।

**चार्ट 2.2: बोर्ड में कर्मकारों के पंजीकरण से सम्बंधित प्रगति**

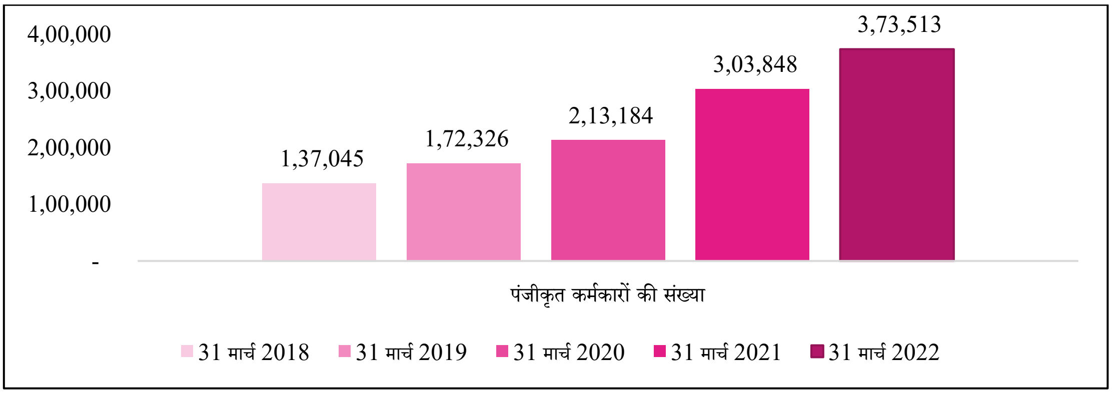


कर्मकारों के पंजीकरण से सम्बंधित की गई लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर अनुवर्ती परिच्छेदों में चर्चा की गई है।

### 2.3.4.1 नियोक्ताओं से मासिक रिटर्न प्राप्त न करना

हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) नियमावली, 2008 के नियम 268 (2) के अनुसार प्रत्येक नियोक्ता को सचिव या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को मासिक आधार पर फार्म-XXX में रिटर्न भेजना होगा,

[21] अधिसूचना संख्या: बीओसीडब्ल्यूबी/स्थापना/पंजीकरण/एसएमएल/2010, दिनांक 6 मार्च 2010

जिसमें पंजीकृत होने के पात्र कर्मकारों के साथ-साथ पूर्ववर्ती माह के दौरान काम छोड़ने वाले कर्मकारों का विवरण दर्शाया गया हो।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि नमूना-जांचित श्रम कार्यालयों में वर्ष 2017-22 के दौरान पंजीकृत 35 स्थापनाओं[22] के किसी भी नियोक्ता ने संबंधित श्रम अधिकारी को मासिक रिटर्न प्रस्तुत नहीं किया। परिणामस्वरूप कार्यालय को पंजीकृत होने के पात्र कर्मकारों के विषय में सूचना प्राप्त नहीं हुई और पात्र कर्मकारों का पंजीकरण नहीं हो पाया, जिसके कारण वे बोर्ड द्वारा प्रदान की गई कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रह गए।

श्रम अधिकारी, कुल्लू ने तथ्यों की पुष्टि करते हुए बताया (फरवरी 2023) कि अधिनियम के अधिदेशानुसार पंजीकर्ता अधिकारी को फॉर्म-XXX प्रस्तुत करना नियोक्ता का कर्तव्य है। श्रम अधिकारी, बिलासपुर ने बताया (मार्च 2023) कि स्थापनाओं को उचित समय पर नोटिस जारी किया जाएगा।

श्रम अधिकारियों को नियोक्ताओं से मासिक रिटर्न प्राप्त करने एवं पात्र कर्मकारों को पंजीकृत करने हेतु सक्रिय कार्रवाई करनी चाहिए।

### 2.3.4.2 लाभार्थी सर्वेक्षण के दौरान पाए गए अपंजीकृत कर्मकार

नमूना-जांचित श्रम अधिकारी/श्रम निरीक्षक कार्यालयों में लेखापरीक्षा द्वारा निर्माण स्थलों/स्थापनाओं पर सर्वेक्षित 82 कर्मकारों में से 71 अपंजीकृत पाए गए। इन 71 अपंजीकृत कर्मकारों में से 53 कर्मकार बोर्ड व उसकी कल्याणकारी योजनाओं के विषय में अनभिज्ञ थे तथा 48 कर्मकार पूर्ववर्ती 12 मास में सन्निर्माण गतिविधियों में 90 दिनों के कार्य के मानदंड के आधार पर पंजीकरण के पात्र थे। इन कर्मकारों का पंजीकरण न होने के कारण वे बोर्ड द्वारा प्रदान किए जा रहे कल्याण लाभों से वंचित रह गए।

साथ ही, सर्वेक्षण किए गए 82 कर्मकारों में से अधिकांश यानी 64 कर्मकार (78 प्रतिशत) प्रवासी कर्मकार थे। इनमें से 43 प्रवासी कर्मकार पंजीकरण के पात्र थे परन्तु मात्र 11 पंजीकृत थे। हालांकि श्रम निरीक्षक, हमीरपुर द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार दिसंबर 2022 तक 77,695 पंजीकृत कर्मकारों में से केवल 424 प्रवासी कर्मकार (एक प्रतिशत) पंजीकृत थे। श्रम अधिकारी, बिलासपुर द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 42,559 पंजीकृत कर्मकारों में से केवल 640 प्रवासी कर्मकार (दो प्रतिशत) एवं श्रम अधिकारी, कुल्लू द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 25,388 पंजीकृत कर्मकारों में से केवल 688 प्रवासी कर्मकार (तीन प्रतिशत) मार्च 2022 तक पंजीकृत थे।

---

[22] श्रम अधिकारी, बिलासपुर: 14 एवं श्रम अधिकारी, कुल्लू: 21

विभाग द्वारा सूचित किए गए मात्र एक से तीन प्रतिशत प्रवासी कर्मकारों का पंजीकरण, लाभार्थी सर्वेक्षण के निष्कर्षों के ठीक विपरीत है, जिससे यह प्रश्न उठता है कि क्या वास्तव में सभी पात्र प्रवासी कर्मकारों का पंजीकरण किया जा रहा था।

बोर्ड को उसकी योजनाओं का पर्याप्त प्रचार करना चाहिए और अखबार, रेडियो आदि के माध्यम से विज्ञापन के सामान्य साधनों के साथ-साथ सोशल मीडिया के माध्यम से विज्ञापन के आधुनिक साधनों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए साथ ही निर्माण स्थलों पर शिविरों के आयोजन के माध्यम से कर्मकारों से सीधे संपर्क की सुविधा प्रदान करनी चाहिए। पंजीकर्ता अधिकारियों यानी विभाग के श्रम अधिकारियों की भी प्रवासी कर्मकारों सहित सन्निर्माण कर्मकारों में पंजीकरण की आवश्यकता के सम्बन्ध में जागरूकता फ़ैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका है, जिससे बोर्ड की कल्याणकारी योजनाओं तक उनकी पहुंच संभव हो सके।

### 2.3.4.3 कर्मकारों के पंजीकरण में कमी

बोर्ड ने प्रत्येक श्रम अंचल के कर्मकारों के पंजीकरण का लक्ष्य (मई 2013, मई 2018, मई 2019 व जुलाई 2021) निर्धारित किया था **(परिशिष्ट 2.2)**। बोर्ड के लाभार्थियों की संख्या बढ़ाने के लिए श्रम अधिकारियों/श्रम निरीक्षक के सहयोगार्थ प्रेरक-सह-कंप्यूटर ऑपरेटर का पद सृजित किया गया। बोर्ड ने प्रत्येक प्रेरक-सह-कंप्यूटर ऑपरेटर को अधिक से अधिक सन्निर्माण कर्मकारों का पंजीकरण करने का भी निर्देश दिया (मार्च 2018)|

लेखापरीक्षा में पाया गया कि बोर्ड ने राज्य में कार्यरत भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकारों की संख्या का कोई सर्वेक्षण या आकलन किए बिना ही लक्ष्य तय कर दिए। लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि वर्ष 2017-22 के दौरान राज्य में प्रत्येक श्रम अधिकारी/श्रम निरीक्षक के अंतर्गत बोर्ड के लाभार्थियों के रूप में कर्मकारों के पंजीकरण में इन लक्ष्यों के प्रति सात से 94 प्रतिशत तक की कमी रही, जैसा कि **परिशिष्ट 2.2** में दर्शाया गया है। यह इस तथ्य का परिचायक है कि या तो लक्ष्य यथार्थवादी आधार पर तय नहीं किए गए या अधिकारियों ने निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु आवश्यक कार्रवाई नहीं की।

नमूना-जांचित श्रम अधिकारी/श्रम निरीक्षक कार्यालयों में, वर्ष 2017-22 के दौरान श्रम अधिकारी, बिलासपुर में पंजीकरण में 2,849 से 10,345 (41 से 63 प्रतिशत), श्रम अधिकारी, कुल्लू में 1,747 से 16,578 (52 से 92 प्रतिशत) व श्रम निरीक्षक, हमीरपुर में 1,581 से 9,547 (11 से 53 प्रतिशत) की कमी पाई गई।

बोर्ड ने बताया (मई 2023) कि लक्ष्य प्राप्ति हेतु प्रेरक-सह-कम्प्यूटर ऑपरेटर का पद सृजित किया गया था तथा कर्मकारों को प्रेरित करने के लिए लाभार्थियों का पंजीकरण बढ़ाने हेतु पर्याप्त शिविर आयोजित किए गए परन्तु फिर भी कर्मकारों ने पंजीकरण नहीं कराया और इस तरह लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सके।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि जागरूकता शिविरों, बैठकों आदि के आयोजन में कमी थी, जैसा कि अनुवर्ती परिच्छेद में चर्चा की गई है।

### 2.3.4.4 शिविरों के आयोजन में कमी

बोर्ड के सचिव-सह-मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने सभी प्रेरकों/पंजीकरण सहायकों/कंप्यूटर ऑपरेटरों को निर्देश दिया (सितंबर 2018) कि वे पंजीकरण संख्या बढ़ाने के लिए सप्ताह में कम से कम तीन से पांच शिविर[23] आयोजित करें ताकि निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार लाभार्थियों का अधिक से अधिक नामांकन हो सके। प्रेरकों को संबंधित पंचायत की ग्राम सभा बैठक, पंचायत समिति बैठक व अन्य ऐसी बैठकों में भी भाग लेना था जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना तथा अन्य भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकारों को सम्मिलित करने के लिए खंड (ब्लॉक) विकास कार्यालय में आयोजित की जाती हैं।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि:

(I) बोर्ड का गठन 2009 में होने के बावजूद, अधिकतम पंजीकरण करने के लिए शिविर आयोजित करने का लक्ष्य सितंबर 2018 में तय किया गया।

(II) अप्रैल 2019 से मार्च 2022 की अवधि के दौरान राज्य के प्रत्येक श्रम कार्यालय में एवं श्रम निरीक्षक, हमीरपुर द्वारा आयोजित किए जाने हेतु अपेक्षित न्यूनतम 468[24] शिविरों के सापेक्ष शिविरों के आयोजन में 50 प्रतिशत (232 शिविर) से लेकर 95 प्रतिशत (443 शिविर) तक की कमी रही, जैसा कि **चार्ट 2.3** में विवर्णित है।

**चार्ट 2.3: 2019-22 के दौरान श्रम कार्यालयों द्वारा आयोजित शिविरों का विवरण**

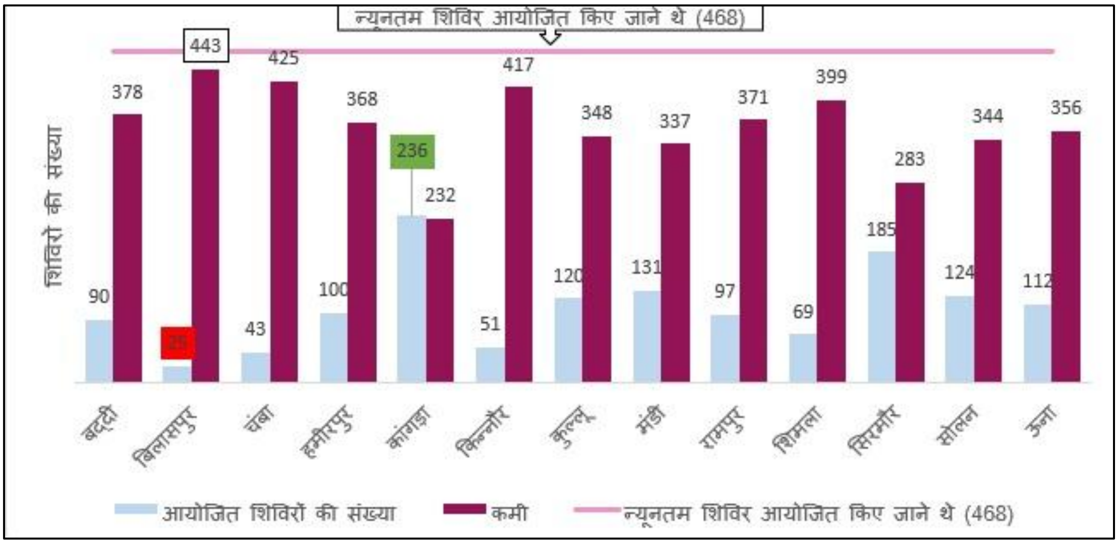


स्रोत: बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी।

---

23 52 सप्ताह x 3 शिविर = एक वर्ष में कम से कम 156 शिविर

24 156 शिविर x 3 वर्ष = 468 शिविर

अपेक्षित शिविरों का आयोजन न करने के कारण बोर्ड द्वारा प्रदान की जाने वाली कल्याणकारी योजनाओं से कर्मकार अनभिज्ञ रहे, जैसा कि 82 कर्मकारों के लाभार्थी सर्वेक्षण के दौरान देखा गया, जिसमें 57 (70 प्रतिशत) बोर्ड की कल्याणकारी योजनाओं के विषय में अनभिज्ञ थे एवं 55 (67 प्रतिशत) ने बताया कि श्रम अधिकारियों/श्रम निरीक्षक द्वारा शिविरों का आयोजन नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप पात्र सन्निर्माण कर्मकार बोर्ड में पंजीकृत नहीं हुए, जिससे कल्याण लाभों के विषय में जागरूकता उत्पन्न करने की प्रक्रिया अधूरी और निष्प्रभावी रह गई।

इसके अतिरिक्त श्रम अधिकारी, बिलासपुर व श्रम अधिकारी, कुल्लू ने किसी शिविर पंजिका का अनुरक्षण नहीं किया था। अतः लेखापरीक्षा में यह सत्यापित नहीं किया जा सका कि श्रम अधिकारी द्वारा वास्तव में आयोजित किए गए शिविरों की संख्या कितनी थी तथा पंजिका के अभाव में मासिक प्रगति प्रतिवेदन में इन संख्याओं को कैसे दर्शाया गया। यद्यपि श्रम निरीक्षक, हमीरपुर ने नवंबर 2021 से शिविर पंजिका अनुरक्षित की थी तथापि उस पर न तो प्रेरक द्वारा हस्ताक्षर किए गए और न ही श्रम निरीक्षक ने सत्यापित किया।

बोर्ड ने बताया (दिसंबर 2022) कि विधानसभा सत्र, आदर्श आचार संहिता एवं कोविड-19 महामारी के कारण अपेक्षित शिविर आयोजित नहीं किए जा सके। नमूना-जांचित श्रम अधिकारियों व श्रम निरीक्षक ने तथ्यों की पुष्टि करते हुए बताया (दिसंबर 2022, फरवरी 2023) कि कार्य की अधिकता व कर्मचारियों की कमी तथा कोविड-19 महामारी के कारण अपेक्षित शिविर आयोजित नहीं किए जा सके।

हालांकि तथ्य यह है कि वर्ष 2019-20 कोविड-19 से पूरी तरह प्रभावित नहीं हुआ था; परन्तु फिर भी वर्ष में कमी रही। 468 अपेक्षित शिविरों के प्रति 443 शिविरों (95 प्रतिशत) की कमी विधानसभा सत्रों, जो पहले से ही ज्ञात हैं, के आधार पर उचित नहीं है, जो वर्ष 2017-22 के दौरान 159 दिनों की अवधि के लिए थे और आदर्श आचार-संहिता केवल एक छोटी अवधि पर लागू होती है।

अंतिम बैठक में सचिव ने लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर सहमति व्यक्त की (अक्टूबर 2023) तथा यथोचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।

### 2.3.4.5 पंजीकृत कर्मकारों एवं आयोजित शिविरों के आंकड़ों में विसंगति

श्रम अधिकारियों/श्रम निरीक्षकों द्वारा प्रस्तुत मासिक प्रगति प्रतिवेदन से संकलित आंकड़ों के आधार पर बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2017-22 के दौरान श्रम अधिकारी, बिलासपुर, श्रम अधिकारी, कुल्लू व श्रम निरीक्षक, हमीरपुर के माध्यम से बोर्ड में कुल 1,04,065 कर्मकारों को पंजीकृत किया गया। हालांकि इन श्रम अधिकारियों/श्रम निरीक्षक द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार उसी अवधि के दौरान 98,802 कर्मकारों को पंजीकृत किया

गया था। इस प्रकार कर्मकारों के पंजीकरण के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा दिए गए आंकड़ों व नमूना-जांचित श्रम अधिकारियों द्वारा दिए गए आंकड़ों में 5,263 कर्मकारों की विसंगति थी।

इसी भांति, बोर्ड द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार वर्ष 2017-22 के दौरान नमूना-जांचित श्रम अधिकारी/श्रम निरीक्षक कार्यालयों ने 467 शिविर आयोजित किए। हालांकि इन श्रम अधिकारी/श्रम निरीक्षक कार्यालयों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इसी अवधि के दौरान उन्होंने 632 शिविर आयोजित किए गए। अतः 165 शिविरों की विसंगति थी।

### 2.3.5 कर्मकारों के पंजीकरण में विसंगतियां

अधिनियम की धारा 12 में प्रावधान है कि 18 से 60 वर्ष की आयु का प्रत्येक भवन सन्निर्माण कर्मकार कर्मकार जो पूर्ववर्ती बारह माह के दौरान कम से कम 90 दिनों तक किसी भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य में संलिप्त हो, इस अधिनियम के तहत लाभार्थी के रूप में पंजीकरण का पात्र होगा। बोर्ड के पंजीकृत कर्मकारों के अनुरक्षित अभिलेखों में लेखापरीक्षा द्वारा देखी गई विसंगतियों पर अनुवर्ती परिच्छेद में चर्चा की गई है।

#### 2.3.5.1 कर्मकारों का कई बार पंजीकरण

पंजीकृत 2,94,329 कर्मकारों[25] के अभिलेखों की नमूना-जांच की संवीक्षा से उजागर हुआ कि एक ही आधार संख्या एवं अन्य विवरण जैसे नाम, पता, बैंक खाता विवरण आदि के साथ अलग-अलग पंजीकरण संख्याओं के तहत एक ही श्रम अधिकारी/श्रम निरीक्षक के अंतर्गत 922 लाभार्थियों को दो बार पंजीकृत किया गया एवं छः लाभार्थियों को तीन बार पंजीकृत किया गया, जैसा कि **तालिका 2.1** में दर्शाया गया है।

**तालिका 2.1: राज्य के बोर्ड में कई बार पंजीकृत कर्मकारों का विवरण**

| श्रम अधिकारी/श्रम निरीक्षक कार्यालय का नाम | दो बार पंजीकृत कर्मकारों की संख्या | तीन बार पंजीकृत कर्मकारों की संख्या |
|---|---|---|
| **बद्दी** | 4 | 0 |
| **बिलासपुर** | 14 | 0 |
| **चंबा** | 1 | 0 |
| **हमीरपुर** | 425 | 2 |
| **कांगड़ा** | 129 | 1 |
| **किन्नौर** | 9 | 0 |
| **कुल्लू** | 11 | 0 |
| **मंडी** | 119 | 0 |
| **नाहन** | 40 | 0 |

25 मार्च 2022 तक 3,73,513 पंजीकृत कर्मकारों में से मात्र 2,94,329 पंजीकृत कर्मकारों का ही नमूना-जांच हेतु डेटा उपलब्ध कराया गया।

| श्रम अधिकारी/श्रम निरीक्षक कार्यालय का नाम | दो बार पंजीकृत कर्मकारों की संख्या | तीन बार पंजीकृत कर्मकारों की संख्या |
|---|---|---|
| **रामपुर** | 25 | 0 |
| **शिमला** | 19 | 0 |
| **सोलन** | 111 | 3 |
| **ऊना** | 15 | 0 |
| **योग** | **922** | **6** |

**तालिका 2.1** इंगित करती है कि पंजीकरण की प्रक्रिया में नियंत्रण की कमी थी तथा पंजीकरण के समय अभिलेखों के हस्तलिखित (मैनुअल) अनुरक्षण व दस्तावेजों के गलत सत्यापन के कारण दोहरे/तिहरे पंजीकरणों का पता लगाने में यह निष्प्रभावी थी। लेखापरीक्षा के दौरान नमूना-जांचित श्रम अधिकारी/श्रम निरीक्षक कार्यालयों में फर्जी पंजीकरण भी पाए गए, जैसा कि अनुवर्ती परिच्छेद में इंगित किया गया है।

संबंधित श्रम कल्याण अधिकारी[26] ने बताया (अप्रैल-जून 2024) कि कर्मकारों का पंजीकरण पूरी तरह से मैनुअल है तथा दोहरे पंजीकरण का पता लगाने के लिए कोई तंत्र नहीं है, साथ ही आगे बताया कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर दोहरे पंजीकरण के रूप में पाए गए पंजीकरण रद्द कर दिए गए हैं।

विभाग या बोर्ड सॉफ्टवेयर के विकास का कार्य यथाशीघ्र पूर्ण करें, ताकि लेखापरीक्षा के दौरान कर्मकारों का एक से अधिक पंजीकरण, कल्याण लाभों का दोहरा वितरण (**परिच्छेद 2.3.5.1** व **2.7.10.2 (ग**), मृतक लाभार्थियों को कल्याण लाभों का वितरण **(परिच्छेद 2.7.10.2 (घ))** इत्यादि जैसी कमियों का समाधान सुनिश्चित करने हेतु सिस्टम में आवश्यक आंतरिक नियंत्रण स्थापित हो सके क्योंकि ऐसी कमियों का मैनुअल रूप से पता लगाना कठिन है।

### 2.3.5.2 अपात्र/फर्जी कर्मकारों का लाभार्थी के रूप में पंजीकरण

हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) नियमावली, 2008 के नियम 266 (3) में प्रावधान है कि पंजीकरण के आवेदन के साथ नियोक्ता या ठेकेदार से प्रमाणपत्र या वेतन पर्ची या मस्टर रोल या उपस्थिति पंजिका की प्रति संलग्न करनी होगी, जिससे यह पता चले कि आवेदक सन्निर्माण कर्मकार है। यदि ऐसा प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं है, तो आवेदक के पूर्ववर्ती बारह मास में कम से कम 90 दिन कार्य करने के आशय का प्रमाणपत्र, जिसे पंजीकृत सन्निर्माण कर्मकार संघ या संबंधित स्थानीय शहरी निकायों के कार्यकारी अधिकारी या ग्राम पंचायत के सचिव द्वारा जारी किया गया हो, पर विचार किया जा सकता है।

[26] श्रम कल्याण अधिकारी: बिलासपुर, हमीरपुर, कुल्लू, मंडी, कांगड़ा, सोलन, सिरमौर, किन्नौर, चंबा व रामपुर

नमूना-जांचित श्रम अधिकारी/श्रम निरीक्षक कार्यालयों में पाया गया कि कुल 1,19,665 जीवित पंजीकृत कर्मकारों (मार्च 2022 तक) में से 86,344 जीवित पंजीकृत कर्मकार (72 प्रतिशत) संघ द्वारा प्रदान किए गए पूर्ववर्ती एक वर्ष में 90 दिनों के कार्य के प्रमाणपत्र के आधार पर पंजीकृत किए गए। मार्च 2022 तक कर्मकारों के विवरण **चार्ट 2.4** में दर्शाए गए हैं।

**चार्ट 2.4: मार्च 2022 तक कर्मकारों का विवरण**

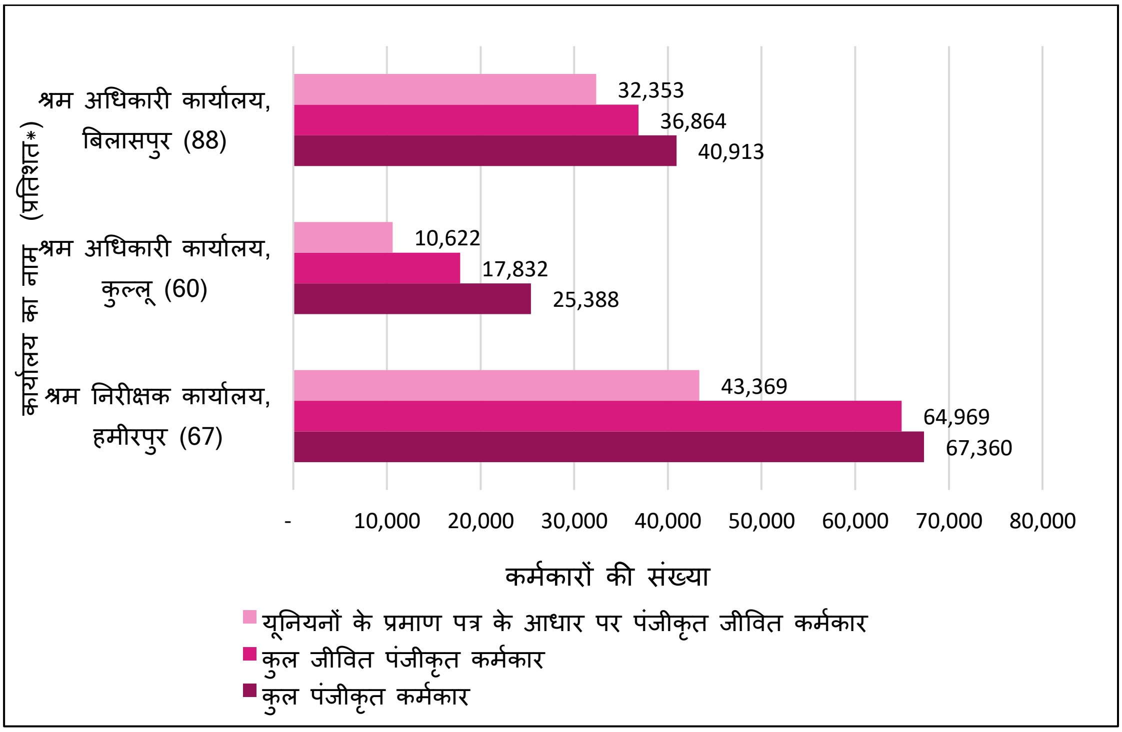


*स्रोत: नमूना-जांचित श्रम अधिकारी/श्रम निरीक्षक द्वारा प्रदान की गई जानकारी।*

**मार्च 2022 तक कुल जीवित पंजीकृत कर्मकारों में यूनियन के प्रमाण पत्र के आधार पर पंजीकृत जीवित कर्मकारों का प्रतिशत*

**चार्ट 2.4** से स्पष्ट है कि नमूना-जांचित श्रम अधिकारियों/श्रम निरीक्षक कार्यालयों में 60 से 88 प्रतिशत जीवित कर्मकार संघ द्वारा जारी रोजगार-प्रमाणपत्र के आधार पर पंजीकृत थे।

नियमानुसार नियोक्ता/ठेकेदार से वेतन पर्ची, मस्टर रोल या उपस्थिति पंजिका की प्रति के अभाव या न मिलने की स्थिति में ही संघ द्वारा जारी प्रमाणपत्र पर विचार किया जा सकता है। हालांकि, सेवा निरंतरता प्रमाणपत्र की संवीक्षा से उजागर हुआ कि सभी नियोक्ताओं ने प्रमाणपत्र स्वयं जारी करने के बजाय संघ द्वारा जारी प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर किए। यहां तक कि श्रम अधिकारियों ने भी इस पर प्रश्न नहीं उठाया और प्रमाणपत्रों की प्रामाणिकता की जांच किए बिना ही कर्मकारों को पंजीकृत कर दिया।

साथ ही, इन संघों द्वारा जारी किए गए प्रमाणपत्रों की संवीक्षा करने पर पाया गया कि इन्हें संघ द्वारा प्रमाणित किया गया था परन्तु संघ ने वास्तविक कर्मकारों का कोई रिकॉर्ड नहीं रखा था तथा संघ ने प्रमाणपत्र के साथ कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं दिया क्योंकि नियमों में प्रमाणीकरण हेतु सहायक दस्तावेज संलग्न करने का प्रावधान नहीं था। प्रमाणपत्रों में नियोक्ताओं

द्वारा दी गई कर्मकार के किए गए कार्य की जानकारी[27] निहित थी, जिसका सत्यापन किसी अभिलेख के अभाव में संभव नहीं था। यह भी देखा गया कि संघ द्वारा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्य के अतिरिक्त कार्य यथा कृषि कार्य, घास काटने के काम जैसे अन्य अपात्र कार्यों के लिए भी प्रमाणपत्र जारी किए गए। साथ ही, नमूना-जांचित श्रम अधिकारी/श्रम निरीक्षक कार्यालयों ने यह पता लगाने के लिए कोई सत्यापन या पूछताछ नहीं की कि क्या इन नियोक्ताओं के हस्ताक्षर वास्तविक थे अथवा इन नियोक्ताओं ने काम करवाया भी था। इसके अतिरिक्त श्रम अधिकारियों ने इन प्रमाणपत्रों के आधार पर पात्र स्थापनाओं से पूछताछ, निरीक्षण, पंजीकरण और उपकर एकत्र नहीं किया, जिससे प्रमाणपत्रों में गलत जानकारी प्रस्तुत करने की आशंका बनी रहती है।

इसके अतिरिक्त देखा गया कि संभवतः श्रम अधिकारियों की संवीक्षा से बचने के लिए विभिन्न संघों द्वारा कर्मकारों को जारी नमूना-जांचित 166 सेवा निरंतरता प्रमाणपत्रों में 808 सन्निर्माण कार्यों का उल्लेख किया गया था, जिनमें से कोई भी श्रम कार्यालय में पंजीकृत नहीं था।

उपरोक्त टिप्पणियां सन्निर्माण कर्मकारों के पंजीकरण में कमजोर नियंत्रण को परिलक्षित करती हैं।

सहायक नियंत्रक (वित्त एवं लेखा), बोर्ड ने श्रम निरीक्षक, हमीरपुर का निरीक्षण (अगस्त 2021) किया एवं संघ द्वारा जारी किए गए कार्य प्रमाणपत्रों में कृषि कार्य, घास काटने के कार्य हेतु जारी किए गए कार्य प्रमाणपत्र, दो अलग-अलग संघों द्वारा ओवरलैपिंग अवधि के एक कार्यकर्ता हेतु जारी किए गए दो कार्य प्रमाणपत्र, जिनमें अलग-अलग निजी कार्यों का उल्लेख था, आदि जैसी अनियमितताएं पाईं गई। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि ये अनियमितताएं संघ की ओर से बिना किसी रिकॉर्ड व प्रामाणिकता के फर्जी प्रमाणपत्र जारी करने को दर्शाती हैं।

उपरोक्त निष्कर्षों की पुष्टि हेतु अभिलेखों से यादृच्छिक रूप से चयनित 71 पंजीकृत लाभार्थियों (श्रम अधिकारी बिलासपुर: 30, श्रम अधिकारी कुल्लू: 16, श्रम निरीक्षक हमीरपुर: 25) के नमूना-जांचित श्रम अधिकारी/श्रम निरीक्षक कार्यालयों में लेखापरीक्षा ने निरीक्षण-सह-लाभार्थी सर्वेक्षण किया, जिन्हें संघों द्वारा प्रदान किए गए 90 दिनों के कार्य प्रमाणपत्र के आधार पर पंजीकृत किया गया था। निष्कर्षों पर नीचे चर्चा की गई है:

(I) 47 लाभार्थियों (66 प्रतिशत) ने स्वीकार किया कि वे किसी भी भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्य में संलिप्त न हो कर राज्य सरकार के अधीन, निजी व्यवसाय में, निजी स्कूल शिक्षक, इत्यादि के रूप में नियोजित थे। एक लाभार्थी विगत 20 वर्षो

---

[27] किए गए कार्य की जानकारी, पता, कार्य की लागत व किए गए कार्य की अवधि के साथ-साथ नियोक्ताओं के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान।

से पड़ोसी राज्य में ट्रक चालक के रूप में कार्यरत था और एक लाभार्थी ने पंजीकरण हेतु कभी आवेदन ही नहीं किया।

(II) उपरोक्त 47 लाभार्थियों में से 14 लाभार्थियों (30 प्रतिशत) ने बोर्ड द्वारा कार्यान्वित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत कल्याण लाभ हेतु आवेदन किया था। इनमें से अप्रैल 2023 तक नौ लाभार्थियों को कल्याण लाभ प्राप्त हुए।

(III) सर्वेक्षण में शामिल 71 लाभार्थियों में से 24 लाभार्थियों (34 प्रतिशत) ने बताया कि उन्हें श्रम अधिकारी/श्रम निरीक्षक कार्यालय से पहचान-पत्र नहीं मिले। हालांकि श्रम अधिकारी/श्रम निरीक्षक के अभिलेखानुसार सभी पंजीकृत लाभार्थियों को पहचान-पत्र जारी किए गए एवं संघों के माध्यम से पंजीकृत कर्मकारों के पहचान-पत्र संघ को दिए गए।

ये टिप्पणियां इस तथ्य को इंगित करती हैं कि कर्मकारों के पंजीकरण के नियम का दुरुपयोग किया जा रहा था तथा संघ द्वारा दिए गए नियोजन-प्रमाणपत्रों के आधार पर पंजीकरण को वास्तविक नहीं माना जा सकता और लेखापरीक्षा में फर्जी/अपात्र लाभार्थियों के पंजीकरण से इंकार नहीं किया जा सकता। अपात्र लाभार्थियों का पंजीकरण किया जा रहा था और उन्हें लाभ भी वितरित किए जा रहे थे, जो आंतरिक नियंत्रण की कमी को परिलक्षित करता है क्योंकि पंजीकरण के समय एवं लाभ जारी करते समय बोर्ड/श्रम अधिकारी की जांच प्रभावी नहीं थी।

श्रम अधिकारी, बिलासपुर व श्रम निरीक्षक, हमीरपुर ने तथ्यों की पुष्टि करते हुए बताया (फरवरी 2023) कि कार्मिकों की कमी व अत्यधिक कार्यभार के कारण नियोक्ता के विवरण की जांच करना संभव नहीं है। उन्होंने आगे बताया कि हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) नियमावली, 2008 में संघों के अभिलेखों के सत्यापन का भी कोई प्रावधान नहीं है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते वे पंजीकरण के आवेदनों में दिए गए विवरणों की जांच व विश्लेषण के जिम्मेदार हैं, ताकि अपात्र कर्मकारों के पंजीकरण से बचा जा सके।

अंतिम बैठक में बोर्ड के अधिकारियों ने बताया (अक्टूबर 2023) कि संघ के माध्यम से हुए पंजीकरण समाप्त कर दिए गए हैं।

### 2.3.5.3 बिना कोई दस्तावेज प्राप्त किए लाभार्थियों का पंजीकरण

हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) नियमावली, 2008 के नियम 266 (1) से (3) में कहा गया है कि प्रत्येक भवन कर्मकार, जिसने 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है परन्तु 60 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की है तथा जो किसी भी कानून के तहत स्थापित किसी अन्य कल्याण निधि का सदस्य नहीं है, और जिसने ठीक

पूर्ववर्ती वर्ष में भवन कर्मकार के रूप में 90 दिन की सेवा पूर्ण कर ली है, वह निधि में सदस्यता हेतु पात्र होगा। आयु प्रमाणित करने के लिए आवेदन के साथ एक प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत करना होगा। पंजीकरण के आवेदन के साथ नियोक्ता या ठेकेदार से इस आशय का प्रमाणपत्र या वेतन पर्ची या नियुक्ति-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि आवेदक एक सन्निर्माण कर्मकार है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि श्रम आयुक्त, हिमाचल प्रदेश, शिमला ने दस्तावेजों के बिना कर्मकारों का पंजीकरण करने पर श्रम निरीक्षक, ठियोग के विरुद्ध पूछताछ आरंभ की। बोर्ड ने (आरटीजीएस के माध्यम से) 201 कर्मकारों को ₹ 12.06 लाख की कोविड-19 वित्तीय सहायता[28] जारी की, जिसमें से ₹ 11.44 लाख की राशि उन कर्मकारों को वितरित की गई, जिन्हें श्रम निरीक्षक ठियोग, शिमला द्वारा प्रदान की गई जानकारी पर माह अप्रैल 2020 में श्रम अधिकारी, शिमला ने पंजीकृत किया था। इन कर्मकारों को अपेक्षित वैध दस्तावेजों (पंजीकृत नियोक्ता से नौकरी प्रमाणपत्र, जन्म प्रमाणपत्र, आदि) के बिना पंजीकृत किया गया था। बोर्ड बाद के चरण में संबंधित श्रम अधिकारी से वांछित दस्तावेज प्राप्त करने में भी विफल रहा। इस प्रकार, संबंधित लाभार्थियों को जारी भुगतान अपात्र लाभार्थियों को भुगतान होने के जोखिम से युक्त था।

बोर्ड ने बताया (मार्च 2023) कि ऐसी कोई प्रणाली या सॉफ्टवेयर नहीं है जिसके माध्यम से इन त्रुटियों का पता लगाया जा सके। साथ ही, प्रकोप के दौरान जीवित रहने के लिए अधिकतम सहायता प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया गया था। अतः उस समय विशेष पर त्रुटियों की जांच करना संभव नहीं था। हालांकि श्रम अधिकारी, शिमला ने बताया कि मामला वित्तीय गबन से सम्बंधित है एवं बोर्ड ने (फरवरी 2023) मामले में प्रारंभिक पूछताछ हेतु श्रम आयुक्त के समक्ष मामला उठाया था, जो अभी भी प्रतीक्षित है। विभाग ने बताया (मई 2023) कि संयुक्त श्रम आयुक्त ने श्रम आयुक्त के समक्ष जांच-रिपोर्ट प्रस्तुत की थी एवं रिपोर्ट विचाराधीन है।

नियमों में निर्धारित दस्तावेजों को प्राप्त किए बिना ही कल्याण सहायता का पंजीकरण व वितरण संबंधित प्राधिकृत अधिकारी के उसके कर्तव्यों व जिम्मेदारियों के निर्वहन में विफलता को दर्शाता है। यदि श्रम अधिकारी, शिमला पहली किस्त के वितरण के समय सतर्क होते, तो बाद में किस्तों के वितरण को रोका जा सकता था। इससे अपात्र/धोखाधड़ी करने वाले दावेदारों को लाभ देकर पात्र लाभार्थियों के लिए बनाई गई योजनाओं के दुरुपयोग की संभावना भी बनती है।

[28] बोर्ड के प्रत्येक पंजीकृत हिताधिकारी को अप्रैल, मई व जुलाई 2020 में ₹ 2,000/- की तीन किश्ते।

### 2.3.5.4 वार्षिक आधार पर कार्य/सेवा निरंतरता प्रमाणपत्र या वचनबद्धता प्राप्त न करना

अधिनियम की धारा 14 में प्रावधान है कि भवन कर्मकार जो इस अधिनियम के अंतर्गत लाभार्थी के रूप में पंजीकृत है, वह 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर या वर्ष में कम से कम 90 दिन तक भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य में संलग्न न होने पर लाभार्थी के रूप में पंजीकृत नहीं रहेगा।

हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) नियमावली, 2008 के नियम 267 में मूल रूप से कहा गया था कि (1) निधि का लाभार्थी निधि में प्रति माह ₹ 20/- का अंशदान करेगा। यह अंशदान सदस्य के निवास जिले में बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट किसी भी बैंक में, तीन माह में एक बार अग्रिम रूप से भेजा जाएगा। (2) यदि कोई लाभार्थी लगातार एक वर्ष की अवधि के अंशदान का भुगतान नहीं करता है, तो वह निधि का लाभार्थी नहीं रह जाएगा।

हालांकि राज्य सरकार ने नियम 267 (मई 2013) को संशोधित करते हुए कहा कि निधि का लाभार्थी केवल तीन वर्षों के लिए निधि में ₹ नौ का अंशदान देगा। इस प्रकार लाभार्थी की सदस्यता तीन वर्षों के लिए है तथा यदि वह अंशदान का भुगतान करने में चूक जाता है तो उसे एक वर्ष का अतिरिक्त भुगतान करना होगा, जो कि उक्त अधिनियम के विरुद्ध था क्योंकि कर्मकारों के पास वार्षिक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने का प्रोत्साहन या साधन नहीं था।

नमूना-जांचित श्रम अधिकारी/श्रम निरीक्षक[29] कार्यालयों की लेखापरीक्षा में पाया गया कि लाभार्थी/पंजीकृत कर्मकारों से वार्षिक आधार पर कार्य/सेवा निरंतरता प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं किया गया परन्तु किसी भी प्रकार की कल्याण सहायता के लिए आवेदन करने पर लाभार्थी से इसे लेने की प्रथा देखी गई, जो परिलक्षित करता है कि कार्यालय प्रक्रिया का नियमित रूप से पालन नहीं कर रहा है क्योंकि सेवा निरंतरता प्रमाणपत्र लेना एक सतत प्रक्रिया है।

### 2.3.6 पहचान-पत्र में सन्निर्माण-कार्य का विवरण दर्ज न करना

अधिनियम की धारा 13 में कहा गया है कि (1) बोर्ड प्रत्येक लाभार्थी को एक पहचान-पत्र देगा, जिस पर उसका फोटो सम्यक रूप में चिपका होगा और उसके द्वारा किए गए भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के ब्यौरे प्रविष्टि करने के लिए पर्याप्त स्थान होगा। (2) प्रत्येक नियोक्ता पहचान-पत्र में लाभार्थी द्वारा किए गए भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के ब्यौरे प्रविष्ट करेगा और उन्हें अधिप्रमाणित करके लाभार्थी को वापस करेगा।

हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) नियमावली, 2008 के नियम 266 (8) में प्रावधान है कि बोर्ड का सचिव या उसके द्वारा

[29] श्रम अधिकारी, बिलासपुर, श्रम अधिकारी, कुल्लू व श्रम निरीक्षक, हमीरपुर।

तदहेतु प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी प्रत्येक लाभार्थी को फार्म-XXXII में लाभार्थी की फोटो सहित पहचान-पत्र जारी करेगा तथा फार्म-XXXIII में जारी किए गए पहचान-पत्रों की एक पंजिका रखेगा।

बोर्ड ने पहचान-पत्र निर्धारित किया है जिसमें भाग I से IV तक हैं। इन भागों में शामिल हैं:

| | |
|---|---|
| **भाग I** | पंजीकृत लाभार्थी का संपूर्ण विवरण |
| **भाग II** | सदस्यता व पंजीकरण का नवीनीकरण |
| **भाग III** | लाभार्थी द्वारा किए गए भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य का विवरण |
| **भाग IV** | पंजीकृत लाभार्थियों को वितरित कल्याण सहायता/योजनाओं का विवरण |

नमूना-जांचित श्रम अधिकारी/श्रम निरीक्षक कार्यालयों की लेखापरीक्षा में पाया गया कि लाभार्थी द्वारा किए गए भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्य का ब्यौरा नियोक्ताओं ने पहचान-पत्र के भाग-III में प्रविष्ट नहीं किया था।

लाभार्थियों द्वारा श्रम अधिकारी/श्रम निरीक्षक कार्यालयों को प्रस्तुत सेवा निरंतरता प्रमाणपत्र में उल्लिखित विवरण पहचान-पत्र में दर्ज नियोजन रिकॉर्ड पर आधारित नहीं थे। श्रम अधिकारी/श्रम निरीक्षक ने न तो पहचान-पत्रों की कमियां इंगित की एवं न ही निरंतरता प्रमाणपत्रों के विवरणों को सत्यापित किया।

तथ्यों की पुष्टि करते हुए श्रम अधिकारी, कुल्लू ने बताया (दिसम्बर 2022) कि मामला नियोक्ता व लाभार्थी से संबंधित है। श्रम निरीक्षक, हमीरपुर ने बताया (फरवरी 2023) कि कार्मिकों की कमी एवं कार्य की अधिकता के कारण यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि पहचान-पत्र में कार्य का ब्यौरा प्रविष्ट किया जा रहा है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं थे क्योंकि सन्निर्माण कार्य का विवरण नियोक्ताओं द्वारा पहचान-पत्र में प्रविष्ट करना सुनिश्चित करना श्रम अधिकारी/श्रम निरीक्षक या प्राधिकृत अधिकारियों की जिम्मेदारी थी ताकि सदस्यता का नवीनीकरण व कल्याण लाभ प्राप्त करने के लिए कर्मकारों की वास्तविकता सुनिश्चित की जा सके।

## 2.4 उपकर का निर्धारण, संग्रहण एवं हस्तांतरण

उपकर अधिनियम, 1996 को अधिनियम की धारा 18(1) के तहत गठित भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्डों के संसाधनों को बढ़ाने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया। उपकर अधिनियम भवन या अन्य सन्निर्माण कार्यों में संलिप्त नियोक्ता (सरकारी, सार्वजनिक व निजी क्षेत्र) पर प्रयोज्य है। उपकर अधिनियम की धारा 14 की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियम, 1998 (आगे "उपकर नियम" के रूप में संदर्भित) निरुपित किया।

हिमाचल प्रदेश सरकार ने अधिनियम के प्रयोजन हेतु अधिसूचना (अप्रैल 2009) के माध्यम से श्रम अधिकारियों को उपकर संग्रहकर्ता-सह-निर्धारण अधिकारी व श्रम आयुक्त को उपकर अपीलीय प्राधिकारी नियुक्त किया। राज्य सरकार ने 12 अगस्त 2009 को जारी दिशानिर्देशों[30] के माध्यम से निर्देश दिया कि नियोक्ता को निर्माण कार्य या निर्माण परियोजना पर उसके द्वारा किए गए निर्माण की लागत का एक प्रतिशत उपकर[31] उस क्षेत्र के उपकर संग्रहकर्ता के पास जमा कराना होगा।

उपकर नियमावली, 1998 के नियम 6 के अनुसार प्रत्येक नियोक्ता, उसके कार्य के आरंभ होने या उपकर के भुगतान के 30 दिनों के भीतर, जैसा भी मामला हो, निर्धारण अधिकारी को फॉर्म-I[32] में जानकारी प्रस्तुत करेगा। नियम 7 में कहा गया है कि निर्धारण अधिकारी, फॉर्म-I में जानकारी प्राप्त होने पर ऐसी जानकारी प्राप्त होने की तिथि से छः माह की अवधि के भीतर नियोक्ता द्वारा देय उपकर की राशि इंगित करते हुए, निर्धारण आदेश देगा। नियम 4 व 5 में प्रावधान है कि नियोक्ता संबंधित श्रम अधिकारी एवं बोर्ड को सूचित करते हुए बोर्ड के पास उपकर राशि जमा करेगा तथा नियम 5(2) के अनुसार नियोक्ता उपकर राशि का एक प्रतिशत से अधिक संग्रह शुल्क नहीं काटेगा।

नियोक्ता/ठेकेदार, श्रम अधिकारी व बोर्ड के मध्य उपकर के निर्धारण, संग्रहण व हस्तांतरण की जानकारी का प्रवाह-चार्ट निम्नानुसार है:

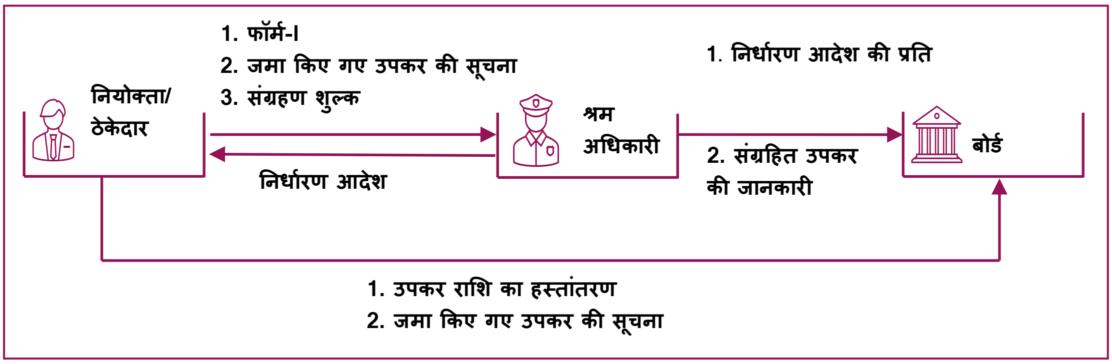


## 2.4.1 उपकर निर्धारण की प्रणाली

उपकर अधिनियम, 1996 की धारा 5(1) व उपकर नियमावली, 1998 के नियम 7 में प्रावधान है कि निर्धारण अधिकारी नियोक्ता से फॉर्म-I में जानकारी प्राप्त होने पर प्रस्तुत की गई उस जानकारी की जांच करेगा एवं यदि वह प्रस्तुत किए गए विवरणों की सटीकता से संतुष्ट है, तो

---

30 पत्र सं. एलएंडई 6-12/2008-(लैब)वॉल्यूम-V दिनांक 12.08.2009

31 प्रयोज्य उपकर राशि में से 99 प्रतिशत राशि निधि में जमा की जानी है तथा शेष एक प्रतिशत राशि उपकर संग्रहकर्ता द्वारा प्राप्ति के सात दिनों के भीतर कोषागार में जमा की जानी है।

32 फॉर्म-I में प्रतिष्ठान से संबंधित जानकारी जैसे प्रतिष्ठान का नाम, पता, कार्य का नाम, कार्यरत कर्मकारों की संख्या, कार्य प्रारंभ करने की तिथि, कार्य की अनुमानित अवधि व लागत, कार्य के चरण, उपकर के भुगतान का विवरण, स्रोत पर कटौती, होती है।

वह फॉर्म I में ऐसी जानकारी प्राप्त होने की तिथि से छ: माह की अवधि के भीतर नियोक्ता द्वारा देय उपकर की राशि इंगित करते हुए निर्धारण का आदेश जारी करेगा।

लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर अनुवर्ती परिच्छेदों में चर्चा की गई है।

### 2.4.1.1 उपकर का फॉर्म-I प्राप्त न करना

उपकर अधिनियम, 1996 की धारा 4 में कहा गया है कि (1) प्रत्येक नियोक्ता ऐसे अधिकारी या प्राधिकरण को ऐसी विवरणी ऐसी रीति से और ऐसे समय पर प्रस्तुत करेगा जैसा कि विहित किया जाए। (2) यदि भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य करने वाला कोई व्यक्ति, जो उपकर का भुगतान करने के लिए दायी है, कोई विवरणी देने में विफल रहता है, तो अधिकारी या प्राधिकरण ऐसे व्यक्ति को सूचना (नोटिस) देकर यह अपेक्षा करेगा कि वह नोटिस में निर्दिष्ट तिथि से पूर्व विवरणी प्रस्तुत करे।

उपकर नियमावली, 1998 के नियम 6 के अनुसार प्रत्येक नियोक्ता उसका कार्य प्रारंभ होने या उपकर के भुगतान के तीस दिनों के भीतर, जैसा भी मामला हो, निर्धारण अधिकारी को फॉर्म-I में जानकारी प्रस्तुत करेगा।

नियम 7(5) में कहा गया है कि यदि नियोक्ता फॉर्म-I में जानकारी प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो निर्धारण अधिकारी उपलब्ध अभिलेखों एवं उससे संबंधित अन्य जानकारी के आधार पर निर्धारण करने के लिए आगे बढ़ेगा।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि नमूना-जांचित दो श्रम अधिकारी कार्यालयों में वर्ष 2017-22 के दौरान अधिनियम के तहत पंजीकृत 35 स्थापनाओं[33] में से किसी भी स्थापना ने संबंधित श्रम अधिकारी को फॉर्म-I प्रस्तुत नहीं किया। श्रम अधिकारियों ने न तो इन नियोक्ताओं को धारा 4 के अनुसार नोटिस जारी किया एवं न ही इसे प्राप्त करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की तथा फॉर्म-I के अभाव में श्रम अधिकारी नियम 7(5), जो उपलब्ध अभिलेखों एवं अन्य सूचनाओं के आधार पर निर्धारण करने का प्रावधान करता है, के अनुसार निर्धारण हेतु आगे नहीं बढ़े, तथा बोर्ड को उपकर भेजने का कार्य नियोक्ताओं पर छोड़ दिया गया।

श्रम अधिकारी, बिलासपुर ने तथ्यों की पुष्टि करते हुए बताया (फरवरी 2023) कि कार्मिकों की कमी और कार्य की अधिकता के कारण फॉर्म-I नहीं लिए जा सके, जबकि श्रम अधिकारी, कुल्लू ने बताया (फरवरी 2023) कि नियोक्ता स्थापना के पंजीकरण हेतु फॉर्म-I जमा करते हैं।

श्रम अधिकारी, कुल्लू का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सन्निर्माण कार्यों के पंजीकरण हेतु हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) नियमावली, 2008 के तहत फॉर्म-I नियोक्ताओं द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा था, जबकि उपकर

---

[33] श्रम अधिकारी, बिलासपुर:14 व श्रम अधिकारी, कुल्लू:21

नियम, 1998 के तहत उपर्युक्त फॉर्म-I जिसमें सन्निर्माण की अनुमानित लागत तथा बोर्ड को जमा की गई उपकर राशि के विषय में जानकारी शामिल है, इन नियोक्ताओं द्वारा प्रस्तुत नहीं की जा रही।

### 2.4.1.2 उपकर का समयबद्ध निर्धारण सुनिश्चित करने हेतु तंत्र का अभाव

उपकर अधिनियम, 1996 की धारा 4(1) में कहा गया है कि प्रत्येक नियोक्ता ऐसे अधिकारी या प्राधिकरण को ऐसी विवरणी ऐसी रीति से और ऐसे समय पर प्रस्तुत करेगा जैसा कि विहित किया जाए।

धारा 5(1) में कहा गया है कि वह अधिकारी या प्राधिकारी जिसे विवरणी भेजी गई है, वह ऐसी जांच करने या करवाने के पश्चात्, जो वह ठीक समझे और स्वयं संतुष्ट होने के पश्चात् कि विवरणी में दिए गए विवरण सही हैं, आदेश द्वारा नियोक्ता द्वारा देय उपकर की राशि का निर्धारण करेगा।

उपकर नियमावली, 1998 के नियम 7(1) के अनुसार, निर्धारण अधिकारी, नियोक्ता से प्रपत्र-I में जानकारी प्राप्त होने पर प्रपत्र-I में ऐसी जानकारी प्राप्त होने की तिथि से छः माह की अवधि के भीतर निर्धारण आदेश जारी करेगा।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2017-22 की अवधि के दौरान बोर्ड को स्थापनाओं/नियोक्ताओं से उपकर के रूप में ₹ 407.74 करोड़ की राशि प्राप्त हुई, जैसा कि **चार्ट 2.5** में दर्शाया गया है।

**चार्ट 2.5: 2017-22 के दौरान बोर्ड में जमा किया गया उपकर**

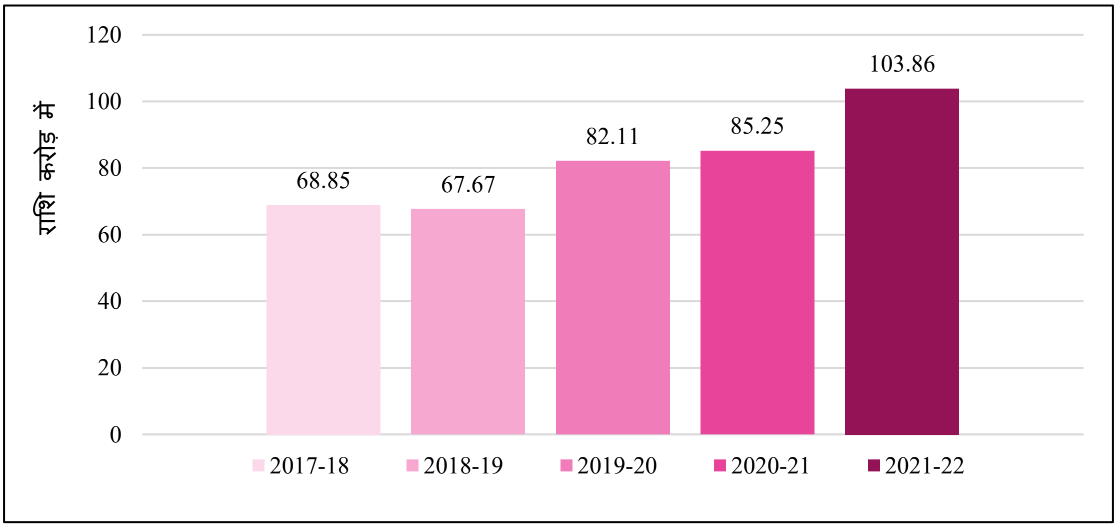


*स्रोत: बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े।*

इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य में निर्धारण अधिकारियों द्वारा ₹ 12.91 लाख की राशि के मात्र छः निर्धारण[34] आदेश जारी किए गए। ये निर्धारण आदेश

[34] सोलन: तीन (शून्य राशि का एक निर्धारण आदेश), ₹ 9.84 लाख, ऊना: एक, ₹ 1.84 लाख, चंबा: एक, ₹ 0.42 लाख, शिमला: एक, ₹ 0.81 लाख।

निजी निर्माण-स्थलों के लिए थे तथा इनमें ₹ 11.91 लाख[35] की राशि की अतिरिक्त मांग की गई। हालांकि बोर्ड के पास इस विषय में कोई जानकारी नहीं थी कि नियोक्ताओं ने इन निर्धारण आदेशों के तहत निर्धारित उपकर राशि निधि में जमा की या नहीं। इस प्रकार ₹ 407.61[36] करोड़ की उपकर राशि नियोक्ताओं की स्वयं की पहल पर गणना के आधार पर प्रेषित की गई एवं बिना किसी निर्धारण आदेश के जमा कर दी गई।

वर्ष 2017-22 के दौरान नमूना-जांचित दोनों श्रम कार्यालयों में बिना कोई निर्धारण आदेश जारी किए नियोक्ताओं/ठेकेदारों ने ₹ 40.96[37] करोड़ का उपकर प्रेषित किया, जैसा कि **चार्ट 2.6** में दर्शाया गया है।

**चार्ट 2.6: वर्ष 2017-22 के दौरान नमूना-जांचित इकाइयों में संग्रहित/प्रेषित उपकर का विवरण**

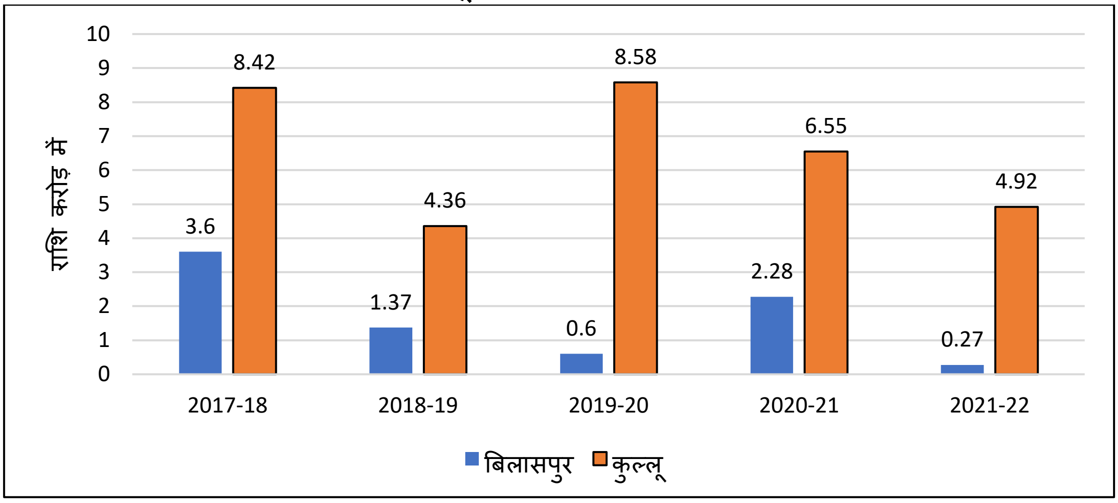


*स्रोत: श्रम अधिकारी, कुल्लू द्वारा दिए गए आंकड़े व श्रम अधिकारी, बिलासपुर के उपकर पंजिका से प्राप्त आंकड़े।*

श्रम अधिकारी, बिलासपुर ने बताया (फरवरी 2023) कि यह नियोक्ता का कर्तव्य है कि निर्माण-कार्य पूर्ण होने के तीस दिनों के भीतर उपकर जमा करें। श्रम अधिकारी, कुल्लू ने बताया (फरवरी 2023) कि उनके पास कार्मिकों की कमी थी तथा उपकर के निर्धारण की प्रक्रिया हेतु बोर्ड के साथ विभाग ने भी कोई तकनीकी सहायता उपलब्ध नहीं कराई। बोर्ड ने बताया (अप्रैल 2023) कि कार्मिकों की कमी एवं विभाग के श्रम कार्यालयों पर कोई नियंत्रण नहीं होने के कारण मामले की जांच नहीं हुई। इसके अतिरिक्त बोर्ड ने उपकर संग्रह पोर्टल के सृजित करने की योजना बनाई थी जिसमें सभी कार्य विकसित किए जा सकें। विभाग ने बताया (मार्च 2023) कि बगैर निर्धारण उपकर के संग्रह का मामला संबंधित श्रम अधिकारी से सम्बंधित है।

35 श्रम अधिकारी, सोलन क्षेत्राधिकार के अंतर्गत एक प्रतिष्ठान द्वारा ₹ 1.00 लाख की उपकर राशि पहले ही जमा कर दी गई।

36 कुल उपकर राशि (₹ 407.74 करोड़) - निर्धारित राशि (₹ 0.13 करोड़) = बिना निर्धारण के जमा की गई उपकर राशि (₹ 407.61 करोड़)।

37 श्रम अधिकारी बिलासपुर: ₹ 8.12 करोड़, श्रम अधिकारी कुल्लू: ₹ 32.84 करोड़।

नियोक्ता द्वारा रिटर्न जमा करना सुनिश्चित करने के लिए तंत्र का अभाव साथ ही निर्धारण आदेश जारी न करना, राज्य सरकार द्वारा अधिनियम/नियमों के धीमे कार्यान्वयन को प्रतिबिंबित करता है। इससे विभागीय अधिकारियों द्वारा कोई स्वतंत्र सत्यापन किए बिना नियोक्ता पर ही उपकर राशि की सटीकता एवं उसे जमा करने का दायित्व आ जाता है। उपकर के निर्धारण के अभाव में लेखापरीक्षा में उपकर की वसूली योग्य वास्तविक राशि का पता नहीं लगाया जा सका। परिणामस्वरूप निधि व सरकारी कोषागार को राजस्व की हानि से इनकार नहीं किया जा सकता है।

अंतिम बैठक में सचिव ने श्रम अधिकारी, कुल्लू व श्रम अधिकारी, बिलासपुर से निर्धारण आदेश जारी न करने पर स्पष्टीकरण मांगने का निर्देश दिया (अक्टूबर 2023)।

### 2.4.1.3 स्थानीय निकायों से वसूली योग्य उपकर के निर्धारण हेतु तंत्र का अभाव

उपकर नियमावली, 1998 के नियम 4(4) में यह प्रावधान है कि जहां किसी निर्माण-कार्य के लिए स्थानीय प्राधिकरण से अनुमोदन अपेक्षित है, वहां ऐसे अनुमोदन हेतु प्रत्येक आवेदन के साथ बोर्ड के पक्ष में रेखांकित डिमांड ड्राफ्ट संलग्न किया जाएगा, जो उस स्टेशन पर देय होगा, जहां बोर्ड अवस्थित है तथा निर्माण की अनुमानित लागत पर अधिसूचित दरों पर उपकर की राशि देय होगी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2017-22 के दौरान नमूना-जांचित स्थानीय निकायों अर्थात नगर निगम कुल्लू, नगर निगम बिलासपुर, नगर निगम हमीरपुर व नगर एवं ग्राम नियोजन, मनाली द्वारा 1271 भवन योजनाओं[38] को मंजूरी दी गई। मंजूरी हेतु प्रस्तुत भवन योजनाओं में न तो निर्माण की अनुमानित लागत का उल्लेख किया गया था एवं न ही उपकर का विवरण संलग्न किया गया था। भवन योजनाओं को मंजूरी देते समय इन स्थानीय निकायों ने न तो आवेदक से किसी उपकर की वसूली की एवं न ही संबंधित श्रम अधिकारी के साथ स्वीकृत भवन योजनाओं की संख्या का विवरण साझा किया।

कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम बिलासपुर, नगर निगम हमीरपुर व नगर निगम कुल्लू एवं नगर एवं ग्राम नियोजन, मनाली ने बताया (दिसंबर 2022, जनवरी, फरवरी 2023) कि हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम नियोजन अधिनियम व नियमों में उपकर संग्रह का कोई प्रावधान नहीं है।

प्रत्युत्तर इंगित करते हैं कि राज्य सरकार उपकर अधिनियम व नियमों के प्रावधानों को हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम नियोजन अधिनियम व नियमों में शामिल करने में विफल रही, क्योंकि उपकर अधिनियम और नियमों में स्थानीय निकायों द्वारा उपकर एकत्र करने का प्रावधान है,

---

[38] नगर निगम बिलासपुर: 116, नगर निगम हमीरपुर: 379, नगर निगम कुल्लू: 254, नगर एवं ग्राम नियोजन मनाली: 522

जबकि हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम नियोजन अधिनियम व नियमों में यह प्रावधान नहीं है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार को स्थानीय निकायों को स्थानीय निकायों द्वारा अनुमोदित भवन योजनाओं की जानकारी संबंधित श्रम अधिकारी के साथ साझा करने के निर्देश जारी करने चाहिए थे।

### 2.4.2 आंकड़ों (डेटा) के अनुरक्षण से संबंधित मुद्दे

#### 2.4.2.1 उपकर का स्थापना/नियोक्ता-वार डेटाबेस का अभाव

हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) नियमावली, 2008 के नियम 24 में प्रावधान है कि पंजीकर्ता अधिकारी फार्म-III[39] में एक पंजिका का अनुरक्षण करेगा, जिसमें उन स्थापनाओं से संदर्भित विवरण दर्शाया जाएगा, जिन्हें उसने पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किए हैं।

मार्च 2022 तक संबंधित सभी 12 श्रम कार्यालयों में कुल 2,267 स्थापना[40] पंजीकृत थे। लेखापरीक्षा में पाया गया कि बोर्ड ने स्थापना-वार/नियोक्ता-वार रिकॉर्ड, जिसमें हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) नियमावली, 2008 के तहत स्थापना का नाम, स्थापना का प्रबंधन, पता, पंजीकरण की तिथि, पंजीकरण संख्या एवं परियोजना लागत, निर्माण कार्य प्रारंभ करने की तिथि, कार्य पूर्ण होने की अवधि, जमा किया गया अग्रिम उपकर, जमा किए उपकर की तिथि, निर्धारित/लंबित उपकर आदि के विवरण हो, अनुरक्षित नहीं किए।

नमूना-जांचित श्रम कार्यालयों[41] में पाया गया कि फार्म-III में स्थापनाओं की पंजिका तैयार की गई एवं उपकर संग्रहण पंजिका अनुरक्षित की गई परन्तु उन्होंने संग्रहित उपकर का स्थापना-वार डेटा समेकित नहीं किया, जो उपकर के मिलान/अंतिम निर्धारण में सहायता करते।

बोर्ड ने बताया (मार्च 2023) कि उन्होंने संबंधित श्रम अधिकारी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार उनके रिपोर्टिंग प्रारूप में पंजीकृत स्थापनाओं की संख्या का रिकॉर्ड हर माह अनुरक्षित किया था। श्रम अधिकारी, कुल्लू व श्रम अधिकारी, बिलासपुर ने बताया (फरवरी, मार्च 2023) कि अत्यधिक कार्यभार एवं कार्मिकों की कमी के कारण इस तरह के डेटा का अनुरक्षण मुश्किल था। भविष्य में इस संबंध में सर्वोत्तम प्रयास किए जाएंगे।

---

[39] फॉर्म-III में पंजीकरण संख्या व तिथि, नाम, निर्माण-स्थल का पता, नियोक्ता का नाम व उसका पता, कार्य की प्रकृति, स्थापनाओं का नाम व स्थायी पता, कार्य आरंभ करने की संभावित तिथि, किसी भी दिन नियोजित किए जाने वाले कर्मकारों की अधिकतम संख्या, कार्य की संभावित अवधि और समाप्ति की तिथि के संबंध में पंजिका में दर्ज की जाने वाली जानकारी होती है।

[40] श्रम कार्यालय, बद्दी: 185, श्रम कार्यालय, बिलासपुर: 172, श्रम कार्यालय, चंबा: 159, श्रम कार्यालय, कांगड़ा: 193, श्रम कार्यालय, किन्नौर: 115, श्रम कार्यालय, कुल्लू: 77, श्रम कार्यालय, मंडी: 278, श्रम कार्यालय, सिरमौर नाहन: 137, श्रम कार्यालय, रामपुर: 92, श्रम कार्यालय, शिमला: 169, श्रम कार्यालय, सोलन: 334, श्रम कार्यालय, ऊना: 273 व श्रम कार्यालय, हमीरपुर: 83

[41] श्रम कार्यालय, बिलासपुर व श्रम कार्यालय, कुल्लू।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यदि संबंधित बोर्ड/श्रम अधिकारी उपर्युक्त डेटाबेस बनाते तो इससे उपकर के निर्धारण व मिलान में तथा परियोजना के पूर्ण होने की तिथि एवं तदनुसार उपकर जमा करने की देय तिथि निर्धारित करने में सहायता मिलती, क्योंकि उपकर का मिलान न करने के कारण ₹ 226.52 करोड़ का अंतर देखा गया, जैसा कि **परिच्छेद 2.4.3.2** में चर्चा की गई है।

### 2.4.2.2 उपकर कटौतीकर्ताओं द्वारा उपकर विवरण के प्रस्तुतीकरण के एक समान प्रारूप का अभाव

उपकर अधिनियम, 1996 की धारा 3(2) में प्रावधान है प्रत्येक नियोक्ता से उपकर संग्रहित किया जाएगा, जिसमें सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के भवन या अन्य निर्माण कार्य के संबंध में स्रोत पर कटौती या स्थानीय प्राधिकरण के माध्यम से अग्रिम संग्रह शामिल है, जहां ऐसे भवन या अन्य निर्माण कार्य हेतु ऐसे स्थानीय प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन अपेक्षित है, जैसा कि विहित किया जा सके। हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) नियमावली, 2008 के नियम 261(1)(बी) में कहा गया है कि बोर्ड निधि की राशि जमा करने सम्बन्धी नीतियां बनाने के लिए जिम्मेदार होगा।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, हिमुडा[42] आदि जैसे उपकर कटौतीकर्ता, जिन्होंने भवन या अन्य निर्माण-कार्य के संबंध में स्रोत पर उपकर काटा था या उपकर एकत्र कर समय-समय पर बोर्ड के पास उपकर जमा कर रहे थे एवं श्रम कार्यालय के साथ-साथ बोर्ड को भी जानकारी भेज रहे थे, उनके पास उपकर विवरण के प्रस्तुतीकरण हेतु कोई समान प्रारूप नहीं था। इस प्रकार एक समान प्रारूप के अभाव में कटौतीकर्ताओं द्वारा दी गई जानकारी एक समान नहीं थी एवं इसमें केवल जमा किए गए उपकर की राशि तथा कुछ मामलों में हस्तांतरण का तरीका, ठेकेदार का नाम, उपकर कटौती की अवधि दी गई थी।

बोर्ड ने एक समान प्रारूप के संदर्भ में उपकर कटौतीकर्ताओं द्वारा सूचित करने के विषय में बताया (फरवरी 2023) कि ऐसा प्रारूप श्रम एवं रोजगार विभाग द्वारा तैयार किया जाना है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ऐसे प्रारूप में अभाव में बोर्ड को मिलान न होने, स्थापनाओं के क्षेत्राधिकार के विषय में अधूरी जानकारी, आदि जैसे मुद्दों का सामना करना पड़ रहा था, जैसा कि **परिच्छेद 2.4.3.4** में चर्चा की गई है। हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) नियमावली, 2008 के नियम 261 (1) (बी), जो बोर्ड को निधि की राशि जमा करने की नीतियां बनाने की शक्ति प्रदान करता है, उसके अनुसार एक समान प्रारूप बनाने की जिम्मेदारी बोर्ड की है।

[42] हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण (हिमुडा)।

### 2.4.3 एकत्रित उपकर का संग्रहण एवं हस्तांतरण

उपकर नियमावली, 1998 के नियम 4 में कहा गया है कि उद्ग्रहित उपकर का भुगतान नियोक्ता द्वारा निर्माण परियोजना पूर्ण होने के तीस दिनों के भीतर या देय उपकर के निर्धारण को अंतिम रूप दिए जाने की तिथि से तीस दिनों के भीतर, जो भी पहले हो, उपकर संग्रहकर्ता को किया जाएगा।

नियम 5(1) में प्रावधान है कि संग्रहित उपकर की आय ऐसे सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय प्राधिकरण या उपकर संग्रहकर्ता द्वारा राज्य की लेखा प्रक्रियाओं के अधीन, चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हों, विहित चालान के प्रारूप सहित (और बोर्ड के लेखा शीर्ष में) बोर्ड को हस्तांतरित की जाएगी।

बोर्ड द्वारा उपकर के संग्रहण एवं मिलान के संबंध में लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर अनुवर्ती परिच्छेदों में चर्चा की गई है।

#### 2.4.3.1 चेक व डिमांड ड्राफ्ट का पुनर्वैधीकरण न होने के कारण आय की हानि

**उपकर के ₹ 4.20 करोड़ के चेक/डिमांड ड्राफ्ट पुनर्वैधीकरण हेतु लंबित थे।**

वर्ष 2021-22 की बोर्ड की बैलेंस शीट की संवीक्षा से उजागर हुआ कि श्रम अधिकारियों से ₹ 4.20 करोड़ की राशि वसूली योग्य दर्शाई गई थी। वर्ष 2014-19 की अवधि के दौरान श्रम अधिकारियों/स्थापनाओं द्वारा बोर्ड को भेजे गए उपकर के चेक व डिमांड ड्राफ्ट से राशि की वसूली नहीं की गई क्योंकि शीर्षक में अंतर, अपर्याप्त निधि, तिथि बीत जाने/समय सीमा समाप्त होने, पूर्ण हस्ताक्षर की आवश्यकता होने पर चेक में परिवर्तन इत्यादि के कारण इन्हें बैंक ने अस्वीकृत कर दिया था। तदनुसार बोर्ड ने ये चेक सुधार/पुनर्वैधीकरण हेतु संबंधित श्रम अधिकारी/प्रेषक को वापस कर दिए परन्तु नवंबर 2022 तक ये चेक श्रम अधिकारी से वापस प्राप्त नहीं हुए। बोर्ड ने श्रम अधिकारियों को चेक के पुनर्वैधीकरण/सुधार एवं संबंधित स्थापनाओं द्वारा अस्वीकृत चेक के स्थान पर नए चेक भेजने का निर्देश दिया। परन्तु श्रम अधिकारियों द्वारा ₹ 4.20 करोड़ राशि के नए चेक/ डिमांड ड्राफ्ट प्राप्त नहीं किए गए। अतः मार्च 2022 तक ₹ 4.20 करोड़ के उपकर की वसूली नहीं हुई।

बोर्ड ने बताया (दिसंबर 2022) कि बोर्ड को स्थापनाओं से चेक व डिमांड ड्राफ्ट प्राप्त नहीं हुए। इन्हें श्रम कार्यालयों के माध्यम से भेजा गया क्योंकि सरकार श्रम अधिकारियों को बोर्ड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है, जो कि बोर्ड के सीधे नियंत्रण के अधीन नहीं होते। बोर्ड ने समय-समय पर इन चेकों के मिलान हेतु संबंधित श्रम अधिकारियों से अनुरोध किया था।

उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जाना चाहिए कि यद्यपि श्रम अधिकारी बोर्ड के नियंत्रण के अधीन नहीं हैं, फिर भी उन्हें नए चेक/डिमांड ड्राफ्ट के पुनर्वैधीकरण या प्राप्त करने के लिए श्रम एवं रोज़गार विभाग के साथ मामला उठाना चाहिए था। इसके अतिरिक्त श्रम अधिकारियों को सरकार द्वारा उपकर संग्रहकर्ता के रूप में नियुक्त किया गया है, अतः यह उनकी जिम्मेदारी है कि वे उपकर राशि का उचित संग्रह कर बोर्ड को हस्तांतरित करना सुनिश्चित करें।

### 2.4.3.2 उपकर का मिलान न करना

बोर्ड के सचिव ने सभी विभागों, निगमों, निजी फर्मों/एजेंसियों/ठेकेदारों आदि को उनके द्वारा संग्रहित उपकर को बोर्ड के बैंक खाते में आरटीजीएस/एनईएफटी[43] के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से बोर्ड को हस्तांतरित करने के निर्देश जारी किए (अगस्त 2018)। आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से निधियां हस्तांतरित करते समय लेखाओं के मिलान हेतु बोर्ड के साथ-साथ संबंधित श्रम अधिकारी को भी सूचना भेजी जानी थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि श्रम अधिकारियों सहित बोर्ड को सूचित करने की उपरोक्त प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया एवं इसीलिए वर्ष 2017-22 की अवधि के दौरान बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराए गए बोर्ड के बैंक खाते में संग्रहित/जमा किए गए उपकर के आंकड़ों व श्रम अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए उपकर संग्रहण विवरण में अत्यधिक अंतर रहा, जैसा कि **चार्ट 2.7** में दर्शाया गया है।

**चार्ट 2.7: बोर्ड एवं श्रम अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए उपकर संग्रहण का विवरण**

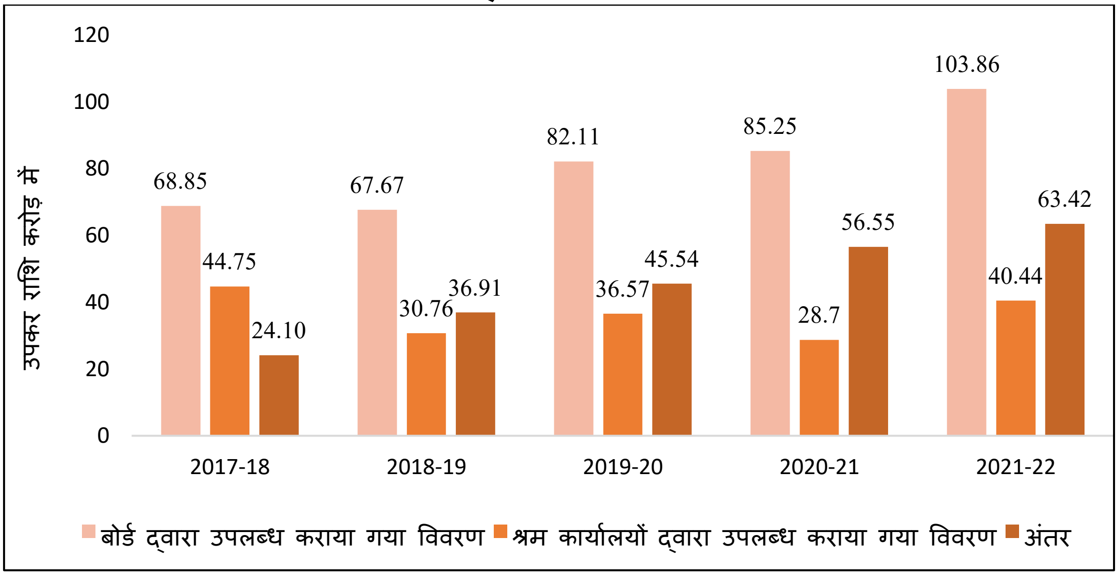


*स्रोत: श्रम अधिकारी व बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी।*

**चार्ट 2.7** से स्पष्ट है कि वर्ष 2017-22 की अवधि के उपकर आंकड़ों में ₹ 226.52 करोड़ का अंतर था। यह अंतर इसलिए था क्योंकि बोर्ड के लेखाओं में उपकर जमा करने की जानकारी संबंधित श्रम अधिकारी को नहीं दी गई थी। उपकर का लेखांकन बोर्ड के लेखाओं में तो किया

---

43 रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (आरटीजीएस), नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (एनईएफटी)।

गया परन्तु श्रम अधिकारियों के लेखाओं में नहीं, जो दर्शाता है कि बोर्ड के लेखाओं का श्रम अधिकारी के लेखाओं से मिलान नहीं किया गया। बोर्ड ने उपरोक्त अवधि हेतु श्रम अधिकारी-वार डेटाबेस बनाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की।

बोर्ड ने बताया (दिसंबर 2022) कि बोर्ड या श्रम एवं रोजगार विभाग में संग्रहित उपकर के मिलान हेतु कोई तंत्र विकसित नहीं किया गया है।

उपकर मिलान प्रक्रिया विकसित न करना बोर्ड व विभाग द्वारा उपकर संग्रहण एवं मिलान की एकीकृत प्रणाली तैयार करने में विफलता को दर्शाता है। नियोक्ता द्वारा जमा किए गए उपकर सम्बन्धी जानकारी के अभाव में संबंधित उपकर संग्रहकर्ता-सह-श्रम अधिकारी यह सत्यापित नहीं कर सके कि नियोक्ता/स्थापना द्वारा उपकर की देय राशि जमा की गई थी या नहीं।

### 2.4.3.3 उपकर काटा गया परन्तु निधि में जमा नहीं किया गया

उपकर नियमावली, 1998 के नियम 5 में प्रावधान है कि संग्रहित उपकर की आय को उपकर संग्रहण प्राधिकारियों द्वारा राज्य की लेखा प्रक्रियाओं के अंतर्गत संग्रहण के 30 दिनों के भीतर बोर्ड को हस्तांतरित कर दिया जाएगा।

नगर निगमों के अभिलेखों की नमूना-जांच के दौरान लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2017-22 के दौरान नगर निगम मनाली, जिला कुल्लू ने विभिन्न विकास कार्यों के निर्माण एवं मरम्मत/रखरखाव के उद्देश्यार्थ ₹ 8.26 करोड़ का व्यय किया। वर्ष 2017-22 के दौरान कार्यालय ने ठेकेदार के प्रत्येक बिल से ₹ 8.26 लाख की राशि का एक प्रतिशत उपकर काटा परन्तु यह राशि नगर निगम कार्यालय के बैंक खाते में रखी गई, जिसे मार्च 2023 तक बोर्ड व सरकारी कोषागार में जमा नहीं किया गया। साथ ही, कार्यालय ने उपकर पंजिका का अनुरक्षण अप्रैल 2020 से ही आरंभ किया।

नगर निगम, मनाली ने बताया कि उपकर की राशि बोर्ड में जमा नहीं की गई एवं जनशक्ति की कमी के कारण रिकॉर्ड नहीं रखा जा सका (दिसंबर 2022)। नगर निगम, कुल्लू ने बताया (मई 2023) कि इस संबंध में नगर निगम, मनाली के कार्यकारी अधिकारी को नोटिस दिया जाएगा।

### 2.4.3.4 उपकर कटौतीकर्ताओं द्वारा उपकर के हस्तांतरण में पाई गई कमियां

उपकर अधिनियम, 1996 की धारा 3(2) में प्रावधान है कि सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के निर्माण कार्य के लिए स्रोत पर कटौती या स्थानीय प्राधिकरण के माध्यम से अग्रिम संग्रहण सहित प्रत्येक नियोक्ता से उपकर एकत्र किया जाएगा।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि उपकर कटौतीकर्ता समय-समय पर बोर्ड में उपकर जमा कर रहे थे। हालांकि उपकर कटौतीकर्ताओं द्वारा दी गई जानकारी में प्रत्येक निर्माण कार्यों/स्थापनाओं का पूर्ण विवरण नहीं था तथा बोर्ड कार्यालय जमा किए गए उपकर की राशि का मिलान नहीं कर सका जिसके परिणामस्वरूप निम्नलिखित कमियां देखी गईं।

**तालिका 2.2: 2017-22 के दौरान पूर्ण जानकारी के बिना जमा किए गए उपकर का विवरण**

**(₹ करोड़ में)**

| कमियां | उपकर राशि /स्थापनाओं की संख्या | बोर्ड का उत्तर |
|---|---|---|
| **संबंधित श्रम अधिकारी का क्षेत्राधिकार ज्ञात नहीं है** | 13.24 / 28 | बोर्ड ने बताया (दिसंबर 2022) कि उसने विवरण उपलब्ध कराने के लिए बैंक प्राधिकारियों से संपर्क किया था, परन्तु जमाकर्ताओं का पूर्ण विवरण ना देते हुए केवल स्थापना व बैंक शाखा का नाम उपलब्ध कराया गया। |
| **स्थापनाओं/नियोक्ताओं के विषय में जानकारी के अभाव में उपकर को उचंत शीर्ष में रखा गया** | 112.39/अनुपलब्ध* | बोर्ड ने बताया (नवंबर 2022) कि जानकारी श्रम अधिकारियों से संबंधित है परन्तु श्रम अधिकारियों का उत्तर प्रतीक्षित है। |
| **कार्य निष्पादन एजेंसियों से प्राप्त सूचना पत्रों में स्थापनाओं/निर्माण कार्य के विषय में जानकारी का अभाव** | 2.37/अनुपलब्ध* | बोर्ड ने बताया (जनवरी 2023) कि अधिनियम की धारा 22, जो बोर्ड के कार्य को परिभाषित करती है, उपकर संग्रहण या निर्धारण, आदि से संबंधित नहीं है। इसके अतिरिक्त मामला श्रम अधिकारी-सह-उपकर संग्रहकर्ता-सह-निर्धारण अधिकारी से संबंधित है जो बोर्ड के नियंत्रणाधीन कार्य नहीं कर रहे हैं। साथ ही बैंक विवरणी से उपकर के विषय में सटीक आवश्यक जानकारी प्राप्त करना संभव नहीं है। |
| **संग्रह प्रभार[44] के साथ बोर्ड के खाते में उपकर जमा किया गया** | 1.39 (उपकर: ₹ 1.38 करोड़, संग्रहण प्रभार: ₹ 0.01 करोड़) / 41 | बोर्ड ने बताया (फरवरी 2023) कि उपकर के संग्रहण एवं संग्रहण प्रभार की कटौती की जिम्मेदारी श्रम एवं रोजगार विभाग के श्रम अधिकारियों की है तथा मामला श्रम एवं रोजगार विभाग से संबंधित है। |

** स्थापनाओं की संख्या का विवरण उपलब्ध नहीं है।*

उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि बोर्ड ने उचंत शीर्ष में रखी गई बड़ी राशि के समायोजन हेतु कोई प्रयास नहीं किया बल्कि उपकर कटौतीकर्ताओं को स्थापनाओं की पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश भी जारी नहीं किए। साथ ही वर्ष 2017-22 के दौरान बोर्ड संग्रहण शुल्क को सरकारी कोषागार में हस्तांतरित नहीं कर रहा था। बोर्ड के अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान ₹ एक लाख का संग्रहण प्रभार पाया गया, जो सरकारी कोषागार में जमा नहीं किया गया था।

---

[44] संग्रहण प्रभार संग्रहित उपकर के एक प्रतिशत की दर से संग्रहित कर सरकारी कोषागार में जमा किया जाएगा।

अंतिम बैठक में सचिव ने बोर्ड को निर्देश दिया (अक्टूबर 2023) कि उन इकाइयों व स्थानों से सम्बंधित सही जानकारी एकत्र की जाए जहां से उपकर जमा किया जा रहा है तथा उचंत शीर्ष का समायोजन किया जाए।

#### 2.4.3.5 सरकारी कार्य निष्पादन एजेंसियों द्वारा बोर्ड में उपकर जमा करने में विलम्ब

उपकर नियमावली, 1998 के नियम 5 में यह प्रावधान है कि उपकर संग्रहण प्राधिकारी संग्रहित उपकर को संग्रहण के 30 दिनों के भीतर बोर्ड को हस्तांतरित करेंगे।

नियम 12 में यह प्रावधान है कि यदि निर्धारण अधिकारी को ऐसा प्रतीत होता है कि नियोक्ता ने निर्धारण आदेश में निर्दिष्ट तिथि के भीतर उपकर का भुगतान नहीं किया है या स्रोत पर काटे गए उपकर या अग्रिम भुगतान सहित कम उपकर का भुगतान किया है, तो वह ऐसे नियोक्ता को नोटिस जारी करेगा कि यह बकाया समझा जाएगा और ऐसा निर्धारण अधिकारी, ऐसी जांच के पश्चात्, जैसा वह ठीक समझे, ऐसे नियोक्ता पर शास्ति, जो उपकर की उक्त राशि से अधिक न हो, अधिरोपित कर सकता है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि सरकारी कार्य निष्पादन एजेंसियां (लोक निर्माण विभाग, हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण इत्यादि) बिलों के भुगतान के समय ठेकेदारों के बिलों से उपकर काट रही हैं तथा बोर्ड को सूचित करते हुए आरटीजीएस, चेक या बैंक डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से एकल हस्तांतरण द्वारा संचित उपकर राशि को बोर्ड के बैंक खातों में जमा करा रही हैं। नमूना-जांचित कार्य निष्पादन एजेंसियों[45] में पाया गया कि 2017-22 के दौरान ₹ 5.14 करोड़[46] की उपकर राशि एक से 420 दिनों तक के विलम्ब से जमा की गई थी।

साथ ही, बोर्ड/श्रम कार्यालयों ने न तो कोई कार्रवाई की एवं न ही कार्य निष्पादन एजेंसियों को निर्धारित समयसीमा के भीतर उपकर जमा करने के कोई निर्देश जारी किए।

इसके अतिरिक्त इन निर्माण कार्यों हेतु निर्धारण अधिकारियों द्वारा कोई निर्धारण आदेश जारी नहीं किए गए इसलिए उपकर जमा करने की अंतिम तिथि निर्दिष्ट नहीं की गई एवं उपकर जमा करने में विलम्ब पर मांगी गई शास्ति का लेखापरीक्षा द्वारा पता नहीं लगाया जा सका।

बोर्ड ने बताया (फरवरी 2023) कि ऐसा मामला विभाग के श्रम आयुक्त से संबंधित है क्योंकि श्रम अधिकारी-सह-उपकर संग्रहकर्ता-सह-कर निर्धारण अधिकारी श्रम आयुक्त के नियंत्रण में कार्य कर रहे हैं।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह राशि बोर्ड के बैंक खाते में जमा की जानी थी, इसलिए यह बोर्ड का कर्तव्य था कि वह उपकर समय पर जमा कराने के लिए विभाग के साथ समन्वय स्थापित करे।

---

[45] लोक निर्माण विभाग कुल्लू, लोक निर्माण विभाग बंजार, लोक निर्माण विभाग बड़सर

[46] श्रम अधिकारी बिलासपुर: ₹ 3.22 करोड़, श्रम अधिकारी कुल्लू: ₹ 1.92 करोड़

## 2.5 स्वास्थ्य एवं सुरक्षा मानदंड

अधिनियम का अध्याय VII नियोक्ताओं द्वारा अपनाए जाने वाले सुरक्षा एवं स्वास्थ्य उपाय प्रदान करता है तथा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकारों की सुरक्षा व स्वास्थ्य हेतु नियम बनाने के लिए उपयुक्त सरकार की शक्ति निर्धारित करता है। हिमाचल प्रदेश भवन निर्माण एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार नियमावली, 2008 का नियम 296 भवन कर्मकारों की सुरक्षा, स्वास्थ्य व कल्याण हेतु निर्माण-स्थलों के निरीक्षण के लिए निरीक्षक की शक्तियों को निर्धारित करता है।

### 2.5.1 दुर्घटना स्थलों का निरीक्षण

अधिनियम की धारा 39 में यह प्रावधान है कि (1) जहां किसी स्थापना में कोई ऐसी दुर्घटना होती है, जो मृत्यु कारित हो या कोई ऐसी शारीरिक क्षति कारित हो, जिसके कारण क्षतिग्रस्त व्यक्ति दुर्घटना होने के ठीक पश्चात् 48 घंटे या उससे अधिक की अवधि के लिए काम नहीं कर पाता है, या जो ऐसी प्रकृति की है, जो विहित की जाए, तो नियोक्ता इसकी सूचना ऐसे प्राधिकारी को ऐसे प्रारूप में और ऐसे समय के भीतर देगा, जो विहित किया जाए। (2) सूचना प्राप्त होने पर प्राधिकारी ऐसी जांच या पूछताछ कर सकता है, जो वह आवश्यक समझे।

धारा 47 में यह प्रावधान है कि जो कोई भी भवन सन्निर्माण कर्मकारों की सुरक्षा व स्वास्थ्य के किन्ही नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन माह तक की हो सकती है, या जुर्माने से, जो दो हज़ार रूपए तक हो सकता है, या दोनों से और किसी उल्लंघन के जारी रहने की दशा में, अतिरिक्त जुर्माने से, जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसा उल्लंघन, ऐसे प्रथम उल्लंघन के लिए दोषसिद्धि के पश्चात् जारी रहता है, एक सौ रूपए तक का हो सकता है, दंडनीय होगा।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि नमूना-जांचित श्रम कार्यालयों के छः निर्माण-स्थलों पर पुल से गिरने, बिजली का झटका लगने, कर्मकारों पर पत्थर गिरने इत्यादि के कारण 10 कर्मकारों की आकस्मिक मृत्यु[47] के संदर्भ में संबंधित श्रम अधिकारी को नियोक्ताओं ने सूचना दी। यह पाया गया कि तीन निर्माण स्थलों पर न तो संबंधित श्रम अधिकारी एवं न ही संबंधित श्रम निरीक्षक ने दुर्घटनाओं से पहले या बाद में निरीक्षण किया था। श्रम अधिकारी/श्रम निरीक्षक ने दुर्घटनाओं के उपरांत उनके कारणों का पता लगाने के लिए कोई जांच या पूछताछ नहीं की। परिणामस्वरूप इन निर्माण स्थलों पर सुरक्षा उपायों की कमी को इंगित करने या उन्हें सुधारने तथा उपर्युक्त अधिनियम की धारा 47 के तहत नियोक्ता के विरुद्ध उचित कार्रवाई/अभियोजन की कोई संभावना नहीं रही।

---

[47] श्रम अधिकारी कुल्लू: पांच निर्माण-स्थलों पर आठ मृत्यु, श्रम अधिकारी बिलासपुर: एक निर्माण-स्थल पर दो मृत्यु

श्रम अधिकारी, कुल्लू ने उसके प्रत्युत्तर (मई 2023) में यह नहीं बताया कि इन स्थलों का निरीक्षण किया गया था या नहीं तथा लेखापरीक्षा को इन निर्माण स्थलों की कोई निरीक्षण रिपोर्ट भी नहीं मिली। श्रम अधिकारी, बिलासपुर यह बताने के बाद (अप्रैल 2023) कि निरीक्षण किए गए थे, कोई निरीक्षण रिपोर्ट उपलब्ध कराने में विफल रहा।

भवन सन्निर्माण कर्मकारों की सुरक्षा व स्वास्थ्य के संदर्भ में यदि इन निर्माण स्थलों का निरीक्षण दुर्घटना से पहले किया जाता तो इन निर्माण स्थलों पर सुरक्षा मानकों को बढ़ाने में सहायता मिलती तथा भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोका जा सकता था। इसके अतिरिक्त 26 स्थलों के संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान पाया गया कि आठ निर्माण स्थलों में कर्मकारों को कोई सुरक्षा उपकरण नहीं दिए गए, जैसा कि अनुवर्ती परिच्छेद में चर्चा की गई है।

### 2.5.2 संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान पाया गया सुविधाओं का अभाव

लेखापरीक्षा ने दिसंबर 2022 से फरवरी 2023 के दौरान 26 निर्माण स्थलों/स्थापनाओं का संयुक्त भौतिक निरीक्षण किया। इनमें से नौ स्थापना पंजीकृत थे, 14 निर्माण स्थल अपंजीकृत पाए गए जबकि तीन स्थल ऐसे थे जहां दुर्घटना हुई थी।

**आकृति 2.1: संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान लेखापरीक्षा में पाई गई कमियों का विवरण**

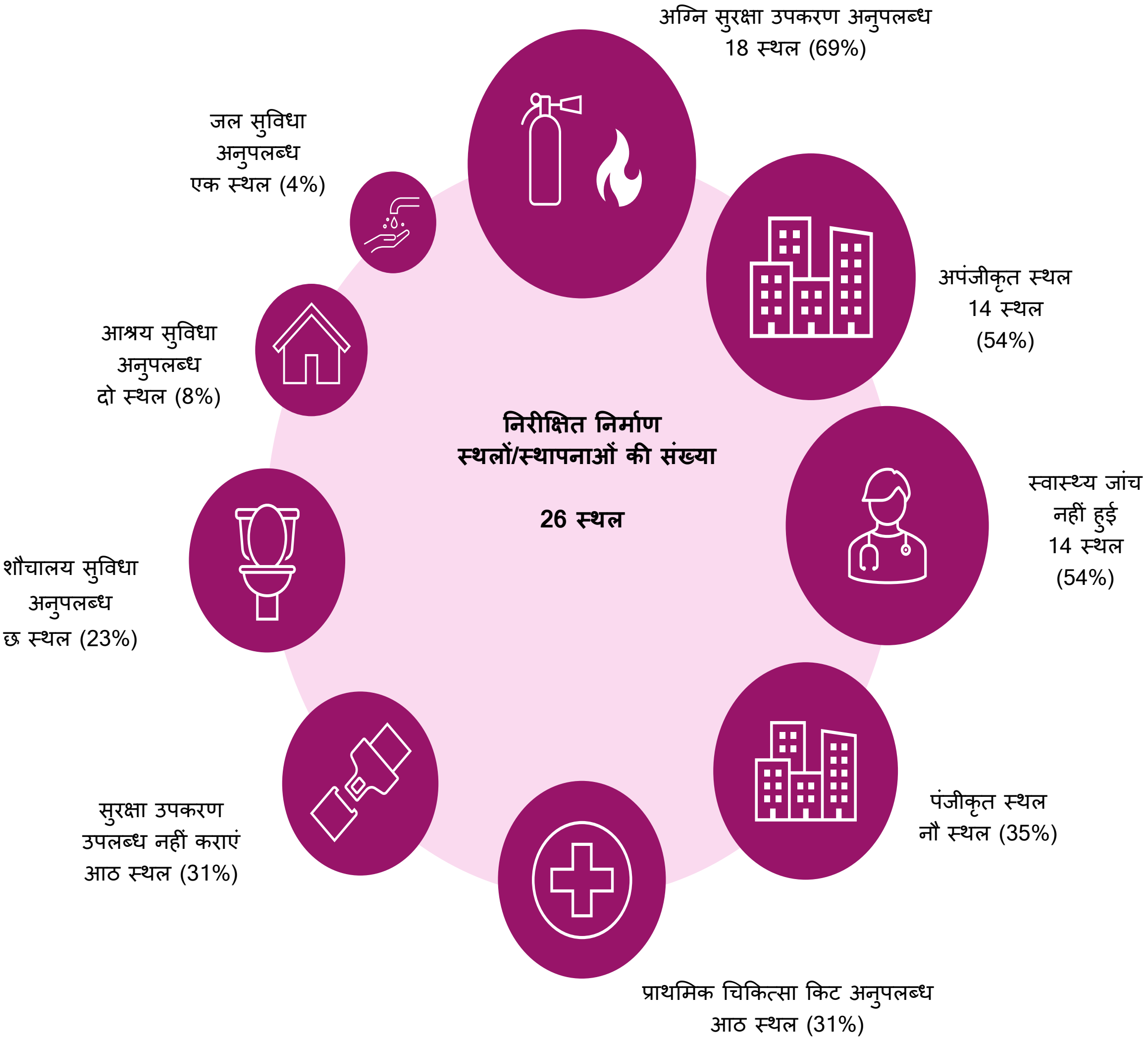

उपरोक्त आकृति से स्पष्ट है कि:

(I) 69 प्रतिशत स्थलों पर अग्नि सुरक्षा उपकरण नहीं थे, जबकि 31 प्रतिशत स्थलों पर कर्मकारों को सुरक्षा उपकरण उपलब्ध नहीं कराए गए।

(II) 54 प्रतिशत स्थलों पर कर्मकारों की स्वास्थ्य जांच नहीं की गई एवं 31 प्रतिशत निर्माण-स्थलों पर प्राथमिक चिकित्सा किट उपलब्ध नहीं थी।

(III) शौचालय सुविधा, आश्रय सुविधा व पेयजल सुविधा जैसी बुनियादी सुविधाएं क्रमशः 23 प्रतिशत, आठ प्रतिशत व चार प्रतिशत स्थलों में उपलब्ध नहीं कराई गईं।

निर्माण स्थलों के संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान गंदे आश्रय स्थल, शौचालय सुविधाओं व सुरक्षा उपकरणों की कमी भी पाई गई, जैसा कि नीचे चित्रों में दर्शाया गया है:

**निर्माण स्थलों पर गंदे शौचालय**

**चित्र 2.5: हमीरपुर में सुक्कर खड्ड पर ओवरब्रिज के निर्माण स्थल पर खुला शौचालय**

**चित्र 2.6: बाजौरा, कुल्लू में 50 बिस्तरों वाले अस्पताल के निर्माण स्थल पर खुले शौचालय**

**चित्र 2.7: बैडमिंटन हॉल, कुल्लू के निर्माण-स्थल पर गंदे शौचालय**

**चित्र 2.8: सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, बंजार के निर्माण-स्थल पर गंदे शौचालय**

**कर्मकारों को सुरक्षा उपकरण उपलब्ध नहीं कराए गए**

चित्र 2.9: मिनी सचिवालय, घुमारवीं, हमीरपुर स्थित निर्माण स्थल पर बिना हेलमेट, सुरक्षा जैकेट, दस्ताने पहने कार्यरत कर्मकार

चित्र 2.10: जीडीसी, कुल्लू के निर्माण स्थल पर बिना सुरक्षा हेलमेट, सुरक्षा जैकेट, हाथ के दस्ताने पहने कार्यरत कर्मकार

**निर्माण-स्थल पर कर्मकारों के गंदे आवास**

चित्र 2.11: सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, बंजार के निर्माण स्थल पर कमरे के अंदर बाथरूम सहित बिना हवादार रहने का कमरा

चित्र 2.12: राजकीय डिग्री कॉलेज, गाड़ागुशैणी, कुल्लू के निर्माण स्थल पर कर्मकारों के लिए बिना हवादार कमरे

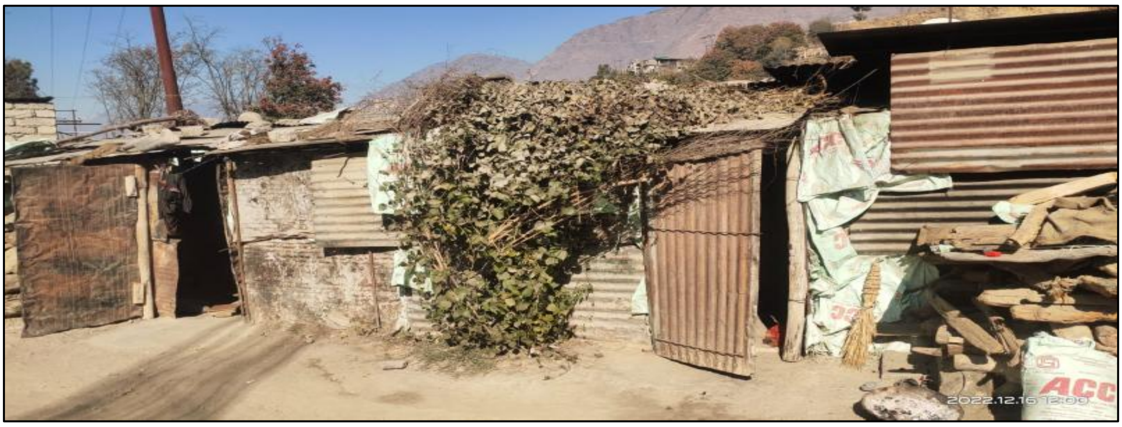

चित्र 2.13: बाजौरा, कुल्लू में 50 बिस्तरों वाले आयुष सोवा-रिग्पा अस्पताल के निर्माण स्थल पर बिना हवादार रहने के कमरे

अंतिम बैठक (अक्टूबर 2023) में सचिव ने स्वास्थ्य एवं सुरक्षा मानदंडों पर लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर सहमति व्यक्त करते हुए निर्माण स्थलों की अस्वच्छ स्थितियों पर ध्यान दिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों के साथ चर्चा करने के पश्चात् लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर सुधारात्मक कार्रवाई करने पर सहमति दी।

## 2.6 विभागीय निरीक्षण

अधिनियम की धारा 42(2) व (3) में कहा गया है कि राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, उस सरकार के किसी राजपत्रित अधिकारी को भवन एवं सन्निर्माण के निरीक्षण के लिए मुख्य निरीक्षक नियुक्त कर सकेगी जो उस राज्य में इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने के लिए उत्तरदायी होगा और ऐसी स्थापनाओं के संबंध में जिनके लिए राज्य सरकार समुचित सरकार है, संपूर्ण राज्य में इस अधिनियम के अधीन एक निरीक्षक की शक्तियों का प्रयोग भी करेगा। समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए इतने अधिकारियों को जितने वह ठीक समझे निरीक्षक नियुक्त कर सकती है और उन्हें ऐसी स्थानीय सीमाएं, जो वह ठीक समझे, समनुदेशित कर सकती है।

तदनुसार, राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर (अप्रैल 2009[48]) संपूर्ण राज्य के लिए श्रम आयुक्त, हिमाचल प्रदेश को "मुख्य निरीक्षक", संयुक्त श्रम आयुक्त एवं उप-श्रम आयुक्त को "निरीक्षक" नियुक्त किया तथा अधिनियम के प्रयोजनार्थ श्रम अधिकारियों व श्रम निरीक्षकों को उनके संबंधित क्षेत्राधिकार में "निरीक्षक" नियुक्त किया।

### 2.6.1 राज्य में निरीक्षण हेतु कार्मिकों की स्थिति

राज्य में अधिनियम के तहत निरीक्षक के रूप में नियुक्त श्रम अधिकारियों/श्रम निरीक्षकों के स्वीकृत पदों की संख्या **तालिका 2.3** में दी गई है।

**तालिका 2.3: मार्च 2022 तक राज्य में निरीक्षकों के स्वीकृत पद**

| क्र. सं. | पद नाम | स्वीकृत पद | पदस्थ कर्मी | रिक्ति (प्रतिशत) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | श्रम अधिकारी | 12 | 12 | 0 |
| 2 | श्रम निरीक्षक | 33 | 25 | 8 (24) |
| **योग** | | **45** | **37** | **8** |

*स्रोत: विभाग द्वारा दी गई जानकारी।*

स्पष्ट है कि मार्च 2022 तक राज्य में श्रम निरीक्षकों के 33 स्वीकृत पदों में से विभाग में आठ पद (24 प्रतिशत) रिक्त थे। कार्मिकों की कमी निरीक्षण के लक्ष्यों की प्राप्ति न होने, स्थापनाओं व कर्मकारों का पंजीकरण न होने तथा स्वास्थ्य व सुरक्षा मानदंडों का अनुपालन न

[48] अधिसूचना संख्या श्रम (ए)4-6/2007-बीओसीडब्ल्यू-पीटी-II, दिनांक 30 अप्रैल 2009

होने में परिणत होती है, जैसा कि संयुक्त भौतिक निरीक्षण एवं लाभार्थी सर्वेक्षण के दौरान देखा गया, साथ ही इससे मौजूदा कार्मिकों पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है।

### 2.6.2 निर्माण स्थलों का निरीक्षण

हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) नियमावली, 2008 के नियम 296 के अनुसार एक निरीक्षक (श्रम अधिकारी/श्रम निरीक्षक) अधिनियम/नियमों के तहत प्रदत सन्निर्माण कर्मकारों की सुरक्षा, स्वास्थ्य या कल्याण के संदर्भ में भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य हेतु प्रयुक्त निर्माण स्थल या स्थान या परिसर की जांच कर सकता है।

विभाग ने अधिनियम एवं उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत निरीक्षण प्रोफार्मा निर्धारित किया है एवं श्रम अधिकारी व श्रम निरीक्षक के लिए निरीक्षण का लक्ष्य भी तय किया है। श्रम अधिकारियों व श्रम निरीक्षकों द्वारा किए गए निरीक्षणों का विवरण विभाग को प्रस्तुत किया जाता है।

#### 2.6.2.1 लक्ष्य में संशोधन न करना

सितंबर 2011 के दौरान विभाग के श्रम आयुक्त ने निरीक्षण तंत्र के सुदृढ़ीकरण हेतु नए अंचल/सर्कल बनाकर उस समय के कार्मिकों का विश्लेषण करने के पश्चात् निरीक्षण के लक्ष्य निर्धारित किए थे, तब से आज तक (मार्च 2023) निरीक्षण लक्ष्य संशोधित नहीं किए गए, जबकि बोर्ड को प्रेषित बढ़े हुए उपकर से देखा जा सकता है कि इस अवधि के दौरान राज्य में सन्निर्माण गतिविधियों में वृद्धि हुई है।

विभाग ने बताया (जनवरी 2023) कि अधिनियम के तहत लक्ष्यों को निरीक्षण प्राधिकारियों/उपकर संग्रहकर्ताओं अर्थात श्रम अधिकारियों व श्रम निरीक्षकों की अनुशंसा/प्रस्ताव के अनुसार संशोधित किया जाना था। विभाग उनका प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात् लक्ष्य संशोधित करेगा।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अधिनियम/नियमों के साथ-साथ उपकर अधिनियम/नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण महत्वपूर्ण पहलू हैं, ताकि यह देखा जा सके कि सभी सन्निर्माण कार्य/कर्मकार पंजीकृत हैं तथा उपकर संग्रहित किया जाता है। हालांकि इस संबंध में विभाग ने श्रम अधिकारियों/श्रम निरीक्षकों से प्रस्ताव/अनुशंसाएं प्राप्त करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की।

#### 2.6.2.2 निरीक्षण के लक्ष्य की प्राप्ति में कमी

वर्ष 2017-22 के दौरान राज्य में अधिनियम के तहत स्थापनाओं/निर्माण स्थलों के निरीक्षण के निर्धारित लक्ष्य तथा श्रम अधिकारियों/श्रम निरीक्षकों द्वारा की गई लक्ष्य प्राप्ति का विवरण निम्नानुसार है:

**तालिका 2.4: राज्य में श्रम अधिकारी/श्रम निरीक्षक द्वारा किए गए निरीक्षणों का विवरण**

| वर्ष | निरीक्षण का लक्ष्य | किए गए निरीक्षणों की संख्या | कमी (प्रतिशत में) |
|---|---|---|---|
| **2017-18** | 1,860 | 712 | 1,148 (62) |
| **2018-19** | 1,860 | 705 | 1,155 (62) |
| **2019-20** | 1,860 | 620 | 1,240 (67) |
| **2020-21** | 1,860 | 484 | 1,376 (74) |
| **2021-22** | 1,860 | 448 | 1,412 (76) |
| **कुल** | **9,300** | **2,969** | **6,331 (68)** |

स्रोत: विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी।

वर्ष 2017-22 के दौरान राज्य में श्रम अधिकारियों/श्रम निरीक्षकों हेतु निर्धारित 9,300 निरीक्षणों के कुल लक्ष्य के प्रति अधिकारियों ने मात्र 2,969 निरीक्षण (32 प्रतिशत) किए एवं वार्षिक लक्ष्यों के प्रति 62 से 76 प्रतिशत तक की कमी देखी गई।

चयनित श्रम अधिकारी/श्रम निरीक्षक कार्यालयों में श्रम अधिकारियों व श्रम निरीक्षक द्वारा किए गए निरीक्षणों में भी कमी देखी गई, जैसा कि **तालिका 2.5** में विवर्णित है:

**तालिका 2.5: 2017-22 के दौरान चयनित श्रम अधिकारी/श्रम निरीक्षक कार्यालयों में श्रम अधिकारियों व श्रम निरीक्षक द्वारा किए गए निरीक्षणों का विवरण**

| इकाई का नाम | निरीक्षण का लक्ष्य | किए गए निरीक्षणों की संख्या | कमी (प्रतिशत में) |
|---|---|---|---|
| **श्रम अधिकारी, बिलासपुर** | 480 | 56 | 424 (88) |
| **श्रम अधिकारी, कुल्लू** | 540 | 175 | 365 (68) |
| **श्रम निरीक्षक, हमीरपुर** | 240 | 47 | 193 (80) |
| **कुल** | **1,260** | **278** | **982 (78)** |

स्रोत: चयनित श्रम कार्यालयों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी।

**तालिका 2.5** से स्पष्ट है कि वर्ष 2017-22 की अवधि के दौरान चयनित श्रम अधिकारी/श्रम निरीक्षक कार्यालयों के निरीक्षणों में 68 से 88 प्रतिशत की कमी थी।

विभाग ने बताया (नवंबर 2022) कि निरीक्षणों में कमी का कारण उच्चतर लक्ष्य निर्धारित करना था। श्रम अधिकारी, कुल्लू ने बताया (दिसंबर 2022) कि क्षेत्र में प्रक्रियाधीन निर्माण स्थलों की संख्या सीमित है और अत्यधिक कार्य दबाव के कारण इन स्थलों का बार-बार दौरा नहीं किया जा सकता, साथ ही वर्ष 2018 से श्रम निरीक्षक का पद भी रिक्त है। श्रम अधिकारी, बिलासपुर ने बताया (जनवरी 2023) कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। श्रम निरीक्षक, हमीरपुर ने बताया (फरवरी 2023) कि कार्यालय में अत्यधिक कार्य होने के कारण निरीक्षण का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका।

अंतिम बैठक में सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिया (अक्टूबर 2023) कि वे अपेक्षित निरीक्षण समय पर करें एवं प्रत्येक निर्माण-स्थल की निरीक्षण रिपोर्ट बोर्ड को प्रस्तुत करें ताकि आगे डेटाबेस का संकलन किया जा सके।

### 2.6.2.3 निरीक्षण टिप्पणियों/पंजिकाओं का अभाव

लेखापरीक्षा में पाया गया कि चयनित श्रम अधिकारी/श्रम निरीक्षक कार्यालयों में विभाग के निर्धारित प्रारूप में आवश्यक टिप्पणियां तथा निरीक्षण प्राधिकारियों द्वारा किए गए निरीक्षणों से सम्बंधित पंजिकाएं अभिलेख में नहीं थीं, जिससे लेखापरीक्षा में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि निरीक्षण किए गए या नहीं, साथ ही निरीक्षकों ने यदि कोई कमियां इंगित की थी, तो उनके सुधार की प्रगति का पता नहीं लगाया जा सका तथा इससे यह जोखिम है कि संपूर्ण प्रक्रिया निष्फल हो सकती है।

श्रम निरीक्षक, हमीरपुर ने बताया (फरवरी 2023) कि कार्य की अधिकता के कारण निरीक्षण पंजिका का अनुरक्षण नहीं किया जा सका। श्रम अधिकारी, बिलासपुर ने बताया (फरवरी 2023) कि भविष्य में पंजिका/निरीक्षण टिप्पणियों का अनुरक्षण किया जाएगा।

अंतिम बैठक में सचिव ने निरीक्षकों को निरीक्षण टिप्पणियां अनुरक्षित करने के निर्देश दिए (अक्टूबर 2023)।

### 2.6.2.4 निरीक्षण की अप्रभावी प्रणाली

लेखापरीक्षा में निरीक्षण प्रणाली में निम्नलिखित कमियां पाई गईं:

(I) विभाग ने निर्माण-स्थलों के आकार के अनुसार कोई जोखिम-आधारित आकलन नहीं किया।

(II) विभाग ने स्थानीय प्राधिकरणों जैसे नगर-निगमों, नगर एवं ग्राम नियोजन, आदि द्वारा अनुमोदित बड़ी निर्माण परियोजनाओं के निरीक्षण एवं पंजीकरण हेतु भी कोई प्रणाली विकसित नहीं की। वास्तव में, विभाग के पास स्थानीय निकायों जैसे अन्य प्राधिकरणों से उन परियोजनाओं के संदर्भ में जानकारी प्राप्त करने/साझा करने का कोई तंत्र नहीं था, जिनके लिए निकायों ने मंजूरी दी थी, जैसा कि **परिच्छेद 2.4.1.3** में चर्चा की गई है। लेखापरीक्षा द्वारा किए गए संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान 14 अपंजीकृत निर्माण स्थल देखे गए, जैसा कि **परिच्छेद 2.3.3** में चर्चा की गई है।

(III) चयनित श्रम कार्यालयों में कार्य-स्थल पर आकस्मिक मृत्यु के मामले देखे गए, परन्तु निरीक्षक ने इन स्थापनाओं का कोई निरीक्षण नहीं किया, जैसा कि **परिच्छेद 2.5.1** में चर्चा की गई है।

## 2.7 निधि का प्रशासन एवं उपयोग

अधिनियम की धारा 18 एवं हिमाचल प्रदेश भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) नियमावली, 2008 के नियम 251 में भवन एवं सन्निर्माण कर्मकारों को कल्याणकारी उपाय व सुविधाएं प्रदान करने के लिए बोर्ड के गठन का प्रावधान किया गया है। हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) नियमावली, 2008 के नियम 251(2) के अनुसार आधिकारिक सदस्यों के अतिरिक्त बोर्ड के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल उनकी नियुक्ति की तिथि से तीन वर्ष होगा, बशर्ते कि सदस्य उनके उत्तराधिकारियों की नियुक्ति होने तक पद पर बने रह सकते हैं।

हिमाचल प्रदेश सरकार ने पहली बार मार्च 2009 में बोर्ड का गठन किया, तदोपरांत वर्ष 2012, 2016[49], 2018 व 2022 में इसका पुनर्गठन किया गया।

इसके अतिरिक्त, हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन विनियमन एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2008 का नियम 265 "हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण निधि" नामक एक निधि के गठन का प्रावधान करता है, जिसका प्रशासन बोर्ड द्वारा किया जाएगा। अधिनियम की धारा 22 में प्रावधान है कि इस निधि का उपयोग कल्याणकारी योजनाओं के लिए किया जाएगा एवं धारा 24 बोर्ड के प्रशासनिक व्यय का प्रावधान करती है।

बोर्ड की कार्यप्रणाली पर लेखापरीक्षा टिप्पणियां अनुवर्ती परिच्छेद में दी गई हैं।

### 2.7.1 बोर्ड की बैठकों के आयोजन में कमी

हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) नियमावली, 2008 के नियम 253 में प्रावधान है कि बोर्ड के कम से कम एक तिहाई सदस्यों से लिखित में मांग प्राप्त होने पर अध्यक्ष पंद्रह दिनों के भीतर बैठक रखेगा अन्यथा बोर्ड की बैठक साधारण रूप से दो माह में एक बार होगी।

नियम 257 में यह प्रावधान है कि बोर्ड की बैठक में विचारार्थ रखे गए प्रत्येक प्रश्न का निर्णय उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा तथा बराबर मतों की दशा में अध्यक्ष के पास निर्णायक मत होगा जिसका वह प्रयोग कर सकेगा।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2017-22 के दौरान बोर्ड की बैठकें नियमित रूप से आयोजित नहीं की गईं, जैसा कि **चार्ट 2.8** में दर्शाया गया है।

[49] केवल अध्यक्ष एवं कर्मचारी प्रतिनिधियों की नियुक्ति की गई।

**चार्ट 2.8: 2017-22 के दौरान आयोजित बोर्ड की बैठकें**

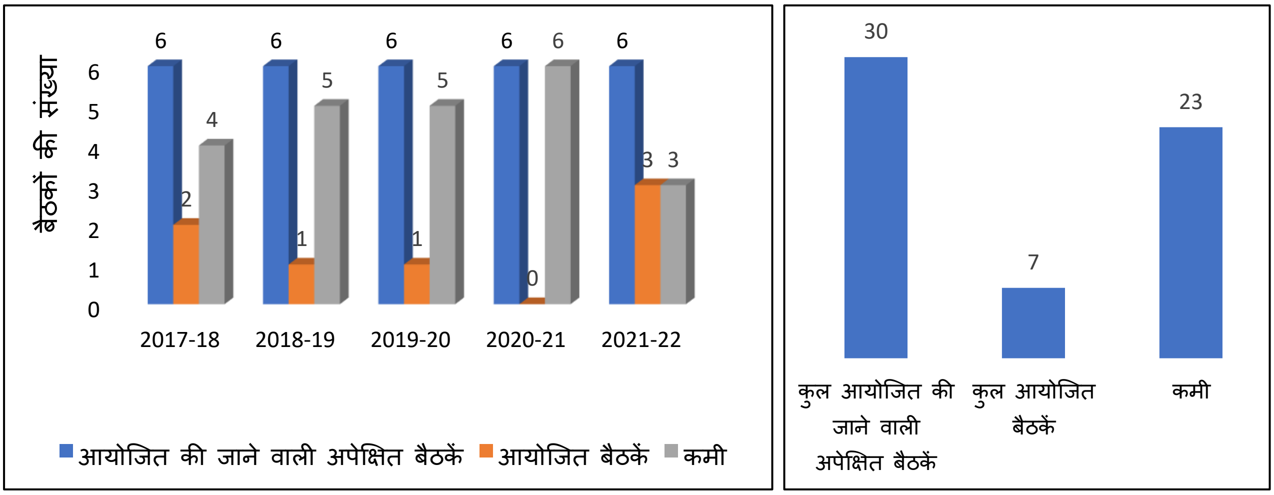


*स्रोत: बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी।*

**चार्ट 2.8** से स्पष्ट है कि बोर्ड की वर्ष 2017-22 की अवधि के दौरान आयोजित की जाने वाली अपेक्षित 30 बैठकों में से केवल सात बैठकें (23 प्रतिशत) आयोजित की गईं एवं 23 बैठकों (77 प्रतिशत) की कमी पाई गई। इन बैठकों में बोर्ड ने बजट व व्यय, वार्षिक लेखे, बोर्ड के सेवा मामलों, कल्याणकारी योजना नियमों में संशोधन, व्यय हेतु पूर्वव्यापी मंजूरी इत्यादि पर अनुमोदन से संबंधित मामलों पर चर्चा की। हालांकि नियमित बैठकों के अभाव में नियम 261[50] में परिकल्पित उत्तरदायित्वों की पूर्ति नहीं हुई क्योंकि बजट, वार्षिक रिपोर्ट एवं वार्षिक लेखाओं के अनुमोदन और सरकार को उनके प्रस्तुतीकरण में विलम्ब पाया गया, जैसा कि अनुवर्ती परिच्छेद में चर्चा की गई है।

बोर्ड ने बताया (दिसंबर 2022) कि उसने उसकी बैठकों की समय-सारणी का पालन करने के हर संभव प्रयास किए। हालांकि बोर्ड ने सचिव व बोर्ड के अन्य अधिकारियों को सांविधिक कार्यों के निर्वहन की शक्ति सौंपी है ताकि बोर्ड की कम बैठकों के कारण बोर्ड का कार्य प्रभावित न हो तथा सरकार ने कार्मिक संख्या, वेतनमान, संबद्ध मामलों आदि से संबंधित प्रस्तावों की जांच करने के लिए सेवा समिति का गठन भी किया है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सभी मामलों का निर्णय हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) नियमावली, 2008 के नियम 257 के तहत बोर्ड की बैठकों में सदस्यों के मतदान द्वारा किया जाना है, जिसे किसी एक अधिकारी को अधिकार सौंप कर टाला नहीं जा सकता है। इसके अतिरिक्त बोर्ड के कर्तव्य जैसे वार्षिक बजट, वार्षिक लेखे, वार्षिक प्रतिवेदन आदि का अनुमोदन इसके अधिदेश के अंतर्गत आते हैं, जिन्हें किसी अन्य को नहीं सौंपा जा सकता है।

अंतिम बैठक में सचिव ने एक पखवाड़े के भीतर बोर्ड की बैठक रखने का निर्देश दिया (अक्टूबर 2023)।

---

[50] बोर्ड निधि के प्रशासन से संबंधित सभी मामलों, निधि की राशि जमा करने के लिए नीतियां बनाने, सरकार को बोर्ड की गतिविधियों पर वार्षिक बजट व वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने, लेखाओं का उचित अनुरक्षण, निधि के अंशदान का संग्रहण, दावों का शीघ्र निपटान एवं अग्रिम व अन्य लाभों की मंजूरी आदि के लिए जिम्मेदार होगा।

### 2.7.2 बोर्ड में कार्मिकों की स्थिति

बोर्ड के सुचारू संचालन हेतु पर्याप्त जनशक्ति अपेक्षित है तथा बोर्ड ने उसके कार्यों के निष्पादनार्थ सरकार की अनुमति से समय-समय पर विभिन्न श्रेणियों के पद सृजित किए है। इसके अतिरिक्त सरकारी अधिसूचना[51] (अप्रैल 2009) के अनुसार विभाग के 12 श्रम अधिकारियों को राज्य में अधिनियम व उपकर अधिनियम के प्रयोजनार्थ पंजीकर्ता अधिकारी, उपकर संग्रहकर्ता, निर्धारण अधिकारी, निरीक्षक व प्राधिकृत अधिकारी (अगस्त 2010) के रूप में नियुक्त किया गया। अधिनियम के प्रयोजनार्थ हमीरपुर जिले के लिए श्रम निरीक्षक को "प्राधिकृत अधिकारी" व "निरीक्षक" के रूप में नियुक्त किया गया। विभाग द्वारा सौंपे गए नियमित कर्तव्यों के अतिरिक्त श्रम अधिकारी/श्रम निरीक्षक कार्यों व कर्मकारों के पंजीकरण, उपकर निर्धारण व संग्रहण एवं अधिनियम के अंतर्गत निरीक्षण जैसे कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं।

#### 2.7.2.1 अपर्याप्त मानव संसाधन - रिक्त पद

लेखापरीक्षा में पाया गया कि बोर्ड में 196 स्वीकृत पदों में से केवल 127 पद ही भरे गए, जो दर्शाता है कि बोर्ड को आवश्यक कर्मी उपलब्ध नहीं कराए गए। मार्च 2022 तक बोर्ड के स्वीकृत पद एवं पदस्थ कार्मिकों का विवरण **तालिका 2.6** में दिया गया है।

**तालिका 2.6: 31 मार्च 2022 तक बोर्ड की जनशक्ति का विवरण**

| क्र.सं. | पद का नाम | स्वीकृत पद | पदस्थ कर्मी | रिक्ति (प्रतिशत) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | सचिव-सह-मुख्य कार्यकारी अधिकारी | 1 | 1 | 0 |
| 2 | सहायक नियंत्रक (एफ एंड ए) | 1 | 1 | 0 |
| 3 | कार्यकारी अधिकारी | 1 | 1 | 0 |
| 4 | अनुभाग अधिकारी (एसएएस) | 1 | 1 | 0 |
| 5 | श्रम कल्याण अधिकारी[52] | 12 | 0 | 12 (100) |
| 6 | कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आईटी) | 23 | 10 | 13 (65) |
| 7 | प्रेरक-सह-पंजीकरण सहायक | 30 | 28 | 2 (7) |
| 8 | अनुसचिवीय/अन्य कर्मचारी[53] | 127 | 85 | 42 (33) |
| **योग** | | **196** | **127** | **69 (35)** |

*स्रोतः बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी।*

**तालिका 2.6** से स्पष्ट है कि मार्च 2022 तक 196 पदों में से 69 पद (35 प्रतिशत) रिक्त थे एवं श्रम कल्याण अधिकारी व कनिष्ठ कार्यालय सहायक के पद क्रमशः 100 प्रतिशत (मार्च 2022 तक) व 65 प्रतिशत रिक्त थे।

---

51 अधिसूचना संख्या.: श्रम (ए)4-6/2007-बीओसीडब्ल्यू-पीटी-II, दिनांक 30 अप्रैल 2009

52 मार्च 2023 में श्रम कल्याण अधिकारी के पद भरे गए।

53 निजी सहायक, वरिष्ठ सहायक, कार्यालय सहायक, लेखाकार, कंप्यूटर ऑपरेटर, लाभ वितरण सहायक/डेटा एंट्री ऑपरेटर, लिपिक, आशुलिपिक, ड्राइवर, चपरासी, चौकीदार-सह-चपरासी, रसोइया, माली व सफाईकर्मी (अंशकालिक)।

### 2.7.2.2 श्रम कल्याण अधिकारियों के पदों पर लंबे समय से रिक्तियां

श्रम कल्याण अधिकारी के 12 पद स्वीकृति की तिथि अर्थात जुलाई 2012 से रिक्त थे (जैसा कि **तालिका 2.6** में दर्शाया गया है)। लेखापरीक्षा की अवधि में देखा गया कि राज्य सरकार ने इन पदों को 10 वर्षों से अधिक समय बीत जाने के पश्चात् मार्च 2023 में भरा, जिससे लाभार्थियों की पंजीकरण प्रक्रिया व कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, क्योंकि ये कर्तव्य श्रम अधिकारियों/श्रम निरीक्षकों द्वारा उनको निर्दिष्ट कर्तव्यों के अतिरिक्त किए जा रहे थे।

कार्मिकों की कमी के कारण बोर्ड एवं विभाग के मौजूदा कार्मिकों पर अतिरिक्त बोझ पड़ा।

### 2.7.2.3 अतिरिक्त प्रभार पर प्रमुख पद

सचिव-सह-मुख्य कार्यकारी अधिकारी समय-समय पर बोर्ड द्वारा प्रत्यायोजित प्रशासनिक व वित्तीय शक्तियों का प्रयोग करते हैं, सहायक नियंत्रक बोर्ड के वित्त व लेखा प्रणाली का रखरखाव करते हैं तथा अनुभाग अधिकारी कल्याणकारी योजना आवेदनों की जांच करते हैं। वर्ष 2017-22 के दौरान इन प्रमुख पदों को क्रमशः18 माह, नौ माह व 22 माह के लिए अतिरिक्त प्रभार के रूप में रखा गया। साथ ही, इसी अवधि के दौरान अनुभाग अधिकारी का पद 15 माह तक रिक्त रहा। अतिरिक्त प्रभार के आधार पर इन प्रमुख पदों को रखने से बोर्ड की निम्नलिखित प्रक्रियाओं अर्थात बजट अनुमोदन, वार्षिक रिपोर्ट व राज्य सरकार को इसकी प्रस्तुति एवं लाभार्थियों को कल्याणकारी लाभों की स्वीकृती प्रभावित होती। उपरोक्त सभी में विलम्ब देखा गया, जैसा कि अनुवर्ती परिच्छेद में चर्चा की गई है।

### 2.7.2.4 आउटसोर्स आधार पर पदों को भरना

बोर्ड में अधिकांश पद आउटसोर्स आधार पर भरे गए, जैसा कि **तालिका 2.7** में दर्शाया गया है।

**तालिका 2.7: मार्च 2022 तक बोर्ड कार्मिकों की नियुक्ति की पद्धति का विवरण**

| नियुक्ति की पद्धति | स्वीकृत पद | पदस्थ कर्मी | रिक्ति (प्रतिशत) |
|---|---|---|---|
| **नियमित/अतिरिक्त/सेकंडमेंट आधार** | 45 | 16 | 29 (64) |
| **आउटसोर्स आधार** | 147 | 110 | 37 (25) |
| **एनआईसी आउटसोर्स** | 4 | 1 | 3 (75) |
| **योग** | **196** | **127** | **69 (35)** |

*स्रोत: बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी।*

**तालिका 2.7** से स्पष्ट है कि 196 पदों की स्वीकृत संख्या के सापेक्ष 147 पद (75 प्रतिशत) आउटसोर्स आधार पर भरे जाने को स्वीकृत किए गए एवं इनमें से भी 37 पद (25 प्रतिशत)

रिक्त थे। बोर्ड व क्षेत्रीय कार्यालयों में अधिकांश कार्य आउटसोर्स कार्मिकों द्वारा किए जा रहे थे।

बोर्ड ने बताया (जनवरी 2023) कि सितंबर 2020 के पत्र के माध्यम से श्रम कल्याण अधिकारियों के पदों को भरने के लिए हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग को मांग भेजी गई थी तथा मामला न्यायाधीन था। परन्तु इन पदों को अंततः मार्च 2023 में भरा गया।

उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जाना चाहिए कि बोर्ड ने स्वीकृति की तिथि से लगभग आठ वर्ष के विलम्ब के पश्चात् वर्ष 2020 में श्रम कल्याण अधिकारी के पद को भरने की प्रक्रिया आरंभ की तथा बोर्ड का कार्य कार्मिकों की कमी के कारण प्रभावित हुआ, जैसा कि अनुवर्ती परिच्छेदों व **परिच्छेद 2.3** में चर्चा की गई है।

अंतिम बैठक में सचिव ने नवीनीकरण से पहले आउटसोर्स कर्मचारियों की समीक्षा करने के निर्देश दिए (अक्टूबर 2023)।

### 2.7.3 राज्य सलाहकार समिति

अधिनियम की धारा 4 में प्रावधान है कि राज्य सरकार एक समिति का, इस अधिनियम से उद्भूत होने वाले ऐसे विषयों के संबंध में राज्य सरकार को सलाह देने के लिए जो उसे निर्दिष्ट किए जाएं, गठन करेगी, जिसका नाम राज्य भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार सलाहकार समिति (राज्य सलाहकार समिति) होगा।

तदनुसार, हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) नियमावली, 2008 का नियम 10 राज्य सलाहकार समिति के गठन का प्रावधान करता है, जिसमें राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष, विधानसभा के दो सदस्य, केंद्र सरकार द्वारा नामित एक सदस्य, भवन एवं सन्निर्माण निरीक्षण का मुख्य निरीक्षक, कारखानों के मुख्य निरीक्षक, नियोक्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले तीन सदस्य, राज्य सरकार द्वारा नामित भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले तीन सदस्य, सचिव स्तर के तीन सदस्य (सचिव (श्रम)/सचिव (लोक निर्माण विभाग)/सचिव (बहुउद्देश्यीय परियोजना और विद्युत व ऊर्जा)), राज्य सरकार द्वारा नामित दो सदस्य, आर्किटेक्ट या अभियंताओं के राज्य स्तरीय संघों एवं दुर्घटना बीमा संस्थानों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक-एक सदस्य शामिल होंगे।

नियम 20 में कहा गया है कि राज्य सलाहकार समिति की बैठक ऐसे समय और ऐसे स्थान पर होगी जैसा कि समिति के अध्यक्ष द्वारा तय की जाए तथा इसकी बैठक कम से कम छः माह में एक बार होगी। साथ ही, राज्य सलाहकार समिति का हर तीन वर्ष बाद पुनर्गठन किया जाएगा।

### 2.7.3.1 राज्य सलाहकार समिति के गठन में विलम्ब

लेखापरीक्षा में पाया गया कि अधिनियम लागू होने के 14 वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद मई 2011 में राज्य सलाहकार समिति का पहली बार गठन किया गया और तत्पश्चात इसे अप्रैल 2015, मई 2018 व फरवरी 2022 में एक माह से 11 माह तक के विलम्ब के साथ पुनर्गठित किया गया, जैसा कि **तालिका 2.8** में विवर्णित गया है:

**तालिका 2.8: सभी राज्य सलाहकार समितियों के गठन का विवरण**

| समिति | राज्य सलाहकार समिति के गठन की तिथि (माह व वर्ष) | नियमानुसार पुनर्गठन की देय तिथि | माह में विलम्ब |
|---|---|---|---|
| **प्रथम समिति** | मई 2011 | अधिनियम के लागू होने के 14 वर्ष बाद | |
| **द्वितीय समिति** | अप्रैल 2015 | मई 2014 | 11 |
| **तृतीय समिति** | मई 2018 | अप्रैल 2018 | 1 |
| **चतुर्थ समिति** | फ़रवरी 2022 | मई 2021 | 9 |

*स्रोत: बोर्ड के अभिलेख।*

बोर्ड ने बताया (मई 2023) कि राज्य सलाहकार समिति का गठन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है तथा राज्य सलाहकार समिति का गठन बोर्ड के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। विभाग ने राज्य सलाहकार समिति के गठन में विलम्ब का कोई कारण नहीं बताया।

अंतिम बैठक में सचिव ने लेखापरीक्षा निष्कर्षों से सहमति व्यक्त की (अक्टूबर 2023) और यथोचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।

### 2.7.3.2 राज्य सलाहकार समिति की बैठकें आयोजित न करना

राज्य सलाहकार समिति से छः माह में कम से कम एक बैठक अपेक्षित थी। हालांकि वर्ष 2017-22 की अवधि के दौरान राज्य सलाहकार समिति की अपेक्षित 10 बैठकों के सापेक्ष कोई बैठक नहीं रखी गई। परिणामस्वरूप राज्य सलाहकार समिति का गठन मात्र औपचारिकता बनकर रह गया एवं सरकार ने उक्त अवधि के दौरान कर्मकारों के कल्याण के मुद्दों पर उसकी सलाह के लिए समिति का उपयोग नहीं किया।

बोर्ड ने बताया (दिसंबर 2022) कि राज्य सलाहकार समिति की बैठक बुलाना सरकार के अधिकार क्षेत्र में है। विभाग ने बताया (जनवरी 2023) कि प्रशासनिक कारणों व कोविड-19 प्रकोप के कारण बैठकें आयोजित नहीं की जा सकीं।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि राज्य सलाहकार समिति की बैठकें बुलाए बिना मात्र उसका गठन करना नियमों का उल्लंघन है एवं राज्य सलाहकार समिति को कल्याण संबंधी मामलों पर बोर्ड को सलाह देने के अपने अधिदेश को पूरा करने में सक्षम नहीं बनाता है। राज्य सलाहकार

समिति की नियमित बैठकें आयोजित करने के लिए बोर्ड व विभाग को एक दूसरे के साथ समन्वय स्थापित करना चाहिए।

### 2.7.4 वार्षिक लेखाओं का प्रस्तुतीकरण

अधिनियम की धारा 27(3) में कहा गया है कि बोर्ड के लेखाओं की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा प्रतिवर्ष की जाएगी और ऐसी लेखापरीक्षा के संबंध में किया गया कोई भी व्यय बोर्ड द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को देय होगा।

धारा 27(4) में कहा गया है कि बोर्ड ऐसी तिथि के पूर्व, जो विहित की जाए, उसके लेखाओं की लेखापरीक्षित प्रति लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के साथ राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा। इसके अतिरिक्त, हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) नियमावली, 2008 के नियम 291 में प्रावधान है कि बोर्ड प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान बोर्ड की कार्यपद्धति पर रिपोर्ट आगामी वर्ष के जून के 15वें दिन से पूर्व अनुमोदित कर उस वर्ष की 31 जुलाई से पूर्व सरकार को प्रस्तुत करेगा। लेखापरीक्षा में पाया गया कि वार्षिक रिपोर्ट में लेखापरीक्षित वार्षिक लेखे सम्मिलित किए गए हैं। अतः वार्षिक लेखे 15 जून से पूर्व तैयार किए जाने चाहिए थे।

हालांकि लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2017-22 की अवधि के बोर्ड के वार्षिक लेखे प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हिमाचल प्रदेश को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के आठ से 19 माह तक के विलम्ब से प्रस्तुत किए गए, जैसा कि **तालिका 2.9** में दिया गया है:

**तालिका 2.9: प्रधान महालेखाकार, हिमाचल प्रदेश को प्रस्तुत वार्षिक लेखाओं का विवरण**

| वित्तीय वर्ष | प्रधान महालेखाकार, हिमाचल प्रदेश को वार्षिक लेखे प्रस्तुत करने की तिथि | वित्तीय वर्ष पूर्ण होने के बाद लेखे प्रस्तुत करने में लगने वाला समय |
|---|---|---|
| **2017-18** | दिसम्बर 2018 | 8 माह |
| **2018-19** | अगस्त 2020 | 16 माह |
| **2019-20** | नवम्बर 2021 | 19 माह |
| **2020-21** | जुलाई 2022 | 15 माह |
| **2021-22** | मई 2023 | 13 माह |

अंतिम बैठक में सचिव ने बोर्ड के अधिकारियों को वार्षिक लेखे जमा करने की समयसीमा का पालन करने का निर्देश दिया (अक्टूबर 2023)।

### 2.7.5 वार्षिक रिपोर्ट के अनुमोदन व प्रस्तुतीकरण में विलम्ब

अधिनियम की धारा 26 में यह प्रावधान है कि बोर्ड ऐसे प्रारूप में और प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ऐसे समय पर, जो विहित किया जाए, अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा, जिसमें पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान उसके क्रियाकलापों का पूरा विवरण दिया जाएगा तथा इसकी एक प्रति राज्य

सरकार व केंद्र सरकार को प्रस्तुत करेगा। धारा 27(5) में यह प्रावधान है कि राज्य सरकार वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखापरीक्षक की रिपोर्ट, उनके प्राप्त होने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधानमंडल के समक्ष रखवाएगी।

हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) नियमावली, 2008 के नियम 291 में यह प्रावधान है कि बोर्ड प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान बोर्ड की कार्यपद्धति पर रिपोर्ट आगामी वर्ष के जून के 15वें दिन से पूर्व अनुमोदित कर उस वर्ष की 31 जुलाई से पूर्व सरकार को प्रस्तुत करेगा।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि बोर्ड द्वारा बोर्ड की कार्यपद्धति पर वार्षिक रिपोर्ट के अनुमोदन, साथ ही बोर्ड द्वारा सरकार को रिपोर्ट के प्रस्तुतीकरण दोनों में विलम्ब था, जैसा कि **तालिका 2.10** में विवर्णित है।

**तालिका 2.10: 2017-22 के दौरान बोर्ड द्वारा वार्षिक रिपोर्ट के अनुमोदन व प्रस्तुतीकरण में विलम्ब**

| वित्तीय वर्ष | रिपोर्ट के अनुमोदन की अंतिम तिथि | बोर्ड द्वारा अनुमोदित रिपोर्ट | विलम्ब (माह में) | राज्य/केन्द्र सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करने की देय तिथि | राज्य सरकार को प्रस्तुत करने की तिथि | विलम्ब (माह में) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-18 | 15 जून 2018 | दिसम्बर 2019 | 17 | 31 जुलाई 2018 | मार्च 2020 | 19 |
| 2018-19 | 15 जून 2019 | जून 2021 | 24 | 31 जुलाई 2019 | जनवरी 2022 | 29 |
| 2019-20 | 15 जून 2020 | अप्रैल 2023 | 33 | 31 जुलाई 2020 | मार्च 2023 | 31 |
| 2020-21 | 15 जून 2021 | अप्रैल 2023 | 21 | 31 जुलाई 2021 | मार्च 2023 | 19 |
| 2021-22 | 15 जून 2022 | अनुमोदित नहीं* | | 31 जुलाई 2022 | प्रस्तुत नहीं* | |

**अप्रैल 2023 तक*

जैसा कि **तालिका 2.10** से स्पष्ट है, बोर्ड ने वार्षिक रिपोर्ट 17 से 33 माह के विलम्ब से अनुमोदित की तथा सरकार को भी 19 से 31 माह के विलम्ब से प्रस्तुत की। वित्तीय वर्ष 2021-22 की वार्षिक रिपोर्ट अप्रैल 2023 तक बोर्ड के स्तर पर ही अनुमोदित नहीं हुई। यह भी स्पष्ट है कि वर्ष 2019-20 व 2020-21 दोनों की वार्षिक रिपोर्ट बोर्ड के अनुमोदन (अप्रैल 2023) से पहले ही राज्य सरकार को (मार्च 2023) प्रस्तुत कर दी गई, जो नियमों का उल्लंघन है।

साथ ही बोर्ड ने उसके गठन के बाद से कभी भी केंद्र सरकार को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की, जो उक्त अधिनियम के प्रावधानों के विरुद्ध है।

बोर्ड ने बताया (अप्रैल 2023) कि निदेशक मंडल से वार्षिक रिपोर्ट का समयबद्ध अनुमोदन सुनिश्चित करने के सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

अंतिम बैठक में सचिव ने बोर्ड को निर्देश दिया कि (अक्टूबर 2023) केंद्र सरकार को वार्षिक रिपोर्ट अविलम्ब भेजी जाए। सचिव ने यह भी कहा कि वर्ष 2021-22 की रिपोर्ट एक पखवाड़े के भीतर प्रस्तुत की जाए।

### 2.7.6 बजट तैयारी

अधिनियम की धारा 25 के अनुसार बोर्ड ऐसे प्रारूप में और प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ऐसे समय पर जो विहित किया जाए, आगामी वित्तीय वर्ष के लिए अपना बजट तैयार करेगा, जिसमें बोर्ड की अनुमानित प्राप्तियां व व्यय दर्शित किए जाएंगे और उसे राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार को भेजेगा।

#### 2.7.6.1 बोर्ड के वार्षिक बजट के अनुमोदन में विलम्ब

लेखापरीक्षा में पाया गया कि आगामी वित्तीय वर्ष हेतु अनुमानित प्राप्तियों व व्यय को दर्शाने वाले बजट के अनुमोदनार्थ बैठकें उस वित्तीय वर्ष, जिसके लिए बजट को मंजूरी दी जानी थी, के आरंभ होने के पश्चात् की गईं, जबकि इसे वित्तीय वर्ष आरंभ होने से पहले अर्थात गत वित्तीय वर्ष के 31 मार्च से पूर्व आयोजित कर के बजट अनुमोदित करना था। बजट के अनुमोदनार्थ आयोजित बोर्ड बैठकों का विवरण **तालिका 2.11** में दिया गया है।

**तालिका 2.11: वार्षिक बजट के अनुमोदनार्थ आयोजित बोर्ड बैठकों का विवरण**

| वित्त वर्ष | बैठक की अपेक्षित समयावधि | बजट स्वीकृति | विलम्ब (माह में) |
|---|---|---|---|
| 2017-18 | मार्च 2017 | फ़रवरी 2017 | कोई विलम्ब नहीं |
| 2018-19 | मार्च 2018 | दिसम्बर 2018 | 9 माह |
| 2019-20 | मार्च 2019 | दिसम्बर 2019 | 9 माह |
| 2020-21 | मार्च 2020 | जून 2021 | 15 माह |
| 2021-22 | मार्च 2021 | जून 2021 | 3 माह |

**तालिका 2.11** से स्पष्ट है कि वर्ष 2018-22 के दौरान बजट को तीन से 15 माह तक के विलम्ब से अनुमोदित किया गया एवं वित्तीय वर्ष 2020-21 का बजट वित्तीय वर्ष बीत जाने के पश्चात् अनुमोदित किया गया, जिससे अनुमानों के अनुमोदन की कवायद निरर्थक हो गई।

बोर्ड ने बताया (मार्च 2023) कि उसने बैठकों के कार्यक्रम का पालन करने का हर संभव प्रयास किया।

प्रत्युत्तर परिचायक है कि बोर्ड ने बजट अनुमोदन जैसे महत्वपूर्ण कार्यों के लिए नियमित बैठकें आयोजित करने सम्बन्धी अधिनियम के प्रावधानों का पालन नहीं किया। विलम्ब से/वर्ष बीत जाने के पश्चात् बजट अनुमानों को अनुमोदित करने की संपूर्ण प्रक्रिया बजटीय प्रक्रिया में नियंत्रण की कमी या अभाव को परिलक्षित करती है।

अंतिम बैठक में सचिव ने बोर्ड के अधिकारियों को बजट तैयार करने की समयसीमा का पालन करने का निर्देश दिया (अक्टूबर 2023)।

### 2.7.7 राज्य में भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकारों का डेटाबेस

अधिनियम की धारा 12 व हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) नियमावली, 2008 के नियम 266 में प्रावधान है कि 18 से 60 वर्ष की आयु के प्रत्येक कर्मकार को, जो पूर्ववर्ती 12 मास के दौरान कम से कम 90 दिन के लिए सन्निर्माण कार्य में लगा रहा हो, संबंधित पंजीकर्ता अधिकारी के पास पंजीकरण हेतु आवेदन करना चाहिए। सन्निर्माण कर्मकार लाभार्थी के रूप में पंजीकरण के बाद बोर्ड द्वारा प्रदान की जाने वाली कल्याणकारी योजना के लाभों के लिए पात्र होंगे। भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकारों के डेटाबेस से सम्बंधित लेखापरीक्षा निष्कर्ष अनुवर्ती परिच्छेदों में हैं।

#### 2.7.7.1 बोर्ड द्वारा वैयक्तिक लाभार्थी-वार डेटाबेस अनुरक्षित न करना

लेखापरीक्षा में पाया गया कि मार्च 2022 तक 3,73,513 कर्मकार बोर्ड में पंजीकृत थे। हालांकि बोर्ड साथ ही नमूना-जांचित श्रम अधिकारी/श्रम निरीक्षक कार्यालयों ने हर कर्मकार के कल्याणकारी लाभों का विवरण यथा लाभ का आवेदन प्राप्त होने की तिथि, प्रत्येक योजना के तहत संवितरित लाभों की मात्रा, संवितरण की तिथि, आदि का विवरण अनुरक्षित नहीं किया। अतः वे लाभ के भुगतान के प्रति-सत्यापन हेतु किसी भी स्तर पर लाभार्थियों का ऐसा व्यापक डेटाबेस रखने में विफल रहे, जो नीति निर्माण व प्रदर्शन के विश्लेषणार्थ उपयोगी इनपुट के रूप में काम कर सकता था।

बोर्ड स्तर पर इस प्रकार का डेटाबेस होने से उन लाभार्थियों को कल्याणकारी सहायता संवितरित करने में सुविधा होगी, जो अपने पंजीकृत क्षेत्र के अतिरिक्त किसी अन्य श्रम अधिकारी के क्षेत्राधिकार में चले गए हो। इससे राज्य में किसी भी श्रम अधिकारी को दावे/आवेदन प्रस्तुत करने में सुविधा होगी और लाभार्थियों के लिए उस श्रम अधिकारी, जिसके अधीन वे पंजीकृत थे, के माध्यम से दावे/आवेदन प्रस्तुत करने की कठिनाई व असुविधा को कम किया जा सकेगा।

बोर्ड एवं नमूना-जांचित श्रम अधिकारियों/श्रम निरीक्षक कार्यालयों ने बताया (दिसंबर 2022, जनवरी व फरवरी 2023) कि कार्मिकों की कमी और पंजीकरण प्रक्रिया में कई गुना बढोतरी होने के कारण इस तरह का डेटा अनुरक्षित नहीं किया जा सका। हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड पोर्टल पर प्रक्रिया ऑनलाइन आरंभ होने के पश्चात् डेटा का अनुरक्षण किया जाएगा।

व्यापक डेटाबेस/रिकॉर्ड के अभाव के कारण लेखापरीक्षा में कर्मकारों के एक से अधिक पंजीकरण **(परिच्छेद 2.3.5.1)**, लाभों के दोहरे भुगतान **(परिच्छेद 2.7.10.2 (ग)**, कल्याणकारी योजना के लाभों के भुगतान में विलम्ब **(परिच्छेद 2.7.12.3)** इत्यादि मामले देखे गए।

### 2.7.7.2 यूनिवर्सल एक्सेस नंबर का प्रारंभ

सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय को सूचना दी (सितंबर 2015) कि भारत सरकार प्रत्येक पंजीकृत कर्मकार के लिए यूनिवर्सल एक्सेस नंबर प्रस्तुत करने पर विचार कर रही है ताकि यदि उसके एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवास करने पर न तो उसका पंजीकरण का लाभ छूटे एवं न ही उस सन्निर्माण कर्मकार को दूसरे राज्य में पंजीकरण कराने की आवश्यकता हो।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि बोर्ड द्वारा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के समन्वय से यूनिवर्सल एक्सेस नंबर प्रारंभ करने की कोई प्रक्रिया शुरू नहीं की गई एवं पंजीकृत कर्मकारों को बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रारूप/कोड में केवल श्रम अधिकारी/श्रम निरीक्षक-वार पंजीकरण संख्याएं प्रदान की गई।

बोर्ड ने बताया (मई 2023) कि पंजीकृत कर्मकारों को अलग-अलग पंजीकरण संख्या के साथ पहचान-पत्र जारी किए जा रहे हैं तथा बोर्ड का ऑनलाइन पोर्टल परीक्षण चरण में है, जिसमें प्रत्येक पंजीकृत कर्मकार को यूनिवर्सल एक्सेस नंबर प्रदान करने का प्रावधान किया गया है।

राज्य सरकार को प्रत्येक पंजीकृत कर्मकार को यूनिवर्सल एक्सेस नंबर देने के लिए भारत सरकार के साथ समन्वय करना चाहिए, जैसा कि वर्ष 2015 के दौरान भारत सरकार (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय) द्वारा एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवासी कर्मकारों की सुविधा हेतु विचार किया गया था।

### 2.7.8 बोर्ड द्वारा वित्तीय प्रबंधन से संबंधित मुद्दे

हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण निधि[54] (आगे "निधि" के रूप में संदर्भित) का प्रबंधन बोर्ड द्वारा किया जाना है। इस निधि में लाभार्थियों द्वारा किया गया अंशदान, बोर्ड के बैंक खातों में श्रम अधिकारियों/उपकर संग्रहकर्ताओं व उपकर कटौतीकर्ताओं/जमाकर्ताओं के माध्यम से बोर्ड को स्थापनाओं से प्राप्त निर्माण लागत की एक प्रतिशत उपकर[55] राशि, बैंक खातों में जमा राशि पर संचित ब्याज व किसी प्राधिकरण द्वारा दिया गया ऋण या अग्रिम शामिल है। अधिनियम की धारा 24 (2) के अनुसार, निधि का

---

[54] हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (रोजगार एवं सेवा शर्तों का विनियमन) नियमावली, 2008 के नियम 265 के अंतर्गत गठित

[55] श्रम एवं रोजगार विभाग द्वारा अगस्त 2009 के पत्र द्वारा अधिसूचित।

उपयोग बोर्ड के कामकाज में हुए खर्चों हेतु किया जाना था। धारा 22 में कहा गया है कि बोर्ड सन्निर्माण कर्मकारों को विभिन्न कल्याणकारी लाभ प्रदान कर सकता है।

### 2.7.8.1 बोर्ड की वित्तीय स्थिति

वर्ष 2017-22 के दौरान बोर्ड को निधियों की प्राप्तियों, व्यय व शेष राशि का विवरण **तालिका 2.12** में दिया गया है:

**तालिका 2.12: 2017-22 के दौरान बोर्ड की प्राप्तियों व व्यय का विवरण**

**(₹ करोड़ में)**

| वर्ष | अथ शेष | प्राप्तियां | | | | कुल निधियां | व्यय | | | अंत शेष |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | पंजीकरण व नवीनीकरण | उपकर$ | ब्याज व अन्य$ | कुल प्राप्तियां | | कल्याण* | प्रशासनिक# | कुल* | |
| 2017-18 | 458.59 | 0.02 | 68.85 (72) | 26.79 (28) | 95.66 | 554.25 | 36.44 (7) | 2.05 (5.3) | 38.49 (7) | 515.76 |
| 2018-19 | 515.76 | 0.06 | 67.67 (65) | 36.37 (35) | 104.10 | 619.86 | 24.68 (4) | 2.35 (8.7) | 27.03 (4) | 592.83 |
| 2019-20 | 592.83 | 0.07 | 82.11 (66) | 42.58 (34) | 124.76 | 717.59 | 50.89 (7) | 2.46 (4.6) | 53.35 (7) | 664.24 |
| 2020-21 | 664.24 | 0.13 | 85.25 (73) | 30.98 (27) | 116.36 | 780.60 | 106.28 (14) | 2.50 (2.3) | 108.78 (14) | 671.82 |
| 2021-22 | 671.82 | 0.15 | 103.86 (79) | 28.14 (21) | 132.15 | 803.97 | 97.14 (12) | 3.68 (3.6) | 100.82 (13) | 703.15 |
| **योग** | | **0.43** | **407.74 (71)** | **164.86 (29)** | **573.03** | | **315.42** | **13.04** | **328.46** | |

*स्रोत: बोर्ड द्वारा दी गई जानकारी।*
*$ कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल प्राप्तियों से प्राप्ति का प्रतिशत दर्शाते हैं।*
*# कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल व्यय से व्यय का प्रतिशत दर्शाते हैं।*
**कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल निधि से व्यय का प्रतिशत दर्शाते हैं।*

उपरोक्त आंकड़ों के लेखापरीक्षा विश्लेषण के निष्कर्षों पर अनुवर्ती परिच्छेदों में चर्चा की गई है।

### 2.7.8.1 (क) निधियों का अधिक संचय

**तालिका 2.12** से स्पष्ट है कि बोर्ड के पास ₹ 515.76 करोड़ (वर्ष 2017-18 का अंत शेष) से ₹ 703.15 करोड़ (वर्ष 2021-22 का अंत शेष) तक की निधियां थी। इस निधि का उपयोग भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकारों के कल्याण और प्रशासनिक व्यय हेतु किया जाना था। हालांकि यह पाया गया कि वर्ष 2017-22 के दौरान कुल उपलब्ध निधियों के संदर्भ में कल्याण व्यय व कुल व्यय का अनुपात मामूली चार प्रतिशत (2018-19) से 14 प्रतिशत (2020-21) तक था।

वर्ष 2017-22 के दौरान ₹ 1,031.62 करोड़ की कुल उपलब्ध निधियों (वर्ष 2017-18 का अथ शेष ₹ 458.59 करोड़ + ₹ 573.03 करोड़, जो वर्ष 2017-22 की कुल प्राप्तियां हैं) के सापेक्ष बोर्ड ने इसी अवधि के दौरान मात्र ₹ 328.46 करोड़ (32 प्रतिशत) का उपयोग किया। इसके

अतिरिक्त, वर्ष 2017-20 की अवधि के दौरान प्राप्तियों के संदर्भ में व्यय का अनुपात 26 से 43 प्रतिशत तक कम रहा, जिसके कारण समय के साथ बोर्ड के बैंक खातों में निधियों का अधिक संचय हुआ, जैसा कि **चार्ट 2.9** में दर्शाया गया है।

**चार्ट 2.9: 2017-22 की अवधि हेतु बोर्ड की प्राप्तियों व व्यय का विवरण**

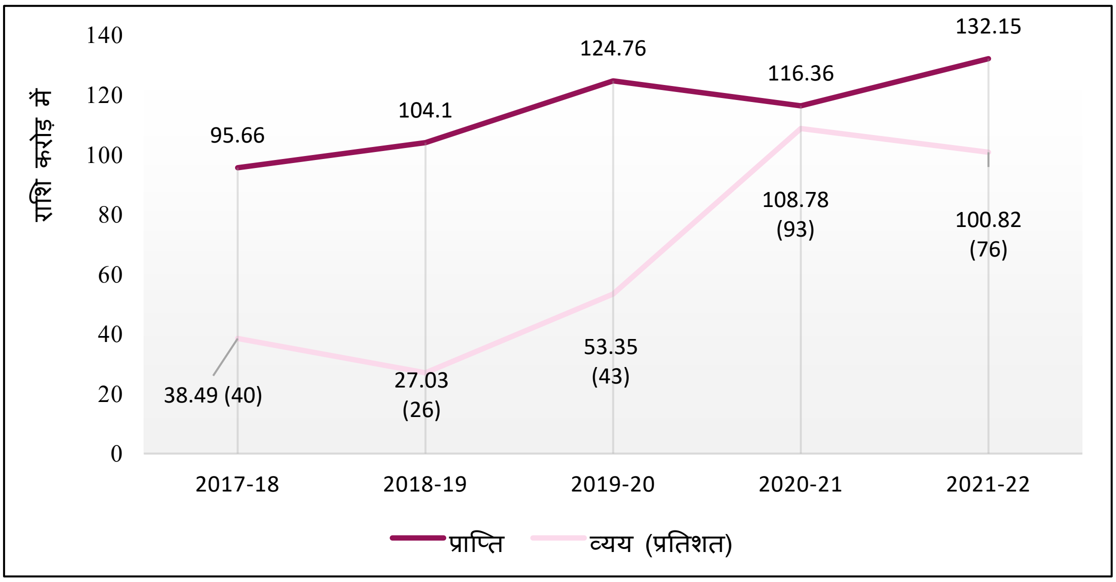


वर्ष 2020-21 के दौरान राज्य सरकार के निर्देशानुसार (मार्च, मई व अगस्त 2020) कोविड-19 हेतु पंजीकृत लाभार्थियों को प्रति किस्त ₹ 2,000/- की दर से संवितरित ₹ 68.59 करोड़ की वित्तीय सहायता (कुल तीन किस्तों में) के कारण व्यय में वृद्धि हुई। निधि का कम उपयोग ₹ 191.01 करोड़ तक की आयकर देयता के रूप में भी परिणत हुआ, क्योंकि बोर्ड ने प्राप्तियों का 85 प्रतिशत कल्याणकारी योजनाओं पर व्यय करने की शर्त पूरी नहीं की, जैसा कि **परिच्छेद 2.7.8.2 (ख)** में चर्चा की गई है।

बोर्ड ने बताया (जनवरी 2023) कि व्यय पूर्णतः पंजीकृत लाभार्थियों से प्राप्त दावों पर आधारित है तथा यदि वे अपने वैध दावे प्रस्तुत नहीं करते हैं, तो बोर्ड के पास उन्हें लागू करने का कोई अधिकार नहीं है।

उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जाना चाहिए कि बोर्ड ने उसके पास रखी विशाल निधियों के उपयोग के लिए दीर्घकालिक व अल्पकालिक लक्ष्य निर्धारित करने की दूरदर्शी योजना नहीं बनाई। बोर्ड या तो नई कल्याणकारी योजनाएं प्रस्तुत कर सकता था या मौजूदा कल्याणकारी योजनाओं की लाभ राशि में वृद्धि कर सकता था, जिसमें कल्याणकारी लाभों के मांग-आधारित संवितरण के बदले उन योजनाओं में अधिकतम लाभार्थियों को सम्मिलित करने की व्यवस्था की जा सकती थी, जिसके लिए सभी लाभार्थी पात्र हैं। साथ ही, वह अन्य स्थानीय विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर कल्याणकारी लाभ प्रदान करने के लिए उन्हें सहायता-अनुदान स्वीकृत कर सकता था, जो निर्माण स्थलों पर सीधे दिए जा सकते थे। बोर्ड का यह तर्क कि कम व्यय होना लाभार्थियों से प्राप्त दावों से जुड़ा है, को इस तथ्य के आलोक में भी देखा

जाना चाहिए कि बोर्ड एवं उपलब्ध कल्याणकारी योजनाओं के विषय में लाभार्थियों में जागरूकता की कमी है, जैसा कि लाभार्थी सर्वेक्षण के दौरान लेखापरीक्षा में देखा गया, जैसा कि **परिच्छेद 2.8.2.1 (ख)** में दर्शाया गया है।

## 2.7.8.1 (ख) निर्धारित सीमा से अधिक किया गया प्रशासनिक व्यय

अधिनियम की धारा 24(3) में प्रावधान है कि किसी भी वित्तीय वर्ष में कोई भी बोर्ड इसके सदस्यों, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के वेतन, भत्ते व अन्य पारिश्रमिक एवं अन्य प्रशासनिक व्ययों की पूर्ति हेतु वित्तीय वर्ष के दौरान उसके कुल व्यय का पांच प्रतिशत से अधिक व्यय नहीं करेगा।

**तालिका 2.12** से स्पष्ट है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 (5.3 प्रतिशत) एवं वर्ष 2018-19 (8.7 प्रतिशत) के दौरान प्रशासनिक व्यय पर बोर्ड का व्यय कुल व्यय के पांच प्रतिशत से अधिक था, जो उक्त अधिनियम के प्रावधान के विरुद्ध था, तथापि वर्ष 2019-22 की अवधि के दौरान यह सीमा के भीतर था।

बोर्ड ने बताया (दिसंबर 2022) कि व्यय अनियमित नहीं था क्योंकि प्रशासनिक व्यय के बिना संगठन को चलाना संभव नहीं है। हालांकि बोर्ड ने राज्य सरकार के माध्यम से भारत सरकार के साथ सीमा में ढील देने का मामला भी उठाया क्योंकि प्रारंभिक चरण में सीमा का पालन करना संभव नहीं है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि निधि से व्यय करते समय बोर्ड को मितव्ययिता के उपाय करने चाहिए तथा जैसा कि अधिनियम के तहत निर्धारित है, बोर्ड को राज्य के सभी पात्र भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकारों को अधिकतम कल्याणकारी लाभ वितरित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

## 2.7.8.1 (ग) कल्याण व्यय के आंकड़ों का मिलान न होना

लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2017-22 की अवधि हेतु वार्षिक लेखाओं से उपलब्ध कराए गए वैयक्तिक योजना-वार कल्याण व्यय के आंकड़ों व समग्र कल्याण व्यय के आंकड़ों में ₹ 23.68 करोड़ का अंतर था। दोनों ही आंकड़े बोर्ड द्वारा दिए गए थे। वैयक्तिक योजना-वार व्यय के अनुसार कल्याणकारी योजनाओं पर कुल व्यय ₹ 291.75 करोड़ था, जबकि वार्षिक लेखाओं से उपलब्ध कराए गए समग्र कल्याण व्यय के अनुसार कल्याणकारी योजनाओं पर कुल व्यय ₹ 315.42 करोड़ था। आंकड़ों में अंतर का विवरण **परिशिष्ट 2.3** में दिया गया है।

बोर्ड ने बताया (मई 2023) कि लेखा बहियों में व्यय की बुकिंग लेखांकन अवधारणाओं और लेखांकन परंपराओं के अनुसार की जा रही है, हालांकि अंतर का कारण यह है कि वैयक्तिक योजना-वार व्यय के आंकड़े संबंधित कार्य सहायक द्वारा सीधे प्रदान किए गए।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह सुस्पष्ट है कि बोर्ड उसके लेखाओं का मिलान नहीं कर रहा है क्योंकि एक ही व्यय के अलग-अलग आंकड़े दिए गए। उसे कार्य सहायक द्वारा अनुरक्षित आंकड़ों का समय-समय पर लेखाओं के साथ मिलान सुनिश्चित करना चाहिए था। इससे कमजोर आंतरिक नियंत्रण एवं अभिलेखों के अनुचित अनुरक्षण का पता चला।

### 2.7.8.1 (घ) चयनित श्रम अधिकारियों/श्रम निरीक्षक द्वारा संग्रहित उपकर एवं कल्याण व्यय

वर्ष 2017-22 के दौरान चयनित श्रम अधिकारियों/श्रम निरीक्षक द्वारा संग्रहित उपकर एवं कल्याण व्यय का विवरण **तालिका 2.13** में दिया गया है।

**तालिका 2.13: चयनित श्रम अधिकारी/श्रम निरीक्षक द्वारा संग्रहित उपकर एवं कल्याण व्यय का विवरण**

**(₹ करोड़ में)**

| वित्तीय वर्ष | श्रम अधिकारी, बिलासपुर | | श्रम निरीक्षक, हमीरपुर | कुल कल्याण व्यय | कुल पंजीकृत कर्मकार (स्थापनाओं की संख्या) | श्रम अधिकारी कुल्लू | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | संग्रहित उपकर* | कल्याण व्यय | कल्याण व्यय | | | संग्रहित उपकर | कल्याण व्यय | पंजीकृत कर्मकार (स्थापनाओं की संख्या) |
| **2017-18** | 3.60 | 3.21 | 3.66 | 6.87 | 5,616 (6) | 8.42 | 0.78 | 616 (6) |
| **2018-19** | 1.37 | 2.90 | 3.70 | 6.60 | 16,108 (4) | 4.36 | 0.77 | 1422 (6) |
| **2019-20** | 0.60 | 6.38 | 11.90 | 18.28 | 11,045 (0) | 8.58 | 2.04 | 1585 (5) |
| **2020-21** | 2.28 | 14.72 | 25.20 | 39.92 | 30,631 (4) | 6.55 | 3.83 | 4300 (4) |
| **2021-22** | 0.27 | 9.11 | 10.83 | 19.94 | 23,883 (0) | 4.92 | 4.45 | 8859 (0) |
| **योग** | **8.12** | **36.32** | **55.29** | **91.61** | **87,283 (14)** | **32.83** | **11.87** | **16782 (21)** |

*स्रोत: बोर्ड व चयनित श्रम अधिकारी द्वारा दी गई जानकारी।*

**उपकर संग्रहण के लिए श्रम निरीक्षक, हमीरपुर श्रम अधिकारी, बिलासपुर के क्षेत्राधिकार में है।*

**तालिका 2.13** से स्पष्ट है कि श्रम अधिकारी, बिलासपुर के क्षेत्राधिकार में, जिसमें श्रम निरीक्षक, हमीरपुर भी शामिल है, ₹ 8.12 करोड़ राशि का उपकर संग्रहित किया गया एवं कल्याणकारी योजनाओं पर ₹ 91.61 करोड़ का व्यय किया गया। श्रम अधिकारी, कुल्लू के क्षेत्राधिकार में ₹ 32.83 करोड़ का उपकर संग्रहित किया गया तथा कल्याणकारी योजनाओं पर ₹ 11.87 करोड़ का कल्याण व्यय किया गया।

श्रम अधिकारी, कुल्लू में संग्रहित उपकर के प्रति कम कल्याण व्यय इन स्थापनाओं में संलिप्त कर्मकारों के पंजीकृत न होने के कारण हो सकता है, जिसके परिणामस्वरूप वे अनुमत कल्याण लाभों से वंचित हो गए होंगे। श्रम अधिकारी, बिलासपुर में संग्रहित उपकर की तुलना में अधिक कल्याणकारी योजना व्यय दर्शाता है कि या तो सभी स्थापनाओं से उपकर संग्रहित नहीं किया

जा रहा था या कर्मकारों का फर्जी पंजीकरण किया जा रहा था, जैसा कि **परिच्छेद 2.3.5.2** में चर्चा की गई है।

### 2.7.8.1 (ङ) सरकारी एवं निजी नियोक्ताओं से उपकर का संग्रहण

लेखापरीक्षा में पाया गया कि नमूना-जांचित श्रम कार्यालयों में नियोक्ताओं से प्राप्त उपकर की पंजिका अनुरक्षित की जा रही थी। वर्ष 2017-22 की अवधि हेतु इन पंजिकाओं की संवीक्षा के दौरान पाया गया कि 152 नियोक्ताओं (सरकारी व निजी) द्वारा ₹ 40.95 करोड़ राशि का उपकर जमा किया गया, जैसा कि **तालिका 2.14** में इंगित किया गया है।

**तालिका 2.14: 2017-22 के दौरान चयनित श्रम कार्यालयों द्वारा प्राप्त उपकर का विवरण**

**(₹ करोड़ में)**

| श्रम कार्यालय का नाम | कुल | | सरकारी नियोक्ता* | | निजी नियोक्ता* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | नियोक्ताओं की संख्या | उपकर की राशि | नियोक्ताओं की संख्या | उपकर की राशि | नियोक्ताओं की संख्या | उपकर की राशि |
| **श्रम कार्यालय, बिलासपुर** | 103 | 8.12 | 90 (87) | 6.51 (80) | 13 (13) | 1.61 (20) |
| **श्रम कार्यालय, कुल्लू** | 49 | 32.83 | 34 (69) | 32.19 (98) | 15 (31) | 0.65 (2) |
| **योग** | **152** | **40.95** | **124** | **38.70** | **28** | **2.26** |

*स्रोत: श्रम कार्यालयों द्वारा अनुरक्षित उपकर पंजिका से तैयार की गई जानकारी।*

** कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल के सापेक्ष प्रतिशत दर्शाते हैं।*

**तालिका 2.14** से स्पष्ट है कि:

(i) श्रम कार्यालय, बिलासपुर में उपकर जमा करने वाले कुल 103 नियोक्ताओं में से 90 (87 प्रतिशत) सरकारी नियोक्ता व 13 (13 प्रतिशत) निजी नियोक्ता थे। जबकि सरकारी नियोक्ताओं द्वारा जमा किए गए उपकर का अनुपात (₹ 6.51 करोड़) कुल जमा किए गए उपकर का 80 प्रतिशत था।

(ii) श्रम कार्यालय, कुल्लू में उपकर जमा करने वाले 49 नियोक्ताओं में से 34 (69 प्रतिशत) सरकारी नियोक्ता व 15 (31 प्रतिशत) निजी नियोक्ता थे। जबकि सरकारी नियोक्ताओं द्वारा जमा किए गए उपकर का अनुपात (₹ 32.19 करोड़) कुल जमा किए गए उपकर का 98 प्रतिशत था।

यह भी देखा गया कि वर्ष 2021-22 के दौरान 340 नियोक्ताओं ने बोर्ड के बैंक खातों में उपकर हस्तांतरित किया, जिनमें से 294 (86 प्रतिशत) सरकारी नियोक्ता व 46 (14 प्रतिशत) निजी नियोक्ता थे परन्तु जमा किए गए उपकर की राशि का विभाजन उपलब्ध नहीं था।

अतः उपकर राशि का बड़ा हिस्सा निजी नियोक्ताओं की तुलना में सरकारी नियोक्ताओं द्वारा जमा किया जा रहा था।

### 2.7.8.2 निधि के उपयोग में वित्तीय अनियमितताएं

निधि के उपयोग में पाई गई वित्तीय अनियमितताओं पर अनुवर्ती परिच्छेदों में चर्चा की गई है।

### 2.7.8.2 (क) निधि से अनियमित/अस्वीकार्य व्यय

हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) नियमावली, 2008 के नियम 289 में कहा गया है कि सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना इस निधि को अधिनियम व नियमों में उल्लिखित उद्देश्यों के अतिरिक्त किसी अन्य उद्देश्य के लिए खर्च नहीं किया जाएगा।

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश[56] (जून 2016) के अनुसार सभी राज्य सरकारों व केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों को स्कूलों, अस्पतालों, प्रशिक्षण केंद्रों, कर्मकार शालिका-सह-रात्रि आश्रय, प्रतीक्षालय, छात्रावास इत्यादि हेतु भवनों के निर्माण या भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकारों और उनके परिवार के कल्याण के अतिरिक्त किसी अन्य उद्देश्य के लिए निधि खर्च नहीं करनी है। ऐसे किसी भी उल्लंघन के मामले में तत्काल सुधारात्मक कदम उठाए जाने चाहिए तथा इस तरह से खर्च की गई निधि को केंद्र सरकार को सूचित करते हुए तत्काल प्रभाव से भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर निधि में वापस किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि बोर्ड ने निधि से ₹ 15.89 करोड़ का अनियमित/अस्वीकार्य व्यय किया। जिसका विवरण **तालिका 2.15** में दिया गया है।

**तालिका 2.15: निधि से अनियमित/अस्वीकार्य व्यय का विवरण**

| व्यय का प्रयोजन | अनियमित व्यय राशि (करोड़ में) | बोर्ड का उत्तर | लेखापरीक्षा टिप्पणी |
|---|---|---|---|
| **मुख्यमंत्री राहत कोष में निधियों का दान** | 2.00 | बोर्ड ने उत्तर दिया (मार्च 2023) कि सरकार ने कोविड-19 अवधि के दौरान संकट के समय में सबसे गरीब कर्मकारों के लिए निधियां हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। | इस निधि का उपयोग केवल भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकारों व उनके परिवार के कल्याण के लिए किया जाना है। |
| **पालकवाह खास, तहसील हरोली, जिला ऊना,** | 13.55[57] | बोर्ड ने बताया (मई 2024) कि बोर्ड ने 2014 में संशोधित हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन | निधि से पूंजीगत व्यय अनुमेय नहीं है तथा यह भारत सरकार के उक्त |

56 अधिसूचना संख्या: जेड-20011/08/2014-बीएल दिनांक 7 जून 2016

57 बोर्ड ने संपूर्ण निर्माण पर ₹ 18.41 करोड़ का भुगतान किया। इसमें से आपत्ति की गई राशि ₹ 13.55 करोड़ है, जो जून 2016 के बाद चुकाई गई।

| व्यय का प्रयोजन | अनियमित व्यय राशि (करोड़ में) | बोर्ड का उत्तर | लेखापरीक्षा टिप्पणी |
|---|---|---|---|
| **हिमाचल प्रदेश में कौशल विकास प्रशिक्षण संस्थान का निर्माण** | | तथा सेवा-शर्त विनियमन) नियमावली, 2008 के नियम 283 (डी) के उद्देश्य को पूरा करने के लिए कौशल विकास संस्थान का निर्माण किया। | आदेशों (जून 2016) के विरुद्ध है। |
| **प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का प्रचार-प्रसार** | 0.23 | बोर्ड ने बताया (मार्च 2023) कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने योजना सामग्री के व्यापक प्रचार से संबंधित व्यय के लिए स्वीकृति दे दी है। उप श्रम आयुक्त ने बताया (मार्च 2023) कि श्रम आयुक्त ने निर्णय लिया है कि राज्य स्तर के साथ-साथ जिला स्तर पर होने वाला व्यय बोर्ड द्वारा वहन किया जाएगा और इस संबंध में अतिरिक्त मुख्य सचिव (श्रम एवं रोजगार), हिमाचल प्रदेश सरकार से मौखिक स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है। | इस योजना को बोर्ड द्वारा कार्यान्वित नहीं किया गया तथा व्यय विभाग द्वारा वहन किया जाना था। किए गए व्यय को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा निधि में वापस किया जाना चाहिए। |
| **"विज्ञापन व प्रचार" लेखा शीर्ष से बैग की खरीद** | 0.11 | बोर्ड ने बताया (मार्च 2023) कि कर्मकारों का पंजीकरण बढ़ाने एवं उन्हें बोर्ड द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करने के लिए निदेशक मंडल ने बैगों की खरीद को मंजूरी दी। | खरीद और बोर्ड अधिकारियों को उसका वितरण विज्ञापन या प्रचार पहलू को उचित नहीं ठहराता है तथा निधि के दुरुपयोग को दर्शाता है। |
| **योग** | **15.89** | | |

## 2.7.8.2 (ख) आयकर अधिनियम के तहत त्रुटिपूर्ण पंजीकरण के कारण आयकर देयता

हिमाचल प्रदेश सरकार ने सन्निर्माण कर्मकारों हेतु कल्याणकारी योजनाएं लागू करने के लिए बोर्ड का गठन किया (मार्च 2009) एवं उपकर अधिनियम की अपेक्षानुसार एक प्रतिशत की दर से श्रम उपकर अधिरोपित किया। इस प्रकार संग्रहित उपकर को भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकारों के कल्याणार्थ विभिन्न योजनाओं पर खर्च किया जाना अपेक्षित था।

**आयकर देयता**

**कर देयता:** ₹ 191.01 करोड़
**चुकाया गया कर:** ₹ 42.71 करोड़
**लंबित देयता:** ₹ 148.30 करोड़

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (46) में प्रावधान है कि किसी निकाय या प्राधिकरण या बोर्ड या ट्रस्ट या आयोग की विगत वर्ष की कुल आय की गणना करते समय निम्नलिखित में से किसी भी खंड के अंतर्गत आने वाली कोई आय शामिल नहीं की जाएगी: (i) यह किसी केन्द्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम द्वारा या उसके तहत स्थापित या गठित किया गया हो,

या केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा आम जनता के लाभार्थ किसी गतिविधि को विनियमित या प्रशासित करने के उद्देश्य से गठित किया गया हो; (ii) यह किसी भी वाणिज्यिक गतिविधि में संलग्न नहीं हो; तथा (iii) यह इस खंड के प्रयोजनार्थ आधिकारिक राजपत्र में केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित हो।

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12एए(1)(बी) के तहत 01.04.2011 को बोर्ड चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में पंजीकृत किया गया। आयकर अधिनियम की धारा 11(1) के तहत ट्रस्ट की 15 प्रतिशत आय को आयकर से छूट दी गई एवं शेष 85 प्रतिशत आय को आयकर से छूट पाने के लिए भारत में धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्यों हेतु उपयोग किया जाना अपेक्षित था।

बोर्ड ने आरंभ में स्वयं को धारा 10 (46) के तहत पंजीकृत नहीं किया था और वह आयकर अधिनियम की धारा 12एए(1)(बी) के तहत पंजीकृत था तथा बाद में धारा 11(1) के तहत छूट की शर्त को पूरा नहीं कर सका, जो मार्च 2022 तक ₹ 191.01 करोड़ की कर देयता में परिणत हुआ।

बोर्ड ने सात वर्ष से अधिक समय बीत जाने के पश्चात् दिनांक 18.12.2018 के पत्र के माध्यम से आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(46) के तहत छूट प्राप्त करने के लिए मुख्य आयकर आयुक्त को आवेदन किया। परन्तु अक्टूबर 2023 तक आयकर प्राधिकारियों द्वारा कोई छूट नहीं दी गई तथा मार्च 2022 तक ₹ 148.30 करोड़ की कर देयता चुकाई जानी थी।

अंतिम बैठक में सचिव ने आयकर विभाग के साथ आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई करने का निर्देश दिया (अक्टूबर 2023)।

### 2.7.8.2 (ग) कम वार्षिक व्यय के कारण कर देयता

वित्तीय वर्ष 2020-21 के अतिरिक्त उपरोक्त अवधि के दौरान वार्षिक आय के 85 प्रतिशत तक व्यय होने की शर्त पूर्ण नहीं हुई, इसलिए बोर्ड को आयकर के रूप में ₹ 191.01 करोड़ का भुगतान करना था। इसमें से ₹ 42.71 करोड़ पहले ही आयकर विभाग के पास स्त्रोत पर कर कटौती के रूप में जमा या काटे गए थे एवं 31 मार्च 2022 तक ₹ 148.30 करोड़ की आयकर देयता अभी भी बकाया थी। बोर्ड द्वारा आय, व्यय व मांगे गए एवं जमा किए गए कर का विवरण **तालिका 2.16** में दिया गया है:

**तालिका 2.16: 2009-22 के दौरान बोर्ड की आय, व्यय व आयकर का विवरण**

**(₹ करोड़ में)**

| वित्तीय वर्ष | कुल आय | कुल व्यय | आय से व्यय का प्रतिशत | आयकर मांग राशि | जमा/काटा गया आयकर |
|---|---|---|---|---|---|
| **2009-10** | 24.39 | 0.07 | 0.29 | - | 0.02 |
| **2010-11** | 46.49 | 0.41 | 0.88 | - | 0.19 |
| **2011-12** | 49.49 | 0.42 | 0.85 | - | 0.82 |
| **2012-13** | 62.33 | 2.12 | 3.04 | - | 1.07 |

| वित्तीय वर्ष | कुल आय | कुल व्यय | आय से व्यय का प्रतिशत | आयकर मांग राशि | जमा/काटा गया आयकर |
|---|---|---|---|---|---|
| **2013-14** | 71.28 | 4.62 | 6.48 | 8.26 | 7.97 |
| **2014-15** | 79.83 | 6.23 | 7.80 | 36.78 | 20.67 |
| **2015-16** | 81.29 | 19.81 | 24.37 | - | 1.46 |
| **2016-17** | 90.68 | 30.87 | 34.04 | - | 1.15 |
| **2017-18** | 95.66 | 38.39 | 40.13 | 47.97 | 1.76 |
| **2018-19** | 104.10 | 27.03 | 25.96 | 32.52 | 2.31 |
| **2019-20** | 124.76 | 53.35 | 42.76 | 65.48 | 1.82 |
| **2020-21** | 116.35 | 108.78 | 93.49 | - | 1.34 |
| **2021-22** | 132.16 | 100.82 | 76.29 | - | 2.13 |
| **कुल** | **1,078.81** | **392.92** | **36.42** | **191.01** | **42.71** |

*स्रोत: आय व व्यय, बैलेंस शीट (2009-16) और बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराए गए डेटा (2017-22) से लिए गए हैं। आयकर विवरण बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराया गया है।*

बोर्ड ने बताया (फरवरी 2023) कि बोर्ड विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की धर्मार्थ गतिविधियों के लिए प्राप्तियों का 85 प्रतिशत उपयोग नहीं कर सकता क्योंकि सभी दावे मांग आधारित हैं, और संवितरण प्राप्तियों के 85 प्रतिशत से कम रहा। बोर्ड ने आगे बताया कि समय-समय पर केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एवं आयकर आयुक्त को धारा 10(46) के तहत छूट प्राप्त करने के लिए पत्र भेजा गया, जो प्रक्रियाधीन है।

प्रत्युत्तर को इस तथ्य के परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए कि यदि बोर्ड प्रारंभ में ही धारा 10(46) के तहत पंजीकृत होता, तो उसे आयकर से छूट मिल जाती और आयकर के रूप में जमा की गई बड़ी राशि का उपयोग भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकारों के कल्याण पर किया जा सकता था।

### 2.7.8.2 (घ) कर्मकारों के डेटाबेस के लिए सॉफ्टवेयर विकसित नहीं किया गया

**किया गया व्यय**

**बोर्ड ने सॉफ्टवेयर विकसित करने के लिए ₹ 27.61 लाख व्यय किए, जो छः वर्ष बीत जाने के बाद भी अब तक क्रियाशील नहीं हो पाया।**

बोर्ड ने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, शिमला के माध्यम से पंजीकरण/नवीनीकरण, अंशदान/शुल्क, दावों की प्रक्रिया, पंजीकृत कर्मकारों को वितरित कर्मकार/योजना-वार लाभ तथा वितरित किए जाने वाले लाभ, लाभार्थियों के कार्य निरंतरता प्रमाण-पत्र, पंजीकरण में दोहराव/त्रुटि की जांच, उपकर संग्रहण, शिकायत निवारण तंत्र आदि के लिए ऑनलाइन सॉफ्टवेयर विकसित करने की प्रक्रिया प्रारंभ की (फरवरी 2017) थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि बोर्ड ने सॉफ्टवेयर विकसित करने के लिए कोई समयसीमा तय नहीं की तथा लगभग छः वर्ष बीत जाने के बाद भी राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, शिमला ने

सॉफ्टवेयर विकसित नहीं किया और सॉफ्टवेयर के विकास पर ₹ 27.61 लाख का व्यय हुआ (फरवरी 2023)।

बोर्ड ने बताया (फरवरी 2023) कि सॉफ्टवेयर विकसित करने में विलम्ब तकनीकी कारणों से हुआ तथा हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड पोर्टल का उपयोग कर्मकारों की ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया के लिए किया जा रहा है और दावों की ऑनलाइन प्रक्रिया का कार्यान्वयन अंतिम चरण में है।

उत्तर इस तथ्य की पुष्टि करता है कि बोर्ड लंबा समय बीत जाने के बावजूद सन्निर्माण कर्मकारों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने, बाधा मुक्त पंजीकरण व नवीनीकरण, उनके कल्याणकारी लाभ आवेदन की स्थिति एवं शिकायत निवारण तंत्र हेतु सर्वग्राही सॉफ्टवेयर बनाने के उसके अभीष्ट उद्देश्य को प्राप्त करने में विफल रहा।

### 2.7.9 कल्याणकारी योजनाओं का सृजन

अधिनियम की धारा 22 बोर्ड द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का प्रावधान करती है। तदनुसार हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकारों के लिए हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) नियमावली, 2008 के नियम 271 से 283 व 298 से 302 में विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं[58] का प्रावधान है।

वर्ष 2017-22 के दौरान विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं पर किए गए व्यय को नीचे दिए गए **चार्ट 2.10** में दर्शाया गया है।

**चार्ट 2.10: 2017-22 के दौरान निधि से हुआ कल्याण व्यय**

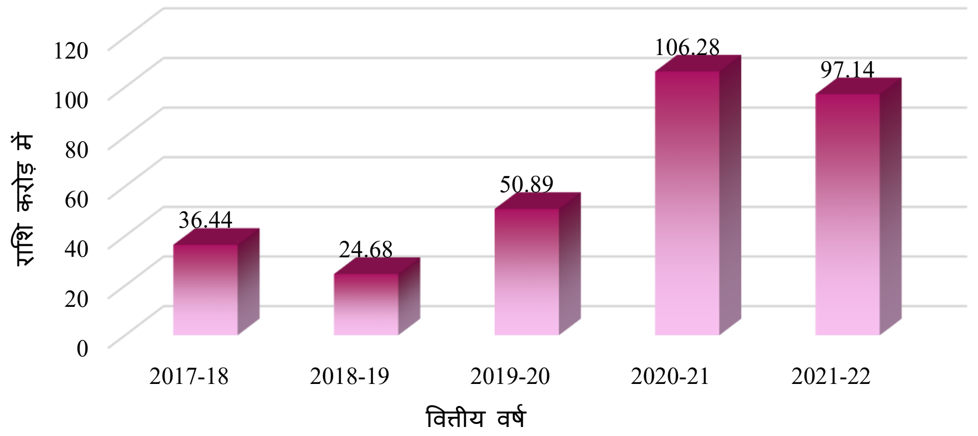


*स्रोत: बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी।*

58 विवाह के लिए वित्तीय सहायता, मातृत्व/पितृत्व लाभ, शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता, लाभार्थियों व आश्रितों को चिकित्सा सहायता, वृद्धावस्था पेंशन, विकलांगता पेंशन, मृत्यु व अंतिम संस्कार सहायता, महिलाओं हेतु साइकिल व वॉशिंग मशीन, इंडक्शन हीटर और सौर लैंप की खरीद हेतु सहायता

**तालिका 2.17: 2017-22 के दौरान कल्याणकारी योजनाओं पर स्वीकृत कल्याण व्यय**

(₹ करोड़ में)

> 10 प्रतिशत
1 से 10 प्रतिशत
< 1 प्रतिशत

| क्र. सं. | योजना का नाम[@] | लाभार्थियों की संख्या | राशि (प्रतिशत[*]) |
|---|---|---|---|
| 1 | आवास खरीदने या निर्मित करने के लिए अग्रिम | 0 | 0 |
| 2 | लाभार्थी के लिए कंबल, हॉट केस, टिफिन व स्टील डिनर सेट | 0 | 0 |
| 3 | विकलांगता पेंशन | 11 | 0.01 |
| 4 | कार्यस्थल पर शिशुगृह पर व्यय | 0 | 0.11 |
| 5 | प्रधानमंत्री जीवनज्योति बीमा योजना व प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना | 19,959 | 0.35 |
| 6 | सामान्य कल्याणकारी गतिविधि | 0 | 0.36 |
| 7 | वृद्धावस्था पेंशन | 740[$] | 0.63 |
| 8 | मेडिकल सहायता | 2,724 | 3.12 (1) |
| 9 | इंडक्शन कुकर के लिए वित्तीय सहायता | 47,509 | 7.92 (3) |
| 10 | वाशिंग मशीन के लिए वित्तीय सहायता | 11,894 | 8.04 (3) |
| 11 | साइकिल के लिए वित्तीय सहायता | 32,815 | 8.60 (3) |
| 12 | सौर लैंप के लिए वित्तीय सहायता | 39,896 | 10.24 (4) |
| 13 | मातृत्व/पितृत्व वित्तीय सहायता | 2,754 | 11.87 (4) |
| 14 | मृत्यु एवं अंतिम संस्कार वित्तीय सहायता | 958 | 14.86 (5) |
| 15 | विवाह के लिए वित्तीय सहायता | 17,504 | 64.48 (23) |
| 16 | शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता | 74,849 | 72.15 (26) |
| 17 | कोविड-19 वित्तीय सहायता | 3,92,955[#] | 78.59 (28) |
| | **योग** | | **281.33** |

*स्रोत: बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी।*

**कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल व्यय में व्यय का प्रतिशत दर्शाते हैं।*

*# ये आंकड़े योजना के अंतर्गत तीन किस्तों में कवर किए गए कर्मकारों की संख्या का योग हैं।*

*$ आंकड़े पांच वर्षों में पेंशन पाने वाले कर्मकारों की संचयी संख्या है, न कि वैयक्तिक लाभार्थियों के अनुसार।*

*@ ₹ 10.41 करोड़ का व्यय (मूल्यह्रास: ₹ 4.91 करोड़, विज्ञापन व प्रचार: ₹ 3.03 करोड़, मुख्यमंत्री राहत कोष: ₹ दो करोड़, स्टोर का किराया: ₹ 0.32 करोड़, माल ढुलाई शुल्क: ₹ 0.10 करोड़ व कर्मकार पारगमन छात्रावास: ₹ 0.05 करोड़) शामिल नहीं है।*

### 2.7.9.1 बिना किसी सर्वेक्षण या निरीक्षण रिपोर्ट के योजनाओं का सृजन

अधिनियम की धारा 5 में यह प्रावधान है कि समुचित सरकार इस अधिनियम के अधीन नियम बनाने के लिए उस सरकार को सलाह देने के लिए एक या अधिक विशेषज्ञ समितियों का गठन कर सकेगी जो भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य में विशेष रूप से अर्हित व्यक्तियों से मिलकर बनेगी।

धारा 22(1) में प्रावधान है कि बोर्ड का कार्य लाभार्थियों को विभिन्न कल्याणकारी उपाय प्रदान करना है। बोर्ड द्वारा हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) नियमावली, 2008 के नियम 271 से 283 के अनुसार विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं लागू की गई।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य सरकार ने अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए विशेषज्ञ समिति के परामर्शोपरांत योजना नियम बनाएं। परन्तु राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित व बोर्ड द्वारा कार्यान्वित कल्याणकारी योजनाएं संपूर्ण राज्य में किसी भी तरह के सर्वेक्षण अथवा विभाग या बोर्ड के निरीक्षण अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत किसी भी निरीक्षण रिपोर्ट पर आधारित नहीं थीं।

बोर्ड ने बताया (दिसंबर 2022) कि कार्यान्वित योजनाओं को सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) नियमावली, 2008 में अधिसूचित किया गया तथा तत्पश्चात उनका विस्तार करते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा उक्त नियमों में संशोधन द्वारा नई योजनाओं को समाविष्ट किया गया।

सर्वेक्षण करने और लाभार्थियों से इनपुट लेने के बाद योजनाओं के सृजन व कार्यान्वयन हेतु उर्ध्वगामी दृष्टिकोण अपनाने से उनके सफल कार्यान्वयन की संभावना बढ़ जाएगी। साथ ही, उत्तर को इस तथ्य के परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए कि विभिन्न कल्याणजारी योजनाओं को नियमों में अधिसूचित/समावेशित तो किया गया परन्तु वे कार्यान्वयन के चरण में असफल रहीं, जैसा कि **परिच्छेद 2.7.10.1** में चर्चा की गई है।

### 2.7.9.2 बिना किसी प्रारंभिक अध्ययन के योजनाओं का विवेकहीन सृजन

राज्य सरकार ने विशेषज्ञ समिति की अनुशंसा पर हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) नियमावली, 2008 में संशोधन किया (अगस्त 2014) एवं नियम 283 (बी) व (एफ)[59] का समावेश किया, जिसके अनुसार बोर्ड महिला लाभार्थी को एकमुश्त प्रोत्साहन के रूप में एक वॉशिंग मशीन व एक साइकिल प्रदान कर सकता है। यह लाभ प्रति परिवार केवल एक बार प्रदान किया जाएगा।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकारों को वाशिंग मशीन व साइकिलों के वितरण का कोई सर्वेक्षण नहीं हुआ क्योंकि ये कर्मकार काम की तलाश में पलायन करते हैं और अस्थायी आवासों/आश्रयों में रहते हैं, जहां नल की सुविधा नहीं है तथा उन्हें निर्बाध बिजली की आपूर्ति तक नहीं की जाती। साथ ही, बोर्ड या विशेषज्ञ समिति ने साइकिल वितरण योजना की एकसमान प्रयोज्यता पर उसकी व्यवहार्यता के संदर्भ में जांच नहीं की

[59] अधिसूचना की तिथि: 14 अगस्त 2014

क्योंकि यह योजना राज्य के मैदानी क्षेत्रों में उपयोगी होगी, परन्तु किन्नौर व लाहौल-स्पीति जिलों के अधिक ऊंचाई वाले पहाड़ी क्षेत्रों में नहीं।

योजनाओं की व्यवहार्यता की प्रारंभिक अवस्था में जांच की जानी चाहिए एवं पर्याप्त सर्वेक्षण किए जाने चाहिए क्योंकि बिना उपयोगिता के योजना कार्यान्वित करने से भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकारों के जीवन स्तर में सुधार नहीं होगा एवं निधि से व्यय व्यर्थ होगा। योजनाएं निरुपित करते समय राज्य सरकार द्वारा अपनाए गए टॉप-डाउन दृष्टिकोण की पुनः जांच की जानी चाहिए। साथ ही, लेखापरीक्षा टिप्पणी को इस तथ्य से बल मिलता है कि मार्च 2022 तक 60 वाशिंग मशीन व 436 साइकिलें स्टोर में अवितरित रखी थीं, जैसा कि **परिच्छेद 2.7.10.6 (ग)** में चर्चा की गई है।

### 2.7.10 कल्याणकारी योजनाओं का कार्यान्वयन

वर्ष 2017-22 के दौरान संस्वीकृत व्यय के आधार पर लेखापरीक्षा में नमूना-जांच हेतु दस कल्याणकारी योजनाओं का चयन किया गया, जैसा कि **तालिका 2.18** में विवर्णित है।

**तालिका 2.18: लेखापरीक्षा में नमूना-जांच हेतु चयनित दस कल्याणकारी योजनाओं का विवरण**

| क्र.सं. | योजना का नाम | वित्तीय सहायता (करोड़ में) |
|---|---|---|
| 1 | कोविड-19 वित्तीय सहायता | 78.59 |
| 2 | शिक्षा सहायता | 72.15 |
| 3 | विवाह सहायता | 64.48 |
| 4 | मृत्यु एवं अंतिम संस्कार वित्तीय सहायता | 14.86 |
| 5 | मातृत्व/पितृत्व वित्तीय सहायता | 11.87 |
| 6 | सौर लालटेन | 10.24 |
| 7 | वाशिंग मशीन | 8.04 |
| 8 | इंडक्शन कुकर | 7.92 |
| 9 | आवास खरीदने या निर्मित करने के लिए अग्रिम | कोई व्यय नहीं |
| 10 | लाभार्थी के लिए कंबल, हॉट केस, टिफिन व स्टील डिनर सेट | कोई व्यय नहीं |

*स्रोत: बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी।*

कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर अनुवर्ती परिच्छेदों में चर्चा की गई है।

#### 2.7.10.1 अधिसूचित कल्याणकारी योजनाओं का कार्यान्वयन न होना

लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) नियमावली, 2008 में विभिन्न कल्याणकारी

योजनाएं अधिसूचित की गई थीं, परन्तु बोर्ड द्वारा निम्नलिखित कल्याणकारी योजनाओं का कार्यान्वयन नहीं किया गया, जैसा कि नीचे चर्चा की गई है।

### 2.7.10.1 (क) आवास की खरीद या निर्मित करने हेतु अग्रिम राशि एवं औजार की खरीद हेतु ऋण

हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) नियमावली, 2008 के अंतर्गत कल्याणकारी योजनाएं यथा आवास की खरीद या निर्मित करने के लिए अग्रिम राशि (नियम 274) एवं औजार की खरीद के लिए ऋण (नियम 276) अधिसूचित किए गए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि बोर्ड के गठन (मार्च 2009) के लगभग 13 वर्ष बीत जाने के बाद भी दिसंबर 2022 तक इन कल्याणकारी योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए बोर्ड को कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ।

बोर्ड ने बताया (फरवरी 2023) कि यदि लाभार्थी को प्रधानमंत्री आवास योजना/मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत इसका लाभ मिल रहा है तो वह पंजीकृत कर्मकारों को आवास निर्मित करने के लिए सहायता प्रदान कर रहा है।

उत्तर संतोषप्रद नहीं है क्योंकि उक्त नियमों में प्रधानमंत्री आवास योजना व मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत अहर्ता की शर्त अनिवार्य नहीं है एवं हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) नियमावली, 2008 के नियम 302 में मुख्यमंत्री आवास योजना के रूप में अलग योजना समाविष्ट की गई है। एक भी आवेदन प्राप्त न होना बोर्ड की ओर से योजना के प्रचार-प्रसार में कमी को परिलक्षित करता है जो कर्मकारों में जागरूकता की कमी में परिणत होती है।

### 2.7.10.1 (ख) आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत सम्मिलित न करना

आदर्श कल्याण योजना (अक्टूबर 2018) के अनुसार राज्य कल्याण बोर्डों को उनकी संबंधित राज्य सरकारों के साथ समन्वय स्थापित करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नई शुरू की गई योजना 'आयुष्मान भारत' अधिकतम भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकारों को सम्मिलित करने में सक्षम हो।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि बोर्ड ने 'आयुष्मान भारत' योजना के अंतर्गत पंजीकृत कर्मकारों को सम्मिलित करने हेतु राज्य सरकार के साथ समन्वय स्थापित करने हेतु कोई कदम नहीं उठाया।

बोर्ड ने बताया (दिसंबर 2022) कि वह उसके पंजीकृत लाभार्थियों को उनके चिकित्सा व्यय के दावों के अनुसार चिकित्सा सहायता प्रदान कर रहा है।

उत्तर संतोषप्रद नहीं है, क्योंकि बोर्ड ने उसके सभी पंजीकृत भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकारों को 'आयुष्मान भारत' योजना में सम्मिलित किया था अतः लाभार्थी ई-कार्ड के माध्यम से दिए जाने वाले कैशलेस लाभों का उपयोग कर सकते थे। यदि भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार आयुष्मान भारत योजना के तहत चिकित्सा सहायता प्राप्त करने में विफल रहते हैं तो बोर्ड चिकित्सा सहायता उपलब्ध करा सकता है।

### 2.7.10.1 (ग) महिला लाभार्थी को कंबल, हॉट केस, टिफिन व स्टील डिनर सेट उपलब्ध कराने की योजना

विभाग द्वारा जारी दिनांक 06 जनवरी 2020 की अधिसूचनानुसार कल्याणकारी योजना अर्थात महिला लाभार्थी हेतु कंबल, हॉट केस, टिफिन व स्टील डिनर सेट (नियम 283 (एफ)) का प्रावधान शामिल किया गया।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि फरवरी 2020 से जुलाई 2021 के मध्य बोर्ड को श्रम कार्यालयों से कंबल, हॉट केस, टिफिन व स्टील डिनर सेट की स्वीकृति हेतु 10,110 आवेदन प्राप्त हुए। परन्तु मार्च 2021 तक, जब भारत सरकार ने राज्यों को वस्तु रूप योजनाओं या लाभों को स्थगित करने की सलाह दी थी, तब तक बोर्ड ने किसी भी दावे को स्वीकृत नहीं किया था अथवा किसी फर्म के साथ कंबल की खरीद का कोई दर अनुबंध हस्ताक्षरित नहीं किया था।

बोर्ड ने बताया (फरवरी 2023) कि भारत सरकार के पत्र (मार्च 2021) के अनुसार वस्तु रूप लाभों का वितरण स्थगित कर दिया गया था एवं तदनुसार बोर्ड ने महिला लाभार्थियों के लिए कंबल, हॉट केस, टिफिन व स्टील डिनर सेट नामक योजना लागू नहीं की।

उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जाना चाहिए कि इस योजना को जनवरी 2020 में अधिसूचित किया गया एवं बोर्ड को मार्च 2020 से आवेदन मिलने आरंभ हो गए थे, परन्तु भारत सरकार के आदेश (मार्च 2021) द्वारा योजना रोक दिए जाने तक उसने एक भी आवेदन को स्वीकृत नहीं किया। समाज के कमजोर वर्ग के मामलों पर कार्यवाही करने में लगभग एक वर्ष के विलम्ब के कारण वे उनके लाभों से वंचित रह गए, विशेष कर ऐसी योजना से जो महिला कर्मकारों के लिए थी।

### 2.7.10.1 (घ) बच्चों के उपयोग के लिए मोबाइल शिशुगृह

अधिनियम की धारा 35 में यह प्रावधान है कि प्रत्येक ऐसे स्थान पर, जहां पचास से अधिक महिला सन्निर्माण कर्मकार मामूली तौर पर नियोजित की जाती हैं, ऐसी स्त्री कर्मकारों के छः वर्ष से कम आयु के बच्चों के उपयोग के लिए उपयुक्त कमरा या कमरों की व्यवस्था की जाएगी और उनका रखरखाव किया जाएगा।

सरकार ने (जनवरी 2020) अधिसूचित किया था कि बोर्ड ऐसे स्थानों पर जहां आवश्यकता हो, पंजीकृत भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकारों को मोबाइल शौचालय एवं मोबाइल शिशुगृह उपलब्ध करा सकता है। इसके रखरखाव आदि सहित सभी व्यय बोर्ड द्वारा वहन किए जाएंगे।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि बोर्ड ने महिला एवं बाल विकास विभाग के साथ मिलकर चिह्नित निर्माण-स्थलों[60] पर शिशुगृह स्थापित करने का निर्णय लिया (नवंबर 2018) तथा निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग को ₹ 10.85 लाख हस्तांतरित किए। इसमें से ₹ 7.05 लाख का उपयोग हुआ एवं ₹ 3.80 लाख अप्रयुक्त रहें (जनवरी 2023)। कोविड-19 प्रकोप के कारण योजना स्थगित कर दी गई और शिशुगृह बंद कर दिए गए, परन्तु उसके पश्चात् न तो योजना क्रियान्वित की गई और न ही महिला एवं बाल विकास विभाग ने बोर्ड को शेष राशि वापस की।

### 2.7.10.1 (ङ) अन्य कल्याणकारी योजनाएं

राज्य सरकार की अधिसूचना (सितंबर 2021) के अनुसार हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) नियमावली, 2008 में विभिन्न नियमों को जोड़ा गया। इन नियमों के माध्यम से पांच नई योजनाओं, यथा (i) कन्या जन्म उपहार योजना (नियम 298), (ii) मानसिक रूप से मंद बच्चों के लिए लाभ योजना (नियम 299), (iii) विधवा पेंशन (नियम 300), (iv) छात्रावास सुविधा योजना (नियम 301) व (v) मुख्यमंत्री आवास योजना (नियम 302) को जोड़ा गया।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि मार्च 2022 तक उपर्युक्त किसी भी योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए बोर्ड को कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ, जिसके परिणामस्वरूप बोर्ड द्वारा कर्मकारों को कोई लाभ नहीं दिया जा सका।

बोर्ड ने बताया (फरवरी 2023) कि बोर्ड विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार हेतु जागरूकता शिविर आयोजित कर रहा है, साथ ही सोशल मीडिया, आकाशवाणी, एफएम रेडियो आदि के माध्यम से प्रचार कर रहा है।

सुस्पष्ट है कि इन योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार नहीं किया गया, जैसा कि **परिच्छेद 2.3.4.4** में पहले ही चर्चा की जा चुकी है तथा कर्मकार इन कल्याणकारी योजनाओं से अनभिज्ञ थे। संयुक्त भौतिक निरीक्षण व लाभार्थी सर्वेक्षण पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों से भी इसकी पुष्टि होती है, जिनमें कई कर्मकारों को बोर्ड या इसकी योजनाओं के विषय में कोई जानकारी नहीं थी।

---

[60] मंडी, शिमला, सिरमौर व सोलन जिलों में।

## 2.7.10.2 कोविड-19 वित्तीय सहायता

निरोधक, निवारक एवं पूर्व-निवारक उपाय करके कोरोना वायरस (कोविड-19) के प्रसार को अधिकतम सीमा तक रोकने के लिए राज्य सरकार ने बोर्ड के प्रत्येक पंजीकृत कर्मकार को आवश्यक राशन सामग्री, दवाइयां आदि की खरीद हेतु वित्तीय सहायता के रूप में प्रति किस्त (कुल तीन किस्तें) ₹ 2,000/- के संवितरण के आदेश जारी किए (मार्च, मई व अगस्त 2020)। वर्ष 2020-21 के दौरान इस योजना के तहत तीन किस्तों में ₹ 78.59 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई थी।

लेखापरीक्षा में निम्नलिखित कमियां पाई गईं:

## 2.7.10.2 (क) लाभार्थियों का समावेशन

राज्य में बोर्ड द्वारा कोविड-19 महामारी के दौरान वित्तीय सहायता के अंतर्गत सम्मिलित किए गए जीवित पंजीकृत कर्मकारों का विवरण **तालिका 2.19** में दिया गया है:

**तालिका 2.19: कोविड-19 वित्तीय सहायता के अंतर्गत लिए गए जीवित पंजीकृत कर्मकार**

**(₹ करोड़ में)**

| किस्त सं. | माह | कुल जीवित पंजीकृत कर्मकार | स्वीकृत भुगतान की संख्या | सम्मिलित न किए गए पंजीकृत कर्मकार (प्रतिशत में) | स्वीकृत राशि |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (कॉलम 3-4) | 6 |
| **प्रथम** | अप्रैल 2020 | 1,36,211 | 1,24,094 | 12,117 (9) | 24.82 |
| **द्वितीय** | मई 2020 | 1,50,342 | 1,32,267 | 18,075 (12) | 26.45 |
| **तृतीय** | जुलाई 2020 | 1,67,140 | 1,36,609 | 30,531 (18) | 27.32 |
| **योग** | | | | | **78.59** |

*स्रोत: बोर्ड द्वारा दी गई जानकारी।*

**तालिका 2.19** से स्पष्ट है कि कोविड-19 वित्तीय सहायता के तहत स्वीकृत तीन किस्तों में नौ से 18 प्रतिशत पंजीकृत कर्मकारों को सम्मिलित नहीं किया गया।

बोर्ड ने बताया (मार्च 2023) कि कोविड-19 वित्तीय सहायता का लाभ संबंधित श्रम अधिकारी द्वारा की गई संस्तुति व सत्यापन के अनुसार लाभार्थियों को दिया गया था तथा आवश्यक अनिवार्य जानकारी अर्थात आधार नंबर, बैंक खाता, आईएफएससी कोड इत्यादि के अभाव में शेष लाभार्थियों को लाभ स्वीकृत नहीं किया जा सका। श्रम कल्याण अधिकारी ने बताया (मई 2024) कि वर्ष 2018 से पहले पंजीकृत कुछ लाभार्थियों के बैंक खाते व आईएफएससी कोड की जानकारी उपलब्ध नहीं थी क्योंकि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की प्रक्रिया बाद में आरंभ हुई थी।

उत्तर संतोषप्रद नहीं है क्योंकि बोर्ड को श्रम अधिकारियों व लाभार्थियों से ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए कदम उठाने चाहिए थे तथा योजना के तहत सम्मिलित न किए गए कर्मकारों की बढ़ती संख्या से पता चलता है कि पहली किस्त की स्वीकृति के बाद पंजीकृत कर्मकारों का आवश्यक विवरण श्रम अधिकारियों/श्रम निरीक्षक ने प्राप्त नहीं किया, जिससे लाभार्थी अभीष्ट लाभ से वंचित रह गए।

### 2.7.10.2 (ख) वितरण हेतु लंबित अस्वीकृत दावे

यह पाया गया कि बोर्ड ने तीन किस्तों में कोविड-19 वित्तीय सहायता का भुगतान करने हेतु क्रमशः 124094, 132267 व 136609 पंजीकृत कर्मकारों को स्वीकृत किया। परन्तु गलत खाता संख्या या गलत आईएफएससी कोड इत्यादि जैसे कारणों से 30,968 दावे अस्वीकृत कर दिए गए। संबंधित श्रम अधिकारियों के माध्यम से सुधार प्राप्त करने के पश्चात् इनमें से 76 दावे स्वीकृत किए गए परन्तु दिसंबर 2022 तक 30,892 दावे अभी भी अनुमोदन/स्वीकृति हेतु लंबित थे।

बोर्ड ने बताया (मार्च 2023) कि कर्मकारों को संबंधित श्रम अधिकारी के माध्यम से अस्वीकृतियों के विषय में सूचित किया गया था ताकि लाभार्थियों से सही खाता क्रेडेंशियल प्राप्त किए जा सकें। परन्तु श्रम अधिकारियों से सही सूची प्राप्त नहीं हुई जिससे ये लाभ नहीं दिए जा सके।

उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जाना चाहिए कि कर्मकारों को तुरंत सूचित किया जाना था क्योंकि देखा गया कि कुछ कर्मकार, जिनके फोन नंबर उपलब्ध नहीं थे, उन्हें श्रम अधिकारी/श्रम कल्याण अधिकारी ने तीन वर्ष बीत जाने के बाद अर्थात् दिसंबर 2023 में सूचित किया; एवं उनसे यथाशीघ्र सही जानकारी प्राप्त की जानी चाहिए थी, क्योंकि महामारी के कारण सभी निर्माण कार्य बंद हो गए थे तथा इन सन्निर्माण कर्मकारों की आय का कोई और वैकल्पिक स्रोत नहीं था जिससे उन्हें उनके दिन-प्रति-दिन के जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। बोर्ड के साथ-साथ श्रम कार्यालयों की ओर से लापरवाही देखी गई क्योंकि लगभग तीन वर्षों के बाद भी 30,892 कर्मकारों के दावे अभी भी अनुमोदन हेतु लंबित हैं।

### 2.7.10.2 (ग) लाभार्थियों के दोहरे पंजीकरण के कारण सहायता का दोहरा वितरण

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 158 लाभार्थियों को कम से कम दो बार कोविड-19 वित्तीय सहायता स्वीकृत व वितरित की गई क्योंकि उनके पास दो अलग-अलग पंजीकरण संख्याएं थीं परन्तु आधार संख्या एवं अन्य विवरण जैसे नाम, पता, खाता संख्या आदि एक ही थे, परिणामस्वरूप वर्ष 2020-21 के दौरान उन्हें ₹ 3.16 लाख (कुल भुगतान राशि ₹ 6.32 लाख) की राशि अधिक वितरित की गई, जैसा कि **तालिका 2.20** में विवर्णित है।

**तालिका 2.20: कोविड-19 वित्तीय सहायता का दोहरा वितरण**

(₹ लाख में)

| इकाई का नाम (श्रम अधिकारी/श्रम निरीक्षक) | स्वीकृत/वितरित दोहरी सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या | प्रति लाभार्थी ₹ 2,000/- की दर से हुआ अतिरिक्त राशि का भुगतान |
|---|---|---|
| बिलासपुर | 2 | 0.04 |
| हमीरपुर | 66 | 1.32 |
| धर्मशाला, कांगड़ा | 9 | 0.18 |
| मंडी | 20 | 0.40 |
| रामपुर | 1 | 0.02 |
| सोलन | 54 | 1.08 |
| शिमला | 6 | 0.12 |
| **योग** | **158** | **3.16** |

बोर्ड ने बताया (अप्रैल 2023) कि लाभार्थियों को दोहरा भुगतान जारी होने की दशा में उसने सभी श्रम कल्याण अधिकारियों को उनसे राशि की वसूली करने के निर्देश दिए हैं। श्रम अधिकारी, बिलासपुर ने बताया (अप्रैल 2023) कि ऐसा कोई तंत्र उपलब्ध नहीं है जिसके माध्यम से कर्मकारों के दोहरे पंजीकरण को रोका जा सके। श्रम निरीक्षक, हमीरपुर ने बताया (फरवरी 2023) कि कार्यालय के पास ऐसा कोई तंत्र/सॉफ्टवेयर उपलब्ध नहीं है जिसके माध्यम से एक ही लाभार्थी से पंजीकरण के कई आवेदनों का पता लगाया जा सके। साथ ही श्रम संघों से आवेदन थोक में प्राप्त होते हैं, जिससे दोहरे पंजीकरण फॉर्म का पता लगाना मुश्किल हो जाता है।

### 2.7.10.2 (घ) मृतक लाभार्थियों को सहायता राशि का वितरण

नमूना-जांचित श्रम कार्यालयों में अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान पाया गया कि बोर्ड ने वर्ष 2020-21 के दौरान 25 मृतक लाभार्थियों को एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से कोविड-19 वित्तीय सहायता स्वीकृत व वितरित की, जो इस तथ्य को परिलक्षित करता है कि बोर्ड या उनके प्राधिकृत अधिकारी ने वित्तीय सहायता स्वीकृत करने से पूर्व कोई जांच नहीं की एवं श्रम अधिकारी/श्रम निरीक्षक द्वारा बनाए गए जीवित पंजीकृत कर्मकारों के डेटा को विश्वसनीय नहीं माना जा सकता क्योंकि भुगतान मृतक कर्मकारों को किया गया था। इन 25 लाभार्थियों[61] की मृत्यु अक्टूबर 2017 से फरवरी 2020 के मध्य में हुई थी। फिर भी इन लाभार्थियों को कोविड 19 वित्तीय सहायता योजना के तहत ₹ 1.00 लाख की राशि वितरित की गई।

श्रम कल्याण अधिकारी, बिलासपुर ने बिना कोई कारण बताए तथ्यों को स्वीकार कर लिया (मई 2023)। श्रम कल्याण अधिकारी, कुल्लू ने बताया (अप्रैल 2023) कि सरकार के निर्देश

[61] श्रम अधिकारी, बिलासपुर: छ, श्रम निरीक्षक, हमीरपुर: 14, श्रम अधिकारी, कुल्लू: एक, श्रम अधिकारी, नाहन: दो, श्रम अधिकारी, शिमला: दो।

पर लाभार्थी को सहायता जारी की गई थी, जबकि लाभार्थी की मृत्यु की सूचना बाद में जुलाई 2020 में प्राप्त हुई। श्रम कल्याण अधिकारी, हमीरपुर ने बताया (मई 2023) कि उस समय पंजीकृत कर्मकारों की स्थिति को सत्यापित करने का कोई निर्देश नहीं था एवं कर्मकारों की जीवित स्थिति का पता लगाने के लिए भी कोई तंत्र नहीं था।

बोर्ड को प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) का कार्यान्वयन/संचालन सुनिश्चित करना चाहिए ताकि जब भी मृत्यु की तिथि की प्रविष्टि की जाए, तो कर्मकार को मृत्यु लाभ के अतिरिक्त कोई अन्य लाभ प्रदान न किया जा सके।

### 2.7.10.3 शिक्षण हेतु वित्तीय सहायता

हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) नियमावली, 2008 के नियम 281 के अनुसार - शिक्षण हेतु वित्तीय सहायता - सदस्यों के अधिकतम दो बच्चे ऐसी वित्तीय सहायता के लिए पात्र होंगे, जिसे निर्दिष्ट अध्ययन पाठ्यक्रमों के लिए बोर्ड द्वारा समय-समय पर विहित किया जाएगा। शिक्षण हेतु वित्तीय सहायता का विवरण **परिशिष्ट 2.4** में दिया गया है। फॉर्म- XLIII में आवेदन ऐसे दस्तावेजों के साथ और समय के भीतर प्रस्तुत किया जाए, जैसा बोर्ड द्वारा विहित किया गया हो। वित्तीय सहायता निम्नलिखित शर्तों पर दी जाएगी:

1. पंजीकृत लाभार्थियों के पुत्र/पुत्रियां इस योजना के अंतर्गत लाभ के लिए पात्र होंगे।
2. वे मान्यता प्राप्त संस्थानों में नियमित छात्र हों।
3. यह लाभ लाभार्थी के दो से अधिक बच्चों को अनुमत नहीं होगा; तथा
4. लाभार्थी को उस संबंधित संस्थान के प्रमुख से प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा जहां उसका पुत्र या पुत्री पढ़ रहे हैं।

वर्ष 2017-22 के दौरान 74,849 लाभार्थियों को शिक्षण हेतु ₹ 72.15 करोड़ की वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई। हालांकि बैलेंस शीट के अनुसार वर्ष 2017-22 के दौरान किया गया व्यय ₹ 86.48 करोड़ था एवं आंकड़ों में मिलान न होने को **परिच्छेद 2.7.8.1** (ग) में पहले ही इंगित किया जा चुका है। लेखापरीक्षा में सहायता स्वीकृत करने में निम्नलिखित अनियमितताएं देखी गईं:

(i) एक ही कक्षा/पाठ्यक्रम वर्ष हेतु दो लाभार्थियों को उनके बच्चों के लिए ₹ 0.21 लाख की वित्तीय सहायता दो बार वितरित की गई।

(ii) दो लाभार्थियों को दो से अधिक बच्चों के लिए ₹ 0.56 लाख की वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई।

(iii) दोहरे पंजीकरण वाले लाभार्थी को उसके एक ही बच्चे के शिक्षण हेतु दोनों पंजीकरण संख्याओं के आधार पर ₹ 0.19 लाख की वित्तीय सहायता वितरित की गई।

बोर्ड ने बताया (अप्रैल, मई 2023) कि क्षेत्रीय पदाधिकारियों से लाभार्थियों को भुगतान की गई अतिरिक्त राशि की वसूली के लिए कदम उठाने का अनुरोध किया गया था।

दावों पर कार्रवाई करते समय बोर्ड को अधिक सतर्क रहना चाहिए तथा अभिलेख इस प्रकार रखे जाएं कि पिछली कल्याणकारी योजनाओं के भुगतान का रिकॉर्ड पता चल सके।

### 2.7.10.4 विवाह के लिए वित्तीय सहायता

हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) नियमावली, 2008 के नियम 282 के अनुसार, विवाह के लिए वित्तीय सहायता[62]- सदस्यता के दो माह पूर्ण होने के पश्चात् लाभार्थी उसके विवाह और केवल दो बच्चों के विवाह के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने का पात्र होगा। लाभार्थी को इस सहायता के लिए फॉर्म संख्या-XLIV में विवाह प्रमाणपत्र, परिवार पंजिका की प्रति इत्यादि जैसे अपेक्षित दस्तावेजों के साथ सचिव या प्राधिकृत अधिकारी को आवेदन करना होगा। वर्ष 2017-22 के दौरान 17,504 लाभार्थियों को विवाह के लिए ₹ 64.48 करोड़ की वित्तीय सहायता मंजूर की गई। हालांकि बैलेंस शीट के अनुसार वर्ष 2017-22 के दौरान किया गया व्यय ₹ 71.23 करोड़ था तथा आंकड़ों में विसंगति पहले ही **परिच्छेद 2.7.8.1 (ग)** में इंगित की गई है।

### 2.7.10.4 (क) विवाह सहायता की अनियमित स्वीकृति

लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2017-22 की अवधि के दौरान विवाह के लिए ₹ 17.44 लाख की वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले 38 लाभार्थी, जो उपरोक्त नियम के आवश्यक मानदंडों को पूरा नहीं करते थे, उनका विवरण नीचे दिया गया है:

(i) पांच विवाह सहायता मामलों में एक ही बच्चे के विवाह के लिए एक लाभार्थी को दो बार ₹ 1.75 लाख की सहायता स्वीकृत की गई।

(ii) चार लाभार्थियों ने उसके विवाह या उसके बच्चों के विवाह की तिथि के बाद बोर्ड में पंजीकरण कराया, जो ₹ 1.20 लाख का अनियमित भुगतान किया गया।

(iii) 17 आवेदकों/लाभार्थियों के मामले में विवाह की तिथि बोर्ड में पंजीकरण की तिथि से दो माह की अवधि के भीतर थी, जो कि पूर्वोक्त नियम के विरुद्ध है, अतः उन्हें ₹ 5.77 लाख का अनियमित भुगतान किया गया।

(iv) 12 विवाह सहायता मामलों में एक ही परिवार के दो सदस्यों {माता-पिता व पुत्र/पुत्री (स्वयं) भी सदस्य के रूप में पंजीकृत} को विवाह के लिए कुल ₹ 8.72 लाख की विवाह सहायता स्वीकृत की गई।

---

[62] विवाह सहायता की दरें: ₹ 5,100/- (दिसंबर 2008), ₹ 11,000/- (नवंबर 2011), ₹ 21,000/- (मई 2013), ₹ 25,000/- (अगस्त 2014), ₹ 35,000/- (जनवरी 2018), ₹ 51,000/- (सितंबर 2020)।

बोर्ड ने बताया (अप्रैल 2023) कि विवाह की तिथि के पश्चात् लाभार्थियों के पंजीकरण व दोहरे भुगतान पर वसूली प्रक्रिया आरंभ की गई है। साथ ही दो माह की सदस्यता की शर्त पूरी न होने पर बोर्ड ने बताया कि नियम 285 (बी) के अनुसार भुगतान किया जाता है। एक ही परिवार के दो सदस्यों को विवाह के लिए किए गए भुगतान पर बोर्ड ने बताया कि इस नियम के तहत लाभ पंजीकृत लाभार्थी को दिया जाना है तथा आगामी बैठक में मामला निदेशक मंडल के ध्यान में लाया जाएगा।

उत्तर संतोषप्रद नहीं है क्योंकि बोर्ड ने पंजीकरण की तिथि से लेकर दावे की स्वीकृति की तिथि तक दो मास की सदस्यता अवधि को स्वीकार किया। बोर्ड को नियम में परिकल्पित पात्रता की जांच करने के लिए पंजीकरण की तिथि से लेकर आयोजन की तिथि अर्थात विवाह की तिथि तक दो माह की सदस्यता अवधि की गणना करनी चाहिए थी।

### 2.7.10.4 (ख) विवाह सहायता का कम व अधिक भुगतान

लेखापरीक्षा में पाया गया कि बोर्ड ने विवाह के लिए वित्तीय सहायता के मद में अधिक या कम भुगतान किया, जैसा कि **तालिका 2.21** में विवर्णित है।

**तालिका 2.21: विवाह सहायता के कम/अधिक भुगतान का विवरण**

**(राशि ₹ में)**

| क्र. सं. | लाभ संवितरण वर्ष (विवाह/दावे का वर्ष) | लाभार्थियों की संख्या | दरों के अनुसार स्वीकार्य राशि | भुगतान की गई राशि | कम (-)/ अधिक(+) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018-19 (2013-14) | 1 | 21000 | 11000 | -10000 |
| 2 | 2018-22 (2017-18) | 2 | 25000 | 35000 | +20000 |
| 3 | 2020-21 (2020-21) | 1 | 51000 | 35000 | -16000 |

**तालिका 2.21** से स्पष्ट है कि दो लाभार्थियों को वित्तीय सहायता की स्वीकार्य दर से ₹ 0.26 लाख कम राशि का भुगतान किया गया, जबकि दो लाभार्थियों को ₹ 0.20 लाख अधिक राशि का भुगतान किया गया।

बोर्ड ने तथ्यों की पुष्टि करते हुए बताया (अप्रैल 2023) कि शेष बकाया राशि लाभार्थियों को आगामी कार्यवाही में दी जाएगी तथा संबंधित श्रम अधिकारी से अतिरिक्त राशि वसूलने का अनुरोध किया गया है।

उपरोक्त निष्कर्ष इस तथ्य के सूचक हैं कि क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ-साथ बोर्ड में आवेदनों की जांच व सत्यापन की निष्प्रभावी प्रणाली के परिणामस्वरूप लाभार्थियों को अनियमित भुगतान हुआ।

## 2.7.10.5 मातृत्व वित्तीय सहायता

अधिनियम के नियम 271 में प्रावधान है कि निधि की लाभार्थी महिला कर्मचारियों को मातृत्व अवधि के दौरान मातृत्व वित्तीय सहायता के रूप में प्रत्येक को ₹ 25,000/- (हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित[63]) दिए जाएंगे। इस लाभ के लिए महिला कर्मचारी द्वारा फॉर्म-XXXIV में किए गए आवेदन के साथ अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएंगे, जैसा कि विहित किया गया हो, बशर्ते कि यह लाभ दो बार से अधिक नहीं दिया जाएगा।

हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन)) नियमावली, 2008 (मई 2013 में संशोधित) के नियम 285 में प्रावधान है कि इन नियमों के अंतर्गत सभी वित्तीय लाभ, मृत्यु लाभ व चिकित्सा सहायता के अतिरिक्त और जहां सेवा शर्त इन नियमों में निर्दिष्ट नहीं है, निधि की सदस्यता के दो माह पूर्ण होने के बाद ही देय होंगे। वर्ष 2017-22 के दौरान 2,754 मामलों में ₹ 11.87 करोड़ की मातृत्व वित्तीय सहायता के दावे स्वीकृत किए गए। हालांकि बैलेंस शीट के अनुसार वर्ष 2017-22 के दौरान किया गया व्यय ₹ 8.13 करोड़ था तथा आंकड़ों में विसंगति पहले ही **परिच्छेद 2.7.8.1 (ग)** में बताई जा चुकी है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि बोर्ड ने वर्ष 2017-22 के दौरान सात लाभार्थियों को ₹ 1.30 लाख की अनियमित मातृत्व वित्तीय सहायता स्वीकृत की, जैसा कि **तालिका 2.22** में विवर्णित है:

**तालिका 2.22: 2017-22 के दौरान अनियमित मातृत्व वित्तीय सहायता का विवरण**

**(राशि ₹ में)**

| क्र. सं. | लाभार्थियों की संख्या | दी गई वित्तीय सहायता की राशि | अनियमित राशि का भुगतान | पाई गईं अनियमितताएं |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 80,000[64] | 80,000 | दो माह की सदस्यता की शर्त पूरी न होने पर भी सहायता राशि का भुगतान कर दिया गया। |
| 2 | 2 | 1,00,000[65] | 50,000 | जुड़वां बच्चों के जन्म के लिए लाभार्थियों को दो बार भुगतान किया गया जो अनुचित था क्योंकि नियम में जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या के आधार पर लाभ की मंजूरी का प्रावधान नहीं है। अतः ₹ 50,000/- की राशि का अधिक भुगतान किया गया। |
| **योग** | **7** | **1,80,000** | **1,30,000** | |

[63] मातृत्व वित्तीय सहायता: मार्च 2009 से ₹ 1,000/-, नवंबर 2011 से ₹ 10,000/-, जनवरी 2018 से ₹ 25,000/-

[64] 3 मामले ₹ 10,000/- की दर से तथा 2 मामले ₹ 25,000/- की दर से।

[65] जुड़वां बच्चों के जन्म पर प्रति लाभार्थी ₹ 50,000/- की दर से।

**तालिका 2.22** से पता चलता है कि बोर्ड द्वारा हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) नियमावली, 2008 के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप लाभार्थियों को मातृत्व वित्तीय सहायता का अनियमित/अधिक भुगतान हुआ।

बोर्ड ने (अप्रैल 2023) तथ्यों की पुष्टि करते हुए आश्वासन दिया कि भुगतान की गई अधिक राशि की वसूली की जाएगी एवं इसके अतिरिक्त बताया कि सदस्यता पूरी न होने के उपर्युक्त पांच मामलों में नियमानुसार राशि का भुगतान किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि बोर्ड ने नियम की गलत व्याख्या की एवं पात्रता अवधि, पंजीकरण की तिथि से आयोजन की तिथि तक के बजाय, पंजीकरण की तिथि से स्वीकृति की तिथि तक दो माह की मानी गई थी।

### 2.7.10.6 वस्तु रूप कल्याण सहायता

हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) नियमावली, 2008 के नियम 283[66] के अनुसार बोर्ड महिला लाभार्थी को वाशिंग मशीन व साइकिल तथा सभी पंजीकृत लाभार्थियों को इंडक्शन हीटर, सौर लालटेन उपलब्ध करा सकता है। इस सहायता के लिए लाभार्थी को बोर्ड के प्राधिकृत अधिकारी को फॉर्म संख्या XLVIII में अपेक्षित दस्तावेजों के साथ आवेदन करना होगा। लाभार्थियों (श्रम अधिकारियों के माध्यम से) से सहायता के लिए आवेदन प्राप्त होने पर बोर्ड के सचिव श्रम कार्यालय में माल ढुलाई के आधार पर सामग्री की आपूर्ति हेतु दर अनुबंधित फर्मों को आपूर्ति आदेश जारी करेंगे।

वर्ष 2017-22 के दौरान बोर्ड ने 1,32,114 लाभार्थियों को ₹ 34.80 करोड़ की राशि के वस्तु रूप लाभ स्वीकृत किए। हालांकि बैलेंस शीट के अनुसार वर्ष 2017-22 के दौरान किया गया व्यय ₹ 38.53 करोड़ था तथा आंकड़ों में विसंगति पहले ही **परिच्छेद 2.7.8.1 (ग)** में बताई जा चुकी है। मार्च 2021 में भारत सरकार ने असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर वस्तु रूप लाभ का संवितरण प्रतिबंधित कर दिया।

लेखापरीक्षा में निम्नलिखित कमियां पाई गईं:

### 2.7.10.6 (क) एकसमान समावेशन सुनिश्चित करने के तंत्र का अभाव

बोर्ड ने निश्चित समयसीमा के भीतर लाभों का वितरण सुनिश्चित करने के लिए वस्तु रूप लाभ के वितरण हेतु एक व्यापक तंत्र तैयार नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप पात्र लाभार्थी योजनाओं के लाभ से वंचित रह गए तथा सामग्री श्रम अधिकारियों के पास अवितरित रह गई, जैसा कि अनुवर्ती परिच्छेदों में चर्चा की गई है।

लाभ सभी पंजीकृत कर्मकारों को सार्वभौमिक रूप से वितरित नहीं किए गए अपितु लाभार्थियों से प्राप्त आवेदनों के आधार पर स्वीकृत किए गए एवं जागरूकता के अभाव के कारण कर्मकार

---

66 अधिसूचना की तिथि: 14 अगस्त 2014

योजना के लाभ से वंचित हो गए। साथ ही, शिविरों के आयोजन में कमी परिलक्षित करती है कि बोर्ड का प्रचार कमज़ोर था, जैसा कि पहले ही **परिच्छेद 2.3.4.4** में चर्चा की जा चुकी है।

**2.7.10.6 (ख) वस्तु रूप कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत पंजीकृत लाभार्थियों का कम कवरेज**

लेखापरीक्षा में पाया गया कि बोर्ड ने अगस्त 2014 माह में वस्तु रूप कल्याणकारी योजना प्रस्तुत की थी। इसमें सम्मिलित लाभार्थी, स्वीकृत किए गए, प्राप्त आपूर्ति की संख्या व वितरित सामग्री का विवरण **तालिका 2.23** में दिया गया है:

**तालिका 2.23: मार्च 2022* तक स्वीकृत, आपूर्ति प्राप्त, वितरित वस्तु रूप लाभों का विवरण**

| वस्तु रूप सामग्री का प्रकार | 2015-21 के दौरान पंजीकृत कर्मकार | स्वीकृत वस्तुओं की संख्या | प्राप्त आपूर्ति | स्वीकृत परन्तु आपूर्ति आदेश नहीं दी गई वस्तुओं की संख्या (प्रतिशत@) | लाभार्थियों को वितरित की गई वस्तुओं की संख्या (प्रतिशत#) | लाभार्थियों की संख्या जिन्हें वस्तु सामग्री प्राप्त नहीं हुई (प्रतिशत#) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| साइकिल | 2,47,858 | 45,233 | 24,314 | 20,919 (46) | 23,878 (10) | 2,23,980 (90) |
| इंडक्शन हीटर | 2,47,858 | 68,148 | 64,249 | 3,899(6) | 55,017 (22) | 1,92,841 (78) |
| सौर लालटेन | 2,47,858 | 60,512 | 38,070 | 22,442 (37) | 35,647 (14) | 2,12,211 (86) |
| वाशिंग मशीन | 2,47,858 | 20,292 | 19,846 | 446 (2) | 19,786 (8) | 2,28,072 (92) |
| **योग** | | **1,94,185** | **1,46,479** | **47,706(25)** | **1,34,328(54)** | |

*स्रोत: बोर्ड द्वारा 2015-21 की अवधि के लिए उपलब्ध कराई गई जानकारी।*

**31 मार्च 2021 तक बंद हो चुकी वस्तु रूप योजनाएं।*

*@ स्वीकृत वस्तुओं की संख्या के सापेक्ष आपूर्ति आदेश न दिए जाने का प्रतिशत।*

*# कुल पंजीकृत लाभार्थियों में लाभार्थियों का प्रतिशत।*

(i) **तालिका 2.23** से स्पष्ट है कि वर्ष 2015-21 के दौरान बोर्ड के पास पंजीकृत कुल 2,47,858 लाभार्थियों में से केवल 23,878 (10 प्रतिशत) कर्मकारों को साइकिल, 55,017 (22 प्रतिशत) कर्मकारों को इंडक्शन हीटर, 35,647 (14 प्रतिशत) को सौर लालटेन व 19,786 (आठ प्रतिशत) कर्मकारों को वॉशिंग मशीन प्राप्त हुई। 78 से 92 प्रतिशत लाभार्थी वस्तु रूप लाभ योजना के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किए गए।

(ii) स्वीकृत वस्तुओं (1,94,185) के 25 प्रतिशत में पर्याप्त निधियां होने के बावजूद आपूर्ति आदेश नहीं दिए गए और परिणाम स्वरूप लाभार्थियों को लाभ वितरित नही किया गया, जिससे उन्हें इच्छित लाभों से वंचित किया गया।

बोर्ड ने बताया (दिसंबर 2022) कि लाभार्थियों को निर्धारित फॉर्म में वस्तु रूप लाभ के लिए आवेदन करना होगा। इसका आवेदन न करने पर वस्तु रूप लाभ सभी पंजीकृत कर्मकारों को वितरित नहीं किया जा सकता। साथ ही भंडार नियंत्रक के पास फर्म का दर अनुबंध समाप्त होने से आपूर्ति आदेश जारी नहीं किये गए।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि बोर्ड के पास अधिक संख्या में पंजीकृत लाभार्थियों को योजनाओं के व्यापक प्रचार द्वारा वस्तु रूप लाभ के वितरण हेतु पर्याप्त निधियां थी, विशेषतः उन स्थानों

पर जहां भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार एकत्रित होते हैं। इसके अतिरिक्त भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकारों को इन योजनाओं के विषय में जागरूक करने के लिए स्थानीय निकायों, संघों आदि जैसे माध्यमों को शामिल किया जा सकता था। इससे अधिकतम संख्या में भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकारों के जीवन-स्तर में सुधार के उद्देश्य की प्राप्ति में सहायता मिलती।

इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा द्वारा किए गए सर्वेक्षण के दौरान पाया गया कि सर्वेक्षित 82 कर्मकारों में से 57 कर्मकार (70 प्रतिशत) बोर्ड व बोर्ड द्वारा कार्यान्वित की जा रही कल्याणकारी योजनाओं से अवगत नहीं थे, जैसा कि **परिच्छेद 2.8.2.1 (ख)** में चर्चा की गई है।

### 2.7.10.6 (ग) वस्तु रूप सामग्री का वितरण न करना

बोर्ड द्वारा समय-समय पर लाभार्थियों से आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् आपूर्ति आदेश जारी किए गए हैं। इसके बावजूद मार्च 2022 तक ₹ 2.53 करोड़ मूल्य की वस्तुरूप सामग्री की बड़ी मात्रा वितरित नहीं की गई, जैसा कि **तालिका 2.24** में विवरण दिया गया है।

**तालिका 2.24: मार्च 2022 तक अवितरित वस्तु रूप सामग्री का विवरण**

**(₹ करोड़ में)**

| सामग्री का प्रकार | योजना की अवधि | प्राप्त सामग्री | वितरित सामग्री | शेष (अवितरित) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | मात्रा | मात्रा | मात्रा | औसत मूल्य[67] |
| इंडक्शन हीटर | 2015-21 | 64,249 | 55,017 | 9,232 | 1.71 |
| सौर लालटेन | 2015-20 | 38,070 | 35,647 | 2,423 | 0.63 |
| साईकिल | 2015-21 | 24,314 | 23,878 | 436 | 0.14 |
| वाशिंग मशीन | 2016-19 | 19,846 | 19,786 | 60 | 0.05 |
| **योग** | | **1,46,479** | **1,34,328** | **12,151** | **2.53** |

*स्रोतः बोर्ड द्वारा दी गई जानकारी।*

**तालिका 2.24** से स्पष्ट है कि मार्च 2022 तक 9,232 इंडक्शन हीटर, 2423 सौर लालटेन, 436 साईकिलें व 60 वॉशिंग मशीनें वितरित नहीं की गईं तथा इन उत्पादों की वारंटी समाप्त हो गई होगी साथ ही सामग्री के और अधिक खराब होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

चयनित श्रम अधिकारी/श्रम निरीक्षक कार्यालयों में वस्तु रूप वस्तुएं भंडार में रखी हुई पाई गई, जैसा कि **तालिका 2.25** में विवर्णित है:

[67] योजना के कार्यान्वयन की तिथि से मार्च 2022 तक खरीदी गई कुल मदों से विभाजित मदों की कुल लागत।

**तालिका 2.25: मार्च 2022 तक चयनित श्रम अधिकारी/श्रम निरीक्षक कार्यालयों में अवितरित वस्तु रूप सामग्री का विवरण**

| सामग्री का प्रकार | श्रम अधिकारी, बिलासपुर | श्रम अधिकारी, कुल्लू | श्रम निरीक्षक, हमीरपुर | कुल |
|---|---|---|---|---|
| **इंडक्शन हीटर** | 1570 | 8 | 4611 | **6189** |
| **सौर लालटेन** | 904 | 0 | 467 | **1371** |
| **साईकिल** | 9 | 0 | 110 | **119** |
| **वाशिंग मशीन** | 2 | 0 | 1 | **3** |

*स्रोत: चयनित श्रम अधिकारी/श्रम निरीक्षक द्वारा दी गई जानकारी।*

**तालिका 2.25** से स्पष्ट है कि मार्च 2022 तक चयनित श्रम अधिकारी/श्रम निरीक्षक कार्यालयों में 6,189 इंडक्शन हीटर, 1371 सौर लालटेन, 119 साईकिलें व तीन वॉशिंग मशीनें वितरित नहीं की गईं।

बोर्ड ने बताया (दिसंबर 2022) कि कुछ प्रवासी पंजीकृत कर्मकार हैं जो दूसरे राज्य में चले गए और उन्हें जारी की गई वस्तु रूप सामग्री भी स्टोर में लंबित रखी है तथा संबंधित जिला श्रम अधिकारी/श्रम निरीक्षक इन प्रवासी कर्मकारों से समय-समय पर उनकी सामग्री प्राप्त करने के लिए संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं। श्रम अधिकारी, बिलासपुर ने बताया (जनवरी 2023) कि शेष वस्तु रूप सामग्रियों का वितरण प्रक्रियाधीन है। श्रम निरीक्षक, हमीरपुर ने बताया (फरवरी 2023) कि कोविड-19 व कार्मिकों की कमी के कारण सामग्री वितरित नहीं की जा सकी।

उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जाना चाहिए कि योजनाओं के बंद होने की तिथि से दो वर्ष बीत जाने के बाद भी सामग्री वितरित नहीं की गई। लेखापरीक्षा में नमूना-जांचित श्रम अधिकारी/श्रम निरीक्षक द्वारा अनुरक्षित भंडारों का संयुक्त भौतिक निरीक्षण किया गया, जिसमें पाया गया कि अवितरित वस्तु रूप सामग्री भंडारों में रखी हुई थी।

**चित्र 2.14: श्रम निरीक्षक, हमीरपुर के भंडार में पड़े इंडक्शन हीटर, सौर लालटेन व विभिन्न वस्तु रूप सामग्री**

**भंडार में रखी सामग्री के चित्र नीचे दिए गए हैं:**

**चित्र 2.15: श्रम अधिकारी, बिलासपुर के भंडार में पड़ी वाशिंग मशीनें व साईकिलें**

### 2.7.10.6 (घ) सामग्री के भंडारण हेतु चुकाए गए किराए पर व्यय

मार्च 2022 तक बोर्ड ने विभिन्न श्रम कार्यालयों में सामग्री के भंडारण हेतु किराए के रूप में ₹ 0.40 करोड़ का व्यय किया। भारत सरकार (22 मार्च 2021) ने असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर वस्तु रूप सामग्री के वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया था। चूंकि मार्च 2022 तक ₹ 2.53 करोड़ की सामग्री अभी भी वितरित नहीं की गई थी, अतः भविष्य में किराए पर व्यय की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

यदि बोर्ड ने स्टोर में रखी वस्तु रूप सामग्री के वितरण हेतु समय पर कार्रवाई की होती, तो भविष्य में भंडारण के लिए किराए पर होने वाले व्यय से बचा जा सकता था।

### 2.7.10.7 चिकित्सा वित्तीय सहायता

हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) नियमावली, 2008 के नियम 280 में प्रावधान है कि बोर्ड उन लाभार्थियों को वित्तीय सहायता[68] स्वीकृत कर सकेगा जो दुर्घटना या किसी बीमारी के कारण पांच या अधिक दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहते हैं। वित्तीय सहायता हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम से समय-समय पर निर्धारित दरों पर दी जाएगी। वर्ष 2017-22 के दौरान बोर्ड ने 2,724 लाभार्थियों को ₹ 3.12 करोड़ की चिकित्सा सहायता स्वीकृत की। हालांकि बैलेंस शीट के अनुसार वर्ष 2017-22 के दौरान किया गया व्यय ₹ 3.69 करोड़ था तथा आंकड़ों में विसंगति को पहले ही **परिच्छेद 2.7.8.1 (ग)** में इंगित किया जा चुका है।

[68] चिकित्सा वित्तीय सहायता की अधिकतम दर: दिसंबर 2008 तक ₹ 1,000/- (सामान्य) व ₹ 5,000/- (आकस्मिक दुर्घटना), मई 2013 तक ₹ 5,000/-, अगस्त 2014 तक ₹ 10,000/- (आउटडोर) व ₹ 30,000/- (इनडोर), जनवरी 2020 तक ₹ 50,000/- (आउटडोर) व 1,00,000/- (इनडोर)।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि चिकित्सा वित्तीय सहायता के लिए व्यापक दिशानिर्देश तैयार नहीं किए गए थे तथा वित्तीय सहायता की स्वीकृति में निम्नलिखित अस्पष्टताएं थीं:

(i) बोर्ड में लाभार्थी के रूप में पंजीकरण से पहले की अवधि से संबंधित चिकित्सा दावों के लिए तीन लाभार्थियों को ₹ 0.19 लाख की चिकित्सा वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई।

(ii) नियमों में चिकित्सा दावों को प्रस्तुत करने की कोई समय-सीमा तय नहीं की गई। लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2017 के दौरान ₹ 5.46 लाख की राशि के 61 चिकित्सा दावों के लिए चिकित्सा सहायता स्वीकृत की गई, जिनका दावा उपचार पूर्ण होने के 37 माह बाद किया गया।

(iii) बोर्ड लाभार्थियों के आश्रितों (माता-पिता, पति/पत्नी, बच्चों आदि) को चिकित्सा सहायता प्रदान कर रहा है, परन्तु नियम में आश्रितों की परिभाषा परिभाषित नहीं की गई थी।

बोर्ड ने तथ्यों की पुष्टि करते हुए बताया (अप्रैल 2023) कि पूर्व अवधि के लिए स्वीकृत दावों के मामलों को श्रम अधिकारी के साथ उठाया जा रहा है तथा विशेषज्ञ समिति की अनुशंसा के अनुसार व्यापक दिशानिर्देश तैयार किए जाएंगे।

### 2.7.10.8 स्वास्थ्य जांच - वार्षिक स्वास्थ्य जांच के तहत लाभार्थियों का बहुत निराशाजनक समावेशन

केन्द्रीय सलाहकार समिति ने उसकी 16वीं बैठक (सितंबर 2014) में अनुशंसा की थी कि प्रत्येक पंजीकृत सन्निर्माण कर्मकार की वार्षिक स्वास्थ्य जांच संबंधित राज्य भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा की जाएगी।

हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) नियमावली, 2008 के नियम 280 (3) में (जनवरी 2020 में जोड़ा गया) प्रावधान है कि बोर्ड पंजीकृत कर्मकारों/लाभार्थियों और उनके आश्रितों की स्वास्थ्य जांच कर सकेगा और इसका व्यय बोर्ड द्वारा वहन किया जाएगा।

वर्ष 2017-22 के दौरान बोर्ड ने श्रम अधिकारी/श्रम निरीक्षक को सितंबर व अक्टूबर 2019 में स्वास्थ्य जांच करने का निर्देश दिया (अगस्त 2019) एवं मार्च 2022 तक विभिन्न श्रम कार्यालयों के तहत 2,90,929 पंजीकृत जीवित कर्मकारों में से 2,195 कर्मकारों को सम्मिलित करने का लक्ष्य रखा गया। स्वास्थ्य जांच हेतु लक्षित कर्मकारों का विवरण **तालिका 2.26** में दर्शाया गया है।

**तालिका 2.26: 2017-22 के दौरान स्वास्थ्य जांच शिविर के अंतर्गत सम्मिलित कर्मकार**

| श्रम कार्यालय का नाम | 03/2022 तक कुल जीवित कर्मकार | वर्ष 2019-20 में शिविर में सम्मिलित किए जाने को अपेक्षित कर्मकार | स्वास्थ्य जांच के अंतर्गत सम्मिलित कर्मकार |
|---|---|---|---|
| **बिलासपुर** | 35,675 | 550 | 0 |
| **बद्दी** | 3,769 | 60 | 45 |

| श्रम कार्यालय का नाम | 03/2022 तक कुल जीवित कर्मकार | वर्ष 2019-20 में शिविर में सम्मिलित किए जाने को अपेक्षित कर्मकार | स्वास्थ्य जांच के अंतर्गत सम्मिलित कर्मकार |
|---|---|---|---|
| **हमीरपुर** | 64,969 | 270 | 212 |
| **चंबा** | 21,140 | 00* | 0 |
| **कांगड़ा** | 34,919 | 00* | 46 |
| **मंडी** | 58,665 | 00* | 179 |
| **कुल्लू** | 17,832 | 290 | 290 |
| **किन्नौर** | 7,605 | 600 | 00 |
| **शिमला** | 6,467 | 00* | 00 |
| **रामपुर** | 10,948 | 180 | 45 |
| **नाहन** | 6,886 | 55 | 106 |
| **सोलन** | 7,198 | 00* | 150 |
| **ऊना** | 14,856 | 190 | 56 |
| **योग** | **2,90,929** | **2,195** | **1,129** |

*स्रोत: बोर्ड के अभिलेख व श्रम निरीक्षक, हमीरपुर द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी।*
**बोर्ड द्वारा स्वास्थ्य जांच हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था।*

**तालिका 2.26** से स्पष्ट है कि पांच श्रम कार्यालयों में कर्मकारों के समावेशन के लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए थे तथा बोर्ड द्वारा आयोजित स्वास्थ्य जांच शिविरों में एक प्रतिशत से भी कम जीवित पंजीकृत कर्मकारों को सम्मिलित किया गया।

नमूना-जांचित श्रम अधिकारी/श्रम निरीक्षक कार्यालयों में श्रम निरीक्षक, हमीरपुर ने 212 लाभार्थियों को एवं श्रम अधिकारी, कुल्लू ने 290 लाभार्थियों को स्वास्थ्य जांच शिविरों के तहत सम्मिलित किया।

श्रम अधिकारी, बिलासपुर ने बताया (मई 2023) कि उनके द्वारा कोई स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित नहीं किया गया, हालांकि जब भी आवश्यकता होती है, श्रम अधिकारी, बिलासपुर कार्यालय स्वास्थ्य विभाग के साथ सहयोग करता है। श्रम निरीक्षक, हमीरपुर ने बताया (फरवरी 2023) कि कार्यालय बोर्ड के निर्देशानुसार स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित करेगा। श्रम अधिकारी, कुल्लू ने बताया (फरवरी 2023) कि अत्यधिक कार्यभार, कार्मिकों की कमी एवं कोविड-19 महामारी के कारण स्वास्थ्य जांच के तहत जीवित कर्मकारों का समावेशन कठिन था।

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि लाभार्थियों का समावेशन बेहद निराशाजनक था तथा बोर्ड यह सुनिश्चित करने में विफल रहा है कि सभी कर्मकारों की स्वास्थ्य जांच की जाए। इसके अतिरिक्त लाभार्थी सर्वेक्षण व संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान 48 कर्मकारों ने बताया कि कोई स्वास्थ्य जांच नहीं की गई, जैसा कि **परिच्छेद 2.8.2.1 (ख)** में चर्चा की गई है।

### 2.7.10.9 कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण

आदर्श कल्याणकारी योजना (जुलाई 2018) के अनुसार वृत्तिका (स्टाइपेंड) व प्रशिक्षण व्यय के रूप में भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना अनिवार्य था तथा ऐसा प्रशिक्षण तीन वर्ष में एक बार दिया जाना था। भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकारों के आश्रितों को भी कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जा सकता है, परन्तु यह स्टाइपेंड नहीं दिया जाएगा। किसी वित्तीय वर्ष में इस मद के तहत किया जाने वाले व्यय गत वर्ष के संग्रहित उपकर के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।

### 2.7.10.9 (क) योजना के लिए उपलब्ध निधियों का उपयोग न करना

लेखापरीक्षा में पाया गया कि बोर्ड ने 2018-22 के दौरान कौशल विकास के तहत पंजीकृत कर्मकारों और उनके आश्रितों के स्टाइपेंड और प्रशिक्षण के लिए न्यूनतम व्यय किया था। राज्य में 2018-22 के दौरान कौशल विकास पर व्यय के लिए एकत्रित उपकर और उपलब्ध राशि का विवरण **तालिका 2.27** में दिया गया है।

**तालिका 2.27: 2017-21 की अवधि के दौरान संग्रहित उपकर व योजना हेतु उपलब्ध निधियां**

**(₹ करोड़ में)**

| उपकर संग्रह वर्ष | संग्रहित उपकर राशि | प्रशिक्षण वर्ष | प्रशिक्षण पर व्यय हेतु स्वीकार्य राशि* | उपयोग की गई निधियां (प्रतिशत) |
|---|---|---|---|---|
| **2017-18** | 68.85 | **2018-19** | 6.88 | - |
| **2018-19** | 67.67 | **2019-20** | 6.77 | - |
| **2019-20** | 82.11 | **2020-21#** | 8.21 | - |
| **2020-21** | 85.2 | **2021-22** | 8.52 | 0.4 (5) |
| **योग** | **303.83** | | **30.38** | **0.4 (1)** |

**गत वर्ष संग्रहित उपकर का 10 प्रतिशत*

*# वर्ष 2020-21 के दौरान कोविड-19 महामारी के कारण प्रशिक्षण आयोजित नहीं किया जा सका।*

**तालिका 2.27** से स्पष्ट है कि वर्ष 2018-22 के दौरान बोर्ड को कौशल विकास प्रशिक्षण योजना पर व्यय हेतु ₹ 30.38 करोड़ की राशि अनुमत थी, परन्तु इसके लिए केवल एक वर्ष अर्थात वर्ष 2021-22 में मात्र ₹ 0.4 करोड़ (एक प्रतिशत) का उपयोग किया गया।

बोर्ड ने बताया (फरवरी, मई 2023) कि उसने वर्ष 2015 से पूर्व शिक्षण की मान्यता[69] योजना को लागू किया है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि प्रशिक्षण पांच वर्षों के अंतराल में केवल वर्ष 2015-16 व 2021-22 में आयोजित किया गया एवं बोर्ड ने आदर्श कल्याण योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार अनुमत राशि का उपयोग नहीं किया।

[69] 'पूर्व शिक्षण की मान्यता' (आरपीएल) योजना 2018 में आदर्श कल्याण योजना की अधिसूचना से पहले बोर्ड द्वारा कार्यान्वित भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकारों के लिए प्रशिक्षण योजना भी है।

### 2.7.10.9 (ख) लक्ष्य प्राप्ति न होना

लेखापरीक्षा में पाया गया कि बोर्ड द्वारा पंजीकृत सन्निर्माण कर्मकारों को पूर्व शिक्षा की मान्यता योजना के तहत प्रशिक्षण देने के लिए तीन प्रशिक्षण प्रदाताओं के साथ मई 2020 व मई 2021 में समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। वर्ष 2021-22 के दौरान तीनों प्रशिक्षण प्रदाताओं ने अपने सम्बंधित आवंटित क्षेत्रों में सन्निर्माण कर्मकारों को चिनाई प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए। लक्ष्य प्राप्ति व कमी का विवरण **तालिका 2.28** में दिया गया है।

**तालिका 2.28: 2021-22 के दौरान कौशल विकास प्रशिक्षण योजना के तहत दिए प्रशिक्षण का विवरण**

| क्र.सं. | प्रशिक्षण प्रदाताओं के नाम | आवंटित जिला/क्षेत्र | लक्ष्य | प्राप्ति | कमी (प्रतिशत) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | मेसर्स लेबरनेट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड | बिलासपुर, बद्दी, हमीरपुर व किन्नौर | 10000 | 6459 | 3541 (35) |
| 2 | मेसर्स जी एंड जी स्किल्स डेवलपर्स (पी) लिमिटेड | मंडी, कांगड़ा, कुल्लू व ऊना | 10000 | 7973 | 2027 (20) |
| 3 | मेसर्स माँ सरस्वती एजुकेशनल ट्रस्ट | चंबा, रामपुर, शिमला व सोलन | 10000 | 4863 | 5137 (51) |
| **योग** | | | **30000** | **19295** | **10705 (36)** |

**तालिका 2.28** से स्पष्ट है कि प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत सम्मिलित किए जाने वाले कर्मकारों के लक्ष्य की प्राप्ति में 20 से 51 प्रतिशत की कमी थी।

साथ ही मार्च 2021 तक बोर्ड ने कुल 2,22,158 जीवित पंजीकृत कर्मकारों में से केवल 30,000 (14 प्रतिशत) को लक्षित किया एवं 19,295 (नौ प्रतिशत) को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

इस प्रकार वर्ष 2018-20 के दौरान योजना का कार्यान्वयन न होने एवं लक्ष्यों की प्राप्ति न होने से योजना का अभीष्ट लाभ बाधित हुआ।

### 2.7.11 आवधिक सामाजिक लेखापरीक्षा न करना

माननीय सर्वोच्च न्यायालय (मार्च 2018) के निर्देशानुसार अधिनियम के कार्यान्वयन के संदर्भ में सामाजिक लेखापरीक्षा हेतु नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा विकसित सामाजिक लेखापरीक्षा के लेखापरीक्षा मानकों को यथोचित परिवर्तनों सहित अपनाया गया। लेखापरीक्षा के कार्य-क्षेत्र के अनुसार सामाजिक लेखापरीक्षा प्रत्येक ब्लॉक (ग्रामीण क्षेत्र) एवं वार्ड (शहरी क्षेत्र) में इस तरह से की जानी थी कि राज्य के सभी वार्ड एवं/या ब्लॉक दो वर्ष की निश्चित अवधि के भीतर सम्मिलित हो जाएं।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2018-19 के दौरान हिमाचल प्रदेश की सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई ने वर्ष 2017-18 की अवधि हेतु राज्य के कुल 88 ब्लॉकों में से केवल तीन ब्लॉकों[70] (तीन प्रतिशत) में ही प्रारंभिक (पायलट) आधार पर सामाजिक लेखापरीक्षा संचालित की। सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई ने बोर्ड को लाभार्थियों को वस्तु रूप सामग्री के संवितरण में पाई गई टिप्पणियों को शामिल करते हुए उसका प्रतिवेदन प्रस्तुत किया तथा वस्तु रूप सामग्री के लिए पंजीकरण व वितरण की प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता लाने का सुझाव दिया।

सामाजिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में बताई गई कमियों[71] के बावजूद बोर्ड ने वर्ष 2017-22 की अवधि हेतु राज्य के सभी जिलों/ब्लॉकों/वार्डों में सामाजिक लेखापरीक्षा संचालित करने का कोई निष्ठावान प्रयास नहीं किया।

बोर्ड ने बताया (दिसंबर 2022) कि सामाजिक लेखापरीक्षा, सामाजिक लेखापरीक्षा विभाग द्वारा की जाती है तथा बोर्ड ने सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई को सामाजिक लेखापरीक्षा संचालित करने हेतु पत्र लिखा है।

उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जाना चाहिए कि सामाजिक लेखापरीक्षा कल्याण लाभों के वितरण की प्रक्रिया में कमियों को इंगित कर सकती थी तथा अनुशंसाओं से कल्याण लाभों के वितरण की अधिक सदृढ़ प्रणाली स्थापित करने में सहायता मिलती।

### 2.7.12 दावों की कार्यवाही से संबंधित मुद्दे

#### 2.7.12.1 कल्याणकारी योजनाओं का आवेदन स्वीकृत एवं अस्वीकृत करने में समयसीमा का अभाव

अधिनियम की धारा 22(1) के अनुसार बोर्ड ने हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) नियमावली, 2008 के नियम 271 से 283 में वर्णित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को लागू किया।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि बोर्ड ने आदर्श कल्याण योजना[72] में निर्धारित समय-सीमा के संदर्भ में विलम्ब से बचने के लिए कल्याण लाभों की स्वीकृति, अस्वीकृति, मंजूरी एवं लाभार्थी को वितरित करने की कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की, जैसा कि अनुवर्ती परिच्छेद में चर्चा की गई है। तथापि बोर्ड ने मृत्यु व चिकित्सा सहायता को छोड़कर कल्याणकारी योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने हेतु पंजीकरण के बाद से केवल दो माह सदस्यता की पात्रता शर्त तय

---

70 बिझड़ी (हमीरपुर), अंब (ऊना) व कांगड़ा।

71 श्रम अधिकारी के अभिलेखानुसार जिन सात कर्मकारों को वस्तु रूप लाभ संवितरित किए गए, उन्होंने वस्तु रूप लाभ मिलने से मना किया व एक कर्मकार ने वस्तु रूप सामग्री की घटिया गुणवत्ता की बात बताई।

72 माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 4 जुलाई 2018 के निर्देशों के अनुसरण में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकारों हेतु आदर्श कल्याण योजना व कार्यान्वयन तंत्र के सुदृढीकरण हेतु कार्य-योजना तैयार की है।

की है। अन्य लाभों के संवितरण हेतु कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई। साथ ही आवेदक को आवेदन की स्थिति यानी स्वीकृति, अस्वीकृति, लंबितता आदि के विषय में सूचित करने हेतु कोई तंत्र नहीं है।

बोर्ड ने बताया (दिसंबर 2022) कि सदस्यता या दो माह की सदस्यता विभिन्न योजनाओं के दावों के संबंध में आवेदन स्वीकार करने की समयसीमा है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सदस्यता या दो माह की सदस्यता, लाभ प्राप्ति हेतु पात्रता की शर्तें हैं न कि दावों पर कार्यवाही करने की समयसीमा। बोर्ड को सभी कल्याणकारी योजनाओं के लिए विस्तृत समयसीमा तैयार करनी चाहिए। साथ ही सुधार के लिए श्रम अधिकारी को वापस भेजे गए अस्वीकृत दावों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई एवं लेखापरीक्षा में आदर्श कल्याण योजना द्वारा निर्धारित समयसीमा के अनुसार दावे अनुमोदित करने में विलम्ब देखा गया, जैसा कि अनुवर्ती परिच्छेद में चर्चा की गई है।

### 2.7.12.2 श्रम अधिकारियों/श्रम निरीक्षकों द्वारा प्रक्रियागत दावों पर कोई कार्रवाई न करना

लेखापरीक्षा में पाया गया कि नमूना-जांचित श्रम अधिकारी/श्रम निरीक्षक[73] कार्यालयों में चिकित्सा सहायता के 70 दावे[74], शिक्षण हेतु वित्तीय सहायता के 52 दावे एवं विवाह के लिए वित्तीय सहायता हेतु दो दावे बोर्ड ने विभिन्न कारणों यथा निजी अस्पताल से उपचार, सदस्य का आश्रित प्रमाणपत्र संलग्न न होना, चिकित्सा अधिकारी द्वारा सत्यापित न किए गए चिकित्सा बिल इत्यादि के कारण संबंधित श्रम कार्यालयों को वापस कर इन दावों को संबंधित श्रम अधिकारी/श्रम निरीक्षक को वापस भेज दिया गया। हालांकि बोर्ड द्वारा उठाई गई आपत्तियां लाभार्थियों को सुधार हेतु सूचित करने के लिए श्रम अधिकारी/श्रम निरीक्षक ने कोई कार्रवाई नहीं की तथा फरवरी 2023 तक ये आपत्तियां उनके कार्यालय में रखी रहीं। परिणामस्वरूप, लाभार्थी योजनाओं के अभीष्ट लाभ से वंचित रह गए।

साथ ही यह भी पाया गया कि संबंधित श्रम अधिकारी/श्रम निरीक्षक ने दावों की कोई पंजिका नहीं रखी।

संबंधित श्रम कल्याण अधिकारी/श्रम निरीक्षक ने बताया (फरवरी व मई 2023) कि कार्य की अधिकता के कारण कार्रवाई नहीं की जा सकी तथापि सुधार प्रक्रिया जारी है।

---

[73] श्रम अधिकारी, बिलासपुर व श्रम इंस्पेक्टर, हमीरपुर।

[74] श्रम अधिकारी, बिलासपुर:60, श्रम इंस्पेक्टर, हमीरपुर:10

### 2.7.12.3 दावों की स्वीकृति में विलम्ब

अधिनियम के प्रावधानों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया (जनवरी 2010) कि पंजीकृत कर्मकारों को अधिनियम के तहत लाभ निर्धारित समयसीमा में, यथासंभव छः माह के भीतर प्रदान किया जाए।

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की आदर्श कल्याण योजना (जुलाई 2018) के अनुसार क्षतिपूर्ति निश्चित समय-सीमा में संवितरित की जाए, जो लाभार्थी की मृत्यु की तिथि से 60 दिनों के भीतर हो।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2017-22 के दौरान विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता विलम्ब से स्वीकृत की गई, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

(i) यह देखा गया कि शिक्षा, मातृत्व/पितृत्व लाभ, विवाह व साइकिल के लिए वित्तीय/वस्तु रूप सहायता के 124 आवेदनों को आवेदन की तिथि से दावों की स्वीकृति की तिथि तक निर्धारित छः माह की समयसीमा समाप्त होने के बाद दो से 49 माह के विलम्ब से स्वीकृत किया गया।

(ii) श्रम अधिकारी, बिलासपुर ने शिक्षण हेतु वित्तीय सहायता के लिए संघों के माध्यम से प्राप्त लाभार्थियों के 9,235 आवेदन बोर्ड को भेजे, जिनमें से 9,141 आवेदनों को आवेदन की तिथि से स्वीकृति की तिथि तक निर्धारित छः माह की समय-सीमा समाप्त होने के बाद एक से 24 माह के विलम्ब से स्वीकृत किया गया। श्रम कार्यालय द्वारा बोर्ड को आवेदन अग्रेषित करने में भी तीन से 28 माह का विलम्ब हुआ।

(iii) श्रम निरीक्षक कार्यालय, हमीरपुर में देखा गया कि लाभार्थियों के 317 नामांकित व्यक्तियों को अगस्त 2018 से मार्च 2022 तक मृत्यु लाभ प्रदान किया गया था। जिनमें से आवेदकों के 63 दावों को श्रम निरीक्षक द्वारा प्रेषण[75] की तिथि से भी 60 दिनों से अधिक के विलम्ब (60 दिनों की समाप्ति के बाद 19 से 39 दिनों तक की देरी) के बाद वितरित किया गया, जो आदर्श कल्याण योजना के प्रावधानों का उल्लंघन है।

बोर्ड ने बताया (अप्रैल 2023) कि बोर्ड के पास कर्मकारों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं हैं एवं दावे श्रम अधिकारी/श्रम निरीक्षक कार्यालयों को प्रस्तुत किए जाते हैं और जांच के पश्चात् दावे बोर्ड को भेजे जाते हैं। दावों की जांच बोर्ड मुख्यालय में की जाती है, जो एक समय लेने वाली प्रक्रिया है तथा यदि कोई त्रुटि पाई जाती है, तो इससे लाभ स्वीकृत करने में अनावश्यक

---

[75] चूंकि आवेदन प्राप्ति की तिथि श्रम निरीक्षक, हमीरपुर कार्यालय के पास उपलब्ध नहीं थी, अतः विलम्ब की गणना बोर्ड को आवेदन भेजने की तिथि से की गई है।

विलम्ब होता है क्योंकि दावे को सुधार के लिए श्रम अधिकारी/श्रम निरीक्षक कार्यालय को वापस भेज दिया जाता है।

दावों पर कार्यवाही एवं संवितरण में विलम्ब से परिवार के सदस्यों की पीड़ा बढ़ जाती है, जो समाज के वित्तीय ढांचे के सबसे निचले स्तर पर हैं और जिनके पास आय का कोई वैकल्पिक स्रोत नहीं है अथवा सीमित है।

### 2.7.13 सतत विकास लक्ष्य

राज्य सरकार ने 2030 तक सभी सतत विकास लक्ष्य प्राप्त करने के लिए दृष्टि हिमाचल प्रदेश-2030 तैयार किया। कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से सतत विकास लक्ष्य प्राप्त करने में बोर्ड का योगदान नीचे दिया गया है:

**I. अच्छा स्वास्थ्य एवं कल्याण (सतत विकास लक्ष्य-3):**

बोर्ड ने कर्मकारों के स्वास्थ्य मानकों के उत्थान हेतु पांच कल्याणकारी योजनाएं[76] लागू करते हुए वर्ष 2017-22 के दौरान 5,478 कर्मकारों के लिए ₹ 14.99 करोड़ स्वीकृत किए। इन योजनाओं के कार्यान्वयन में पाई गई कमियों पर **परिच्छेद 2.7.10** में चर्चा की गई है।

**II. गुणवत्तापूर्ण शिक्षा (सतत विकास लक्ष्य-4):**

बोर्ड ने राज्य में कर्मकारों के बच्चों को शिक्षा और सीखने के अवसर प्रदान करने के लिए शिक्षण हेतु वित्तीय सहायता योजना लागू करते हुए वर्ष 2017-22 के दौरान 74,849 कर्मकारों को ₹ 72.15 करोड़ स्वीकृत किए। योजना के कार्यान्वयन में पाई गई कमियों पर **परिच्छेद 2.7.10.3** में चर्चा की गई है।

**III. श्रम अधिकारों की रक्षा एवं सुरक्षित कार्य वातावरण को बढ़ावा देना (सतत विकास लक्ष्य 8.8):**

राज्य सरकार ने दो लक्ष्य निर्धारित किए हैं: असंगठित क्षेत्र में कार्यरत कर्मकारों, विशेषकर महिला प्रवासियों का कल्याण सुनिश्चित करना एवं असंगठित क्षेत्र में कार्यरत भवन एवं रखरखाव कर्मकारों, विशेषकर असुरक्षित नियोजन में लगे कर्मकारों का डेटाबेस तैयार करना।

बोर्ड ने इस सतत विकास लक्ष्य 8.8 को प्राप्त करने के लिए कोई कार्य योजना नहीं बनाई तथा असंगठित क्षेत्र में कार्यरत कर्मकारों का डेटाबेस अनुरक्षित नहीं किया। हालांकि विभिन्न अधिनियमों के तहत कार्य स्थितियों की जांच हेतु निरीक्षण किए जा रहे हैं एवं

---

[76] चिकित्सा सहायता, मातृत्व लाभ, कन्या जन्म उपहार योजना, मानसिक रूप से मंद बच्चों के लिए लाभ योजना, लाभार्थियों की स्वास्थ्य जांच।

वर्ष 2017-22 के दौरान निरीक्षकों द्वारा 2,969 निरीक्षण किए गए। निरीक्षण करने में पाई गई कमियों पर **परिच्छेद 2.6.2** में चर्चा की गई है।

## 2.8 आंतरिक नियंत्रण तंत्र एवं लाभार्थी सर्वेक्षण

### 2.8.1 आंतरिक नियंत्रण एवं निगरानी

आंतरिक लेखापरीक्षा व आंतरिक नियंत्रण प्रणाली किसी संगठन के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण तंत्र हैं। प्रभावी आंतरिक नियंत्रण संगठन की विभिन्न गतिविधियों पर नियंत्रण रखने में सहायता करता है जबकि आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली व्यय पर नियंत्रण रखने में एक प्रभावी उपकरण के रूप में कार्य करती है।

#### 2.8.1.1 आंतरिक नियंत्रण एवं निगरानी तंत्र का अभाव

लेखापरीक्षा में निम्नलिखित कमियां पाई गईं:

(i) संपूर्ण राज्य में सन्निर्माण गतिविधियों में संलिप्त कर्मकारों का कोई डेटाबेस तैयार नहीं किया गया।

(ii) संग्रहित पंजीकरण शुल्क जमा करने में विलम्ब पाया गया व प्राप्ति पंजिका का अनुरक्षण नहीं किया गया।

(iii) पहचान-पत्र पंजिका में जिसे पहचान-पत्र जारी किया गया, उस लाभार्थी के हस्ताक्षर के लिए स्थान/कॉलम नहीं दिया गया। लाभार्थी के हस्ताक्षर के कॉलम के अभाव में लाभार्थी द्वारा पहचान-पत्र की प्राप्ति की पुष्टि नहीं की जा सकती।

(iv) श्रम कार्यालयों व बोर्ड के वर्ष 2017 के दौरान पंजीकृत कर्मकारों की संख्या एवं आयोजित शिविरों के संबंध में रखे गए अभिलेखों में विसंगति पाई गई।

(v) बोर्ड के बैंक खातों में उपकर जमा किया जा रहा था, परन्तु उपकर का मिलान नहीं किया जा रहा था जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2019 से ₹ 112.39 करोड़ की राशि उचंत लेखा शीर्ष में रखी हुई थी।

(vi) प्रगति की निगरानी के लिए बोर्ड द्वारा अपनाई गई विधियों में से एक, हर माह की 15 तिथि को श्रम अधिकारी द्वारा बोर्ड को मासिक प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत करना था। श्रम अधिकारियों द्वारा बोर्ड को विलम्ब से मासिक प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया तथा इसमें लाभार्थियों द्वारा प्राप्त लाभों (वस्तु रूप के अतिरिक्त) के संबंध में प्रगति शामिल नहीं थी।

(vii) बोर्ड द्वारा कार्यान्वित कल्याणकारी योजनाओं हेतु विस्तृत दिशानिर्देशों का अभाव था।

(viii) लाभार्थियों को कल्याणकारी योजना के लाभ स्वीकृत करते समय आवेदनों की यथोचित संवीक्षा न करना, सहायता का दोहरा भुगतान, सहायता का कम भुगतान, बोर्ड में पंजीकरण से पूर्व की अवधि हेतु सहायता का भुगतान, आवेदन के साथ उपयुक्त दस्तावेज न देना व दावों पर कार्यवाही में विलम्ब आदि के रूप में परिणत हुआ, जैसा कि **परिच्छेद 2.7** में पहले ही चर्चा की जा चुकी है।

(ix) बोर्ड में आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध का अभाव था।

आंतरिक नियंत्रण/निगरानी तंत्र की कमी के कारण अभिलेखों के अनुचित रखरखाव, कल्याण लाभों के गलत भुगतान एवं दावों पर कार्यवाही में अनियमितताओं से संबंधित जोखिमों से इंकार नहीं किया जा सकता है।

बोर्ड ने तथ्यों की पुष्टि करते हुए बताया (अप्रैल 2023) कि हिमाचल प्रदेश सरकार बोर्ड में पूर्णकालिक हिमाचल प्रदेश वित्त एवं लेखा सेवाएं अधिकारियों की नियुक्ति नहीं कर कर रही है एवं तदनुसार आंतरिक नियंत्रण को पूर्ण भावना में लागू नहीं किया जा रहा। यह मामला समय-समय पर हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ उठाया गया है। बोर्ड ने यह भी बताया (दिसंबर 2022) कि जैसा कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किया गया है, श्रम अधिकारी/श्रम निरीक्षक कार्यालयों से संशोधित मासिक प्रगति प्रतिवेदन की मांग की गई है एवं इसे नियमित तौर पर समेकित किया जाएगा।

### 2.8.1.2 भंडार (स्टोर) की सामग्री का भौतिक सत्यापन

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली, 2009 के नियम 140 में प्रावधान है कि (1) भंडार का प्रभारी अधिकारी अचल परिसंपत्तियों, उपभोग्य वस्तुओं व ख़राब स्टॉक या अनुपयोगी वस्तुओं की सूची रखेगा।

(2) विभागाध्यक्ष वर्ष में कम से कम एक बार अचल परिसंपत्तियों, उपभोग्य वस्तुओं व ख़राब स्टॉक या अनुपयोगी वस्तुओं का भौतिक सत्यापन करेगा अथवा उसके अधीनस्थ अधिकारी (अधिकारियों) के माध्यम से या उसके द्वारा या राज्य सरकार द्वारा गठित समिति के माध्यम से कराएगा।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2015-16 से चयनित श्रम अधिकारी/श्रम निरीक्षक कार्यालयों में स्टोर की वस्तुओं/वस्तु रूप सामग्री[77] का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया।

श्रम निरीक्षक, हमीरपुर के भंडार के संयुक्त भौतिक निरीक्षण (नवंबर 2021) के अनुसार विगत लेखापरीक्षा में 290 साइकिलों की कमी पाई गई थी। श्रम निरीक्षक, हमीरपुर ने लेखापरीक्षा के आदेश पर कार्रवाई करते हुए विक्रेता से 190 साइकिलों (अवितरित) की राशि की वसूली की एवं उन स्थलों/गांवों से 100 अवितरित साइकिलें बरामद कीं, जहां साइकिलों का वितरण किया गया था। फरवरी 2023 में लेखापरीक्षा द्वारा उसी भंडार के संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान कोई कमी नहीं पाई गई। परन्तु श्रम निरीक्षक, हमीरपुर द्वारा अभी भी स्टॉक का कोई भौतिक सत्यापन नहीं किया जा रहा।

---

77 साइकिल, वॉशिंग मशीन, इंडक्शन हीटर व सौर लालटेन।

श्रम अधिकारी, बिलासपुर ने बताया (फरवरी 2023) कि बोर्ड ने भौतिक सत्यापन करने के लिए कोई दिशानिर्देश नहीं दिया। श्रम निरीक्षक, हमीरपुर ने बताया (फरवरी 2023) कि अत्यधिक कार्यभार के कारण स्टॉक पंजिकाओं का सत्यापन नहीं किया जा सका।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि भंडार सामग्री के वार्षिक भौतिक सत्यापन के संबंध में राज्य वित्तीय नियमों का अनुपालन श्रम कार्यालयों द्वारा किया जाना चाहिए था, जिससे माल की खरीद के दौरान गलतियों का पता लगाने में भी सहायता मिल सकती थी।

### 2.8.1.3 प्राप्ति पंजिका का अनुरक्षण

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली, 2009 के नियम 3(7) में प्रावधान है कि (क) राजस्व व अन्य प्राप्तियों के निर्धारण, संग्रहण, आवंटन, छूट एवं परित्याग के संबंध में विस्तृत प्रक्रिया वित्त विभाग के परामर्श से इसके दिशानिर्देशों के लिए विभाग उत्तरदायी होगा, निर्धारित की जाएगी।

(ख) जिन विभागों में अधिकारियों को सरकार की ओर से धन प्राप्त करना एवं उसकी रसीदें जारी करना अपेक्षित है, उस विभाग के विनियमों में उसका उचित लेखांकन करने की व्यवस्था होगी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि चयनित श्रम अधिकारी/श्रम निरीक्षक कार्यालयों ने वर्ष 2017-22 के दौरान पंजीकृत कर्मकारों से पंजीकरण/नवीनीकरण अंशदान के रूप में प्राप्त राशि व बोर्ड को इसके प्रेषण हेतु प्राप्ति पंजिका नहीं बनाई थी। पंजिका के अभाव में उपरोक्त अवधि के दौरान पंजीकृत कर्मकारों से संग्रहित पंजीकरण/नवीनीकरण अंशदान के बदले में वास्तविक रसीद की प्रामाणिकता और बोर्ड को प्रेषित रसीद की प्रामाणिकता लेखापरीक्षा में सत्यापित नहीं की जा सकी।

श्रम निरीक्षक, हमीरपुर ने बताया (फरवरी 2023) कि बोर्ड ने प्राप्ति पंजिका अनुरक्षित करने के कोई निर्देश जारी नहीं किए। श्रम अधिकारी, बिलासपुर ने बताया (फरवरी 2023) कि कार्य की अधिकता व कार्मिकों की कमी के कारण पंजिका अनुरक्षित नहीं की जा सकी। श्रम अधिकारी, कुल्लू ने बताया (दिसंबर 2022) कि पंजिका बनाई गई है परन्तु कार्य की अधिकता व कार्मिकों की कमी के कारण पंजिका पूर्ण नहीं की जा सकी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि श्रम अधिकारी/श्रम निरीक्षक को वित्तीय नियमों का पालन करना चाहिए था।

### 2.8.1.4 पहचान-पत्र पंजिका के विस्तृत प्रारूप का अभाव

हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) नियमावली, 2008 के नियम 266(8) में कहा गया है कि बोर्ड का सचिव या उसके द्वारा

तदहेतु प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी प्रत्येक लाभार्थी को फार्म-XXXII में लाभार्थी की फोटो सहित पहचान-पत्र जारी करेगा तथा फार्म-XXXIII में जारी किए गए पहचान-पत्रों की एक पंजिका रखेगा। पहचान-पत्र में भाग I से IV तक है, जैसा कि **तालिका 2.29** में दिखाया गया है:

**तालिका 2.29.: पहचान-पत्र में निहित विवरण**

| | |
|---|---|
| **भाग I** | पंजीकृत लाभार्थी का पूरा विवरण |
| **भाग II** | सदस्यता व पंजीकरण का नवीनीकरण |
| **भाग III** | लाभार्थी द्वारा किए गए भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य का विवरण |
| **भाग IV** | पंजीकृत लाभार्थियों को वितरित कल्याण सहायता/योजनाओं का विवरण |

**तालिका 2.30: पहचान-पत्र पंजिका का प्रारूप**

**जिले का नाम --------**

| **क्र. सं.** | **पहचान-पत्र की संख्या** | **जारी करने की तिथि** | **कर्मकार का नाम व पता** | **कार्यकारी अधिकारी के हस्ताक्षर** | **टिप्पणी** |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |

**तालिका 2.30** से स्पष्ट है कि पंजिका के निर्धारित प्रारूप में आवेदन की तिथि, कारण सहित स्वीकृत/अस्वीकृत लाभ, परिवार/नामांकन का संपूर्ण विवरण, कार्य निरंतरता प्रमाणपत्र आदि शामिल नहीं हैं, जो पहचान-पत्र में निर्धारित किए गए हैं। परिणामस्वरूप लाभार्थियों के ऐसे विवरण श्रम अधिकारी/श्रम निरीक्षक की पहचान-पत्र पंजिका में दर्ज नहीं किए गए तथा यदि पंजिका को पहचान-पत्र के समान प्रारूप में बनाया जाता, तो लाभार्थियों का दोहरा पंजीकरण, लाभ का दोहरा भुगतान, पंजीकरण का नवीनीकरण न होना आदि कमियों से बचा जा सकता था।

बोर्ड ने तथ्यों की पुष्टि करते हुए बताया (अप्रैल 2023) कि लेखापरीक्षा में इंगित की गई विसंगतियों को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के माध्यम से विकसित किए जा रहे सॉफ्टवेयर/पोर्टल के माध्यम से हटा दिया जाएगा।

## 2.8.2 लाभार्थी सर्वेक्षण

325 लाभार्थियों/सन्निर्माण कर्मकारों का लाभार्थी सर्वेक्षण (दिसंबर 2022 से फरवरी 2023) आयोजित नीचे दिए गए मानदंडों के अनुसार किया गया:

(I) चयनित आठ कल्याणकारी योजनाओं[78] के अंतर्गत कल्याण लाभ प्राप्त करने वाले 243 लाभार्थियों को पात्रता शर्तों व लाभ के समयबद्ध संवितरण की जांच हेतु बोर्ड के अभिलेखों से यादृच्छिक रूप से चुना गया।

[78] कोविड-19 वित्तीय सहायता, शिक्षा सहायता, विवाह सहायता, मृत्यु व अंतिम संस्कार वित्तीय सहायता, मातृत्व/पितृत्व वित्तीय सहायता, इंडक्शन कुकर, वाशिंग मशीन, सौर लैंप

(II) लेखापरीक्षा ने संबंधित श्रम कार्यालयों एवं कार्य निष्पादन एजेंसियों के कार्मिकों के साथ 26 निर्माण-स्थलों[79] का संयुक्त भौतिक निरीक्षण किया तथा इन निर्माण-स्थलों पर 82 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकारों (71 अपंजीकृत कर्मकार व 11 पंजीकृत कर्मकार) का सर्वेक्षण किया ताकि पंजीकरण की सीमा, पंजीकरण न होने के कारण, बोर्ड द्वारा कार्यान्वित कल्याणकारी योजनाओं के विषय में सन्निर्माण कर्मकारों के बीच जागरूकता तथा नियोक्ताओं द्वारा निर्माण-स्थलों पर कर्मकारों को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं का आंकलन किया जा सके।

### 2.8.2.1 लाभार्थी सर्वेक्षण के निष्कर्ष

### 2.8.2.1 (क) दस कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत चयनित कर्मकारों का लाभार्थी सर्वेक्षण

कल्याण लाभ प्राप्त करने वाले 243 पंजीकृत कर्मकारों के लाभार्थी सर्वेक्षण के निष्कर्ष **आकृति 2.2** में दर्शाए गए हैं:

**आकृति 2.2: लाभार्थी सर्वेक्षण के निष्कर्ष**

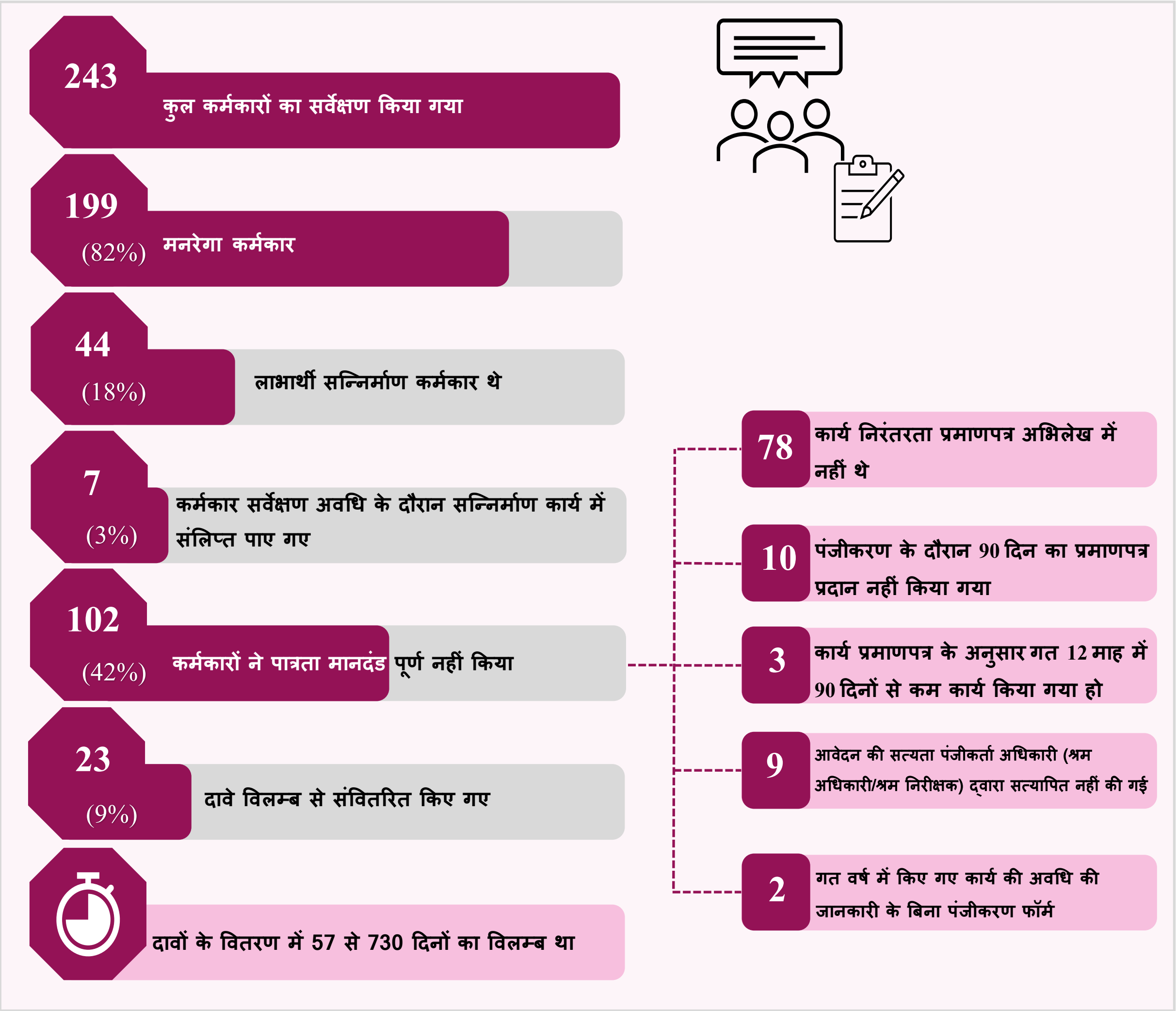


79 श्रम अधिकारी, बिलासपुर: छह, श्रम अधिकारी, कुल्लू: 11, श्रम निरीक्षक, हमीरपुर: नौ

उपरोक्त आंकड़े दर्शाते हैं कि अधिकांश लाभ (82 प्रतिशत) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना (मनरेगा) कर्मकारों को वितरित किए गए तथा सर्वेक्षण अवधि के दौरान सर्वेक्षित केवल तीन प्रतिशत लाभार्थी किसी प्रकार के सन्निर्माण कार्य में संलिप्त थे। कल्याण लाभ उन 42 प्रतिशत सर्वेक्षित लाभार्थियों को वितरित किए गए, जो विभिन्न शर्तों को पूरा न करने के कारण अपात्र थे, यह दर्शाता है कि कल्याण आवेदनों की श्रम अधिकारी/श्रम निरीक्षक या बोर्ड द्वारा समुचित जांच नहीं की जा रही थी। दावे प्राप्त होने की तिथि से निर्धारित छः माह बीत जाने के बाद नौ प्रतिशत कर्मकारों के दावों का वितरण 57 से 730 दिनों के विलम्ब से किया गया।

### 2.8.2.1 (ख) संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान कर्मकारों का लाभार्थी सर्वेक्षण

निर्माण-स्थलों/स्थापनाओं का संयुक्त भौतिक निरीक्षण करने के दौरान 82 सन्निर्माण कर्मकारों के लाभार्थी सर्वेक्षण का निष्कर्ष **आकृति 2.3** में दर्शाए गया है।

**आकृति 2.3: 82 सन्निर्माण कर्मकारों के लाभार्थी सर्वेक्षण के निष्कर्ष**

*टिप्पणी: बुलबुले का क्षेत्रफल कर्मकारों की संख्या के अनुपातिक नहीं है।*

लाभार्थी सर्वेक्षण से उजागर हुआ कि सर्वेक्षित 82 कर्मकारों में से 64 (78 प्रतिशत) प्रवासी सन्निर्माण कर्मकार थे। नियोक्ताओं ने अग्नि सुरक्षा उपकरण, स्वास्थ्य जांच, सुरक्षा उपकरण

व प्राथमिक चिकित्सा किट जैसे स्वास्थ्य और सुरक्षा उपाय उपलब्ध/प्रदान नहीं किए। सप्ताह में एक दिन की छुट्टी एवं न्यूनतम मजदूरी जैसे बुनियादी श्रम अधिकार कर्मकारों को नहीं दिए गए। आश्रय सुविधाओं जैसी बुनियादी सुविधाएं भी कर्मकारों को प्रदान नहीं की गईं।

## 2.9 निष्कर्ष

अधिनियम के तहत स्थापित विवाह सहायता हेतु राज्य सरकार के नियम यह निर्दिष्ट करने में विफल रहे कि परिवार से कौन सहायता का दावा करने के लिए पात्र है। यह एक ही विवाह हेतु एक से अधिक बार सहायता प्राप्त होने की स्थिति में परिणत हुआ। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य जांच ढांचे में बोर्ड की निगरानी एवं रिकॉर्ड रखने में कमी थी। साथ ही, पेंशन वितरण के लिए आदर्श कल्याणकारी योजना द्वारा अनुशंसित 10 वर्षों के बजाय केवल तीन वर्षों की न्यूनतम पंजीकरण अवधि को अपनाया गया बिना इससे उत्पन्न होने वाली दीर्घकालिक देयताओं का समुचित मूल्यांकन किए।

स्थापनाओं एवं कर्मकारों के पंजीकरण की प्रक्रिया प्रभावी नहीं थी क्योंकि स्थापनाओं व कर्मकारों का पंजीकरण न होना, स्थानीय निकायों के साथ समन्वय की कमी के कारण पंजीकरण एवं नियोक्ता/ठेकेदार से उपकर संग्रहण न किया जाना, कर्मकारों का दोहरा व फर्जी पंजीकरण आदि दृष्टांत सामने आए। साथ ही, शिविरों का आयोजन व कर्मकारों का पंजीकरण कम हुआ तथा किए गए कार्य का विवरण कर्मकारों के पहचान-पत्रों में प्रविष्ट करना सुनिश्चित नहीं किया गया। बोर्ड व श्रम अधिकारी/श्रम निरीक्षक कार्यालयों के पंजीकृत कर्मकारों व आयोजित शिविरों के आंकड़ों में मिलान न होना निष्प्रभावी रिपोर्टिंग तंत्र को परिलक्षित करता है।

निर्धारण अधिकारी-सह-श्रम अधिकारियों ने उपकर नियमों के प्रावधानानुसार सभी नियोक्ताओं से फॉर्म-I प्राप्त करने के कोई प्रयास नहीं किए एवं श्रम अधिकारी निर्धारण आदेश जारी नहीं कर रहे थे। बोर्ड ने स्थानीय निकायों व निष्पादन एजेंसियों के साथ स्वीकृत भवन योजनाओं व सन्निर्माण परियोजनाओं की जानकारी साझा करने के लिए समन्वय नहीं किया।

बोर्ड या श्रम कार्यालयों ने संग्रहित उपकर का स्थापना-वार डेटा अनुरक्षित नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 226.52 करोड़ की उपकर राशि का मिलान नहीं हो पाया। बोर्ड या विभाग ने उपकर राशि को निधि में हस्तांतरित करने के लिए एक समान प्रारूप निर्धारित नहीं किया।

इसके अतिरिक्त अस्वीकृत चेक/बैंक ड्राफ्ट का समय पर त्रुटिसुधार/पुनर्वैध नहीं किए जाने के कारण बोर्ड को कम वसूली/उपकर का प्रेषण न करने के दृष्टांत भी सामने आए।

नमूना-जांचित श्रम अधिकारी/श्रम निरीक्षक कार्यालयों ने अधिनियमों व नियमों के प्रावधानों के अनुसार सन्निर्माण कर्मकारों के स्वास्थ्य, सुरक्षा व कल्याण सुविधाओं की जांच हेतु नियमित निरीक्षण नहीं किए। स्थल पर दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मृत्युओं को टाला जा सकता था,

जो सन्निर्माण कर्मकारों की सुरक्षा के प्रति अधिकारियों की ओर से सक्रिय कार्रवाई की कमी को परिलक्षित करता है।

संयुक्त भौतिक निरीक्षण से यह भी उजागर हुआ कि निर्माण-स्थलों पर रक्षा व सुरक्षा उपायों, यथा प्राथमिक चिकित्सा किट, कर्मकारों हेतु सुरक्षा उपकरण, स्थल पर अग्नि सुरक्षा उपकरण तथा पानी, शौचालय व आश्रय जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी थी।

राज्य सरकार ने निरीक्षण के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु पर्याप्त कार्मिक उपलब्ध नहीं कराएं। वर्ष 2011 के बाद लक्ष्यों को संशोधित नहीं किया गया, जो दर्शाता है कि विभाग ने राज्य में चल रही सन्निर्माण गतिविधियों की स्थिति का अपेक्षित व उपलब्ध जनशक्ति के संदर्भ में तुलनात्मक विश्लेषण नहीं किया। यहां तक की निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति भी नहीं की जा सकी। श्रम अधिकारियों/श्रम निरीक्षकों ने निरीक्षण टिप्पणी या पंजिका अनुरक्षित करने की जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया तथा विगत निरीक्षणों के दौरान यदि सुरक्षा उपायों में कोई कमी पाई गई, तो उनकी अनुपालना सुनिश्चित नहीं की जा सकी। समग्र निरीक्षण तंत्र निष्प्रभावी रहा क्योंकि दुर्घटनाओं में मृत्यु को सूचित करने वाले निर्माण-स्थलों का जोखिम-आधारित आकलन, आवधिक दौरा या निरीक्षण नहीं किया गया।

विभाग व बोर्ड ने कोई वार्षिक कार्य-योजना तैयार नहीं किया एवं न ही दीर्घकालिक/अल्पकालिक लक्ष्य निर्धारित किए। उन्होंने निर्णय लेने एवं योजनाओं के सृजन में सहायता हेतु डेटाबेस बनाने के लिए संपूर्ण राज्य में कर्मकारों का कोई सर्वेक्षण नहीं किया। बोर्ड ने पंजीकृत कर्मकारों के विस्तृत व्यक्तिगत कर्मकार/लाभार्थी-वार डेटाबेस का अनुरक्षण नहीं किया।

बोर्ड की कार्यप्रणाली में प्रशासनिक अनियमितताएं बनी रही, जो बोर्ड व राज्य सलाहकार समिति की बैठकों, बजट निर्माण में अक्षमता, वार्षिक बजट व वार्षिक रिपोर्ट की स्वीकृति में विलम्ब एवं वार्षिक लेखापरीक्षा हेतु वार्षिक लेखाओं की प्रस्तुति से संबंधित थीं।

बोर्ड में कार्मिकों की कमी के कारण सन्निर्माण कर्मकारों के कल्याण से संबंधित अधिनियमों के कार्यान्वयन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। सन्निर्माण कर्मकारों को प्रदान किए जाने वाले लाभों की सामाजिक लेखापरीक्षा के लिए प्रभावी संस्थागत प्रणाली तैयार नहीं की गई।

वित्तीय प्रबंधन के संदर्भ में निधि का विशाल संचय देखा गया, जो वर्ष 2021-22 में बढ़कर ₹ 703.15 करोड़ हो गया।

कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में नियमों में विसंगति, कल्याण लाभों के संवितरण में विलम्ब, लाभार्थियों को सम्मिलित न करना, अधिसूचित कल्याणकारी योजनाएं लागू न करना, कम/अधिक भुगतान, निष्फल व्यय, स्टोर में रखी वस्तु रूप सामग्री का वितरण न करना, जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा। इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा में श्रम अधिकारियों/श्रम निरीक्षकों द्वारा अस्वीकृत दावों के सुधार के लिए कोई कार्रवाई न किए जाने की स्थिति पाई गई।

## 2.10 अनुशंसाएं

*राज्य सरकार:*

- *विवाह के लिए वित्तीय सहायता से संबंधित आवेदन-पत्र में स्पष्ट करें कि एक ही व्यक्ति के विवाह के लिए स्वयं सहित परिवार के विभिन्न सदस्यों द्वारा सहायता के लिए आवेदन नहीं किया गया/सहायता प्राप्त नहीं की गई। एक से अधिक बार विवाह सहायता प्राप्त करने की घटनाओं से बचने के लिए नियम में स्पष्टता भी लाएं।*
- *आदर्श कल्याणकारी योजना की अनुशंसाओं का अनुपालन सुनिश्चित करें। यदि कोई विचलन हो तो उसे अपनाने से पहले उसका समुचित आकलन करें।*
- *विभाग राज्य की सन्निर्माण गतिविधियों की निगरानी के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली मैपिंग का उपयोग आरंभ करें एवं यथोचित निरीक्षण करें।*
- *राज्य के सभी पात्र कर्मकारों का पंजीकरण कर्मकारों की पहल पर ना छोड़ते हुए बोर्ड व विभाग की ओर से आयोजित शिविरों, लक्ष्य केन्द्रित प्रचार अभियानों, विशेष अभियानों आदि सक्रिय गतिविधियों द्वारा सुनिश्चित करें।*
- *श्रम अधिकारी नियोक्ता/ठेकेदार से फॉर्म-XXX में मासिक रिटर्न का प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करें ताकि निर्माण-स्थल पर पंजीकरण के पात्र सन्निर्माण कर्मकारों की जानकारी श्रम अधिकारी के पास उपलब्ध हो।*
- *साथ ही पंजीकरण प्रक्रिया में त्रुटियों के कारण हुए दोहरे पंजीकरण, फर्जी प्रमाणपत्र के आधार पर झूठे पंजीकरण इत्यादि को उपयुक्त सॉफ्टवेयर विकसित कर आवश्यक नियंत्रण के माध्यम से दूर किया जाए।*
- *विभाग एवं बोर्ड उपकर से सम्बंधित विस्तृत डेटाबेस श्रम कार्यालयों व बोर्ड स्तर पर तैयार करना सुनिश्चित करें।*
- *राजस्व की किसी भी हानि से बचने के लिए फॉर्म-I प्राप्त करने और तदोपरांत उपकर निर्धारण की प्रक्रिया का सावधानीपूर्वक पालन सुनिश्चित करें।*
- *विभाग राज्य के सभी पात्र स्थापनाओं से उपकर संग्रहण हेतु अन्य संबंधित विभागों के साथ समन्वय करें। स्थानीय निकायों के भवन योजना स्वीकृत के आवेदन में "उपकर जमा" का प्रावधान समाविष्ट किया जा सकता है।*
- *बोर्ड साथ ही साथ उपकर-संग्रहकर्ता उपकर संग्रह का नियमित रूप से मिलान करें।*
- *सरकार या बोर्ड सभी उपकर कटौतीकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला एक समान प्रारूप उपलब्ध करवाएं, जिसमें व्यक्तिगत स्थापनाओं/सन्निर्माण कार्यों, राशि, उपकर कटौती की अवधि, बोर्ड के बैंक खाते में उपकर हस्तांतरण का तरीका, लंबित उपकर का विवरण (यदि कोई हो), अग्रिम भुगतान की गई उपकर राशि (यदि कोई हो), श्रम कार्यालय के क्षेत्राधिकार, इत्यादि का विवरण हो।*

- *श्रम अधिकारी और श्रम निरीक्षक विभाग व बोर्ड के क्षेत्रीय एजेंट होने के नाते निर्माण-स्थलों का नियमित रूप से निरीक्षण करें तथा सन्निर्माण कर्मकारों की सुरक्षा व स्वास्थ्य के संदर्भ में विगत निरीक्षणों के दौरान उठाए गए मुद्दों या देखी गई कमियों की अनुपालना सुनिश्चित करने हेतु निरीक्षण टिप्पणी एवं पंजिका का अनुरक्षण करें।*
- *विभाग चल रही सन्निर्माण गतिविधियों एवं उपलब्ध कार्मिकों की संख्या का विश्लेषण करने के बाद नियमित रूप से निरीक्षण लक्ष्य संशोधित करें एवं राज्य में निर्माण-स्थलों के आवधिक दौरे एवं जोखिम-आधारित आकलन को निर्दिष्ट करते हुए एक व्यापक निरीक्षण नीति तैयार करें।*
- *विभाग एवं बोर्ड कर्मकारों व स्थापनाओं के पंजीकरण हेतु सॉफ्टवेयर विकसित करें, जिसके माध्यम से कल्याण लाभों के आवेदन प्रस्तुत किए जा सकें, उनकी जांच की जा सकें व कर्मकारों को लाभ के त्वरित वितरण की स्वीकृति दी जा सकें।*
- *बोर्ड एवं राज्य सलाहकार समिति की बैठकें नियमित अंतराल पर आयोजित की जाएं तथा वार्षिक लेखाओं व वार्षिक रिपोर्टों की तैयारी और अनुमोदन निर्धारित समयसीमा के भीतर सुनिश्चित की जाए।*
- *बोर्ड राज्य की सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई के साथ समन्वय स्थापित करके राज्य के सभी ब्लॉकों में आवधिक रूप से सामाजिक लेखापरीक्षा संचालित करने का प्रयास करें।*
- *राज्य के सभी पात्र कर्मकारों को अधिकतम लाभ प्रदान करने हेतु बोर्ड योजनाओं का कार्यान्वयन सुनिश्चित करें, जिससे निधियों के संचय से बचा जा सके। साथ ही अधिनियम/नियमों के प्रावधानों के अनुसार निधि से व्यय हो।*
- *आयकर देयता पर अनावश्यक व्यय से बचाव करने की अनुशंसा की जाती है।*
- *कल्याण लाभों के संदर्भ में एक डेटाबेस तैयार किया जाए, ताकि दोहरी स्वीकृति, अनुचित एवं अनियमित भुगतानों जैसी अनियमितताओं को समाप्त किया जा सके तथा दावों की स्वीकृति के समय क्षेत्रीय अधिकारियों एवं बोर्ड द्वारा प्रस्तुत आवेदनों एवं संलग्न दस्तावेजों की समुचित संवीक्षा भी की जाएं।*

# अध्याय-III

# खाद्य सामग्री की खरीद, भंडारण एवं वितरण में गुणवत्ता प्रबंधन

# अध्याय III: खाद्य सामग्री की खरीद, भंडारण एवं वितरण में गुणवत्ता प्रबंधन

## खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग

### 3.1 परिचय

राज्य में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग (विभाग) (पूर्व में सहकारिता विभाग का भाग) वर्ष 1966 में एक पृथक इकाई के रूप में अस्तित्व में आया। विभाग खुले बाजार के साथ-साथ सार्वजनिक वितरण प्रणाली में विभिन्न अनिवार्य वस्तुओं की मांग व आपूर्ति से संबंधित कार्य करता है। विभाग का कार्य हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (निगम) द्वारा किया जाता है।

हिमाचल प्रदेश में लाभार्थियों को लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा निगम के 120 थोक गोदामों एवं 5,068 उचित मूल्य की दुकानों के नेटवर्क के माध्यम से सात खाद्य सामग्रियों (गेहूं, गेहूं का आटा, चावल, दालें, चीनी, खाद्य तेल व नमक) का वितरण किया जा रहा है। गेहूं व चावल का आवंटन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013[1] के तहत भारत सरकार करती है, जबकि दालों, खाद्य तेल, नमक व चीनी[2] का आवंटन हिमाचल प्रदेश राज्य विशेष सब्सिडी योजना[3] के तहत राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। जिलों में विद्यमान कुल राशन कार्डधारकों के आधार पर इन खाद्य सामग्रियों का आवंटन आगे विभाग द्वारा जिलों में किया जाता है।

निगम भारत सरकार द्वारा किए गए आवंटन के अनुसार भारतीय खाद्य निगम के 20 गोदामों से गेहूं और चावल लेता है। इसके अतिरिक्त निगम निविदा आमंत्रित करके तथा आपूर्तिकर्ताओं के साथ समझौता-ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करके राज्य सब्सिडी के तहत शेष खाद्य सामग्रियों की खरीद करता है। अंत में इन खाद्य सामग्रियों को निगम के 120 थोक गोदामों से 5,068 उचित मूल्य की दुकान के स्वामियों द्वारा कार्डधारकों को वितरण के लिए उठाया जाता है।

खाद्य सामग्रियों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और हिमाचल प्रदेश राज्य विशेष सब्सिडी योजना के तहत लाभार्थियों को वितरित की जाने वाली विभिन्न वस्तुओं के नमूने विभाग के क्षेत्रीय कर्मचारियों द्वारा लक्ष्यित आधार पर नियमित रूप से लिए जाते हैं तथा विश्लेषण हेतु निदेशालय कार्यालय, शिमला में विभागीय खाद्य

---

1 प्राथमिकता प्राप्त परिवार एवं अंत्योदय अन्न योजना से संबंधित 7.43 लाख कार्डधारकों को समावेशित करता है।

2 अंत्योदय अन्न योजना लाभार्थियों को भारत सरकार द्वारा सब्सिडी दी जाती है। अंत्योदय अन्न योजना के अतिरिक्त अन्य लाभार्थियों को राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी दी जाती है।

3 सभी 19.48 लाख कार्डधारकों को समावेशित करता है।

परीक्षण प्रयोगशाला को भेजे जाते हैं। इसके अतिरिक्त निगम निजी एजेंसियों द्वारा संचालित सूचीबद्ध प्रयोगशालाओं को भी नमूने भेजता है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा की गई जिसे मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल किया गया, इसके पश्चात मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में इस लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर अनुवर्ती कार्रवाई की गई, जिसमें राज्य में खाद्य गुणवत्ता प्रबंधन की कमियों[4] को उजागर किया गया। फरवरी 2015 व अगस्त 2016 में हिमाचल प्रदेश विधानसभा की लोक लेखा समिति ने इस प्रतिवेदन पर चर्चा की तथा अंततः मार्च 2020 में इसका समायोजन किया गया। जहां कहीं आवश्यक था, लोक लेखा समिति की अनुशंसाओं को प्रतिवेदन में यथोचित रूप से समाविष्ट किया गया है (**परिच्छेद 3.8.5** एवं **3.9.1**)।

## 3.2 संगठनात्मक ढांचा

अतिरिक्त मुख्य/प्रधान सचिव (खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले) सरकारी स्तर पर विभाग का प्रमुख होता है। उसे निदेशक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग और प्रबंध निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। जिला स्तर पर खाद्य सुरक्षा से संबंधित योजनाओं को संबंधित जिला नियंत्रकों, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले[5] द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के संबंधित सात क्षेत्रीय प्रबंधकों[6] की सहायता से 5,068 उचित मूल्य की दुकानों के नेटवर्क के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। राज्य में विभिन्न खाद्य सुरक्षा योजनाओं के कार्यान्वयन की संगठनात्मक संरचना नीचे दिए गए चार्ट में दर्शाई गई है:

4 ये कमियां थीं: उचित मूल्य दुकानों का कम निरीक्षण, खाद्य सामग्री के नमूनों का कम संग्रह व परीक्षण, परीक्षण विश्लेषण रिपोर्ट प्राप्त किए बिना खाद्य सामग्रियों का वितरण, विभागीय प्रयोगशाला में अपर्याप्त कर्मी व उपकरण, सतर्कता समिति का अपर्याप्त गठन व कार्यप्रणाली, निम्न गुणवत्ता वाली खाद्य सामग्रियों की आपूर्ति चिह्नित करते लाभार्थी सर्वेक्षण के निष्कर्ष।

5 बारह जिला नियंत्रक क्षेत्रीय इकाइयों में तैनात हैं व एक जिला नियंत्रक निदेशालय कार्यालय में तैनात है।

6 चंबा, धर्मशाला, हमीरपुर, मंडी, नाहन, शिमला व सोलन में स्थित है।

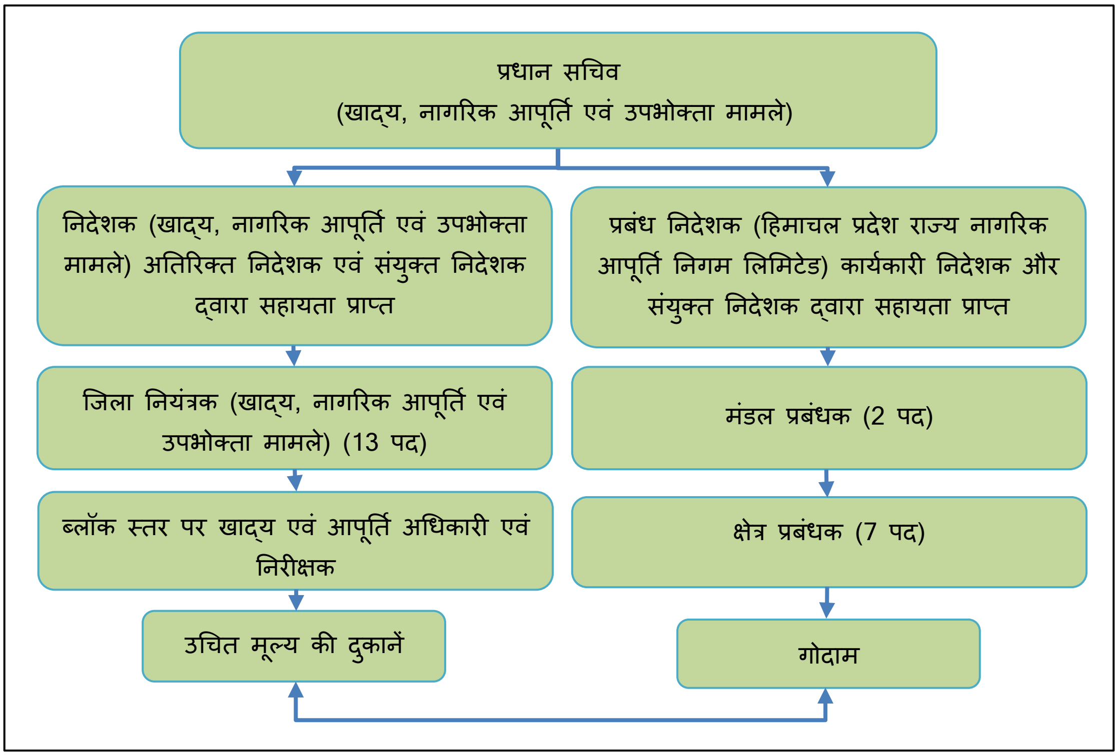


## 3.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह पता लगाना था कि क्या:

- अधिनियम/लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2015 के तहत अपेक्षित संयुक्त भौतिक निरीक्षण एवं प्रयोगशाला परीक्षण के माध्यम से खरीद, भंडारण व वितरण के समय विभाग ने खाद्य वस्तुओं की गुणवत्ता सुनिश्चित की।
- विभाग में विद्यमान निगरानी प्रणालियां पर्याप्त एवं नियमों व अधिसूचनाओं के अनुरूप थीं।
- राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उपभोक्ता जागरूकता गतिविधियां भारत सरकार से अनुमोदित प्रस्ताव के अनुसार आयोजित की गईं।
- राज्य में विद्यमान शिकायत एवं शिकायत निवारण प्रणाली पर्याप्त तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम/लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2015 के अनुरूप थी।

## 3.4 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा हेतु प्रयुक्त लेखापरीक्षा मानदंड निम्नलिखित स्रोतों से प्राप्त किए गए:

- खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम, 2006;
- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019;
- लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2015;

- खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम, 2011;
- भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा जारी खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली, 2018 पर मार्गदर्शन दस्तावेज़;
- खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य सामग्रियों का फोर्टिफिकेशन) विनियम, 2018;
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013;
- हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम, 2009
- खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता के संबंध में सरकारी निर्देश/अधिसूचनाएं, जैसे निरीक्षण व नमूना संग्रहण।

## 3.5 लेखापरीक्षा का कार्य-क्षेत्र एवं कार्यप्रणाली

विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा वर्ष 2019-20 से 2021-22 की अवधि को सम्मिलित करते हुए सितंबर 2022 से दिसंबर 2022 तक की गई।

इस विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा में निम्नलिखित कार्यालयों को समाविष्ट किया गया:

- निदेशक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले;
- प्रबंध निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड;
- विभाग के तीन जिला नियंत्रक, किन्नौर, मंडी व सोलन (12 में से);
- निगम के दोनों मंडल प्रबंधक, धर्मशाला व सोलन एवं तीन क्षेत्रीय प्रबंधक, किन्नौर (शिमला में), मंडी व सोलन (सात में से)।

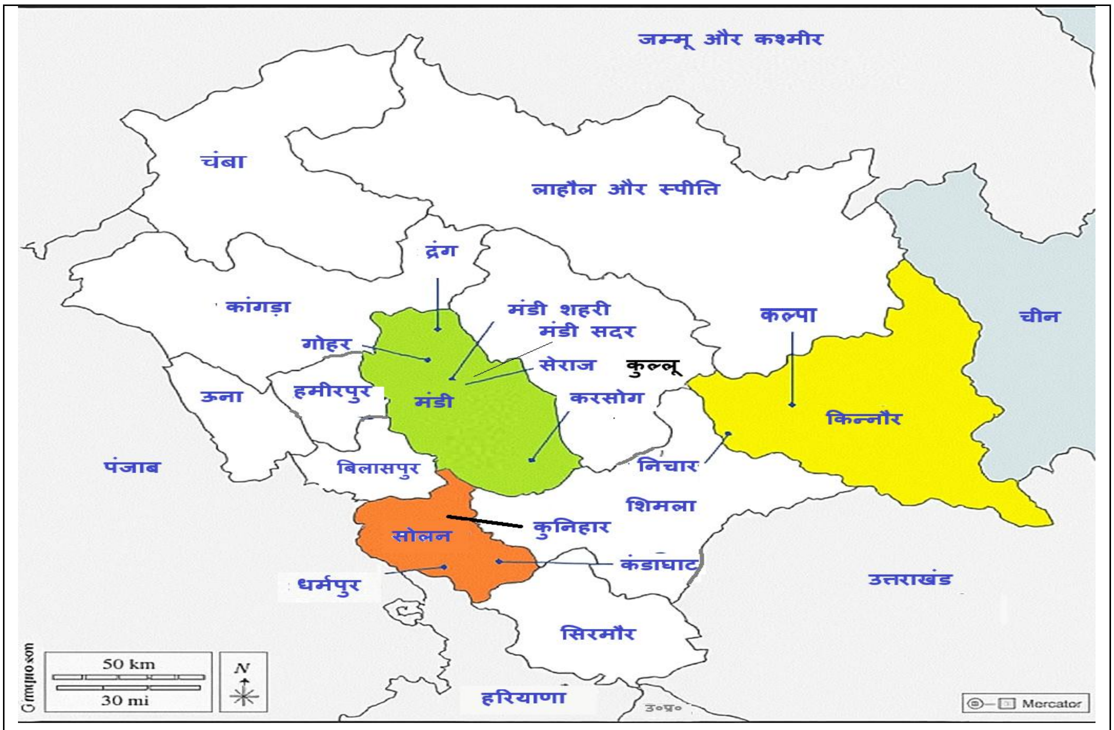


मानचित्र 3.1: नमूना-जांचित जिले किन्नौर, मंडी व सोलन एवं उनके संबंधित नमूना-जांचित ब्लॉक

इसके अतिरिक्त तीन नमूना-जांचित जिलों से संबंधित 11 ब्लॉकों[7] (19 में से) के 15 गोदाम (28 में से) व 60 उचित मूल्य की दुकानों (1,188 में से) को भी संयुक्त भौतिक निरीक्षण हेतु चुना गया। लेखापरीक्षा के दौरान नमूना-जांचित उचित मूल्य की दुकानों से जुड़े लाभार्थियों (307) का सर्वेक्षण भी किया गया। लेखापरीक्षा में नमूना-जांचित ब्लॉकों के गोदामों व उचित मूल्य की दुकानों से राज्य में वितरित विभिन्न खाद्य सामग्रियों[8] के नमूने भी लिए गए और उनकी गुणवत्ता का पता लगाने के लिए खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, पंजाब बायोटेक्नोलॉजी इनक्यूबेटर (विज्ञान, प्रौद्योगिकी व पर्यावरण विभाग, पंजाब सरकार), मोहाली भेजा गया।

जुलाई 2023 में आयोजित अंतिम बैठक में प्रधान सचिव (खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले) के साथ लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा की गई तथा सरकार के विचारों को यथोचित रूप से इस प्रतिवेदन में समाविष्ट किया गया है।

## 3.6 वित्तीय प्रबंधन

वर्ष 2019-22 के दौरान सब्सिडी, वेतन व अन्य व्यय[9] शीर्षों के तहत खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के परिव्यय व व्यय की स्थिति **चार्ट 3.1** में दर्शाई गई है।

**चार्ट 3.1: 2019-22 के दौरान बजट व व्यय के विवरण**

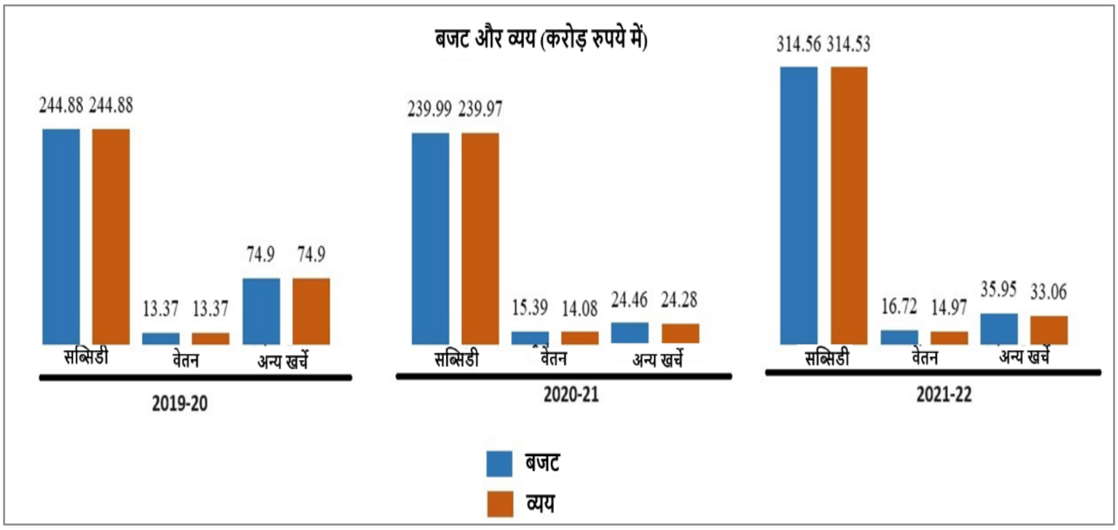


स्रोत: ई कोष वेबसाइट, हिमाचल प्रदेश

इसके अतिरिक्त वर्ष 2019-20 से 2021-22 के दौरान 'अन्य व्यय' शीर्ष के तहत आवंटित बजट और इसका 'प्रमुख कार्य' व 'मशीनरी एवं उपकरण' शीर्षों के अंतर्गत हुआ उपयोग **तालिका 3.1** में दर्शाया गया है।

---

7 किन्नौर: दो; मंडी: छः व सोलन: तीन

8 खाद्य तेल, दालें, चावल, नमक, चीनी व गेहूं का आटा

9 अन्य व्ययों में चिकित्सा प्रतिपूर्ति, मोटर वाहन, वृहद व लघु कार्य, सामग्री आपूर्ति, मशीनरी व उपकरण, मजदूरी, यात्रा व्यय, किराया दर व कर, प्रकाशन, विज्ञापन व प्रचार, रखरखाव, स्थानांतरण व्यय, मानदेय, आउटसोर्स कर्मियों को पारिश्रमिक, प्रशिक्षण, आतिथ्य व मनोरंजन व्यय, कार्यालय व्यय शामिल हैं।

**तालिका 3.1: 'प्रमुख कार्य' व 'मशीनरी एवं उपकरण' के अंतर्गत निधि आवंटन**

**(₹ लाख में)**

| **वर्ष** | **प्रमुख कार्य** | | **मशीनरी एवं उपकरण** | |
|---|---|---|---|---|
| | **बजट** | **व्यय** | **बजट** | **व्यय** |
| 2019-20 | 300.00 | 300.00 | 6.09 | 6.09 |
| 2020-21 | 1.00 | 1.00 | 13.97 | 13.85 |
| 2021-22 | 3.00 | 1.00 | 157.00 | 7.00 |

*स्रोत: ई-कोष*

वर्ष 2019-20 के ₹ 300.00 लाख के बजट के प्रति निष्पादन एजेंसी (हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड) को चार गोदामों के निर्माणार्थ ₹ 273.00 लाख की निधियां हस्तांतरित की गई। हालांकि वन विभाग/पंचायतों से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने में विलम्ब एवं निष्पादन एजेंसी को भूमि हस्तांतरित न करने के कारण कार्य प्रारंभ नहीं हुआ (जुलाई 2024)। शेष ₹ 27.00 लाख की निधियां दो गोदामों के निर्माण/मरम्मत हेतु उप-मंडलाधिकारी (नागरिक) सह-जिला नियंत्रक, पांगी को हस्तांतरित कर दी गई।

इसके अतिरिक्त वर्ष 2021-22 के दौरान 'मशीनरी एवं उपकरण' शीर्ष के तहत प्रयोगशाला के उन्नयन हेतु आवंटित निधियां तथा उस पर हुई आगामी चूकों पर **परिच्छेद 3.8.8** में टिप्पणी की गई है।

## 3.7 लेखापरीक्षा के परिणाम

लेखापरीक्षा में पाई गई कमियों को निम्नलिखित शीर्षकों में वर्गीकृत किया गया है:

- खाद्य सामग्रियों की खरीद, भंडारण व वितरण के समय गुणवत्ता प्रबंधन में कमियां
- निगरानी और पर्यवेक्षण में कमियां
- उपभोक्ता जागरूकता गतिविधियों में कमियां
- गोदामों व उचित मूल्य की दुकानों के संयुक्त भौतिक निरीक्षण से प्राप्त निष्कर्ष
- लाभार्थी सर्वेक्षण से प्राप्त निष्कर्ष
- खाद्य पदार्थों के स्वतंत्र गुणात्मक विश्लेषण से प्राप्त निष्कर्ष

महत्वपूर्ण निष्कर्ष अनुवर्ती परिच्छेदों में विवर्णित हैं।

## 3.8 खाद्य सामग्रियों की खरीद, भंडारण व वितरण के समय गुणवत्ता प्रबंधन में कमियां

### 3.8.1 भारतीय खाद्य निगम से खाद्य सामग्रियों की खरीद के समय गुणवत्ता प्रबंधन

लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2015 के नियम 7(6) में प्रावधान है कि भारतीय खाद्य निगम से खाद्यान्नों का परिदान (डिलीवरी) प्राप्त करने से पूर्व राज्य सरकार का खाद्य व नागरिक आपूर्ति निरीक्षक के रैंक से अन्यून रैंक का कोई अधिकारी तथा

भारतीय खाद्य निगम का कोई अधिकारी जारी किए जाने वाले खाद्यान्नों के स्टॉक का संयुक्त रूप से निरीक्षण करेगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह निर्धारित गुणवत्ता विनिर्देशों के अनुरूप है। इसके अतिरिक्त नियम 7(7) में प्रावधान है कि संयुक्त भौतिक निरीक्षण के पश्चात भारतीय खाद्य निगम गोदामों से खाद्यान्न भेजने से पूर्व स्टैक-वार सील किया हुआ संयुक्त रूप से आहरित नमूना, राज्य सरकार को उचित मूल्य की दुकान पर प्रदर्शन के लिए जारी करेगा और उसकी एक नक़ल निगम के पास भविष्य के सन्दर्भ के लिए रखी जाएगी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि उपरोक्त नियम का अनुपालन नहीं किया गया क्योंकि वर्ष 2019-20 से 2021-22 की अवधि के दौरान भारतीय खाद्य निगम ने न तो विभाग के अधिकारी के साथ अपने गोदामों का कोई संयुक्त भौतिक निरीक्षण किया एवं न ही उचित मूल्य की दुकानों में नमूने प्रदर्शित करने के लिए कोई संयुक्त नमूना लिया गया।

अंतिम बैठक के दौरान प्रधान सचिव ने लेखापरीक्षा निष्कर्षों को स्वीकार करते हुए बताया (जुलाई 2023) कि अधिकारियों को लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली आदेशों का पालन करने के निर्देश जारी किए जा रहे हैं और परिदान के दौरान खेप का संयुक्त रूप से निरीक्षण करने के लिए प्रत्येक गोदाम में निरीक्षकों की तैनाती की जाएगी।

### 3.8.2 राज्य की उचित मूल्य की दुकानों के निरीक्षण का कम लक्ष्य निर्धारित करना

लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 के अनुलग्नक के परिच्छेद 6 के अनुसार राज्य सरकार को छः माह में कम से कम एक बार उचित मूल्य की दुकानों का नियमित निरीक्षण सुनिश्चित करना था। तदोपरांत विभाग ने विभिन्न क्षेत्रीय अधिकारियों को उनके क्षेत्राधिकार की उचित मूल्य की दुकानों के निरीक्षण हेतु निरीक्षण के लक्ष्य अधिसूचित किए (2007)।

इसके अतिरिक्त 2001 के पूर्ववर्ती आदेश के स्थान पर लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2015 प्रस्तुत किया गया, जिसका खंड 11(1) विनिर्दिष्ट करता है कि राज्य सरकार उचित मूल्य की दुकानों का नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा तीन माह में कम से कम एक बार नियमित निरीक्षण सुनिश्चित करेगी। राज्य सरकार निरीक्षण अनुसूची, जांच बिन्दुओं की सूची और इस प्रयोजन हेतु उत्तरदायी प्राधिकारी को विनिर्दिष्ट करते हुए आदेश जारी करेगी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2007 में विभाग ने निर्धारित उचित मूल्य की दुकानों के निरीक्षण लक्ष्यों को लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2015 के अनुरूप संशोधित नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप कम लक्ष्य निर्धारित हुए, जैसाकि **चार्ट 3.2** में दर्शाया गया है।

**चार्ट 3.2: 2019-22 के दौरान राज्य में उचित मूल्य की दुकानों के निरीक्षण का लक्ष्य**

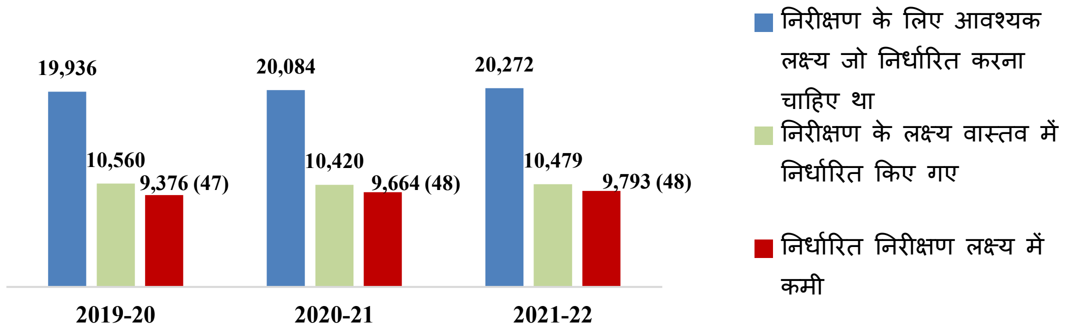


*स्रोत: विभागीय आंकड़े। कोष्ठक में दिए गए आंकड़े प्रतिशत दर्शाते हैं।*

उपरोक्त से स्पष्ट है कि वर्ष 2019-22 के दौरान निदेशालय ने 47 से 48 प्रतिशत तक कम लक्ष्य निर्धारित किए। निदेशालय द्वारा क्षेत्रीय इकाइयों को दिए गए निरीक्षण लक्ष्यों का यह कम निर्धारण, अभीष्ट लाभार्थियों को खाद्य आपूर्ति के परिदान में अनियमितताओं का समय पर पता लगाने की संभावना को कम कर देता है।

निदेशक ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए बताया (दिसंबर 2022) कि क्षेत्रीय कर्मियों के रिक्त पदों और कोविड-19 के प्रसार के कारण कम लक्ष्य निर्धारित किए गए। उन्होंने बताया कि सिस्टम पूरी तरह से कम्प्यूटरीकृत होने के कारण खाद्यान्न के स्टॉक की चोरी, अपयोजन आदि की संभावना कम थी। निदेशक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले ने सभी जिला नियंत्रकों को सभी उचित मूल्य की दुकानों का निरीक्षण सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए (दिसंबर 2021) ताकि तीन माह पश्चात उनके क्षेत्राधिकार की हर उचित मूल्य की दुकान का निरीक्षण हो जाएं एवं खाद्यान्न की चोरी या अपयोजन न हो।

उत्तर संतोषप्रद नहीं है क्योंकि उचित मूल्य की दुकानों के निरीक्षण में विभिन्न स्तरों पर कमी देखी गई, जैसाकि अनुवर्ती परिच्छेद में टिप्पणी की गई है।

### 3.8.3 राज्य में गोदामों, मिलों व उचित मूल्य की दुकानों के निरीक्षण हेतु विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति न होना

वर्ष 2007 में विभाग ने राज्य में विभिन्न क्षेत्रीय पदाधिकारियों[10] के गोदामों, मिलों व उचित मूल्य की दुकानों के निरीक्षण के मासिक लक्ष्य निर्धारित किए। इसके अतिरिक्त लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2015 के नियम 11 (2) में निर्दिष्ट है कि राज्य सरकार सुनिश्चित करेगी कि लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन खाद्यान्नों का स्टॉक, जैसा कि निगम के गोदामों से जारी किया जाता है, को भण्डारण, परिवहन या किसी

[10] जिला नियंत्रक: 11 (उचित मूल्य की दुकानों हेतु आठ व मिलों/गोदामों हेतु तीन), खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी: 13 (उचित मूल्य की दुकानों हेतु 10 व मिलों/गोदामों हेतु तीन), निरीक्षक: 12 (उचित मूल्य की दुकानों हेतु 10 व मिलों/गोदामों हेतु दो)।

अन्य चरण के दौरान जब तक कि राशन कार्ड धारक को उसका परिदान नहीं कर दिया जाता है, बदला या उससे छेड़छाड़ नहीं की जाए।

अभिलेखों की संवीक्षा से उजागर हुआ कि वर्ष 2019-20 से 2021-22 की अवधि के दौरान राज्य में गोदामों, मिलों व उचित मूल्य की दुकानों हेतु विभाग द्वारा निर्धारित निरीक्षण लक्ष्य प्राप्त नहीं हुए एवं कमी 15 से 27 प्रतिशत के मध्य थी, जैसाकि **चार्ट 3.3** में दर्शाया गया है।

**चार्ट 3.3 : 2019-22 के दौरान राज्य में गोदामों, मिलों व उचित मूल्य की दुकानों में किए गए निरीक्षण का विवरण**

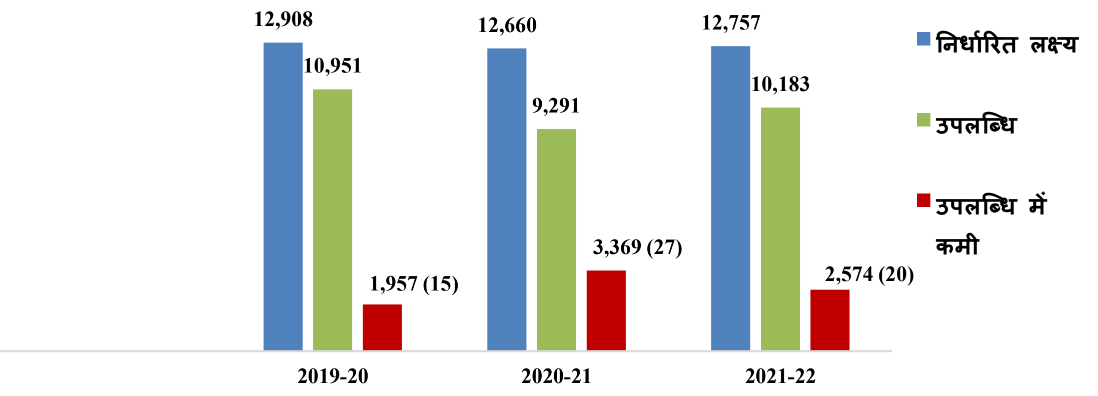


*स्रोतः विभागीय आंकड़े। कोष्ठक में दिए गए आंकड़े प्रतिशत दर्शाते हैं।*

इसके अतिरिक्त नमूना-जांचित जिलों में भी गोदामों, मिलों व उचित मूल्य की दुकानों के निरीक्षण में विभिन्न स्तरों पर कमी देखी गई, जैसाकि **तालिका 3.2** में विवर्णित है।

**तालिका 3.2: 2019-22 के दौरान नमूना-जांचित जिलों में गोदामों, मिलों व उचित मूल्य की दुकानों के निरीक्षण का विवरण**

| वर्ष | किन्नौर | | | मंडी | | | सोलन | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | लक्ष्य | प्राप्ति | आधिक्य (+)/ कमी (-) | लक्ष्य | प्राप्ति | आधिक्य (+)/ कमी (-) | लक्ष्य | प्राप्ति | आधिक्य (+)/ कमी (-) |
| **जिला नियंत्रक द्वारा किए गए निरीक्षण** | | | | | | | | | |
| **2019-20** | 63 | 16 | -47 (75) | 120 | 10 | -110 (92) | 120 | 44 | -76 (63) |
| **2020-21** | 108 | 40 | -68 (63) | 120 | 59 | -61 (51) | 120 | 47 | -73 (61) |
| **2021-22** | 108 | 51 | -57 (53) | 120 | 36 | -84 (70) | 120 | 115 | -5 (4) |
| **खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी द्वारा किए गए निरीक्षण** | | | | | | | | | |
| **2019-20** | 66 | 20 | -46 (70) | 352 | 244 | -108 (31) | 144 | 0 | -144 (100) |

| वर्ष | किन्नौर | | | मंडी | | | सोलन | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | लक्ष्य | प्राप्ति | आधिक्य (+)/ कमी (-) | लक्ष्य | प्राप्ति | आधिक्य (+)/ कमी (-) | लक्ष्य | प्राप्ति | आधिक्य (+)/ कमी (-) |
| **2020-21** | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | -32 (100) | 144 | 0 | -144 (100) |
| **2021-22** | 0 | 0 | 0 | 48 | 26 | -22 (46) | 144 | 0 | -144 (100) |
| **निरीक्षक द्वारा किए गए निरीक्षण** | | | | | | | | | |
| **2019-20** | 264 | 51 | -213 (81) | 1764 | 1455 | -309 (18) | 720 | 634 | -86 (12) |
| **2020-21** | 396 | 104 | -292 (74) | 1778 | 1245 | -533 (30) | 720 | 545 | -175 (24) |
| **2021-22** | 319 | 176 | -143 (45) | 1820 | 1221 | -599 (33) | 720 | 514 | -206 (29) |

*स्रोत: विभागीय आंकड़े। कोष्ठक में दिए गए आंकड़े प्रतिशत दर्शाते हैं।*

**तालिका 3.2** से स्पष्ट है कि गोदामों, मिलों व उचित मूल्य की दुकानों के निरीक्षण में कमी निम्नानुसार पाई गई:

- जिला नियंत्रक के स्तर पर 92 प्रतिशत तक;
- खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी के स्तर पर 100 प्रतिशत तक;
- निरीक्षक स्तर पर 81 प्रतिशत तक।

इसके अतिरिक्त वर्ष 2020-22 की अवधि के दौरान जिला किन्नौर में नवंबर 2019 से पद रिक्त होने के कारण खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी द्वारा निरीक्षण के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए। यद्यपि वर्ष 2019-22 के दौरान जिला सोलन में खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी द्वारा निरीक्षण के लक्ष्य निर्धारित किए गए तथापि नवंबर 2017 से पद रिक्त होने के कारण इसे प्राप्त नहीं किया जा सका।

नमूना-जांचित जिलों के जिला नियंत्रकों ने बताया कि कोविड-19, खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी/निरीक्षक के रिक्त पदों एवं कार्यभार की अधिकता के कारण लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं की जा सकी।

निदेशक ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए बताया (मार्च 2023) कि क्षेत्रीय पदाधिकारियों के रिक्त पदों एवं कोविड-19 के प्रसार के कारण लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं की जा सकी।

निरीक्षण में कमी के कारण कार्ड धारकों को घटिया गुणवत्ता वाली खाद्य सामग्री की आपूर्ति का जोखिम बना रहता है।

अंतिम बैठक के दौरान प्रधान सचिव (खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले) ने लेखापरीक्षा निष्कर्षों से सहमति जताते हुए विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया (जुलाई 2023) कि वे लक्ष्यों का निर्धारण सुनिश्चित करें एवं लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली आदेशानुसार उनका विधिवत पालन किया जाए। किन्नौर व सोलन जैसे नमूना-जांचित जिलों में विभाग ने कुछ रिक्त पदों को कमी के लिए जिम्मेदार ठहराया।

विभाग को रिक्त पदों को भरने के लिए राज्य सरकार के साथ मामला उठाना चाहिए ताकि गोदामों, मिलों व उचित मूल्य की दुकानों का नियमित निरीक्षण किया जा सके एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्रियों की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।

### 3.8.4 खाद्य सामग्रियों के नमूनों का कम संग्रह

विभाग ने विभागीय अधिकारियों[11] के लिए गोदामों, मिलों और उचित मूल्य की दुकानों से नमूने एकत्र करने के लिए मासिक लक्ष्य निर्धारित किए (अगस्त 2016, फरवरी 2020 और फरवरी 2021) ताकि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की निगरानी के लिए उन्हें विश्लेषण हेतु विभागीय खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला में भेजा जा सके।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि संबंधित अधिकारियों, अर्थात जिला नियंत्रक, खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी व निरीक्षकों द्वारा राज्य में 2019-22 के दौरान एकत्रित कुल नमूने 9,372 के लक्ष्य के मुकाबले 6,070 थे, जो उक्त अवधि के दौरान 3,302 (35 प्रतिशत) कम नमूनों के रूप में परिणत हुए, जैसाकि **चार्ट 3.4** में दर्शाया गया है।

**चार्ट 3.4: 2019-22 के दौरान राज्य में नमूना संग्रह**

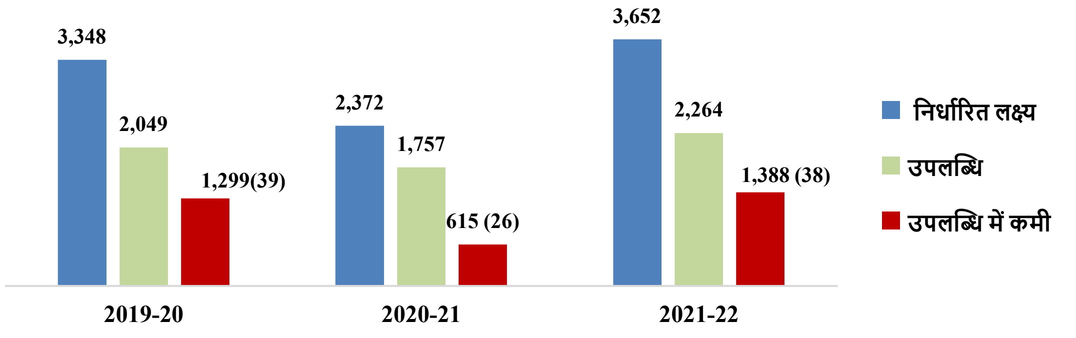


*स्रोत: विभागीय आंकड़े। कोष्ठक में दिए गए आंकड़े प्रतिशत दर्शाते हैं।*

[11] वर्ष 2019-22 की अवधि के लिए विभिन्न क्षेत्र पदाधिकारियों हेतु नमूना संग्रह का मासिक लक्ष्य: जिला नियंत्रक - एक (2019-21), तीन (2021-22); खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी - एक (2019-21), पांच (2021-22); निरीक्षक - तीन (2019-20), दो (2020-22), उप निदेशक - कोई लक्ष्य नहीं (2019-21), तीन (2021-22), संयुक्त निदेशक - कोई लक्ष्य नहीं (2019-21), दो (2021-22)।

इसके अतिरिक्त वर्ष 2019-22 की अवधि में राज्य में विभिन्न क्षेत्रीय पदाधिकारियों के स्तर पर उपरोक्त कमी **तालिका 3.3** में दर्शाई गई है।

**तालिका 3.3: 2019-22 के दौरान राज्य में विभिन्न क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा नमूना संग्रह का विवरण**

| वर्ष | जिला नियंत्रक | | | खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी | | | निरीक्षक | | | संयुक्त निदेशक | | | उप-निदेशक | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | लक्ष्य | प्राप्ति | कमी(-)/ आधिक्य(+) | लक्ष्य | प्राप्ति | कमी | लक्ष्य | प्राप्ति | कमी | लक्ष्य | प्राप्ति | कमी | लक्ष्य | प्राप्ति | कमी |
| **2019-20** | 156 | 167 | 11 | 204 | 130 | -74 (36) | 2,988 | 1,752 | -1,236 (41) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2020-21** | 156 | 191 | 35 | 204 | 124 | -80 (39) | 1,992 | 1,442 | -550 (28) | 8 | 0 | -8 (100) | 12 | 0 | -12 (100) |
| **2021-22** | 520 | 301 | -219 (42) | 1020 | 177 | -843 (83) | 1,992 | 1,766 | -226 (11) | 48 | 7 | -41 (85) | 72 | 13 | -59 (82) |

*स्रोत: विभागीय आंकड़े। कोष्ठक में दिए गए आंकड़े प्रतिशत दर्शाते हैं।*

**तालिका 3.3** से स्पष्ट है कि पदाधिकारियों के विभिन्न स्तर पर नमूना-संग्रह करने में हुई कमी शून्य से 100 प्रतिशत तक रही।

नमूना-जांचित जिलों में, विभिन्न क्षेत्रीय पदाधिकारियों के स्तर पर गोदामों, मिलों व उचित मूल्य की दुकानों से खाद्य सामग्रियों के नमूनों का संग्रहण **तालिका 3.4** में दर्शाया गया है।

**तालिका 3.4: 2019-22 के दौरान नमूना-जांचित जिलों में नमूना-संग्रह के विवरण**

| वर्ष | किन्नौर | | | मंडी | | | सोलन | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | लक्ष्य | प्राप्ति | आधिक्य(+)/ कमी (-) | लक्ष्य | प्राप्ति | आधिक्य(+)/ कमी(-) | लक्ष्य | प्राप्ति | आधिक्य(+)/ कमी(-) |
| **जिला नियंत्रक द्वारा नमूनों का संग्रह** | | | | | | | | | |
| **2019-20** | 12 | 26 | 14 | 12 | 5 | -7 (58) | 12 | 17 | 5 |
| **2020-21** | 12 | 25 | 13 | 12 | 3 | -9 (75) | 12 | 33 | 21 |
| **2021-22** | 36 | 29 | -7 (19) | 36 | 16 | -20 (56) | 36 | 29 | -7 (19) |
| **खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी द्वारा नमूनों का संग्रह** | | | | | | | | | |
| **2019-20** | 12 | 0 | -12 (100) | 24 | 37 | 13 | 12 | 0 | -12 (100) |
| **2020-21** | 12 | 0 | -12 (100) | 24 | 0 | -24 (100) | 12 | 0 | -12 (100) |
| **2021-22** | 60 | 0 | -60 (100) | 120 | 0 | -120 (100) | 60 | 0 | -60 (100) |
| **निरीक्षक द्वारा नमूनों का संग्रह** | | | | | | | | | |
| **2019-20** | 108 | 13 | -95 (88) | 396 | 264 | -132 (33) | 180 | 194 | 14 |
| **2020-21** | 72 | 56 | -16 (22) | 264 | 190 | -74 (28) | 120 | 137 | 17 |
| **2021-22** | 72 | 58 | -14 (19) | 264 | 218 | -46 (17) | 120 | 100 | -20 (17) |

*स्रोत: विभागीय आंकड़े। कोष्ठक में दिए गए आंकड़े प्रतिशत दर्शाते हैं।*

**तालिका 3.4** से स्पष्ट है कि वर्ष 2019-20 से 2021-22 के दौरान मंडी जिले में जिला नियंत्रक द्वारा नमूना संग्रह में 56 से 75 प्रतिशत तक की कमी रही। खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी के स्तर पर वर्ष 2019-22 के दौरान किन्नौर व सोलन में 100 प्रतिशत कमी एवं वर्ष 2020-22 के दौरान मंडी जिले में 100 प्रतिशत की कमी रही। वर्ष 2019-22 में नमूना-जांचित जिलों में निरीक्षक के स्तर पर 17 प्रतिशत से 88 प्रतिशत तक की कमी रही।

नमूना-जांचित जिलों के जिला नियंत्रकों ने बताया कि कोविड-19, खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी/निरीक्षक के रिक्त पदों तथा कार्यभार की अधिकता के कारण लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं हुई।

निदेशक ने बताया (अगस्त 2022) कि कोविड-19 के कारण संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों से लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं हुई साथ ही वे भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए प्रमुख कार्यक्रम, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के सूचना, शिक्षा व संचार अभियान में संलिप्त थे।

उत्तर संतोषप्रद नहीं है क्योंकि भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के मार्च 2011 को समाप्त वर्ष (46-78 प्रतिशत) एवं मार्च 2018 को समाप्त वर्ष (16-45 प्रतिशत) के पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में भी राज्य में नमूना संग्रह में कमी का मुद्दा रेखांकित किया गया था। यह परिचायक है कि विभाग कई वर्षों से नियमित निरीक्षण/नमूना संग्रह के मुद्दे की उपेक्षा कर रहा है, जो वर्तमान लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान भी जारी रहा। अतः विभाग स्थिति में सुधार करने में विफल रहा साथ ही यह उचित मूल्य की दुकानों के कार्ड धारकों को अवमानक खाद्य वस्तुओं की आपूर्ति का जोखिम उत्पन्न करता है, जैसाकि अनुवर्ती परिच्छेदों में देखा गया।

अंतिम बैठक के दौरान प्रधान सचिव (खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले) ने लेखापरीक्षा निष्कर्षों से सहमति जताते हुए बताया (जुलाई 2023) कि इसे यथोचित उपायों द्वारा सुधार लिया जाएगा।

### 3.8.5 निर्धारित गुणवत्ता विनिर्देशों से कम गुणवत्ता वाले खाद्य सामग्रियों का वितरण

लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2015 के अनुसार राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उपभोक्ताओं को जारी किए जाने वाले खाद्यान्नों का स्टॉक निर्धारित गुणवत्ता विनिर्देशों के अनुरूप हो।

लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली व हिमाचल प्रदेश राज्य विशेष सब्सिडी योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को वितरित विभिन्न वस्तुओं के नमूने खाद्य सामग्रियों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विभाग के क्षेत्रीय कर्मचारियों द्वारा लक्ष्य आधार पर नियमित रूप से लिए जाते हैं तथा विश्लेषणार्थ विभागीय प्रयोगशाला भेजे जाते हैं।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 46(3) में प्रावधान है कि खाद्य विश्लेषक नमूना प्राप्ति की तिथि से चौदह दिनों की अवधि के भीतर नमूनों का विश्लेषण करेगा।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2019-22 के दौरान प्रयोगशालाओं[12] में विश्लेषित 10,396 नमूनों में से 237 नमूने, जिनमें 16,706.69 क्विंटल खाद्य सामग्री[13] व 8,48,186 लीटर खाद्य तेल शामिल थे, निर्धारित विनिर्देशों से कम गुणवत्ता वाले पाए गए। इन अवमानक खाद्य सामग्रियों में से हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम ने क्रमशः मात्र 288.84 क्विंटल (1.7 प्रतिशत) व 32,405 लीटर (3.8 प्रतिशत) घटिया खाद्य सामग्रियों को बदला तथा शेष मात्रा की खाद्य सामग्रियों की आपूर्ति राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली नेटवर्क के माध्यम से बिना बदले लाभार्थियों को कर दी गई, जैसाकि **तालिका 3.5** में विवर्णित है।

**तालिका 3.5: 2019-22 के दौरान राज्य में घटिया खाद्य सामग्रियों के वितरण का विवरण**

| वर्ष | विश्लेषित नमूनों की संख्या | | विनिर्देश से अवमानक नमूनों की संख्या | | विनिर्देश से अवमानक नमूनों की मात्रा | | हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा बदली गई मात्रा | | वितरित अवमानक खाद्य सामग्रियों की मात्रा | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | विभाग | निगम | विभाग | निगम | खाद्य सामग्री (क्विंटल) | खाद्य तेल (लीटर में) | खाद्य सामग्री (क्विंटल) | खाद्य तेल (लीटर में) | खाद्य सामग्री (क्विंटल) | खाद्य तेल (लीटर में) |
| **2019-20** | 2,049 | 1,413 | 49 | 33 | 6,975.14 | 1,84,895 | निरंक | निरंक | 6,975.14 | 1,84,895 |
| **2020-21** | 1,757 | 1,082 | 33 | 24 | 4,392.13 | 2,52,000 | निरंक | निरंक | 4,392.13 | 2,52000 |
| **2021-22** | 2,260 | 1,835 | 59 | 39 | 5,339.42 | 4,11,291 | 288.84 | 32,405 | 5,050.58 | 3,78,886 |
| **योग** | **6,066** | **4,330** | **141** | **96** | **16,706.69** | **8,48,186.00** | **288.84** | **32,405** | **16,417.85** | **8,15,781.00** |

*स्रोत: विभागीय आंकड़े।*

लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि विभाग ने उसकी क्षेत्रीय इकाइयों को 80 (141 में से) विफल नमूनों की विश्लेषण रिपोर्ट एक से 39 दिनों तक के विलम्ब (तीन मामलों के अतिरिक्त) से जारी की। इन तीन मामलों में 75, 75 व 112 दिनों का विलम्ब दर्ज किया गया। निगम के मामले में उसकी क्षेत्रीय इकाइयों को विफल नमूनों के परीक्षण परिणाम सूचित करने में लगने वाला समय 15 से 182 दिनों तक था (दो मामलों के अतिरिक्त)। इन दो मामलों में

12 विभागीय प्रयोगशाला के साथ-साथ हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड की पैनलबद्ध प्रयोगशालाएं। वर्ष 2019-20 में मई 2021 तक हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड द्वारा 11 निजी प्रयोगशालाएं पैनलबद्ध थीं। जून 2021 से अप्रैल 2022 के दौरान नौ निजी पैनलबद्ध प्रयोगशालाएं थीं।

13 दालें, चावल, नमक, चीनी, गेहूं व गेहूं का आटा।

1,077 व 1,250 दिनों का विलम्ब था। परिणामस्वरूप अवमानक खाद्य सामग्रियों को उनके वितरण से पूर्व बदला नहीं जा सका।

पहले भी 31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में विनिर्देशों से कम गुणवत्ता की खाद्य सामग्रियों के वितरण को इंगित किया गया था। हिमाचल प्रदेश विधानसभा की लोक लेखा समिति ने भी उसकी संस्तुति में (अगस्त 2016) विभाग को वितरण से पूर्व खाद्यान्नों का मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में विश्लेषण करने के निर्देश दिए थे। 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के अनुवर्ती लेखापरीक्षा निष्कर्षों के दौरान पुनः इंगित किए जाने पर सरकार ने बताया था (जनवरी 2019) कि भविष्य में परीक्षण/विश्लेषण रिपोर्ट जारी करने में विलम्ब की समस्या कम कर दी जाएगी।

अवमानक खाद्य सामग्री के वितरण का मुद्दा बार-बार चिह्नित किए जाने के बावजूद सरकार की कार्रवाई संतोषजनक नहीं रही। विभाग एवं निगम विश्लेषण रिपोर्ट समय पर जारी करने में विफल रहे जिससे स्थिति और खराब हो गई। इस प्रकार, लाभार्थियों को वितरित खाद्य सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित नहीं की गई।

निदेशक ने बताया (फरवरी 2023) कि विश्लेषण कार्य में संलिप्त कार्मिकों की कमी के कारण निर्दिष्ट समय अवधि के भीतर विभिन्न वस्तुओं के नमूनों का विश्लेषण नहीं किया गया।

अंतिम बैठक के दौरान प्रधान सचिव (खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले) ने लेखापरीक्षा निष्कर्षों से सहमति जताते हुए बताया (जुलाई 2023) कि प्रक्रियागत मुद्दों में सुधार कर लिया जाएगा। प्रबंध निदेशक (हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम) ने यह भी बताया कि गोदामों की सीमित भण्डारण क्षमता के कारण, परीक्षण परिणामों की प्रतीक्षा करना संभव नहीं है। प्रधान सचिव ने विश्लेषण प्रतिवेदन के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब की समस्या का समाधान करने हेतु विभाग को एक ठोस कार्यप्रणाली बनाने तथा इस संबंध में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट (एक्शन टेकन रिपोर्ट) के साथ आने का निर्देश दिया।

### 3.8.6 खाद्य सामग्रियों के फोर्टिफिकेशन में कमियां

हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने जनसंख्या के विभिन्न वर्गों (बच्चों, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं) में कुपोषण व कमी से होने वाले रोगों (एनीमिया, बौनापन आदि) के बड़े पैमाने पर प्रसार को रोकने के लिए लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं राज्य विशेष

सब्सिडी योजनाओं के तहत खाद्य सामग्रियों (खाद्य तेल, नमक, गेहूं का आटा व चावल[14]) को फोर्टिफाइ करने की अनुमति दी (जुलाई 2019 व नवंबर 2019)।

इसके अतिरिक्त मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार ने समीक्षा बैठक (सितंबर 2021) में सार्वजनिक वितरण प्रणाली मदों में फोर्टिफिकेशन/सूक्ष्म पोषक तत्वों[15] के स्तर की जांच हेतु एक वैज्ञानिक तृतीय-पक्ष मूल्यांकन का निर्देश दिया।

तदनुसार सभी जिला नियंत्रक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग को निर्देश दिया गया (अक्टूबर 2021) कि वे आटा मिलों/थोक गोदामों से फोर्टिफाइड गेहूं आटा, खाद्य तेल व डबल फोर्टिफाइड नमक का एक नमूना लें एवं उसे विश्लेषण के लिए कर्नाटक स्वास्थ्य संवर्धन ट्रस्ट[16] बेंगलुरु भेजें।

संवीक्षा से उजागर हुआ कि 10 जिला नियंत्रकों[17] ने सूक्ष्म पोषक तत्वों के स्तर की जांच हेतु आटा मिलों से एकत्रित फोर्टिफाइड गेहूं के आटे के 15 नमूने कर्नाटक स्वास्थ्य संवर्धन ट्रस्ट, बेंगलुरु को भेजे (नवंबर/दिसंबर 2021)। 13 नमूनों[18] की परीक्षण विश्लेषण रिपोर्ट (जनवरी 2022) खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य सामग्रियों का फोर्टिफिकेशन) विनियमन, 2018 में निर्दिष्ट फोर्टिफाइड गेहूं के आटे में सूक्ष्म पोषक तत्वों के स्तर के अनुरूप नहीं थी। विभाग ने गेहूं के आटे के फोर्टिफिकेशन के संबंध में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण मानदंडों का पालन करने के लिए संबंधित मिल स्वामियों को निर्देश जारी किए (फरवरी 2022)।

विभाग ने यह भी निर्णय लिया कि आटे में फोर्टिफ़िकेंट्स के स्तर की पुष्टि करने के लिए इन मिलों से फोर्टिफाइड आटे के नमूने फिर से लिए जाएं (फरवरी 2022)। हालांकि सूक्ष्म पोषक तत्वों के मात्रात्मक विश्लेषण हेतु फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थ का कोई भी नमूना कर्नाटक स्वास्थ्य संवर्धन ट्रस्ट या किसी अन्य राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रत्यायन बोर्ड-मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में नहीं भेजा गया (दिसंबर 2022)।

इस प्रकार, संवर्धन कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन पर विभाग की निगरानी सीमित थी, क्योंकि परीक्षण के परिणामों पर कोई अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की गई। इससे राज्य में सूक्ष्म पोषक तत्वों

---

14 भारत सरकार ने जिला चंबा में अप्रैल 2022 से व हिमाचल प्रदेश के शेष जिलों में अप्रैल 2023 से फोर्टिफाइड चावल वितरित करने के निर्देश दिए (फरवरी 2022)।

15 गेहूं के आटे में फोलिक एसिड, आयरन, विटामिन बी 12, खाद्य तेलों में विटामिन (ए व डी) व डबल फोर्टिफाइड नमक में आयरन (एफइ)।

16 फोर्टिफाइड मदों की गुणवत्ता में सुधार के लिए तकनीकी सहायता एजेंसी के रूप में हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ संबद्ध।

17 बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सिरमौर, सोलन व ऊना।

18 शेष दो नमूनों की परीक्षण रिपोर्ट प्रतीक्षित है (दिसंबर 2022)।

की कमी को दूर करने के उसके इच्छित उद्देश्य को प्राप्त करने में इस पहल की प्रभावशीलता कम हो गई।

### 3.8.7 ₹ 322.71 लाख राशि की शास्ति सरकारी खाते में जमा न करना

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली, 2009 के नियम 3 (1) के अनुसार सरकार द्वारा या सरकार के ओर से सरकार को देय के रूप में या अन्यथा निक्षेप, प्रेषण आदेश और उससे आहरण हेतु प्राप्त समस्त धन तत्काल सरकारी लेखे में लाया जाएगा।

इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश निर्दिष्ट अनिवार्य वस्तु (विनियमन एवं वितरण) आदेश, 2019 के प्रावधानों तथा निगम व आपूर्तिकर्ताओं के मध्य हुए समझौता-ज्ञापन में उल्लिखित नियमों एवं शर्तों के अनुसार, खाद्य सामग्रियों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और हिमाचल प्रदेश राज्य विशेष सब्सिडी योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को वितरित विभिन्न वस्तुओं के नमूनों का परीक्षण किया जाए तथा नमूने असफल होने की दशा में दोषियों[19] पर शास्ति अधिरोपित की जाए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2019-20 से वर्ष 2021-22 की अवधि के दौरान 237 असफल नमूनों (विभाग:141, निगम: 96) में से 227 नमूनों (विभाग:131[20], निगम: 96) के संदर्भ में कार्रवाई/शास्ति/स्पष्टीकरण लिया गया/अधिरोपित किया गया/दिया गया एवं ₹ 234.71 लाख (विभाग: ₹ 8.46 लाख, निगम: ₹ 226.25 लाख) की वसूली की गई तथा शेष 10 नमूनों के मामले में विभाग ने कोई शास्ति अधिरोपित नहीं की। संवीक्षा में आगे उजागर हुआ कि निगम ने ₹ 226.25 लाख की शास्ति राशि सरकारी खाते में जमा करने के बजाय अप्रैल 2023 तक उसके बैंक खाते में रखी।

विभाग से सम्बंधित ऐसे समान मुद्दे पहले भी लेखापरीक्षा में देखे गए, जिन्हें मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में अनुवर्ती लेखापरीक्षा निष्कर्षों में इंगित किया गया। परिणामस्वरूप विभाग ने जून 2019 में सरकारी खाते में ₹ 203.04 लाख (₹ 299.51 लाख में से) जमा किए। हालांकि ₹ 96.46 लाख की शेष राशि जमा नहीं की गई (फरवरी 2023)।

अतः ₹ 322.71 लाख (₹ 226.25 लाख + ₹ 96.46 लाख) की धनराशि अभी तक सरकारी खाते में जमा नहीं कराई गई, जो अनियमित है।

---

[19] आपूर्तिकर्ता, गोदाम प्रभारी व उचित मूल्य के दुकान प्रभारी।

[20] शास्ति अधिरोपित की गई: 103, चेतावनी जारी की गई: चार, उपभोक्ता के परिसर से नमूना लिया गया: दो, भारी बारिश के कारण क्षतिग्रस्त खाद्य सामग्री: 10, गोदामों से नहीं उठाई गई खाद्य सामग्री: दो, विश्लेषण में विलम्ब के कारण शास्ति नहीं लगाई गई: दो, काले चने पर शास्ति अपेक्षित नहीं: आठ।

अंतिम बैठक के दौरान विभाग ने बताया (जुलाई 2023) कि अधिकांश मामले मध्यस्थता के अधीन थे इसलिए शास्ति राशि सरकारी खाते में जमा नहीं की जा सकी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उपरोक्तानुसार सरकारी धन को सरकारी खाते से बाहर रखना हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली, 2009 का उल्लंघन है।

### 3.8.8 विभागीय खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला की अमान्यता

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(पी) के अनुसार खाद्य प्रयोगशाला का तात्पर्य केन्द्र या राज्य सरकार या किसी अन्य एजेंसी द्वारा स्थापित खाद्य प्रयोगशाला या संस्थान से है, जो राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रत्यायन बोर्ड या समकक्ष प्रत्यायन एजेंसी द्वारा मान्यता प्राप्त है तथा धारा 43 के तहत खाद्य प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि विभागीय खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना 1973 में स्रोत से खरीद के समय खाद्यान्न (गेहूं व चावल) के भौतिक विश्लेषण (दृश्य विश्लेषण) के लिए की गई थी। वर्ष 2014 से खाद्य सामग्रियों[21] के नमूनों का रासायनिक विश्लेषण खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला में आरंभ हुआ, जो हस्तचलित (मैनुअल) रूप से किया जाता था। मैनुअल विश्लेषण समय लेने वाली प्रक्रिया है एवं मानवीय हस्तक्षेप से अंतर्ग्रस्त है। इसके अतिरिक्त, प्रयोगशाला न तो मान्यता प्राप्त थी एवं न ही किसी सरकारी एजेंसी के पास मान्यता हेतु कोई आवेदन किया गया।

प्रयोगशाला को आधुनिक बनाने के लिए निदेशक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, शिमला ने विभागीय अधिकारियों[22] की एक समिति गठित की (अगस्त 2017) ताकि मौजूदा खाद्यान्न परीक्षण प्रयोगशाला के स्वचालन व उन्नयन पर रिपोर्ट प्रस्तुत की जा सके। समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ मौजूदा प्रयोगशाला के आधुनिकीकरण व मान्यता की संस्तुति की (सितंबर 2017)।

अभिलेखों की संवीक्षा से उजागर हुआ कि निदेशालय, शिमला ने जुलाई 2020 में सचिव/अतिरिक्त मुख्य सचिव (खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले) को मौजूदा खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला के उन्नयन हेतु ₹ 1.50 करोड़ के बजट की मांग का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। तदनुसार, हिमाचल प्रदेश सरकार ने विभाग को ₹ 1.50 करोड़ की धनराशि आवंटित (अप्रैल 2021) की।

हिमाचल प्रदेश सरकार ने मौजूदा विभागीय प्रयोगशाला के आधुनिकीकरण के साथ-साथ प्रयोगशाला के लिए अत्याधुनिक उपकरणों की खरीद पर उनका मत देने के लिए एक राज्य

---

21 गेहूं, चावल, चीनी, दालें, खाद्य तेल व नमक।

22 संयुक्त निदेशक अध्यक्ष, उप निदेशक, जिला नियंत्रक (ऊना, सोलन, शिमला) व कनिष्ठ विश्लेषक, शिमला सदस्य।

स्तरीय खरीद समिति का गठन किया (जनवरी 2022)। राज्य स्तरीय खरीद समिति ने खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला के आधुनिकीकरण हेतु आवश्यक उपकरणों की सूची व निविदा दस्तावेज को अंतिम रूप दिया (फरवरी 2022)। विभाग ने निविदा प्रकाशित की (मार्च 2022) परन्तु केवल एक निविदा प्राप्त होने के कारण निविदा रद्द कर दी गई एवं आवंटित बजट वित्तीय वर्ष के अंत में समाप्त हो गया।

इस प्रकार बजट आवंटन के एक वर्ष के भीतर निविदा दस्तावेज को अंतिम रूप न दिए जाने के परिणामस्वरूप वित्तीय वर्ष 2021-22 के अंत में ₹ 1.50 करोड़ का बजट समाप्त हो गया, जिसके परिणामस्वरूप प्रयोगशाला का आधुनिकीकरण प्रभावित हुआ।

निदेशक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले ने स्वीकार किया (जून 2022) कि प्रयोगशाला न तो मान्यता प्राप्त थी एवं न ही मान्यता हेतु किसी सरकारी एजेंसी को कोई आवेदन किया गया। विभाग प्रयोगशाला उन्नत करने (अपग्रेड) की प्रक्रिया में था तथा उसके पश्चात ही मान्यता के मामले को संबंधित अधिकारियों के समक्ष उठाया जाएगा। उन्होंने आगे बताया (जनवरी 2023) कि अत्याधुनिक उपकरणों की खरीद की निविदा को अंतिम रूप दिया गया परन्तु बजट उपलब्ध न होने से आपूर्ति आदेश जारी नहीं किया गया तथा राज्य सरकार से उपकरणों की खरीद हेतु ₹ 3.57 करोड़ का बजट आवंटित करने का अनुरोध किया गया (मई 2023) था।

अतएव तथ्य यह है कि प्रयोगशाला कि मान्यता के अभाव में, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण अधिनियम में निर्धारित किए गए परिणामों एवं वैज्ञानिक जांच की प्रामाणिकता खाद्य सामग्रियों की गुणवत्ता विनिर्देश के विश्लेषण में खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला द्वारा लागू नहीं की जा सकती।

अंतिम बैठक के दौरान प्रधान सचिव (खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले) ने बताया (जुलाई 2023) कि विभागीय खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला के उन्नयन की प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी।

## 3.9 निगरानी एवं पर्यवेक्षण में कमियां

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा 29(1) में प्रावधान है कि लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की पारदर्शिता व उचित कार्यप्रणाली सुनिश्चित करने तथा ऐसी प्रणाली में पदाधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक राज्य सरकार राज्य, जिला, ब्लॉक

व उचित मूल्य की दुकानों के स्तरों[23] पर सतर्कता समितियां स्थापित करेगी। इसके अतिरिक्त लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2015 राज्य सरकार को राज्य, जिला, ब्लॉक व उचित मूल्य की दुकानों के स्तरों पर सतर्कता समितियां स्थापित करने के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश प्रदान करता है। विभिन्न स्तरों पर सतर्कता समितियों के कार्य निम्नानुसार हैं:

- सतर्कता समितियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत राज्य स्तर पर सभी योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी करनी होगी तथा भारत सरकार को अधिनियम के उद्देश्यों के किसी आगामी सुधार की संस्तुति करनी होगी।
- सतर्कता समितियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत जिला, ब्लॉक व उचित मूल्य की दुकानों के स्तर पर सभी योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी करनी होगी तथा किसी कदाचार या धन के दुर्विनियोजन अथवा सब्सिडी वाले राशन की चोरी की जानकारी मिलने पर जिला शिकायत निवारण अधिकारी को सूचित करना होगा।

लेखापरीक्षा में सतर्कता समितियों की स्थापना एवं कार्यप्रणाली में कई कमियां पाई गईं, जिनकी चर्चा अनुवर्ती परिच्छेदों में की गई है।

### 3.9.1 सतर्कता समितियों का गठन एवं कार्यप्रणाली

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2015 के खंड 11(5) के अनुसार राज्य में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए सतर्कता समितियों की बैठकें सभी स्तरों पर प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार आयोजित की जानी अपेक्षित थी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि जहां भी सतर्कता समितियों का गठन हुआ था, वहां उनकी कार्यप्रणाली प्रभावी नहीं थी क्योंकि वर्ष 2019-22 के दौरान सभी स्तरों पर निर्धारित संख्या में बैठकें आयोजित नहीं की गईं, जैसाकि **तालिका 3.6** में दर्शाया गया है।

[23] विभिन्न स्तरों पर सतर्कता समितियों की संरचना इस प्रकार है: (i) राज्य स्तर पर मंत्री, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले इसके अध्यक्ष होते हैं, जिनके आठ आधिकारिक सदस्य और राज्य सरकार द्वारा नामित गैर-आधिकारिक सदस्य (17 से अधिक नहीं) होते हैं। (ii) जिला स्तर पर मुख्यमंत्री द्वारा नामित मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, जिनके 11 आधिकारिक सदस्य और राज्य सरकार द्वारा नामित तीन गैर-आधिकारिक सदस्य होते हैं। (iii) ब्लॉक स्तर पर, ब्लॉक का उप-मंडल अधिकारी इसके अध्यक्ष होते हैं, जिनके पांच आधिकारिक सदस्य और राज्य सरकार द्वारा नामित पांच से अधिक गैर-आधिकारिक सदस्य नहीं होते हैं। (iv) ग्रामीण क्षेत्रों में उचित मूल्य की दुकानों में ग्राम पंचायत के प्रधान इसके अध्यक्ष होते हैं, जिनके छह आधिकारिक सदस्य और ग्राम पंचायत द्वारा नामित तीन सदस्य होते हैं। (v) शहरी क्षेत्रों में उचित मूल्य की दुकानों में महापौर/स्थानीय शहरी निकायों के अध्यक्ष इसके अध्यक्ष होते हैं, जिनके तीन आधिकारिक सदस्य और राज्य सरकार द्वारा नामित पांच सदस्य होते हैं।

**तालिका 3.6: वर्ष 2019-22 के दौरान राज्य के जिला, ब्लॉक व उचित मूल्य की दुकानों के स्तर पर सतर्कता समितियों के गठन एवं बैठकों का विवरण**

| वर्ष | जिला स्तर | | | | | ब्लाक स्तर | | | | | उचित मूल्य की दुकान स्तर | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | जिलों की संख्या | गठित/मौजूदा सतर्कता समितियां | अपेक्षित बैठकें | आयोजित बैठकें | कमी | ब्लॉकों की संख्या | गठित/ मौजूदा सतर्कता समितियां | अपेक्षित बैठकें | आयोजित बैठकें | कमी | उचित मूल्य की दुकान की संख्या | गठित/ मौजूदा सतर्कता समितियां | अपेक्षित बैठकें | आयोजित बैठकें | कमी |
| 2019-20 | 12 | 12 | 48 | 18 | 30 (63) | 78 | 67 | 268 | 7 | 261 (97) | 4,984 | 4,596 | 18,384 | 3,080 | 15,304 (83) |
| 2020-21 | 12 | 12 | 48 | 14 | 34 (71) | 78 | 70 | 280 | 4 | 276 (99) | 5,021 | 4,659 | 18,636 | 1,324 | 17312 (93) |
| 2021-22 | 12 | 12 | 48 | 13 | 35 (73) | 78 | 70 | 280 | 9 | 271 (97) | 5,068 | 4,669 | 18,676 | 2,935 | 15,741 (84) |

*स्रोत: विभागीय आंकड़े। कोष्ठक में दिए गए आंकड़े प्रतिशत दर्शाते हैं।*

**तालिका 3.6** से स्पष्ट है, राज्य के सभी 12 जिलों में जिला स्तर पर सतर्कता समितियों का गठन किया गया। तथापि मार्च 2022 तक राज्य के 78 ब्लॉकों में से आठ व 5,068 उचित मूल्य की दुकानों में से 399 में इन समितियों का गठन नहीं किया गया।

इसके अतिरिक्त वर्ष 2019-22 के दौरान राज्य में बैठकों के आयोजन में कमी जिला स्तर पर 63 से 73 प्रतिशत के मध्य, ब्लॉक स्तर पर 97 से 99 प्रतिशत के मध्य एवं उचित मूल्य की दुकानों के स्तर पर 83 से 93 प्रतिशत के मध्य रही।

हालांकि संबंधित जिला नियंत्रक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले ने सतर्कता समितियों का गठन न होने/बैठकें आयोजित न करने के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया।

नमूना-जांचित जिलों में विभिन्न स्तरों पर गठित सतर्कता समितियों का विवरण **तालिका 3.7** में दर्शाया गया है।

**तालिका 3.7: नमूना-जांचित जिलों में 2019-22 के दौरान विभिन्न स्तरों पर सतर्कता समितियों की बैठकों का विवरण**

| जिले का नाम | वर्ष | जिला स्तर | | | | | ब्लाक स्तर | | | | | उचित मूल्य की दुकान स्तर | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | गठन हेतु अपेक्षित सतर्कता समितियां | गठित सतर्कता समितियां | अपेक्षित बैठकें | आयोजित बैठकें | कमी | गठन हेतु अपेक्षित सतर्कता समितियां | गठित सतर्कता समितियां | अपेक्षित बैठकें | आयोजित बैठकें | कमी | गठन हेतु अपेक्षित सतर्कता समितियां | गठित सतर्कता समितियां | अपेक्षित बैठकें | आयोजित बैठकें | कमी |
| किन्नौर | 2019-22 | 3 | 3 | 12 | 1 | 11 (92) | 9 | 9 | 36 | 0 | 36 (100) | 196 | 188 | 752 | 0 | 752 (100) |
| मंडी | 2019-22 | 3 | 3 | 12 | 7 | 5 (42) | 30 | 30 | 120 | 0 | 120 (100) | 2,382 | 2,340 | 9,360 | 272 | 9,088 (97) |
| सोलन | 2019-22 | 3 | 3 | 12 | 4 | 8 (67) | 15 | 15 | 60 | 5 | 55 (92) | 954 | 954 | 3,816 | 870 | 2,946 (77) |

*स्रोत: विभागीय आंकड़े। कोष्ठक में दिए गए आंकड़े प्रतिशत दर्शाते हैं।*

**तालिका 3.7** परिलक्षित करती है कि वर्ष 2019-22 के दौरान दो जिलों (किन्नौर व मंडी) में उचित मूल्य की दुकान स्तर पर 50 सतर्कता समितियों का गठन नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त वर्ष 2019-22 के दौरान तीनों जिलों में सतर्कता समितियों की बैठकों में कमी जिला स्तर पर 42 से 92 प्रतिशत, ब्लॉक स्तर पर 92 से 100 प्रतिशत एवं उचित मूल्य की दुकानों के स्तर पर 77 से 100 प्रतिशत के मध्य रही।

जिला नियंत्रक, मंडी ने सतर्कता समितियों की बैठकों में कमी का कारण कोविड-19 महामारी को बताया। किन्नौर व सोलन के जिला नियंत्रकों ने इस संबंध में कोई कारण नहीं बताया।

यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सतर्कता समितियां गठित न होने एवं इसकी कार्यप्रणाली के मुद्दे पर टिप्पणी की गई थी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा की लोक लेखा समिति ने भी अवमानक खाद्य सामग्रियों की आपूर्ति की जांच हेतु ब्लॉक स्तर एवं उचित मूल्य की दुकानों के स्तर पर सतर्कता समितियों के गठन की संस्तुति की थी (अगस्त 2016)। मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में अनुवर्ती लेखापरीक्षा निष्कर्षों में इस मुद्दे को फिर से रेखांकित किया गया। फिर भी मार्च 2022 तक राज्य के 78 ब्लॉकों में से आठ एवं 5,068 उचित मूल्य की दुकानों में से 399 में समितियों का गठन नहीं किया गया। राज्य में आयोजित सतर्कता समितियों की बैठकों की आवृत्ति में भी लगातार कमी देखी गई।

अंतिम बैठक (जुलाई 2023) के दौरान प्रधान सचिव (खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले) ने लेखापरीक्षा निष्कर्षों को स्वीकार करते हुए विभाग को शेष ब्लॉकों/गोदामों/उचित

मूल्य की दुकानों में समितियों का गठन तथा सभी स्तरों पर नियमित बैठकों का आयोजन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

### 3.9.2 राज्य में सामाजिक लेखापरीक्षा संचालित न करना

लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2015 के खंड 12(2) व 12(3) के अनुसार प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी या कोई अन्य प्राधिकारी या निकाय, जो राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किया जाए, लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण के सम्बन्ध में आवधिक सामाजिक लेखापरीक्षा संचालित करेगा या करवाएगा और ऐसी रीति से, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए, अपने निष्कर्षों को प्रचारित करवाएगा तथा अपेक्षित कार्रवाई करेगा। केन्द्रीय सरकार, यदि वह आवश्यक समझे, तो ऐसे स्वतंत्र अभिकरणों, जिनके पास ऐसी लेखापरीक्षा संचालित करने का अनुभव है, के माध्यम से सामाजिक लेखापरीक्षा कर सकती है या करवा सकती है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य सरकार ने राज्य के सभी उप-मंडल मजिस्ट्रेटों को अधिसूचित एवं अधिकृत किया (नवंबर 2021) कि वे अपने अधीनस्थ सभी क्षेत्रीय अधिकारियों या किसी स्वतंत्र निकाय को उचित मूल्य की दुकानों के कार्यकरण पर निर्धारित आवधिक सामाजिक लेखापरीक्षा संचालित करने को सुगम बनाने के लिए नियुक्त करें। निदेशक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने राज्य के सभी उपायुक्तों से अनुरोध किया (जून 2022) कि वे उनके क्षेत्राधिकार के सभी उप-मंडल मजिस्ट्रेटों को सामाजिक लेखापरीक्षा करवाने का निर्देश दें तथा जिला नियंत्रकों को संबंधित उप-मंडल मजिस्ट्रेट के साथ समन्वय करने एवं बीस दिवसों के भीतर निदेशालय को रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि राज्य सरकार ने सामाजिक लेखापरीक्षा संचालित करने का आदेश अधिसूचित करने (नवंबर 2021) में लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली आदेश, 2015 जारी होने की तिथि से छः वर्ष का समय लिया तथा विभाग ने उचित मूल्य की दुकानों की आवधिक सामाजिक लेखापरीक्षा के संचालन हेतु अधिसूचित करने में सात माह का समय लिया। परिणामस्वरूप वर्ष 2019-22 की अवधि के दौरान राज्य में सामाजिक लेखापरीक्षा नहीं की जा सकी।

विभाग ने स्वीकार किया (जनवरी 2023) कि मार्च 2022 तक कोई सामाजिक लेखापरीक्षा संचालित नहीं की गई। हालांकि बताया गया कि सभी जिलों को सामाजिक लेखापरीक्षा कराने के निर्देश दिए गए हैं (जून 2022)।

इस प्रकार, सामाजिक लेखापरीक्षा संचालित न होने से आम लोग लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2015 की योजना व कार्यान्वयन की सामूहिक निगरानी एवं मूल्यांकन

से वंचित रह गए, जिससे लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता व जवाबदेही के उपायों से समझौता हुआ।

### 3.9.3 प्रमुख पदाधिकारियों के पदों पर रिक्तियां

मार्च 2022 तक विभाग में 30 विभिन्न वर्गों के कार्मिकों के 389 स्वीकृत पदों के प्रति 277 (71 प्रतिशत) व्यक्ति पदस्थ थे। गुणवत्ता प्रबंधन में सीधे तौर से जुड़े कई पदाधिकारियों के स्वीकृत पद व रिक्तियों को **तालिका 3.8** में दर्शाया गया है।

**तालिका 3.8: विभिन्न पदों की स्वीकृत संख्या एवं रिक्तियां**

| क्र. सं. | पद | स्वीकृत पद | रिक्ति (प्रतिशत) | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 |
| 1 | संयुक्त निदेशक | 2 | 1 (50) | 1 (50) | 1 (50) |
| 2 | उप निदेशक | 2 | 2 (100) | 1 (50) | 1 (50) |
| 3 | जिला नियंत्रक | 13 | 2 (15) | 1 (8) | 2 (15) |
| 4 | खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी | 17 | 10 (59) | 13 (76) | 13 (76) |
| 5 | निरीक्षक | 83 | 7 (8) | 7 (8) | 9 (11) |
| 6 | तकनीकी सहायक/प्रमुख विश्लेषक/कनिष्ठ विश्लेषक | 5 | 2 (40) | 2 (40) | 2 (40) |

स्रोत: विभागीय आंकड़े, कोष्ठक में दिए आंकड़े प्रतिशत दर्शाते हैं।

**तालिका 3.8** से स्पष्ट है, उल्लिखित पदाधिकारियों की रिक्ति की स्थिति आठ से 100 प्रतिशत के मध्य थी। इसके अतिरिक्त वर्ष 2019-2022 की अवधि के दौरान गोदामों/मिलों/उचित मूल्य की दुकानों के निरीक्षण के साथ-साथ खाद्यान्न की समग्र गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु जिम्मेदार खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी के संवर्ग में रिक्तियां 59 से 76 प्रतिशत तक के उच्च स्तर पर थीं। उपर्युक्त वर्गों में रिक्तियों के परिणामस्वरूप उचित मूल्य की दुकानों, गोदामों व मिलों के निरीक्षण के लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं हुई, विभिन्न खाद्य सामग्रियों के नमूनों के संग्रह में कमी आई तथा खाद्य सामग्रियों के नमूनों के विश्लेषण में विलम्ब हुआ, जैसाकि पहले ही **परिच्छेद 3.8.3, 3.8.4** व **3.8.5** में इंगित किया गया है।

### 3.10 उपभोक्ता जागरूकता गतिविधियों में कमियां

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार राज्यों को नौ उपभोक्ता जागरूकता गतिविधियों[24] हेतु अनुदान सहायता प्रदान करता है।

---

[24] (i) विश्व उपभोक्ता दिवस मनाना; (ii) एकल उपयोग प्लास्टिक के कम उपयोग को बढ़ावा देना; (iii) स्थानीय त्योहारों के दौरान प्रासंगिक प्रचार सामग्री का प्रदर्शन व प्रसार; (iv) स्थानीय भाषा में गांव के साइनबोर्ड, दीवार पेंटिंग, होर्डिंग्स आदि चिह्नित करना; (v) नुक्कड़ नाटक, स्ट्रीट शो, कठपुतली शो आदि का आयोजन; (vi) लोकगीत ऑडियो कैसेट का सृजन; (vii) विशिष्ट मुद्दों पर स्कूलों में प्रदर्शनी/शिविर आयोजित करना; (viii) स्थानीय भाषा में हैंडबिल्स/पम्फलेट का प्रकाशन और वितरण; (ix) विज्ञापनों/स्पॉट्स का समावेश।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि भारत सरकार ने राज्य में उपभोक्ता जागरूकता गतिविधियों को संचालित करने हेतु राज्य सरकार को ₹ 20.00 लाख स्वीकृत एवं जारी किए (फरवरी 2020)। वर्ष 2019-22 के दौरान ₹ 20.00 लाख की कुल उपलब्ध निधियों में से ₹ 19.63 लाख का उपयोग किया गया। अंतिम उपयोगिता-प्रमाणपत्र भारत सरकार को अब तक प्रस्तुत नहीं किया गया क्योंकि विभाग मार्च 2022 तक ₹ 0.37 लाख का उपयोग करने में असमर्थ रहा। इसके अतिरिक्त विभाग के पास क्षेत्रीय इकाइयों द्वारा की गई विस्तृत गतिविधियों के विषय में कोई जानकारी नहीं थी।

वर्ष 2019-22 के दौरान नमूना-जांचित जिलों में उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रमों की संख्या निम्नानुसार थी:

- सोलन: नौ में से केवल छः[25] गतिविधियां ही की गईं;
- किन्नौर: नौ में से केवल एक[26] गतिविधि ही की गई;
- मंडी: नौ में से केवल तीन[27] गतिविधियां ही की गईं।

जैसाकि बाद में **परिच्छेद 3.12** में बताया गया है, लेखापरीक्षा द्वारा किए गए लाभार्थी सर्वेक्षण से उजागर हुआ कि 61 प्रतिशत लाभार्थी अवमानक खाद्य सामग्रियों के विरुद्ध शिकायत तंत्र से अवगत नहीं थे। इसके अतिरिक्त सर्वेक्षण में शामिल 92 प्रतिशत लोगों ने विभाग द्वारा आयोजित उपभोक्ता जागरूकता शिविरों में भाग लेने से मना किया। यदि विभाग ने उपभोक्ता जागरूकता गतिविधियों को उचित महत्व दिया होता, तो लाभार्थियों की प्रतिक्रिया लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित खाद्यान्न की गुणवत्ता पर एक अतिरिक्त जांच के रूप में काम करती। इसके अतिरिक्त विभाग की निधियों का उपयोग करने में असमर्थता से उपभोक्ता जागरूकता गतिविधियां चलाने हेतु भारत सरकार से अतिरिक्त सहायता-अनुदान प्राप्त करने की संभावना भी बाधित हुई।

नमूना-जांचित जिलों के जिला नियंत्रकों ने बताया (अक्टूबर-नवंबर 2022) कि आवंटित निधियों का उपयोग उपभोक्ता जागरूकता गतिविधियों के सृजनार्थ किया गया, परन्तु उपभोक्ताओं से कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई।

निदेशक ने बताया (जून 2022) कि कोविड-19 के कारण शेष निधियों का उपयोग नहीं किया जा सका।

---

25 विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाना; एकल उपयोग प्लास्टिक के कम उपयोग को बढ़ावा देना, गांवों में साइनबोर्ड, दीवार पेंटिंग, होर्डिंग आदि की पहचान करना; स्थानीय भाषाओं में पैम्फलेट का प्रकाशन व वितरण; विज्ञापन/स्पॉट डालना; नुक्कड़ नाटक, स्ट्रीट शो, कठपुतली शो आदि का आयोजन करना।

26 विश्व उपभोक्ता दिवस/राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस।

27 उपभोक्ता जागरूकता संगोष्ठी; स्थानीय त्योहार के दौरान प्रासंगिक प्रचार सामग्री का प्रदर्शन व प्रसार; नुक्कड़ नाटक, स्ट्रीट शो, कठपुतली शो आदि का आयोजन।

उत्तर इस तथ्य के दृष्टिगत संतोषप्रद नहीं था कि वर्ष 2020-21 में कोविड-19 महामारी फैली थी एवं उसके पश्चात वर्ष 2021-22 के दौरान, जब कोविड-19 का प्रभाव कम हो गया था, विभाग सभी सौंपी गई गतिविधियां कर सकता था।

अंतिम बैठक (जुलाई 2023) के दौरान प्रधान सचिव (खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले) ने बताया कि राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत कुल शिकायतों (लंबित) की संख्या शून्य है। संयुक्त निदेशक ने यह भी बताया कि राज्य में जागरूकता कार्यक्रम को मजबूत किया गया, जिसके परिणामस्वरूप फोर्टिफाइड नमक की खपत दोगुनी हो गई, क्योंकि इसके बहुत ही खराब दिखने से उपभोक्ता पहले इस उत्पाद के उपयोग को लेकर संदेह में थे। राज्य में आपूर्ति किए जाने वाले फोर्टिफाइड चावल की गुणवत्ता के विषय में उपभोक्ताओं के मन में विश्वास पैदा करने के लिए भी इसी तरह का उपाय किया गया।

## 3.11 गोदामों एवं उचित मूल्य की दुकानों के संयुक्त भौतिक निरीक्षण के निष्कर्ष

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 31(1) में प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति कोई खाद्य व्यवसाय अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) के अधीन ही प्रारंभ करेगा या उसे चलाएगा अन्यथा नहीं तथा लाइसेंस अनुदत्त करने के लिए आवेदन करेगा। इसके अतिरिक्त खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य कारोबार का अनुज्ञापन और रजिस्ट्रीकरण) विनियमन, 2011 की अनुसूची 4 के भाग-II के आधार पर भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा जारी मार्गदर्शन दस्तावेजों/नोट्स के अनुसार उचित भंडारण प्रबंधन के लिए प्रत्येक गोदाम में अग्निशमन उपकरण, उचित सफाई, उचित वेंटिलेशन, कृंतक (चूहा) पकड़ने की व्यवस्था, आदि जैसे बुनियादी उपकरण/सुविधाएं उपलब्ध हो। इसके अतिरिक्त प्रत्येक वेयरहाउस/गोदाम में स्टैक (लाट) नंबरिंग योजना (लेआउट) इस प्रकार प्रदर्शित की जानी चाहिए कि प्रत्येक स्टैक का स्थान व नंबर स्पष्ट रूप से लेबल किया गया हो। अनाज की अनलोडिंग प्रत्येक स्टैक में इस प्रकार की जानी चाहिए कि अगली स्टैक या दीवार से कम से कम एक मीटर का अंतर रहे, ताकि लोगों की आवाजाही, सफाई/हाउसकीपिंग व भविष्य में किसी भी धूम्रीकरण के लिए स्टैक को उचित रूप से सील करना संभव हो सके। साथ ही प्रत्येक स्टैक के लिए स्टैक कार्ड को प्रमुख स्थान पर (प्रमुखता से) प्रदर्शित किया जाना चाहिए, ताकि वह हमेशा सुलभ रहे एवं स्टैकिंग, निर्गमन या किसी भी उपचार/कीट नियंत्रण के पूर्ण होने के तुरंत बाद उसमें जानकारी अपडेट की जानी चाहिए।

इसके अतिरिक्त लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश, 2015 में उचित मूल्य दुकान मालिकों के कर्तव्य एवं जिम्मेदारियां दी गई है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ आपूर्ति किए गए खाद्यान्न के नमूने का प्रदर्शन, टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर का प्रदर्शन, खाद्यान्न की मात्रा व गुणवत्ता से संबंधित शिकायतों हेतु निवारण तंत्र आदि शामिल हैं।

### 3.11.1 निरीक्षित गोदामों में कमियां

नमूना-जांचित तीन जिलों के नमूना चयनित ब्लॉकों के विभाग व निगम के प्रतिनिधियों के साथ 15 गोदामों (120 में से) में किए गए संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान कई कमियां पाई गईं, जैसाकि **तालिका 3.9** में दर्शाया गया है:

**तालिका 3.9: गोदामों में सुविधाओं का विवरण**

| जिले का नाम | गोदामों की कुल संख्या | सुविधाओं की कमी वाले गोदामों की संख्या | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | अग्निशमन उपकरण | उचित साफ-सफाई | धूम्रीकरण | फर्श पर नमी रोकने के लिए अपनाए गए उपाय | मलबे व प्रदूषण से मुक्त आसपास का क्षेत्र | उचित वेंटिलेशन | खाद्य सामग्रियों के भंडारण के लिए बेस रैक | दीवार से दूर स्टैक | चूहा पकड़ने की प्रणाली |
| **किन्नौर** | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| **मंडी** | 9 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 9 | 8 | 7 |
| **सोलन** | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| **योग** | **15** | **12** | **9** | **13** | **11** | **10** | **9** | **14** | **13** | **13** |

इसके अतिरिक्त निम्नलिखित कमियां भी पाई गईं:

- कोई भी गोदाम ऐसा नहीं पाया गया जिसमें स्टैक प्लान व प्रविष्टियों सहित स्टैक कार्ड उपलब्ध हो।
- अर्की व धरमपुर के गोदामों में खाद्यान्नों को बहुत अव्यवस्थित और अस्वच्छ स्थिति में संग्रहित करना देखा गया। दीवारों में रिसाव के कारण पानी जमा हो गया था एवं हर जगह फर्श पर बड़ी मात्रा में काई व नमी उत्पन्न हो गई थी, जैसाकि निम्नवत छायाचित्रों में देखा जा सकता है।

**चित्र 3.1: दीवार में रिसाव के कारण फर्श पर जमा पानी (धरमपुर)**

**चित्र 3.2: फर्श के किनारों पर बड़ी मात्रा में काई (अर्की)**

इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2019-20 से 2021-22 की अवधि के दौरान विभाग ने धरमपुर (जून 2020) एवं अर्की (अक्टूबर 2020 व मार्च 2022) के गोदामों का निरीक्षण भी किया था। विभाग ने धरमपुर में गोदाम के निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों[28] को संबंधित क्षेत्र प्रबंधक को प्रेषित करते हुए उन्हें सुधारने का निर्देश दिया था। अर्की गोदाम के मामले में कमियां[29] पाई गईं परन्तु उन्हें सुधारने के लिए संबंधित क्षेत्र प्रबंधक को कोई निर्देश जारी नहीं किया गया। निरंतर अनियमितताएं खाद्य सामग्रियों के उचित भंडारण के प्रबंधन के प्रति विभाग के उदासीन दृष्टिकोण को परिलक्षित करती हैं।

### 3.11.2 निरीक्षित उचित मूल्य की दुकानों में कमियां

लेखापरीक्षा में नमूना चयनित जिलों के नमूना चयनित गोदामों से जुड़ी 60 उचित मूल्य की दुकानों का भौतिक सत्यापन व सर्वेक्षण किया गया। भौतिक सत्यापन के परिणाम **तालिका 3.10** में दर्शाए गए हैं:

**तालिका 3.10: उचित मूल्य की दुकानों में सुविधाओं का विवरण**

| जिले का नाम | उचित मूल्य की दूकान की कुल संख्या | सुविधाओं की कमी वाली उचित मूल्य की दुकानों की संख्या | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | खादय सामग्रियों के नमूने का प्रदर्शन | उचित वेंटिलेशन | उचित साफ-सफाई | कृंतक पकड़ने की प्रणाली | खादय सामग्रियों के भंडारण के लिए बेस रैक | दीवार से दूर स्टैक | भारतीय खादय सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का लाइसेंस |
| **किन्नौर** | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 |
| **मंडी** | 40 | 40 | 19 | 13 | 33 | 38 | 36 | 27 |
| **सोलन** | 16 | 16 | 2 | 8 | 12 | 14 | 15 | 12 |
| **योग** | **60** | **60** | **23** | **21** | **49** | **54** | **54** | **40** |

इसके अतिरिक्त निम्नलिखित कमियां भी पाई गईं:

- 60 में से 41 उचित मूल्य की दुकानों में अपेक्षित आवधिक निरीक्षण नहीं किए गए। इसके अतिरिक्त वर्ष 2019-22 के दौरान 10 उचित मूल्य की दुकानों (41 उचित मूल्य की दुकानों में से) में एक भी निरीक्षण नहीं किया गया।
- 60 में से 25 उचित मूल्य की दुकानों में टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर प्रदर्शित नहीं किया गया।

[28] स्टैक के चारों ओर कोई खाली स्थान नहीं छोड़ा गया, गोदाम चूहों से सुरक्षित नहीं पाया गया एवं संरक्षक उपलब्ध नहीं कराया गया, आदि।

[29] जो कमियां पाई गईं, उनमें साफ-सफाई ठीक नहीं थी, गोदाम चूहों से सुरक्षित नहीं पाया गया तथा संरक्षक उपलब्ध नहीं कराया गया, आदि शामिल थे।

➢ उचित मूल्य की दुकान, पिपलूघाट व डुमेहर में दीवारों में रिसाव के कारण खाद्यान्नों को बहुत ही अस्वास्थ्यकर स्थितियों में संग्रहीत किया गया। फर्श और दीवारों पर बड़ी मात्रा में नमी देखी गई, जैसाकि निम्नवत छायाचित्रों में दर्शाया गया है:

**चित्र 3.3: दीवारों और फर्श पर नमी व आर्द्रता (पिपलूघाट)**

**चित्र 3.4: दीवारों और फर्श पर नमी व आर्द्रता (डुमेहर)**

**चित्र 3.5: दीवारों और फर्श पर नमी व आर्द्रता (डुमेहर)**

इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2019-20 से 2021-22 की अवधि के दौरान विभाग ने पिपलूघाट (छः बार) व डुमेहर (चार बार) में उचित मूल्य की दुकानों का निरीक्षण भी किया। हालांकि विभाग को खाद्य सामग्रियों के भंडारण के संबंध में कोई अनियमितता नहीं मिली। जबकि उपरोक्त छायाचित्र इंगित करते हैं कि विभागीय अधिकारी ठीक तरीके से निरीक्षण नहीं कर रहे थे।

अंतिम बैठक के दौरान प्रधान सचिव (खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले) ने विशेष रूप से गोदामों/उचित मूल्य की दुकानों की स्वच्छता के मुद्दे पर, विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया (जुलाई 2023) कि वे सुधारात्मक उपाय शुरू करें।

## 3.12 लाभार्थी सर्वेक्षण के निष्कर्ष

लेखापरीक्षा में विभागीय अधिकारियों की उपस्थिति में नमूना-जांचित जिलों की नमूना-जांचित उचित मूल्य की दुकानों से जुड़े 307 लाभार्थियों का यादृच्छिक रूप से चयन करके सर्वेक्षण किया गया। कुछ मापदंडों का संतुष्टि स्तर उनकी प्रतिक्रियाओं के अनुसार कम था, जैसाकि **तालिका 3.11** में दर्शाया गया है।

**तालिका 3.11: लाभार्थी सर्वेक्षण की प्रतिक्रियाओं का विवरण**

| क्र. सं. | मापदंड | प्रतिक्रिया | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | हां (प्रतिशत) | | | नहीं (प्रतिशत) | |
| 1. | समय पर खाद्य सामग्री प्राप्त हुई | 288 (93) | | | 19 (7) | |
| 2. | क्या आपने कभी विभाग द्वारा आयोजित उपभोक्ता जागरूकता शिविर में भाग लिया है? | 25 (8) | | | 282 (92) | |
| 3. | अवमानक खाद्य सामग्रियों के संबंध में शिकायत हेतु विभाग के टोल-फ्री नंबर की जानकारी | 87 (28) | | | 220 (72) | |
| 4. | अवमानक खाद्य सामग्रियों की आपूर्ति के विरुद्ध शिकायत तंत्र के विषय में जागरूकता | 119 (39) | | | 188 (61) | |
| | **खाद्य सामग्रियों की गुणवत्ता** | **बहुत अच्छा** | **अच्छा** | **औसत** | **ख़राब** | **बहुत ख़राब** |
| 5. | गेहूं की गुणवत्ता (बीपीएल, एएवाई, पीएचएच) | 3 | 89 | 35 | 45 | 15 |
| 6. | चावल की गुणवत्ता | 2 | 163 | 88 | 47 | 7 |
| 7. | आटे की गुणवत्ता | 2 | 125 | 86 | 71 | 23 |
| 8. | दालों की गुणवत्ता | 0 | 121 | 55 | 113 | 18 |
| 9. | चीनी की गुणवत्ता | 1 | 185 | 90 | 29 | 2 |
| 10. | खाद्य तेल की गुणवत्ता | 0 | 172 | 60 | 58 | 17 |
| 11. | नमक की गुणवत्ता | 0 | 111 | 21 | 101 | 74 |
| 12. | काले चने की गुणवत्ता (बीपीएल) | 0 | 116 | 8 | 30 | 60 |

*कोष्ठक में दिए गए आंकड़े प्रतिशत दर्शाते हैं।*

**तालिका 3.11** से निम्नलिखित उजागर हुआ:

- 92 प्रतिशत लाभार्थियों ने किसी भी उपभोक्ता जागरूकता शिविर में भाग नहीं लिया।
- 72 प्रतिशत लाभार्थियों को विभाग के टोल-फ्री नंबर की जानकारी नहीं थी।
- 61 प्रतिशत लाभार्थियों को शिकायत तंत्र की जानकारी नहीं थी।

- 10 से 57 प्रतिशत लाभार्थियों ने बताया कि खाद्य सामग्रियों की गुणवत्ता[30] औसत से कम थी[31]।

अतः सर्वेक्षण के परिणाम इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि लाभार्थियों को वितरित खाद्य सामग्रियों की गुणवत्ता सुनिश्चित नहीं की गई **(परिच्छेद 3.8.5)** एवं उपभोक्ता गतिविधियों के विषय में जागरूकता का समुचित प्रसार नहीं किया गया **(परिच्छेद 3.10)**।

## 3.13 खाद्य सामग्रियों के स्वतंत्र गुणात्मक विश्लेषण के निष्कर्ष

खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य सामग्रियों का फोर्टिफिकेशन) विनियमन, 2018 में कहा गया है कि कोई विनिर्माता जो किसी खाद्य का शक्तिवर्धन करता है वह यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे फोर्टिफाइड खाद्य में सूक्ष्म पोषक का स्तर निर्धारित सीमा के भीतर हो। विभाग खाद्य सामग्रियों की जांच उसकी स्वयं की खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला में करता है। हालांकि प्रयोगशाला को न तो किसी प्राधिकृत एजेंसी से मान्यता प्राप्त है एवं न ही यह फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थों का परीक्षण करती है। इसका मुख्य कारण सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से राज्य में वितरित विभिन्न खाद्य सामग्रियों में मौजूद सूक्ष्म पोषक तत्वों के स्तर का सटीक आकलन करने के लिए आवश्यक उपकरण उपलब्ध न होना था। राज्य में फोर्टिफिकेशन कार्यक्रम की प्रभावशीलता को सत्यापित करने के उद्देश्य से लेखापरीक्षा में राष्ट्रीय परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड से मान्यता प्राप्त एवं भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण में सूचीबद्ध खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, पंजाब बायोटेक्नोलॉजी इनक्यूबेटर, मोहाली, पंजाब सरकार के माध्यम से खाद्य सामग्रियों का स्वतंत्र गुणात्मक विश्लेषण किया गया।

लेखापरीक्षा ने विभागीय अधिकारियों की सहायता से नमूना-जांचित तीन जिलों से दो बैचों[32] में गोदामों व उनसे जुड़ी उचित मूल्य की दुकानों से विभिन्न खाद्य सामग्रियों[33] के 66 नमूने[34] एकत्र किए, जो उचित मूल्य की दुकानों और गोदामों के सर्वेक्षण के दौरान एकत्रित इनपुट पर आधारित थे। फोर्टिफाइड नमूनों के गुणात्मक विश्लेषण के परिणाम **चार्ट 3.5** में दर्शाए गए हैं।

30 काला चना, खाद्य तेल, दालें, चावल, नमक, चीनी, गेहूं व गेहूं का आटा।

31 औसत से नीचे में ख़राब व बहुत ख़राब शामिल हैं।

32 पहले बैच में मंडी व सोलन जिलों से नमूने एकत्र किए गए (अप्रैल 2023) और प्रयोगशाला को भेजे गए (अप्रैल 2023) तथा दूसरे बैच में किन्नौर जिले से नमूने एकत्र किए गए (मई 2023) और प्रयोगशाला को भेजे गए (मई 2023)।

33 फोर्टिफाइड चावल (12), फोर्टिफाइड गेहूं का आटा (12), फोर्टिफाइड खाद्य तेल (12), फोर्टिफाइड नमक (6), चीनी (12) व दाल (12)।

34 किन्नौर (12), मंडी (32) और सोलन (22)।

**चार्ट 3.5: लेखापरीक्षा द्वारा संग्रहित व परीक्षित फोर्टिफाइड नमूनों के परिणाम**

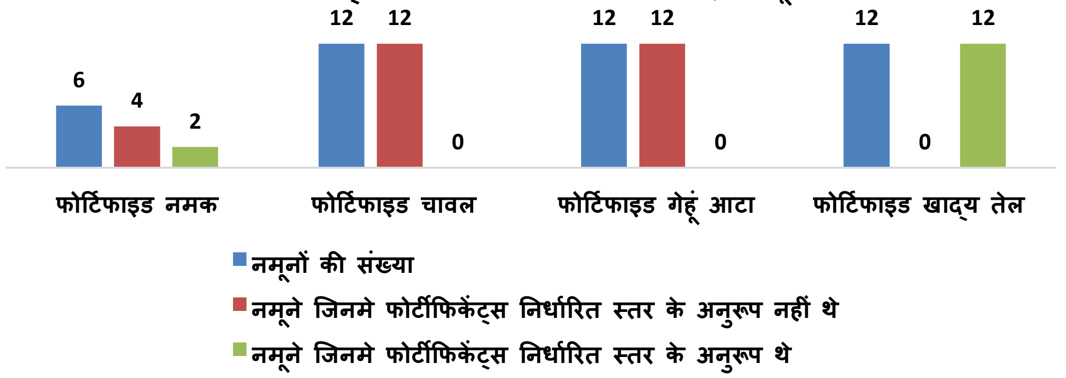


**चार्ट 3.5** से यह स्पष्ट है कि फोर्टिफाइड गेहूं के आटे व फोर्टिफाइड चावल के 100 प्रतिशत नमूने एवं डबल फोर्टिफाइड नमक के 67 प्रतिशत नमूने खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य सामग्रियों का फोर्टिफिकेशन) विनियम, 2018 में सूक्ष्म पोषक तत्वों के निर्धारित स्तरों के अनुरूप नहीं थे। केवल एक फोर्टिफाइड खाद्य मद यथा फोर्टिफाइड खाद्य तेल के सभी नमूनों में सूक्ष्म पोषक तत्वों (विटामिन ए व डी दोनों) का स्तर निर्धारित सीमा के भीतर पाया गया।

फोर्टिफाइड गेहूं के आटे से संबंधित रिपोर्टों की विस्तृत संवीक्षा **चार्ट 3.6** में दर्शाई गई है।

**चार्ट 3.6: फोर्टिफाइड गेहूं के आटे का विश्लेषण**

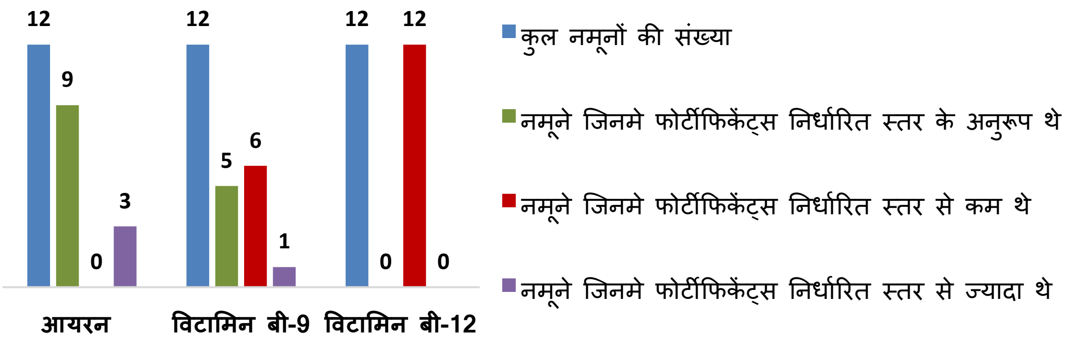


**चार्ट 3.6** से यह स्पष्ट है कि तीन नमूनों में आयरन[35] निर्धारित सीमा से अधिक था। सात नमूनों में विटामिन बी9[36] निर्धारित सीमा के भीतर नहीं था एवं सभी 12 नमूनों में विटामिन बी12[37] निर्धारित सीमा से कम था।

इसी भांति फोर्टिफाइड चावल का विस्तृत विश्लेषण **चार्ट 3.7** में दर्शाया गया है।

---

35 आयरन महिलाओं में ऊर्जा व स्वस्थ गर्भावस्था को बढ़ावा देता है।

36 विटामिन बी9 या फोलिक एसिड भी विटामिन बी12 के साथ मिलकर काम करता है, जिससे लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में मदद मिलती है और शरीर में आयरन को ठीक से काम करने में मदद मिलती है।

37 विटामिन बी12 रक्त व तंत्रिका कोशिकाओं को स्वस्थ रखता है, डीएनए निर्माण में मदद करता है और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया को रोकता है।

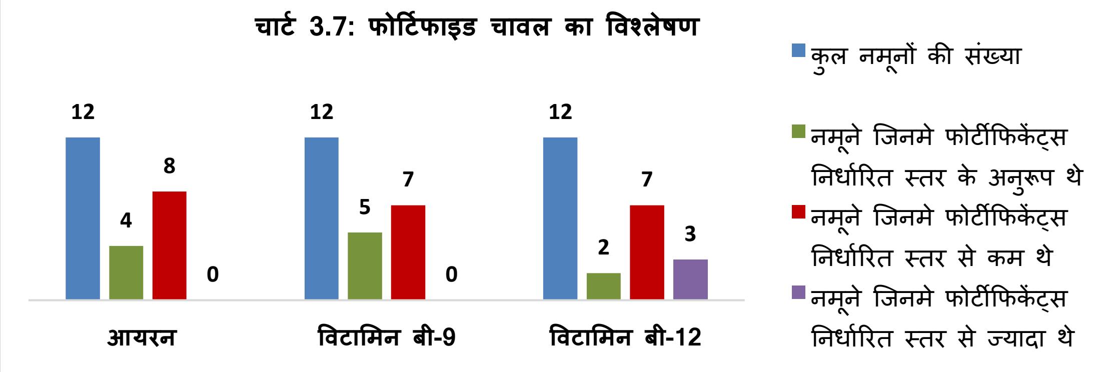


**चार्ट 3.7** से यह स्पष्ट है कि आठ नमूनों में आयरन निर्धारित सीमा से कम था, सात नमूनों में विटामिन बी9 निर्धारित सीमा से कम था एवं दस नमूनों में विटामिन बी12 निर्धारित सीमा के भीतर नहीं था। यह भी देखा गया कि फोर्टिफाइड चावल के तीन नमूनों में फोर्टिफिकेंट्स[38] प्रयोगशाला की निर्धारण सीमा[39] से कम पाई गई।

फोर्टिफाइड नमक के नमूनों का विश्लेषण **चार्ट 3.8** में नीचे दर्शाया गया है।

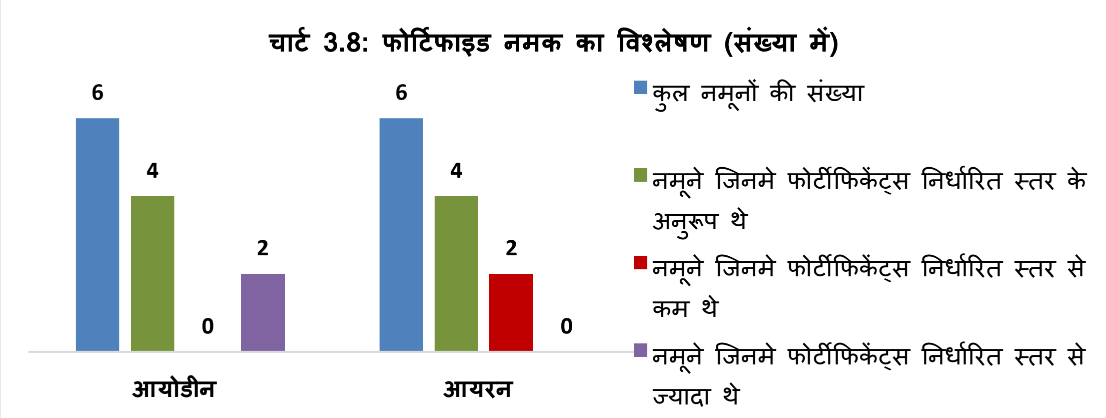


**चार्ट 3.8** दर्शाता है कि फोर्टिफाइड नमक के दो नमूनों (छः में से) में आयोडीन[40] निर्धारित सीमा से अधिक पाया गया एवं दो नमूनों में आयरन निर्धारित सीमा से कम पाया गया।

यद्यपि दालों (उड़द दाल, चना दाल, मलका दाल), चीनी व चावल के नमूनों में फोर्टीफिकेंट्स के अतिरिक्त अन्य मापदंड[41] खाद्य सुरक्षा और मानक विनियम, 2018 की निर्धारित सीमाओं के भीतर पाए गए।

ये निष्कर्ष राज्य में फोर्टिफिकेशन कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू करने में विभाग की अक्षमता को रेखांकित करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप लाभार्थी खाद्य सामग्रियों के फोर्टिफिकेशन के

---

[38] एक नमूने में तीनों पोषक तत्व (विटामिन बी9, बी12 व आयरन) तथा दो नमूनों में दो पोषक तत्व (विटामिन बी9 व बी12)।

[39] इससे पता चलता है कि नमूने में फोर्टीफिकेंट्स का स्तर प्रयोगशाला की जांच सीमा से भी नीचे था।

[40] आयोडीन बच्चों में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के विकास और उचित संज्ञानात्मक कार्यों को सुनिश्चित करता है, साथ ही सभी उम्र के लोगों में घेंघा व हाइपोथायरायडिज्म को रोकता है।

[41] नमी, बाहरी पदार्थ, अन्य खाद्य अनाज, क्षतिग्रस्त अनाज, घुन लगे अनाज, यूरिक एसिड व एफ्लाटॉक्सिन।

अभीष्ट लाभों से वंचित हो सकते हैं। इन कमियों को दूर करने के लिए सुधारात्मक उपाय आवश्यक हैं ताकि आपूर्ति की जा रही खाद्य सामग्रियां निर्धारित मापदंडों के अनुसार फोर्टिफाइड की जा सके।

अंतिम बैठक (जुलाई 2023) के दौरान प्रधान सचिव (खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले) ने बताया कि विभाग के पास वर्तमान में फोर्टिफाइड खाद्य सामग्रियों के परीक्षण हेतु कोई तंत्र नहीं है तथा आश्वासन दिया कि वितरण से पूर्व नमूनों को परीक्षण के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित प्रयोगशाला में भेजगें।

## 3.14 निष्कर्ष

राज्य सरकार ने विभाग एवं निगम को क्षेत्रीय पदाधिकारियों की मदद से विभिन्न स्तरों पर लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत विभिन्न खाद्य सामग्रियों को खरीदने एवं वितरण करने के साथ ही उसकी निगरानी व गुणवत्ता नियंत्रण की जिम्मेदारी सौंपी है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि विभाग ने लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2015 के अनुरूप निरीक्षण लक्ष्यों को पुनरीक्षित नहीं किया, अतः निर्धारित लक्ष्यों में कमी आई। इसके अतिरिक्त निरीक्षण हेतु विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य भी पूर्ण नहीं हुए। खाद्य सामग्रियों की गुणवत्ता की जांच के लिए नमूनों के संग्रह में कमी देखी गई। परीक्षण रिपोर्ट क्षेत्रीय इकाइयों तक विलम्ब से पहुंचाने के कारण राज्य में अवमानक खाद्य सामग्रियां वितरित कर दी गई। विभागीय खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला के उन्नयन व आधुनिकीकरण में उदासीन दृष्टिकोण के कारण आवंटित बजट की अवधि समाप्त हो गई, प्रयोगशाला को मान्यता नहीं मिल सकी और उसका उन्नयन भी नहीं हो पाया। अतः प्रयोज्य अधिनियम/आदेश के तहत अपेक्षित संयुक्त भौतिक निरीक्षण एवं प्रयोगशाला परीक्षण के माध्यम से खाद्य सामग्रियों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की विभागीय कार्रवाई अपर्याप्त पाई गई।

विभाग सभी स्तरों पर यथोचित निगरानी व पर्यवेक्षण सुनिश्चित करने में असमर्थ पाया गया। प्रत्येक ब्लॉक व उचित मूल्य की दुकान स्तर पर गठित करने हेतु अपेक्षित सतर्कता समितियां कई ब्लॉकों व उचित मूल्य की दुकानों में गठित नहीं की गई। इसके अतिरिक्त सतर्कता समितियों की निर्धारित सीमा में आवधिक बैठकें न होने के कारण राज्य में लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की पारदर्शिता व जवाबदेही प्रभावित हुई। विभाग उपभोक्ता जागरूकता गतिविधियों के लिए आवंटित बजट का उपयोग करने में भी पिछड़ रहा था, जिससे लाभार्थियों की गुणवत्ता नियंत्रण प्रक्रिया में भागीदारी की क्षमता सीमित रह गई।

थोक गोदामों के भौतिक सत्यापन के दौरान गुणवत्ता संबंधी कई कमियां पाई गईं। लाभार्थियों ने भी लाभार्थी सर्वेक्षण के दौरान खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता औसत से कम होने की शिकायत की। इसके अतिरिक्त अधिकांश लाभार्थियों को विभाग के टोल-फ्री नंबर की जानकारी नहीं थी

एवं वे शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया से भी अनभिज्ञ थे। अतः विभाग द्वारा अपनाई गई निगरानी प्रणाली व उपभोक्ता जागरूकता के उपाय अपर्याप्त थे एवं इनमें सुधार की आवश्यकता है।

लेखापरीक्षा में किए गए खाद्य वस्तुओं के स्वतंत्र गुणात्मक विश्लेषण से उजागर हुआ कि फोर्टिफाइड चावल व फोर्टिफाइड गेहूं के आटे का कोई भी नमूना सूक्ष्म पोषक तत्वों के निर्धारित स्तर के अनुरूप नहीं था। इसके अतिरिक्त फोर्टिफाइड नमक के कुछ नमूने भी निर्धारित स्तर के सूक्ष्म पोषक तत्वों के अनुरूप नहीं थे।

## 3.15 अनुशंसाएं

सरकार निम्नलिखित पर विचार कर सकती है:

- *लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2015 के अनुरूप विभिन्न क्षेत्रीय पदाधिकारियों के निरीक्षण लक्ष्य निर्धारित करना तथा लक्ष्यों की समय पर प्राप्ति सुनिश्चित करना।*
- *यह सुनिश्चित करने के उपाय करना कि क्षेत्रीय पदाधिकारी उचित मूल्य की दुकानों, मिलों व गोदामों से विभिन्न खाद्य सामग्रियों के नमूने संग्रहित करने में कोई कमी न रखे।*
- *अपनी खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला के उन्नयन व आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में गति लाना एवं मानकीकृत एजेंसी से इसकी मान्यता सुनिश्चित करना।*
- *यह सुनिश्चित करना कि किसी भी खाद्य वस्तु का परीक्षण किए बिना उसका वितरण न किया जाए तथा परीक्षण के परिणाम त्वरितता से क्षेत्रीय इकाइयों को सूचित किए जाएं।*
- *सभी स्तरों पर सतर्कता समितियों का गठन और उनकी नियमित बैठकें सुनिश्चित करना।*
- *राज्य में जवाबदेही एवं पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सामुदायिक भागीदारी को एक प्रमुख घटक के रूप में महत्व देना।*
- *राज्य में फोर्टिफिकेशन कार्यक्रम की सक्रिय निगरानी सुनिश्चित करना।*

# अध्याय-IV

# हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम की कौशल विकास में भूमिका

# अध्याय IV: हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम की कौशल विकास में भूमिका

## तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग

### 4.1 परिचय

कौशल और ज्ञान किसी भी देश की आर्थिक वृद्धि एवं सामाजिक विकास की प्रेरक शक्ति हैं। सितंबर 2015 में हिमाचल प्रदेश सरकार ने कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत योजना विभाग के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम को एक विशेषीकृत कौशल विकास कंपनी के रूप में स्थापित किया। हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम के गठन का उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ हिमाचल प्रदेश के बिखरे हुए तकनीकी, व्यावसायिक व शैक्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को समेकित करना, सभी तकनीकी, व्यावसायिक और शैक्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को भारत के राष्ट्रीय कौशल योग्यता रूपरेखा के अनुरूप बनाना, तकनीकी, व्यावसायिक और शैक्षिक प्रशिक्षण के डिजाइन व वितरण में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करना तथा राज्य में कौशल अधोसंरचना का विकास करना है। राज्य सरकार ने मई 2018 में अधिसूचित किया कि हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम का प्रशासनिक विभाग, योजना विभाग के स्थान पर तकनीकी शिक्षा विभाग होगा।

#### 4.1.1 हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम के मुख्य उद्देश्य

हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं:

i. गुणवत्तापूर्ण कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से राज्य के युवाओं की रोजगार क्षमता में सुधार करना।

ii. राज्य में तकनीकी, व्यावसायिक और शैक्षिक प्रशिक्षण ढांचा को समेकित करना।

iii. राज्य में गुणवत्तापूर्ण कौशल अवसंरचना विकसित करना।

iv. हिमाचल प्रदेश के युवाओं को मांग आधारित कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना।

v. तकनीकी प्रशिक्षण संस्थानों में उपकरणों की डिज़ाइन, वितरण एवं उन्नयन को राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद स्तर तक पहुंचाने के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करना।

vi. दिव्यांगजन एवं महिलाओं की कौशल विकास संबंधी आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान देना।

vii. प्रशिक्षित अभ्यर्थियों के लिए प्लेसमेंट (रोजगार) का एक मंच प्रदान करना।

### 4.1.2 हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम द्वारा कार्यान्वित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम

हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम निम्नलिखित कार्यक्रमों/परियोजनाओं का कार्यान्वयन कर रहा है:

- **हिमाचल प्रदेश कौशल विकास परियोजना-** यह एशियाई विकास बैंक द्वारा प्रायोजित परियोजना है जिसकी परियोजना लागत $100 मिलियन है। इसका उद्देश्य राज्य में कौशल गतिविधियों एवं कौशल अवसंरचना को सुदृढ़ करना है। परियोजना की अवधि मई 2018 से जून 2023 तक थी। इस परियोजना के चार मुख्य घटक यथा: (i) सिविल कार्य (ii) परामर्श सेवाएं व क्षमता निर्माण (iii) प्रशिक्षण[1] तथा (iv) उपकरण व फर्नीचर की खरीद है।

इस योजना के तहत एशियाई विकास बैंक व राज्य के मध्य वित्तपोषण का अनुपात 80:20 है।

- **प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना[2]-** प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना-I वर्ष 2015 में 100 प्रतिशत भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित योजना के रूप में शुरू की गई, जिसका उद्देश्य प्रशिक्षण सेवा प्रदाताओं के माध्यम से निःशुल्क अल्पकालिक कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके एवं कौशल प्रमाणन के लिए मौद्रिक पुरस्कार प्रदान करके युवाओं को प्रोत्साहित करके देश में कौशल विकास को प्रोत्साहित और बढ़ावा देना था। हालांकि राज्य को परियोजना अवधि वर्ष 2016-20 के साथ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना-II के तहत कवर किया गया एवं परियोजना की स्वीकृत लागत ₹ 63.51 करोड़ थी। वर्ष 2020-21 में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना-II को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना-III के रूप में आगे बढ़ा दिया गया।

- **संकल्प[3]-** जनवरी 2018 में जिला-स्तरीय कौशल विकास पारिस्थितिकी तंत्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए, विभिन्न हितधारकों[4] के बीच समन्वय और एकीकरण के माध्यम से इसे शुरू किया गया। राज्य में परियोजना की स्वीकृत लागत ₹ 2.11 करोड़ थी एवं कार्यान्वयन की अवधि वर्ष 2018-23 थी। इस योजना के तहत केंद्र व राज्य के मध्य वित्तपोषण का अनुपात 90:10 था।

---

[1] इसमें: (i) अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम (ii) व्यावसायिक शिक्षा स्नातक कार्यक्रम (iii) स्नातक नौकरी प्रशिक्षण कार्यक्रम (iv) पूर्व शिक्षा की मान्यता कार्यक्रम (v) सरकारी संस्थानों (औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण और संबद्ध खेल संस्थान, आदि) में समझौता-ज्ञापन के माध्यम से विशेष प्रशिक्षण शामिल हैं।

[2] इसमें अल्पकालिक प्रशिक्षण, पूर्व शिक्षण की मान्यता और विशेष परियोजनाएं (प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना-III) के घटक शामिल हैं।

[3] आजीविका संवर्धन हेतु कौशल अधिग्रहण एवं ज्ञान जागरूकता (संकल्प)।

[4] हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम और हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम सीमित।

हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम द्वारा कार्यान्वित कार्यक्रमों के उप-घटक **चार्ट 4.1** में दर्शाए गए हैं।

**चार्ट 4.1: हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम द्वारा कार्यान्वित कार्यक्रमों के उप-घटक**

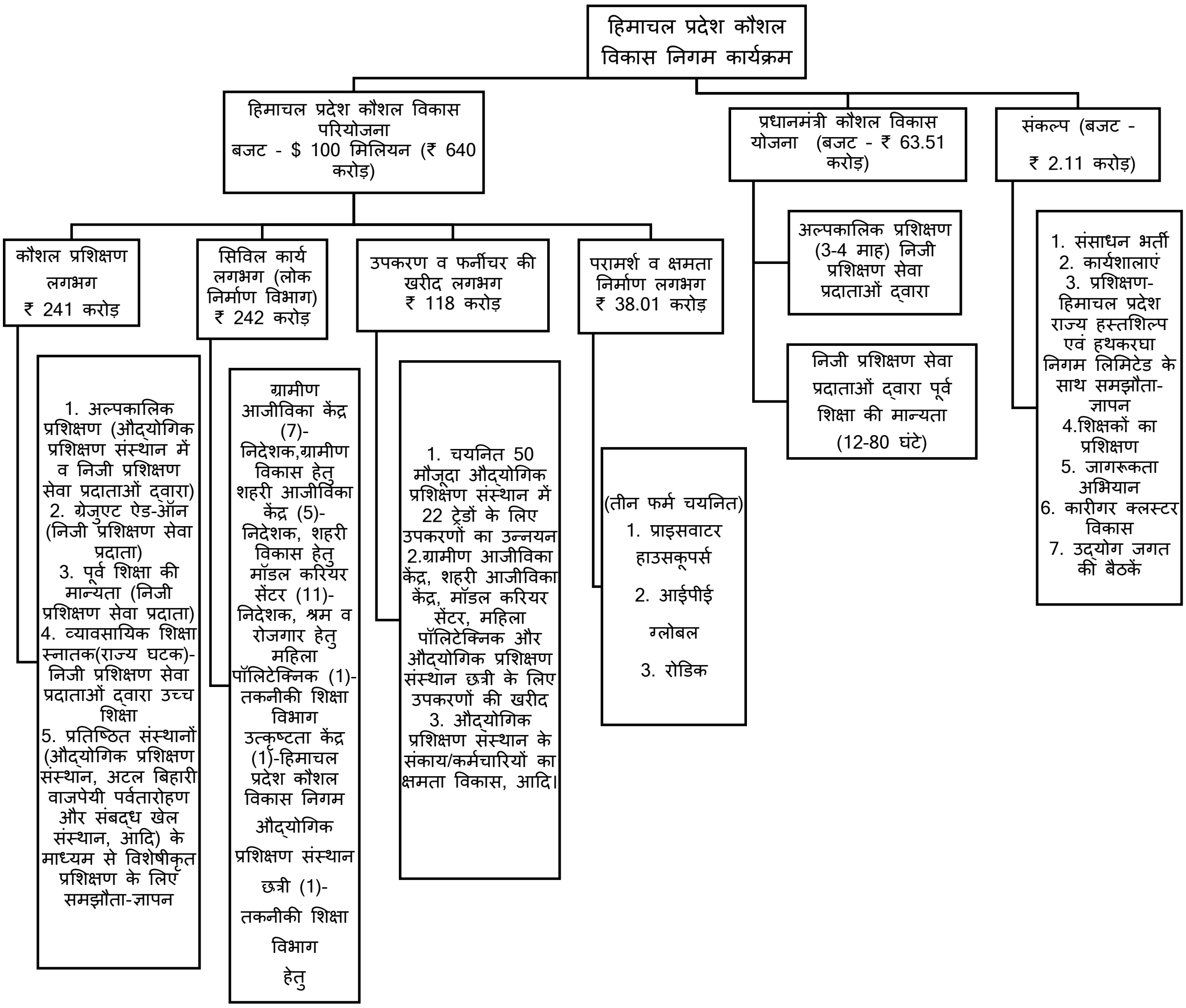


उपरोक्त योजनाओं के तहत प्रशिक्षण सेवा प्रदाताओं द्वारा सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मंडी, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान, सोनीपत (हरियाणा) आदि द्वारा सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाता है। व्यावसायिक शिक्षा स्नातक कार्यक्रम, जो एक तीन वर्षीय पाठ्यक्रम है, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा सरकारी कॉलेजों में हिमाचल प्रदेश कौशल विकास परियोजना के अंतर्गत प्रशिक्षण सेवा प्रदाताओं के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। उपरोक्त तीनों कार्यक्रमों के तहत हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम ने 33 क्षेत्र **(परिशिष्ट 4.1)** चिह्नित किए, अक्टूबर 2022 तक इनमें से 30 क्षेत्रों में अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दिया गया।

योजना विभाग ने परियोजना प्रशासन नियम-पुस्तिका निरुपित की, जिसमें राज्य सरकार और एशियाई विकास बैंक की नीतियों व प्रक्रियाओं के अनुसार हिमाचल प्रदेश कौशल विकास परियोजना के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक प्रशासनिक व प्रबंधन आवश्यकताओं का वर्णन किया गया। परियोजना प्रशासन नियम-पुस्तिका में सभी उपलब्ध टेम्पलेट्स व निर्देशों का उल्लेख किया गया है, जिन्हें या तो प्रासंगिक यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर्स (यूआरएल) के लिंक के माध्यम से या फिर परियोजना प्रशासन नियम-पुस्तिका में ही शामिल करके प्रस्तुत किया गया है।

### 4.1.3 हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम का संगठनात्मक ढांचा

हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम के लिए संगठनात्मक आरेख **चार्ट 4.2** में दर्शाया गया है।

**चार्ट 4.2: हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम का संगठनात्मक ढांचा**

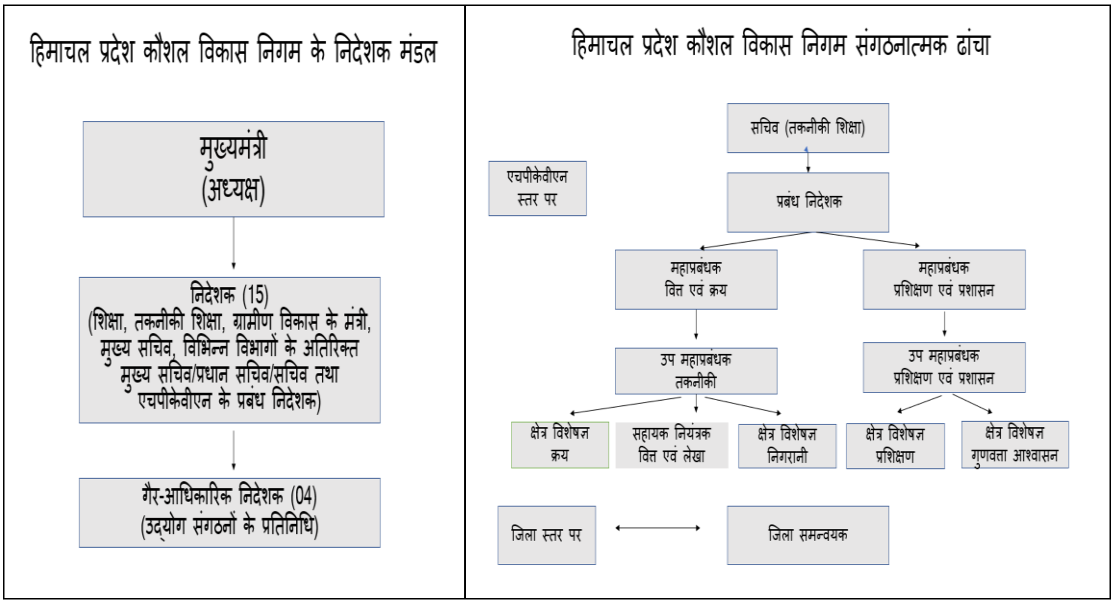


*टिप्पणी - जिला समन्वयक, हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम की योजनाओं की निगरानी व रिपोर्टिंग के लिए क्षेत्रीय पदाधिकारी के रूप में कार्य करता है।*

### 4.1.4 लेखापरीक्षा उद्देश्य

हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम की लेखापरीक्षा यह पता लगाने के लिए संचालित की गई, कि क्या:

- कौशल विकास हेतु आवश्यक नीतियां व योजनाएं तैयार की गई हैं एवं विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए उनका पालन किया जाता है।
- निधियों की उपलब्धता एवं उनका उपयोग मानदंडों के अनुसार किया गया।
- कौशल और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आवश्यक भौतिक अवसंरचना व मानव संसाधन उपलब्ध हैं तथा उनका उपयोग किया जाता है।

- कौशल विकास के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का कार्यान्वयन निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार किया गया।
- आंतरिक नियंत्रण व निगरानी प्रणालियां मानदंडों के अनुसार विद्यमान थीं।

### 4.1.5 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नलिखित स्रोतों से प्राप्त मानदंडों के आधार पर बनाए गए :

- हिमाचल प्रदेश कौशल विकास नीति (हिम कौशल), 2016
- परियोजना प्रशासन नियम-पुस्तिका -हिमाचल प्रदेश कौशल विकास परियोजना
- कौशल विकास कार्यक्रमों के दिशानिर्देश, जिनमें प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और आजीविका संवर्धन हेतु कौशल अधिग्रहण एवं ज्ञान जागरूकता (संकल्प) शामिल हैं
- हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली, 2009
- व्यावसायिक शिक्षा स्नातक कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशानिर्देश
- एशियाई विकास बैंक, केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा जारी अन्य नियम एवं दिशानिर्देश/विनियम/निर्देश

### 4.1.6 लेखापरीक्षा का कार्य-क्षेत्र एवं कार्यप्रणाली

लेखापरीक्षा में हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम की स्थापना के बाद से अर्थात वर्ष 2015-16 से वर्ष 2021-22 तक की अवधि को सम्मिलित किया गया, जिसका उद्देश्य हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम की कौशल विकास संबंधी गतिविधियों (जो वर्ष 2016 से आरंभ हुई) को समावेशित करना था तथा (i) हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम (ii) उच्च शिक्षा निदेशालय, शिमला तथा (iii) तकनीकी शिक्षा निदेशालय, व्यावसायिक और औद्योगिक प्रशिक्षण, सुंदरनगर के अभिलेखों की नमूना-जांच की गई। राज्य में 12 में से तीन जिले (कुल्लू, मंडी व ऊना) एवं 51 प्रशिक्षण सेवा प्रदाताओं को आवंटित 83 परियोजनाओं में से 44 परियोजनाओं[5] **(परिशिष्ट 4.2)** को आईडीईए[6] सॉफ्टवेयर व प्रतिस्थापन रहित स्तरीकृत यादृच्छिक नमूनाकरण (एसआरएसडब्ल्यूओआर) का उपयोग करके अभिलेखों की विस्तृत संवीक्षा हेतु चुना गया।

---

5 पूर्ण परियोजनाएं: 50 में से 24 (16 प्रशिक्षण सेवा प्रदाता द्वारा कार्यान्वित) व चल रही परियोजनाएं: 33 में से 20 (17 प्रशिक्षण सेवा प्रदाता द्वारा कार्यान्वित) परियोजनाएं।

6 इंटरैक्टिव डेटा निष्कर्षण व विश्लेषण।

इस प्रतिवेदन में समाविष्ट लेखापरीक्षा निष्कर्षों एवं अनुशंसाओं पर 10 अगस्त 2023 को प्रबंध निदेशक, हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम के साथ चर्चा की गई। प्रबंधन, हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम के उत्तरों को इस प्रतिवेदन में यथोचित रूप से समाविष्ट किया गया है।

चयनित जिलों (कुल्लू, मंडी व ऊना) के विवरण एवं नमूना-जांचित प्रशिक्षण सेवा प्रदाताओं के अभिलेख **मानचित्र 4.1** में दर्शाए गए हैं।

**मानचित्र 4.1: नमूना-जांचित तीन जिलों में पूर्ण एवं चल रही चयनित परियोजनाएं**

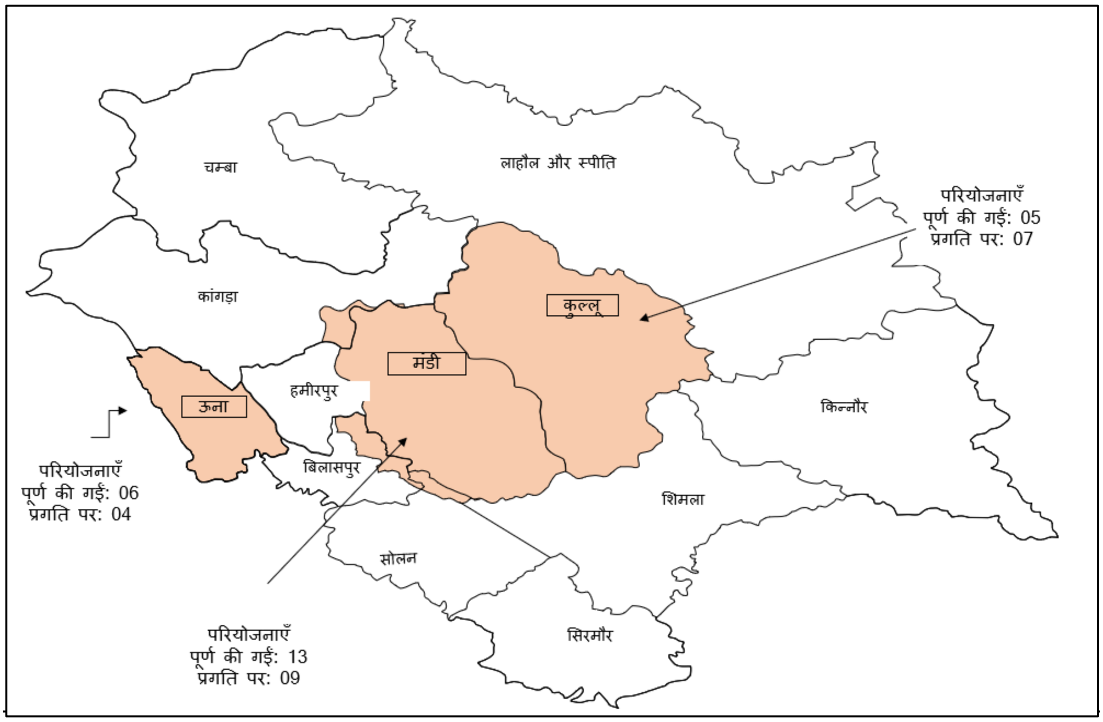


लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली में अभिलेखों की संवीक्षा, प्रश्नावली/लेखापरीक्षा ज्ञापन जारी करना, चयनित इकाइयों/प्रशिक्षण सेवा प्रदाताओं का डेटा/सूचना का विश्लेषण, विभिन्न पदाधिकारियों के उत्तरों की जांच एवं अभ्यर्थियों व प्रशिक्षण सेवा प्रदाताओं का सर्वेक्षण शामिल है। हिमाचल प्रदेश कौशल विकास परियोजना के तहत निर्मित चयनित अवसंरचना सुविधाओं का संयुक्त भौतिक निरीक्षण तथा हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम द्वारा आयोजित प्रशिक्षणों से संबंधित प्रबंधन सूचना प्रणाली डेटा का विश्लेषण किया गया।

## लेखापरीक्षा निष्कर्ष

## 4.2 नियोजन एवं कार्यान्वयन

### 4.2.1 नीतिगत ढांचे का अनुपालन न होना

हिमाचल प्रदेश कौशल विकास नीति (हिम-कौशल नीति-2016) को संस्थागत व्यवस्थाओं एवं संचालन रणनीतियों का विस्तार से उल्लेख करते हुए तैयार किया गया था, ताकि रोजगार के

अवसर (स्वरोजगार व निजी क्षेत्र में रोजगार) सृजित किए जा सकें तथा बेरोजगारी की समस्या से जुड़े मुद्दों का समाधान किया जा सके। हिम-कौशल नीति 2016 में हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम को विभिन्न विभागों द्वारा चलाए जा रहे तकनीकी, व्यावसायिक व शैक्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में समन्वय लाकर और सभी प्रशिक्षणों को भारत के राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचे एवं अन्य राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन व प्रमाणन मानकों में निर्दिष्ट दक्षता स्तरों के अनुरूप संरेखित करके हिमाचल प्रदेश कौशल विकास मिशन के अधिदेश को पूरा करने का प्रावधान किया गया है।

इस नीति में राज्य सरकार ने बारहवीं पंचवर्षीय योजना (वर्ष 2012-17) के दौरान 5.76 लाख एवं तेरहवीं पंचवर्षीय योजना (2017-22) के दौरान 6.38 लाख कुशल जनशक्ति की मांग प्राक्कलित की। नीति में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा कराए गए एक अध्ययन के आधार पर वर्ष 2022 तक 24 उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में कुशल मानव संसाधन की अतिरिक्त मांग को विशेष रूप से रेखांकित किया गया।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि:

- राज्य सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार राज्य में 15-59 वर्ष आयु वर्ग के व्यक्तियों की बेरोजगारी दर[7] यद्यपि 5.8 प्रतिशत (2018-19) से घटकर 3.8 प्रतिशत (2020-21) हो गई तथापि उक्त नीति के कार्यान्वयन के बावजूद यह बढ़कर 4.6 प्रतिशत (2021-22) हो गई है।
- हिम कौशल नीति में राज्य सरकार ने राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा नियुक्त केपीएमजी एडवाइजरी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा राज्य के जिला स्तरीय कौशल अंतर अध्ययन (अगस्त 2013) में चिह्नित किए गए 24 क्षेत्रों में से कौशल विकास के छः केंद्रित क्षेत्रों/विभागों का चयन किया। हालांकि केंद्रित क्षेत्रों में प्रशिक्षणों की संख्या पर्याप्त नहीं थी, जैसाकि **परिच्छेद 4.2.6** में चर्चा की गई है।
- आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग द्वारा किए गए आकांक्षा सर्वेक्षण (जिसमें 6,455 युवा शामिल थे) में रोजगार के लिए पसंदीदा क्षेत्र के लिए पारंपरिक क्षेत्र की अनुशंसा की गई। हालांकि वर्ष 2018-22 के दौरान स्थानीय कला व शिल्प में कौशल (हिमाचल प्रदेश कौशल विकास परियोजना एवं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत) और स्थानीय रूप से विकसित कला व शिल्प के प्रचार हेतु वित्त के प्रावधान के साथ बाजार, प्रदर्शन-बिक्री केंद्रों की स्थापना नहीं हुई, जो कि हिम कौशल नीति के परिच्छेद 4.12 (**परिशिष्ट 4.3**) में अधिदेशित है।

---

[7] श्रम बल में शामिल व्यक्तियों में बेरोज़गार व्यक्तियों का प्रतिशत बेरोज़गारी दर होता है।

- हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम ने बद्दी, बरोटीवाला, नालागढ़, परवाणू, सोलन, काला अंब, पांवटा साहिब, ऊना व मंडी के औद्योगिक क्लस्टरों (समूह) में 311 इकाइयों को सम्मिलित करते हुए औद्योगिक सर्वेक्षण (दिसंबर 2020) किया गया। रोजगार के मामले में चिहि्नत शीर्ष 10 क्षेत्र फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रिकल व इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, प्लास्टिक, केमिकल, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, धातु उत्पाद, खाद्य प्रसंस्करण एवं इंजीनियरिंग थे। सितंबर 2022 तक हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम ने फार्मास्यूटिकल्स, रसायन, रसायन-आधारित उत्पादों एवं खाद्य प्रसंस्करण के अतिरिक्त शेष उपरोक्त क्षेत्रों में प्रशिक्षण आयोजित किया **(परिशिष्ट 4.4)**।

हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम ने बताया (अगस्त 2023) कि हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम का कुल लक्ष्य लगभग 65,000 है और 6.38 लाख का यह आंकड़ा राज्य भर के विभिन्न विभागों सहित सभी कार्यक्रमों के तहत प्रशिक्षित की जाने वाली जनशक्ति का अनुमानित लक्ष्य है। हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम का उद्देश्य केवल एशियाई विकास बैंक द्वारा वित्तपोषित परियोजना तक ही सीमित है एवं 65,000 प्रमाणन प्राप्त अभ्यर्थियों के लक्ष्य प्राप्ति को पार कर लिया गया है। हालांकि तथ्य यह है कि हिम कौशल नीति के अनुसार हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम को नीति के कार्यान्वयन हेतु नोडल एजेंसी (व्यापक निकाय) बनाया गया है तथा प्रत्येक क्षेत्र में कुशल जनशक्ति के निर्माण की विशिष्ट प्रगति की देखरेख हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम द्वारा की जानी थी।

### 4.2.2 संस्थागत तंत्र

राज्य सरकार ने कार्यक्रम के कार्यान्वयन की देखरेख एवं हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम को मार्गदर्शन देने के लिए अप्रैल 2016 में दो उच्च स्तरीय समितियों का गठन किया (**परिशिष्ट 4.5**)।

**(i) परियोजना संचालन समिति**: मुख्य सचिव, सात लाइन विभागों[8] के सचिव, हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम के योजना सलाहकार और प्रबंध निदेशक की सदस्यता वाली परियोजना संचालन समिति हिमाचल प्रदेश कौशल विकास परियोजना को समग्र दिशानिर्देश एवं मार्गदर्शन प्रदान करना था तथा प्रत्येक तिमाही या आवश्यकतानुसार बैठक करनी थी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि परियोजना संचालन समिति के गठन के बाद से इसकी कोई बैठक आयोजित नहीं की गई थी।

**(ii) परियोजना प्रबंधन एवं कार्यान्वयन समिति**: इसमें हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम के प्रबंध निदेशक, महाप्रबंधक एवं संबंधित विभागों के निदेशक शामिल हैं। इसे प्रत्येक तिमाही में

---

8 आर्थिक एवं सांख्यिकी, उच्च शिक्षा, उद्योग, श्रम एवं रोजगार, लोक निर्माण, ग्रामीण विकास और शहरी विकास।

बैठक करने अथवा परियोजनाओं की योजना एवं कार्यान्वयन के कार्यों को पूरा करने के लिए आवश्यकतानुसार बैठक करने का अधिदेश दिया गया है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2017-22 के दौरान अपेक्षित 20 बैठकों के प्रति मात्र पांच बैठकों का ही आयोजन हुआ। इन बैठकों में लिए गए निर्णयों में अन्य बातों के साथ-साथ सभी हितधारकों द्वारा प्रशिक्षण के लक्ष्यों की प्राप्ति, उद्योग विभाग के माध्यम से प्रशिक्षुओं को जोड़ने व रोजगार सहायता देने, बुनियादी ढांचे व खरीद कार्यों को शीघ्र पूरा करना, पूर्ण होने वाले भवनों के परिचालन, इत्यादि पर यथोचित बल देना शामिल था।

हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम ने बताया (अगस्त 2023) कि परियोजना संचालन समिति की कोई बैठक नहीं बुलाई गई तथा शीघ्र ही इसकी योजना बनाई जाएगी। भविष्य में परियोजना प्रबंधन एवं कार्यान्वयन समिति की नियमित बैठकें आयोजित करने का आश्वासन दिया गया।

#### 4.2.2.1 हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम की वार्षिक कार्य-योजना/ पंचवर्षीय योजना न बनाना

राज्य सरकार की कार्यालय नियम-पुस्तिका में सभी विभागीय कार्यक्रमों/योजनाओं के लिए प्रत्येक वर्ष जनवरी या फरवरी में आगामी वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त की जाने वाली प्रत्येक गतिविधि की माह-वार और तिमाही-वार लक्ष्य विभाजन विवरण के साथ अग्रिम रूप से वार्षिक कार्य-योजना तैयार करना अपेक्षित है। कार्यालय नियम-पुस्तिका में विभाग के कार्यक्रमों व गतिविधियों की पांच वर्षीय योजना तैयार करने का भी प्रावधान है।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से उजागर हुआ कि वर्ष 2015-22 के दौरान हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम ने न तो विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के लक्ष्यों एवं कार्यान्वयन रणनीति के माह-वार व तिमाही-वार विवरण के साथ वार्षिक कार्य योजना/पांच वर्षीय योजनाएं तैयार की थीं एवं न ही तकनीकी शिक्षा विभाग ने इसकी तैयारी पर बल दिया। हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम द्वारा योजना बनाना विभिन्न कौशल विकास गतिविधियों के कार्यान्वयन हेतु महत्वपूर्ण है। राज्य सरकार के कौशल विकास गतिविधियों को सुदृढ़ करने के प्रयासों में कमी रही, जो अपर्याप्त योजना निर्माण के कारण थी, जिसे अनुवर्ती परिच्छेदों में प्रस्तुत किया गया है।

हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम ने वार्षिक कार्य-योजना तैयार न करना स्वीकार किया (अगस्त 2023)। इसके अतिरिक्त बताया गया कि भविष्य में इस संबंध में उचित कार्रवाई की जाएगी।

### 4.2.3 सूचना, शिक्षा व संचार गतिविधियों पर अनियमित व्यय

सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने अक्टूबर 2018 में जारी एक अधिसूचना में पुनः स्पष्ट किया था कि वह सभी विभागों/बोर्डों/निगमों के लिए ऑनलाइन विज्ञापन प्रबंधन सॉफ्टवेयर के माध्यम

से मीडिया में विज्ञापन जारी करने के लिए नोडल एजेंसी है। सूचना एवं जन संपर्क ऑनलाइन विज्ञापन प्रबंधन सॉफ्टवेयर एक पूर्णतः स्वचालित वेब पोर्टल है जो हिमाचल प्रदेश के सभी विभागों/बोर्डों एवं निगमों के कार्यालयों को समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु अपने विज्ञापन प्रस्ताव अपलोड करने में सक्षम बनाता है। इस ऑनलाइन विज्ञापन प्रबंधन सॉफ्टवेयर के माध्यम से, विभागीय प्रस्ताव (निविदाओं/सूचनाओं, प्रदर्शन विज्ञापनों आदि के प्रकाशन हेतु अनुरोध) सूचना एवं जन संपर्क विभाग द्वारा प्रकाशन हेतु समाचार पत्रों को ऑनलाइन जारी किए जाते हैं।

अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम ने:

- अगस्त 2018 से मार्च 2022 तक की अवधि के दौरान ऑनलाइन विज्ञापन प्रबंधन सॉफ्टवेयर पर प्रस्ताव अपलोड किए बिना और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के माध्यम से राज्य सरकार के अनुमोदन के बिना समाचारपत्रों, संस्थागत पत्रिकाओं, आदि में हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम के कार्यक्रमों के विज्ञापन व प्रचार पर ₹ 69.38 लाख राशि व्यय की गई।
- उपरोक्त राशि में से ₹ 24.97 लाख विभिन्न संगठनों के कार्यक्रमों के व्यापक प्रसार की स्थिति की पुष्टि किए बिना, पत्रिकाओं, स्मारिकाओं, पत्रिकाओं आदि में उनके प्रचार पर खर्च किए गए।

हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम ने बताया (अगस्त 2023) कि भविष्य में विज्ञापनों के सभी प्रस्ताव सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के माध्यम से बनाए जाएंगे।

### 4.2.4 हितधारक संचार रणनीति

परियोजना प्रशासन नियम-पुस्तिका के परिच्छेद 85 से 87 में हितधारक संचार रणनीति के तहत संभावित प्रशिक्षुओं व उनके माता-पिता, कॉलेजों, पॉलिटेक्निक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) के वरिष्ठ संकाय, तथा निष्पादक एजेंसी और कार्यान्वयन एजेंसियों के अधिकारियों के साथ संवेदीकरण कार्यशालाएं आयोजित करने का प्रावधान हैं। इसी तरह की कार्यशालाएं प्रशिक्षण सेवा प्रदाताओं, मूल्यांकन एजेंसियों[9], उद्योग संघों व वाणिज्य मंडल (इंडस्ट्रीज एसोसिएशन एंड चैंबर ऑफ कॉमर्स), प्लेसमेंट एजेंसियों एवं क्षेत्रीय कौशल परिषदों[10] (सेक्टर स्किल काउंसिल्स) के लिए भी हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम के अधिकारियों के साथ साझेदारी में आयोजित की जानी अपेक्षित थीं। हितधारक संचार रणनीति का उद्देश्य सभी

---

[9] आंकलन एजेंसियां विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों के कौशल का आंकलन करने के लिए जिम्मेदार हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे उद्योग क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।

[10] क्षेत्रीय कौशल परिषदें उद्योग-नेतृत्व वाली संस्थाएं हैं जो विशिष्ट क्षेत्रों या उद्योगों में कौशल विकास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जिम्मेदार हैं।

हितधारकों को हिमाचल प्रदेश कौशल विकास परियोजना के अभीष्ट लाभों के विषय में जानकारी प्रदान करना है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2018-22 के दौरान प्रशिक्षुओं, अभिभावकों, शिक्षकों, आदि के लिए संवेदीकरण कार्यशालाओं का कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया। लक्ष्यों के अभाव में लेखापरीक्षा में आयोजित संवेदीकरण कार्यशालाओं की पर्याप्तता का पता नहीं लगाया जा सका। संवेदीकरण कार्यशालाओं में भाग लेने वाले प्रशिक्षुओं की विभिन्न श्रेणियों का विवरण **तालिका 4.1** में दिया गया है।

**तालिका 4.1: 2018-22 के दौरान आयोजित संवेदीकरण कार्यशालाओं का विवरण**

| वर्ष | संभावित प्रशिक्षु | | अभिभावक | | महाविद्यालयों, पॉलिटेक्निक और आईटीआई संकाय | | निष्पादन एजेंसी और कार्यान्वयन एजेंसियों के अधिकारी | | प्रशिक्षण सेवा प्रदाता | | आंकलन एजेंसियां | | क्षेत्र कौशल परिषदें | | इंडस्ट्रीज एसोसिएशन एंड चैंबर ऑफ कॉमर्स व चैंबर ऑफ कॉमर्स | | प्लेसमेंट एजेंसियां | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | डब्ल्यू | टी | डब्ल्यू | टी | डब्ल्यू | टी | डब्ल्यू | टी | डब्ल्यू | टी | डब्ल्यू | टी | डब्ल्यू | टी | डब्ल्यू | टी | डब्ल्यू | टी |
| 2018-19 | 3 | 91 | 1 | 2 | 3 | 25 | 5 | 80 | 5 | 40 | 2 | 5 | 1 | 16 | 5 | 81 | 2 | 6 |
| 2019-20 | 65 | 4077 | 4 | 61 | 1 | 54 | 10 | 27 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 75 | 2 | 10 |
| 2020-21 | 14 | 582 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 |
| 2021-22 | 129 | 6379 | 7 | 324 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 60 | 2 | 4 |
| **योग** | **211** | **11129** | **13** | **389** | **4** | **79** | **18** | **120** | **8** | **79** | **3** | **7** | **1** | **16** | **9** | **228** | **6** | **20** |

*टिप्पणी: डब्ल्यू= आयोजित कार्यशाला; टी= उपस्थित प्रशिक्षु।*

**तालिका 4.1** से स्पष्ट है, वर्ष 2020-22 के दौरान विभिन्न संबंधित संस्थान के संकायों, वर्ष 2019-21 के दौरान आंकलन एजेंसियों, वर्ष 2019-22 के दौरान क्षेत्र कौशल परिषदों और वर्ष 2020-21 के दौरान प्लेसमेंट एजेंसियों के लिए संवेदीकरण कार्यशालाएं आयोजित नहीं की गईं।

हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम ने भविष्य में हितधारकों की प्रत्येक श्रेणी हेतु पर्याप्त संख्या में संवेदीकरण कार्यशालाएं आयोजित करने का आश्वासन दिया (अगस्त 2023)।

### 4.2.5 अभ्यर्थी जुटाना, उनकी स्क्रीनिंग एवं परामर्श (काउंसलिंग)

हिम कौशल नीति, 2016 के परिच्छेद 4.10 में प्रावधान है कि प्रशिक्षण भागीदार (ट्रेनिंग पार्टनर) कौशल विकास के लिए इच्छुक व पात्र युवाओं को जुटाने हेतु जिम्मेदार हैं। जुटाए गए प्रशिक्षुओं को व्यापार की मौलिक आवश्यकता एवं उनकी योग्यता का आंकलन करने के लिए एक आंकलन प्रक्रिया या बुनियादी स्क्रीनिंग परीक्षणों से गुजरना होगा। अभ्यर्थी व उसके माता-पिता दोनों को योग्यता एवं आकांक्षा के अनुरूप सूचित विकल्प चुनने के लिए परामर्श प्रदान किया जाता है तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम आरंभ होने से पूर्व प्रत्येक प्रशिक्षु के माता-पिता/अभिभावकों से अभिभावक सहमति-पत्र प्राप्त किया जाता है।

चयनित प्रशिक्षण सेवा प्रदाताओं के अभिलेखों की संवीक्षा से उजागर हुआ कि अभ्यर्थियों को उनकी आवश्यकता, योग्यता का आंकलन करने व उनकी आकांक्षाओं को उनकी शैक्षणिक योग्यता से मिलान करने के लिए पूर्व- आंकलन/परीक्षण नहीं किए गए। साथ ही प्रशिक्षण सेवा प्रदाताओं ने अभिभावकों से सहमति-पत्र भी नहीं लिया। इससे अभ्यर्थियों की आवश्यकता एवं उनके इच्छित व्यापार हेतु आवश्यक अभिरुचि (एप्टीट्यूड) का आंकलन नहीं हो सका। यह प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण पूर्ण होने के पश्चात प्लेसमेंट में कमी के कारणों में से एक था, जैसाकि **परिच्छेद 4.5.1.1** व **4.5.2.1** में चर्चा की गई है।

हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम ने बताया (अगस्त 2023) कि प्रशिक्षण सेवा प्रदाताओं ने अभ्यर्थियों को जुटाया, उनकी स्क्रीनिंग एवं काउंसलिंग की परन्तु इसके अभिलेख अनुरक्षित नहीं किए गए। उसने आश्वासन दिया कि सभी प्रशिक्षण सेवा प्रदाताओं को भविष्य में ऐसे अभिलेख अनुरक्षित करने के निर्देश जारी किए जाएंगे।

### 4.2.6 हिम कौशल नीति के केंद्रीय क्षेत्र

हिम कौशल नीति, 2016 के परिच्छेद 4.8 के अनुसार हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम को स्थानीय कार्यबल की शक्तियों का उपयोग करने के लिए प्राथमिकता के आधार पर निम्नलिखित छः केंद्रीत क्षेत्रों में जनशक्ति की आवश्यकता व मांग का समाधान करने का कार्य सौंपा गया है: (i) कृषि (ii) बागवानी (iii) पर्यटन एवं आतिथ्य (iv) निर्माण (v) आईटी सक्षम सेवाएं (vi) बैंकिंग व वित्तीय सेवाएं।

हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम ने 33 क्षेत्र चिह्नित किए तथा वह 30 क्षेत्रों में प्रशिक्षण दे रहा है **(परिशिष्ट 4.4)**। वर्ष 2016-22 (अक्टूबर 2022 तक) के दौरान 24 अन्य क्षेत्रों की तुलना में छः केंद्रित क्षेत्रों में प्रशिक्षित, प्रमाणित व भर्ती किए गए युवाओं की संख्या **तालिका 4.2** में दी गई है।

**तालिका 4.2: 24 अन्य क्षेत्रों के सापेक्ष छः केंद्रित क्षेत्रों में प्रशिक्षण**

| क्र. सं. | केंद्रित क्षेत्र | 30 क्षेत्रों में कुल प्रशिक्षित | प्रशिक्षित संख्या (प्रतिशत) | 30 क्षेत्रों में कुल प्रमाणित | प्रमाणित संख्या (प्रतिशत) | 30 क्षेत्रों में प्लेसमेंट की कुल संख्या | भर्ती की कुल संख्या (प्रतिशत) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | कृषि | | 815 (01) | | 414 (01) | | 01 (0.02) |
| 2. | बागवानी | | 648 (01) | | 612 (02) | | 03 (0.05) |
| 3. | पर्यटन व आतिथ्य | | 7,650 (14) | | 5,137 (14) | | 492 (09) |
| 4. | निर्माण | | 1,766 (03) | | 1,030 (03) | | 253 (05) |
| 5. | आईटी/आईटीईएस | | 11,508 (21) | | 5,548 (15) | | 759 (14) |
| 6. | बैंकिंग और वित्तीय | 55,754 | 295 (01) | 36,033 | 90 ((0.24) | 5,527 | 0 |
| **कुल** | | | **22,682 (41)** | | **12,831 (36)** | | **1,508 (27)** |
| **अन्य 24 क्षेत्र** | | | 33,072 (59) | | 23,202 (64) | | 4,019 (73) |

*टिप्पणी: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े संबंधित श्रेणी में कुल अभ्यर्थियों के प्रति प्रशिक्षित/प्रमाणित/नियुक्त अभ्यर्थियों का प्रतिशत दर्शाते हैं।*

*स्रोत: हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम/प्रबंधन सूचना प्रणाली डेटा द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े।*

लेखापरीक्षा में पाया गया कि:

- छः क्षेत्रों को केंद्रित क्षेत्रों के रूप में प्राथमिकता दी गई। इन क्षेत्रों में प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की संख्या सभी क्षेत्रों में प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की कुल संख्या का 41 प्रतिशत थी।
- कृषि व बागवानी ऐसे दो केंद्रित क्षेत्र थे जहां प्रशिक्षण कुल प्रशिक्षित अभ्यर्थियों का केवल तीन प्रतिशत था।
- केंद्रित क्षेत्रों में प्रमाणित अभ्यर्थी कुल प्रमाणित अभ्यर्थियों के 36 प्रतिशत है।
- निर्माण (तीन प्रतिशत) एवं बैंकिंग व वित्तीय क्षेत्र (0.53 प्रतिशत) में भी प्रशिक्षण कम रहा।
- 75 प्रतिशत प्रशिक्षण **(परिशिष्ट 4.4)** आठ क्षेत्रों[11] में प्रदान किए गए जबकि शेष 22 क्षेत्रों में प्रशिक्षण 25 प्रतिशत था। इसके अतिरिक्त 22 में से 10 क्षेत्रों में प्रशिक्षण की संख्या कुल प्रशिक्षण के एक प्रतिशत से भी कम थी।

हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम ने (अगस्त 2023) बताया कि भविष्य में उपरोक्त केंद्रित क्षेत्रों के अंतर्गत अधिक प्रशिक्षण आयोजित करने के प्रयास किए जाएंगे।

### 4.2.7 कौशल कार्यक्रमों का अभिसरण एवं प्रशिक्षणों को राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाना

भारत की राष्ट्रीय कौशल विकास और उद्यमिता नीति (2015) राज्यों को सरकारी विभागों, कॉर्पोरेट क्षेत्र, समुदाय आधारित संगठनों, कौशल व उद्यमिता के क्षेत्र में कार्य करने वाले समर्पित व्यक्तियों, उद्योग व व्यापार संगठनों में छत्र (अम्ब्रेला) कौशल विकास मिशन विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करती है। हिम कौशल नीति, 2016 के परिच्छेद 4.5 में हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम को विभिन्न विभागों द्वारा चलाए जा रहे कौशल कार्यक्रमों में अभिसरण स्थापित करने का निर्देश दिया गया, ताकि दोहराव को कम किया जा सके तथा सभी प्रशिक्षणों को राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाया जा सके। इसके अतिरिक्त समीक्षा बैठक (फरवरी 2022) में विभिन्न हितधारकों के मध्य अभिसरण स्थापित करने के लिए मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के विभिन्न विभागों द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं का विवरण मांगा।

[11] आईटी/आईटीईएस: 21 प्रतिशत; पर्यटन और आतिथ्य: 14 प्रतिशत; स्वास्थ्य सेवा (10 प्रतिशत); परिधान व मेड अप: (10 प्रतिशत); इलेक्ट्रॉनिक्स (छः प्रतिशत) सौंदर्य व कल्याण (पांच प्रतिशत); ऑटो (पांच प्रतिशत) और बीमा (चार प्रतिशत)।

अभिलेखों की संवीक्षा से उजागर हुआ कि यद्यपि राज्य के विभिन्न विभागों द्वारा अनेक[12] कौशल विकास कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, परन्तु ऐसे अभिसरण हेतु कोई योजना/विवरण तैयार नहीं किया गया तथा वर्ष 2016-22 के दौरान हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम द्वारा कौशल विकास कार्यक्रमों को अभिसरण कर एक छत्र के नीचे लाने का कोई ठोस प्रयास नहीं किया गया।

हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम ने बताया (अगस्त 2023) कि विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रमों के तहत अभिसरण एक नीतिगत मामला है तथा 15 विभागों से उनके द्वारा कार्यान्वित प्रशिक्षण कार्यक्रमों से सम्बंधित आवश्यक डेटा/विवरण साझा करने का अनुरोध किया गया है। हालांकि तथ्य यह है कि अगस्त 2023 तक हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम की स्थापना के सात वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बावजूद राज्य में कौशल कार्यक्रमों का अभिसरण एवं राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप प्रशिक्षण नहीं किया जा सका।

## 4.3 निधि प्रबंधन

### 4.3.1 निधियों की प्राप्ति एवं उपयोग

वर्ष 2015-22 के दौरान हिमाचल प्रदेश कौशल विकास परियोजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना व संकल्प परियोजनाओं के अंतर्गत निधियों की उपलब्धता एवं उनके प्रति हुए व्यय का विवरण **तालिका 4.3** में दिया गया है।

[12] उच्च एवं प्रारंभिक शिक्षा विभागों द्वारा स्कूल/कॉलेजों में कौशल विकास कार्यक्रम, आईटीआई/पॉलिटेक्निक में दो/तीन वर्ष के पाठ्यक्रम, कृषि, बागवानी, श्रम और रोजगार, शहरी विकास, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा, पर्यटन और उद्योग विभाग, हिमाचल प्रदेश हस्तशिल्प व हथकरघा निगम लिमिटेड, हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति विकास निगम, जिला ग्रामीण विकास एजेंसियां, ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान आदि जैसे विभिन्न अन्य विभागों द्वारा कौशल विकास कार्यक्रम।

**तालिका 4.3: 2015-2022 के दौरान निधियों की उपलब्धता एवं हुए व्यय का विवरण**

**(₹ करोड़ में)**

| वर्ष | अथ शेष | प्राप्त राशि | | | | उपलब्ध कुल निधि | उपयोग | | | | कुल उपयोग (प्रतिशत) | अंत शेष |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | केंद्र | | राज्य (हिमाचल प्रदेश कौशल विकास परियोजना) | विविध प्राप्तियां / ब्याज | | प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना-2 | संकल्प | हिमाचल प्रदेश कौशल विकास परियोजना | विविध व्यय | | |
| | | प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना-2 | संकल्प | | | | | | | | | |
| 2015-16 | 0.00 | -- | -- | 1.00 | -- | 1.00 | 0 | -- | 0.33 | -- | 0.33 (33) | 0.67 |
| 2016-17 | 0.67 | -- | -- | 2.64 | -- | 3.31 | 0 | -- | 2.97 | -- | 2.97 (90) | 0.34 |
| 2017-18 | 0.34 | 21.56 | -- | 7.44 | 0.41 | 29.75 | 0 | -- | 2.84 | 0.03 | 2.87 (10) | 26.88 |
| 2018-19 | 26.88 | -- | -- | 71.35 | 0 | 98.23 | 3.57 | -- | 6.65 | 0.25 | 10.47 (11) | 87.77 |
| 2019-20 | 87.77 | -- | -- | 89.25 | 7.38 | 184.40 | 8.04 | -- | 54.41 | 0.06 | 62.51 (34) | 121.89 |
| 2020-21 | 121.89 | -- | 1.58 | 15.00 | 2.66 | 141.13 | 3.01 | -- | 54.15 | 0.04 | 57.20 (41) | 83.93 |
| 2021-22 | 83.93 | -- | -- | 58.79 | 1.48 | 144.20 | 3.73 | -- | 96.02 | 0.02 | 99.77 (69) | 44.43 |
| | **योग** | **21.56** | **1.58** | **245.47** | **11.93** | | **18.35** | | **217.37** | **0.40** | **236.12** | |

*स्रोत: वार्षिक लेखे। वर्ष 2020-21 व 2021-22 के आंकड़ों की लेखापरीक्षा नहीं हुई।*

**चार्ट 4.3: मार्च 2022 तक घटकवार व्यय (₹ करोड़ में)**

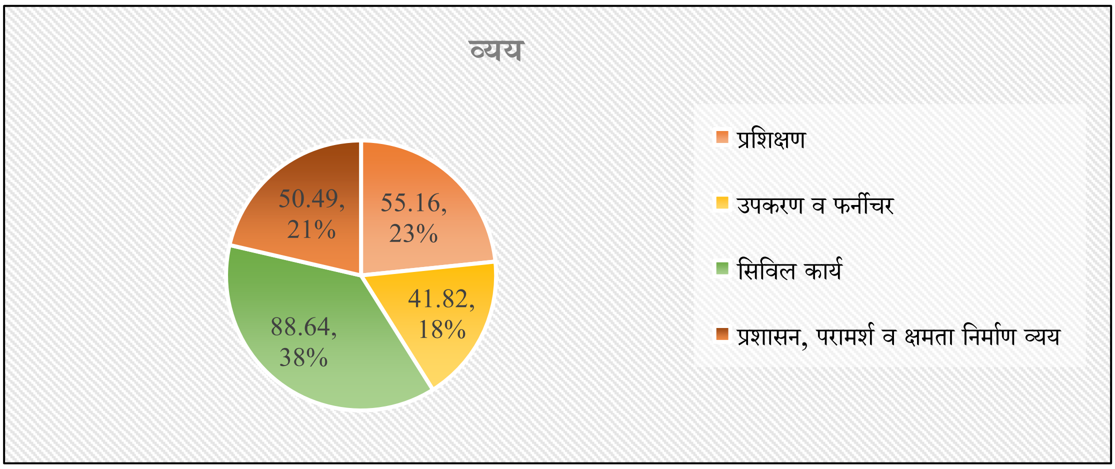


**चार्ट 4.3** से स्पष्ट है कि सिविल कार्यों पर उल्लेखनीय राशि खर्च की गई। लेखापरीक्षा संवीक्षा में कार्यों को पूर्ण करने में कई कमियां उजागर हुई (**परिच्छेद 4.4.1**)। साथ ही परामर्शदाताओं द्वारा अधिकांश प्रदेय प्राप्त नहीं किए गए थे, जैसाकि **परिच्छेद 4.7.6** में विवर्णित है।

**तालिका 4.3** से देखा जा सकता है कि वर्ष 2015-22 के दौरान निधियों का उपयोग 10 से 90 प्रतिशत के मध्य रहा। वर्ष 2017-18 से 2020-21 के दौरान प्रशिक्षण सेवा प्रदाताओं का पैनल बनाने (सूचीबद्ध) में विलम्ब, समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आरंभ न करने, सिविल कार्यों की धीमी प्रगति, आदि के कारण निधियों का उपयोग कम रहा (**परिच्छेद 4.4.1**)। वर्ष 2017-18 के बाद भारत सरकार ने निजी प्रशिक्षण सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रशिक्षण केंद्र चिह्नित करने, प्रयोगशालाओं को उपकरण-युक्त करने, अभ्यर्थी चिह्नित करने/जुटाने, इत्यादि में विलम्ब से जारी राशि का कम उपयोग होने के कारण प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत अनुदान जारी नहीं किया (यद्यपि वर्ष 2020-21 में भारत सरकार प्रायोजित योजना संकल्प के तहत ₹1.58 करोड़ जारी किए गए), जो परिचायक है कि परियोजनाओं का आवश्यकतानुसार कार्यान्वयन नहीं किया गया।

हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम ने (अगस्त 2023) वर्ष 2020-21 व 2021-22 के दौरान निधियों के कम उपयोग का कारण कोविड-19 सम्बन्धी प्रतिबंध, जो प्रशिक्षण कार्यक्रमों के स्थगन, निर्माण-कार्यों की धीमी गति, खरीद में विलम्ब, आदि में परिणत हुआ, को बताया। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कोविड से पहले की अवधि के दौरान भी व्यय कम था।

### 4.3.2 प्रशिक्षण सेवा प्रदाताओं से निष्पादन गारंटी/प्रतिभूति प्राप्त न करना

परियोजना प्रशासन नियम-पुस्तिका के खंड 35 में कहा गया है कि सभी व्यय हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली, 2009 के अनुसार किए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली, 2009 के नियम 107 में सफल ठेकेदार से अनुबंध के मूल्य के पांच से 10 प्रतिशत की राशि के लिए अनुबंध प्रदान किए जाने पर निष्पादन गारंटी प्राप्त करने का प्रावधान है, जिसका उद्देश्य यह है कि अपर्याप्त या विलंबित निष्पादन या प्रशिक्षण सेवा प्रदाता द्वारा दिशानिर्देशों और प्रोटोकॉल के उल्लंघन की स्थिति में सरकार को आश्वासन प्रदान किया जा सके।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से उजागर हुआ कि लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम ने न तो प्रशिक्षण सेवा प्रदाताओं के साथ हुए समझौते/समझौता-ज्ञापन में निष्पादन गारंटी/प्रतिभूति खंड प्रविष्ट किया एवं न ही प्रशिक्षण सेवा प्रदाताओं से कोई निष्पादन गारंटी प्राप्त की। जून 2018 व सितंबर 2021 के मध्य हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम ने हिमाचल प्रदेश कौशल विकास परियोजना और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना-2 के तहत सात प्रशिक्षण सेवा प्रदाताओं को ₹ 33.20 करोड़ की परियोजना लागत की आठ परियोजनाएं आवंटित कीं एवं प्रशिक्षण सेवा प्रदाताओं को ₹ 9.14 करोड़ जारी किए। हालांकि नियम के अधीन अपेक्षित सकल ₹ 1.66 करोड़ (पांच प्रतिशत की दर से परिकलित) की निष्पादन गारंटी प्राप्त नहीं की गई (**परिशिष्ट 4.6**)।

उपरोक्त के अतिरिक्त सितंबर 2016 व फरवरी 2019 के मध्य पायलट प्रोजेक्ट एवं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत नौ परियोजनाएं सात प्रशिक्षण सेवा प्रदाताओं को सामान्य लागत मानदंडों (प्रति घंटा/दिन/उम्मीदवार के आधार पर) के आधार पर आवंटित की गईं तथा निष्पादन गारंटी लिए बिना प्रशिक्षण सेवा प्रदाताओं को कुल ₹ 2.33 करोड़ जारी किए गए।

हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम ने बताया (अगस्त 2023) कि हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम एशियाई विकास बैंक द्वारा जारी मानक बोली दिशा-निर्देशों का पालन करता है जिसमें निष्पादन गारंटी का कोई प्रावधान समाविष्ट नहीं है। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि हिमाचल प्रदेश कौशल विकास परियोजना की परियोजना प्रशासन नियम-पुस्तिका में निहित प्रावधान में कहा गया है कि वस्तुओं व सेवाओं की खरीद हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमों में निहित विनियमों के अनुसार की जानी चाहिए, जो अन्य बातों के साथ-साथ निष्पादन गारंटी लेने का भी प्रावधान करता है।

### 4.3.3 प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत लक्ष्य की प्राप्ति न होना

भारत सरकार ने राज्य में हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम द्वारा संचालित करने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना-2 अनुमोदित की, जिसकी कार्यान्वयन अवधि वर्ष 2016-20 तक थी। प्रति प्रशिक्षु ₹ 14,805/- औसत लागत के साथ कुल निधि का चार प्रतिशत प्रशासनिक लागत के रूप में 49,499 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया था। इसके अतिरिक्त राज्य को कार्यक्रम के तहत आगामी किस्तें प्राप्त करने के लिए वर्ष 2017-18 हेतु स्वीकृत कुल निधियों का 80 प्रतिशत खर्च करने तथा वर्ष 2017-18 हेतु भौतिक लक्ष्यों की 50 प्रतिशत का उपयोगिता-प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना था।

भारत सरकार ने ₹ 63.51 करोड़ की परियोजना लागत के साथ भौतिक लक्ष्य को संशोधित कर 40,012 कर दिया (जून 2019)। जुलाई 2022 तक वर्ष 2016-20 की अवधि के दौरान प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना-2 के तहत नामांकित अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण भौतिक व वित्तीय रूप से (कोविड महामारी के कारण बढ़ा दिया गया) पूर्ण किया जाना था।

वर्ष 2017-22 के दौरान प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना-2 के अंतर्गत राज्य का प्रदर्शन **तालिका 4.4** में दिया गया है।

**तालिका 4.4: 2017-22 के दौरान प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना-2 के तहत प्रदर्शन**

**(प्रशिक्षु संख्या में व ₹ करोड़ में)**

| क्र. सं. | मानदंड | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | परियोजना की बढ़ी हुई अवधि (कोविड के करण) | कुल | संशोधित लक्ष्य (जून 2019) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **लक्ष्य** | | | | | | | |
| 1. | प्रशिक्षित किए जाने वाले कुल प्रशिक्षुओं की संख्या | 14,000 | 16,500 | 18,999 | -- | 49,499 | 40,012 |

| क्र. सं. | मानदंड | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | परियोजना की बढ़ी हुई अवधि (कोविड के करण) | कुल | संशोधित लक्ष्य (जून 2019) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | ₹ 14,805 प्रति प्रशिक्षु औसत दर से अपेक्षित प्रशिक्षण निधियां | 20.72 | 24.43 | 28.13 | -- | 73.28 | 59.14 (औसत लागत ₹14,781 प्रति प्रशिक्षु) |
| 3. | कुल निधि का चार प्रतिशत प्रशासनिक व्यय | 0.83 | 0.98 | 1.12 | -- | 2.93 | 2.54 |
| 4. | प्रशासनिक लागत के अतिरिक्त, प्रशिक्षु जुटाने व जागरूकता के लिए प्रशिक्षण निधि का तीन प्रतिशत | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | -- | -- | 1.83 |
| 5. | आवंटित कुल निधियां (2+3+4) | 21.55 | 25.41 | 29.25 | -- | 76.21 | 63.51 |
| **2017-22 के दौरान प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धियां** | | | | | | | |
| 6. | प्रशिक्षित प्रशिक्षु | 240 (02) | 5494 (33) | 8993 (47) | 28 | 14755 | 14755 (37) |
| 7. | प्रमाणित प्रशिक्षु | -- (0) | 3416 (62) | 5995 (67) | 2765 | 12176 | 12176 (83) |
| 8. | प्लेस्ड प्रशिक्षु | -- (0) | 948 (28) | 1601 (27) | 359 | 2908 | 2908 (24) |
| 9. | प्राप्त राशि | 21.56 | -- | -- | -- | -- | 21.56 (34) |
| 10. | किया गया कुल व्यय | -- (0) | 3.57 (14) | 8.13 (28) | 6.67 | 18.37 | 18.37 (29) |

*स्रोत: हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े।*

उपरोक्त विवरण से लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- वर्ष 2017-22 की अवधि हेतु आवंटित कुल निधियों के प्रति केवल 29 प्रतिशत व्यय हुआ।
- वर्ष 2017-18 हेतु आवंटित निधियों का उपयोग न होने के कारण भारत सरकार ने ₹ 41.95 करोड़ की अगली किस्तें जारी नहीं कीं तथा वर्ष 2017-18 हेतु जारी पहली क़िस्त से संपूर्ण परियोजना (प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना-2 व प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना-3) का व्यय पूर्ण किया गया।
- प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं की कुल संख्या (14,755) अक्टूबर 2022 तक लक्ष्य का केवल 37 प्रतिशत रही। अतः राज्य को लक्षित संख्या में प्रशिक्षण आयोजित न करने के कारण शेष ₹ 41.95 करोड़ की निधियां प्राप्त नहीं हो सकी।
- भारत सरकार द्वारा जारी (दिसंबर 2020) प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 के दिशा-निर्देशों में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना-2 के तहत पहली किस्त के रूप में प्राप्त शेष निधियों को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना-3 के अंतर्गत दिए जाने वाले प्रशिक्षण में उपयोग करने का प्रावधान किया गया एवं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना-3 के अंतर्गत अलग से कोई निधियां जारी नहीं की गई।

हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम ने हिमाचली युवाओं की उच्च आकांक्षाओं, विभिन्न कौशल कार्यक्रमों, बुनियादी सुविधाओं की कमी व प्रशिक्षु जुटाने की सीमित संभावनाओं को कम नामांकन का कारण बताया (जनवरी 2023)। उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जाना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम लक्षित संख्या में प्रशिक्षण आयोजित करने में विफल रहा जिसके परिणामस्वरूप योजना के तहत भारत सरकार की प्रतिबद्ध निधि का लाभ नहीं उठाया जा सका।

### 4.3.4 संकल्प के तहत राज्य का प्रदर्शन

देश भर के युवाओं के लिए कौशल विकास के संस्थागत तंत्र को सुदृढ़ करने एवं गुणवत्तापूर्ण व बाज़ार-उन्मुख प्रशिक्षण तक पहुंच बढ़ाने के लिए 19 जनवरी 2018 को संकल्प का शुभारंभ किया गया, जिसकी कार्यान्वयन अवधि मार्च 2023 तक छ: वर्ष थी। इस कार्यक्रम के चार परिणाम क्षेत्र हैं (i) केंद्र, राज्य व जिला स्तर पर संस्थागत सुदृढ़ीकरण; (ii) कौशल विकास कार्यक्रमों की गुणवत्ता आश्वासन; (iii) वंचित आबादी को कौशल विकास कार्यक्रमों में शामिल करना; तथा (iv) सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से कौशल का विस्तार करना। इस योजना के तहत केंद्र व राज्य के मध्य वित्तपोषण 90:10 के अनुपात में है।

भारत सरकार ने दो घटकों (i) उच्च गुणवत्ता वाले बाजार उन्मुख प्रशिक्षण की योजना, वितरण व निगरानी हेतु राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर संस्थागत सुदृढ़ीकरण, तथा (ii) कौशल विकास कार्यक्रमों की बेहतर गुणवत्ता व बाजार प्रासंगिकता के तहत ₹ 2.11 करोड़ संस्वीकृत (अक्टूबर 2020 तक) किए एवं ₹ 1.58 करोड़ जारी किए (मार्च 2021)। राज्य सरकार ने अगस्त 2022 में भारत सरकार का अंश जारी होने से 17 माह के विलम्ब के पश्चात 10 प्रतिशत अंश ₹ 15.75 लाख का जारी किया।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि:

- यद्यपि संकल्प के तहत राज्य घटक के अंश के रूप में राज्य सरकार ₹ 3.18 करोड़ की पात्र थी (केन्द्रांश: ₹ 2.86 करोड़ व राज्यांश: ₹ 0.32 करोड़) तथापि महिला प्रशिक्षुओं व अन्य वंचित समूहों हेतु कौशल प्रशिक्षण की बेहतर पहुंच व प्रशिक्षण पूर्ण करने जैसे घटक के तहत राज्य के प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण भारत सरकार ने मात्र ₹ 2.11 करोड़ (केन्द्रांश: ₹ 1.90 करोड़ व राज्यांश: ₹ 0.21 करोड़) स्वीकृत किए। हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम ने इस संबंध में बताया (नवंबर 2022) कि उक्त हस्तक्षेप को हिमाचल प्रदेश कौशल विकास परियोजना के तहत सम्मिलित कर लिया जाएगा।

- अक्टूबर 2022 तक कार्यक्रम के अंतर्गत ₹1.74 करोड़[13] की उपलब्धता के प्रति ₹ 1.28 करोड़ को अप्रयुक्त रखते हुए मात्र ₹ 0.46 करोड़ (26 प्रतिशत) निधियों का उपयोग हुआ। संस्वीकृत राशि के सापेक्ष निधियों के उपयोग का विवरण **परिशिष्ट 4.7** में सारणीबद्ध किया गया है।

**परिशिष्ट 4.7** से स्पष्ट है कि योजना के अंतर्गत भौतिक व वित्तीय प्रगति संतोषप्रद नहीं थी एवं योजना के तहत भारत सरकार के अंश की प्राप्ति के 21 माह से अधिक समय बीत जाने के बावजूद बड़े पैमाने पर लक्षित लाभार्थी योजना के लाभ से वंचित रह गए।

हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए बताया (नवंबर 2022) कि निधियों का उपयोग नहीं किया गया क्योंकि प्रशासनिक व वित्त विभाग से यथोचित अनुमोदन मिलने में विलम्ब के कारण संसाधनों (कर्मियों) को काम पर नहीं रखा जा सका, जिसके परिणामस्वरूप कार्यक्रम की गति धीमी हो गई।

### 4.3.5 परियोजना प्रारंभ न होने पर राशि की वसूली न करना

हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम एवं मैसर्स एमएमसी कंप्यूटर्स ने दिसंबर 2018 में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना-2.0 के तहत आईटी व आईटीईएस एवं इलेक्ट्रॉनिक व हार्डवेयर क्षेत्रों में अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण देने के लिए कुल ₹ 7.32 लाख[14] की परियोजना लागत पर वचनबद्धता-सह-क्षतिपूर्ति बांड पर हस्ताक्षर किए। अप्रैल-मई 2019 में मैसर्स एमएमसी कंप्यूटर्स को ₹ 2.20 लाख की पहली किस्त जारी की गई।

अभिलेखों की संवीक्षा से उजागर हुआ कि मैसर्स एमएमसी कंप्यूटर्स ने परियोजना पूर्ण नहीं की (अभ्यार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया परन्तु उन्हें प्रमाणपत्र नहीं दिया गया) तथा जुलाई 2022 में हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम ने अक्टूबर 2022 तक ₹ 2.20 लाख की वसूली किए बिना अनुबंध समाप्त कर दिया। हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम ने न तो ₹ 0.37 लाख (संविदा मूल्य का पांच प्रतिशत) की निष्पादन गारंटी प्राप्त की एवं न ही ब्याज (₹ 0.62 लाख) की वसूली की, जो 40 माह[15] पर ₹ 2.20 लाख अर्जित होता। अक्टूबर 2022 तक भुगतान की गई राशि व अर्जित ब्याज की वसूली करने में हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम विफल रहा।

हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम ने बताया (अक्टूबर 2022) कि दिशा-निर्देशों/सामान्य लागत मानदंडों में प्रावधान न होने के कारण निष्पादन प्रतिभूति प्राप्त नहीं की गई तथा राशि

---

[13] भारत सरकार: ₹ 1.58 करोड़ व राज्य: ₹ 0.16 करोड़

[14] आईटी व आईटीईएस: ₹ 3.59 लाख तथा इलेक्ट्रॉनिक व हार्डवेयर: ₹ 3.73 लाख

[15] मई 2019 से अक्टूबर 2022 की अवधि हेतु बकाया लोक ऋण की औसत दर 7.97 प्रतिशत (2019-20), 7.59 प्रतिशत (2020-21) व 7.51 प्रतिशत (2021-22 व 2022-23) प्रति वर्ष की दर से गणना की गई।

की वसूली हेतु कार्रवाई की जा रही है। हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम ने बताया (अगस्त 2023) कि मैसर्स एमएमसी कंप्यूटर्स को भुगतान की गई पहली क़िस्त की वसूली आरंभ कर दी गई है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सरकार के हितों की रक्षा हेतु निष्पादन गारंटी प्राप्त नहीं की गई।

### 4.3.6 प्रतिदाय योग्य प्रतिभूति जमा का संग्रहण न करना

कौशल विकास के सामान्य लागत मानदंड[16] (अगस्त 2015) के परिच्छेद 5.8 में अभ्यर्थियों से प्रतिभूति जमा राशि उद्ग्रहित करने का प्रावधान है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए चयनित अभ्यर्थी गंभीरता से प्रशिक्षण में भाग ले रहे हैं एवं ड्रॉप-आउट दरों को कम किया जा सके। प्रशिक्षण प्रदाता अभ्यर्थियों से प्रतिभूति जमा के रूप में प्रशिक्षण प्रारंभ होने पर राष्ट्रीय कौशल योग्यता रूपरेखा[17] स्तर 1 व 2 के लिए ₹ 250, राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा स्तर 3 व 4 के लिए ₹ 500 तथा राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा स्तर 5 व उससे ऊपर के लिए प्रति अभ्यर्थी ₹ 1,000/- की राशि जो प्रतिदाय योग्य प्रतिभूति जमा राशि प्रभारित करेंगे। यह राशि प्रत्येक ऐसे अभ्यर्थी को वापस की जाएगी जो प्रमाणित हो जाता है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि:

- हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम ने वर्ष 2016-22 के दौरान हिमाचल प्रदेश कौशल विकास परियोजना व प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कार्यक्रमों के तहत नामांकित अभ्यर्थियों से प्राप्त प्रतिभूति जमा से सम्बंधित विवरण अनुरक्षित नहीं किए।
- नमूना-जांचित 13 इकाइयों[18] के अभिलेखों से उजागर हुआ कि इन प्रशिक्षण सेवा प्रदाताओं द्वारा राष्ट्रीय कौशल योग्यता रूपरेखा स्तर 1 से 5 पाठ्यक्रमों के अंतर्गत नामांकित 3,970 अभ्यर्थियों में से 3,956 अभ्यर्थियों से ₹ 21.49 लाख की प्रतिभूति जमा राशि प्राप्त नहीं की गई।

---

16 लागत सामान्य मानदंड भारत सरकार द्वारा अनुमोदित एक स्थापित मानक या औसत है, जिसका उद्देश्य विभिन्न विभागों/मंत्रालयों द्वारा विभिन्न कौशल विकास योजनाओं के कार्यान्वयन में एकरूपता व मानकीकरण लाना है।

17 राष्ट्रीय कौशल योग्यता रूपरेखा एक राष्ट्रीय स्तर पर एकीकृत शिक्षा और योग्यता-आधारित रूपरेखा है जो व्यक्तियों को वांछित योग्यता स्तर प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। राष्ट्रीय कौशल योग्यता रूपरेखा ज्ञान, कौशल व योग्यता के स्तरों की एक श्रृंखला के अनुसार योग्यताओं का आयोजन करता है। एक से दस तक वर्गीकृत इन स्तरों को सीखने के परिणामों के संदर्भ में परिभाषित किया जाता है।

18 मैसर्स वजीर एडवाइजर्स, आठ चयनित आईटीआई (बगसैड़, बंगाणा, दलाश, मंडी (महिला), निरमंड, पधर, पपलोग व शमशी) एवं चार (स्नातक अतिरिक्त- चालू) चयनित डिग्री कॉलेज (जोगिंद्रनगर, करसोग, कुल्लू व ऊना)।

हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम ने सूचित किया (अगस्त 2023) कि सभी प्रशिक्षण सेवा प्रदाताओं को प्रशिक्षुओं से प्रतिदाय योग्य प्रतिभूति राशि लेने के संबंध में 'सामान्य लागत मानदंड' दिशानिर्देशों में निहित निर्देशों का पालन करने के निर्देश जारी किए जाएंगे।

### 4.3.7 वस्तु व सेवा कर अदायगी पर परिहार्य व्यय

भारत सरकार की अधिसूचना[19] (जनवरी 2019) के खंड-2 व 4 में प्रावधान है कि एशियाई विकास बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं सभी कराधान से मुक्त है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार की अधिसूचना (जून 2017) के खंड 69 व 72 में प्रावधान है कि क्षेत्र कौशल परिषद्, आंकलन एजेंसी व क्षेत्र कौशल परिषद् के स्वीकृत प्रशिक्षण भागीदार (पार्टनर) द्वारा मान्यता प्राप्त कौशल विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत दी जाने वाली सेवाएं केंद्रीय करों के भुगतान से मुक्त होगी।

लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए बिलों की संवीक्षा से उजागर हुआ कि हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम ने वर्ष 2018-22 के दौरान 14 प्रशिक्षण सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की गई ₹ 10.28 करोड़ की प्रशिक्षण सेवाओं पर ₹ 1.43 करोड़ वस्तु व सेवा कर के रूप में अदा किए। प्रशिक्षण सेवा प्रदाताओं या हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम ने न तो कर छूट का लाभ लिया, न ही वस्तु व सेवा कर प्राधिकरणों के समक्ष छूट के लिए मामला उठाया। इसके विपरीत व्यावसायिक शिक्षा स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए उच्च शिक्षा विभाग द्वारा नियुक्त प्रशिक्षण सेवा प्रदाताओं ने ऐसी छूट प्राप्त की। अदा किया गया वस्तु व सेवा कर अधिक अभ्यर्थियों को कौशल प्रशिक्षण देने में उपयोग किया जा सकता था।

हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम ने प्रत्युत्तर में बताया (नवंबर 2022) कि वस्तु व सेवा कर से छूट का मामला वस्तु व सेवा कर परिषद के समक्ष नहीं उठाया गया क्योंकि हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम एशियाई विकास बैंक प्रायोजित कौशल विकास कार्यक्रम लागू कर रहा था, अतः वह छूट के अंतर्गत नहीं आता। जून 2017 की अधिसूचना के आलोक में उत्तर तर्कसंगत नहीं है, जो क्षेत्र कौशल परिषद् या अन्य मान्यता प्राप्त निकायों के तहत अनुमोदित प्रशिक्षण सेवा प्रदाताओं को छूट देने का प्रावधान बताता है, चाहे वित्तपोषण का स्त्रोत कोई भी हो। इस मामले में छूट की प्रयोज्यता का पता लगाने के लिए वस्तु व सेवा कर प्राधिकरणों के साथ उचित अनुवर्ती कार्रवाई की जानी चाहिए थी क्योंकि वस्तु व सेवा कर कानून शिक्षा के अधिकार, जिसमें व्यावसायिक प्रशिक्षण भी शामिल है, को मान्यता देता है तथा वस्तु व सेवा कर के उद्ग्रहण से छूट प्रदान करता है।

[19] एशियाई विकास बैंक पर वस्तु व सेवा कर की प्रयोज्यता पर वित्त मंत्रालय, भारत सरकार का परिपत्र संख्या 83/02/2019-जीएसटी दिनांक 1 जनवरी 2019

## 4.4 कौशल प्रशिक्षण की अवसंरचना

### 4.4.1 प्रशिक्षण केंद्रों की अवसंरचना की प्रास्थिति

एशियाई विकास बैंक प्रायोजित हिमाचल प्रदेश कौशल विकास परियोजना के तहत जुलाई 2016 से जुलाई 2022 के मध्य लोक निर्माण विभाग को 26 परियोजनाओं (11 मॉडल करियर सेंटर, 7 ग्रामीण आजीविका केंद्र, पांच शहरी आजीविका केंद्र, एक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, एक उत्कृष्टता केंद्र व एक महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज) के निष्पादन/उन्नयन हेतु ₹ 119.58 करोड़ की निधियां जारी की गई। सिविल कार्यों/अवसंरचना पर लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां **तालिका 4.5** में दी गई हैं।

**तालिका 4.5: सिविल कार्यों पर लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां**

| कार्य (कार्यों) का नाम | प्रास्थिति | स्वीकृत राशि | जारी राशि | व्यय (दिसंबर 2022 तक) | भौतिक प्रगति (प्रतिशत में) | विलम्ब (माह) | लेखापरीक्षा टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11 मॉडल करियर सेंटर का विकास**<br><br>**उद्देश्य:** तकनीकी व व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण के विषय में युवाओं में जागरूकता उत्पन्न करना | कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ : एक (काज़ा) | ₹ 5.81 करोड़ (जुलाई 2022) | -- | -- | -- | -- | स्थल को देर से अंतिम रूप दिए जाने के कारण मॉडल करियर सेंटर, काजा का निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया। स्थल पर निर्णय होने के बाद दिसंबर 2022 में टेंडर दिया गया। |
| | पूर्ण/आंशिक रूप से पूर्ण कार्य: छह[20] | ₹ 17.08 करोड़ (जुलाई 2019-मार्च 2021) पूर्णता तिथि: (मार्च 2020 व मई 2022) | ₹ 17.23 करोड़ | ₹ 12.23 करोड़ | 42 से 100 प्रतिशत | 7-33 | छह मॉडल करियर सेंटरों के पूर्ण हो चुके भवनों को पूरा करने/सौंपने में विलम्ब, अतिरिक्त कार्यों जैसे अग्नि सुरक्षा कार्य, आवासीय क्षेत्र प्रतिबंध आदि के अनुमोदन में विलंब के कारण हुआ। |

[20] बद्दी, बिलासपुर, चंबा, धर्मशाला, हमीरपुर व मंडी

| कार्य (कार्यों) का नाम | प्रास्थिति | स्वीकृत राशि | जारी राशि | व्यय (दिसंबर 2022 तक) | भौतिक प्रगति (प्रतिशत में) | विलम्ब (माह) | लेखापरीक्षा टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | चल रहे कार्य : दो (डाडासीबा व सोलन) | ₹ 8.25 करोड़ (डाडासीबा: नवंबर 2020 व सोलन: जनवरी 2021) | ₹ 1.50 करोड़ | ₹ 0.71 करोड़ | 16 व 1 प्रतिशत | -- | दो मॉडल करियर सेंटर (डाडासीबा- कार्य की धीमी प्रगति व सोलन- संरचनात्मक डिजाइन में बदलाव के कारण विलंबित) क्रमशः जून 2023 व सितंबर 2023 तक पूरा होने के लिए प्रक्रियाधीन हैं। |
| | सौंपे नहीं गए : 2 (नाहन व उदयपुर) | -- | -- | -- | -- | -- | दो मॉडल करियर सेंटर (नाहन व उदयपुर) उपयुक्त भूमि चिह्नित करने में विलम्ब होने के कारण सौंपे नहीं गए। |
| **पांच शहरी आजीविका केंद्र व सात ग्रामीण आजीविका केंद्र की स्थापना**<br><br>**उद्देश्य**: राज्य के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं की आजीविका में सुधार हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षण व व्यवसाय | आंशिक रूप से पूर्ण: चार शहरी आजीविका केंद्र[21] चल रहा: एक- शहरी आजीविका केंद्र (बिलासपुर) | ₹ 18.94 करोड़ | ₹ 37.70 करोड़ | ₹ 15.84 करोड़<br> <br>**चित्र 4.1 (नवम्बर 2022)** निर्माणाधीन/आंशिक रूप से पूर्ण शहरी आजीविका केंद्र, शमशी- जिसमें बुनकर सेवा केंद्र संचालित है। | 33 से 100 प्रतिशत | 9 से 41 | पूर्ण हो चुके कार्य- शहरी आजीविका केंद्र (नाहन, सिद्धबाड़ी व सुंदरनगर) जिनमें प्रगति 100 प्रतिशत दर्शाई गई है, अतिरिक्त कार्य एवं बदलाव (ट्रांसफार्मर की स्थापना, आदि) की स्वीकृति के अभाव के कारण लाइन विभाग को नहीं सौंपे गए।<br>- शहरी आजीविका केंद्र, बिलासपुर के |

[21] शहरी आजीविका केंद्र: नाहन, शामशी, सिद्धबड़ी व सुंदरनगर

| कार्य (कार्यों) का नाम | प्रास्थिति | स्वीकृत राशि | जारी राशि | व्यय (दिसंबर 2022 तक) | भौतिक प्रगति (प्रतिशत में) | विलम्ब (माह) | लेखापरीक्षा टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| विकास सहायता प्रदान करना | | | | | | | पूर्ण होने में विलम्ब, वन मंज़ूरी प्राप्त करने में देरी, कार्य की धीमी प्रगति के कारण हुई। **शहरी आजीविका केंद्र, शमशी** आंशिक रूप से पूर्ण भवन उद्योग विभाग को हस्तांतरित किया गया (मार्च 2022)। |
| | चल रहे[22]: छः- ग्रामीण आजीविका केंद्र | ₹ 38.14 करोड़ | | ₹ 22.79 करोड़ | 46 से 100 | 10 से 41 | चल रहे पांच ग्रामीण आजीविका केंद्र (बंगाणा, चौपाल, नगरोटा, प्रगतिनगर व सेराज) के कार्यों में विलम्ब, भूमि संबंधी मुद्दों, डिजाइन में परिवर्तन एवं अतिरिक्त कार्य के दायरे के कारण हुई। ग्रामीण आजीविका केंद्र, सधयाणा में, जहां भौतिक प्रगति 100 प्रतिशत दर्शाई गई है, वह अभी भी अतिरिक्त कार्य के कारण पूर्ण नहीं हुआ। |

22 ग्रामीण आजीविका केंद्र: बंगाणा, चौपाल, नगरोटा, प्रगतिनगर, सधयाणा व सेराज

| कार्य (कार्यों) का नाम | प्रास्थिति | स्वीकृत राशि | जारी राशि | व्यय (दिसंबर 2022 तक) | भौतिक प्रगति (प्रतिशत में) | विलम्ब (माह) | लेखापरीक्षा टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | सौंपे नहीं गए: 01 (ग्रामीण आजीविका केंद्र, नालागढ़) | ₹ 12.15 करोड़ (दिसंबर 2022) | -- | -- | -- | -- | डिजाइन पर अंतिम निर्णय लेने में विलम्ब के कारण ग्रामीण आजीविका केंद्र, नालागढ़ का कार्य सौंपा नहीं गया। |
| **महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज, रेहान का निर्माण**<br><br>**उद्देश्य:** तकनीकी, व्यावसायिक व शैक्षिक प्रशिक्षण तक लड़कियों की पहुंच में सुधार करना (720 के लिए प्रवेश व 120 के लिए छात्रावास सुविधा) | चल रही | ₹ 42.61 करोड़ (अगस्त 2017) निर्धारित पूर्णता तिथि: जुलाई 2019 | ₹ 33.50 करोड़<br><br> <br>**चित्र 4.2 (दिसंबर 2022) महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज रेहान - निर्माण कार्य पूर्ण होने में 41 माह का विलम्ब** | ₹ 29.69 करोड़ | 93 प्रतिशत | 41 | कार्य -क्षेत्र में परिवर्तन (प्लिंथ स्तर को ऊंचा करना, गाइड बंड का जोड़ना व विद्युत आपूर्ति के स्रोत का निर्धारण) तथा सीवेज प्रशोधन संयंत्र को अंतिम रूप न देने और उसके क्रियान्वयन के कारण विलंब हुआ। प्रशासनिक ब्लॉक के साथ भवन को आंशिक रूप से अपने अधिकार में ले लिया गया है एवं शैक्षणिक सत्र 2021-22 से पाठ्यक्रम शुरू कर दिए गए हैं। हालांकि अन्य सुविधाएं जैसे छात्रावास व स्टाफ आवास अभी पूर्ण नहीं हुए हैं। महाविद्यालय एवं छात्रावास भवनों के निर्माण में तीन |

| कार्य (कार्यों) का नाम | प्रास्थिति | स्वीकृत राशि | जारी राशि | व्यय (दिसंबर 2022 तक) | भौतिक प्रगति (प्रतिशत में) | विलम्ब (माह) | लेखापरीक्षा टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | वर्ष से अधिक के विलम्ब के कारण हिमाचल प्रदेश कौशल विकास परियोजना के अंतर्गत विशेष रूप से महिलाओं के लिए पॉलिटेक्निक महाविद्यालय की स्थापना का उद्देश्य काफी हद तक अपूर्ण रह गया। |
| **उत्कृष्टता केंद्र, वाकनाघाट का निर्माण- (आईटी एवं पर्यटन व आतिथ्य क्षेत्र)** **उद्देश्य:** राज्य में उद्योग उन्मुख कौशल प्रशिक्षण का आयोजन | चल रहा | ₹ 84.26 करोड़ (जून 2020) निर्धारित पूर्णता तिथि: जनवरी 2022 | ₹ 20.00 करोड़<br> <br>**चित्र 4.3 निर्माणाधीन (फरवरी 2023) उत्कृष्टता केंद्र, वाकनाघाट का मुख्य भवन** | ₹ 18.42 करोड़ | 16 प्रतिशत | 11 | स्थल हस्तांतरित करने, योजना को अंतिम रूप देने, भूमि सीमांकन व डिजाइन परिवर्तन के मुद्दों में विलम्ब। |
| **औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान छतरी का निर्माण** | चल रहा | ₹ 18.84 करोड़ (सितंबर 2020) निर्धारित पूर्णता तिथि: जून 2022 | ₹ 9.65 करोड़ | ₹ 5.46 करोड़ | 41 प्रतिशत | 6 माह | हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग द्वारा ड्राइंग जारी करने में देरी, भूमि संबंधी समस्या, स्थल तक पहुंच की समस्या, श्रमिकों की कमी आदि। |

**तालिका 4.5** से स्पष्ट है कि कुल 26 परियोजनाओं में से, जो जागरूकता बढ़ाने, प्रशिक्षण प्रदान करने तथा ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के युवाओं की पहुंच में सुधार के लिए आधारभूत संरचना तैयार करने हेतु परिकल्पित थी, दिसंबर 2022 तक 10 परियोजनाएं आंशिक रूप से पूर्ण हुई थीं, 12 परियोजनाएं चल रही थीं व चार परियोजनाएं प्रारंभ ही नहीं हुई थीं। चल रहे कार्यों में छह से 41 माह तक का विलम्ब था, जिससे कार्यों के उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हो सकी।

समय पर भवनों का निर्माण पूर्ण न होने या उनका उपयोग न होने के कारण अपेक्षित बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाई। साथ ही, सिविल कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने एवं निगरानी के लिए नियुक्त सलाहकार (मैसर्स रोडिक) निर्धारित समय के भीतर कार्य पूर्ण करने में विफल रहा **(परिच्छेद 4.7.6)**।

अतः हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम द्वारा उन्नत प्रशिक्षण संस्थानों एवं मॉडल करियर सेंटर की समय पर स्थापना सुनिश्चित न कर पाने के कारण सम्बंधित क्षेत्रों/जिलों में कौशल व करियर सुविधाओं का प्रसार करने के परिकल्पित लाभ प्राप्त नहीं हो सके।

हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम ने बताया (अगस्त 2023) कि सिविल परियोजनाएं पूर्ण होने में विलम्ब के प्रमुख कारण भूमि चिह्नित करने में विलम्ब, भू हस्तांतरण, संरचनात्मक डिजाइन को अंतिम रूप देने में विलम्ब, कोविड-19 प्रतिबंध, भौगोलिक और जलवायु संबंधी समस्याएं हैं। उसने आश्वासन दिया कि अब इन परियोजनाओं की शीघ्र पूर्णता तथा पूर्ण हो चुकी परिसंपत्तियों को प्रशिक्षण संबंधी गतिविधियों हेतु संबंधित विभागों को सौंपने के लिए नियमित निगरानी की जा रही है।

### 4.4.2 50 औद्यौगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) में प्रशिक्षण मशीनरी व उपकरणों का उन्नयन

परियोजना प्रशासन नियम-पुस्तिका के आउटपुट 3 के अनुसार हिमाचल प्रदेश कौशल विकास परियोजना ने तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग के तहत 50 आईटीआई में 22 तकनीकी व्यवसायों हेतु प्रशिक्षण मशीनरी व उपकरणों के उन्नयन की परिकल्पना की गई।

#### 4.4.2.1 मशीनरी एवं उपकरणों की आपूर्ति में विलम्ब

निदेशक, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक व औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग ने दिसंबर 2019 से जुलाई 2021 के मध्य चार फर्मों[23] को ₹ 8.90 करोड़ के निविदा मूल्य पर विभिन्न मशीनरी

[23] आशा एंटरप्राइजेज, मंडी; मार्स एडपाल इंस्ट्रूमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, अंबाला कैंट; पुरी साइंटिफिक वर्क्स, अंबाला कैंट व चावला डिजिटल सिस्टम, पंचकूला।

और उपकरणों (जैसे ऑटोमोबाइल पार्ट्स, इलेक्ट्रिकल व इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित उपकरण, आईटी उपकरण व घटक, इत्यादि की आपूर्ति) की खरीद हेतु सात खरीद-आदेश दिए, जिनकी खरीद-आदेश देने की तिथि से 365 दिनों के भीतर आपूर्ति एवं प्रतिष्ठापन करना था। मशीनरी व उपकरणों की आपूर्ति में विलम्ब के मामले में अनुबंध मूल्य का अधिकतम 10 प्रतिशत तक प्रति दिन 0.1 प्रतिशत की दर से परिसमापन क्षति लागू होगी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि ₹ 2.95 करोड़ मूल्य के आदेशों की आपूर्ति दो फर्मों[24] द्वारा आंशिक रूप से की गई एवं शेष आदेशों में दो फर्मों द्वारा कोई सामग्री आपूर्ति नहीं की गई जबकि इन कार्यों को पूर्ण करने की निर्धारित अवधि अक्टूबर 2022 तक समाप्त हो चुकी थी। हालांकि अक्टूबर 2022 तक इन फर्मों के विरुद्ध ₹ 59.56 लाख की परिसमापन क्षति लगाने के लिए प्रक्रिया आरंभ नहीं की गई।

तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक व औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग ने बताया (अक्टूबर 2022) कि फर्मों ने बाजार में वस्तुएं उपलब्ध न होने एवं संबंधित आईटीआई में स्थान की समस्या के कारण मशीनरी/उपकरण की आपूर्ति नहीं की। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि विभाग आपूर्ति-आदेश देने से पूर्व मशीनरी व उपकरणों की प्राप्ति एवं प्रतिष्ठापन की योजना बनाने में विफल रहा। साथ ही तथ्य यह है कि विलम्ब संबंधित फर्मों की ओर से हुआ। आईटीआई में मशीनरी व उपकरणों के उन्नयन के अभाव में प्रशिक्षण की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम ने बताया (अगस्त 2023) कि दोषी फर्मों के विरुद्ध परिनिर्धारित क्षति उद्ग्रहित करने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

### 4.4.3 महाविद्यालयों/प्रशिक्षण केंद्रों में उपकरणों की पर्याप्तता

व्यावसायिक शिक्षा स्नातक के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के दिशानिर्देशों के परिच्छेद 10 में कहा गया है कि महाविद्यालयों में कौशल प्रशिक्षण के प्रत्यक्ष (आमने-सामने) संचालन एवं व्यवहारिक अभ्यास के लिए पर्याप्त प्रयोगशाला/कार्यशाला सुविधाएं उनके स्वामित्व में अथवा व्यवस्था करके उपलब्ध होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त संबंधित क्षेत्र कौशल परिषद् के लिए स्किल मैनेजमेंट एंड एक्रिडिटेशन ऑफ ट्रेनिंग सेंटर (स्मार्ट[25]) द्वारा नौकरी की भूमिका (जॉब रोल) के अनुसार (राष्ट्रीय कौशल योग्यता रूपरेखा स्तर 3 से 7) अवसंरचना की आवश्यकता को परिभाषित किया गया है। सभी क्षेत्र कौशल परिषद् में सभी राष्ट्रीय कौशल योग्यता रूपरेखा जॉब रोल के लिए प्रशिक्षण अवसंरचना व उपकरणों का मानकीकरण, स्मार्ट

[24] आशा एंटरप्राइजेज, मंडी व मार्स एडपाल इंस्ट्रूमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, अंबाला कैंट।

[25] कौशल पारिस्थितिकी तंत्र का उद्देश्य महत्वपूर्ण मुद्दों जैसे कौशल प्रदाताओं का वस्तुनिष्ठ तरीके से मूल्यांकन, प्रशिक्षण केंद्रों में उत्कृष्टता को बढ़ावा देना, प्रशिक्षण केन्द्रों के संबंध में प्रशिक्षुओं को सूचित विकल्प चुनने में सक्षम बनाना आदि का समाधान करना है।

पर दी जाने वाली सेवाओं में से एक है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि नमूना-जांचित तीन महाविद्यालयों[26] में स्मार्ट द्वारा खुदरा प्रबंधन (रिटेलर्स एसोसिएशन की सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया) तथा आतिथ्य एवं पर्यटन (पर्यटन एवं आतिथ्य कौशल परिषद) क्षेत्रों के संबंधित क्षेत्र कौशल परिषदों के लिए निर्दिष्ट 203[27] मशीनरी/उपकरण/सामग्री (जैसे डेस्कटॉप/लैपटॉप, टेलीफोन, डिस्प्ले/बोर्ड/स्टैंडी, डमी उत्पाद, आदि) में से 123 या तो पूरी तरह से उपलब्ध नहीं थीं या आंशिक रूप से उपलब्ध कराई गई थीं। इससे उपरोक्त नमूना-जांचित महाविद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा स्नातक पाठ्यक्रमों में नामांकित प्रशिक्षुओं के सीखने/व्यावहारिक कौशल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, जैसाकि **परिच्छेद 4.5.1.1** से स्पष्ट है।

हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम ने बताया (अगस्त 2023) कि व्यावसायिक शिक्षा स्नातक कार्यक्रम के पाठ्यक्रमों हेतु निर्दिष्ट औज़ार और उपकरण खरीदने के लिए उच्च शिक्षा निदेशालय द्वारा कार्रवाई की गई है।

## 4.5 प्रशिक्षण

वर्ष 2016-22 के दौरान हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम द्वारा लागू प्रमुख प्रशिक्षण कार्यक्रम: (i) निजी प्रशिक्षण सेवा प्रदाताओं व आईटीआई के माध्यम से अल्पकालिक प्रशिक्षण: 3-5 माह, (ii) अंतिम वर्ष के स्नातक छात्रों के कौशल उन्नयन के लिए स्नातक ऐड-ऑन: 200-400 घंटे, (iii) सरकारी कॉलेजों में व्यावसायिक शिक्षा स्नातक कोर्स: 3 वर्षीय डिग्री कोर्स, (iv) निजी प्रशिक्षण सेवा प्रदाताओं द्वारा पूर्व शिक्षा की मान्यता: 12 से 80 घंटे, (v) हिमाचल प्रदेश कौशल विकास परियोजना के तहत आईटीआई व 13 प्रतिष्ठित संस्थानों (आईआईटी मंडी, अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण एवं संबद्ध खेल संस्थान, मनाली, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान, आदि) के साथ समझौता-ज्ञापन निष्पादित करके प्रशिक्षण: तीन सप्ताह से 15 माह। हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम उपरोक्त प्रशिक्षण से संबंधित डेटा को एक अलग प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) में अनुरक्षित करता है।

वर्ष 2016-22 (अक्टूबर 2022 तक) की अवधि के दौरान प्रशिक्षित व प्रमाणन प्राप्त प्रशिक्षुओं की जिले-वार संख्या **मानचित्र 4.2** में दर्शाई गई है।

---

[26] सरकारी डिग्री कॉलेज, कुल्लू, सरकाघाट व ऊना

[27] सभी कॉलेजों में उपयोग की जाने वाली कुल वस्तुएं।

**मानचित्र 4.2 2016-22 के दौरान प्रशिक्षित व प्रमाणित प्रशिक्षुओं की जिले-वार संख्या**

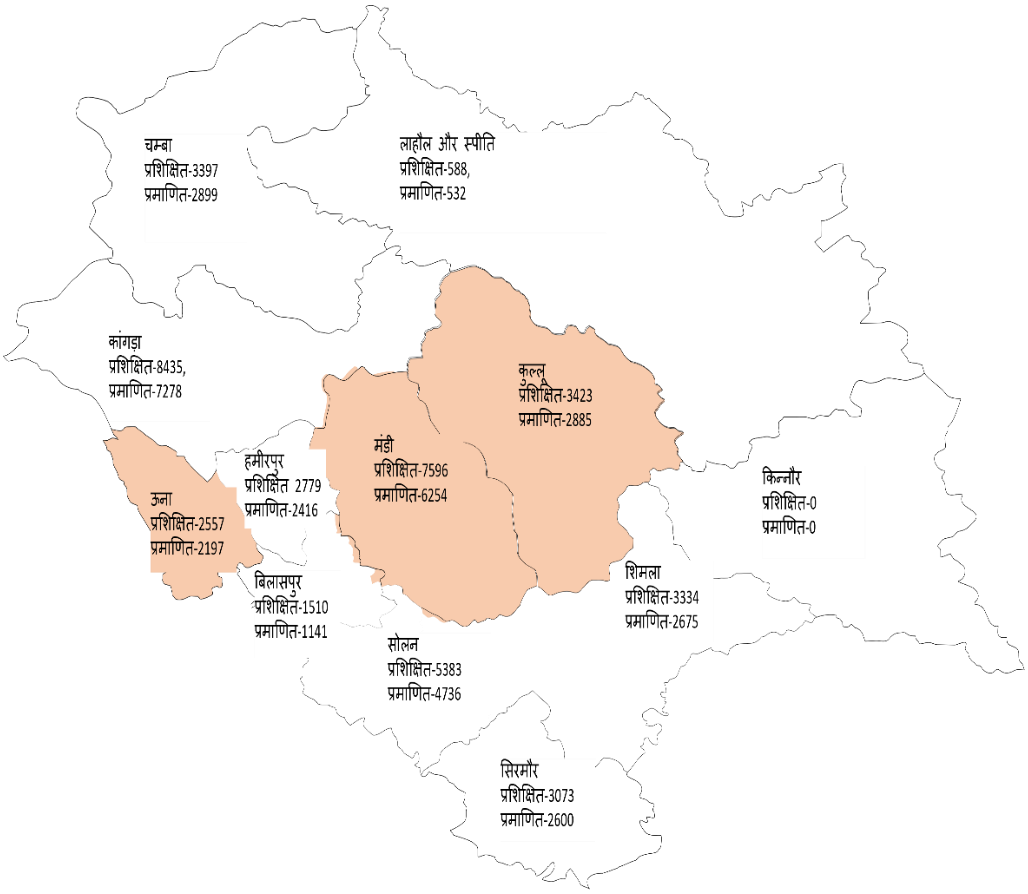


## 4.5.1 हिमाचल प्रदेश कौशल विकास परियोजना के अंतर्गत प्रशिक्षण

### 4.5.1.1 हिमाचल प्रदेश कौशल विकास परियोजना के तहत लक्ष्यों की प्राप्ति न होना

परियोजना प्रशासन नियम-पुस्तिका के परिशिष्ट-7 में निहित डिजाइन और निगरानी ढांचे के अनुसार परियोजना के तहत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूर्ण करने वाले कम से कम 80 प्रतिशत प्रशिक्षुओं को सफलतापूर्वक प्रमाणित करना चाहिए। सफलतापूर्वक प्रमाणित में से कम से कम 50 प्रतिशत को प्रशिक्षण पूर्ण होने के छ: माह के भीतर वेतनयुक्त रोजगार मिल जाना चाहिए जबकि शेष 40 प्रतिशत को लाभकारी स्वरोजगार मिलना चाहिए (अर्थात वेतनयुक्त रोजगार व स्वरोजगार दोनों को मिलाकर कुल कम से कम 70 प्रतिशत को रोज़गार मिलना चाहिए)।

कौशल विकास हेतु पायलट/अल्पकालिक प्रशिक्षण परियोजना वर्ष 2016-18 के दौरान प्रारंभ की गई तथा हिमाचल प्रदेश कौशल विकास परियोजना के तहत प्रशिक्षण मई 2018 से आरंभ हुआ। वर्ष 2016-22 के दौरान हिमाचल प्रदेश कौशल विकास परियोजना के तहत प्रशिक्षण की स्थिति **तालिका 4.6** में दर्शाई गई है।

**तालिका 4.6: 2016-22 के दौरान हिमाचल प्रदेश कौशल विकास परियोजना के तहत राज्य में प्रशिक्षण का विवरण**

| प्रशिक्षण का प्रकार | अवधि | लक्ष्य | नामांकित | प्रशिक्षित (लक्ष्य के प्रति प्रतिशत) | आंकलित | प्रमाणित (प्रशिक्षित के प्रति प्रतिशत) | रोज़गार प्राप्त (प्रमाणित के प्रति प्रतिशत) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **कौशल विकास के लिए पायलट परियोजना** | | | | | | | |
| पायलट - अल्पकालिक प्रशिक्षण | 2016-18 | 1,080 | 1,224 | 936 (87) | 911 | 636 (67) | 563 (89) |
| **हिमाचल प्रदेश कौशल विकास परियोजना के अंतर्गत प्रशिक्षण** | | | | | | | |
| अल्पकालिक प्रशिक्षण (आईटीआई) | 2019-22 | 37,191 | 10,190 | 5,807 (16) | 5,255 | 3,775 (65) | 546 (14) |
| व्यावसायिक शिक्षा स्नातक | 2017-22 | 5,280 | 4,547 | 1,994 (38) | 1,894 | 1,840 (92) | 742 (40) |
| ग्रेजुएट ऐड ऑन | 2018-22 | 7,500 | 6,262 | 5,936 (79) | 5,601 | 5,193 (87) | 417 (8) |
| हिमाचल प्रदेश कौशल विकास परियोजना के अंतर्गत समझौता-ज्ञापन (उन्नत स्तर के पाठ्यक्रमों के लिए) | 2019-22 (अक्तूबर तक 2022) | 14,930 | 8,498 | 4,765 (32) | 4,485 | 4,436 (99) | 117 (3) |
| फ्लैगशिप-हिमाचल प्रदेश कौशल विकास परियोजना के तहत अल्पकालिक प्रशिक्षण | 2018-22 (अक्तूबर तक 2022) | 9,300 | 4,078 | 3,106 (33) | 3,088 | 2,742 (88) | 999 (36) |
| पूर्व शिक्षा की मान्यता | 2021-22 | 8,000 | 6,462 | 6,445 (81) | 6,441 | 5,278 (82) | लागू नहीं |
| **योग (पायलट-अल्पकालिक प्रशिक्षण के अतिरिक्त)** | | **82,201** | **40,037** | **28,053 (34)** | **26,764** | **23,264 (84)** | **2,821 (16)*** |

*स्रोत: हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े।*

** आंकडो में पूर्व शिक्षा की मान्यता शामिल नहीं है (योजना अनौपचारिक प्रयोगात्मक शिक्षा वाले श्रमिकों के कौशल की मान्यता के लिए है)।*

लेखापरीक्षा में पाया गया कि:

- वर्ष 2018-22 (अक्टूबर 2022 तक) के दौरान हिमाचल प्रदेश कौशल विकास परियोजना के विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के तहत लक्ष्य के प्रति प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की संख्या 16 से 87 प्रतिशत के मध्य थी, जो दर्शाता है कि लक्ष्य अधिकतम सीमा तक प्राप्त नहीं हुए।
- पायलट अल्पकालिक प्रशिक्षण योजना (67 प्रतिशत) व आईटीआई में अल्पकालिक प्रशिक्षण (65 प्रतिशत) के तहत प्रशिक्षित अभ्यर्थियों के प्रति प्रमाणन प्राप्त अभ्यर्थी 80 प्रतिशत के लक्ष्य से कम थे। अन्य मामलों में प्रमाणन अनुपात 80 प्रतिशत से अधिक रहा।
- प्रमाणन प्राप्त अभ्यर्थियों (पायलट अल्पकालिक प्रशिक्षण व पूर्व शिक्षा की मान्यता योजनाओं के अतिरिक्त) की भर्ती का अनुपात तीन से 40 प्रतिशत के मध्य था, जो कि 70 प्रतिशत के अपेक्षित स्तर से काफी नीचे था, जो दर्शाता है कि प्रशिक्षण अभीष्ट परिणाम प्राप्त करने में विफल रहा।

हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम ने बताया (अगस्त 2023) कि प्रशिक्षित अभ्यर्थियों द्वारा नौकरी न लेने का मुख्य कारण उच्च शिक्षा एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को प्राथमिकता देना है। आगे बताया गया कि प्रशिक्षण सेवा प्रदाता भी प्रमाणन प्राप्त अभ्यर्थियों की भर्ती हेतु अपने स्तर पर पर्याप्त प्रयास नहीं कर रहे हैं। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम ने प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को परामर्श देने एवं रोजगार के अवसरों की सुविधा प्रदान करने के लिए सभी हितधारकों (अभ्यर्थियों, माता-पिता, प्रशिक्षण सेवा प्रदाता, प्लेसमेंट एजेंसियां, उद्योग पार्टनर, आदि) को शामिल करते हुए एक व्यापक ढांचा स्थापित नहीं किया।

### 4.5.1.2 पूर्ण परियोजनाओं के लक्ष्यों की प्राप्ति न होना

हिमाचल प्रदेश कौशल विकास परियोजना के अंतर्गत नमूना-जांचित 11 पूर्ण परियोजनाओं में से दो प्रशिक्षण सेवा प्रदाताओं से संबंधित चार परियोजनाओं[28] पर लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर आगामी परिच्छेद में चर्चा की गई है।

कौशल विकास परियोजनाएं[29] मैसर्स लेबरनेट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (मैसर्स लेबरनेट) को सितंबर 2016 में पायलट आधार पर और फिर जून 2018 में हिमाचल प्रदेश कौशल विकास परियोजना के तहत आवंटित की गई। इसी भांति जून 2018 में भारतीय कौशल विकास संस्थान

28 पायलट-अल्पकालिक प्रशिक्षण परियोजना व हिमाचल प्रदेश कौशल विकास परियोजना संख्या-I से III

29 मैसर्स लेबरनेट: पायलट परियोजना और हिमाचल प्रदेश कौशल विकास परियोजना-II व III परियोजनाएं; मैसर्स भारतीय कौशल विकास संस्थान: हिमाचल प्रदेश कौशल विकास परियोजना-I परियोजना।

को हिमाचल प्रदेश कौशल विकास परियोजना के तहत ग्रेजुएट ऐड ऑन कोर्स के लिए परियोजना आवंटित की गई। उपरोक्त परियोजनाओं की अवधि 15 से 24 माह थी। इन प्रशिक्षण सेवा प्रदाताओं को 30 प्रतिशत की अंतिम किस्त के भुगतान का पात्र होने के लिए कम से कम 70 प्रतिशत प्रमाणित प्रशिक्षुओं को प्लेसमेंट की सुविधा प्रदान करने की आवश्यकता थी।

इन प्रशिक्षण सेवा प्रदाताओं के अभिलेखों की संवीक्षा से उजागर हुआ कि इन दोनों प्रशिक्षण सेवा प्रदाताओं ने उनके संविदात्मक दायित्वों को पूर्ण नहीं किया, जैसाकि **तालिका 4.7** में दर्शाया गया है।

**तालिका 4.7: नमूना-जांचित दो प्रशिक्षण सेवा प्रदाताओं को सौंपे गए प्रशिक्षणों के विवरण**

| प्रशिक्षण सेवा प्रदाता | अवधि | परियोजना | क्षेत्र | सौंपे गए लक्ष्य | प्रशिक्षित (लक्ष्य के प्रति प्रतिशत) | आंकलित | प्रमाणित (प्रशिक्षित के प्रति प्रतिशत) | रोज़गार प्राप्त (प्रमाणित के प्रति प्रतिशत) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| मैसर्स लेबरनेट | 2017-18 | पायलट | फर्नीचर व ऑटोमोटिव | 390 | 390 (100) | 346 | 218 (56) | 192 (88) |
| मैसर्स लेबरनेट | 2019-20 | हिमाचल प्रदेश कौशल विकास परियोजना प्रोजेक्ट संख्या-II | ऑटोमोबाइल, निर्माण, प्लंबिंग, विद्युत | 2,000 | 584 (29) | 584 | 493 (84) | 139 (28) |
| मैसर्स लेबरनेट | 2019-20 | हिमाचल प्रदेश कौशल विकास परियोजना प्रोजेक्ट संख्या-III | आईटी-आईटीईएस, इलेक्ट्रॉनिक्स, बीएफएसआई | 3,000 | 866 (29) | 866 | 709 (82) | 225 (32) |
| भारतीय कौशल विकास संस्थान | 2018-20 | हिमाचल प्रदेश कौशल विकास परियोजना प्रोजेक्ट संख्या-I | आईटी-आईटीईएस, बैंकिंग, वित्त, प्रतिभूति और बीमा, परिधान, घरेलू साज-सज्जा | 2,000 | 2,032 (102) | 1,924 | 1,851 (91) | 175 (9) |

लेखापरीक्षा में पाया गया कि :

- मैसर्स लेबरनेट के मामले में प्रशिक्षित अभ्यर्थियों के सापेक्ष प्रमाणित अभ्यर्थियों की लक्ष्य प्राप्ति का प्रतिशत 56 से 84 के मध्य एवं भारतीय कौशल विकास संस्थान के मामले में 91 प्रतिशत रहा, जबकि प्रमाणन प्राप्त अभ्यर्थियों के सापेक्ष रोज़गार प्राप्त करने वालों की लक्ष्य प्राप्ति दोनों परियोजनाओं के तहत नौ से 32 प्रतिशत के मध्य थी (सिवाय वर्ष 2017-18 के जब मैसर्स लेबरनेट परियोजना की प्लेसमेंट 88 प्रतिशत थी), जो 70 प्रतिशत के अपेक्षित न्यूनतम से काफी कम थी।
- मैसर्स लेबरनेट एवं भारतीय कौशल विकास संस्थान के अनुबंधों की समयावधि दिसंबर 2019 व जून 2020 के मध्य समाप्त हो गई परन्तु हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम ने प्रशिक्षण सेवा प्रदाताओं द्वारा अभ्यर्थियों के प्रमाणन व प्लेसमेंट के लक्ष्यों की प्राप्ति न होने के कारण इसे नवीनीकृत नहीं किया। मैसर्स लेबरनेट से संदर्भित देखी गई अनियमितताएं नीचे (i) से (iv) में इंगित की गई हैं।
- इन प्रशिक्षण सेवा प्रदाताओं ने प्रमाणित अभ्यर्थियों के संबंध में 30 प्रतिशत की अंतिम क़िस्त का दावा नहीं किया क्योंकि ये प्रशिक्षण सेवा प्रदाता 70 प्रतिशत प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को रोजगार देने में असफल रहे।

उपरोक्त परियोजनाओं के अभिलेखों की संवीक्षा में निम्नलिखित अनियमितताएं सामने आईं:

(i) संविदा-अनुबंध में प्रशिक्षण सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम की फ्रेंचाइज़िंग/आउटसोर्सिंग का कोई प्रावधान नहीं था। हालांकि मैसर्स लेबरनेट ने स्थानीय स्तर के निजी संस्थानों - मैसर्स श्री विद्या ग्रुप व केबीएस को प्रशिक्षण कार्यक्रम आउटसोर्स किया था, जो अनुबंध प्रावधान का उल्लंघन था।

(ii) संविदात्मक अनुबंध के अनुसार प्रशिक्षण सेवा प्रदाताओं द्वारा नियुक्त किया गया प्रत्येक प्रशिक्षक को प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण प्रमाणित होना चाहिए। हालांकि देखा गया कि लेबरनेट द्वारा बैजनाथ-II, चौंतड़ा, लोहारिन, नालागढ़, पंडोह-II व ऊना में तैनात सभी 11 प्रशिक्षक प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण से प्रमाणित नहीं थे।

(iii) मैसर्स लेबरनेट की प्रयोगशालाएं कौशल क्षेत्र परिषद के मानदंडों के अनुरूप नहीं थीं क्योंकि प्रशिक्षण हेतु आवश्यक उपकरण[30] उपलब्ध नहीं थे।

---

30 **बैजनाथ-II:** आईटी-आईटीईएस सेक्टर- टेलीफोन वॉयस रिकॉर्डर, आईवीआर व कॉल/इंटरैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए सॉफ्टवेयर/दस्तावेज प्रारूप (15), ऑडियो, वीडियो रिकॉर्डिंग सिस्टम को प्रोजेक्ट करने के लिए सहायक सॉफ्टवेयर/अनुप्रयोग; दिन-प्रतिदिन ऑनलाइन परीक्षण व आंकलन हेतु आंकलन और परीक्षण उपकरण; **चौंतड़ा:** ऑटोमोटिव सेक्टर- सीट कवर, फ्लोर मैट, इन्फोटेनमेंट, जीपीएस ग्राफिक्स/स्टिकर, रूफ रेल, रेन वाटर शील्ड, फॉग लैंप, क्रैश गार्ड, फुट रेस्ट, कर्टसी लैंप व शो बीडिंग जैसे सहायक उपकरण; **पंडोह-2:** आईटी-आईटीईएस सेक्टर- सन ग्लासेस (12), ओवरऑल एप्रन (14) मल्टी मीटर (ख़राब); मार्कर के साथ फ्लिप चार्ट, व्याख्यान और कक्षा गतिविधियों के लिए माइक्रोफोन/वॉयस सिस्टम, हर समय उपलब्ध कैमरा; ऑटोमोटिव सेक्टर- कॉटन दस्ताने (14), हार्ड टोड बूट (14), सन ग्लासेस (13) व ओवरऑल एप्रन (14)।

(iv) पायलट-अल्पकालिक प्रशिक्षण योजना (मैसर्स लेबरनेट को आवंटित) में अपर्याप्त या विलंबित निष्पादन की स्थिति में संविदा मूल्य की 25 प्रतिशत राशि पर निष्पादन गारंटी का प्रावधान था, जबकि हिमाचल प्रदेश कौशल विकास परियोजना के तहत ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया, जो कम से कम पांच प्रतिशत होना चाहिए था। लेबरनेट व भारतीय कौशल विकास संस्थान को आवंटित ₹ 18.68 करोड़[31] की परियोजना लागत पर निष्पादन गारंटी (₹ 93.39 लाख) प्राप्त न करना वित्तीय नियमों का उल्लंघन था।

हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम ने बताया (अगस्त 2023) कि हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम ने यथोचित प्रक्रियाओं व दिशा-निर्देशों का पालन न होने के कारण मैसर्स लेबरनेट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की सेवाएं रद्द कर दी। हालांकि तथ्य यह है कि संविदा-अनुबंध में निष्पादन गारंटी व शास्ति का प्रावधान शामिल किया जाता तो यह प्रशिक्षण के लक्ष्यों की प्राप्ति न होने की स्थिति में एक प्रभावी निवारक साबित हो सकता था।

#### 4.5.1.3 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान द्वारा प्रशिक्षण में कमी

हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम एवं नमूना-जांचित आठ आईटीआई[32] के मध्य समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए (जुलाई 2019-अक्टूबर 2021), जिसके तहत ₹ 11.40 करोड़ की संयुक्त लागत पर समझौता-ज्ञापन हस्ताक्षरित होने के 18 से 36 माह के भीतर आईटीआई में निर्माण, प्लंबिंग, परिधान और मेक-अप तथा सौंदर्य एवं कल्याण जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 6,222 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दिया जाना था। यह राशि हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम को लक्ष्य प्राप्ति के आधार पर तीन किस्तों में जारी करनी थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि आईटीआई ने ₹ 3.42 करोड़ की पहली किस्त प्राप्त की (नवंबर 2019-दिसंबर 2021) जिसके सापेक्ष दिसंबर 2022 तक ₹ 1.41 करोड़ (41 प्रतिशत) का व्यय किया गया। ₹ 2.20 करोड़ की शेष राशि इन आईटीआई के बचत बैंक खातों व सावधि जमा प्राप्तियों में अव्ययित रही (हिमाचल प्रदेश कौशल विकास परियोजना निधि: ₹ 2.01 करोड़ व ब्याज: ₹ 0.19 करोड़)। इसके अतिरिक्त दिसंबर 2022 तक 6,222 अभ्यर्थियों के प्रशिक्षण लक्ष्य के प्रति मात्र 1,248 (20 प्रतिशत) को प्रशिक्षण दिया गया, जिनमें से 1,048 अभ्यर्थियों को प्रमाणन दिया गया। प्रमाणन प्राप्त छात्रों में से केवल 291 छात्रों (28 प्रतिशत) को ही प्लेसमेंट मिला जबकि समझौता-ज्ञापन की निर्धारित अवधि अप्रैल 2023 में समाप्त हो चुकी थी।

संबंधित आईटीआई के प्रधानाचार्यों ने (अक्टूबर 2022) उपकरण व मशीनरी की खरीद न होने **(परिच्छेद 4.4.2.1)**, अल्पकालिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश की कमी और कोविड-19 महामारी को व्यय में कमी का कारण बताया। प्रधानाचार्य, आईटीआई (महिला), मंडी ने आगे बताया कि

---

31 कुल भुगतान- मैसर्स लेबरनेट: ₹ 2.57 करोड़ (परियोजना लागत: ₹ 12.99 करोड़) और भारतीय कौशल विकास संस्थान: ₹ 2.33 करोड़ (परियोजना लागत: ₹ 5.69 करोड़)।

32 बगसैड; बंगाना; दलाश; मंडी (महिला); निरमंड; पद्दर; पपलॉग व शमशी

प्रशिक्षण लक्ष्य को 1,920 से घटाकर 720 करने का मामला हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम के समक्ष उठाया गया (अगस्त 2022) परन्तु कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली।

अपेक्षित प्रशिक्षण का आयोजन न करना, बैंक खातों में निधियों के अवरोधन एवं बाद की किस्तें जारी न होने के कारणों में से एक है।

### 4.5.1.4 लैंगिक एवं सामाजिक आयाम

परियोजना प्रशासन नियम-पुस्तिका के परिच्छेद 65 से 70 में महिलाओं व दिव्यांगजनों के लिए अलग-अलग लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं क्योंकि हिमाचल प्रदेश कौशल विकास परियोजना को लैंगिक समानता थीम पर वर्गीकृत किया गया है। महिलाओं व दिव्यांगजनों के संकेतकों/लक्ष्यों के प्रति नामांकन व प्रमाणन/रोजगार की प्राप्ति **तालिका 4.8 व 4.9** में दी गई हैं।

**तालिका 4.8: 2018-22 के दौरान महिलाओं व दिव्यांगजनों के नामांकन की स्थिति (जून 2022 तक)**

| संकेतक | 2022 तक प्राप्ति के लिए लक्ष्य | राष्ट्रीय कौशल योग्यता रूपरेखा संरेखित पाठ्यक्रमों में कुल नामांकन | अपेक्षित नामांकन (35 प्रतिशत) | वास्तविक नामांकन | कमी (प्रतिशत में) |
|---|---|---|---|---|---|
| राष्ट्रीय कौशल योग्यता रूपरेखा से संबद्ध व बाजारोन्मुख अल्पकालिक प्रशिक्षण में महिला अभ्यर्थियों की प्रतिभागिता | लक्षित 40,000 युवाओं में कम से कम 14,000 या 35 प्रतिशत | 30,673 | 10,735 | 14,297 | -- |
| उपरोक्त पाठ्यक्रमों में दिव्यांग व्यक्तियों की प्रतिभागिता | लक्षित 40,000 युवाओं में से 400 या एक प्रतिशत दिव्यांग व्यक्ति हैं | | 307 | 155 | 50 |

*स्रोतः परियोजना प्रशासन नियम-पुस्तिका व हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम द्वारा दी गई जानकारी।*

**तालिका 4.9: 2018-22 के दौरान महिलाओं व दिव्यांगजनों के प्रमाणन व रोजगार की स्थिति (जून 2022 तक)**

| संकेतक | लक्ष्य | प्रमाणन | उपलब्धि का प्रतिशत | कमी का प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|
| महिला अभ्यर्थियों का प्रमाणन | 70 प्रतिशत महिलाएं नामांकित या 9,800 | अपेक्षितः 9,800<br>प्रमाणितः 8,435 | 86 | 14 |
| वेतनयुक्त रोजगार - महिला | प्रशिक्षण पूर्ण होने के छः माह के भीतर कम से कम 2,940 या 30 प्रतिशत को वेतनयुक्त रोजगार मिलना चाहिए | अपेक्षितः 2,940<br>उपलब्धिः 521 | 18 | 82 |

| संकेतक | लक्ष्य | प्रमाणन | उपलब्धि का प्रतिशत | कमी का प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|
| दिव्यांगजनों का प्रमाणन | कम से कम 280 या 70 प्रतिशत दिव्यांगजन | अपेक्षित: 280<br>प्रमाणित: 99 | 35 | 65 |
| वेतनयुक्त रोजगार - दिव्यांगजन | कम से कम 84 या 30 प्रतिशत सफलतापूर्वक प्रमाणित | अपेक्षित: 84<br>प्रमाणित: शून्य | शून्य | 100 |

*स्रोत: परियोजना प्रशासन नियम-पुस्तिका व हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम द्वारा दी गई जानकारी।*

जैसाकि **तालिका 4.8** व **4.9** से स्पष्ट है वर्ष 2018-22 (जून 2022 तक) के दौरान राष्ट्रीय कौशल योग्यता रूपरेखा संरेखित व बाजार-उन्मुख अल्पकालिक प्रशिक्षण में महिला अभ्यर्थियों का नामांकन पर्याप्त रहा जबकि प्रमाणन प्राप्त महिला अभ्यर्थियों के वेतनयुक्त रोजगार मिलने में उल्लेखनीय कमी देखी गई। वर्ष 2018-22 (जून 2022 तक) के दौरान दिव्यांग अभ्यर्थियों का नामांकन कम रहा जबकि वेतनयुक्त रोजगार मिलने में कमी 100 प्रतिशत रही। वेतनयुक्त रोजगार प्रदान करने में कमी का कारण उद्योग संघों व चैंबर ऑफ कॉमर्स और प्लेसमेंट एजेंसियों के साथ प्रशिक्षुओं के लिए पर्याप्त संवेदीकरण कार्यशालाओं का आयोजन न करना हो सकता है, जैसाकि **परिच्छेद 4.2.4** में इंगित किया गया है।

हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम ने बताया (अगस्त 2023) कि स्थानीय क्षेत्रों में नौकरियों की उपलब्धता वेतनयुक्त रोजगार में महिलाओं की प्रतिभागिता को प्रभावित कर रही है। हालांकि तथ्य यह है कि दिव्यांग व महिला अभ्यर्थियों के वेतनयुक्त रोजगार में उल्लेखनीय अंतर था।

### 4.5.2 प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षण

#### 4.5.2.1 प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत लक्ष्य की प्राप्ति न होना

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना दिशा-निर्देशों के परिच्छेद 1.4.10 व 4.6 में प्रशिक्षण पार्टनर को प्रशिक्षुओं के बैच के कम से कम 50 प्रतिशत को सफलतापूर्वक रोजगार देना निर्धारित है।

वर्ष 2017-22 के दौरान राज्य में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत दिए गए प्रशिक्षण की स्थिति **तालिका 4.10** में दी गई है।

**तालिका 4.10: 2017-22 के दौरान प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत राज्य में हुए प्रशिक्षण की स्थिति**

| प्रशिक्षण का प्रकार | अवधि | आवंटन | लक्ष्य | नामांकित | प्रशिक्षित (लक्ष्य के प्रति प्रतिशत) | आंकलित | प्रमाणित (प्रशिक्षित के प्रति प्रतिशत) | रोजगार प्राप्त (प्रमाणन प्राप्त के प्रति प्रतिशत) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना-2.0 अल्पकालिक प्रशिक्षण | 2017-22 | 40,012 | 35,080 | 16,484 | 13,733 (39) | 12,652 | 11,300 (82) | 2,908 (26) |
| प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना-2.0 पूर्व शिक्षा की मान्यता | 2019-20 | 4,500 | 4,500 | 1,568 | 1,022 (23) | 876 | 876 (86) | लागू नहीं |
| प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना-3.0 अल्पकालिक प्रशिक्षण | 2020-22 (10/22 तक) | -- | 540 | 501 | 501 (93) | 387 | 365 (73) | 22 (06) |
| प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना-3.0 पूर्व शिक्षा की मान्यता | 2020-21 | -- | 2,400 | 1,640 | 1,640 (68) | 1,355 | 1,200 (73) | लागू नहीं |
| प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना-3.0 कोविड क्रैश कोर्स | 2021-22 | -- | 120 | 80 | 78 (65) | 75 | 68 (87) | 4 (06) |
| **योग (पूर्व शिक्षा की मान्यता के अतिरिक्त)** | | **40,012** | **35,740** | **17,065** | **14,312 (40)** | **13,114** | **11,733 (82)** | **2,934 (25)** |

*स्रोत: हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े। टिप्पणी: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े प्रतिशत में हैं।*

लेखापरीक्षा में पाया गया कि:

- प्रशिक्षित अभ्यर्थियों का लक्ष्य के प्रति प्रतिशतता मात्र 40 प्रतिशत था।

- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत प्रशिक्षित अभ्यर्थियों के प्रति प्रमाणित अभ्यर्थियों का प्रतिशत 73 से 87 के मध्य रहा।
- प्रमाणित अभ्यर्थियों (पूर्व शिक्षा की मान्यता के अतिरिक्त) के प्रति रोजगार प्राप्त अभ्यर्थियों का प्रतिशतता छः से 26 के मध्य था, जो 50 प्रतिशत के अपेक्षित स्तर से काफी कम है।

हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम ने बताया (अगस्त 2023) कि कोविड-19 के प्रसार के कारण लगाए गए प्रतिबंधों के कारण प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं की जा सकी। उसने आगे बताया कि प्रमाणित अभ्यर्थियों की भर्ती में परिचालन/कार्यान्वयन संबंधी समस्याएं थीं। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कोविड-पूर्व अवधि के दौरान भी लक्ष्यों की प्राप्ति कम रही।

#### 4.5.2.2 प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2.0 व 3.0 के कार्यान्वयन में अन्य अनियमितताएं

लेखापरीक्षा ने हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना-2 (सात प्रशिक्षण सेवा प्रदाताओं[33] को अल्पकालिक प्रशिक्षण आवंटित), पूर्व शिक्षा की मान्यता (एक प्रशिक्षण सेवा प्रदाता -आईएल व एफएस) एवं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना-3 (तीन प्रशिक्षण सेवा प्रदाता[34]) के तहत 11 प्रशिक्षण सेवा प्रदाताओं से अंतर्व्याप्त 13 पूर्ण परियोजनाओं[35] के अभिलेखों की संवीक्षा की, जिनमें निम्नलिखित लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां पाई गईं, जैसाकि **तालिका 4.11** में दर्शाया गया है।

**तालिका 4.11: प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2.0 व 3.0 के कार्यान्वयन में देखी गई अन्य अनियमितताएं**

| क्र. सं. | प्रावधान | लेखापरीक्षा अभ्युक्ति | हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम द्वारा प्रस्तुत उत्तर व निष्कर्ष (जनवरी 2023) |
|---|---|---|---|
| **प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना-2.0 (अल्पकालिक प्रशिक्षण)** | | | |
| i. | प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना-2.0 (अल्पकालिक प्रशिक्षण ) दिशानिर्देशों के परिच्छेद संख्या 1.3.7 के अनुसार प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना केंद्रों | हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम द्वारा नमूना जांचित सभी सात | हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम ने कहा कि उपस्थिति दर्ज करने के लिए बायोमेट्रिक यंत्र का इस्तेमाल |

[33] **अल्पकालिक प्रशिक्षण:** गोल्डन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी; ओरियन एडुटेक; मेंटर स्किल इंडिया; लॉर्ड गणेश इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी; सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड; इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट एजुकेशन सोसाइटी रामपुर बुशहर और श्री राधा कृष्ण इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड।

[34] **अल्पकालिक प्रशिक्षण**: सरकारी आईटीआई संधोल; **आरपीएल**: डीयूनीक व **विशेष परियोजना**: आईएल व एफएस।

[35] चूंकि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2.0 व प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 बंद हो चुकी हैं अतः लेखापरीक्षा के समय कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम नहीं चल रहा था।

| क्र. सं. | प्रावधान | लेखापरीक्षा अभ्युक्ति | हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम द्वारा प्रस्तुत उत्तर व निष्कर्ष (जनवरी 2023) |
|---|---|---|---|
| | पर छात्रों व प्रशिक्षकों की उपस्थिति (आधार सक्षम) दर्ज करने के लिए बायोमेट्रिक यंत्र अनिवार्य है। | प्रशिक्षण सेवा प्रदाताओं के संबंध में जांच के लिए प्रासंगिक अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए थे। | किया गया था। हालांकि अभिलेखों के अभाव में इसकी पुष्टि नहीं हो सकी। |
| ii. | प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना-2.0 (अल्पकालिक प्रशिक्षण) दिशानिर्देशों के परिच्छेद संख्या 1.4.5 के अनुसार प्रशिक्षण सेवा प्रदाताओं द्वारा राज्य/स्थानीय प्रतिनिधियों के साथ समन्वय में कम से कम हर छह माह में एक बार कौशल मेलों का आयोजन किया जाना अपेक्षित था। कौशल मेलों का उद्देश्य स्कूल छोड़ने वाले व स्नातक कॉलेज छोड़ने वाले छात्रों को अल्पकालिक प्रशिक्षण हेतु प्रेरित करना है। | इस संबंध में हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम में पांच प्रशिक्षण सेवा प्रदाताओं के प्रासंगिक अभिलेख उपलब्ध नहीं थे, जबकि दो प्रशिक्षण सेवा प्रदाताओं (लार्ड गणेश व एससीएस ई-गवर्नेंस) ने कौशल मेला आयोजित नहीं किया था। | हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम ने बताया (अगस्त 2023 में) कि कौशल मेला आयोजित करना प्रशिक्षण सेवा प्रदाताओं की जिम्मेदारी थी, इसलिए हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम के पास इस संबंध में कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं है।<br><br>अभिलेखों के अभाव में, पांच प्रशिक्षण सेवा प्रदाताओं द्वारा आयोजित कौशल मेले की प्रभावशीलता, यदि कोई हो, का लेखापरीक्षा में पता नहीं लगाया जा सका।<br><br>इसके अतिरिक्त दो प्रशिक्षण सेवा प्रदाताओं द्वारा कौशल मेलों का आयोजन न करने से लक्ष्य प्राप्ति में कमी हो सकती है। |
| iii. | प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना-2.0 (अल्पकालिक प्रशिक्षण) दिशानिर्देशों के परिच्छेद संख्या 1.4.5 के अनुसार-प्रशिक्षण सेवा प्रदाताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि अभ्यर्थी जुटाने के प्रयास प्रिंट, आउटडोर व डिजिटल मीडिया पर दिखाई दें। | हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम स्तर पर अभिलेख उपलब्ध नहीं थे। | हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम ने बताया कि नमूना-जांचित सात में से पांच प्रशिक्षण सेवा प्रदाताओं से संबंधित डेटा स्किल डेवलपमेंट मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल पर उपलब्ध है (जो अब निष्क्रिय है—अब और सुलभ नहीं है) और दो प्रशिक्षण सेवा प्रदाताओं (मैसर्स आईएचएम व मैसर्स राधे कृष्णा) के संबंध में प्रासंगिक जानकारी प्रशिक्षण सेवा प्रदाताओं के स्तर पर उपलब्ध है। हालांकि लेखापरीक्षा में स्किल डेवलपमेंट मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल पर उपलब्ध |

| क्र. सं. | प्रावधान | लेखापरीक्षा अभ्युक्ति | हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम द्वारा प्रस्तुत उत्तर व निष्कर्ष (जनवरी 2023) |
|---|---|---|---|
| | | | अभिलेखों तक पहुँच प्रदान नहीं की गई।<br>अतः लेखापरीक्षा में अभ्यर्थी जुटाने की सीमा की नमूना-जांच नहीं की जा सकी। |
| iv. | प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना-2.0 (अल्पकालिक प्रशिक्षण) दिशानिर्देशों के परिच्छेद संख्या 1.4.6- क्षेत्र कौशल परिषद् को प्रशिक्षकों के प्रमाणन हेतु प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण आयोजित करने का अधिदेश दिया गया है। | हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम स्तर पर अभिलेख उपलब्ध नहीं थे। | हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम ने बताया (अगस्त 2023) कि प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण प्रमाणन के विवरण कौशल विकास प्रबंधन प्रणाली पोर्टल पर अपलोड किए गए थे जो अब कार्यात्मक नहीं है।<br>स्पष्टतः अभिलेखों के अभाव में प्रशिक्षकों के लिए आयोजित प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण को लेखापरीक्षा में सत्यापित नहीं किया जा सका। |
| v. | प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना-2.0 (अल्पकालिक प्रशिक्षण) दिशानिर्देशों के परिच्छेद संख्या 1.4.7 के अनुसार प्रत्येक प्रमाणन प्राप्त अभ्यर्थी को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से जोड़ा जाएगा। अभ्यर्थियों के संबंधित प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना प्रमाणपत्रों पर बीमा खंड का उल्लेख होगा। प्रशिक्षण सेवा प्रदाता उनसे संबंधित बैच में प्रत्येक नामांकित अभ्यर्थी के बीमा शुल्क का भुगतान करने हेतु जिम्मेदार होंगे। | प्रमाणन प्राप्त अभ्यर्थियों को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से नहीं जोड़ा गया। | हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम ने बताया कि प्रमाणित अभ्यर्थियों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से जोड़ा नहीं गया क्योंकि प्रमाणित अभ्यर्थियों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से जोड़ने के लिए कोई उपयुक्त एजेंसी की पहचान नहीं की जा सकी है।<br>इस प्रकार, प्रशिक्षु प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अपेक्षित लाभ से वंचित रह गए। |
| vi. | प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना-2.0 (अल्पकालिक प्रशिक्षण) दिशानिर्देशों के परिच्छेद संख्या 1.4.10 के अनुसार- प्रशिक्षण सेवा प्रदाताओं के लिए मेंटरशिप-सह-प्लेसमेंट सेल होना आवश्यक है। | हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम स्तर पर अभिलेख उपलब्ध नहीं थे। | हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम ने बताया (अगस्त 2023) कि डेटा स्किल डेवलपमेंट मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल पर अपलोड किया गया था जो अब निष्क्रिय है।<br>स्पष्टतः, अभिलेखों के अभाव में प्रशिक्षकों के लिए आयोजित प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण लेखापरीक्षा में प्रमाणित नहीं किया जा सका। |

| क्र. सं. | प्रावधान | लेखापरीक्षा अभ्युक्ति | हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम द्वारा प्रस्तुत उत्तर व निष्कर्ष (जनवरी 2023) |
|---|---|---|---|
| vii. | प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना-2.0 (अल्पकालिक प्रशिक्षण) दिशानिर्देशों के परिच्छेद संख्या 1.4.4 के अनुसार, कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षु या तो स्कूल/कॉलेज छोड़ चुका होना चाहिए या बेरोजगार होना चाहिए। | हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम स्तर पर प्रासंगिक अभिलेख उपलब्ध नहीं थे। | हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम ने कहा कि अभिलेख उपलब्ध नहीं है। स्पष्ट है, लेखापरीक्षा में प्रशिक्षुओं की पात्रता स्थिति का आंकलन नहीं किया जा सका। अयोग्य व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। |
| viii. | प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना-2.0 (अल्पकालिक प्रशिक्षण) दिशानिर्देशों के परिच्छेद संख्या 1.4.4- प्रशिक्षण सेवा प्रदाताओं को लक्ष्यों का आवंटन उनकी कुल न्यूनतम 70 प्रतिशत प्लेसमेंट प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा। इन लक्ष्यों की हर छः माह में निष्पादन समीक्षा की जाएगी। | नमूना-जांचित सात प्रशिक्षण सेवा प्रदाताओं के संबंध में आवंटित लक्ष्यों व प्लेसमेंट प्रदर्शन की हर छह माह में निष्पादन समीक्षा नहीं की गई। | हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम ने बताया कि इसका पालन नहीं किया गया। आगे कहा गया कि लक्ष्यों का समान वितरण सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षण पार्टनरों को छोटे लक्ष्य आवंटित किए गए थे।<br><br>प्रशिक्षण सेवा प्रदाता न्यूनतम प्लेसमेंट स्तर (परिच्छेद 4.5.1.1) प्राप्त करने में विफल रहे एवं लक्ष्यों की कोई निष्पादन समीक्षा नहीं की गई। |
| **प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना-3.0** | | | |
| ix. | प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना-3.0 (अल्पकालिक प्रशिक्षण) दिशानिर्देशों का परिच्छेद संख्या 6-प्रशिक्षण केंद्रों की निगरानी के उच्च मानक सुनिश्चित किए जाने थे। इस उद्देश्यार्थ तिमाही प्रगति रिपोर्ट, जियो-टैगिंग, लेखापरीक्षा आदि किए जाने थे। उन प्रशिक्षण सेवा प्रदाताओं को शामिल किया जाना था जो प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए बनाए गए बुनियादी ढांचे के स्वामित्व/दीर्घकालिक लीज के साक्ष्य के माध्यम से लंबे समय तक कौशल विकास आंदोलन के प्रति प्रतिबद्धता दिखाते हैं। | प्रशिक्षण केन्द्र (सरकारी आईटीआई, संधोल) की निगरानी का प्रासंगिक अभिलेख हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम स्तर पर उपलब्ध नहीं था। | हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम ने उत्तर दिया कि मुख्यालय में कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं है।<br>स्पष्टतः प्रशिक्षण कार्यक्रम की आवश्यकता के अनुसार प्रशिक्षण सेवा प्रदाताओं के स्तर पर बुनियादी ढांचे की उपलब्धता का पता उक्त अभिलेख के अभाव में नहीं लगाया जा सका। |
| x. | प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना-3.0 (अल्पकालिक प्रशिक्षण) दिशानिर्देशों का परिच्छेद संख्या 6-प्रशिक्षण केंद्रों की मान्यता व संबद्धता के दौरान, प्लेस्ड अभ्यर्थियों की नौकरी के लिए तत्परता | प्रशिक्षण केन्द्र (सरकारी आईटीआई संधोल) की मान्यता एवं सम्बद्धता के आवश्यक प्रासंगिक | हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम ने उत्तर दिया कि कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं है।<br>स्पष्ट है कि संबंधित अभिलेख के अभाव में उद्योग/प्लेसमेंट पार्टनरों के |

| क्र. सं. | प्रावधान | लेखापरीक्षा अभ्युक्ति | हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम द्वारा प्रस्तुत उत्तर व निष्कर्ष (जनवरी 2023) |
|---|---|---|---|
| | (तकनीकी व सॉफ्ट स्किल्स) के संबंध में उद्योग/प्लेसमेंट पार्टनर से फीडबैक प्राप्त किया जाना है। | अभिलेख हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम स्तर पर उपलब्ध नहीं थे। | साथ समन्वय में प्रशिक्षुओं की नौकरी के लिए तत्परता का पता नहीं लगाया जा सका। |
| xi. | प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना-3.0 (अल्पकालिक प्रशिक्षण) दिशानिर्देशों के परिच्छेद संख्या 7 के अनुसार- पंजीकरण, नामांकन व अभ्यर्थी का चयन सामान्य डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया जाएगा।<br>इस प्लेटफॉर्म को स्किल इंडिया पोर्टल के साथ एकीकृत किया जाएगा ताकि पंजीकरण के बाद अभ्यर्थी के जीवनचक्र को सुसंगत रूप से मैप किया जा सके। | हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम ने प्रशिक्षुओं का प्रबंधन सूचना प्रणाली डाटा स्किल इंडिया पोर्टल के साथ एकीकृत नहीं किया। | हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम ने बताया कि उसने प्रबंधन सूचना प्रणाली डेटा को स्किल इंडिया पोर्टल डेटा के साथ एकीकृत करने का प्रयास किया, परन्तु एमएसडीई/राष्ट्रीय कौशल विकास निगम में तकनीकी गड़बड़ियों के कारण इसे एकीकृत नहीं किया जा सका।<br>हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम ने बताया (अगस्त 2023) कि उसे अभी तक स्किल इंडिया पोर्टल का एक्सेस प्रदान नहीं किया गया है।<br>स्किल इंडिया पोर्टल पर डाटा मैपिंग न होने के कारण राज्य में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना-3.0 के तहत प्रमाणित अभ्यर्थियों का डाटाबेस राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध नहीं था। |
| xii. | प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना-3.0 (अल्पकालिक प्रशिक्षण) दिशानिर्देशों का परिच्छेद संख्या 10- योजना के परिणामों को बेहतर बनाने के लिए अभ्यर्थियों को, विशेष समूहों सहित, अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाएगी:<br>• परिवहन लागत<br>• प्लेसमेंट पश्चात स्टाइपेंड<br>• दिव्यांग उम्मीदवारों को अतिरिक्त सहायता<br>• दुर्घटना बीमा<br>• प्रशिक्षण प्रदाता को वार्षिक प्रोत्साहन<br>• एक बार की प्लेसमेंट यात्रा लागत<br>• विदेश में प्लेसमेंट के लिए विशेष प्रोत्साहन<br>• प्लेसमेंट पश्चात ट्रैकिंग भत्ता | योजना के परिणाम को बेहतर बनाने के लिए अतिरिक्त सहायता के प्रावधान का अनुपालन नहीं किया गया। | हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम ने बताया कि किसी भी प्रशिक्षण सेवा प्रदाता से ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ। हालांकि उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि 13 दिव्यांग अभ्यर्थियों को पूर्ण परियोजनाओं में प्रशिक्षण प्रदान किया गया था, जिन्हें आवश्यकतानुसार अतिरिक्त सहायता प्रदान नहीं की गई।<br>इससे योजना का परिणाम प्रभावित हुआ, क्योंकि प्रमाणित दिव्यांग अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं हो सकी। |

| क्र. सं. | प्रावधान | लेखापरीक्षा अभ्युक्ति | हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम द्वारा प्रस्तुत उत्तर व निष्कर्ष (जनवरी 2023) |
|---|---|---|---|
| xiii. | प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना-3.0 (लघुअवधि प्रशिक्षण) दिशानिर्देशों का परिच्छेद संख्या 13- प्लेसमेंट से संबंधित गतिविधियों की अनुसूची व्यापक प्रचार के लिए जिला कौशल परिषदों को प्रसारित की जाएगी। | प्लेसमेंट से संबंधित गतिविधियों की अनुसूची आवश्यकतानुसार प्रसारित नहीं की गई। | हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम ने बताया कि जिला कौशल परिषद का गठन 2020-21 में किया गया था और उस समय तक प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना समापन के समीप पहुंच गया था।<br>अनुसूची के प्रसारित न होने से प्रमाणित अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। |
| xiv. | प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना-3.0 (अल्पकालिक प्रशिक्षण) दिशानिर्देशों का परिच्छेद संख्या 13- कैप्टिव प्लेसमेंट (एक ही उद्योग में प्रशिक्षण व प्लेसमेंट) से जुड़े प्रशिक्षण को बढ़ावा दिया जाएगा। | इसका अनुपालन नहीं किया गया। | हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम ने बताया (अगस्त 2023) कि भविष्य में कैप्टिव प्लेसमेंट से जुड़े प्रशिक्षणों को बढ़ावा दिया जाएगा।<br>उद्योग के भीतर प्लेसमेंट से जुड़े प्रशिक्षणों का आयोजन न करना अभ्यर्थियों के कम प्लेसमेंट का एक कारण है। |
| xv. | प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना-3.0 (अल्पकालिक प्रशिक्षण) दिशानिर्देशों के परिच्छेद 13 में प्रावधान है कि प्लेसमेंट व अप्रेंटिसशिप के लिए प्रशिक्षण सेवा प्रदाताओं/जिला कौशल परिषद/राज्य कौशल विकास मिशन/क्षेत्र कौशल परिषद् द्वारा जिला और क्षेत्रीय स्तर पर नियमित अंतराल पर रोजगार मेलों का आयोजन किया जाना है। | कोई रोजगार मेला आयोजित नहीं किया गया। | हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम ने बताया कि मौजूदा कोविड मानदंडों के कारण कोई रोजगार मेला आयोजित नहीं किया जा सका।<br>उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जाना चाहिए कि प्रमाणित अभ्यर्थियों का प्लेसमेंट अपेक्षित स्तर (70 प्रतिशत) तक नहीं हुआ। |
| xvi. | प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना-3.0 (अल्पकालिक प्रशिक्षण) दिशानिर्देशों के परिच्छेद संख्या 13 के अनुसार प्रशिक्षण सेवा प्रदाताओं, जिला कौशल परिषद, राज्य कौशल विकास मिशन द्वारा तीन माह की प्लेसमेंट/स्वरोजगार निगरानी की जाएगी। | ऐसी कोई निगरानी नहीं की गई। | हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम ने बताया कि प्लेसमेंट के अभिलेख हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम के प्रबंधन सूचना प्रणाली पोर्टल पर उपलब्ध है।<br>हालांकि प्रमाणित अभ्यर्थियों की निगरानी का कोई अभिलेख, कि वे जिस नौकरी में नियुक्त हुए थे उसमें बने रहे या बीच में छोड़ दिया, प्रबंधन सूचना प्रणाली पर उपलब्ध नहीं है। |
| xvii. | प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना-3.0 (अल्पकालिक प्रशिक्षण) दिशानिर्देशों के | हिमाचल प्रदेश कौशल विकास | हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम ने (अगस्त 2023 में) बताया कि यह |

| क्र. सं. | प्रावधान | लेखापरीक्षा अभ्युक्ति | हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम द्वारा प्रस्तुत उत्तर व निष्कर्ष (जनवरी 2023) |
|---|---|---|---|
| | परिच्छेद संख्या 13 में प्रावधान है कि सभी प्रमाणित अभ्यर्थियों को आत्मनिर्भर कुशल कर्मचारी नियोक्ता मैपिंग (स्किल्ड एम्प्लॉयी एम्प्लॉयर मैपिंग, असीम) पोर्टल (कुशल कार्यबल की निर्देशिका के रूप में कार्य करता है) पर निर्बाध रूप से ऑनबोर्ड (शामिल) किया जाएगा, ताकि उन्हें माउस के एक क्लिक पर संभावित नियोक्ताओं के लिए उपलब्ध कराया जा सके। | निगम स्तर पर असीम पोर्टल का प्रासंगिक रिकॉर्ड या लॉगिन आईडी उपलब्ध नहीं है। | प्रशिक्षण सेवा प्रदाताओं का दायित्व था, परन्तु ऑनबोर्डिंग की सुविधा नहीं हो सकी क्योंकि हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम को भारत सरकार से लॉगिन क्रेडेंशियल्स प्राप्त नहीं हुए। अभ्यर्थियों को ऑनबोर्ड में विफलता के कारण, उन्हें संभावित नियोक्ताओं द्वारा प्रमाणित प्रशिक्षुओं का विवरण प्राप्त करने के लिए विकसित पोर्टल पर पंजीकरण के लाभ से वंचित कर दिया। |
| xviii. | प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना-3.0 (लघुअवधि प्रशिक्षण) दिशानिर्देशों के परिच्छेद संख्या 13 के अनुसार प्लेसमेंट पश्चात सत्यापन राज्य कौशल विकास मिशन अर्थात हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम और जिला स्तर पर जिला कौशल परिषद द्वारा किया जाएगा। | हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम स्तर पर प्रासंगिक अभिलेख उपलब्ध नहीं थे। | प्लेसमेंट पश्चात सत्यापन अभिलेखों के अभाव में लेखापरीक्षा में अभ्यर्थियों की वास्तविक प्लेसमेंट का सत्यापन नहीं किया जा सका। |
| xix. | प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना-3.0 (पूर्व शिक्षा की मान्यता) दिशानिर्देशों का परिच्छेद संख्या 6- संभावित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षक द्वारा पूर्व शिक्षा की मान्यता प्रमाणन के लाभ, करियर में प्रगति, सीखे गए कौशल के साथ रोजगार के अवसर, ज्ञान अंतराल की पहचान आदि के बारे में परामर्श दिया जाना है। | प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पूर्व शिक्षा की मान्यता) के अंतर्गत अभ्यर्थियों की प्री-स्क्रीनिंग और काउंसलिंग (परामर्श देना) के प्रासंगिक अभिलेख उपलब्ध नहीं थे। | हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम ने बताया कि उक्त गतिविधियां क्षेत्रीय स्तर पर की जाती हैं। प्रासंगिक अभिलेखों के अभाव में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना-पूर्व शिक्षा की मान्यता के अंतर्गत की गई प्री-स्क्रीनिंग व काउंसलिंग की सत्यता लेखापरीक्षा में सुनिश्चित नहीं की जा सकी। |
| xx. | परिच्छेद संख्या 6 प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना-3.0 (पूर्व शिक्षा की मान्यता) दिशानिर्देश- सभी पूर्व शिक्षा की मान्यता प्रमाणन प्राप्त अभ्यर्थियों को तीन वर्ष का दुर्घटना बीमा मिलेगा। संबंधित प्रमाणित अभ्यर्थियों को दिए जाने वाले प्रमाणपत्र पर दुर्घटना बीमा की एक विशिष्ट पॉलिसी संख्या का उल्लेख किया जाए। | पूर्व शिक्षा की मान्यता प्रमाणन प्राप्त अभ्यर्थियों को जारी प्रमाणपत्रों पर दुर्घटना बीमा की विशिष्ट पॉलिसी संख्या अंकित नहीं पाई गई। | हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम ने बताया (अगस्त 2023) कि प्रमाणित अभ्यर्थियों के बीमा के लिए कोई उपयुक्त एजेंसी निर्धारित नहीं की जा सकी। इसके अभाव में 1200 प्रमाणित प्रशिक्षु बीमा कार्यक्रम के अभीष्ट लाभों से वंचित रह गए। |

### 4.5.3 आजीविका संवर्धन हेतु कौशल अधिग्रहण एवं ज्ञान जागरूकता (संकल्प) के अंतर्गत प्रशिक्षण

हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम और हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प व हथकरघा निगम लिमिटेड के मध्य राज्य विशिष्ट कला व शिल्प के कौशल उन्नयन, डिजाइन हस्तक्षेप और विपणन के लिए आजीविका संवर्धन हेतु कौशल अधिग्रहण व ज्ञान जागरूकता (संकल्प) के तहत अक्टूबर 2021 में समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। समझौता-ज्ञापन के अनुसार हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प व हथकरघा निगम लिमिटेड को राज्य विशिष्ट कला और शिल्प[36] के कौशल उन्नयन, डिजाइन हस्तक्षेप व विपणन के लिए 200 अभ्यर्थियों को ₹ 22,400 प्रति अभ्यर्थी व्यय की दर से प्रशिक्षण प्रदान करना था, जिसकी कुल परियोजना लागत ₹ 44.80 लाख थी। प्रशिक्षण की अवधि छः माह थी एवं समझौता-ज्ञापन हस्ताक्षरित होने की तिथि (12 अक्टूबर 2021) से एक वर्ष की अवधि के भीतर 200 अभ्यर्थियों (महिलाओं, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, दिव्यांगों को प्राथमिकता देते हुए) को प्रशिक्षित किया जाना था।

समझौता-ज्ञापन के अधीन प्रशिक्षण के घटकों में शामिल थे: (i) सभी हितधारकों के लिए क्षमता निर्माण, परिचयात्मक प्रशिक्षण (ओरिएंटेशन) एवं संवेदीकरण कार्यशालाओं का संचालन (ii) प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण करवाना।

हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम को हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प व हथकरघा निगम लिमिटेड को अभ्यर्थी जुटाने हेतु अग्रिम के रूप में 10 प्रतिशत जारी करना था एवं शेष राशि अभ्यर्थियों के प्रशिक्षण के पश्चात दी जानी थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि:

- हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम ने अक्टूबर 2021 एवं अगस्त 2022 के मध्य हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प व हथकरघा निगम लिमिटेड को ₹ 4.48 लाख की अपेक्षित राशि के प्रति ₹ 41.23 लाख अग्रिम जारी किए। हालांकि दिसंबर 2022 तक किए गए व्यय का विवरण प्राप्त नहीं किया गया था।
- प्रबंधन सूचना प्रणाली डेटा (फरवरी 2023) के अनुसार संकल्प के अंतर्गत अभ्यर्थियों को दिए गए प्रशिक्षण का विवरण **तालिका 4.12** में दिया गया है।

[36] बांस शिल्प, हाथ बुनाई, पाइन नीडल शिल्प, कांगड़ा लघु पेंटिंग, चंबा ग्रामीण कढ़ाई शिल्प और मिट्टी के बर्तनों के व्यापार/नौकरी की भूमिकाएं

**तालिका 4.12: संकल्प के अंतर्गत अभ्यर्थियों को दिए किए गए प्रशिक्षण का विवरण**

| योजना | नामांकित | प्रशिक्षण ले रहे | प्रशिक्षित | आंकलित | प्रमाणित |
|---|---|---|---|---|---|
| संकल्प | 176 | 126 | 50 | 50 | 0 |

**तालिका 4.12** से स्पष्ट है कि:

(i) यह प्रशिक्षण समझौता-ज्ञापन हस्ताक्षरित होने की तिथि (अक्टूबर 2021) से एक वर्ष के भीतर दिया किया जाना था। हालांकि मार्च 2023 तक समझौता-ज्ञापन की समाप्ति से पांच माह बीत जाने के बाद भी किसी अभ्यर्थी को प्रमाणित नहीं किया गया।

(ii) प्रशिक्षण में महिलाओं, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग अभ्यर्थियों को प्राथमिकता देनी थी तथापि हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम के पास प्रशिक्षुओं की श्रेणी के विषय में कोई जानकारी प्रबंधन सूचना प्रणाली में या मैन्युअल रूप से उपलब्ध नहीं थी।

(iii) संकल्प के अंतर्गत प्रशिक्षण हेतु नामांकित अभ्यर्थियों की संख्या 200 के लक्ष्य के प्रति 176 रही।

(iv) इसके अतिरिक्त प्रशिक्षकों के लिए कोई प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण आयोजित नहीं किया गया, जैसाकि **परिशिष्ट 4.7** में दर्शाया गया है।

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम की ओर से समझौता-ज्ञापन के कार्यान्वयन की निगरानी नहीं की गई तथा समझौता-ज्ञापन के अनुसार निर्धारित अवधि के भीतर प्रशिक्षण पूरा नहीं किया गया।

## 4.6 क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षकों की पर्याप्तता

क्षमता निर्माण कौशल और ज्ञान प्रबंधन के निरंतर उन्नयन को सक्षम बनाता है और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संगठन की क्षमता बढ़ाने के लिए आवश्यक है।

### 4.6.1 मास्टर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण

हिमाचल प्रदेश कौशल विकास परियोजना की परियोजना प्रशासन नियम-पुस्तिका के आउटपुट 4 (iv) के अनुसार 50 मास्टर प्रशिक्षकों को प्रमुख ट्रेड्स में आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान किया जाना था, ताकि वे प्रशिक्षण सेवा प्रदाताओं द्वारा नियुक्त प्रशिक्षकों को आगे प्रशिक्षित कर सकें। हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम ने प्रशिक्षण हेतु 33 क्षेत्रों को चिह्नित किया, जिनमें से 30 क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि:

- इन 30 क्षेत्रों में प्रमुख ट्रेडों को चिह्नित किए बिना ₹ 21.40 लाख की लागत से तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक व औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग के 62 प्रतिभागियों को तीन क्षेत्रों[37] में केवल छ:[38] ट्रेडों में मास्टर प्रशिक्षण के लिए निदेशक, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक व औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग एवं सेंट्रल टूल रूम व प्रशिक्षण केंद्र, कोलकाता के मध्य समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए (जून 2022)।
- उपरोक्त 30 क्षेत्रों में से केवल तीन (जिनमें मात्र 17 प्रतिशत प्रमाणित अभ्यर्थी थे) के ट्रेडों को कवर किया गया तथा शेष 27 क्षेत्रों के ट्रेडों, जिनमें सितंबर 2022 तक 83 प्रतिशत **(परिशिष्ट 4.4)** अभ्यर्थियों को प्रमाणित किया गया, उन्हें मास्टर प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु पात्र नहीं माना गया। शेष चिह्नित क्षेत्रों के संबंध में विभिन्न प्रशिक्षण सेवा प्रदाताओं द्वारा नियुक्त प्रशिक्षकों के मास्टर प्रशिक्षण के अभाव में अभ्यर्थियों को कौशल प्रदान करने की गुणवत्ता प्रभावित होना निश्चित है।
- उपरोक्त में से 59 प्रशिक्षकों ने तीन क्षेत्रों में ₹ 19.78 लाख की लागत के मास्टर प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया जबकि 30 क्षेत्रों में 50 मास्टर प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित किए जाने की आवश्यकता थी।

हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम ने बताया (अगस्त 2023) कि अन्य ट्रेडों को शामिल करते हुए और अधिक प्रशिक्षण कार्यक्रम शीघ्र शुरू किए जाएंगे। उत्तर को इस तथ्य के संदर्भ में देखा जाना चाहिए कि मास्टर प्रशिक्षकों को मात्र तीन क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान किया गया है, जबकि हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम द्वारा चिह्नित 30 क्षेत्रों में प्रशिक्षण आयोजित किए जा रहे हैं।

### 4.6.2 प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण एवं मूल्यांकनकर्ताओं का प्रशिक्षण

अल्पकालिक कौशल विकास कार्यक्रमों में कार्यरत प्रशिक्षकों और आंकलनकर्ताओं को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित ढांचे[39] के आधार पर प्रशिक्षण लेना होता है, जिसमें डोमेन (क्षेत्र व जॉब रोल- विषय विशिष्ट) एवं प्लेटफॉर्म (प्रशिक्षण देने/आंकलन) कौशल पर अभिविन्यास शामिल होता है, जिसके बाद आंकलन और प्रमाणित किया जाता है। प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण एवं आंकलनकर्ताओं का प्रशिक्षण दो श्रेणियों में है (i) बुनियादी (सात से 10 दिनों का प्रशिक्षण), तदोपरांत (ii) उन्नत (अधिकतम 15 सप्ताह की अवधि)। बुनियादी प्रमाणन दो वर्ष हेतु वैध है जबकि उन्नत प्रमाणन की वैधता आजीवन है। प्रशिक्षकों का प्रमाणन सुनिश्चित करता है कि

---

37 आर्किटेक्चर, प्लंबिंग और सूचना प्रौद्योगिकी

38 बेसिक आर्किटेक्चर किट, एडवांस सिविल सॉफ्टवेयर डिजाइन, मैकेनिकल डिजाइन, वेल्डिंग टेक्नोलॉजी, सीएनसी मशीनिस्ट और कंप्यूटर ऑपरेटर व हार्डवेयर सहायक।

39 संबंधित कौशल क्षेत्र परिषद द्वारा संचालित। प्रशिक्षकों और मूल्यांकनकर्ताओं को स्वयं कौशल भारत पोर्टल पर प्रशिक्षण के लिए नामांकन करना होता है।

प्रशिक्षक संबंधित उद्योगों में हो रहें विकास के अनुसार अद्यतित (अपडेटेड) रहें और प्रमाणित आंकलन कर्ता उद्योग मानकों के अनुसार छात्रों का मूल्यांकन सुनिश्चित करता है।

यद्यपि लेखापरीक्षा में पाया गया कि हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम के पास प्रशिक्षण सेवा प्रदाताओं द्वारा संलग्न प्रशिक्षकों/आंकलनकर्ताओं की संख्या, प्रशिक्षण हेतु शेष प्रशिक्षकों/आंकलनकर्ताओं तथा बुनियादी एवं उन्नत प्रमाणित प्रशिक्षित प्रशिक्षकों/आंकलनकर्ताओं से संबंधित डेटा किसी भी परियोजना में उपलब्ध नहीं है। परिणामस्वरूप संबंधित उद्योगों में हुए विकास और मानकों के अनुसार प्रशिक्षण सेवा प्रदाताओं द्वारा नियुक्त प्रशिक्षकों/मूल्यांकनकर्ताओं की प्रमाणन स्थिति को लेखापरीक्षा में सत्यापित नहीं किया जा सका।

तथ्यों की पुष्टि करते हुए हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम ने बताया (जनवरी 2023) कि संबंधित डेटा का अनुरक्षण नहीं किया गया। ऐसे डेटा के अभाव में प्रशिक्षण सेवा प्रदाताओं द्वारा मानक गुणवत्ता प्रशिक्षण के रख-रखाव का आश्वासन नहीं दिया जा सकता।

### 4.6.3 अयोग्य प्रशिक्षकों की तैनाती

उच्च शिक्षा विभाग एवं विभिन्न प्रशिक्षण सेवा प्रदाताओं के मध्य हुए अनुबंध के परिच्छेद 6.5.2 में प्रावधान है कि प्रशिक्षण सेवा प्रदाताओं को राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद के मानदंडों के अनुसार संबंधित क्षेत्र कौशल परिषद से प्रशिक्षित व प्रमाणित प्रशिक्षकों को तैनात करना होगा।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि तीन नमूना-जांचित सरकारी महाविद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा स्नातक प्रोग्राम हेतु तीन प्रशिक्षण सेवा प्रदाताओं[40] द्वारा प्रशिक्षण देने को तैनात किए गए 13 प्रशिक्षकों में से दो प्रशिक्षकों के बुनियादी प्रमाणन (दो वर्ष की वैधता अवधि वाले) के प्रमाणपत्रों की वैधता फरवरी 2020 व जनवरी 2021 में समाप्त हो गई थी, जबकि शेष 11 प्रशिक्षकों के प्रमाणपत्र प्रशिक्षण सेवा प्रदाताओं के पास उपलब्ध नहीं थे। अयोग्य प्रशिक्षकों की तैनाती उक्त अनुबंध के प्रावधान के विरुद्ध थी तथा इससे प्रशिक्षण की गुणवत्ता, प्रमाणीकरण व प्रशिक्षुओं के उसके आधार पर हुए प्लेसमेंट पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना तय है।

हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम ने बताया (अगस्त 2023) कि वह भविष्य में सभी प्रशिक्षकों व आंकलनकर्ताओं का प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण व आंकलनकर्ताओं का प्रशिक्षण प्रमाणित होना सुनिश्चित करेगा।

[40] कुल्लु में मैसर्स लेबरनेट, कुल्लु में मैसर्स सेंटम लर्निंग लिमिटेड और ऊना में मैसर्स ओरियन एड्यूटेक।

## 4.7 निगरानी एवं आंतरिक नियंत्रण तंत्र

### 4.7.1 प्रबंधन सूचना प्रणाली

परियोजना प्रशासन नियम-पुस्तिका के परिच्छेद 54 के अनुसार हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम को एक व्यापक प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) विकसित करनी आपेक्षित है, जो सभी कार्यान्वयन एजेंसियों की प्रमुख गतिविधियों और प्रशिक्षणों से संबंधित जानकारी को दर्ज करे और प्रासंगिक परियोजना सूचना की रियल-टाइम रिपोर्टिंग व विश्लेषण को सक्षम बनाए। इसे भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा संचालित राष्ट्रीय करियर सेवा पोर्टल से भी आसानी से लिंक किया जा सकेगा। परियोजना प्रशासन नियम-पुस्तिका के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग हेतु लेखांकन प्रणालियों को भी प्रबंधन सूचना प्रणाली के साथ एकीकृत किया जाना था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) को हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम ने केवल अभ्यर्थियों के प्रशिक्षण से संबंधित डेटा दर्ज (रिकॉर्ड) करने के लिए विकसित किया था (अक्टूबर 2016)। एमआईएस में कोई वित्तीय रिपोर्टिंग दर्ज नहीं की जा रही है।

अक्टूबर 2022 में प्रशिक्षण का एमआईएस से उत्पन्न डेटा का विश्लेषण भी प्रशिक्षुओं के विवरण/सूचना के सही होने तथा विश्वसनीयता का आंकलन करने के उद्देश्य से किया गया। विश्लेषण से पता चला की एक ही अभ्यर्थी द्वारा दो/तीन बार प्रशिक्षण, प्रशिक्षुओं की आयु की अवास्तविक प्रविष्टि, ईमेल कॉलम खाली छोड़ना, गलत संपर्क विवरण की प्रविष्टि, आंकलन तिथि का कॉलम खाली छोड़ना, आंकलन के प्रयासों की संख्या की गलत प्रविष्टियां, प्रमाणीकरण तिथि का स्थान खाली छोड़ना, अभ्यर्थियों को नौकरी मिलने की तिथि की प्रविष्टि न करना आदि, जैसी कमियां उजागर हुई, जैसाकि **परिशिष्ट 4.8** में विवर्णित है।

यह एमआईएस प्रणाली में अनियमितता व/या गलत डेटा प्रविष्टि का परिचायक है। वैधता जांच या स्वचालित जांच के अभाव में हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम द्वारा एमआईएस डेटा को डेटाबेस और राज्य सरकार/भारत सरकार/ एशियाई विकास बैंक को रिपोर्टिंग के लिए उपयोग करना विश्वसनीय नहीं माना जा सकता तथा इससे परियोजना प्रशासन नियम-पुस्तिका में परिकल्पित व्यापक एमआईएस प्रणाली का उद्देश्य भी प्राप्त नहीं हो पाया।

### 4.7.2 अभ्यर्थियों की पहचान के लिए आधार का उपयोग

भारत सरकार के दिशानिर्देशों (सितंबर 2016) के अनुसार राज्य सरकारें आधार अधिनियम 2016 की धारा 7 के तहत लाभार्थियों के लिए आधार प्रमाणीकरण का उपयोग अनिवार्य कर सकती हैं। ऐसा करने के लिए, राज्य सरकारों को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण से

अनुमति लेने से पहले आधार अधिनियम की धारा 7 के तहत ऐसी योजनाओं को अधिसूचित करना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त आधार अधिनियम, 2016 की धारा 8(2) के अनुसार प्रमाणीकरण के उद्देश्य से किसी व्यक्ति की पहचान की जानकारी एकत्र करने से पूर्व उसकी सहमति सुनिश्चित की जानी चाहिए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि आधार अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत कौशल विकास कार्यक्रमों को अधिसूचित किए बिना नामांकन/प्रशिक्षण एवं प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (नौकरी के दौरान प्रशिक्षण ऑन जॉब ट्रेनिंग - पूर्व शिक्षा की मान्यता) में अभ्यर्थियों की पहचान के लिए आधार संख्या का उपयोग किया जा रहा है। उपरोक्त कार्यक्रमों के अंतर्गत नामांकित अभ्यर्थियों से उनके आधार के उपयोग के लिए एक बार सहमति नहीं ली गई थी।

हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम ने स्वीकार किया (दिसंबर 2022) कि कौशल विकास योजनाओं के तहत नामांकित अभ्यर्थियों की पहचान के लिए आधार का उपयोग विशिष्ट आई डी के रूप में किया जाता है, हालांकि इसे आधार अधिनियम की धारा 7 के तहत अधिसूचित नहीं किया गया है।

### 4.7.3 शिकायत निवारण तंत्र

हिम कौशल नीति, 2016 के परिच्छेद 4.22 में यह प्रावधान है कि सभी प्रशिक्षु, प्रशिक्षण सेवा प्रदाताओं एवं अन्य हितधारक हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम के भीतर नामित प्राधिकारी को अपनी शिकायतें प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 के परिच्छेद 3 में विभाग/हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए सेवाओं की अधिसूचना, नामित अधिकारी, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी, द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी और निर्धारित समयसीमा निर्धारित की गई है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम ने परियोजना आरंभ होने के तीन वर्ष से अधिक समय बाद मार्च 2022 में हिमाचल प्रदेश कौशल विकास परियोजना के तहत आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र[41] स्थापित किया। हालांकि अक्टूबर 2022 तक प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना एवं संकल्प परियोजनाओं के लिए ऐसा कोई तंत्र विकसित/स्थापित नहीं किया गया।

इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम ने अक्टूबर 2022 तक हिमाचल प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत सेवाओं, नामित अधिकारियों, प्रथम अपीलीय प्राधिकरण, द्वितीय अपीलीय प्राधिकरण और निर्धारित समयसीमा को अधिसूचित नहीं किया था।

---

[41] राज्य स्तर पर प्रबंध निदेशक (हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम), जोन स्तर पर परियोजना प्रबंधक, लोक निर्माण विभाग और जिला स्तर पर शिकायत निवारण अधिकारी (जिला समन्वयक)।

हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम ने बताया (अक्टूबर 2022) कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, संकल्प और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 के तहत शिकायत निवारण तंत्र अभी स्थापित किया जाना है।

### 4.7.4 वेतन और भत्तों पर अनुचित व्यय

परियोजना प्रशासन नियम-पुस्तिका, एशियाई विकास बैंक के साथ ऋण अनुबंध, भारत सरकार के दिशा-निर्देश/अनुदेश/नियम/हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम द्वारा कार्यान्वित राज्य योजनाएं हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम में राज्य समन्वयक की नियुक्ति का प्रावधान नहीं करती।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य सरकार ने जनवरी 2019 में हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम में राज्य समन्वयक नियुक्त किया जो राज्य उद्योग मंत्री को रिपोर्ट करता है। हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम में राज्य समन्वयक की भूमिका एवं जवाबदेही को परिभाषित किए बिना, जनवरी 2019 से मार्च 2022 के दौरान हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम द्वारा एशियाई विकास बैंक प्रायोजित हिमाचल प्रदेश कौशल विकास परियोजना से ₹ 38.72 लाख (सरकारी आवास सहित) के वेतन और भत्ते का भुगतान किया गया।

हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम ने स्वीकार किया (अक्टूबर 2022) कि राज्य समन्वयक की कोई भूमिका एवं जवाबदेही निर्धारित नहीं की गई थी।

### 4.7.5 कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों की निगरानी एवं निरीक्षण

प्रशिक्षण सेवा प्रदाताओं द्वारा आयोजित प्रशिक्षणों की गुणवत्ता आश्वासन प्रक्रिया की समीक्षा के लिए प्रशिक्षण के प्रत्येक बैच का दौरा जिला समन्वयक[42], निगरानी और मूल्यांकन फर्म के सलाहकार एवं हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम मुख्यालय के अधिकारियों द्वारा किया जाना चाहिए।

कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम के निरीक्षणों का विवरण **तालिका 4.13** में दिया गया है।

---

42 जिला समन्वयक जिला स्तर पर हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम के अधिकारी होते हैं।

**तालिका 4.13: कौशल कार्यक्रमों के निरीक्षण का विवरण**

| वर्ष | बैच | अपेक्षित निरीक्षण | जिला समन्वयक द्वारा निरीक्षण | निगरानी एवं मूल्यांकन फर्म द्वारा निरीक्षण | हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम मुख्यालय के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण | किए गए कुल निरीक्षण | कमी (प्रतिशत) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-17 | 5 | 15 | 9 | 0 | -- | 9 | 6 (40) |
| 2017-18 | 8 | 24 | -- | 0 | -- | 0 | 24 (100) |
| 2018-19 | 175 | 525 | 79 | 249 | -- | 328 | 197 (38) |
| 2019-20 | 668 | 2,004 | 314 | 489 | -- | 803 | 1,201 (60) |
| 2020-21 | 34 | 102 | 24 | 501 | -- | 525 | 423 (-) |
| 2021-22 | 468 | 1,404 | 115 | 443 | -- | 558 | 846 (60) |
| **योग** | **1,358** | **4,074** | **541** | **1,682** | -- | **2,223** | **1,851 (45)** |

*स्रोत: हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े। टिप्पणी: डाटा में एक से अधिक वित्तीय वर्षों के बैचों के निरीक्षण भी शामिल हैं।*

**तालिका 4.13** से देखा जा सकता है कि वर्ष 2016-22 के दौरान विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा किए गए निरीक्षणों में कुल 45 प्रतिशत की कमी थी।

### 4.7.6 हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम के तहत कंसल्टेंसी फर्मों का प्रदर्शन

परियोजना प्रशासन नियम-पुस्तिका में हिमाचल प्रदेश कौशल विकास परियोजना के तहत हिमाचल प्रदेश कौशल विकास को कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में सहायता प्रदान करने के लिए तीन कंसल्टेंसी फर्मों की नियुक्ति की परिकल्पना की गई। इनमें परियोजना प्रबंधन परामर्श फर्म[43], निगरानी और मूल्यांकन फर्म[44] तथा सिविल कार्य गुणवत्ता आश्वासन फर्म[45] शामिल थीं।

हिमाचल प्रदेश कौशल विकास परियोजना के कार्यान्वयन हेतु विशेषज्ञ एवं उप-परामर्शदाता

[43] निगरानी, दस्तावेज़ीकरण रिपोर्टिंग, वित्तीय प्रबंधन, लेखा, अनुबंध प्रबंधन, खरीद और निविदा, प्रशिक्षण सेवा प्रदाताओं/ आंकलनकर्ताओं/करियर परामर्शदाताओं के कार्य पर नज़र रखने और प्रशिक्षुता और प्लेसमेंट, आउटरीच, संचार, परामर्श और एमआईएस को अद्यतन करने के अवसरों की पहचान सहित परियोजना प्रबंधन में सहायता करना।

[44] निगरानी और मूल्यांकन फर्म फ्रेमवर्क तैयार करने, आधारभूत आंकड़े एकत्र करने, आवधिक अनुरेखक सर्वेक्षण करने, कौशल-अंतर विश्लेषण, परियोजना निगरानी और क्षमता निर्माण, परियोजना के परिणामों पर नज़र रखने व आंकलन करने में सहायता करना।

[45] यह सुनिश्चित करने में लोक निर्माण विभाग और हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम की सहायता करना कि सिविल ठेकेदार अपेक्षित गुणवत्ता, तकनीकी और सुरक्षा विनिर्देशों का पालन करें, ठेकेदारों की क्षमता निर्माण, स्थल-विशिष्ट पर्यावरण प्रबंधन योजनाएं, और निर्माण गुणवत्ता और स्थायित्व में सुधार करें।

उपलब्ध कराने के लिए हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम और तीन कंसल्टेंसी फर्मों[46] के मध्य अनुबंध-समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि कंसल्टेंसी फर्मों का प्रदर्शन संतोषप्रद नहीं था, जैसाकि **तालिका 4.14** में दिया गया है।

**तालिका 4.14: कंसल्टेंसी फर्मों की प्रमुख वितरण मदों के परिमाण की स्थिति**

| कार्य एवं फर्म | संविदा मूल्य ₹ करोड़ में | भुगतान की गई राशि (2022 मार्च तक) (₹ करोड़ में) | मुख्य वितरण मदें | स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता-(मैसर्स पीडब्ल्यूसी) | 23.57 | 16.06 | वार्षिक कार्य योजना बनाना | वर्ष 2018-22 के दौरान वार्षिक योजनाएं तैयार नहीं की गईं। |
| | | | प्रबंधन सूचना प्रणाली का विकास | आंशिक रूप से विकसित - वित्तीय लेनदेन रिकॉर्ड करने में सक्षम नहीं है और राष्ट्रीय करियर सेवा पोर्टल के साथ एकीकृत नहीं है। (परिच्छेद 4.7.1)। |
| | | | परियोजना आधारभूत डेटा का संग्रह और डिजाइन व निगरानी ढांचे का अद्यतन किया जाना | परामर्श सेवाओं के व्यक्ति-महीनों में किसी भी बदलाव की बिना निगरानी एवं मूल्यांकन फर्म (आईपीई ग्लोबल ) को सौंपी गई गतिविधि |
| | | | हिमाचल प्रदेश कौशल विकास नीति को अद्यतन (अपडेट) करना | अभी तक अद्यतन नहीं किया गया |
| | | | आजीविका विकास कार्यक्रमों की योजना बनाना और उनका कार्यान्वयन | ग्रामीण आजीविका केंद्र /शहरी आजीविका केंद्र का कार्य पूर्ण न होने के कारण कोई प्रगति नहीं |
| | | | चयनित आईटीआई में संस्थागत विकास योजनाओं की तैयारी | 56 आईटीआई में से केवल पांच आईटीआई के लिए तैयार किया गया है जिनके साथ अल्पकालिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए समझौता किया गया है। |
| | | | मॉडल करियर सेंटर का परिचालन | अक्टूबर 2022 तक 11 में से मात्र तीन मॉडल करियर सेंटर ही परिचालित हो पाए। |
| | | | विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रमों का अभिसरण। | अक्टूबर 2022 तक कोई प्रगति नहीं हुई। |

[46] प्राइसवाटरहाउसकूपर्स प्राइवेट लिमिटेड, भारत (पीडब्ल्यूसी): जनवरी 2018; रोडिक कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जीसी शर्मा एंड संस (रोडिक) के सहयोग से: फरवरी 2018 व आईपीई ग्लोबल: मार्च 2018

| कार्य एवं फर्म | संविदा मूल्य ₹ करोड़ में | भुगतान की गई राशि (2022 मार्च तक) (₹ करोड़ में) | मुख्य वितरण मदें | स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| | | | विभिन्न लाइन विभागों द्वारा किए जाने वाली प्रमुख गतिविधियों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करना | केवल उच्च शिक्षा विभाग के लिए तैयार किया गया, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक और औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग के लिए तैयार किया जा रहा है और श्रम एवं रोजगार विभाग हेतु तैयार नहीं किया गया। |
| गुणवत्ता आश्वासन-(मैसर्स रोडिक) | 5.14 | 7.35 | हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग द्वारा विभिन्न मंजूरी प्राप्त करने और ढांचागत कार्यों के निष्पादन की निगरानी में हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग की सहायता करना। | हिमाचल प्रदेश कौशल विकास परियोजना के तहत निष्पादित किए जा रहे कार्यों की प्रारंभिक मदों **(परिच्छेद 4.4.1)** में देरी के परिणामस्वरूप परियोजनाओं में विलम्ब हुआ /पूर्ण नहीं हुई एवं समय बढ़ गया। |
| निगरानी एवं मूल्यांकन-(मैसर्स आईपीई ग्लोबल) | 9.30 | 5.36 | आजीविका विकास | ग्रामीण आजीविका केंद्र/शहरी आजीविका केंद्र का कार्य पूर्ण न होने के कारण कोई प्रगति नहीं |
| | | | सर्वेक्षण करना और आधारभूत स्थिति का आंकलन करना | यह केवल नौ प्रशिक्षण केंद्रों में 400 प्रशिक्षुओं के लिए किया गया, जबकि अक्टूबर 2022 तक 58,733 अभ्यर्थी नामांकित थे। |
| | | | प्रशिक्षित अभ्यर्थियों के प्लेसमेंट पर छह माह की अवधि तक निगरानी रखना | तुलनात्मक विश्लेषण किया जाना शेष है। |
| | | | कौशल-अंतराल विश्लेषण/मांग सर्वेक्षण | राज्य के 12 जिलों में से केवल एक के लिए तैयार किया गया |
| | | | परियोजना निगरानी और क्षमता निर्माण | बैचों के निरीक्षण में कमी पाई गई (परिच्छेद 4.7.5) थी।<br>परियोजना के तहत क्षमता निर्माण (मास्टर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण, प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण आदि) में कमी रही (**परिच्छेद 4.6.1 व 4.6.2**)। |
| **योग** | **38.01** | **28.77** | | |

वर्ष 2018-22 के दौरान कार्यक्रमों (हिमाचल प्रदेश कौशल विकास परियोजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना व संकल्प) के तहत कंसल्टेंसी पर हुआ व्यय (₹ 28.77 करोड़) कौशल विकास पर हुए व्यय (₹ 55.16 करोड़) का लगभग आधा था। हालांकि कंसल्टेंसी फर्मों का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं कहा जा सकता।

### 4.7.7 प्रशिक्षण केंद्रों का संयुक्त भौतिक निरीक्षण

नवंबर-दिसंबर 2022 के दौरान लेखापरीक्षा द्वारा सरकार/हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम के अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ चल रहे प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संयुक्त भौतिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के निष्कर्ष **तालिका 4.15** में दिए गए हैं।

**तालिका 4.15: प्रशिक्षण केंद्रों के संयुक्त भौतिक निरीक्षण के निष्कर्ष**

| दौरा किए गए प्रशिक्षण सेवा प्रदाता | लेखापरीक्षा मानदंड | लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां/टिप्पणियां |
|---|---|---|
| (i) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), मंडी | हिमाचल प्रदेश कौशल विकास परियोजना के तहत अप्रैल 2022 में हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम व भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मंडी के मध्य हस्ताक्षरित समझौता-ज्ञापन के परिच्छेद 4 (i) के अनुसार केवल वही हिमाचली युवा नामांकित किए जाएंगे जिनके पास बी.ई./बी.टेक., एम.ई./एम.टेक., पॉलिटेक्निक और आईटीआई की योग्यता है तथा जो प्रशिक्षण पूर्ण करने के बाद वेतनयुक्त या स्वरोजगार के लिए इच्छुक हैं। | 'फाइनाइट एलिमेंट मॉडलिंग फॉर इंजीनियर्स' प्रशिक्षण कार्यक्रम में नामांकित 49 अभ्यर्थियों में से 18 अभ्यर्थी (37 प्रतिशत) गैर-हिमाचली थे। इसी प्रकार, पूर्ण किए गए पाठ्यक्रम 'कंप्यूटेशनल फ्लूड डायनामिक्स का हैंड्स-ऑन प्रशिक्षण' के 91 प्रशिक्षुओं में से 15 प्रशिक्षु (17 प्रतिशत) गैर-हिमाचली थे।<br>महाप्रबंधक, हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम ने (जनवरी 2022) बताया कि पर्याप्त और पात्र अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता के कारण भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मंडी में अध्ययनरत छात्रों को कौशल प्रशिक्षण का अवसर दिया गया। यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि समझौता-ज्ञापन के अनुसार केवल हिमाचली युवाओं को ही इस कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण प्रदान किया जाना था। |
| (ii) अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण एवं संबद्ध खेल संस्थान, मनाली | हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम और निदेशक, अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण एवं संबद्ध खेल संस्थान, मनाली के मध्य मार्च 2022 में निष्पादित समझौता-ज्ञापन के परिच्छेद 7 (ए) के अनुसार युवाओं को केवल सात से 14 दिनों की अवधि के बुनियादी/प्रारंभिक स्तर के पाठ्यक्रमों (स्कीइंग, रिवर राफ्टिंग, | सर्वेक्षण के दौरान चार अभ्यर्थियों ने, जिन्होंने उपलब्ध पाठ्यक्रमों में से किसी एक में बुनियादी प्रशिक्षण पूरा किया था, बताया कि वेतनयुक्त रोजगार का पात्र बनने हेतु अभ्यर्थियों को बुनियादी, मध्यवर्ती व उन्नत (बेसिक, इंटरमीडिएट व एडवांस) स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रमाणन प्राप्त होना आवश्यक है।<br>हालांकि अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण एवं संबद्ध खेल संस्थान, मनाली के साथ हिमाचल प्रदेश कौशल विकास परियोजना के हुए समझौता- |

| दौरा किए गए प्रशिक्षण सेवा प्रदाता | लेखापरीक्षा मानदंड | लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां/टिप्पणियां |
|---|---|---|
| | खोज और बचाव, आदि) में कौशल प्रशिक्षण दिया जाना है। | ज्ञापन के तहत केवल बुनियादी प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है जो प्लेसमेंट के लिए अपर्याप्त है। निदेशक, अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण एवं संबद्ध खेल संस्थान, मनाली ने स्वीकार किया है कि अभ्यर्थियों की प्लेसमेंट के लिए एडवांस कोर्स प्रमाणपत्र आवश्यक है।<br>उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण एवं संबद्ध खेल संस्थान, मनाली में दिए जाने वाले प्रशिक्षण रोजगारोन्मुख नहीं हैं और यह प्रशिक्षित अभ्यर्थियों के प्लेसमेंट में कमी होने के प्रमुख कारणों में से एक हो सकती है। |

### 4.7.8 अभ्यर्थियों का सर्वेक्षण

अक्टूबर 2022 से दिसंबर 2022 के मध्य लेखापरीक्षा द्वारा हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम योजनाओं के तहत 20 प्रशिक्षण सेवा प्रदाताओं द्वारा संचालित हो रहे/पूर्ण हो चुके प्रशिक्षण कार्यक्रमों में नामांकित अभ्यर्थियों का सर्वेक्षण यह आंकलित करने के लिए किया गया कि क्या प्रशिक्षण कार्यक्रमों की परिकल्पनानुसार अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कुल 5,459 लाभार्थियों में से 408 लाभार्थियों को सर्वेक्षण में शामिल किया गया। सर्वेक्षण किए गए लाभार्थियों की संख्या एवं उनकी संतुष्टि स्तर के विवरण **तालिका 4.16** में दिए गए हैं।

**तालिका 4.16: लाभार्थी सर्वेक्षण एवं सर्वेक्षण किए गए अभ्यर्थियों के संतुष्टि स्तर का विवरण**

| विवरण | संतुष्टि स्तर प्रतिक्रिया | | |
|---|---|---|---|
| | हां (प्रतिशत) | नहीं (प्रतिशत) | कोई प्रतिक्रिया नहीं (प्रतिशत) |
| उपस्थिति के लिए बायोमेट्रिक उपकरणों का उपयोग | 31 (8) | 377 (92) | 0 (-) |
| प्रशिक्षण व्याख्याताओं की बोधगम्यता | 324 (80) | 84 (20) | 0 (-) |
| यदि कोई सुधार अपेक्षित हो तो (सामग्री/प्रशिक्षकों में) | 65 (16) | 248 (61) | 95 (23) |
| स्थानीय अवसरों व अभ्यर्थियों की रुचि/विकल्प को ध्यान में रखते हुए ट्रेड्स की आवश्यकता के संबंध में जागरूकता (मॉबिलाइजेशन) की गई। | 301(74) | 93 (23) | 14 (3) |
| प्रशिक्षण पूरा होने के बाद नौकरी मिली | 51(12) | 351 (86) | 6 (2) |
| प्रशिक्षण सेवा प्रदाताओं द्वारा प्लेसमेंट प्रदान किया गया या नहीं | 53(13) | 348 (85) | 7 (2) |

| विवरण | संतुष्टि स्तर प्रतिक्रिया | | |
|---|---|---|---|
| | **हां (प्रतिशत)** | **नहीं (प्रतिशत)** | **कोई प्रतिक्रिया नहीं (प्रतिशत)** |
| क्या औद्योगिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम तैयार किया गया था? | 148(36) | 242 (59) | 18 (5) |
| कौशल बढ़ाने के लिए किसी अन्य क्षेत्र में प्रशिक्षण की आवश्यकता | 8(2) | 400 (98) | 0 (-) |
| प्रशिक्षण सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की गई प्रशिक्षण सामग्री | 223(55) | 18 (4) | 167 (41) |
| क्या परिवहन सुविधा उपलब्ध थी | 31(8) | 374 (91) | 3 (1) |
| प्रशिक्षण से पहले परामर्श दिया गया | 369(90) | 23 (6) | 16 (4) |
| प्रशिक्षण के लिए आवश्यक मशीनरी और उपकरण प्रशिक्षण सेवा प्रदाताओं द्वारा उपलब्ध कराए गए | 386(95) | 16 (4) | 6 (2) |
| प्रशिक्षण और/या ली गई नौकरी पर प्रतिक्रिया | 246(60) | 116 (28) | 46 (12) |
| प्रशिक्षण सेवा प्रदाताओं/हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम द्वारा आयोजित रोजगार मेले/मेला/साक्षात्कार | 117(29) | 280 (69) | 11 (2) |
| दिए गए अन्य सुझाव/अनुशंसा | कोर्स उत्पाद-उन्मुख होना चाहिए, छात्रों को असाइनमेंट दिए जा सकते हैं, औद्योगिक पेशेवरों को आमंत्रित किया जाए, नवीनतम उपकरण उपलब्ध कराए जाएं, और व्यावसायिक प्रशिक्षकों की समय पर नियुक्ति की जाए। | | |

**तालिका 4.16** से स्पष्ट है कि अभ्यर्थियों का संतुष्टि स्तर अपेक्षा के अनुरूप नहीं था, विशेष रूप से बायोमेट्रिक डिवाइस का उपस्थिति के लिए उपयोग न होने, प्रशिक्षण कार्यक्रम का औद्योगिक आवश्यकताओं के अनुरूप डिज़ाइन न होने, प्रशिक्षण सेवा प्रदाताओं द्वारा रोजगार मेले/मेला/साक्षात्कार का आयोजन न करने तथा प्लेसमेंट उपलब्ध न कराने से सम्बन्ध में।

### 4.7.9 प्रशिक्षण सेवा प्रदाताओं का सर्वेक्षण

अक्टूबर 2022 से दिसंबर 2022 के मध्य 18 प्रशिक्षण सेवा प्रदाताओं द्वारा संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संबंध में भी सर्वेक्षण किया गया। इन 18 प्रशिक्षण सेवा प्रदाताओं के उत्तरों को **तालिका 4.17** में संकलित किया गया है।

**तालिका 4.17: महत्वपूर्ण मुद्दों पर सर्वेक्षण में प्रशिक्षण सेवा प्रदाताओं की प्रतिक्रियाएं**

| विवरण | प्रतिक्रियाएं | |
|---|---|---|
| | हां | नहीं |
| आवश्यकतानुसार पाठ्यक्रमों के लिए निष्पादन प्रतिभूति जमा की गई | 6 | 12 |
| प्रशिक्षण के दौरान बायोमेट्रिक उपस्थिति ली गई | 0 | 18 |
| हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम या अन्य नामित एजेंसी द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम का निरीक्षण किया गया | 10 | 8 |
| नामांकित महिलाएं एवं दिव्यांगजन | 12 | 6 |
| हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम के पास रिपोर्टिंग ढांचा मौजूद है | 6 | 12 |
| प्लेसमेंट पश्चात की गई ट्रैकिंग | 5 | 13 |
| रोजगार मेला/कौशल एवं रोजगार मेला/प्लेसमेंट का आयोजन | 8 | 10 |
| अभ्यर्थियों को प्रदान की गई कोई भी प्लेसमेंट सहायता | 9 | 9 |
| मेंटरशिप-सह-प्लेसमेंट सेल की स्थापना | 9 | 9 |
| तीसरे पक्ष की एजेंसी द्वारा आयोजित निगरानी | 3 | 15 |
| एक वर्ष की अवधि के लिए हर माह अभ्यर्थियों के रोजगार को ट्रैक करना | 3 | 15 |
| क्या प्रमाणन के तीन माह के भीतर 50 प्रतिशत या उससे अधिक प्रमाणित अभ्यर्थियों को रोजगार मिला? | 2 | 16 |

**तालिका 4.17** से स्पष्ट है कि प्रशिक्षण सेवा प्रदाताओं द्वारा निष्पादन प्रतिभूति प्राप्त करने, उपस्थिति के लिए बायोमेट्रिक का उपयोग, तीसरे पक्ष की निगरानी, प्लेसमेंट व अभ्यर्थियों की ट्रैकिंग के संबंध में दी गई प्रतिक्रियाओं से यह परिलक्षित होता है कि कार्यक्रम का कार्यान्वयन परिकल्पनानुसार नहीं हुआ।

## 4.8 निष्कर्ष

हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम राज्य के युवाओं को स्वरोजगार और निजी क्षेत्र में रोजगार के लिए अल्प अवधि पाठ्यक्रमों के माध्यम से कौशल प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। हालांकि दो राज्य/विभागीय स्तर की निगरानी समितियों द्वारा कार्यक्रम कार्यान्वयन पर उचित ध्यान नहीं दिया गया। विभिन्न विभागों द्वारा कार्यान्वित कौशल विकास योजनाओं को एक छत्र के नीचे लाने के प्रयास प्रभावी नहीं रहे। कृषि और बागवानी क्षेत्रों में प्रशिक्षण पर्याप्त नहीं थे।

वर्ष 2017-22 के दौरान प्रशिक्षण सेवा प्रदाताओं का पैनल बनाने में विलम्ब, प्रशिक्षण आरंभ करने में विलम्ब, सिविल कार्यों की धीमी प्रगति आदि के कारण निधियों का उपयोग कम हुआ।

प्रशिक्षण सेवा प्रदाताओं से निष्पादन प्रतिभूति नहीं ली गई। प्रशिक्षण सेवा प्रदाताओं द्वारा संचालित प्रशिक्षण पर वस्तु व सेवा कर अदायगी हेतु वस्तु व सेवा कर परिषद से छूट प्राप्त नहीं की गई। महिला एवं दिव्यांग अभ्यर्थियों को वेतनयुक्त रोजगार उपलब्ध कराने में कमी पाई गई। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना दिशा-निर्देशों के विभिन्न प्रावधानों जैसे बायोमेट्रिक

उपस्थिति, अभ्यर्थियों का बीमा, कौशल मेलों का आयोजन, कैप्टिव प्लेसमेंट से जुड़े प्रशिक्षण आदि से संबंधित अभिलेखों का या तो अनुरक्षण नहीं किया गया या इन प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया।

निगरानी, निरीक्षण और आंतरिक नियंत्रण तंत्र भी प्रभावी नहीं था। हिमाचल प्रदेश कौशल विकास परियोजना के कार्यान्वयन हेतु नियुक्त कंसल्टेंसी फर्मों का प्रदर्शन भी संतोषजनक नहीं था।

सर्वेक्षित अभ्यर्थियों ने उनके प्रमाणन के पश्चात प्रशिक्षण सेवा प्रदाताओं द्वारा रोजगार मेलों का आयोजन न करने तथा प्लेसमेंट उपलब्ध न कराने पर असंतोष व्यक्त किया।

## 4.9 अनुशंसाएं

*लेखापरीक्षा निष्कर्षों के दृष्टिगत राज्य सरकार निम्नलिखित पर विचार कर सकती है:*

- *अभ्यर्थियों की आकांक्षाओं के अनुरूप क्षेत्रों में कौशल विकास, ताकि वे दीर्घकालिक रोजगार के उद्देश्य से प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें, प्लेसमेंट ले सकें और संबंधित रोजगार कर सके।*
- *अभ्यर्थियों के प्रशिक्षण के लिए अधोसंरचना को समय पर पूर्ण कर पर्याप्त अवसंरचना उपलब्ध कराई जाए।*
- *स्थानीय रोजगार के अवसरों वाले क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान किया जाए एवं वित्त, विपणन, प्रदर्शन-बिक्री केंद्रों के प्रावधान के साथ स्थानीय कला एवं शिल्प में कौशल विकास किया जाए तथा प्रशिक्षण को कैप्टिव प्लेसमेंट से जोड़ा जाए।*
- *कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी उच्च स्तर (एपेक्स लेवल) पर सुनिश्चित की जाए तथा विभिन्न विभागीय अधिकारियों द्वारा प्रशिक्षण का पर्याप्त निरीक्षण किया जाए।*
- *संविदात्मक अनुबंध के अनुपालन में फर्मों व प्रशिक्षण सेवा प्रदाताओं के प्रदर्शन की निगरानी सुनिश्चित की जाए।*

*लेखापरीक्षा निष्कर्ष अप्रैल 2023 में राज्य सरकार को भेजे गए। उत्तर प्राप्त नहीं हुए।*

# अध्याय-V

# स्वदेश दर्शन योजना के माध्यम से हिमाचल प्रदेश में थीम आधारित पर्यटन सर्किट का एकीकृत विकास

# अध्याय V: स्वदेश दर्शन योजना के माध्यम से हिमाचल प्रदेश में थीम आधारित पर्यटन सर्किट का एकीकृत विकास

## पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग

### 5.1 परिचय

पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार ने वर्ष 2014-15 हेतु केंद्र सरकार की बजट घोषणाओं के अनुसरण में जनवरी 2015 में पर्यटन अवसंरचना के विकास के लिए **स्वदेश दर्शन योजना-देश में थीम आधारित पर्यटन सर्किटों का एकीकृत विकास** का शुभारंभ किया।

इस योजना के अंतर्गत पर्यटन मंत्रालय द्वारा संपूर्ण भारत में विकास हेतु 15 सर्किटों, यथा पारिस्थितिकी पर्यटन, वन्यजीव, बौद्ध, रेगिस्तान, आध्यात्मिक, रामायण, कृष्ण, तटीय, पूर्वोत्तर, ग्रामीण, हिमालयी, जनजातीय, विरासत, तीर्थंकर व सूफी की पहचान की गई। उपरोक्त 15 सर्किटों में से हिमाचल प्रदेश राज्य हेतु **हिमालयन सर्किट का एकीकृत विकास (योजना)** को हिमाचल प्रदेश सरकार के पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग द्वारा कार्यान्वित करने के लिए स्वीकृत किया गया। राज्य में इस परियोजना को तीन निष्पादन एजेंसियों द्वारा कार्यान्वित किया गया, जैसाकि **चार्ट 5.1** में दिया गया है।

**चार्ट 5.1: स्वदेश दर्शन योजना के लिए निष्पादन एजेंसियां**

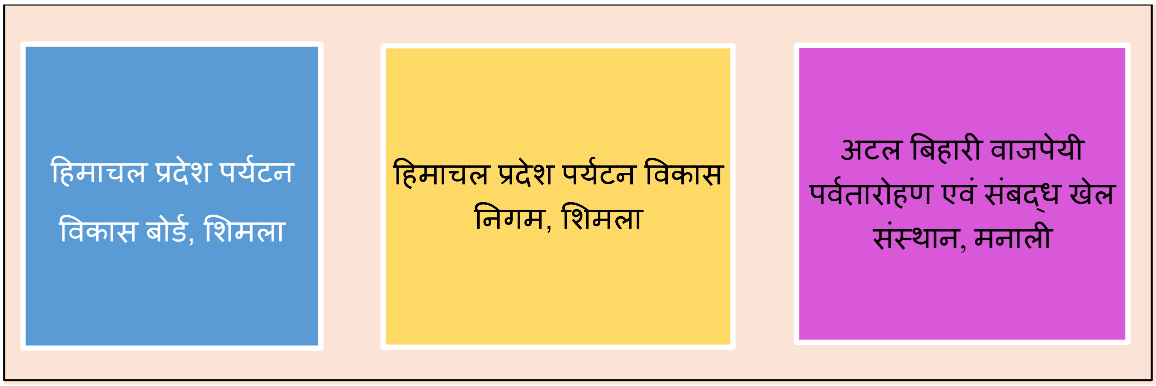


पर्यटन मंत्रालय द्वारा (सितम्बर 2022) स्वदेश दर्शन योजना के तहत स्वीकृत उन परियोजनाओं को, जिन्हें जून 2020 तक पूर्ण किया जाना था, सितंबर 2022 तक बढ़ा दिया गया था।

हिमाचल प्रदेश अपनी स्थलाकृतिक विविधता और प्राचीन प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। इसलिए यह पर्यटकों के लिए एक आकर्षक स्थल है। हिमाचल प्रदेश में पर्यटकों के आगमन का विवरण **तालिका 5.2** में दिया गया है।

**तालिका 5.2: हिमाचल प्रदेश में पर्यटकों का आगमन**

**(लाख में)**

| क्र. सं. | कैलेंडर वर्ष | भारतीय पर्यटक | विदेशी पर्यटक | कुल | प्रतिशत वृद्धि |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2011 | 146.05 | 4.85 | 150.90 | - |
| 2. | 2012 | 156.46 | 5.00 | 161.46 | +7.00 |
| 3. | 2013 | 147.16 | 4.14 | 151.30 | -6.29 |
| 4. | 2014 | 159.25 | 3.90 | 163.15 | +7.83 |
| 5. | 2015 | 171.25 | 4.06 | 175.31 | +7.45 |
| 6. | 2016 | 179.98 | 4.53 | 184.51 | +5.25 |
| 7. | 2017 | 191.31 | 4.71 | 196.02 | +6.24 |
| 8. | 2018 | 160.94 | 3.57 | 164.51 | -16.07 |
| 9. | 2019 | 168.30 | 3.83 | 172.13 | +4.63 |
| 10. | 2020 | 31.71 | 0.43 | 32.14 | -81.33 |
| 11. | 2021 | 56.32 | 0.05 | 56.37 | +75.39 |
| 12. | 2022 | 150.71 | 0.29 | 151.00 | +167.87 |

*स्रोत: पर्यटन विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा प्रस्तुत जानकारी।*

### 5.1.1 योजना के उद्देश्य

स्वदेश दर्शन योजना के दिशानिर्देश वर्ष 2015 में जारी किए गए। योजना के दिशानिर्देशों को अक्टूबर 2017 में राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद्[1] द्वारा संचालित योजना के तृतीय-पक्ष प्रभाव मूल्यांकन के आधार पर संशोधित किया गया। संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार स्वदेश दर्शन योजना के उद्देश्य थे:

- पर्यटकों को आकर्षित करने की क्षमता वाले पर्यटन सर्किटों के योजनाबद्ध विकास द्वारा पर्यटन को आर्थिक विकास व रोजगार सृजन के एक मुख्य स्त्रोत के रूप में स्थापित करना।
- सर्किट/गंतव्य स्थलों में विश्वस्तरीय अवसंरचना/सुविधा केंद्र विकसित करके पर्यटक आकर्षण क्षमता को सतत रूप से बढ़ाना।
- स्थानीय समुदाय हेतु जागरूकता व रोजगार सृजन के माध्यम से समुदाय आधारित विकास व गरीब-हितैषी पर्यटन दृष्टिकोण अपनाना।

[1] राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् (एनपीसी), भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन व आंतरिक व्यापार विभाग के अधीन एक स्वायत्त संगठन है।

अक्टूबर 2017 से पहले स्वीकृत परियोजनाओं पर प्रयोज्य अतिरिक्त दिशानिर्देश भी अगस्त 2020 में जारी किए गए थे।

### 5.1.2 बजट एवं व्यय

यह योजना 100 प्रतिशत केंद्र द्वारा वित्तपोषित है एवं केंद्र व राज्य सरकारों की अन्य योजनाओं के साथ सामंजस्य स्थापित करने तथा केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों व निगम क्षेत्र की नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व पहलों के लिए उपलब्ध स्वैच्छिक वित्तपोषण का लाभ प्राप्त करने के भी प्रयास किए जाने थे।

पर्यटन मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश राज्य में कार्यान्वयन हेतु स्वदेश दर्शन योजना-हिमालयन सर्किट के अंतर्गत 14 घटकों को सम्मिलित करते हुए ₹ 99.76 करोड़ की परियोजना स्वीकृत (मार्च 2017) की। पर्यटन मंत्रालय ने सितंबर 2020 में 10 घटकों हेतु ₹ 80.69 करोड़ की संशोधित स्वीकृति दी। इसमें पहले से स्वीकृत 14 घटकों में से छह घटकों को हटा दिया गया जहां भूमि अधिग्रहण के मुद्दों, राष्ट्रीय हरित अधिकरण में कार्यवाही आदि के कारण कोई कार्य आरंभ नहीं हुआ व दो नए घटक जोड़े गए जिनका विवरण **परिशिष्ट 5.1** में दिया गया है। योजना के 10 स्वीकृत घटकों के संबंध में स्वीकृत राशि, व्यय व कार्य की स्थिति का विवरण **तालिका 5.1** में दिया गया है एवं पर्यटन मंत्रालय द्वारा जारी निधियों का विवरण **तालिका 5.1 (क)** में दिया गया है।

**तालिका 5.1: स्वदेश दर्शन योजना के तहत स्वीकृत घटकों का विवरण**

| क्र. सं. | घटक का नाम | कार्यान्वयन एजेंसी | स्वीकृत राशि (₹ करोड़ में) | व्यय[2] (सितंबर 2022) (₹ करोड़ में) | कार्य की स्थिति (सितंबर 2022) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | कियारीघाट स्थित कन्वेंशन सेंटर | हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास बोर्ड,शिमला | 25.00 | 37.60 | पूर्ण |
| 2. | शिमला में हेलीपोर्ट | हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास बोर्ड,शिमला | 12.13 | 12.34 | पूर्ण |
| 3. | कांगड़ा में ग्राम हाट | हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास बोर्ड,शिमला | 4.00 | 3.58 | पूर्ण |

2 सितंबर 2022 में पर्यटन मंत्रालय व सम्बंधित राज्यों के बीच हुई समीक्षा बैठक के अनुसार, 31 अगस्त 2022 तक सूचित की गई प्रगति के आधार पर राज्य में स्वदेश दर्शन योजना को बंद कर दिया गया था व शेष कार्य राज्य निधियों से पूर्ण किया जाना था। इसलिए योजना पर सितंबर 2022 तक का व्यय लिया गया।

| क्र. सं. | घटक का नाम | कार्यान्वयन एजेंसी | स्वीकृत राशि (₹ करोड़ में) | व्यय[2] (सितंबर 2022) (₹ करोड़ में) | कार्य की स्थिति (सितंबर 2022) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. | इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फ्री-स्टैंडिंग आर्टिफिशियल क्लाइंबिंग वॉल, मनाली | अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण एवं संबद्ध खेल संस्थान | 3.00 | 1.59 | पूर्ण |
| 5. | बीड में पैराग्लाइडिंग केंद्र व उपकरण | हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास बोर्ड,शिमला | 8.00 | 8.00 | पूर्ण |
| 6. | भलेई माता में कला एवं शिल्प केंद्र का निर्माण | हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम,शिमला | 4.00 | 4.65 | पूर्ण |
| 7. | माँ हाटेश्वरी मन्दिर हाटकोटी का विकास | हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम,शिमला | 3.04 | 3.04 | पूर्ण |
| 8. | संपूर्ण सर्किट के लिए साइनेज, गैन्ट्रीज[3], सीसीटीवी व वाईफाई | हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम,शिमला | 5.01 | 4.32 | पूर्ण |
| 9. | डल झील, धर्मशाला का विकास एवं सौंदर्यीकरण | हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास बोर्ड,शिमला | 4.00 | 0.90 | अपूर्ण /छोड़ दिया गया |
| 10. | लाइट एंड साउंड शो, शिमला | हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास बोर्ड,शिमला | 8.66 | 0.30 | अपूर्ण /छोड़ दिया गया |
| | परामर्श शुल्क दो प्रतिशत | | 1.54 | 1.51 | |
| | आकस्मिकता शुल्क तीन प्रतिशत | | 2.31 | 2.27 | |
| **योग** | | | **80.69** | **80.10** | |

*स्रोत: पर्यटन विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा प्रदान की गई जानकारी।*

[3] गैन्ट्री एक उच्च धातु संरचना है जो सड़क संकेतों के सेट को सहारा देती है।

**तालिका 5.1 (क): पर्यटन मंत्रालय द्वारा जारी निधियों का विवरण**

**(₹ करोड़ में)**

| वर्ष | पर्यटन मंत्रालय द्वारा जारी निधियां |
|---|---|
| 2016-17 | 19.95 |
| 2017-18 | - |
| 2018-19 | - |
| 2019-20 | 19.93 |
| 2020-21 | 19.97 |
| 2021-22 | 4.70 |
| **योग** | **64.55** |

पर्यटन मंत्रालय ने ₹ 80.69 करोड़ की स्वीकृत निधियों के सापेक्ष ₹ 64.55 करोड़ जारी किए। हालांकि पर्यटन विभाग ने ₹ 80.10 करोड़ अर्थात जारी राशि से ₹ 15.55 करोड़ अधिक व्यय किए।

## 5.1.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह आकलन करना था, कि क्या :

1. योजना की डिज़ाइन और उद्देश्यों के अनुसार स्थलों पर पर्यटन की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए पर्यटक सर्किट की पहचान, प्राथमिकता निर्धारण व नियोजन किया गया;
2. चिह्नित परियोजनाओं को निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार निष्पादित किया गया था ताकि गुणवत्तापूर्ण (विश्व स्तरीय) बुनियादी ढांचे के एकीकृत विकास को प्राप्त किया जा सके;
3. योजना के मानदंडों के अनुसार निधियों का उचित प्रबंधन व समय पर उपयोग किया गया।

## 5.1.4 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र व कार्यप्रणाली

अक्टूबर 2021 से फरवरी 2022 के दौरान स्वदेश दर्शन योजना के माध्यम से हिमाचल प्रदेश में थीम आधारित पर्यटक सर्किट के एकीकृत विकास पर जनवरी 2015 से मार्च 2022 तक की अवधि को सम्मिलित करते हुए निदेशक, पर्यटन व नागरिक उड्डयन, हिमाचल प्रदेश, शिमला एवं तीन कार्यान्वयन एजेंसियों (अधिशासी अभियंता, हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास बोर्ड; प्रबंध निदेशक, हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम व निदेशक, अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण एवं संबद्ध खेल संस्थान) के कार्यालयों में हिमालयन सर्किट के तहत स्वीकृत सभी घटकों से संबंधित अभिलेखों की नमूना-जांच द्वारा विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा आयोजित की गई। लेखापरीक्षा निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए अभिलेखों से एकत्रित जानकारी व लेखापरीक्षा ज्ञापनों पर उपरोक्त इकाइयों द्वारा दिये गए उत्तरों का विश्लेषण किया गया। नौ

(10 में से) घटकों के स्थलों का संयुक्त भौतिक निरीक्षण व 16 (62 में से) साइनेज (संकेतकों)/गैन्ट्रीज़ (दसवें घटक) का भौतिक सत्यापन भी किया गया।

स्वदेश दर्शन योजना को महत्वपूर्ण वित्तीय परिव्यय आवंटित किया गया है तथा इसका प्रभाव संपूर्ण राज्य में होने की उम्मीद है। इसके अतिरिक्त, क्योंकि हिमाचल प्रदेश पर्यटन की अपार संभावनाओं वाला राज्य है तथा इस योजना के तहत 10 महत्वपूर्ण घटक चिन्हित किए गए है इसलिए योजनाओं के उद्देश्यों की प्राप्ति या अप्राप्ति बहुत महत्वपूर्ण है।

लेखापरीक्षा के उद्देश्यों, मानदंडों एवं कार्यक्षेत्र पर प्रधान सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार (पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन) के साथ नवंबर 2021 में आयोजित प्रथम बैठक में चर्चा की गई। लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर प्रधान सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार (पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन) के साथ जून 2022 में आयोजित अंतिम बैठक में चर्चा की गई तथा सरकार/विभाग के विचार इस विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा में समाविष्ट किए गए हैं।

### 5.1.5 लेखापरीक्षा मानदंड

विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षा मानदंड के मुख्य स्रोत थे:

- पर्यटन मंत्रालय द्वारा जारी योजना दिशानिर्देश/निर्देश/परिपत्र।
- राज्य/कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा जारी निर्देश/परिपत्र।
- राष्ट्रीय संचालन समिति, केंद्रीय मंजूरी व निगरानी समिति एवं मिशन निदेशालय[4] की बैठकों के कार्यवृत्त।
- परियोजना को दी गई स्वीकृति की शर्तें।
- विस्तृत परियोजना रिपोर्ट।
- सामान्य वित्तीय नियमावली, 2017 व हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली, 2009
- राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् द्वारा तृतीय पक्ष प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन।
- केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग/लोक निर्माण विभाग कार्य नियम-पुस्तिका।

[4] पर्यटन मंत्रालय में मिशन निदेशालय (जिसका नेतृत्व संयुक्त सचिव स्तर से नीचे के अधिकारी द्वारा नहीं किया जाता) योजना के दिशानिर्देशों के अनुरूप मानक संचालन प्रक्रियाएं निर्धारित करने तथा योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों व कार्यान्वयन एजेंसियों आदि के साथ समन्वय करने के लिए उत्तरदायी था।

## 5.2 पर्यटक सर्किटों/परियोजनाओं/स्थलों/घटकों की डिजाइन, पहचान व चयन के लिए योजना

### 5.2.1 स्वदेश दर्शन योजना व इसके घटकों के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट से संबंधित मुद्दे

संपूर्ण स्वदेश दर्शन योजना (हिमालयन सर्किट) की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट परामर्शदाता (कंसल्टेंट) मैसर्स शर्मा एंड एसोसिएट्स, संजौली, शिमला को नियुक्त करके हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम द्वारा तैयार की गई (फरवरी 2017)। संपूर्ण योजना के लिए एक ही विस्तृत परियोजना रिपोर्ट थी, जिसे पर्यटन विभाग ने पर्यटन मंत्रालय को भेजा था। घटक-वार अलग-अलग विस्तृत परियोजना रिपोर्ट विभिन्न फर्मों के माध्यम से हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास बोर्ड, हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम और अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण एवं संबद्ध खेल संस्थान जैसी कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा तैयार की गई व पर्यटन मंत्रालय को स्वीकृति हेतु भेजी गई। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट का विवरण **परिशिष्ट 5.2** में दिया गया है।

#### 5.2.1.1 विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में उल्लिखित उद्देश्यों की प्राप्ति न होना

स्वदेश दर्शन योजना के लिए तैयार की गई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए थी:

- पर्यटन गतिविधियों को क्षेत्र के समग्र विकास प्रक्रिया में एकीकृत करके आय और रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना;
- स्थानीय आबादी को प्रमुख कौशल पर प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु उपयुक्त मानव संसाधन विकास योजना तैयार करके स्थानीय लोगों को अधिकतम रोजगार सुनिश्चित करना।
- प्रस्तावित स्थलों पर बुनियादी पर्यटन अवसंरचना प्रदान करके स्थानीय लोगों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना तथा उनकी आय व भुगतान क्षमता में वृद्धि करना; तथा
- क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने की प्रक्रिया शुरू करने हेतु दो स्थानों पर फील्ड हॉस्टल का निर्माण करना ताकि निजी होटल व पेइंग गेस्ट हाउस अंततः बोर्डिंग व लॉजिंग गतिविधियों को संभाल सकें।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि:

- पर्यटन विभाग/हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के अभिलेखों में ऐसे कोई दस्तावेज़ नहीं मिले, जो यह प्रमाणित करें कि आय और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए कौन-सी विधि अपनाई गई थी।

- स्थानीय लोगों को अधिकतम रोजगार सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय आबादी को प्रशिक्षण देने के लिए कोई तंत्र तैयार नहीं किया गया।
- प्रत्येक परियोजना घटक में अवसंरचना के विकास के पश्चात् नौकरियों/रोजगार के सृजन का कोई विवरण नहीं पाया गया।
- इसके अतिरिक्त अप्रैल 2023 तक पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए कोई फील्ड हॉस्टल निर्मित नहीं किया गया।

निदेशक, पर्यटन विभाग व अधिशासी अभियंता, हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम ने बताया (मार्च 2022) कि सभी कार्यान्वित परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने से पूर्व स्थानीय आबादी को प्रमुख कौशल पर प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कोई मानव संसाधन योजना तैयार नहीं की गई। इस प्रकार तथ्य यह है कि पर्यटन विभाग विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में उल्लिखित उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सका।

### 5.2.1.2 स्वदेश दर्शन योजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने में सामुदायिक भागीदारी का अभाव

स्वदेश दर्शन योजना दिशानिर्देशों में प्रावधान था कि परियोजनाओं के विभिन्न पहलुओं, जैसे सततता, पर्यावरणीय प्रभाव आदि पर चर्चा करने हेतु हितधारकों की एक कार्यशाला आयोजित की जाए व उसकी अनुशंसाओं को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में समाविष्ट किया जाए। पर्यटन विभाग द्वारा तैयार की गई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में उल्लेख किया गया था कि सामुदायिक भागीदारी किसी भी सतत विकास की कुंजी है व प्रस्तुतीकरण हेतु, प्रस्तावित विकास योजना, स्थानीय समुदाय के परामर्श से तैयार की जानी थी। इसके अतिरिक्त सभी हितधारकों जैसे स्थानीय स्वशासन के प्रतिनिधियों, स्थानीय विकास कार्यालयों एवं स्थानीय राजनेताओं के साथ बैठकें आयोजित की जानी थीं।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में यह कहा गया था कि स्थानीय समुदाय से परामर्श किया गया एवं विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए स्थानीय सरकारों के प्रतिनिधियों, स्थानीय विकास अधिकारियों व स्थानीय नेताओं जैसे सभी हितधारकों के साथ बैठकें आयोजित की गईं। हालांकि, पर्यटन विभाग ने उपरोक्त के साथ आयोजित बैठकों के कोई अभिलेख/कार्यवृत उपलब्ध नहीं कराए। यह परिलक्षित करता है कि पर्यटन विभाग ने विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए स्थानीय समुदाय की भागीदारी का प्रमाण देने वाले परामर्श के दस्तावेज अनुरक्षित नहीं किए।

अधिशासी अभियंता, हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम ने बताया (मार्च 2022) कि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने हेतु जानकारी, संबंधित क्षेत्र के लाभ आदि के संदर्भ में स्थानीय लोगों से मौखिक रूप से परामर्श करके, इस उद्देश्य के लिए नियुक्त आर्किटेक्ट्स की टीम

द्वारा एकत्रित की गई थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम को दिशानिर्देशों के अनुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए सभी हितधारकों से परामर्श के उचित अभिलेख अनुरक्षित करने चाहिए थे, जैसाकि दिशा-निर्देशों में प्रावधान किया गया था। सामुदायिक भागीदारी का यह अभाव डल झील, धर्मशाला का विकास व सौंदर्यीकरण घटक में भी स्पष्ट रूप से पाया गया, जैसाकि बाद के **परिच्छेद 5.3.1** में देखा गया है, जो इस घटक की विफलता के प्रमुख कारणों में से एक था।

### 5.2.1.3 विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में पर्यटक सर्किट की परिभाषा से विचलन

स्वदेश दर्शन योजना दिशा-निर्देशों के अनुसार एक पर्यटक सर्किट वह मार्ग है जिस पर कम से कम तीन प्रमुख पर्यटन स्थल इस प्रकार स्थित हों कि इनमें से कोई भी एक ही कस्बे, गांव या शहर में न हो। साथ ही, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ये स्थल आपस में बहुत अधिक दूरी पर न हों। सर्किट के स्पष्ट प्रवेश और निकास बिंदु होने चाहिए, ताकि पर्यटक प्रवेश करने के बाद सभी चिन्हित स्थलों पर जाने के लिए प्रेरित हो।

यह देखा गया कि:

- हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम द्वारा तैयार की गई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में पर्यटक सर्किट के भीतर अधिकांश चिन्हित स्थलों की यात्रा के लिए पर्यटकों को प्रेरित करने हेतु आवश्यक प्रवेश व निकास बिंदुओं की पहचान नहीं की गई थी। प्रवेश व निकास बिंदुओं की पहचान करने की प्रक्रिया न तो परियोजना स्थलों के अंतिम निर्धारण के दौरान पीएमसी[5] (पर्यटन मंत्रालय द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय स्तर के परामर्शदाता) द्वारा प्रस्तावित की गई थी और ना ही परियोजना के स्वीकृति के दौरान केंद्रीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति[6] द्वारा इंगित की गई।
- हिमालयन सर्किट के एकीकृत विकास में नौ गंतव्य स्थल थे (संपूर्ण राज्य में साइनेज व गैंट्री के अतिरिक्त)। राज्य की राजधानी शिमला से सर्किट का नक्शा पश्चिम (कियारीघाट), पूर्व (हाटकोटी), उत्तर-पूर्व (मनाली) व उत्तर-पश्चिम (कांगड़ा, धर्मशाला, बीड व भलेई) में 781 किलोमीटर तक फैले गंतव्य स्थलों को दर्शाता है। हालांकि यह एक सर्किट नहीं बनाता क्योंकि इसमें स्थलों के बीच निश्चित अंतर्संबंध नहीं था, जैसाकि नीचे दिए गए मानचित्र से स्पष्ट है। परियोजना प्रबंधन एवं निर्माण पर्यवेक्षण परामर्शदाता

---

5 अर्न्स्ट एंड यंग प्राइवेट लिमिटेड। परियोजना प्रबंधन एवं निर्माण पर्यवेक्षण परामर्शदाता विस्तृत परिप्रेक्ष्य योजनाओं व विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की जांच हेतु उत्तरदायी है।

6 केन्द्रीय स्वीकृति एवं निगरानी केंद्र (पर्यटन मंत्रालय) मिशन निदेशालय द्वारा प्रस्तुत परियोजनाओं की स्वीकृति के लिए उत्तरदायी है, जिसकी अध्यक्षता सदस्य सचिव, राष्ट्रीय संचालन समिति एक नोडल अधिकारी की तरह करता है।

ने अलग-अलग स्थलों का विश्लेषण किया था परन्तु इन स्थलों के सर्किट बनाने या सर्किट की विशेषता या कमियों के विश्लेषण का कोई उल्लेख नहीं है।

**चित्र 5.1: हिमाचल प्रदेश में हिमालयीन पर्यटक सर्किट में स्थलों को दर्शाता गूगल मैप**

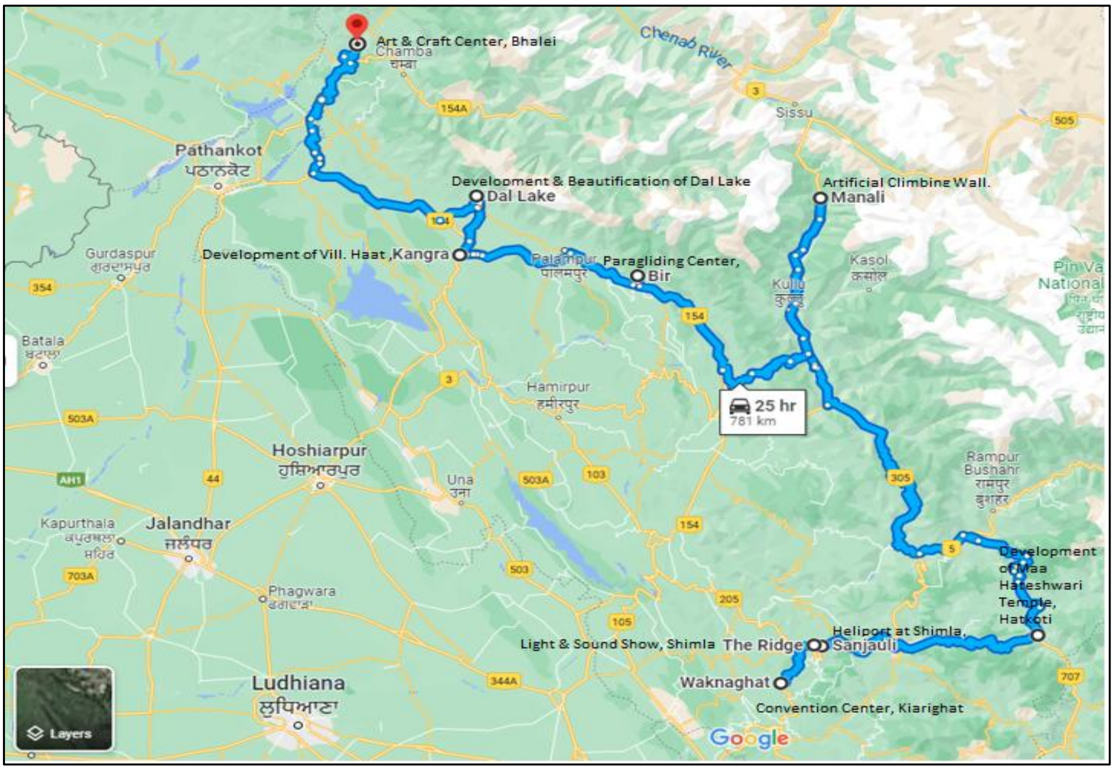


सर्किटों को जोड़ने वाले प्रवेश व अंतिम बिंदुओं का स्पष्ट रूप से सीमांकन नहीं किया गया है एवं ये स्वतंत्र स्थल भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे से बहुत दूर हैं इसलिए पर्यटकों द्वारा इन स्थलों को एक सर्किट के रूप में कवर करने की अपनी यात्रा की योजना बनाने की संभावना नहीं लगती, जिससे सर्किट निर्माण की अवधारणा ही विफल हो जाती है। वास्तव में चूंकि ये गंतव्य स्वतंत्र हैं और सर्किट विकास में योगदान नहीं करते इसलिए परियोजना को सर्किट निर्माण व विकास के रूप में संदर्भित करना एक गलत संज्ञा है। इस प्रकार योजना के तहत राज्य में सर्किट के लिए स्थलों को अलग-थलग स्थानों के रूप में योजनाबद्ध/सूत्रबद्ध किया गया था और इन्हें स्पष्ट रूप से एक परिभाषित सर्किट के रूप में जोड़ा नहीं जा सकता है, जिससे योजना के तहत पर्यटक सर्किट के निर्माण का मूल उद्देश्य ही पराजित हो जाता है।

निदेशक, पर्यटन विभाग ने बताया (अप्रैल 2022) कि पर्यटन मंत्रालय द्वारा नियुक्त परियोजना प्रबंधन एवं निर्माण पर्यवेक्षण परामर्शदाता द्वारा स्थल निरीक्षण के बाद हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई थी। इस परियोजना को मिशन निदेशालय व केंद्रीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति की बैठकों के आधार पर पर्यटन मंत्रालय द्वारा स्वीकृत किया गया। प्रवेश व निकास बिंदुओं की पहचान के मामले पर परियोजना प्रबंधन एवं निर्माण पर्यवेक्षण परामर्शदाता/केंद्रीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति /पर्यटन मंत्रालय द्वारा

कोई आपत्ति नहीं की गई। उत्तर में स्वदेश दर्शन योजना दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में पर्यटक सर्किट के प्रवेश व अंतिम बिंदुओं की पहचान न करने के कारणों तथा दिशा-निर्देशों के अनुसार स्थलों को सर्किट बनाने के लिए क्यों प्रस्तावित नहीं किया गया, इसकी व्याख्या नहीं की गई।

### 5.2.1.4 स्वदेश दर्शन योजना के घटकों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने हेतु परामर्शदाता का चयन

स्वदेश दर्शन योजना दिशा-निर्देशों के परिच्छेद 4.6 में प्रावधान है कि कार्यान्वयन एजेंसी को कार्य/सामग्री/उपकरण खरीद के लिए अनुबंध प्रदान करते समय सभी कोडल औपचारिकताओं का पालन करना होगा और उसके लेन-देन में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करनी होगी। हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली, 2009 के नियम 124 में प्रावधान है कि ₹ 10.00 लाख व इससे अधिक लागत वाली परियोजनाओं के लिए परामर्शदाताओं की सेवाएं लेने के लिए विज्ञापित निविदा आमंत्रित की जाए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास बोर्ड ने स्वदेश दर्शन योजना के छः[7] घटकों/गंतव्यों की विस्तृत ड्राइंग (रेखाचित्र) (कार्यकरण व संरचनात्मक लागत अनुमान, मात्रा बिल) के साथ विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का कार्य विज्ञापित निविदा आमंत्रित किए बिना एक परामर्शदाता[8] को ₹ 1.11 करोड़ (अनुमानित लागत के दो प्रतिशत की दर से) में इस तर्क पर आवंटित किया था कि परामर्शदाता फरवरी 2006 से एशियाई विकास बैंक परियोजना (पर्यटन विभाग द्वारा निष्पादित) के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का कार्य कर रहा था एवं तदनुसार ₹ 1.01 करोड़ का भुगतान भी कर दिया गया। हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम व स्वदेश दर्शन योजना दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के विपरीत परामर्श सेवाओं पर ₹ 1.01 करोड़ का व्यय अनियमित था। दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम जो तीन घटकों हेतु एक अन्य निष्पादन एजेंसी थी, ने स्वदेश दर्शन योजना के दो घटकों[9] के लिए निविदाएं आमंत्रित कीं तथा इन दो घटकों[10] हेतु 1.4 व 1.5 प्रतिशत की दर से परामर्श शुल्क हेतु बोलियों को अंतिम रूप दिया।

---

[7] (i) कियारीघाट में कन्वेंशन सेंटर, (ii) शिमला में आइस स्केटिंग रिंक, (iii शिमला में हेलीपोर्ट, (iv) कांगड़ा में ग्राम हाट, (v) धर्मशाला में डल झील व (vi) बीड बिलिंग में पैराग्लाइडिंग सेंटर।

[8] मैसर्स शाह टेक्निकल कंसल्टेंट

[9] (i) भलेई माता में कला व शिल्प केंद्र का निर्माण, (ii) माँ हाटेश्वरी मंदिर, हाटकोटी का विकास, (iii) संपूर्ण सर्किट के लिए सिगनेज गैंट्री, सीसीटीवी व वाईफाई - हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम द्वारा स्वयं ही परामर्श किया गया था।

[10] दसवें घटक 'इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फ्री-स्टैंडिंग आर्टिफिशियल क्लाइंबिंग वॉल, मनाली' के लिए परामर्श कार्य निर्माण फर्म द्वारा स्वयं ही किया गया।

निदेशक, पर्यटन विभाग ने बताया (दिसंबर 2021) कि दो फर्मों (जो पहले से ही एशियाई विकास बैंक परियोजना पर कार्य कर रही थीं) से कोटेशन (निविदा दर) आमंत्रित किए गए व बातचीत के पश्चात् परामर्शदाता ने दो प्रतिशत की दर से कार्य करने के लिए सहमति दी। पर्यटन विभाग ने यह भी बताया कि हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम द्वारा अल्प दर पर दिए गए कार्य यथा ड्राइंग, अनुमान व विस्तृत परियोजना रिपोर्ट स्थिति व संदर्भ की शर्तों के कारण थे, जो दोनों मामलों (हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास बोर्ड व हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम) में भिन्न हो सकते हैं। अंतिम बैठक (जून 2022) में सरकार ने तथ्यों की पुष्टि करते हुए बताया कि आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। हालांकि तथ्य यह है कि पर्यटन विभाग ने हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली में निर्धारित खुली निविदा प्रक्रिया का पालन नहीं किया।

### 5.2.1.5 स्वदेश दर्शन योजना हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने में विलम्ब

हिमालयन सर्किट-योजना के एकीकृत विकास से सम्बंधित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट सितंबर 2015 में हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम द्वारा एक परामर्शदाता[11] की सेवाएं लेकर ₹ 4.50 लाख की राशि में तैयार की गई। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट अनुमोदनार्थ पर्यटन मंत्रालय को भेजी (अक्टूबर 2015) गई परंतु कुछ टिप्पणियां[12] करने के पश्चात् विस्तृत परियोजना रिपोर्ट व ड्रॉइंग में तदनुसार संशोधन करने हेतु इसे पर्यटन विभाग को वापस (मार्च 2016) कर दिया। पर्यटन विभाग द्वारा संशोधित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को योजना के तहत निधियां जारी करने के लिए पर्यटन मंत्रालय को भेजा (मार्च 2017) गया। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के आधार पर पर्यटन मंत्रालय ने ₹ 99.76 करोड़ स्वीकृत (मार्च 2017) किए और साथ ही हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास बोर्ड को ₹ 19.95 करोड़ जारी किए। यह परिलक्षित करता है कि पर्यटन विभाग को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को अंतिम रूप देने में दो वर्ष (मार्च 2015 में स्वदेश दर्शन योजना प्रारम्भ होने से) का समय लगा।

### 5.2.1.6 योजना के घटकों हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने में लगा समय

पर्यटन विभाग ने निष्पादन एजेंसियों को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का कार्य सौंपा एवं निष्पादन एजेंसी ने आगे परामर्शदाताओं को उक्त कार्य आवंटित किया। हालांकि परामर्शदाताओं ने विलम्ब के साथ विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की, जैसाकि **परिशिष्ट 5.3** में दर्शाया गया है।

---

11 मैसर्स शर्मा व सहयोगी, संजौली, शिमला।

12 सर्किट मानचित्र जिसमें स्थान व दूरी अंकित हों, उपलब्ध नहीं कराए गए; प्लिंथ एरिया सहित वास्तु ड्रॉइंग, लागत अनुमान, बाजार से प्राप्त कोटेशन के आधार पर दरों का विश्लेषण जैसी जानकारियां उपलब्ध नहीं कराई गईं; भूमि स्वामित्व का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया और कार्य निष्पादन एवं संचालन व रखरखाव की स्पष्ट रूपरेखा भी नहीं दी गई, आदि।

**परिशिष्ट 5.3** से देखा जा सकता है कि:

- पर्यटन विभाग ने निष्पादन एजेंसियों (हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम/हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास बोर्ड/अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण एवं संबद्ध खेल संस्थान) को परामर्श कार्य परामर्शदाता को आवंटित करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की थी।
- निष्पादन एजेंसियों द्वारा जारी आवंटन आदेश/संदर्भ अवधि के अनुसार परामर्शदाताओं को कार्य आवंटन से 30 दिनों के भीतर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करनी थी। हालांकि परामर्शदाताओं ने चार (10 में से) घटकों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट 131 से 361 दिनों के विलम्ब से पूर्ण की।
- विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विलम्ब हेतु कोई दंड अधिरोपित नहीं किया गया क्योंकि इस संबंध में अनुबंध में कोई खंड नहीं था।

निदेशक, पर्यटन विभाग ने में बताया (दिसंबर 2021) कि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का कार्य परामर्शदाता को सौंपा गया था तथा भुगतान परिणाम के आधार पर किया गया। हालांकि तथ्य यह है कि परामर्शदाताओं द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने में काफी समय लिया गया।

### 5.2.2 परियोजना प्रस्ताव पर्यटन मंत्रालय को भेजने से पूर्व राज्य सरकार की भूमिका व जिम्मेदारियां

परियोजना प्रस्ताव पर्यटन मंत्रालय को भेजने से पूर्व राज्य सरकार की निम्नलिखित जिम्मेदारियां थीं:

i. परियोजनाएं चिन्हित करना

ii. योजना दिशानिर्देशों एवं विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के टूलकिट के अनुरूप परियोजना प्रस्ताव/विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना

iii. परियोजनाओं की व्यवहार्यता अध्ययन/सर्वेक्षण करना

iv. पर्यटक आगमन, रोजगार सृजन आदि से संबंधित डेटा बनाना/अनुरक्षण करना।

उपरोक्त में लेखापरीक्षा में कमियां पाई गईं, जैसाकि निम्नलिखित परिच्छेदों में इंगित किया गया है।

#### 5.2.2.1 भू-अधिग्रहण एवं अन्य मंजूरी/अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने से संबंधित मुद्दे

स्वदेश दर्शन योजना दिशानिर्देशों के परिच्छेद 4.1 व 4.6 में प्रावधान है कि संकल्पनात्मक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने से पहले स्थल का मूल्यांकन किया जाएगा एवं परियोजनाओं के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि सभी प्रकार की बाधाओं से मुक्त होनी

चाहिए। दिशानिर्देशों में यह भी प्रावधान है कि सभी आवश्यक मंजूरियां व कार्यादेश प्रस्तुत करने के पश्चात् ही राज्य को निधियां जारी की जानी थी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के अनुसार राज्य सरकार को परियोजना के निष्पादन से पूर्व विभिन्न विभागों/स्थानीय निकायों से आवश्यक मंजूरियां/अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करना अपेक्षित था।

नीचे इंगित दो घटकों में पर्यटन विभाग ने संकल्पनात्मक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने से पूर्व वन विभाग/सिंचाई विभाग से भूमि सम्बन्धी आवश्यक मंजूरी प्राप्त नहीं की। इसके अतिरिक्त निष्पादन एजेंसी (हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास बोर्ड) ने आवश्यक मंजूरी सुनिश्चित किए बिना इन दो घटकों से संबंधित कार्य ठेकेदारों को सौंप दिए। परिणामस्वरूप ठेकेदारों को स्थल सौंपने तथा कार्य प्रारंभ करने में क्रमशः 409 व 257 दिनों का विलम्ब हुआ, जैसाकि **तालिका 5.3** में दर्शाया गया है।

**तालिका 5.3: भूमि मंजूरी की आवश्यकता के कारण ठेकेदारों को स्थल सौंपने में विलम्ब**

| क्र.सं. | घटक का नाम | कार्यादेश सौंपने की तिथि | बाधा रहित भूमि/स्थल सौंपने की तिथि | स्थल हस्तांतरण में विलम्ब (दिन) | विलम्ब का कारण | स्थिति (अप्रैल 2023) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | बीड में पैराग्लाइडिंग सेंटर | 5 फ़रवरी 2019 | 20 मार्च 2020 | 409 | 42 नाशपति वृक्षों को काटने हेतु वन विभाग से मंजूरी न मिलना | पूर्ण हो गया है परंतु अभी तक सौंपा नहीं गया |
| 2. | शिमला में हेलीपोर्ट | 31 अगस्त 2018 | 15 मई 2019 | 257 | जलापूर्ति लाइन को स्थानांतरित नहीं किया गया व मौके पर मौजूद पानी की टंकी को नहीं हटाया गया | पूर्ण हो गया है परंतु अभी तक सौंपा नहीं गया |

निदेशक, पर्यटन विभाग ने बताया (जनवरी 2022) कि कुछ प्रशासनिक कारणों व स्थानीय मुद्दों के कारण स्थल को पूर्ण रूप से हस्तांतरित नहीं किया गया। पर्यटन विभाग ने पुष्टि की (अप्रैल 2023) कि ये घटक पूर्ण हो चुके हैं। हालांकि तथ्य यह है कि ठेकेदारों को बाधा रहित स्थलों को हस्तांतरित न करने के कारण दोनों कार्यों में विलम्ब हुआ।

### 5.2.2.2 अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त न करने के परिणामस्वरूप निष्फल व्यय

मार्च 2017 में स्वीकृत एक घटक (शिमला में आइस स्केटिंग रिंक) के कार्यान्वयन हेतु पर्यटन विभाग को विभिन्न विभागों[13] से आवश्यक अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने थे क्योंकि यह क्षेत्र एक स्लाइडिंग/सिंकिंग क्षेत्र है। हालांकि स्वीकृति के 34 माह[14] उपरांत भी कोई अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं किए गए। इसके परिणामस्वरूप स्थल पर निर्माण-कार्य प्रारंभ नहीं हुआ और बाद में पर्यटन मंत्रालय ने यह घटक छोड़ दिया (जनवरी 2020 में), जिससे विस्तृत परियोजना रिपोर्ट /कार्य अनुमान तैयार करने और विज्ञापन पर पर्यटन विभाग द्वारा किए गए ₹ 0.26 करोड़ (विज्ञापन व्यय: ₹ 0.03 करोड़; विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने की लागत: ₹ 0.23 करोड़) का व्यय निष्फल हो गया। इसके अतिरिक्त पर्यटकों के उपयोग हेतु आइस स्केटिंग रिंक के विकास का उद्देश्य भी पूर्ण नहीं हो सका।

निदेशक, पर्यटन विभाग ने बताया (अप्रैल 2022) कि प्रस्तावित आइस स्केटिंग रिंक की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को अंतिम रूप देने में विलम्ब का कारण यह था कि प्रस्तावित कार्य एक विशेष कार्य था जिसमें सिविल व प्रशीतन भाग सम्मलित थे और इसे पहली बार हिमाचल प्रदेश में प्रस्तावित किया गया था। इसकी संकल्पना, ड्राइंग, डिजाइन तैयार करने व अंतरराष्ट्रीय मानकों एवं इसके विस्तृत परियोजना रिपोर्ट आदि के अपने विनिर्देशों को अंतिम रूप देने के लिए राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के साथ विभिन्न स्तरों/अधिकारियों द्वारा व्यापक विचार-विमर्श किया गया, जिन्हें इसको अंतिम रूप देने में चार से पांच माह लग गए। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार आइस-स्केटिंग रिंक के प्रस्ताव को विकसित/नियोजित किया गया व परियोजना की लागत ₹ 21.00 करोड़ (सिविल भाग हेतु ₹ 12.00 करोड़ व प्रशीतन भाग हेतु ₹ नौ करोड़) आंकी गई थी। पर्यटन मंत्रालय द्वारा केवल ₹ आठ करोड़ की निधियां स्वीकृत की गई जो कार्य को निष्पादित करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। इस प्रकार ₹ 13.00 करोड़ की अतिरिक्त निधियां प्राप्त करने हेतु मामला सरकार के पास प्रक्रियाधीन रहा। परंतु 31/10/2019 को आयोजित निदेशक मंडल की 7वीं बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया कि परियोजना को शिमला स्मार्ट सिटी लिमिटेड के तहत कार्यान्वित किया जाएगा। विभिन्न एजेंसियों से अनापत्ति प्रमाणपत्र उपलब्ध न होने के कारण शिमला स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा इस मामले को आगे बढ़ाया नहीं जा सका। इसके बाद 18/01/2020 को नई दिल्ली में उत्तर क्षेत्र के लिए स्वदेश दर्शन योजना की समीक्षा बैठक के दौरान इस परियोजना को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

---

[13] हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, वन विभाग, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड, शिमला नगर निगम, राष्ट्रीय हरित अधिकरण, हिमाचल पथ परिवहन निगम, उद्योग विभाग के अधीन भूवैज्ञानिक विंग, अग्निशमन सेवा विभाग।

[14] मार्च 2017 से जनवरी 2020 तक।

सरकार ने अंतिम बैठक में बताया (जून 2022) कि इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। हालांकि तथ्य यह है कि पर्यटन विभाग ने संबंधित विभागों से अपेक्षित सभी अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं किए, जिसके परिणामस्वरूप घटक को हटा दिया गया।

## 5.3 निधि प्रबंधन

### 5.3.1 पानी के रिसाव के कारण डल झील घटक को हटाने के परिणामस्वरूप ₹ 0.90 करोड़ का अपव्यय

"डल झील का विकास एवं सौंदर्यीकरण-घटक" के मामले में जिला पर्यटन विकास अधिकारी, धर्मशाला ने पर्यटन विभाग को सूचित किया (नवंबर 2018) कि डल झील में लगातार पानी का रिसाव हो रहा है, जिससे जलाशय में जल की उपलब्धता कम हो रही है। डल झील में रिसाव को रोकने और जल स्तर बहाल करने के लिए इन समस्याओं के समाधान हेतु भूवैज्ञानिकों, अभियंताओं व आर्द्रभूमि विशेषज्ञों का परामर्श आवश्यक था। जिला पर्यटन विकास अधिकारी, धर्मशाला ने आगे सूचित किया (जनवरी 2020) कि डल झील को रिसाव से बचाने के उपायों को योजना में एक अलग घटक के रूप में शामिल किया जाए, क्योंकि रिसाव की समस्या का समाधान किए बिना डल झील का सौंदर्यीकरण व्यर्थ होगा। हालांकि पर्यटन विभाग ने इस अनुरोध पर यह कहते हुए विचार नहीं किया कि योजना के कार्यक्षेत्र में रिसाव की रोकथाम का कोई प्रावधान नहीं था। इसके पश्चात, डल झील के रिसाव की समस्या के समाधान के लिए भूवैज्ञानिकों व आर्द्रभूमि विशेषज्ञों से परामर्श नहीं किया गया तथा झील सूख गई, जैसाकि **चित्र 5.2** में दर्शाया गया है।

**चित्र 5.2: डल झील, धर्मशाला**

इस दौरान पर्यटन विभाग ने (अगस्त 2020) में पर्यटन मंत्रालय द्वारा जारी स्वदेश दर्शन योजना दिशानिर्देशों में परिकल्पित कार्य के कार्य-क्षेत्र में डल झील के रिसाव की रोकथाम के घटक को शामिल करने के संबंध में राज्य सरकार व पर्यटन मंत्रालय के साथ मामला उठाए बिना सितंबर 2022 तक डल झील के विकास व सौंदर्यीकरण हेतु ₹ 0.90 करोड़ का व्यय किया, जबकि सार्वजनिक हित में घटक के कार्य-क्षेत्र में परिवर्तन/परिवर्धन का प्रावधान था।

ठेकेदार ने 8 नवंबर 2019 व 30 जुलाई 2020 को अनुरोध/सूचित किया कि घटक के डिजाइन/लेआउट प्लान लंबित होने के कारण कार्य के निष्पादन में विलम्ब हो रहा है, जिससे कार्य में डेढ़ वर्ष से अधिक का विलम्ब हुआ। देखा गया कि उक्त घटक का निष्पादन इसलिए रुका रहा क्योंकि स्थानीय समुदाय चाहता था कि डल झील को रिसाव से बचाने के उपायों को अन्य निर्माण-कार्य प्रारंभ करने से पूर्व योजना में एक घटक के रूप में शामिल किया जाए।

प्रधान सचिव (पर्यटन) की अध्यक्षता में 22 जुलाई 2021 को आयोजित एक समीक्षा बैठक में निर्णय लिया गया कि डल झील के विकास व सौंदर्यीकरण का कार्य बंद कर दिया जाए।

इस प्रकार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में जल रिसाव से सुरक्षा के पहलू का समावेश न करने (जुलाई 2018), जिला पर्यटन विकास अधिकारी द्वारा मुद्दा उठाए जाने के बावजूद पर्यटन मंत्रालय के साथ मामला न उठाने तथा संशोधित दिशा-निर्देशों में प्रावधान के अनुसार कार्य-क्षेत्र में विस्तार न करने के परिणामस्वरूप घटक को हटाना पड़ा, जिससे ₹ 0.90 करोड़ का व्यर्थ व्यय हुआ।

निदेशक, पर्यटन विभाग ने (दिसंबर 2021) में बताया कि स्थल पर किया गया व्यय व्यर्थ व्यय नहीं था क्योंकि कार्य को पूर्ण करने के आशय से ही कार्य प्रारम्भ किया गया था परन्तु कुछ अपरिहार्य परिस्थितियों व स्थानीय लोगों द्वारा बाधा उत्पन्न करने के कारण कार्य पूर्ण नहीं किया जा सका। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अगस्त 2020 में जब योजना के दिशा-निर्देश संशोधित किए गए थे, उस समय पर्यटन विभाग को झील से पानी के रिसाव की समस्या का समाधान करना चाहिए था। इसके अतिरिक्त दिशा-निर्देशों में निर्धारित स्थानीय समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करके उनकी चिंताओं का समाधान किया जाता तो घटक का विकास संभव हो सकता था।

### 5.3.2 सूचना, शिक्षा एवं संचार के सापेक्ष निधियों का उपयोग/व्यय

दिशा-निर्देशों के परिच्छेद 8.2.5 में प्रावधान है कि परियोजना लागत का 10 प्रतिशत सूचना, शिक्षा एवं संचार कार्यक्रम के लिए निर्धारित किया जाएगा, जिसमें क्षमता निर्माण सम्बन्धी गतिविधियों जैसे कार्यशालाएं, सेमिनार, प्रकाशन, हितधारकों तक पहुंच, कौशल विकास तथा व्यावसायिक व प्रशासनिक सेवाएं शामिल हैं।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि सूचना, शिक्षा एवं संचार के लिए न तो निधियां निर्धारित की गई एवं न ही सूचना, शिक्षा एवं संचार गतिविधि व कौशल विकास हेतु कोई व्यय किया गया।

निदेशक, पर्यटन विभाग ने बताया (मार्च 2022) कि सूचना, शिक्षा एवं संचार घटकों हेतु कोई निधियां निर्धारित नहीं की गई तथा इसे भविष्य में राज्य के बजट से किया जाएगा। सरकार ने अंतिम बैठक में बताया (जून 2022) कि तत्संबंधी आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। हालांकि तथ्य यह है कि सूचना, शिक्षा एवं संचार गतिविधियां प्रारंभिक चरण से ही संचालित की जानी थीं, जो नहीं की गईं।

## 5.4 योजना का निष्पादन

### 5.4.1 योजना के घटकों को पूर्ण करने में अत्यधिक विलम्ब एवं परिनिर्धारित क्षति उद्ग्रहित न करना

दो (कुल 10 में से) घटकों के कार्यों के निष्पादन (कार्य की स्थिति **तालिका 5.1** में दर्शाई गई) में ठेकेदारों द्वारा निर्धारित समयसीमा के भीतर कार्य पूर्ण करने में विलम्ब एवं परिनिर्धारित क्षति उद्ग्रहित न करने का विवरण **तालिका 5.4** में दर्शाया गया है।

**तालिका 5.4: कार्यों/परियोजनाओं के निष्पादन में विलम्ब**

| क्र.सं. | घटक का नाम | मानदंड | कार्य सौंपे जाने की तिथि व राशि | पूर्णता की निर्धारित तिथि | लेखापरीक्षा की तिथि तक कार्य की स्थिति (अक्टूबर से दिसंबर 2021) | विलम्ब (दिन)/ (कारण) | अनुद्ग्रहित परिनिर्धारित क्षति (₹ लाख में) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | लाइट एंड साउंड शो, शिमला | घटक को कार्यादेश जारी करने की तिथि से 120 दिनों तक या उससे पूर्व पूर्ण किया जाना था, ऐसा न करने पर प्रति सप्ताह ₹ 0.25 लाख की परिनिर्धारित क्षति अधिरोपित करनी थी, जो कुल अनुबंध राशि के अधिकतम 10% तक सीमित थी। | 30-07-2020, ₹ 7.47 करोड़ | 06-12-2020 | अपूर्ण | 329 (आठ फिल्म पटकथाओं को आवाज व संगीत के बिना विलम्ब से प्रदान किया गया) | 11.75[15] |
| 2. | आर्टिफिशियल क्लाइम्बिंग वॉल, मनाली | संस्थान द्वारा कार्यादेश सौंपे जाने की तिथि से परियोजना में हुए विलम्ब[16] के दिनों (16.05.2020 से 16.12.2021) के लिए अंतिम किस्त पर 18 प्रतिशत वार्षिक दर से शास्ति उद्ग्रहित की जाएगी। | 17-07-2019, ₹ 1.47 करोड़ | 16-05-2020 | अपूर्ण | 586/ (ठेकेदार द्वारा इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ स्पोर्ट्स क्लाइम्बिंग मानक का समय पर प्रमाणन प्राप्त नहीं किया। | 14.12[17] |
| **योग** | | | | | | | **25.87** |

---

15 47 सप्ताह 25,000 से गुणा किए गए (दिसंबर 2020 से नवंबर 2021)।

16 ठेकेदार को निर्माण कार्य के लिए मेसर्स क्लाइंब कोरिया से यह प्रमाणपत्र लेना था कि निर्मित स्पीड क्लाइम्बिंग वॉल इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ स्पोर्ट्स क्लाइम्बिंग के मानकों के अनुरूप है। यह प्रमाणपत्र प्राप्त करने के बाद ठेकेदार को इसे अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण और संबद्ध खेल संस्थान को जमा करना था, परन्तु यह प्रक्रिया पूर्ण नहीं की गई। इसी कारण से घटक में विलम्ब हुआ।

17 586 दिनों (पूर्ण होने की निर्धारित तिथि अर्थात 16/05/2020 से 23/12/2021) हेतु ₹ 48.87 लाख (अंतिम किस्त) को 18 प्रतिशत से गुणा किया गया।

**तालिका 5.4** से स्पष्ट है कि ठेकेदारों ने निर्धारित अवधि के भीतर कार्य पूर्ण नहीं किया तथा निष्पादन एजेंसियों ने 329 व 586 दिनों का विलम्ब होने पर ₹ 25.87 लाख की परिनिर्धारित क्षति उद्ग्रहित नहीं की।

क्रम संख्या 1 के कार्य के लिए निदेशक, पर्यटन विभाग ने बताया (जनवरी 2022) कि प्रारंभ में शिमला के टाउन स्क्वायर में पांच वर्षों हेतु संचालन व रखरखाव सहित वाओ प्रभाव (वाओ इफेक्ट) वाले प्रकाश व ध्वनि (लाइट एंड साउंड) शो के प्रस्ताव/संकल्पना को राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया तथा ठेकेदार को कार्य प्रारंभ करने का नोटिस 30/07/2020 को जारी किया गया। इसके बाद ठेकेदार ने प्रारंभिक संकल्पना तैयार की और दिनांक 17/02/2021 के ईमेल के माध्यम से विभाग को प्रस्तुत की। इसके अतिरिक्त पर्यटन मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार कार्य प्रारम्भ करने से पहले संबंधित एजेंसी अर्थात नगरनिगम, शिमला से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करना आवश्यक था, जो 28/06/2021 को प्राप्त हुआ एवं तदोपरांत पर्यटन विभाग ने ठेकेदार को स्थल पर कार्य आरंभ करने के लिए सूचना दी। उपरोक्त के अतिरिक्त ठेकेदार के प्रतिनिधि ने ई-मेल के माध्यम से आगे स्पष्ट किया कि उन्होंने विभागीय प्राधिकरण को आठ पटकथाएं व आठ फिल्में (आवाज व संगीत के बिना) प्रस्तुत की। हालांकि तथ्य यह है कि अनुबंधानुसार कार्यकारी एजेंसी ठेकेदार के विरुद्ध कोई कार्रवाई करने में असफल रही। पर्यटन विभाग ने क्रम संख्या 2 के कार्य हेतु उत्तर नहीं दिया। अंतिम बैठक में सरकार ने बताया (जून 2022) कि आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने पुष्टि की (अप्रैल 2023) कि क्रम संख्या 1 का कार्य बंद कर दिया गया है तथा क्रम संख्या 2 का कार्य पूर्ण हो चुका है। हालांकि तथ्य यह है कि परियोजना पूर्ण होने में काफी विलम्ब हुआ एवं ठेकेदारों पर कोई शास्ति अधिरोपित नहीं की गई, अतः उन्हें अनुचित लाभ दिया गया।

### 5.4.2 निधियों का अनियमित अपयोजन

स्वदेश दर्शन योजना दिशा-निर्देशों के परिच्छेद 4.4 (9) में प्रावधान है कि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को भारत सरकार की अन्य योजनाओं के साथ कार्यों के दोहराव/ओवरलैप पर ध्यान केंद्रित करते हुए पर्यटन मंत्रालय के टूलकिट के अनुसार तैयार किया जाएगा।

#### 5.4.2.1 सोलन जिला योजना के एकीकृत विकास से कियारीघाट में कन्वेंशन सेंटर परियोजना हेतु निधियों का अपयोजन एवं फर्जी उपयोगित-प्रमाणपत्रों का प्रस्तुतीकरण

"सोलन जिले का एकीकृत विकास"[18] योजना के तहत पर्यटन मंत्रालय ने कियारीघाट में मार्गीय सुविधाओं के विकास, पर्यटक स्वागत केंद्र के निर्माण एवं बहुमंजिला पार्किंग के निर्माण हेतु ₹ 1.60 करोड़ स्वीकृत किए (अगस्त 2008)। सोलन जिले के एकीकृत विकास योजना के तहत

[18] केन्द्र सरकार की योजना जिसके अंतर्गत राज्य सरकार को 2008 में निधियां प्राप्त हुई।

स्वीकृति पत्र के परिच्छेद 9 में प्रावधान है कि राज्य सरकार/हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम यह राशि छह माह से अधिक अवधि तक अनुपयुक्त नहीं रखेगी। यदि इस समय तक निधियों का उपयोग न हो सके तो उसे पर्यटन मंत्रालय को अभ्यर्पित करना होगा या उस राशि को अन्य केंद्रीय वित्तीय सहायता प्राप्त परियोजनाओं हेतु निधि में स्थानांतरित/समायोजित करने के लिए उनकी औपचारिक स्वीकृति लेनी होगी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटन विभाग को ₹ 1.28 करोड़ की निधियां जारी की तथा पर्यटन विभाग ने पर्यटन मंत्रालय को ₹ 1.28 करोड़ का उपयोगिता-प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया (जनवरी 2013)। लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि सोलन जिले के एकीकृत विकास के तहत स्वीकृत उपरोक्त कार्य भूमि एवं जल की अनुपलब्धता के कारण आरंभ नहीं किया जा सका। अगस्त 2008 से सितंबर 2018 तक ₹ 1.28 करोड़ की जारी निधियां (सितंबर 2018: ₹ 0.48 करोड़ व मई 2020: ₹ 0.80 करोड़) हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के पास अप्रयुक्त रखी रही और इन्हें अभ्यर्पित नहीं किया गया। सितंबर 2018 में पर्यटन विभाग ने 'कियारीघाट में कन्वेंशन सेंटर के निर्माण' हेतु सोलन जिले के एकीकृत विकास हेतु स्वीकृत राशि को स्वदेश दर्शन योजना को हस्तांतरित कर दिया। अतः पर्यटन विभाग ने पर्यटन मंत्रालय को फर्जी उपयोगिता-प्रमाणपत्र जारी किए (जनवरी 2013) तथा पर्यटन मंत्रालय की स्वीकृति के बिना सोलन जिले के एकीकृत विकास परियोजना हेतु स्वीकृत निधियों को स्वदेश दर्शन योजना की परियोजना में स्थानांतरित कर दिया।

अंतिम बैठक में सरकार ने तथ्यों की पुष्टि की (जून 2022) और बताया कि इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। वास्तविक उपयोग के बिना उपयोगिता-प्रमाणपत्रों के रूप में पर्यटन मंत्रालय को गलत जानकारी देना निगरानी तंत्र की गंभीर कमियों को परिलक्षित करता है।

### 5.4.3 निर्मित अधोसंरचना की स्थिति

#### 5.4.3.1 पूर्ण किए गए घटकों का संचालन एवं रखरखाव हेतु हस्तांतरण

पर्यटन मंत्रालय ने निर्देश जारी किए (जून 2021) कि परियोजना के भौतिक रूप से पूर्ण होने के पश्चात् संबंधित राज्य/केंद्रीय कार्यान्वयन एजेंसियां राज्य सरकार के परामर्श से चयनित एजेंसी को पर्यटक सुविधा केंद्र, कैफेटेरिया व शौचालय जैसे घटकों के संचालन एवं रखरखाव के लिए स्पष्ट भूमिकाओं व जिम्मेदारियों के साथ परिसंपत्तियां हस्तांतरित करेंगी। एक बार संचालन एवं रखरखाव एजेंसी का चयन हो जाने पर कार्यान्वयन एजेंसी किसी स्वतंत्र एजेंसी द्वारा एक वर्ष तक घटकों के सफल संचालन एवं रखरखाव को प्रमाणित करने के बाद स्वीकृत लागत या अंतिम परियोजना लागत का पांच प्रतिशत जारी करने के लिए पर्यटन मंत्रालय को सूचित करेगी। कार्यान्वयन एजेंसी को पूर्ण हो चुकी परियोजनाओं से सम्बंधित विवरण प्रस्तुत

करना था ताकि पर्यटन मंत्रालय इन घटकों का सत्यापन स्वतंत्र एजेंसी, भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड से करा सके।

लेखापरीक्षा में निम्नलिखित कमियां देखी गईं:

**(i) समझौता-ज्ञापन के बिना घटकों का हस्तांतरण एवं भौतिक पूर्णता प्रमाणपत्र प्रस्तुत न करना**

हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम ने सितंबर 2021 में ₹ 4.65 करोड़ के व्यय के साथ घटक- भलेई में कला व शिल्प केंद्र पूर्ण किया। हालांकि यह देखा गया कि:

- राज्य सरकार से उक्त घटक को भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग को हस्तांतरित करने की स्वीकृति मिलने पर हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम ने 16 नवंबर 2021 को संचालन व रखरखाव के लिए घटक के सिविल व इलेक्ट्रिक मदों की सूची के साथ परिसंपत्तियां जिला भाषा अधिकारी, चंबा को बिना समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हस्तांतरित की।
- पर्यटन विभाग ने दिसंबर 2021 तक पर्यटन मंत्रालय को घटक का भौतिक पूर्णता प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया; परिणामस्वरूप, योजना के तहत अपेक्षित स्वतंत्र एजेंसी द्वारा शौचालय, पर्यटक सुविधा केंद्र, कैफेटेरिया सुविधाओं जैसे घटकों का सत्यापन नहीं कराया गया।

निदेशक, पर्यटन विभाग ने कमियों के कारण प्रस्तुत नहीं किए।

**(ii) पूर्ण किए घटक हस्तांतरित न करना**

कांगड़ा में घटक-ग्राम हाट का निर्माण ₹ 3.58 करोड़ की लागत से 30 सितंबर 2020 को पूर्ण किया गया। पर्यटन विभाग ने निर्मित घटकों के सत्यापन व दिसंबर 2021 तक स्वीकृत लागत के शेष पांच प्रतिशत को जारी करने के लिए पर्यटन मंत्रालय को पूर्णता प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया।

इसके अतिरिक्त, पर्यटन विभाग ने अक्टूबर 2021 तक समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर करके संचालन एवं रखरखाव हेतु पूर्ण किए घटक को उपयुक्त एजेंसी को हस्तांतरित नहीं किया। परिणामस्वरूप लाभार्थी परियोजना के अभीष्ट लाभों से वंचित रह गए।

निदेशक, पर्यटन विभाग ने बताया (दिसंबर 2021) कि विभाग ने निदेशक, भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग से भवन के अधिग्रहण हेतु बार-बार अनुरोध किया था और इसे शीघ्र ही विभाग को हस्तांतरित कर दिया जाएगा।

सितंबर 2022 तक पूर्ण किए गए घटकों में से कोई भी उपयुक्त एजेंसी को हस्तांतरित नहीं किए गए।

### 5.4.4 परियोजनाओं के स्थलों के संयुक्त भौतिक निरीक्षण के परिणामस्वरूप अभियुक्तियां

परियोजनाओं के स्थलों के संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान पाए गए विचलन **तालिका 5.5** में दिए गए हैं।

**तालिका 5.5: संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान पाए गए विचलनों का विवरण**

| क्र. सं. | परियोजना/ घटक का नाम | पाए गए विचलन/अंतर | |
|---|---|---|---|
| 1. | शिमला में हेलीपोर्ट | • कैफेटेरिया के 45.59 वर्ग मीटर के स्वीकृत आकार के प्रति 3.75 वर्ग मीटर की पेंट्री का निर्माण किया गया।<br>• 23.40 वर्ग मीटर के प्रावधान के सापेक्ष सामान/लगेज कक्ष का निर्माण नहीं किया गया।<br>• हेलीपोर्ट के पीछे की ओर रिटेनिंग दीवार का निर्माण नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप हेलीपोर्ट के स्थायित्व पर प्रभाव पड़ सकता है। | <br>**चित्र 5.3**<br> <br>**चित्र 5.4** |
| 2. | कियारीघाट में कन्वेंशन सेंटर का निर्माण | • 1000 व्यक्तियों की क्षमता के स्वीकृत प्रावधान के प्रति 350 व्यक्तियों की क्षमता वाला एक कन्वेंशन हॉल बनाया गया।<br>• 200 वाहन क्षमता के प्रावधान के प्रति 90 वाहनों के लिए पार्किंग का निर्माण किया गया। | <br>**चित्र 5.5** |
| 3. | भलेई में कला एवं शिल्प केंद्र का विकास | • स्वीकृत 500 वर्ग मीटर क्षेत्र के स्थान पर 144.30 वर्ग मीटर क्षेत्र की पार्किंग निर्मित की गई।<br>• संग्रहालय और ग्राम बाजार का निर्माण नहीं किया गया जिसके लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में ₹ 2.50 करोड़ का प्रावधान था। | <br>**चित्र 5.6** |
| 4. | माँ हाटेश्वरी मंदिर का विकास, हाटकोटी | • वर्षा शालिका हेतु ₹ 0.08 करोड़ का प्रावधान किया गया था। हालांकि, संयुक्त निरीक्षण के दौरान पाया गया कि वर्षा शालिका का निर्माण अभी पूर्ण नहीं हुआ है। | |
| 5. | कांगड़ा में ग्राम हाट, परियोजना | • ओपन एयर थियेटर जिसके लिए ₹ 0.60 करोड़ का प्रावधान किया गया था, का निर्माण नहीं किया गया। | |

अंतिम बैठक में सरकार ने तथ्यों की पुष्टि की (जून 2022) और बताया कि इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। हालांकि तथ्य यह है कि पर्यटन की बेहतर सुविधा हेतु आशयित अनुमोदित घटकों से परिकल्पनानुसार पूरी तरह से लागू नहीं किया गया था।

### 5.4.5 निष्पादन प्रतिभूति से संबंधित मुद्दे

हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के सामान्य अनुबंध शर्तों के नियम 11 (i) व (ii) के अनुसार सफल निविदाकारों से अनुबंध मूल्य के पांच से 10 प्रतिशत की दर से निष्पादन प्रतिभूति प्राप्त करने का प्रावधान है। भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर परिपत्र - गारंटी व सह-स्वीकृति के परिच्छेद 2.2.7.2 (ii) में यह प्रावधान है कि बैंक गारंटी के लाभार्थी को यह सलाह दी जानी चाहिए कि वह सुरक्षा के उपाय के रूप में संबंधित बैंकों से उनके द्वारा जारी गारंटी की प्रमाणिकता की पुष्टि अनिवार्य रूप से प्राप्त करें।

निष्पादन प्रतिभूति से संबंधित कमियां 10 में से चार घटकों में देखी गईं, जिनका विवरण **तालिका 5.6** में दिया गया है।

**तालिका 5.6: निष्पादन प्रतिभूति की स्थिति**

| क्र.सं. | कार्य का नाम (परियोजना) | सौंपे जाने की तिथि (अनुबंध मूल्य - ₹ करोड़ में) | प्राप्ति हेतु निष्पादन प्रतिभूति /प्राप्त की गई (₹ लाख में) | प्रस्तुत निष्पादन प्रतिभूति की वैधता तिथि | मुद्दा |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | शिमला का हेलीपोर्ट | जुलाई 2018 (8.70) | 87.02 | जुलाई 2019 | ठेकेदार द्वारा निष्पादन प्रतिभूति के रूप में प्रस्तुत बैंक गारंटी की संबंधित बैंक से पुष्टि न करना व इसकी नियत तिथि के पश्चात् इसका विस्तार न करना |
| 2. | मां हाटेश्वरी मंदिर, हाटकोटी का विकास | नवंबर 2020 (2.11) | 21.07 | -- | निष्पादन प्रतिभूति प्राप्त न करना |
| 3. | कला व शिल्प केंद्र भलेई, चंबा | सितम्बर 2019 (3.43) | 34.28 | -- | निष्पादन प्रतिभूति प्राप्त न करना |
| 4. | आर्टिफिशियल क्लाइम्बिंग वॉल, मनाली | जुलाई 2019 (1.47) | 14.66 | -- | निष्पादन प्रतिभूति प्राप्त न करना |
| **योग** | | | **157.03** | | |

*स्रोत: निष्पादन एजेंसियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी।*

जैसाकि **तालिका 5.6** से स्पष्ट है, तीन अनुबंधों (क्रम संख्या 2 से 4) में ₹ 70.01 लाख की निष्पादन प्रतिभूति प्राप्त नहीं की गई। एक अनुबंध (क्रम संख्या 1) में ₹ 87.02 लाख की

निष्पादन प्रतिभूति के संबंध में ₹ 87.02 लाख की निष्पादन प्रतिभूति के रूप में प्रस्तुत बैंक गारंटी की न तो संबंधित बैंक से पुष्टि की गई एवं न ही वैधता तिथि से आगे बढ़ाई गई। इस प्रकार ठेकेदारों से ₹ 157.03 लाख की कुल निष्पादन प्रतिभूति की प्राप्ति/पुष्टि नहीं की गई। यह ठेकेदारों को अनुचित लाभ देने के रूप में परिणत हुआ।

शिमला में हेलीपोर्ट के संबंध में पर्यटन विभाग ने बताया (जनवरी 2022) कि निष्पादन प्रतिभूति के रूप में प्रस्तुत बैंक गारंटी की पुष्टि हेतु बैंक को पत्र लिखा गया था परन्तु कोई पुष्टि प्राप्त नहीं हुई। जहां तक बैंक गारंटी के विस्तार का प्रश्न है, ठेकेदार से बार-बार बैंक गारंटी आगे बढ़ाने का अनुरोध किया गया परन्तु उसने बैंक गारंटी का विस्तार करने से मना कर दिया।

हाटकोटी एवं भलेई परियोजना के संबंध में हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम ने बताया (फरवरी 2022) कि हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम की वित्तीय नियमावली के अनुसार निविदाएं आमंत्रित की गई थीं, जिसमें बोली दस्तावेजों में निष्पादन प्रतिभूति सम्बन्धी कोई दिशानिर्देश नहीं थे, इसलिए निविदाकार से कोई निष्पादन प्रतिभूति नहीं ली गई।

हालांकि यह उत्तर संतोषप्रद नहीं है, क्योंकि विभागों, निगमों आदि को हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली, 2009 का अनुपालन करना अपेक्षित है, जो राज्य के भीतर विभागों, निगमों आदि पर लागू होते हैं। इन नियमों के अध्याय 6 के अनुसार, निष्पादन प्रतिभूति सफल ठेकेदार से अवश्य प्राप्त की जानी चाहिए तथा अनुबंध पूर्ण होने की तिथि के बाद साठ दिनों की अवधि तक वैध होनी चाहिए।

अंतिम बैठक में सरकार ने बताया (जून 2022) कि तत्संबंधी आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

## 5.5 निष्कर्ष

हिमालयन सर्किट के एकीकृत विकास की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में पर्यटन गतिविधि द्वारा स्थानीय युवाओं को रोजगार दे कर आय बढ़ाने के माध्यम से स्थानीय अर्थव्यवस्था को सशक्त करने से संबंधित उल्लिखित उद्देश्यों को प्राप्त नहीं किया गया।

योजना के तहत सर्किट को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया क्योंकि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में प्रवेश/अंतिम बिंदु चिह्नित किए बिना परियोजनाएं अलग-अलग स्थानों पर चिह्नित एवं प्रस्तावित की गई। अतएव प्रस्तावित पर्यटक सर्किट पर्यटकों को सर्किट के अधिकांश या अगले गंतव्यों पर जाने के लिए प्रेरित करने में असमर्थ रहा।

स्वतंत्र घटकों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए निविदा प्रक्रिया का पालन किए बिना परामर्शदाता नियुक्त किए गए। संपूर्ण सर्किट की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने एवं अंतिम रूप देने में काफी समय लगा। परामर्शदाताओं ने निर्धारित समय के भीतर स्वतंत्र घटकों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार नहीं की।

भूमि की अनुपलब्धता एवं विभिन्न विभागों/एजेंसियों से आवश्यक स्वीकृति/अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त न होने के कारण दो घटकों को बीच में ही छोड़ना पड़ा तथा अन्य घटक लंबे समय तक अपूर्ण रहे जो निष्फल/व्यर्थ व्यय में परिणत हुए।

सूचना, शिक्षा एवं संचार गतिविधियों पर कोई व्यय नहीं किया गया। घटकों के पूर्ण होने में अत्यधिक विलम्ब के बावजूद दो मामलों में परिनिर्धारित क्षति अधिरोपित नहीं की गई।

स्वदेश दर्शन योजना घटक कियारीघाट स्थित कन्वेंशन सेंटर में सोलन जिले के एकीकृत विकास योजना की निधियों का अपयोजन पाया गया जो स्वदेश दर्शन योजना दिशा-निर्देशों के विरुद्ध था।

विभाग ने एक पूर्ण घटक का संचालन एवं रखरखाव संबंधित एजेंसी के साथ समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए बिना हस्तांतरित कर दिया जबकि एक अन्य पूर्ण घटक संचालन एवं रखरखाव एजेंसी को हस्तांतरित नहीं किया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा किए गए संयुक्त भौतिक निरीक्षण में पाया गया कि स्वीकृत घटकों के कुछ उप-घटक या तो निर्मित नहीं किए गए या अनुमोदन के अनुरूप निर्मित नहीं किए गए, जिससे व्यय निष्फल हो गया।

सफल निविदाकार से ₹ 1.57 करोड़ की निष्पादन प्रतिभूति प्राप्त/पुष्टि नहीं की गई, जो ठेकेदार को अनुचित लाभ देने के रूप में परिणत हुआ।

## 5.6 अनुशंसाएं

राज्य सरकार निम्नलिखित पर विचार कर सकती है:

- *परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट मानकों/दिशानिर्देशों के अनुसार तैयार करना, ताकि घटकों में विलम्ब/घटक बीच में छोड़ने से बचा जा सके।*
- *सुनिश्चित किया जाए कि कार्य सौंपे जाने से पूर्व भूमि/वन मंजूरी की उपलब्धता, सभी संबंधित विभागों से अनापत्ति प्रमाणपत्र तथा सभी कोडल औपचारिकताएं पूर्ण करने सम्बन्धी जांच-सूची का पूरी तरह से अनुपालन हो, ताकि निर्धारित अवधि के भीतर उनका निष्पादन सुनिश्चित किया जा सके।*
- *परियोजनाओं के तहत निधियों के उपयोग एवं बुनियादी सुविधाओं के सृजन में तेजी लाना ताकि योजना के अभीष्ट लाभ समय पर प्राप्त किए जा सकें।*
- *ठेकेदार से परिनिर्धारित क्षति की वसूली सहित संविदा अनुबंध के निर्धारित खंडों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करना।*

# अध्याय-VI

# स्वतंत्र लेखापरीक्षा टिप्पणियां

# (विभाग)

# अध्याय VI: स्वतंत्र लेखापरीक्षा टिप्पणियां (विभाग)

## कृषि विभाग

### 6.1 कृषि यंत्रीकरण उप-मिशन के तहत ट्रैक्टर खरीद पर किसानों को सब्सिडी का अधिक भुगतान

**केंद्र प्रायोजित योजना 'कृषि यंत्रीकरण उप-मिशन' के तहत सहायता के पैटर्न का पालन न करने के कारण नमूना-जांचित जिलों में 1,005 लाभार्थियों को ₹ 4.61 करोड़ की वित्तीय सहायता का अधिक भुगतान किया गया।**

छोटे और सीमांत किसानों तक कृषि मशीनीकरण की पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से कृषि मशीनरी (ट्रैक्टर) पर वित्तीय सहायता प्रदान करके कृषि निदेशालय द्वारा केंद्र प्रायोजित योजना, कृषि यंत्रीकरण उप-मिशन[1] कार्यान्वित की गई। वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से किसानों को दो समूहों में वर्गीकृत किया गया : (i) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, छोटे व सीमांत किसान, महिलाएं और पूर्वोत्तर राज्यों के लाभार्थी; तथा (ii) अन्य लाभार्थी। दो प्रकार के ट्रैक्टरों - 2WD एवं 4WD के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जानी थी। वित्तीय सहायता ट्रैक्टर की लागत के एक निश्चित प्रतिशत तक सीमित थी, जो प्रत्येक श्रेणी के लाभार्थी एवं ट्रैक्टर के प्रकार के लिए निर्धारित अधिकतम सीमा तक ही दी जानी थी। वर्ष 2017-18 तक 2WD एवं 4WD ट्रैक्टरों के बीच कोई भेद नहीं किया गया था; और वित्तीय सहायता[2] के लिए एक समान मानदंड लागू थे। हालांकि वर्ष 2018-19 से, 2WD एवं 4WD ट्रैक्टरों के बीच भेद किया गया एवं इनके लिए वित्तीय सहायता के अलग-अलग मानदंड निर्धारित किए गए, जैसाकि **तालिका 6.1** में दर्शाया गया है।

**तालिका 6.1: कृषि मशीनरी की खरीद हेतु वित्तीय सहायता**

| ट्रैक्टर का प्रकार | अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, छोटे व सीमांत किसानों, महिलाओं और पूर्वोत्तर राज्यों के लाभार्थियों के लिए | | अन्य लाभार्थियों के लिए | |
|---|---|---|---|---|
| | सहायता का पैटर्न (लागत का प्रतिशत) | प्रति लाभार्थी उपकरण के लिए अधिकतम स्वीकार्य सब्सिडी | सहायता का पैटर्न (लागत का प्रतिशत) | प्रति लाभार्थी उपकरण के लिए अधिकतम स्वीकार्य सब्सिडी |
| (i) 2WD ट्रैक्टर[3] | 50 | ₹ 2.50 लाख | 40 | ₹ 2.00 लाख |
| (ii) 4WD ट्रैक्टर[4] | 50 | ₹ 3.00 लाख | 40 | ₹ 2.40 लाख |

1 90 प्रतिशत केंद्रांश व 10 प्रतिशत राज्यांश के साथ केंद्र प्रायोजित योजना।

2 ₹ 1.25 लाख या ट्रैक्टर की लागत का 35 प्रतिशत (20-40 पीटीओ हॉर्सपावर से ऊपर) जो भी कम था।

3 2WD वाहन केवल दो पहियों से आगे या पीछे संचालित होते है ।

4 4WD वाहन सभी चार पहियों से संचालित होते है।

वर्ष 2018-19 से लागत मानदंड जारी करते समय, कृषि निदेशालय ने केंद्र प्रायोजित योजना "कृषि यंत्रीकरण उप-मिशन" के दिशा-निर्देशों के अनुसार 2WD एवं 4WD ट्रैक्टरों के बीच कोई भेद नहीं किया एवं जिलों को ट्रैक्टर की लागत का 50 प्रतिशत या ₹ तीन लाख, जो भी कम हो, वित्तीय सहायता की एक समान दर जारी की गई।

नमूना-जांचित चार[5] जिलों की लेखापरीक्षा संवीक्षा (वर्ष 2021-22) में पूर्वोक्त उल्लिखित मानदंडों का संज्ञान न होना उजागर हुआ। 2WD ट्रैक्टरों के 1,005 लाभार्थियों को ₹ 25.10 करोड़ की देय वित्तीय सहायता के सापेक्ष ₹ 29.71 करोड़ की राशि संवितरित की गई थी, जो इन लाभार्थियों को ₹ 4.61 करोड़ की वित्तीय सहायता के अधिक भुगतान में परिणत हुआ। अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रति लाभार्थी ₹ 6,000 से ₹ 50,000 तक थी। 2WD एवं 4WD ट्रैक्टरों के वितरण का विवरण **परिशिष्ट 6.1** में दिया गया है।

कृषि निदेशक ने योजना के दिशा-निर्देशों के पालन में चूक को स्वीकार किया (मई 2022)। सरकार का उत्तर अभी भी प्रतीक्षित था (जुलाई 2024)।

***अनुशंसा : राज्य सरकार परिचालन दिशानिर्देशों के अनुसार योजना को कार्यान्वित करने के लिए आंतरिक नियंत्रण तंत्र का सुदृढ़ीकरण करें तथा निर्धारित मानदंडों का पालन न करने के लिए जवाबदेही तय करने सहित किसानों को दी गई अतिरिक्त वित्तीय सहायता की वसूली के लिए उपयुक्त कार्रवाई करें।***

## हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग

### 6.2 पुल के निर्माण पर निष्फल एवं परिहार्य व्यय

**गलत डिजाइन के साथ पुल के निर्माण सहित चूककर्ताओं/ठेकेदार के विरुद्ध कार्रवाई न करने एवं जांच की कमी तथा क्षतिग्रस्त पुल के पुनर्वास कार्य के निष्पादन के प्रति विभाग के उदासीन रवैये के कारण ₹ 10.60 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ। इसके अतिरिक्त क्षतिग्रस्त पुल के पुनर्वास व सुदृढ़ीकरण (₹ 2.15 करोड़) और वैकल्पिक बहु-स्पैन बेली पुल (₹ दो करोड़) के निर्माण पर ₹ 4.15 करोड़ का परिहार्य व्यय भी हुआ, जिसके परिणामस्वरूप यात्रियों को राहत प्रदान करने का उद्देश्य विफल हो गया।**

मनाली से मंडी मार्ग पर लगातार लगने वाले यातायात जाम को दूर करने के लिए राज्य सरकार ने भूतनाथ में ब्यास नदी के ऊपर 101.00 मीटर स्पैन (लम्बाई) वाले बैलेंस्ड कैंटिलीवर प्री-स्ट्रेस्ड कंक्रीट बॉक्स गर्डर डबल-लेन पुल के निर्माण (जिसमें बस-स्टैंड कुल्लू व मनाली के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग को जोड़ने वाले दोनों ओर के संपर्क मार्ग शामिल हैं) के लिए ₹ 5.51 करोड़

[5] कृषि उप निदेशक, पालमपुर, जिला कांगड़ा; कृषि उप निदेशक, नाहन, जिला सिरमौर; कृषि उप निदेशक, जिला ऊना व कृषि उप निदेशक, जिला चंबा।

की प्रशासनिक अनुमोदन व व्यय स्वीकृति प्रदान की (जुलाई 2007)। हालांकि कुछ तकनीकी कारणों एवं स्थल की परिस्थितियों के कारण स्पैन को घटाकर 90 मीटर कर दिया गया (जुलाई 2007)।

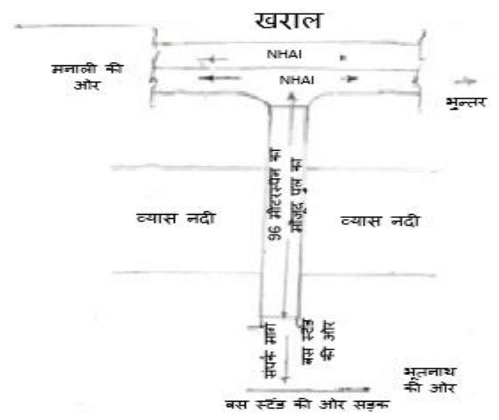


अधिशासी अभियंता, कुल्लू के कार्यालय के अभिलेखों की संवीक्षा (फरवरी 2021) से उजागर हुआ कि मई 2008 में पुल का निर्माण-कार्य एक ठेकेदार[6] को ₹ 6.65 करोड़ की निविदा राशि पर सौंपा गया जिसे जून 2010 तक पूरा किया जाना तय किया गया था। पुल निर्माण-स्थल की भू-तकनीकी जांच करने के बाद, ठेकेदार ने उसकी स्वयं की डिज़ाइन प्रस्तुत की थी, जिसे मुख्य अभियंता, मंडी द्वारा विधिवत स्वीकृत किया गया था (अगस्त 2010)। स्वीकृत डिज़ाइन के अनुसार पुल का स्पैन 90 मीटर से बढ़ाकर 96 मीटर कर दिया गया था। इस बीच यह कार्य नाबार्ड (आरआईडीएफ-XVI)[7] के तहत भी स्वीकृत किया गया (नवंबर 2009) तथा राज्य सरकार ने ₹ 8.58 करोड़ का संशोधित प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय स्वीकृति प्रदान की (दिसंबर 2009)। यह पुल अक्टूबर 2013 में ₹ 10.60 करोड़[8] की लागत से पूर्ण किया गया। राज्य सरकार द्वारा संशोधित प्रशासनिक अनुमोदन सुनिश्चित किए बिना ₹ 2.02 करोड़ का अतिरिक्त व्यय किया गया, अतः यह व्यय अनियमित था।

---

6 मेसर्स जगदीश चंद गुप्ता इंजीनियर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर।

7 नाबार्ड - राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक; आरआईडीएफ - ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष।

8 मूल कार्य का मूल्य: ₹ 6.65 करोड़, स्पैन में वृद्धि के कारण अतिरिक्त राशि ₹ 0.06 करोड़, लागत वृद्धि: ₹ 1.16 करोड़ व संपर्क मार्गों पर व्यय ₹ 2.74 करोड़।

पुल के मुख्य घटक[9] चित्र में दिखाए गए अनुसार हैं: .

**चित्र 6.2: पुल का आरेख (डायग्राम)**

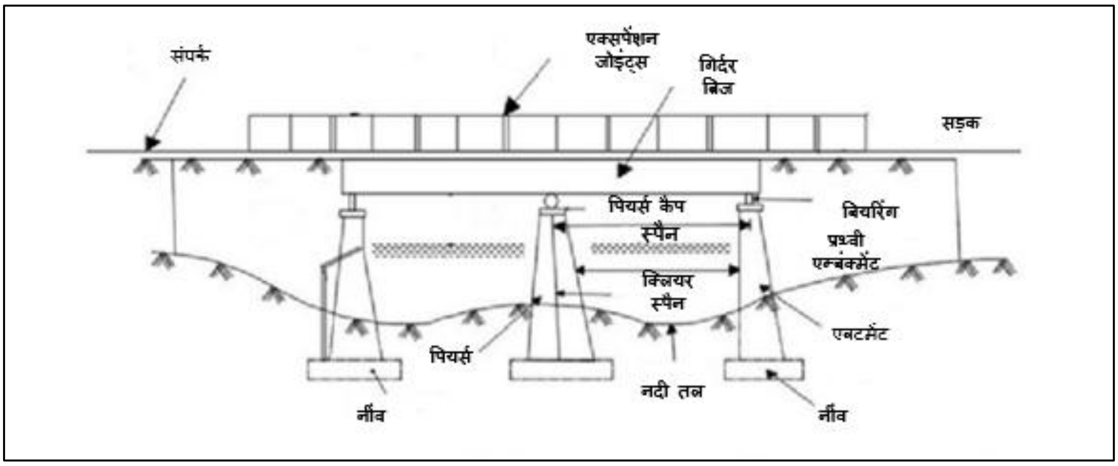


**पुल संरचना के घटक भाग**

## (i) क्षतिग्रस्त पुल में दोष

अक्टूबर 2013 में पुल को वाहनों के आवागमन के लिए खोल दिया गया था। हालांकि पुल पांच वर्ष की अवधि के भीतर ही क्षतिग्रस्त हो गया तथा जनवरी 2019 में यातायात के लिए बंद कर दिया गया। अक्टूबर 2018 में सहायक अभियंता, उप-मंडल संख्या III, कुल्लू के साथ अधिशासी अभियंता, कुल्लू मंडल संख्या II, तथा नवंबर 2018 में मुख्य अभियंता, मंडी द्वारा किये गए पुल के निरीक्षण के दौरान निम्नलिखित विकृति/दोष इंगित किए:

**चित्र 6.3: भूतनाथ पुल, कुल्लू में दोष**

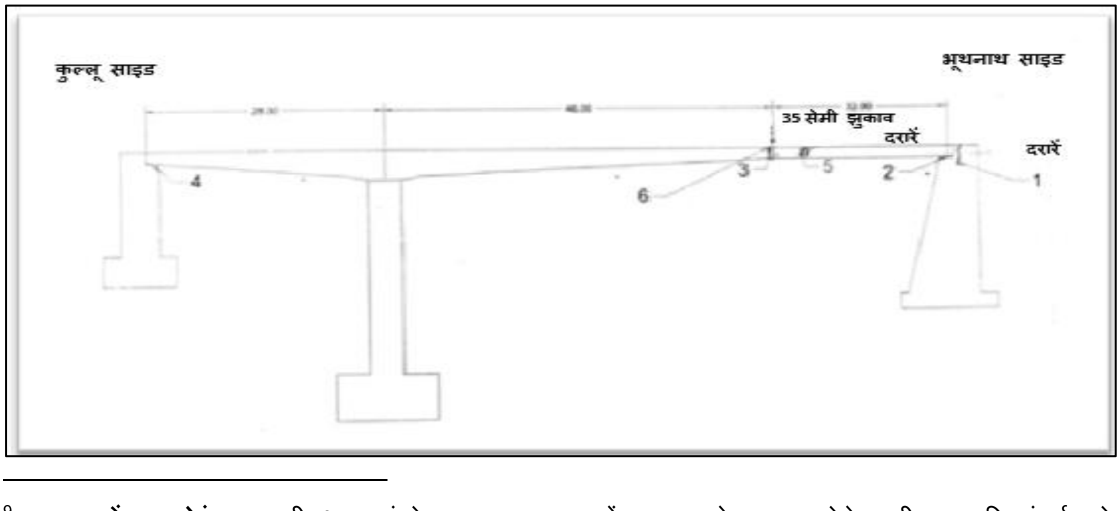


[9] **एक्सपेंशन जोइंट्स** बाहरी भार, संकोचन या तापमान में बदलाव के कारण होने वाली पुल की लंबाई को समायोजित करने के लिए बनाए जाते हैं तथा ये पुल संरचनाओं और आपस में जुड़ने वाली संरचनाओं (जैसे दूसरा पुल या एबटमेंट) के बीच निरंतर यातायात की सुविधा भी देते हैं। **एबटमें**ट एक रिटेनिंग वॉल होती है, जो पुल के सिरों को सहारा देती है और सामान्यतः एप्रोच एंबैंकमेंट को भी थामे रखती है। **बियरिंग** पुल का वह घटक है, जो आमतौर पर पुल पियर्स और पुल डेक के बीच सहारा सतह प्रदान करता है। इसका उद्देश्य नियंत्रित गति की अनुमति देना और इसमें शामिल तनाव को कम करना है। **गर्डर** जगह-जगह डाली गई, प्रबलित कंक्रीट बीम होती हैं, जिनके शीर्ष के दोनों ओर अभिन्न डेक खंड होते हैं।

1. एबटमेंट में ऊर्ध्वाधर दरारें
2. बियरिंग को क्षति [10]
3. ब्रैकेट[11] सपोर्टिंग स्पैन में दरारें
4. कुल्लू की ओर की कैंटीलीवर आर्म[12] का ऊपर उठना
5. सिंपली सपोर्टेड स्पैन के गर्डर्स में दरारें[13]
6. इस स्थान पर विस्तार अंतराल को बंद करना

इन दोषों वाला क्षतिग्रस्त पुल नीचे चित्रों में दर्शाया गया है :

| | | |
|---|---|---|
| 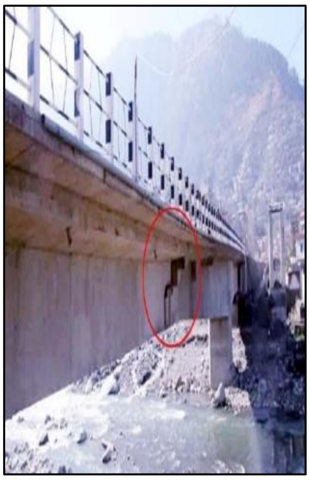 | 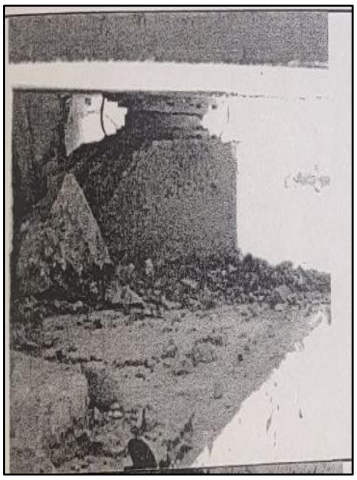 | 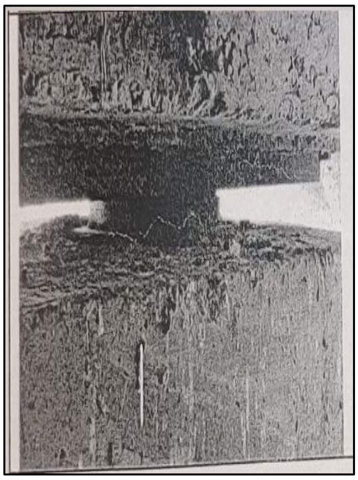 |
| **चित्र 6.4: क्षतिग्रस्त पुल को दर्शाता चित्र** | **चित्र 6.5: फिक्स्ड बियरिंग की क्षति** | **चित्र 6.6: फ्री बियरिंग की क्षति** |

क्षतिग्रस्त पुल की जांच करने एवं उस पर पूरी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, कुल्लू की अध्यक्षता में पांच सदस्यों की एक समिति (जनवरी 2019) गठित की गई। समिति ने अपनी रिपोर्ट (मई 2019) में विशेषज्ञों की एक अन्य समिति गठित करने की अनुशंसा की, क्योंकि पुल की डिजाइन में जटिल सिविल इंजीनियरिंग शामिल थी और इसलिए विस्तृत जांच के लिए कुछ विशेषज्ञों की आवश्यकता थी। तथापि विशेषज्ञों की कोई समिति गठित नहीं की गई थी।

दस्तावेज़ों की और समीक्षा करने पर लेखापरीक्षा में पाया गया कि अधिशासी अभियंता, कुल्लू ने पुल के पुनर्वास व सुदृढ़ीकरण का कार्य मैसर्स फ्रेसीसिनेट मेनार्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एजेंसी) को ₹ 2.69 करोड़ की निविदा लागत पर इसे मार्च 2021 तक पूरा करने की शर्त के

---

10 फिक्स्ड व फ्री बियरिंग।

11 ब्रैकेट प्रबलित संरचनात्मक प्रक्षेपण हैं जिनका उपयोग ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज बलों को बीम से दीवारों या स्तंभों तक स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है।

12 कैंटिलीवर आर्म्स एक कठोर संरचनात्मक उपकरण है जो दीवार अथवा सतह से संलग्न होकर अधिरचना (ओवरहैंगिंग) को बिना किसी बाहरी सहारे के संभालती है।

13 सरल अधोस्थापित बीमों में एक स्पैन होता है जिसके प्रत्येक सिरे पर एक सहारा होता है, जिनमें से एक स्थिर सहारा तथा दूसरा रोलर सहारा होता है।

साथ सौंपा (नवंबर 2019)। एजेंसी ने क्षतिग्रस्त पुल के दोषों की जांच की (फरवरी 2020) एवं बताया कि:

- एबटमेंट साइड - खराल छोर: 22 मीटर का सस्पेंडेड स्पैन एबटमेंट साइड पर स्थिर (फिक्स्ड) बेयरिंग्स और कैंटिलीवर साइड (आर्टिकुलेशन जॉइंट) की ओर मुक्त (फ्री) बेयरिंग्स द्वारा सहारा दिया गया है। विस्तार जोड़ (एक्सपेंशन जॉइंट) के स्थान पर एक बड़ा पीसीसी का ढेला पाया गया, जिसने एक्सपेंशन जॉइंट को बंद कर दिया और तापमान परिवर्तन के दौरान सस्पेंडेड (लटकते) स्पैन की गति को रोक दिया। परिणामस्वरूप, सस्पेंडेड स्पैन ने एबटमेंट पर फिक्स्ड बेयरिंग्स की ओर दबाव डाला, इसने एबटमेंट की ओर धक्का दिया जिससे दरारें उत्पन्न हुई तथा फिक्स्ड बेयरिंग्स/पेडेस्टल को भी नुकसान पहुंचाया।
- आर्टिकुलेशन जॉइंट[14]: आर्टिकुलेशन जॉइंट के स्थान पर दरारें एक विवरण की कमी के कारण होने का संदेह है। किसी भी सरिया[15] की न्यूनतम एंकरिंग लंबाई उसके व्यास का 50 गुना मानी जाती है, परन्तु यहां 20 मिलीमीटर व्यास के रिइंफोर्समेंट के लिए एंकरिंग एक मीटर के बजाए केवल 300 मिलीमीटर है।

उपरोक्त फर्म की रिपोर्ट में ठेकेदार द्वारा अनुचित डिजाइन और निर्माण के तथ्य का भी समर्थन किया।

इसके अतिरिक्त मुख्य अभियंता, मंडी अंचल ने भी यह इंगित किया (जनवरी 2021) कि ठेकेदार ने अनुबंध की आवश्यकताओं के अनुसार पुल निर्माण का कार्य नहीं किया था तथा अधीक्षण अभियंता, कुल्लू एवं अधिशासी अभियंता, कुल्लू को ठेकेदार के विरुद्ध कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया (जनवरी 2021)। हालांकि तथ्य यह है कि ठेकेदार द्वारा दोषपूर्ण निर्माण या अनुचित डिजाइन की समस्याओं को स्वीकृति या निर्माण चरण के दौरान इंगित नहीं किया गया एवं ये केवल ठेकेदार की दोष उत्तरदायित्व अवधि समाप्त होने के बाद ही देखा गया था, जो विभाग की गंभीर लापरवाही का संकेत है। मार्च 2023 तक, संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई शुरू नहीं की गई है।

[14] पुल में आर्टिकुलेशन जॉइंट एक यांत्रिक जोड़ (मेकैनिकल जॉइंट) होता है, जो संरचना में गति और लचीलापन की अनुमति देता है, विशेषकर उस बिंदु पर जहां पुल के दो खंड (लटकता स्पैन एवं अधोस्थापित स्पैन) मिलते हैं।

[15] सिंपली सपोर्टेड स्पैन (रेबार) एक स्टील की छड़ होती है, जिसका उपयोग प्रबलित कंक्रीट और प्रबलित चिनाई संरचनाओं में तन्यता (टेंशन) के लिए किया जाता है, ताकि कंक्रीट को तन्यता के दौरान मजबूत किया जा सके और उसकी सहायता की जा सके।

### (ii) पुल के पुनर्वास एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य तथा वैकल्पिक पुल के निर्माण का कार्य पूर्ण न करना

पुनर्वास कार्य दिसंबर 2019 में शुरू किया गया था एवं फरवरी 2023 तक इस पर मंडल ने ₹ 2.15 करोड़ का व्यय किया था। हालांकि चित्र में दिखाए अनुसार कार्य पूर्ण नहीं किया गया, जिसके कारण पुल को जनता के लिए नहीं खोला जा सका।

**चित्र 6.7: पुनर्वासाधीन पुल**

हालांकि क्षेत्र में यातायात जाम को कम करने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में एक अन्य अर्ध-स्थायी, बहु-स्पैन, एकतरफा बैली पुल (₹ दो करोड़ लागत) का निर्माण किया गया, जैसाकि चित्र में दिखाया गया है।

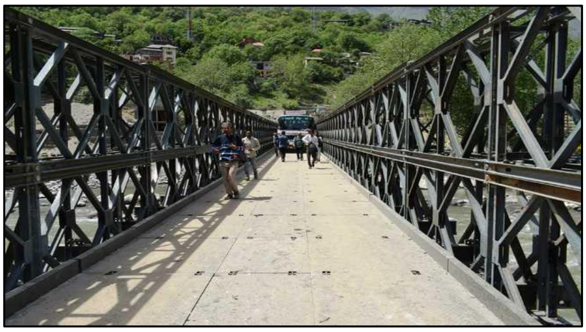

**चित्र 6.8: कुल्लू में वैकल्पिक बैली पुल**

### (iii) निर्माण के दौरान पुल का निरीक्षण

हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग द्वारा अपनाए गए केंद्रीय लोक निर्माण विभाग कार्य नियम-पुस्तिका के परिच्छेद 5.2 के अनुसार मंडल के अधिशासी अभियंता को उनके मंडल मुख्यालय में निष्पादित किए जा रहे प्रत्येक दो बिलों पर कम से कम एक निरीक्षण तथा मुख्यालय के बाहर किए जा रहे कार्यों के प्रत्येक तीन बिलों पर एक निरीक्षण करना अनिवार्य था। इसी भांति अधीक्षण अभियंता को उसके मुख्यालय में किए जा रहे कार्यों के प्रत्येक तीन बिलों पर कम से कम एक निरीक्षण और मुख्यालय के बाहर किए जा रहे कार्यों के प्रत्येक चार बिलों पर एक निरीक्षण करना था। इस प्रयोजनार्थ अधिकारियों को उनके निरीक्षण के बाद निरीक्षण टिप्पणियां/निर्देश जारी करना सुनिश्चित करना था।

संवीक्षा के दौरान लेखापरीक्षा में देखा गया कि विभाग के पास संबंधित अधिकारियों द्वारा कार्य के निष्पादन के दौरान गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए किए गए निरीक्षणों से संबंधित कोई अभिलेख/निरीक्षण टिप्पणियां उपलब्ध नहीं थीं। परिणामस्वरूप यह निर्धारित नहीं किया जा सकता कि पुल के निर्माण के दौरान विभागीय अधिकारियों द्वारा किस प्रकार की गुणवत्ता जांच सुनिश्चित की गई थी।

अतः असंगत डिजाइन, खराब निष्पादन, आवधिक निरीक्षण से संबंधित मुद्दों, चूककर्ता (ओं) के विरुद्ध जांच एवं कार्रवाई की कमी और क्षतिग्रस्त पुल के पुनर्वास कार्य के निष्पादन में विलम्ब से पुल के निर्माण के परिणामस्वरूप वैकल्पिक मल्टी स्पैन बेली पुल के निर्माण व क्षतिग्रस्त पुल के पुनर्वास/सुदृढ़ीकरण पर ₹ 4.15 करोड़ के परिहार्य व्यय के अतिरिक्त ₹ 10.60 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

अधिशासी अभियंता ने बताया (फरवरी 2021 व दिसंबर 2022) कि पुल का निरीक्षण समय-समय पर उच्च अधिकारियों द्वारा किया गया था परन्तु उनके द्वारा निरीक्षण टिप्पणियां जारी नहीं की गई। पुनर्वास कार्य पूर्ण होने के बाद पुल को वाहनों के यातायात के लिए खोला जाएगा। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि पुल की स्वीकृत डिजाइन तकनीकी रूप से सही नहीं थी, जैसा कि मुख्य अभियंता की रिपोर्ट (जनवरी 2021) में पुष्टि की गई थी। इसके अतिरिक्त, मार्च 2023 तक विभाग ने न तो क्षतिग्रस्त पुल की विशेषज्ञों द्वारा जांच सुनिश्चित की और न ही चूककर्ताओं के विरुद्ध कोई कार्रवाई की। उच्च अधिकारियों द्वारा किए गए कार्यों के निरीक्षणों के अभिलेख विभाग द्वारा अनुरक्षित नहीं किए गए, जिससे कार्यों की निगरानी का आश्वासन मिल सके। मंडल ने पुल के पुनर्वास व सुदृढ़ीकरण कार्य के निष्पादन में भी गति नहीं लाई, जो पिछले तीन वर्षों से लंबित था।

इसके अतिरिक्त पुल का मुख्य उद्देश्य कुल्लू के निवासियों को वांछित परिवहन सुविधाएं प्रदान करना, मनाली से आने-जाने वाले बढ़ते पर्यटन यातायात को सुगम बनाना तथा देश के अन्य भागों में कृषि व बागवानी उत्पादों के परिवहन को अधिक सुविधाजनक बनाना था, जो अब बाधित रह गया है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष अप्रैल 2023 में सरकार को भेजे गए थे, उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (अक्टूबर 2024)।

***सरकार निम्नलिखित पर विचार कर सकती है :***

- ***पुल में हुई क्षति के कारणों की गहन जांच कराना, ताकि चूककर्ताओं के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जा सके।***
- ***पुल के पुनर्वास व सुदृढ़ीकरण कार्य के निष्पादन में तेजी लाना, ताकि इसका उपयोग अभीष्ट उद्देश्य के लिए प्रभावी ढंग से सुनिश्चित किया जा सके।***
- ***कार्य की डिजाइन को सभी तकनीकी प्रक्रियाओं के अनुसार स्वीकृत कराना सुनिश्चित करना।***
- ***कार्यों का आवधिक भौतिक निरीक्षण करना तथा निरीक्षण, स्थल पर जारी निर्देश, देखी गई विसंगतियां एवं उन पर की गई सुधारात्मक कार्रवाई के अभिलेख अनुरक्षित करना।***

## 6.3 ठेकेदार को अनुचित वित्तीय लाभ/पक्ष लेने एवं सड़क निर्माण पर निष्फल व्यय

**कार्य को निर्धारित अवधि के भीतर शीघ्रता से निष्पादित करने में विभाग की विफलता ठेकेदार को ₹ 1.69 करोड़ के अनुचित वित्तीय लाभ/पक्ष लेने में परिणत हुई, साथ ही कार्य समय पर पूर्ण न होने के कारण ₹ 4.86 करोड़ का व्यय भी निष्फल हो गया।**

शिमला जिले की रोहड़ू तहसील में पुजारली से कोटी से जगतेरली होते हुए सरायधार तक सड़क की योजना राज्य सरकार द्वारा वर्तमान यातायात की मात्रा को ध्यान में रखते हुए तथा जिला शिमला की रोहड़ू तहसील के निवासियों को वांछनीय परिवहन सुविधाएं प्रदान करने के साथ-साथ क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों में सुधार लाने के लिए बनाई गई थी। राज्य सरकार ने नाबार्ड[16](आरआईडीएफ[17] -XXI) के अंतर्गत शिमला जिले में 10.700 किलोमीटर लंबाई वाली जगतेरली से होते हुए पुजारली कोटी सरायधार सड़क के उन्नयन के लिए ₹ 5.73 करोड़ का प्रशासनिक अनुमोदन व व्यय स्वीकृति प्रदान की (अगस्त 2015)। उपरोक्त गांवों को जोड़ने वाली सड़क योजना मानचित्र में दर्शाई गई है।

चित्र 6.9: रोहड़ू में योजनाबद्ध सड़क का मानचित्र

मुख्य अभियंता (दक्षिण क्षेत्र) ने इस कार्य[18] के लिए सितंबर 2015 में ₹ 5.14 करोड़ की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की।

अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण मंडल, रोहड़ू के कार्यालय के अभिलेखों की संवीक्षा (मार्च 2022) से उजागर हुआ कि उपरोक्त कार्य एक ठेकेदार को ₹ 5.25 करोड़ में आवंटित किया गया (जून 2016), जिसे जुलाई 2018 तक पूर्ण करना था। ठेकेदार ने अगस्त 2016 में कार्य प्रारंभ किया। हालांकि ठेकेदार ने यह कार्य पूर्ण नहीं किया (जनवरी 2023), जैसाकि **तालिका 6.2** में विवरण दर्शाया गया है।

**तालिका 6.2: पूर्ण किए गए कार्य एवं लंबित कार्य के विवरण**

| क्र.सं. | कार्य की मद का नाम | पूर्ण कार्य | लंबित कार्य |
|---|---|---|---|
| 1. | निर्माण दोषों के निवारण का कार्य | 10.700 किलोमीटर | शून्य |
| 2. | क्रॉस ड्रेनेज की व्यवस्था करना | 10.700 किलोमीटर | शून्य |
| 3. | खरंजा पत्थर सोलिंग बिछाना | 10.700 किलोमीटर | शून्य |
| 4. | सब-बेस जी-I | 9.400 किलोमीटर | 1.300 किलोमीटर |
| 5. | सब-बेस जी-II | 4.000 किलोमीटर | 6.700 किलोमीटर |
| 6. | टारिंग | 2.500 किलोमीटर | 8.200 किलोमीटर |

16 राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक।

17 ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष।

18 निर्माण दोषों का निवारण, रिटेनिंग वॉल, ब्रेस्ट वॉल्स, क्रॉस ड्रेनेज कार्य, मेटलिंग और टारिंग कार्य, सड़क किनारे वी-आकार की नाली और आवश्यक पैरापेट्स (5.3 किमी से 16.0 किमी तक)

| क्र.सं. | कार्य की मद का नाम | पूर्ण कार्य | लंबित कार्य |
|---|---|---|---|
| 7. | रिटेनिंग व ब्रेस्ट वॉल का निर्माण। वी: 10.700 किलोमीटर | 10.700 किलोमीटर | शून्य |
| 8. | वी-आकार नाली पैरापेट | शून्य | 10.700 किलोमीटर |
| **मार्च 2023 तक किया गया सकल कार्य** | | ***70 प्रतिशत*** | |

इस कार्य पर कुल ₹ 4.86 करोड़ खर्च किए जा चुके थे (जनवरी 2023)। अनुबंधीय प्रावधानों से हुए विचलनों के परिणामस्वरूप ठेकेदार को अनुचित लाभ/उसका पक्ष लेने के संबंध में निम्नांकित टिप्पणियां की गई हैं।

**(i) विलम्ब पर क्षतिपूर्ति का अल्प-उद्ग्रहण/ अवसूली**

अनुबंध के खंड 2 के अनुसार निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण न करने की स्थिति में, क्षतिपूर्ति, जिसकी गणना प्रत्येक माह के विलम्ब के लिए निविदा राशि का 1.5 प्रतिशत प्रतिदिन के आधार पर, जो अधिकतम निविदा मूल्य के 10 प्रतिशत से अधिक न हो, उद्ग्रहित की जानी थी। अतः विभाग को विलम्ब के लिए क्षतिपूर्ति के रूप में ₹ 52.48 लाख (प्रदान की गई राशि का 10 प्रतिशत) उद्ग्रहित करने थे। हालांकि, विभाग ने क्षतिपूर्ति के रूप में केवल ₹ 36.73 लाख[19] (प्रदान की गई राशि का सात प्रतिशत) ही उद्ग्रहित किए, जो ₹ 15.75 लाख की क्षतिपूर्ति के अल्प उद्ग्रहण में परिणत हुए। यद्यपि इसके सापेक्ष 8वें चालू (रनिंग) बिल से मात्र ₹ 10.50 लाख की राशि रोकी गई (अगस्त 2021) तथापि दिसंबर 2022 तक ठेकेदार से किसी राशि की वसूली नहीं की गई। यह जानते हुए भी कि विभाग के बार-बार अनुरोध (मई 2017 से सितंबर 2021) करने पर भी ठेकेदार कार्य में धीमी प्रगति कर रहा था, अनुबंध के प्रावधान का उल्लंघन करते हुए विलम्ब के लिए क्षतिपूर्ति के अल्प उद्ग्रहण एवं वसूली न करने के रूप में ठेकेदार को अनुचित वित्तीय लाभ दिया गया।

**(ii) ठेकेदार को मूल्य वृद्धि का अस्वीकार्य भुगतान**

अनुबंध की धारा 10सीसी के अनुसार, "यदि कार्य निष्पादन के लिए आवश्यक सामग्री के मूल्य और/या श्रम मजदूरी में वृद्धि होती है, तो ठेकेदार को ऐसी वृद्धि के लिए क्षतिपूर्ति दी जाएगी, बशर्ते कि मूल्य वृद्धि के लिए यह क्षतिपूर्ति केवल अनुबंध की निर्धारित अवधि के दौरान किए गए कार्य के लिए जिसमे ऐसी अवधि भी शामिल है जिसके लिए अनुबंध के खंड 5 के तहत अनुबंध की वैधता को अनुबंध के खंड 2 के तहत किसी भी कार्रवाई के बिना बढाया गया है।"

अधीक्षण अभियंता, रोहड़ू ने अनुबंध समझौते की धारा 5 के तहत, विभाग को अनुबंध समझौते की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई करने के अधिकार को सुरक्षित रखते हुए, नवंबर 2020 में समय सीमा को जून 2021 तक बढ़ा दिया। हालांकि अपने ही उपरोक्त आदेशों के विपरीत

[19] जून 2019: ₹ 26.24 लाख व सितंबर 2021: ₹ 10.50 लाख।

अधीक्षण अभियंता ने उक्त अनुबंध के खंड का उल्लंघन करते हुए ₹ 31.28 लाख के मूल्य वृद्धि भुगतान को मंजूरी दी (अप्रैल 2021) जिसे ठेकेदार को चालू खाता बिल/हस्तलिखित रसीदों के माध्यम से सितंबर 2018 से दिसंबर 2020 तक की विभिन्न तिमाहियों के लिए भुगतान किया गया (नवंबर 2018 व दिसंबर 2020 के मध्य), जैसाकि **तालिका 6.3** में दर्शाया गया है।

**तालिका 6.3: अनुबंध के खंड 10सीसी के अंतर्गत मूल्य वृद्धि के भुगतान का विवरण**

**(राशि ₹ में)**

| **अवधि** | **चालू खाता/बिल की तिथि** | **दावे की राशि** | | **कुल** |
|---|---|---|---|---|
| | | **सामग्री** | **श्रमिक** | |
| सितंबर 2018 से नवम्बर 2018 तक | पांचवा 26-11-2018 | 1,25,361 | 1,41,626 | 2,66,987 |
| मई 2019 से जुलाई 2019 | हस्तलिखित रसीद 2-07-2019 | 1,03,162 | 1,81,822 | 2,84,984 |
| जनवरी 2020 से मार्च 2020 | हस्तलिखित रसीद 1-03-2020 | 1,07,211 | 1,81,822 | 2,89,033 |
| सितंबर 2020 से नवंबर 2020 | छठा 06-11-2020 | 5,01,742 | 15,06,739 | 20,08,481 |
| अक्टूबर 2020 से दिसंबर 2020 | सांतवा 24-12-2020 | 93,891 | 1,85,045 | 2,78,936 |
| **योग** | | **9,31,367** | **21,97,054** | **31,28,421** |

चूंकि मूल्य वृद्धि अनुबंध की निर्धारित पूर्णता तिथि के बाद की अवधि से संबंधित थी तथा ठेकेदार पर अनुबंध की धारा 2 के तहत विलम्ब के लिए क्षतिपूर्ति भी उद्ग्राहय थी, अतः अनुबंध की धारा 10सीसी के तहत ठेकेदार को दी गई मूल्य वृद्धि स्वीकार्य नहीं थी। मूल्य वृद्धि का अस्वीकार्य भुगतान ठेकेदार को ₹ 31.28 लाख के अनुचित वित्तीय लाभ में परिणत हुआ।

**(iii) सामग्री की ₹ 24.72 लाख की कम वसूली**

टिक्कर उप-मंडल व रोहड़ू स्टोर की माप-पुस्तकों एवं मांगपत्रों के अनुसार जुलाई 2016 व नवंबर 2020 के मध्य सड़क कार्य निष्पादित करने के लिए ठेकेदार को ₹ 282 प्रति बोरी की दर से 9,535 बोरी सीमेंट व ₹ 23.07 लाख मूल्य के 50.872 मीट्रिक टन बिटुमेन के 312 ड्रम जारी किए गए। ठेकेदार के आठवें चालू खाता बिलों तक की वसूली का विवरण **तालिका 6.4** में दर्शाया गया है।

**तालिका 6.4: ठेकेदार से सामग्री की कम वसूली का विवरण**

(राशि ₹ में)

| सामग्री का नाम | ठेकेदार को जारी की गई मात्रा | | उपयोग की गई मात्रा | शेष मात्रा | जारी की गई सामग्री का मूल्य | चालू बिलों से की गई वसूली | वसूली हेतु शेष |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | बोरी/ड्रम | बोरियों की संख्या/मीट्रिक टन | बोरियों की संख्या/मीट्रिक टन | बोरियों की संख्या/मीट्रिक टन | | | |
| सीमेंट | 9,535 | 9535 | 4,600 | 4,935 | 26,88,870 | 12,97,200 | 13,91,670 |
| बिटुमेन वीजी -10 | 262 | 40.872 | 18.08 | 22.792 | 19,00,548 | 8,40,720 | 10,59,828 |
| आरएसएस -1[20] | 15 | 3.000 | 9.507 | 0.493 | 4,06,750 | 3,86,697 | 20,053 |
| एसएस -1 | 35 | 7.000 | | | | | |
| **योग** | | | | | **49,96,168** | **25,24,617** | **24,71,551** |

**तालिका 6.4** से प्रमाणित होता है कि विभाग ने ठेकेदार को जारी की गई सामग्री के बदले ₹ 49.96 लाख के स्थान पर मात्र ₹ 25.24 लाख की वसूली की, जो ₹ 24.72 लाख की कम वसूली के रूप में परिणत हुई।

**(iv) निष्पादन गारंटी प्राप्त न करना**

सार्वजनिक हित को नुकसान से बचाने के उद्देश्य से, हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम, 2009 में अनुबंध दिए जाने पर सफल बोलीदाता (ठेकेदार) से अनुबंध मूल्य के पांच से दस प्रतिशत तक की राशि की निष्पादन गारंटी प्राप्त करने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त केंद्रीय लोक निर्माण नियम-पुस्तिका, 2014 की धारा 21.1 के अनुसार ठेकेदार को कार्य की निविदित व स्वीकृत राशि का पांच प्रतिशत (सीमा रहित) निष्पादन गारंटी को अनुसूचित बैंक की सावधि जमा रसीद (एफडीआर, फिक्स्ड डिपॉजिट रसीद), किसी भी अनुसूचित बैंक की अपरिवर्तनीय बैंक गारंटी बांड आदि के रूप में जमा करनी होगी।

उपरोक्त प्रावधानों के विपरीत विभाग ने कार्य सौंपे जाने के समय ठेकेदार से ₹ 26.24 लाख की न्यूनतम निष्पादन गारंटी (अनुबंध मूल्य ₹ 5,24,76,897/- का पांच प्रतिशत) प्राप्त नहीं की। निष्पादन गारंटी (जो एक निवारक साधन है) प्राप्त न करने से सार्वजनिक हित खतरे में पड़ गया तथा विभाग अनुबंध की शर्तों का पालन करवाने में विफल रहा।

**(v) प्रतिभूति जमा की अल्प कटौती**

अनुबंध समझौते के खंड 1 के अनुसार ठेकेदार के चालू खाता बिलों से पांच प्रतिशत की दर से प्रतिभूति जमा की कटौती की जानी थी। तथापि यह पाया गया कि ₹ 4.17 करोड़ के किए गए

[20] वीजी-10, आरएसएस-1 व एसएस-1 बिटुमेन के प्रकार हैं।

कार्य पर कटौती की जाने वाली ₹ 20.85 लाख की प्रतिभूति जमा राशि के प्रति आठवें चालू खाता बिल तक मात्र ₹ 14.21 लाख की प्रतिभूति जमा के रूप में कटौती की गई, जो ₹ 6.64 लाख के प्रतिभूति जमा की कम कटौती के रूप में परिणत हुआ, तथा पूर्वोक्त खंड का उल्लंघन है। ठेकेदार द्वारा कार्य की धीमी गति तथा आगे कोई भुगतान न किए जाने के कारण विभाग द्वारा प्रतिभूति जमा की शेष राशि की वसूली सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

**(vi) पत्थर की रॉयल्टी का एम फॉर्म/प्रमाणपत्र प्रस्तुत न करना**

अनुबंध समझौते के खंड 37 के अनुसार, सामग्री (पत्थर, रेत, स्टोन एग्रीगेट) पर उद्योग विभाग द्वारा स्वीकृत दरों के अनुसार रॉयल्टी शुल्क ठेकेदार के प्रत्येक चालू बिल से काटा जाना चाहिए। ठेकेदार द्वारा कार्य में प्रयुक्त की जाने वाली सामग्री पर भुगतान की गई रॉयल्टी के प्रमाण के रूप में उद्योग विभाग के खनन अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना है। अन्यथा कार्य में प्रयुक्त सामग्री पर ठेकेदार के बिल (बिलों) से प्रचलित दर पर रॉयल्टी काट ली जाएगी।

आठवें चालू खाता बिल (दिसंबर 2020) के अनुसार मंडल ने ₹ 135 प्रति घन मीटर की दर से 18,636.35 घन मीटर पत्थर, ₹ 96 प्रति मीट्रिक टन की दर से 68.7 मीट्रिक टन रेत व ₹ 112 प्रति मीट्रिक टन की दर से 1,245.69 मीट्रिक टन एग्रीगेट की खपत के लिए ₹ 22.84 लाख की रॉयल्टी की गणना की। मंडल ने ठेकेदार से ₹ 4.10 लाख (पहला चालू खाता बिल: ₹ 1.59 लाख व दूसरा चालू बिल: ₹ 2.50 लाख) की रॉयल्टी काटी थी। हालांकि तीसरे से आठवें चालू खाता बिलों से कोई रॉयल्टी नहीं काटी गई। बिलों में की गई टिप्पणियों के अनुसार ठेकेदार ने खनन विभाग के एम फॉर्म/आवश्यक प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए थे। हालांकि अभिलेखों में ऐसे कोई फॉर्म/प्रमाणपत्र नहीं पाए गए। परिणामस्वरूप रॉयल्टी कटौती में छूट की प्रामाणिकता लेखापरीक्षा में सत्यापित नहीं की जा सकी। इसके अतिरिक्त पहले व दूसरे चालू खाता बिलों से की गई कटौतियों से संबंधित माप-पुस्तिका लेखापरीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं की गई, जिसके अभाव में की गई कटौतियों की प्रामाणिकता का सत्यापन संभव नहीं हो सका। इससे ₹ 18.74 लाख[21] की रॉयल्टी की कम कटौती व ठेकेदार को अनुचित वित्तीय लाभ दिए जाने के संभावित जोखिम से इनकार नहीं किया जा सकता।

इस प्रकार, कार्य अभी भी अपूर्ण था (जनवरी 2023) एवं ठेकेदार ने दिसंबर 2020 से कार्य में तेजी नहीं लाई थी। निर्धारित समय के भीतर कार्य के निष्पादन में विभाग की विफलता, ठेकेदार को ₹ 1.69 करोड़ का अनुचित वित्तीय लाभ/उसका पक्ष लेने के रूप में परिणत हुआ:

- विलम्ब हेतु क्षतिपूर्ति की अवसूली : ₹ 0.52 करोड़;

---

[21] कुल रॉयल्टी गणना: ₹ 22.84 लाख, पहले व दूसरे चालू खाता बिलों से पहले ही कटौती की गई राशि: ₹ 4.10 लाख

- लागत वृद्धि का अस्वीकार्य भुगतान : ₹ 0.31 करोड़;
- सामग्री पर कम वसूली: ₹ 0.25 करोड़;
- निष्पादन प्रतिभूति प्राप्त न करना ;
- प्रतिभूति जमा की अल्प वसूली : ₹ 0.07 करोड़

इसके अतिरिक्त समय पर सड़क कार्य पूर्ण न होने के कारण ₹ 4.86 करोड़ का व्यय अधिकांशतः निष्फल रहा, जिससे क्षेत्र की जनता अभीष्ट लाभ से वंचित रह गई।

अधिशासी अभियंता ने बताया (मार्च व जनवरी 2023) कि परिसमाप्त क्षतिपूर्ति शुल्क के बदले क्षतिपूर्ति की वसूली ठेकेदार के चालू बिलों से की जाएगी एवं विचलन का मामला आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने के लिए उच्च कार्यालय को भेजा गया है। सीमेंट, बिटुमेन व पत्थर की रॉयल्टी की वसूली अगले चालू बिलों से काट ली जाएगी। इसके अतिरिक्त लागत वृद्धि के अस्वीकार्य भुगतान एवं निष्पादन गारंटी प्राप्त न करने के लिए कोई कारण नहीं बताए गए। हालांकि तथ्य यह है कि मंडल संविदात्मक प्रावधानों को लागू करने में विफल रहा था।

इसके अतिरिक्त चूंकि यह सड़क स्थानीय निवासियों को परिवहन सुविधा, बागवानी एवं कृषि उत्पादों के परिवहन और ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बनाई जानी थी, अतः सड़क निर्माण समय पर पूर्ण न होने से क्षेत्रवासी अभीष्ट लाभों से वंचित रह गए तथा सड़क निर्माण का उद्देश्य विफल हो गया, विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य में, जहां सड़क संपर्क निवासियों के लिए जीवनरेखा है।

# अध्याय-VII

# राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर स्वतंत्र लेखापरीक्षा टिप्पणी

# अध्याय VII: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर स्वतंत्र लेखापरीक्षा टिप्पणी

## हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड

### 7.1 ट्रांसमिशन लाइनों के निर्माण पर निष्फल व्यय

**निर्माण (i) समतुल्य वोल्टेज सब-स्टेशन के प्रावधान के बिना 400 केवी सिंगल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन, तथा (ii) आवश्यक बे के बिना दो 33 केवी लाइन हेतु खराब/त्रुटिपूर्ण योजना, ₹ 76.26 करोड़ के निष्फल व्यय में परिणत हुई। साथ ही इसके परिणामस्वरूप इन कार्यों के संबंधित उद्देश्यों की प्राप्ति भी नहीं हो सकी।**

हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड (कंपनी) ने सोलन जिले में ट्रांसमिशन लाइनों को बिछाने के लिए तीन कार्य दिए थे, जो हैं: (i) नालागढ़ से कुनिहार (जून 2011), (ii) गौरा से कथेर (अप्रैल 2012) एवं (iii) रडयाना से कथेर (दिसंबर 2016), जिनका उद्देश्य सोलन शहर में बेहतर विद्युत व्यवस्था बहाल करना था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि ये तीनों ट्रांसमिशन लाइनें कार्य आवंटन की तिथि से सात से 13 वर्ष बीत जाने के बाद भी कार्यशील नहीं थी (जुलाई 2024), जैसाकि आगामी परिच्छेदों में स्पष्ट किया गया है।

**चित्र 7.1: सब-स्टेशन नालागढ़ से प्रस्तावित सब-स्टेशन कुनिहार तक निष्क्रिय ट्रांसमिशन लाइनें**

हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (व्हीलिंग टैरिफ व खुदरा आपूर्ति टैरिफ के निर्धारण के लिए नियम व शर्तें) विनियम 2011 के विनियमन 9(2) के अनुसार, वितरण लाइसेंसधारी

(इस मामले में कंपनी) को 33 केवी व उससे अधिक की नई परिसंपत्तियों के सृजन हेतु पूंजी निवेश के लिए योजना-वार अनुमोदन लेना अपेक्षित है।

कंपनी ने हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग को एक प्रस्ताव प्रस्तुत (अक्टूबर 2009) किया था, जिसमें पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड के 400/220 केवी नलागढ़ सब-स्टेशन से प्रस्तावित 400/220/132 केवी कुनिहार सब-स्टेशन तक डबल सर्किट टावरों[1] पर 400 केवी सिंगल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण का प्रस्ताव था **(चित्र 7.1)**।

इस परियोजना की योजना निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ बनाई गई (अक्टूबर 2009):

- कम वोल्टेज की समस्या को दूर करना;
- सर्दियों में हरियाणा (पंचकूला) से हिमाचल प्रदेश तक बिजली लाने के लिए अपर्याप्त अवसंरचना की समस्या को दूर करना; तथा
- राज्य में अनुमानित 12 प्रतिशत वार्षिक लोड वृद्धि को ध्यान में रखते हुए विद्युत अवसंरचना की क्षमता बढ़ाने के लिए, जो वर्ष 2014-15 में 2,000 मेगावाट होनी थी।

हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग द्वारा इस परियोजना का प्रारंभिक प्रस्ताव (जून 2005) टैरिफ आदेश 2005-2006 में इस आधार पर पूर्व में अस्वीकृत कर दिया गया था कि नाथपा झाकड़ी परियोजना (शिमला जिले में सतलुज नदी पर 1,500 मेगावाट की एक प्रमुख जलविद्युत परियोजना) से विद्युत का 25 प्रतिशत हिस्सा एवं अन्य परियोजनाओं से नि:शुल्क विद्युत[2] का कुछ हिस्सा राज्य से बाहर निर्यात किया जाएगा तथा कंपनी से सम्बंधित नही है। अतः इस ट्रांसमिशन लाइन का औचित्य नहीं बनता था। कंपनी को केवल 2.47 प्रतिशत क्षेत्रीय हिस्से की बिजली प्राप्त करने का अधिकार है। इसके अतिरिक्त, नालागढ़ में पहले से ही पावर ग्रिड कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड का 400 केवी सब-स्टेशन मौजूद है, जिसका उपयोग भविष्य में कुनिहार के मौजूदा 220 केवी सब-स्टेशन पर अतिरिक्त लोड को पूरा करने के लिए किया जा सकता है।

लेखापरीक्षा में पाया गया (अगस्त 2019) कि हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग द्वारा प्रस्ताव को अस्वीकार करने के बावजूद जून 2010 के दौरान कंपनी ने अपनी 54वीं

---

1 सिंगल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन एक गंतव्य से दूसरे गंतव्य तक केवल एक सेट की बिजली लाइन (तीन केबल) ले जाती है। डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन में बिजली लाइनों के दो सेट होते हैं (प्रत्येक में तीन केबल)। इससे अधिक विश्वसनीय बिजली के साथ-साथ बेहतर रखरखाव के अवसर भी सुनिश्चित होते हैं।

2 25 प्रतिशत इक्विटी पावर व 12 प्रतिशत मुफ्त बिजली राज्य सरकार की संपत्ति है, न कि कंपनी (हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड) की।

अतिरिक्त उच्च वोल्टेज ट्रांसमिशन समिति की बैठक में उपर्युक्त 400 केवी लाइन के निर्माण के प्रस्ताव को अनुमोदित किया था। परियोजना के वित्तपोषण के लिए ₹ 14,465.46 लाख[3] की एक योजना प्रस्तावित की गई। कंपनी ने बिजली की मांग को पूरा करने एवं बिजली के मितव्ययी प्रेषण को सुनिश्चित करने के लिए प्रस्तावित 220 केवी ट्रांसमिशन लाइनों पर 440 केवी ट्रांसमिशन लाइनें बिछाने का निर्णय लिया। कंपनी ने पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड के 400/220 केवी उप-स्टेशन से प्रस्तावित 400/220 केवी उप-स्टेशन कुनिहार तक डबल सर्किट टावरों पर 400 केवी सिंगल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण का कार्य टर्नकी आधार पर एक ठेकेदार[4] को दिया (जून 2011), जिसकी निर्धारित पूर्णता तिथि ₹ 53.74 करोड़[5] की कुल राशि के लिए मार्च 2013 थी (अनुबंध हस्ताक्षर की तिथि से 15 माह)। इसी बीच नालागढ़ व बद्दी क्षेत्रों के लिए परिकल्पित अन्य 220 केवी पावर सब-स्टेशन कार्यों का हवाला देते हुए हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने कंपनी के नियंत्रण अवधि वित्त वर्ष 2012-14 के कैपेक्स योजना में प्रस्तावित 400/220 केवी सब-स्टेशन कुनिहार के पहले अस्वीकार किए गए (2005-06) प्रावधान को पुनः स्थगित और अस्वीकृत कर दिया (नवंबर 2011)। कुनिहार में प्रस्तावित सब-स्टेशन के दो बार अस्वीकृत होने के बावजूद कंपनी ने ठेकेदार के साथ अनुबंध किया (दिसंबर 2011) और ट्रांसमिशन लाइन अंततः जुलाई 2019 में छः वर्षों से अधिक के विलम्ब के साथ पूर्ण हुई, जिसमें मार्च 2020 तक ₹ 89.84 करोड़ का व्यय हुआ (निर्माण के दौरान ₹ 19.96 करोड़ के ब्याज[6] सहित)। हालांकि, ट्रांसमिशन लाइन बिना किसी सब-स्टेशन के टर्मिनेशन के लिए बनाई गई। अगस्त 2022 तक परियोजना पर कुल ₹ 99.66 करोड़ (निर्माण के दौरान अर्जित ब्याज के रूप में ₹ 27.31 करोड़ सहित) व्यय किया गया।

---

3 ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी) द्वारा स्वीकृत कुल ऋण ₹ 130.19 करोड़ में से ₹ 57.65 करोड़ ऋण राशि संवितरित की गई। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड का हिस्सा ₹ 14.47 करोड़ था।

4 मैसर्स यूनिटेक पावर ट्रांसमिशन

5 केवल ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण के लिए।

6 निर्माण के दौरान ऋण राशि पर कंपनी द्वारा अर्जित ब्याज जो पूंजीकृत होता है।

**चित्र 7.2: प्रस्तावित/ मौजूदा सिस्टम**

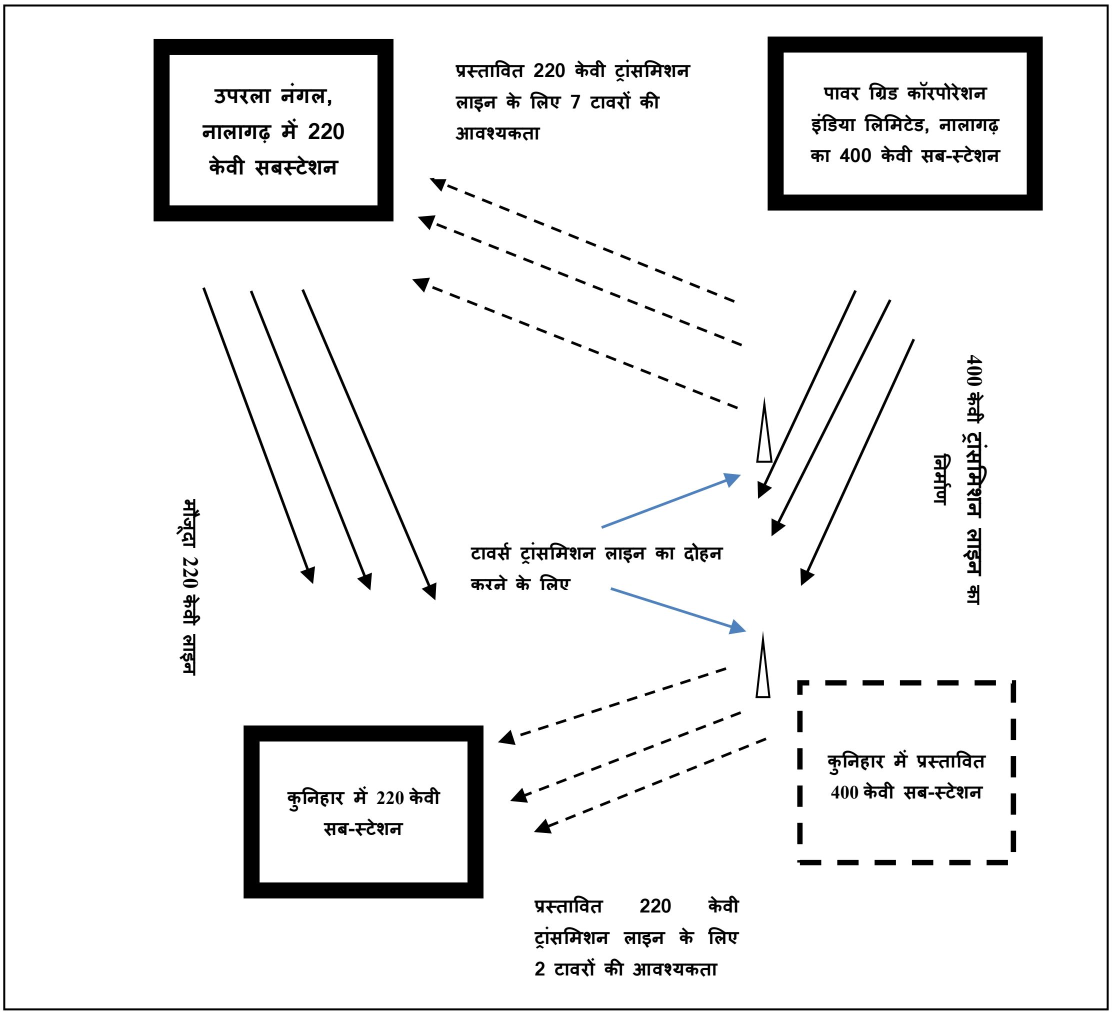


चूंकि कंपनी के पास कुनिहार में उसका 400 केवी सब-स्टेशन नहीं था और न ही कोई वैकल्पिक व्यवस्था थी जिससे निर्मित 400 केवी ट्रांसमिशन लाइन को जोड़ा व उपयोग किया जा सके, इसलिए कंपनी ने उसकी 74वीं अतिरिक्त उच्च वोल्टेज समिति की बैठक (22 मई 2018) में यह निर्णय लिया कि इस लाइन को एक छोर पर मौजूदा 220 केवी उपरला नंगल (नालागढ़) उप-स्टेशन से जोड़ते हुए (इंटरलिंक) और दूसरे छोर पर 220 केवी उप-स्टेशन कुनिहार पर 220 केवी पर चार्ज करके समाप्त कर दिया जाएगा **(चित्र 7.2)**। इस ट्रांसमिशन लाइन को इंटरलिंक करने के लिए उपरला नंगल उप-स्टेशन तक तीन किलोमीटर लंबी 220 केवी डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन के साथ दो 220 केवी बे का निर्माण और कुनिहार उप-स्टेशन में मौजूदा 220 केवी तक 0.800 किलोमीटर लंबी 220 केवी सिंगल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन के साथ एक 220 केवी बे का निर्माण करना आवश्यक[7] होता, जिसमें ₹ 16.28 करोड़ की अतिरिक्त अनुमानित लागत शामिल है (अगस्त 2018)। ऊपर से यह

[7] नौ टावरों की आवश्यकता (कुनिहार छोर पर दो और नालागढ़ छोर पर सात)।

देखा जा सकता है कि यदि इस लाइन को 220 केवी सब-स्टेशन से भी जोड़ा जाता, तब भी इसका उपयोग पूरी तरह नहीं हो पाता।

कंपनी अभी भी अतिरिक्त प्रस्तावित लाइन (जुलाई 2024) के लिए भूमि के अधिग्रहण/पट्टे प्राप्त करने की प्रक्रिया में थी।

इस प्रकार, हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग द्वारा कुनिहार में 400 केवी सब-स्टेशन के प्रस्ताव को अस्वीकृत किए जाने के बावजूद, 400 केवी की ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण कर दिया गया, जबकि उसे टर्मिनेट करने के लिए कोई सब-स्टेशन मौजूद नहीं था। यह कंपनी की दोषपूर्ण/खराब योजना का परिचायक है, जिसके परिणामस्वरूप परियोजना के आवंटन की तिथि से 11 वर्ष की अवधि बीत जाने के बाद भी वे परियोजना के नियोजित उद्देश्यों को प्राप्त करने में विफल रहे। यह ₹ 72.35 करोड़ के निष्फल व्यय में परिणत हुआ (अगस्त 2022 तक)।

इस प्रकार, कंपनी न केवल अपूर्ण परियोजना के कारण राजस्व उत्पन्न करने में विफल रही, अपितु उसे उधार ली गई निधियों पर ब्याज देयता भी वहन करनी पड़ी।

**चित्र 7.3: सब-स्टेशन गौरा से कथेर एवं रडयाना से कथेर तक निष्क्रिय ट्रांसमिशन लाइनें**

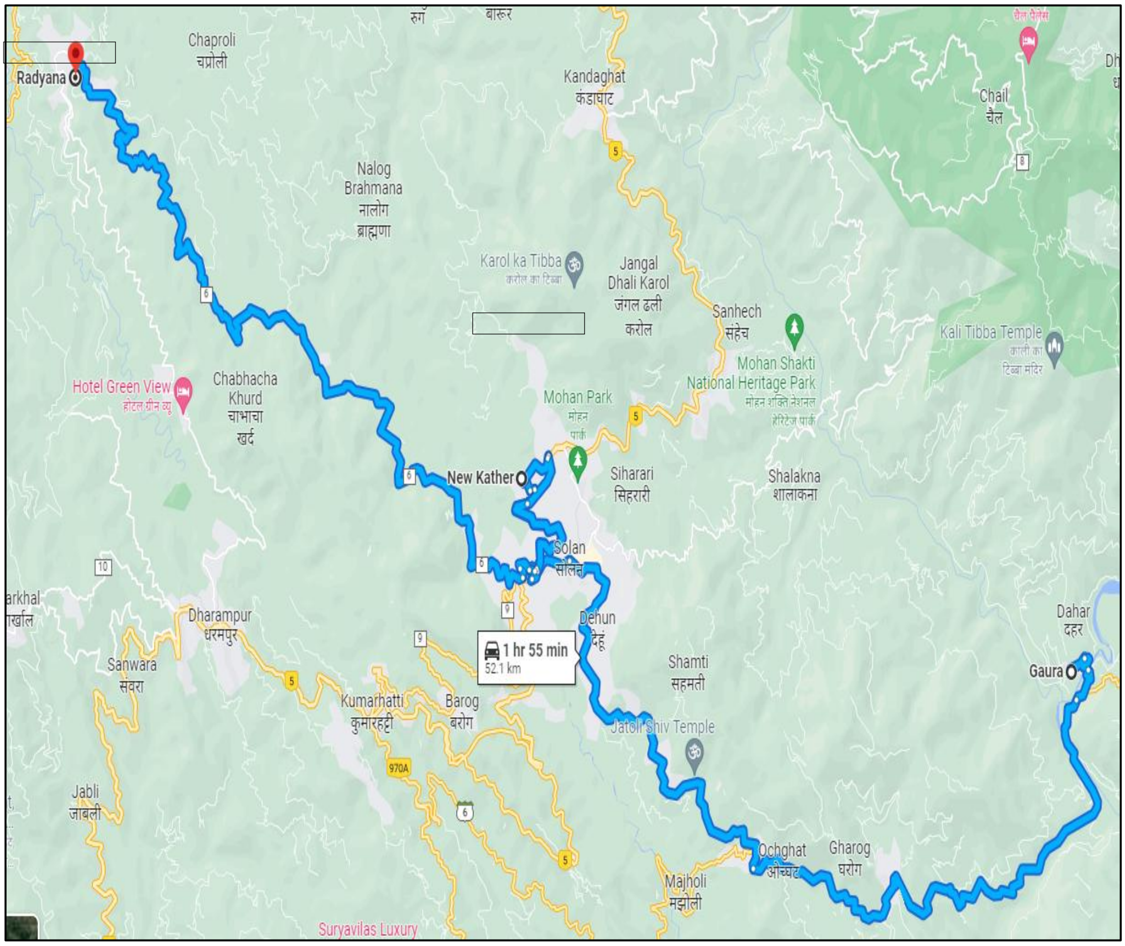

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 67 की उप-धारा (2) के तहत भारत सरकार द्वारा अधिसूचित लाइसेंसधारी कार्य नियम, 2006 के नियम 3 (1) (ए) के अनुसार, एक लाइसेंसधारी को किसी भी भवन या भूमि पर विद्युत आपूर्ति लाइन को बिछाने या रखने से संबंधित कार्यों को करने के लिये भूस्वामी या अधिभोगी की पूर्व सहमति प्राप्त करनी आवश्यक है। नियम में आगे यह भी प्रावधान है कि यदि उक्त भूमि का स्वामी या अधिवासी नियम के तहत किए जाने वाले कार्यों के संबंध में आपत्ति करता है, तो लाइसेंसधारी को यह कार्य करने के लिए संबंधित जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस आयुक्त या राज्य सरकार द्वारा अधिकृत किसी अन्य अधिकारी से लिखित अनुमति प्राप्त करनी होगी।

लेखापरीक्षा में पाया गया (नवंबर 2021) कि 132 केवी उप-स्टेशन सोलन से आपूर्ति बाधित होने की स्थिति में सोलन शहर को आपातकालीन वैकल्पिक आपूर्ति देने के लिए 132/33 केवी सब-स्टेशन गौरा से 33/11 केवी सब-स्टेशन कथेर **(चित्र 7.3)** तक 33 केवी एचटी लाइन (30 किलोमीटर) के निर्माण का कार्य एक ठेकेदार[8] को ₹ तीन करोड़ (आपूर्ति ₹ 2.41 करोड़ व स्थापना ₹ 0.59 करोड़) में दिया गया (अप्रैल 2012)। कार्य कथेर छोर पर बे के प्रावधान के बिना दिया गया। ठेकेदार द्वारा सर्वेक्षण के बाद लाइन की लंबाई घटाकर 15.270 किमी कर दी गई, जिसमें से 14.5 किमी का कार्य पूरा किया गया (मार्च 2018) और कुल व्यय ₹ 2.52 करोड़ हुआ। शेष भाग कुछ क्षेत्रों में 'राइट ऑफ वे[9]' संबंधी समस्याओं के कारण पूरा नहीं हो सका, जिससे ट्रांसमिशन लाइन का कार्य अधूरा रह गया। वरिष्ठ कार्यकारी अभियंता, हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड, सोलन ने भी उसकी रिपोर्ट (जून 2020) में यह उल्लेख किया कि ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण असंतोषजनक था और समय के साथ लाइन की स्थिति और भी खराब हो गई। लाइन को कार्यात्मक बनाने के लिए, पहले से निर्मित ट्रांसमिशन लाइन को अच्छी स्थिति में लाना था और सबस्टेशनों (कथेर व गौरा) पर दोनों सिरों पर ट्रांसमिशन लाइन को टर्मिनेट करने के लिए, कथेर छोर पर बे बिछाया जाना था, क्योंकि गौरा छोर पर बे पहले से ही (सितंबर 2014) उपलब्ध था। इसमें अनुमानित व्यय ₹ 1.84 करोड़ (मई 2021) अंतर्निहित हो सकता है।

---

8 मैसर्स यूबीटेक (पी) लिमिटेड।

9 किसी अन्य व्यक्ति की भूमि से होकर गुजरने का वह कानूनी अधिकार, जो प्रदान करके या लंबे समय से उपयोग के माध्यम से प्राप्त होता है।

**चित्र 7.4: निर्मित ट्रांसमिशन लाइनों व सब-स्टेशनों को जोड़ने के लिए अपेक्षित बे को दर्शाता आरेख**

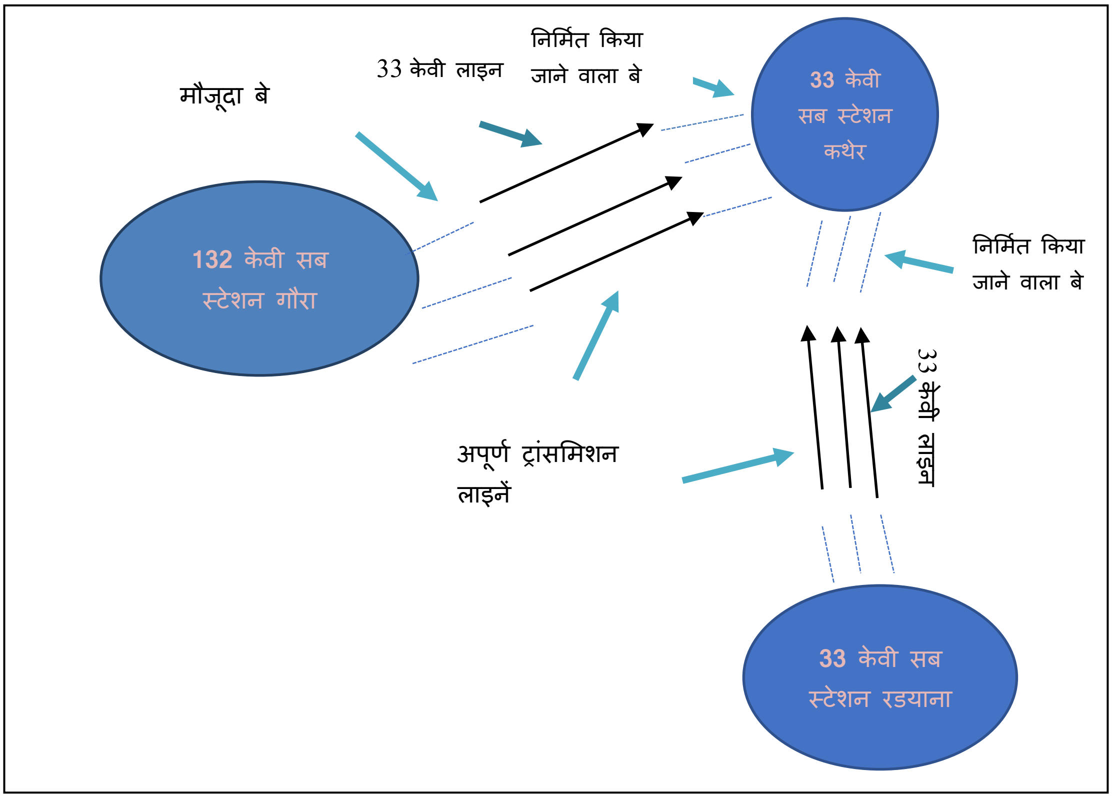


इसी बीच रडयाना से कथेर तक 20.3 किलोमीटर लंबी 33 केवी लिंक लाइन के निर्माण के लिए एक अन्य कार्य **(चित्र 7.3)** एक ठेकेदार[10] को ₹ 1.71 करोड़ (आपूर्ति: ₹ 0.75 करोड़ व स्थापना: ₹ 0.96 करोड़) में सौंपा गया था (दिसंबर 2016)। यह कार्य भी दोनों छोर पर बे के प्रावधान के बिना दिया गया। देखा गया कि ₹ 1.39 करोड़ के व्ययोपरांत (कंपनी द्वारा आपूर्ति किए गए कंडक्टर जैसी सामग्री की लागत सहित) 17.03 किलोमीटर लाइन मार्च 2018 में पूर्ण हुई। शेष भाग को 'राइट ऑफ वे' संबंधी मुद्दों के कारण पूरा नहीं किया जा सका, जिसके परिणामस्वरूप ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण अधूरा रह गया। वरिष्ठ कार्यकारी अभियंता, हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड, सोलन ने भी अपनी रिपोर्ट (जून 2020) में उल्लेख किया कि समय बीतने के साथ लाइन की स्थिति बिगडती गई। लाइन को कार्यात्मक बनाने के लिए ₹ 0.83 करोड़ का अतिरिक्त व्यय करके बे का निर्माण करना आवश्यक था (मई 2021)।

दोनों लाइनों का शेष भाग 'राइट ऑफ वे' संबंधी मुद्दे के कारण पूरा नहीं किया जा सका। इस प्रकार दोनों 33 केवी लाइनों को उपयोग में नहीं लाया जा सका क्योंकि योजना के समय ट्रांसमिशन लाइनों को सबस्टेशनों से जोड़ना सुनिश्चित करने के लिए बे का प्रावधान नहीं रखा गया, जैसाकि **चित्र 7.4** व **7.5** में देखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त सोलन शहर को

10 मेसर्स यूटीआरआई एचआर सर्विसेज (पी) लिमिटेड।

विद्युत की वैकल्पिक आपूर्ति प्रदान करने का इन ट्रांसमिशन लाइनों का उद्देश्य भी सफल नहीं हो सका। इस प्रकार इन दोनों लाइनों के निर्माण पर किया गया ₹ 3.91 करोड़ (₹ 1.39 करोड़ + ₹ 2.52 करोड़) का व्यय निष्फल सिद्ध हुआ।

**चित्र 7.5: निष्क्रिय बिछी निर्मित ट्रांसमिशन लाइन**

प्रत्युत्तर में इकाई ने बताया (दिसंबर 2021) कि लाइनें उपयोग में नहीं लाई जा सकी हैं क्योंकि योजना में इन्हें उपयोग में लाने के लिए बे का प्रावधान नहीं किया गया। साथ ही यह भी बताया गया कि शेष कार्यों को पूरा करने के लिए अधीक्षण अभियंता (वितरण प्रणाली योजना) को योजना प्रस्तुत की गई थी (मई 2021)। हालांकि स्थिति यथावत बनी रही, क्योंकि मंडल कार्यालय द्वारा प्रस्तुत की गई योजना जुलाई 2024 तक भी स्वीकृत नहीं हुई तथा लाइनें निष्क्रिय एवं बेकार पड़ी हुई हैं।

उपरोक्त तीनों लाइनों का उपयोग न होना ₹ 76.26 करोड़ (₹ 72.35 करोड़ + ₹ 3.91 करोड़) के निष्फल व्यय में परिणत हुआ। आंशिक रूप से निर्मित ट्रांसमिशन लाइनों को उपयोग में लाने के लिए ₹ 18.95 करोड़ (₹ 16.28 करोड़ + ₹ 1.84 करोड़ + ₹ 0.83 करोड़) के अतिरिक्त व्यय की और आवश्यकता थी। ट्रांसमिशन लाइन का वास्तविक उपयोग होने तक ब्याज देयता और भी बढ़ जाएगी।

कंपनी की खराब/दोषपूर्ण योजना के कारण कार्य अपूर्ण रह गए जिसके परिणामस्वरूप निर्मित बुनियादी ढांचे का उपयोग नहीं हो सका, साथ ही घोषित उद्देश्यों की प्राप्ति भी नहीं हो सकी, तथा व्यय भी निष्फल हुआ।

***कंपनी को अपने सभी घटकों को ध्यान में रखते हुए संपूर्ण परियोजना की योजना बनानी चाहिए एवं सब स्टेशन में कनेक्टिंग सुविधाओं के प्रावधान के बिना लाइनों का निर्माण करने से बचना चाहिए। कंपनी को कार्य को पूर्ण करने में विलम्ब से बचने के लिए कार्य सौंपने से पहले राइट ऑफ वे भी सुनिश्चित करना चाहिए।***

**(पुरुषोत्तम तिवारी)**
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)
हिमाचल प्रदेश

शिमला
दिनांक: 14 अक्टूबर 2025

**प्रतिहस्ताक्षरित**

**(के. संजय मूर्ति)**
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली
दिनांक: 10 नवंबर 2025

# परिशिष्ट

# परिशिष्ट

## परिशिष्ट-1.1

*(संदर्भ: परिच्छेद 1.5.2)*

**भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में समाविष्ट लेखापरीक्षा टिप्पणियों के सुओ-मोटो उत्तरों का विवरण (31 मार्च 2022 तक)**

| प्रतिवेदन का नाम | प्रतिवेदन का वर्ष | राज्य विधानसभा में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की तिथि | सुओ-मोटो उत्तर प्राप्ति की देय तिथि | विभाग/राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम | 31 मार्च 2022 तक प्राप्त न हुए सुओ-मोटो उत्तर | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | निष्पादन लेखापरीक्षा | अनुपालन लेखापरीक्षा परिच्छेद |
| भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक (गैर-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) क्षेत्रों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन | 2012-13 | 21.02.2014 | 20.05.2014 | जनजातीय विकास | 0 | 1 |
| | 2013-14 | 10.04.2015 | 09.07.2015 | स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण | 0 | 1 |
| | | | | जनजातीय विकास | 0 | 1 |
| | | | | चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान | 0 | 1 |
| | 2014-15 | 07.04.2016 | 06.07.2016 | अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक मामले | 0 | 1 |
| | 2015-16 | 31.03.2017 | 30.06.2017 | गृह | 0 | 2 |
| | | | | सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य | 0 | 3 |
| | | | | मत्स्यपालन | 0 | 1 |
| | 2016-17 | 05.04.2018 | 04.07.2018 | सूचना प्रौद्योगिकी | 1 | 0 |
| | | | | बागवानी | 0 | 1 |
| | | | | गृह | 0 | 1 |
| | 2017-18 | 14.12.2019 | 13.03.2020 | राजस्व | 0 | 2 |
| | 2018-19 | 13.08.2021 | 13.11.2021 | बागवानी | 1 | 1 |
| | | | | शहरी विकास | 1 | 0 |
| | | | | शिक्षा | 0 | 3 |
| | | | | सामान्य प्रशासन विभाग | 0 | 1 |
| | | | | उद्योग | 0 | 1 |
| | | | | श्रम एवं रोजगार | 0 | 1 |

| प्रतिवेदन का नाम | प्रतिवेदन का वर्ष | राज्य विधानसभा में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की तिथि | सुओ-मोटो उत्तर प्राप्ति की देय तिथि | विभाग/राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम | 31 मार्च 2022 तक प्राप्त न हुए सुओ-मोटो उत्तर | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | निष्पादन लेखापरीक्षा | अनुपालन लेखापरीक्षा परिच्छेद |
| | | | | योजना | 0 | 2 |
| | | | | लोक निर्माण विभाग | 0 | 1 |
| | | | | राजस्व | 0 | 1 |
| | | | | तकनीकी शिक्षा | 0 | 1 |
| | **योग** | | | | **3** | **27** |
| **भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन** | 2016-17 | 05.04.2018 | 04.07.2018 | हिमाचल प्रदेश सड़क एवं अन्य अवसंरचना विकास निगम | 0 | 1 |
| | 2017-18 | 14.12.2019 | 13.03.2020 | हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम | 0 | 1 |
| | | | | हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम | 0 | 1 |
| | | | | हिमाचल प्रदेश सड़क एवं अन्य अवसंरचना विकास निगम | 0 | 1 |
| | 2018-19 | 13.08.2021 | 12.11.2021 | हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड | 0 | 1 |
| | | | | हिमाचल प्रदेश बेवरेजेस लिमिटेड | 0 | 1 |
| | | | | हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम | 0 | 1 |
| | | | | हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम लिमिटेड | 0 | 1 |
| | | | | हिमाचल प्रदेश सड़क एवं अन्य अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड | 0 | 1 |
| | | | | हिमाचल पथ परिवहन निगम | 0 | 2 |
| | **योग** | | | | **0** | **11** |

## परिशिष्ट-1.2

*(संदर्भ: परिच्छेद 1.5.3)*

**2021-22 के दौरान लोक लेखा समिति/सार्वजनिक उपक्रम समिति में चर्चा की गई लेखापरीक्षा टिप्पणियों का विवरण**

<table>
<tr><th rowspan="2">समिति: प्रतिवेदन का नाम</th><th rowspan="2">विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का नाम</th><th rowspan="2">प्रतिवेदन का वर्ष</th><th colspan="2">2021-22 के दौरान चर्चा की गई लेखापरीक्षा टिप्पणियां</th></tr>
<tr><th>निष्पादन लेखापरीक्षा</th><th>अनुपालन लेखापरीक्षा परिच्छेद</th></tr>
<tr><td rowspan="16">लोक लेखा समिति: भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक (गैर-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) क्षेत्रों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन</td><td rowspan="5">पशुपालन</td><td>2013-14</td><td>0</td><td>1</td></tr>
<tr><td>2014-15</td><td>0</td><td>2</td></tr>
<tr><td>2015-16</td><td>1</td><td>0</td></tr>
<tr><td>2016-17</td><td>0</td><td>1</td></tr>
<tr><td>2017-18</td><td>0</td><td>1</td></tr>
<tr><td rowspan="3">कृषि</td><td>2009-10</td><td>0</td><td>3</td></tr>
<tr><td>2014-15</td><td>1</td><td>0</td></tr>
<tr><td>2016-17</td><td>0</td><td>3</td></tr>
<tr><td rowspan="6">जल शक्ति विभाग</td><td>2012-13</td><td>0</td><td>1</td></tr>
<tr><td>2013-14</td><td>1</td><td>1</td></tr>
<tr><td>2014-15</td><td>0</td><td>1</td></tr>
<tr><td>2015-16</td><td>0</td><td>3</td></tr>
<tr><td>2016-17</td><td>1</td><td>2</td></tr>
<tr><td>2017-18</td><td>0</td><td>2</td></tr>
<tr><td rowspan="2">उद्योग</td><td>2013-14</td><td>1</td><td>0</td></tr>
<tr><td>2017-18</td><td>0</td><td>2</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">योग</td><td>5</td><td>23</td></tr>
<tr><td rowspan="5">सार्वजनिक उपक्रम समिति: भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन</td><td>हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड</td><td>2015-16</td><td>0</td><td>7</td></tr>
<tr><td>हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम लिमिटेड और हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम</td><td>2017-18 (दोनों)</td><td>0</td><td>1+1</td></tr>
<tr><td>हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड</td><td>2013-14</td><td>0</td><td>2</td></tr>
<tr><td>हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड</td><td>2010-11</td><td>0</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="2">योग</td><td>0</td><td>12</td></tr>
</table>

## परिशिष्ट-1.3

*(संदर्भ: परिच्छेद 1.5.3)*

**31 मार्च 2022 तक लोक लेखा समिति/सार्वजनिक उपक्रम समिति में चर्चा हेतु लंबित लेखापरीक्षा टिप्पणियों का वर्ष-वार विवरण**

<table>
<tr><th rowspan="2">समिति: प्रतिवेदन का नाम</th><th rowspan="2">प्रतिवेदन का वर्ष</th><th colspan="2">प्रतिवेदन में शामिल कुल लेखापरीक्षा टिप्पणियां</th><th colspan="2">31 मार्च 2022 तक लोक लेखा समिति/सार्वजनिक उपक्रम समिति में चर्चा हेतु लंबित लेखापरीक्षा टिप्पणियों का विवरण</th></tr>
<tr><th>निष्पादन लेखापरीक्षा</th><th>अनुपालन लेखापरीक्षा परिच्छेद</th><th>निष्पादन लेखापरीक्षा</th><th>अनुपालन लेखापरीक्षा परिच्छेद</th></tr>
<tr><td rowspan="13">लोक लेखा समिति: भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक (गैर-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) क्षेत्रों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन</td><td>2008-09 तक</td><td>14</td><td>114</td><td>0</td><td>1</td></tr>
<tr><td>2009-10</td><td>2</td><td>26</td><td>0</td><td>5</td></tr>
<tr><td>2010-11</td><td>2</td><td>20</td><td>0</td><td>1</td></tr>
<tr><td>2011-12</td><td>1</td><td>19</td><td>0</td><td>5</td></tr>
<tr><td>2012-13</td><td>3</td><td>13</td><td>1</td><td>5</td></tr>
<tr><td>2013-14</td><td>4</td><td>23</td><td>1</td><td>5</td></tr>
<tr><td>2014-15</td><td>4</td><td>28</td><td>1</td><td>6</td></tr>
<tr><td>2015-16</td><td>5</td><td>13</td><td>2</td><td>4</td></tr>
<tr><td>2016-17</td><td>4</td><td>26</td><td>2</td><td>8</td></tr>
<tr><td>2017-18</td><td>2</td><td>21</td><td>1</td><td>8</td></tr>
<tr><td>2018-19</td><td>2</td><td>14</td><td>2</td><td>11</td></tr>
<tr><td>2019-20*</td><td>0</td><td>5</td><td>0</td><td>*</td></tr>
<tr><td>योग</td><td>43</td><td>322</td><td>10</td><td>59</td></tr>
<tr><td rowspan="6">सार्वजनिक उपक्रम समिति: भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन</td><td>2015-16</td><td>1</td><td>11</td><td>0</td><td>7</td></tr>
<tr><td>2016-17</td><td>1</td><td>13</td><td>1</td><td>8</td></tr>
<tr><td>2017-18</td><td>1</td><td>11</td><td>1</td><td>10</td></tr>
<tr><td>2018-19</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td>10</td></tr>
<tr><td>2019-20*</td><td>0</td><td>5</td><td>0</td><td>*</td></tr>
<tr><td>योग</td><td>3</td><td>50</td><td>2</td><td>35</td></tr>
</table>

* *वर्ष 2019-20 के लिए अनुपालन लेखापरीक्षा पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/गैर-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम दोनों क्षेत्र शामिल हैं, हालांकि समिति में उन पर हुई चर्चा के अनुसार उपरोक्त तालिका में इसे विभाजित किया गया है।*

**टिप्पणी:** *वर्ष 2019-20 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन 15/03/2022 को विधानसभा में रखा गया इसलिए 14/06/2022 को चर्चा/सुओ-मोटो उत्तर देय थे। अतः इसे वर्ष 2021-22 की स्थिति के लिए शामिल नहीं किया गया।*

## परिशिष्ट-1.4

*(संदर्भ: परिच्छेद 1.5.4)*

**लोक लेखा समिति की संस्तुतियों पर एक्शन टेकन नोट्स की लम्बितता के विभाग-वार व विधानसभा की कार्यावधि-वार विवरण (31 मार्च 2022 तक)**

| विभाग का नाम | एक्शन टेकन नोट्स | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | विधान सभा VI | विधान सभा VII | विधान सभा VIII | विधान सभा IX | विधान सभा X | विधान सभा XI | विधान सभा XII | विधान सभा XIII | कुल लंबित प्रतिक्रिया |
| लोक निर्माण विभाग | -- | -- | 1 | -- | 1 | 08 | 2 | -- | 12 |
| शहरी विकास | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 |
| स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | 1 | -- | 5 |
| उच्च शिक्षा | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | 1 | 2 |
| प्राथमिक शिक्षा | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 1 |
| तकनीकी शिक्षा | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | 1 |
| बागवानी | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | 1 | 1 | 4 |
| ग्रामीण विकास | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | 2 | 3 |
| आयुष | -- | -- | -- | -- | | -- | -- | 2 | 2 |
| मत्स्यपालन | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 1 |
| वित्त | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | 2 |
| राजस्व | -- | -- | -- | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 14 |
| जल शक्ति | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | 1 | -- | 2 |
| उद्योग | -- | -- | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 10 |
| पशुपालन | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | -- | 2 |
| आबकारी एवं कराधान | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | 3 |
| गृह | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | 2 |
| वन | 1 | 1 | -- | 1 | -- | 7 | 4 | 10 | 24 |
| कृषि | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | 1 |
| पंचायती राज | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | 2 |
| **योग** | **1** | **1** | **3** | **8** | **6** | **37** | **16** | **23** | **95** |

## सार्वजनिक उपक्रम समिति की संस्तुतियों पर एक्शन टेकन नोट्स की लम्बितता के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम-वार व विधानसभा की कार्यावधि-वार विवरण (31 मार्च 2022 तक)

| क्र. सं. | राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का नाम | लंबित एक्शन टेकन नोट्स | विधानसभा की कार्यावधि |
|---|---|---|---|
| 1 | हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम | 2 | XIIवी विधान सभा |
| 2 | हिमाचल प्रदेश एग्रो इंडस्ट्री कार्पोरेशन लिमिटेड | 1 | |
| **योग** | | **3** | |
| 1 | हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड | 9 | XIIIवी विधान सभा |
| 2 | हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम | 1 | |
| 3 | हिमाचल प्रदेश एग्रो इंडस्ट्री कार्पोरेशन लिमिटेड | 1 | |
| 4 | हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड | 1 | |
| 5 | हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम | 1 | |
| 6 | हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड | 4 | |
| 7 | ब्यास घाटी विद्युत निगम | 1 | |
| 8 | हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम लिमिटेड | 1 | |
| 9 | हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम | 2 | |
| 10 | हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम | 1 | |
| 11 | हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कार्पोरेशन लिमिटेड | 1 | |
| **योग** | | **23** | |

*टिप्पणी: ' -- ' का अर्थ है कि किसी विशेष विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के लिए कोई एक्शन टेकन नोट लंबित नहीं है।*

## परिशिष्ट-2.1

*(संदर्भ: परिच्छेद 2.1.1)*

### श्रम एवं रोजगार विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा लागू श्रम कानून

**केंद्रीय अधिनियम**

1. बंधुआ मजदूरी प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976
2. ठेका श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970
3. बाल श्रम (विनियमन एवं निषेध) अधिनियम, 1986
4. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (रोजगार एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996
5. सिनेमा कर्मकार और सिनेमा थिएटर कर्मकार (रोजगार विनियमन) अधिनियम, 1981
6. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार उपकर अधिनियम, 1996
7. कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952
8. कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948
9. समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976
10. कारखाना अधिनियम, 1948
11. औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947
12. औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946
13. अंतरराज्यीय प्रवासी कर्मकार (रोजगार और सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1979
14. श्रम कानून (कुछ प्रतिष्ठानों द्वारा रिटर्न प्रस्तुत करने और रजिस्टर बनाए रखने से छूट) अधिनियम, 1988
15. मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961
16. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948
17. मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961
18. बोनस भुगतान अधिनियम, 1965
19. ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972
20. मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936
21. बागान श्रम अधिनियम, 1951
22. बिक्री संवर्धन कर्मचारी (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1976
23. ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926
24. श्रमजीवी पत्रकार एवं समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें एवं विविध प्रावधान) अधिनियम, 1955
25. कर्मकार मुआवज़ा अधिनियम, 1923
26. रोजगार कार्यालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959
27. विकलांग व्यक्ति (पूर्ण भागीदारी, समान अवसर एवं अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1995

**राज्य अधिनियम**

1. हिमाचल प्रदेश दुकानें और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम, 1969
2. हिमाचल प्रदेश औद्योगिक प्रतिष्ठान (राष्ट्रीय एवं त्यौहारी अवकाश, आकस्मिक एवं बीमारी अवकाश) अधिनियम, 1969

# परिशिष्ट-2.2

*(संदर्भ: परिच्छेद 2.3.4.3)*

**वर्ष 2017-22 के दौरान कर्मकारों के पंजीकरण के लक्ष्य, उपलब्धि एवं कमी का विवरण**

| श्रम अधिकारी/श्रम निरीक्षक | वर्ष | लक्ष्य | उपलब्धि | कमी (प्रतिशत) |
|---|---|---|---|---|
| बिलासपुर | 2017-18 | 6,000 | 2,206 | 3,794 (63) |
| | 2018-19 | 18,000 | 7,655 | 10,345(57) |
| | 2019-20 | 6,907 | 4,058 | 2,849(41) |
| | 2020-21 | 5,900 | 9,531 | 0 |
| | 2021-22 | 9,965 | 10,433 | 0 |
| बद्दी | 2017-18 | 6,000 | 530 | 5,470(91) |
| | 2018-19 | 18,000 | 1,150 | 16,850(94) |
| | 2019-20 | 3,057 | 499 | 2,558(84) |
| | 2020-21 | 1,700 | 899 | 801(47) |
| | 2021-22 | 8,566 | 1,120 | 7,446(87) |
| हमीरपुर | 2017-18 | 6,000 | 3,410 | 2,590(43) |
| | 2018-19 | 18,000 | 8,453 | 9,547(53) |
| | 2019-20 | 6,174 | 6,987 | 0 |
| | 2020-21 | 5,100 | 21,100 | 0 |
| | 2021-22 | 15,031 | 13,450 | 1,581(11) |
| चंबा | 2017-18 | 6,000 | 758 | 5,242(87) |
| | 2018-19 | 18,000 | 3,118 | 14,882(83) |
| | 2019-20 | 4,524 | 4,212 | 312(7) |
| | 2020-21 | 3,300 | 7,702 | 0 |
| | 2021-22 | 9,100 | 2,483 | 6,617(73) |
| कांगड़ा | 2017-18 | 6,000 | 2,149 | 3,851(64) |
| | 2018-19 | 18,000 | 5,124 | 12,876(72) |
| | 2019-20 | 6,082 | 4,769 | 1,313(22) |
| | 2020-21 | 5,000 | 13,481 | 0 |
| | 2021-22 | 17,664 | 6,616 | 11,048(63) |
| मंडी | 2017-18 | 6,000 | 3,779 | 2,221(37) |
| | 2018-19 | 18,000 | 7,413 | 10,587(59) |
| | 2019-20 | 7,824 | 9,446 | 0 |
| | 2020-21 | 6,900 | 17,278 | 0 |
| | 2021-22 | 18,300 | 15,094 | 3,206(18) |
| कुल्लू | 2017-18 | 6,000 | 616 | 5,384(90) |
| | 2018-19 | 18,000 | 1,422 | 16,578(92) |
| | 2019-20 | 3,332 | 1,585 | 1,747(52) |
| | 2020-21 | 2,000 | 4,300 | 0 |
| | 2021-22 | 8,665 | 8,859 | 0 |

| श्रम अधिकारी/श्रम निरीक्षक | वर्ष | लक्ष्य | उपलब्धि | कमी (प्रतिशत) |
|---|---|---|---|---|
| किन्नौर | 2017-18 | 6,000 | 865 | 5,135(86) |
| | 2018-19 | 18,000 | 990 | 17,010(95) |
| | 2019-20 | 2,782 | 1,382 | 1,400(50) |
| | 2020-21 | 1,400 | 2,160 | 0 |
| | 2021-22 | 7,132 | 1,680 | 5,452(76) |
| शिमला | 2017-18 | 6,000 | 516 | 5,484(91) |
| | 2018-19 | 18,000 | 1,414 | 16,586(92) |
| | 2019-20 | 3,975 | 1,041 | 2,934(74) |
| | 2020-21 | 2,700 | 2,465 | 235(9) |
| | 2021-22 | 14,232 | 804 | 13,428(94) |
| रामपुर | 2017-18 | 6,000 | 502 | 5,498(92) |
| | 2018-19 | 18,000 | 1,578 | 16,422(91) |
| | 2019-20 | 3,332 | 2,300 | 1,032(31) |
| | 2020-21 | 2,000 | 3,051 | 0 |
| | 2021-22 | 8,665 | 3,186 | 5,479(63) |
| सिरमौर स्थित नाहन | 2017-18 | 6,000 | 669 | 5,331(89) |
| | 2018-19 | 18,000 | 1,106 | 16,894(94) |
| | 2019-20 | 4,707 | 898 | 3,809(81) |
| | 2020-21 | 3,500 | 2,689 | 811(23) |
| | 2021-22 | 9,165 | 896 | 8,269(90) |
| सोलन | 2017-18 | 6,000 | 345 | 5,655(94) |
| | 2018-19 | 18,000 | 1,561 | 16,439(91) |
| | 2019-20 | 3,516 | 1,611 | 1,905(54) |
| | 2020-21 | 2,200 | 1,734 | 466(21) |
| | 2021-22 | 8,732 | 1,284 | 7,448(85) |
| उना | 2017-18 | 6,000 | 1,928 | 4,072(68) |
| | 2018-19 | 18,000 | 3,009 | 14,991(83) |
| | 2019-20 | 4,249 | 2,146 | 2,103(49) |
| | 2020-21 | 3,000 | 4,257 | 0 |
| | 2021-22 | 13,000 | 3,236 | 9,764(75) |

*टिप्पणी: बोर्ड द्वारा मई 2013, मार्च 2018, मई 2019 व जुलाई 2021 में लक्ष्य निर्धारित किए गए।*

# परिशिष्ट-2.3

*(संदर्भः परिच्छेद 2.7.8.1 (ग))*

## 2017-22 हेतु बोर्ड द्वारा प्रदान किए गए कल्याणकारी योजना व्यय के आंकड़ों में मिलान न होने का विवरण

(राशि ₹ में)

| क्र. सं. | शीर्ष | बैलेंस शीट के अनुसार योजना पर हुआ कुल व्यय | बोर्ड द्वारा प्रदान किए अनुसार कुल व्यय | अंतर |
|---|---|---|---|---|
| 1 | विज्ञापन व प्रचार | 3,01,65,961 | 3,02,81,325 | 1,15,364 |
| 2 | विकलांगता पेंशन | 1,03,000 | 95,000 | 8,000 |
| 3 | मृत्यू और अंतिम संस्कार लाभ | 16,08,32,707.8 | 14,86,01,856 | 1,22,30,851.8 |
| 4 | मुख्यमंत्री राहत कोष | 2,00,00,000 | 2,00,00,000 | 0 |
| 5 | सुविधा शुल्क | 65,759 | 0 | 65,759 |
| 6 | कार्य पर क्रेच का खर्च | 10,85,000 | 10,85,000 | 0 |
| 7 | साइकिल के लिए वित्तीय सहायता | 6,92,13,310.00 | 8,59,81,750 | 1,67,68,440 |
| 8 | शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता | 86,48,05,105 | 72,15,49,834 | 14,32,55,271 |
| 9 | माल ढुलाई शुल्क | 13,12,537 | 9,85,121 | 3,27,416 |
| 10 | इंडक्शन हीटर | 9,23,72,162 | 7,92,39,643 | 1,31,32,519 |
| 11 | कोविड-19 राहत | 72,25,12,000 | 78,59,10,000 | 6,33,98,000 |
| 12 | विवाह सहायता | 71,23,07,045 | 64,47,62,000 | 6,75,45,045 |
| 13 | मातृत्व/पितृत्व लाभ | 8,12,73,450 | 11,87,50,557 | 3,74,77,107 |
| 14 | चिकित्सा सहायता | 3,68,84,835 | 3,11,80,562 | 57,04,273 |
| 15 | वृद्धावस्था पेंशन लाभ | 97,67,500 | 63,17,000 | 34,50,500 |
| 16 | लाभार्थियों की मदों के लिए लिया गया स्टोर का किराया | 39,58,152 | 31,52,604 | 8,05,548 |
| 17 | राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना | 6,14,856.75 | 40,420 | 5,74,436.75 |
| 18 | सेमिनार और कार्यशालाएं | 7,070 | 0 | 7,070 |
| 19 | सौर लालटेन | 9,65,79,256 | 10,24,13,474 | 58,34,218 |
| 20 | पूर्व शिक्षण की मान्यता | 1,29,41,120 | 0 | 1,29,41,120 |
| 21 | श्रमिक पारगमन छात्रावास | 6,10,809 | 5,39,208 | 71,601 |
| 22 | मूल्यह्रास | 4,32,85,907 | 4,90,92,044 | 58,06,137 |
| 23 | सामान्य और कल्याण गतिविधियां | 41,26,125 | 36,38,576 | 4,87,549 |
| 24 | पिछले वर्ष की आय | 5,86,00,399.42 | 0 | 5,86,00,399.42 |
| 25 | वॉशिंग मशीन | 12,71,51,131 | 8,03,71,060 | 4,67,80,071 |
| 26 | कल्याणकारी गतिविधियों पर खर्च | 72,836 | 0 | 72,836 |
| 27 | पेंशन | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 28 | प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना व प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना | 34,65,828 | 34,65,828 | 0 |
| 29 | ग्राम रोजगार सेवक मानदेय | 88,000 | 0 | 88,000 |
| | **योग** | **3,15,42,02,862** | **2,91,74,52,862** | **23,67,50,000** |

## परिशिष्ट-2.4

*(संदर्भ: परिच्छेद 2.7.10.3)*

### वर्ष 2017-22 की अवधि के लिए शिक्षा हेतु वित्तीय सहायता की राशि

(राशि ₹ में)

| क्र. सं. | पाठ्यक्रम | अधिसूचना दिनांक | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 17वीं नवम्बर 2011 | 9वीं मई 2013 | 19वीं जनवरी 2018 | 6ठी जनवरी 2020 | 16वीं सितम्बर 2020 (बालिका) | 16वीं सितम्बर 2020 (बालक) | 24वीं सितम्बर 2021 |
| 1 | 1ली से 5वीं कक्षा | 500 | 1,000 | 3,000 | 7,000 | 8,000 | 5,000 | 8,400 |
| 2 | 6ठी से 8वीं कक्षा | 800 | 1,200 | 3,000 | 7,000 | 8,000 | 5,000 | 8,400 |
| 3 | 9वीं से 10वीं कक्षा | 1,000 | 1,500 | 6,000 | 10,000 | 11,000 | 8,000 | 12,000 |
| 4 | 10+1 व 10+2 कक्षा | 1,500 | 2,000 | 6,000 | 10,000 | 11,000 | 8,000 | 12,000 |
| 5 | कला स्नातक | 2000 | 2500 | 10000 | 15,000 | 16,000 | 12,000 | 36,000 |
| 6 | बीएससी/बी.कॉम/बीबीए या समकक्ष | 2,500 | 3,000 | 10,000 | 15,000 | 16,000 | 12,000 | 36,000 |
| 7 | स्नातकोत्तर (कला और वाणिज्य) | 3,000 | 3,500 | 15,000 | 20,000 | 21,000 | 17,000 | 60,000 |
| 8 | स्नातकोत्तर (विज्ञान) | 3,500 | 4,000 | 15,000 | 20,000 | 21,000 | 17,000 | 60,000 |
| 9 | डिप्लोमा पाठ्यक्रम (एक वर्ष) | 2,000 | 2,500 | 15,000 | 20,000 | 21,000 | 17,000 | 48,000 |
| 10 | डिप्लोमा पाठ्यक्रम (दो वर्ष) | 2,500 | 3,000 | 15,000 | 20,000 | 21,000 | 17,000 | 48,000 |
| 11 | डिप्लोमा पाठ्यक्रम (तीन वर्ष) | 3,500 | 4,000 | 15,000 | 20,000 | 21,000 | 17,000 | 48,000 |
| 12 | व्यावसायिक पाठ्यक्रम | 8,000 | 10,000 | 25,000 | 35,000 | 36,000 | 27,000 | 60,000 |
| 13 | पीएचडी, अनुसंधान पाठ्यक्रम | 10,000 | 15,000 | 25,000 | 35,000 | 36,000 | 27,000 | 1,20,000 |

# परिशिष्ट-4.1

*(संदर्भ: परिच्छेद 4.1.2)*

**हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम द्वारा चिह्नित क्षेत्र**

| क्र. सं. | क्षेत्र का नाम |
|---|---|
| 1. | कृषि |
| 2. | बागवानी |
| 3. | पर्यटन और आतिथ्य |
| 4. | निर्माण |
| 5. | सूचना प्रौद्योगिकी / आईटी सक्षम सेवाएं |
| 6. | बैंकिंग और वित्तीय |
| 7. | परिधान और मेड अप्स |
| 8. | स्वास्थ्य सेवा |
| 9. | इलेक्ट्रॉनिक्स |
| 10. | सौंदर्य और स्वास्थ्य |
| 11. | ऑटो |
| 12. | बैंकिंग, वित्तीय सेवा और बीमा |
| 13. | विद्युत |
| 14. | मीडिया और मनोरंजन |
| 15. | प्लम्बिंग |
| 16. | खुदरा |
| 17. | जीवन विज्ञान |
| 18. | पूंजीगत वस्तुएं |
| 19. | लोजिस्टिक्स |
| 20. | दूरसंचार |
| 21. | प्रबंधन और उद्यमिता पेशेवर |
| 22. | प्लास्टिक और रबर |
| 23. | ग्रीन जॉब्स |
| 24. | हस्तशिल्प |
| 25. | वस्त्र |
| 26. | फर्नीचर |
| 27. | इंजीनियरिंग/वास्तुकला |
| 28. | सेवा और दस्तावेज़ीकरण |
| 29. | खाद्य प्रसंस्करण |
| 30. | लोहा और इस्पात |
| 31. | एयरोस्पेस/विमानन* |
| 32. | आपदा प्रबंधन* |
| 33. | बुनियादी ढांचा उपकरण* |

** इन क्षेत्रों में प्रशिक्षण आयोजित नहीं किया गया है (सितंबर 2022 तक)*

## परिशिष्ट-4.2

*(संदर्भ: परिच्छेद 4.1.6)*

### 1. नमूना-जांचित जिलों में पूर्ण परियोजनाओं के चयन का विवरण

| क्र. सं. | जिला | योजना | प्रशिक्षण सेवा प्रदाता | नामांकित अभ्यर्थी |
|---|---|---|---|---|
| 1. | कुल्लू | प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ समझौता-ज्ञापन | राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान | 25 |
| 2. | | पायलट | आईएलएंडएफएस (लर्नेट स्किल्स लिमिटेड) | 222 |
| 3. | | प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना-2.0 | गोल्डन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी | 120 |
| 4. | | पूर्व शिक्षण की मान्यता | क्वेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड | 693 |
| 5. | | प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना-2.0 पूर्व शिक्षण की मान्यता | आईएलएंडएफएस (लर्नेट स्किल्स लिमिटेड) | 408 |
| 6. | मंडी | फ्लेगशिप योजना-ग्रेजुएट ऐड-ऑन | फोकल स्किल्स डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड | 316 |
| 7. | | | भारतीय कौशल विकास संस्थान | 86 |
| 8. | | प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ समझौता-ज्ञापन | राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान | 180 |
| 9. | | पायलट | लेबरनेट | 151 |
| 10. | | प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 | राजकीय आईटीआई संधोल | 52 |
| 11. | | प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 पूर्व शिक्षण की मान्यता | डी यूनिक एजुकेशन सोसायटी | 200 |
| 12. | | प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 विशेष परियोजना | आईएलएंडएफएस (लर्नेट स्किल्स लिमिटेड) | 40 |
| 13. | | प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना संस्करण 2 | सीएससी-ई-गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड | 62 |
| 14. | | | इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट एजुकेशन सोसाइटी रामपुर बुशहर | 150 |
| 15. | | | लार्ड गणेश प्रबंधन एवं प्रौद्योगिकी संस्थान | 60 |
| 16. | | | श्री राधा कृष्ण इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड | 184 |
| 17. | | पूर्व शिक्षण की मान्यता | वोकमैन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड | 517 |
| 18. | | प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना- पूर्व शिक्षण की मान्यता | आईएलएंडएफएस (लर्नेट स्किल्स लिमिटेड) | 227 |

| **क्र. सं.** | **जिला** | **योजना** | **प्रशिक्षण सेवा प्रदाता** | **नामांकित अभ्यर्थी** |
|---|---|---|---|---|
| 19. | उना | फ्लेगशिप योजना | लेबरनेट | 300 |
| 20. | | फ्लेगशिप योजना- ग्रेजुएट ऐड-ऑन | भारतीय कौशल विकास संस्थान | 239 |
| 21. | | पायलट | लेबरनेट | 1 |
| 22. | | प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 पूर्व शिक्षण की मान्यता | डी यूनिक एजुकेशन सोसायटी | 200 |
| 23. | | प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना-2.0 | मेंटर स्किल्स इंडिया | 120 |
| 24. | | | ओरियन एजुटेक | 8 |
| **योग** | | | | **4,561** |

## 2. नमूना-जांचित जिलों में चल रही परियोजनाओं के चयन का विवरण

| क्र. सं. | जिला | योजना | प्रशिक्षण सेवा प्रदाता | नामांकित अभ्यर्थी |
|---|---|---|---|---|
| 1. | कुल्लू | ग्रेजुएट ऐड-ऑन | फोकल स्किल्स डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड | 90 |
| 2. | | आईटीआई (हिमाचल प्रदेश कौशल विकास परियोजना अल्प कालिक प्रशिक्षण) | राजकीय आईटीआई दलाश | 86 |
| 3. | | | राजकीय आईटीआई निरमंड | 25 |
| 4. | | | राजकीय आईटीआई शमशी | 661 |
| 5. | | समझौता-ज्ञापन | अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण एवं संबद्ध खेल संस्थान | 430 |
| 6. | | | आईसीएआई की एनआईआरसी की हिमाचल प्रदेश शाखा | 18 |
| 7. | | व्यावसायिक शिक्षा स्नातक | राजकीय डिग्री कॉलेज, कुल्लू (लेबरनेट) | 252 |
| 8. | मंडी | फ्लेगशिप योजना | वज़ीर एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड | 780 |
| 9. | | ग्रेजुएट ऐड-ऑन | फोकल स्किल्स डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड | 234 |
| 10. | | आईटीआई (हिमाचल प्रदेश कौशल विकास परियोजना अल्प अवधि प्रशिक्षण) | राजकीय आईटीआई बगसैड | 364 |
| 11. | | | राजकीय आईटीआई पपलोग | 203 |
| 12. | | | राजकीय आईटीआई महिला मंडी | 119 |
| 13. | | | राजकीय आईटीआई पधर | 97 |
| 14. | | समझौता-ज्ञापन | आईआईटी मंडी | 110 |
| 15. | | | राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान | 527 |
| 16. | | व्यावसायिक शिक्षा स्नातक | राजकीय डिग्री कॉलेज, सरकाघाट (सेंटम लर्निंग लिमिटेड) | 35 |
| 17. | उना | ग्रेजुएट ऐड-ऑन | फोकल स्किल्स डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड | 446 |
| 18. | | आईटीआई (हिमाचल प्रदेश कौशल विकास परियोजना अल्पकालिक प्रशिक्षण) | राजकीय आईटीआई बंगाणा | 435 |
| 19. | | | राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान | 236 |
| 20. | | व्यावसायिक शिक्षा स्नातक | सरकारी डिग्री कॉलेज, उना (ओरियन एडुटेक) | 311 |
| **योग** | | | | **5,459** |

## परिशिष्ट-4.3

*(संदर्भ: परिच्छेद 4.2.1)*

**स्थानीय कला व शिल्प**

(क) **हिमाचली चित्रकला**: चंबा, कांगड़ा और गोम्पा शैलियां, ताबो और मनाली की पारंपरिक थांगका पेंटिंग

(ख) **धातु शिल्प**: देवी-देवताओं की मूर्तियां गढ़ने, आभूषण, सजावटी मूर्तियां, नक्काशी आदि बनाने की पारंपरिक कला।

(ग) **शॉल**: किन्नौरी शॉल, कुल्लू शॉल, किन्नौरी डोहरू आदि।

(घ) **कालीन**: कालीन, नमधा और गलीचे, रंगीन इंडो-हिमालयन कालीन और वॉल हैंगिंग के रूप में उपयोग किये जाने वाले गुड़मा शामिल हैं।

(ङ) **लकड़ी के शिल्प की नक्काशी और मोड़**

(च) **कढ़ाई**: पहाड़ी संस्कृति का एक अभिन्न अंग जैसे चंबा रुमाल, सुन्नी कढ़ाई, टोपी, हाथ के पंखे, वॉल हैंगिंग के अलावा फ्रेम युक्त कढ़ाई आदि।

(छ) **जूते**: चंबा चप्पल, मंडी से घास पुल्लें, किन्नौर से कपुल, और मनाली से ऊनी बॉर्डर वाले जूते

(ज) **लेदरक्राफ्ट**: लेदर बैग, वस्त्र, पाउच, यात्रा सहायक उपकरण, जूते, सैंडल, बेल्ट और चप्पल

(झ) **कंबल और गलीचे**: पंगवाली कंबल (चंबा से), किन्नौरी पट्टू, स्थानीय ऊनी कंबल

(ञ) **ऊनी टोपी, मफलर और बुने हए कपडे**: कुल्लू टोपी और मफलर, लाहौली दस्ताने, लाहौली मोजे, कुल्लू जैकेट आदि।

*स्रोत: हिमाचल प्रदेश कौशल विकास नीति (हिम कौशल-2016) का परिच्छेद 4.12।*

## परिशिष्ट-4.4

*(संदर्भ: परिच्छेद 4.2.1, 4.2.6 व 4.6.1)*

**केंद्रीय एवं अन्य क्षेत्रों में नामांकन, प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट का विवरण**

(संख्या में)

| क्र. सं. | क्षेत्र | नामांकित | प्रशिक्षित | प्रमाणित | भर्ती | छोड़ दिए |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **केंद्रित क्षेत्र** | | | | | | |
| 1 | कृषि | 815 | 815 (1.46) | 414 (1.15) | 1 (0.02) | 0 |
| 2 | बागवानी | 648 | 648 (1.16) | 612 (1.70) | 3 (0.05) | 0 |
| 3 | पर्यटन और आतिथ्य | 8,040 | 7,650 (13.72) | 5,137 (14.25) | 492 (8.90) | 390 |
| 4 | निर्माण | 1,830 | 1,766 (3.17) | 1,030 (2.86) | 253 (4.58) | 64 |
| 5 | आईटी/आईटीईएस | 12,061 | 11,508 (20.64) | 5,548 (15.40) | 759 (13.73) | 553 |
| 6 | बैंकिंग और वित्तीय | 295 | 295 (0.53) | 90 (0.25) | 0 (-) | 0 |
| **योग (क)** | | **23,689** | **22,682 (40.68)** | **12,831 (35.61)** | **1,508 (27.28)** | **1,007** |
| **अन्य क्षेत्र** | | | | | | |
| 7 | परिधान व मेड अप्स | 5,794 | 5,601 (10.05) | 3,300 (9.16) | 740 (13.39) | 193 |
| 8 | स्वास्थ्य सेवा | 5,532 | 5,388 (9.66) | 4,879 (13.54) | 504 (9.12) | 144 |
| 9 | इलेक्ट्रॉनिक्स | 3,707 | 3,422 (6.13) | 2,349 (6.52) | 391 (7.07) | 285 |
| 10 | सौंदर्य और स्वास्थ्य | 2,903 | 2,666 (4.78) | 2,049 (6.51) | 704 (12.74) | 237 |
| 11 | ऑटो | 2,715 | 2,552 (4.58) | 1,635 (4.54) | 418 (7.56) | 163 |
| 12 | बीमा | 2,654 | 2,437 (4.37) | 2,193 (6.09) | 122 (2.21) | 217 |
| 13 | विद्युत | 1,866 | 1,812 (3.25) | 879 (2.44) | 45 (0.81) | 54 |
| 14 | मीडिया और मनोरंजन | 1,634 | 1,562 (2.80) | 1,343 (3.73) | 63 (1.14) | 72 |
| 15 | प्लम्बिंग | 1,444 | 1,397 (2.51) | 676 (1.88) | 108 (1.95) | 47 |
| 16 | खुदरा | 1,127 | 1,012 (1.82) | 697 (1.93) | 221 (4.00) | 115 |
| 17 | जीवन विज्ञान | 1,118 | 1,094 (1.96) | 733 (2.03) | 260 (4.70) | 24 |
| 18 | पूंजीगत वस्तुएं | 998 | 967 (1.73) | 400 (1.11) | 53 (0.96) | 31 |
| 19 | लॉजिस्टिक्स | 880 | 772 (1.38) | 415 (1.16) | 8 (0.14) | 108 |
| 20 | दूरसंचार | 782 | 703 (1.26) | 456 (1.27) | 29 (0.52) | 79 |
| 21 | प्रबंधन और उद्यमिता पेशेवर | 488 | 488 (0.88) | 366 (1.02) | 13 (0.24) | 0 |
| 22 | प्लास्टिक और रबर | 430 | 352 (0.63) | 232 (0.64) | 163 (2.95) | 78 |
| 23 | ग्रीन जॉब | 324 | 318 (0.57) | 261 (0.72) | 1 (0.02) | 6 |
| 24 | हस्तशिल्प | 180 | 180 (0.32) | 124 (0.34) | 0 (-) | 0 |
| 25 | वस्त्र | 164 | 71 (0.13) | 70 (0.19) | 92 (1.66) | 93 |
| 26 | फर्नीचर | 150 | 125 (0.22) | 99 () | 84 (1.52) | 25 |
| 27 | इंजीनियरिंग/वास्तुकला | 71 | 71 (0.13) | 0 (0) | 0 | 0 |
| 28 | सेवा और दस्तावेज़ीकरण | 31 | 30 (0.05) | 21 (0.06) | 0 | 1 |
| 29 | खादय प्रसंस्करण | 27 | 27 (0.05) | 0 (0) | 0 | 0 |
| 30 | लोहा व इस्पात | 25 | 25 (0.04) | 25 (0.07) | 0 | 0 |
| **योग (ख)** | | **35,044** | **33,072 (59.32)** | **23,202 (64.39)** | **4,019 (72.72)** | **1,972** |
| **सकल योग (क+ख)** | | **58,733** | **55,754** | **36,033** | **5,527** | **2,979** |

## परिशिष्ट-4.5

*(संदर्भ: परिच्छेद 4.2.2)*

**परियोजनाओं के निर्देशन एवं निगरानी के लिए समितियां**

| परियोजना संचालन समिति | |
|---|---|
| **गठन** | **कार्य** |
| मुख्य सचिव, योजना एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त; अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, तकनीकी शिक्षा, उच्च शिक्षा, श्रम एवं रोजगार, ग्रामीण विकास, शहरी विकास तथा उद्योग विभाग, सलाहकार - हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम के योजना एवं प्रबंध निदेशक | • डिजाइन और कार्यान्वयन के संदर्भ में हिमाचल प्रदेश कौशल विकास परियोजना को समग्र दिशा और मार्गदर्शन प्रदान करना।<br>• प्रत्येक कार्यान्वयन एजेंसी के भौतिक और वित्तीय लक्ष्यों और गतिविधियों के लिए वार्षिक कार्य योजनाओं और बजट को मंजूरी देना।<br>• विभिन्न घटकों में तिमाही निष्पादन समीक्षा करना तथा परियोजना कार्यान्वयन में तेजी लाने के तरीके सुझाना।<br>• सुनिश्चित करें कि कार्यकारी एजेंसी, कार्यान्वयन एजेंसियां और सहायक विभाग परियोजना गतिविधियों का समय पर निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए निर्बाध समन्वय करें।<br>• किसी भी वित्तीय अनियमितता व लेखापरीक्षा टिप्पणियों की समीक्षा करना, तथा आवश्यकतानुसार सुधारात्मक कार्रवाई जारी रखना।<br>• परियोजना के परिणामों को प्राप्त करने के संदर्भ में प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए निगरानी व आंकलन सर्वेक्षणों के निष्कर्षों की समीक्षा करना। सीख को शामिल करने और भविष्य के कार्यान्वयन में सुधार करने के तरीके सुझाना।<br>• परियोजना के डिजाइन और निगरानी ढांचे में निर्धारित परियोजना आउटपुट और परिणामों को प्राप्त करने के संदर्भ में की गई प्रगति को ट्रैक करना।<br>• परियोजना में आवश्यक किसी भी बड़े बदलाव के लिए एशियाई विकास बैंक से पत्राचार करना। |

| परियोजना प्रबंधन एवं कार्यान्वयन समिति | |
|---|---|
| **गठन** | **कार्य** |
| प्रबंध निदेशक, महाप्रबंधक, हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम, निदेशक, तकनीकी शिक्षा, उच्च शिक्षा, उद्योग, श्रम एवं रोजगार, ग्रामीण विकास, शहरी विकास विभाग और मुख्य अभियंता (लोक निर्माण विभाग) | • हिमाचल प्रदेश कौशल विकास परियोजना के लिए नियोजित गतिविधियों के आधार पर प्रत्येक कार्यान्वयन एजेंसी के लिए वार्षिक कार्य योजनाएं और बजट तैयार करना<br>• समग्र परियोजना कार्यान्वयन की तिमाही या आवश्यकतानुसार समीक्षा करना<br>• खरीद, वित्तीय प्रबंधन, सुरक्षा और अन्य परियोजना गतिविधियों के संदर्भ में कार्यकारी एजेंसी और कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ समन्वय करना<br>• सहायक विभागों - (i) आर्थिक और सांख्यिकी विभाग, (ii) उद्योग विभाग, (iii) श्रम एवं रोजगार विभाग, (iv) शहरी विकास विभाग, (v) ग्रामीण विकास विभाग, तथा (vi) सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के साथ समन्वय करना-यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाली गतिविधियां प्रभावी रूप से निष्पादित की जाती हैं।<br>• सुचारू कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए बाधाओं का समाधान करना<br>• परियोजना के डिजाइन और निगरानी ढांचे में निर्धारित परिणामों और आउटपुट को प्राप्त करने की दिशा में काम करना<br>• कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत उपयोगिता प्रमाणपत्रों की समीक्षा करना तथा लेखापरीक्षा आपत्तियों व अन्य वित्तीय प्रबंधन आवश्यकताओं के लिए की गई कार्रवाई (एक्शन टेकन) रिपोर्ट की जांच करना<br>• प्रासंगिक राष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों के साथ संरेखण सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकतानुसार कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी, क्षेत्र कौशल परिषदों और उद्योग संघों के साथ कार्य करना। |

## परिशिष्ट-4.6

*(संदर्भ: परिच्छेद 4.3.2)*

**उन प्रशिक्षण सेवा प्रदाताओं का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण जिनसे निष्पादन गारंटी प्राप्त नहीं की गई**

(₹ लाख में)

| क्र. सं. | परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी | कार्यक्रम | परियोजना लागत | क्षेत्र | अनुबंध की तिथि | प्रशिक्षण सेवा प्रदाता को जारी राशि | प्राप्त नहीं की गई निष्पादन गारंटी* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **प्रदान की गई परियोजना लागत** | | | | | | | |
| 1. | लॉर्ड गणेश प्रबंधन एवं प्रौद्योगिकी संस्थान | प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना-2 अल्पकालिक प्रशिक्षण | 4.38 | ग्राहक सेवा कार्यकारी | 9.7.19 | 3.51 | 0.22 |
| 2. | क्वेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड | हिमाचल प्रदेश कौशल विकास परियोजना-पूर्व शिक्षण की मान्यता | 548.88 | कृषि, हस्तशिल्प, पर्यटन, ग्रीन जॉब्स | 28.12.19 | 54.89 | 27.44 |
| 3. | वोकमैन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड | हिमाचल प्रदेश कौशल विकास परियोजना- पूर्व शिक्षण की मान्यता | 98.08 | स्वास्थ्य सेवा, निर्माण, विद्युत | 26.7.19 | 70.00 | 4.90 |
| 4. | लेबरनेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड - 02 | हिमाचल प्रदेश कौशल विकास परियोजना-अल्पकालिक प्रशिक्षण | 568.96 | ऑटो, निर्माण, विद्युत | 26.6.18 | 92.91 | 28.45 |
| 5. | लेबरनेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड - 03 | हिमाचल प्रदेश कौशल विकास परियोजना-अल्पकालिक प्रशिक्षण | 729.97 | आईटी-आईटीईएस, इलेक्ट्रॉनिक्स, हार्डवेयर | 19.6.18 | 144.75 | 36.50 |
| 6. | भारतीय कौशल विकास संस्थान | हिमाचल प्रदेश कौशल विकास परियोजना-ग्रेजुएट ऐड ऑन | 568.85 | बीएफएसआई, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी-आईटीईएस, सौंदर्य और कल्याण, परिधान, मेकअप | 25.6.18 | 233.13 | 28.44 |
| 7. | फोकल स्किल्स डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड | हिमाचल प्रदेश कौशल विकास परियोजना-ग्रेजुएट ऐड ऑन | 794.50 | मीडिया और मनोरंजन, आईटी-आईटीईएस, बीएफएसआई | 27.12.19 | 307.79 | 39.73 |
| 8. | डी यूनिक एजुकेशन सोसायटी | प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना-3.0 पूर्व शिक्षण की मान्यता | 6.75 | फील्ड तकनीशियन | 18.9.21 | 6.75 | 0.34 |
| | **योग** | | **3,320.37** | | | **913.73** | **166.02** |
| **प्रदान नहीं की गई परियोजना लागत**** | | | | | | | |
| 9. | आईएल एंड एफएस (लर्नेट स्किल लिमिटेड) | पायलट | सामान्य लागत मानदंड | आतिथ्य- खाद्य एवं पेय पदार्थ | 22.9.16 | 8.09 | प्राप्त नहीं |

| क्र. सं. | परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी | कार्यक्रम | परियोजना लागत | क्षेत्र | अनुबंध की तिथि | प्रशिक्षण सेवा प्रदाता को जारी राशि | प्राप्त नहीं की गई निष्पादन गारंटी* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | किया गया |
| 10. | लेबरनेट इंडिया सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड | पायलट | -तदैव- | फर्नीचर फिटिंग-बढ़ई फिटर ऑटोमोटिव-इलेक्ट्रीशियन | 22.9.16 | 19.74 | प्राप्त नहीं किया गया |
| 11. | गोल्डन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी | प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना-2.0 अल्पकालिक प्रशिक्षण | - तदैव- | फील्ड तकनीशियन और घरेलू उपकरण, सीसीटीवी स्थापना | 7.12.18 | 60.17 | प्राप्त नहीं किया गया |
| 12. | सीएससी-ई-गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड | प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना-2.0 अल्पकालिक प्रशिक्षण | - तदैव- | हैंडसेट रिपेयर इंजीनियर | 7.12.18 | 6.12 | प्राप्त नहीं किया गया |
| 13. | इंस्टिट्यूट ऑफ़ होटल मैनेजमेंट एजुकेशन सोसायटी, रामपुर बुशहर | प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना-2.0 अल्पकालिक प्रशिक्षण | - तदैव- | फ्रंट ऑफिस एसोसिएट, खाद्य एवं पेय पदार्थ, हाउसकीपिंग अटेंडेंट | 18.2.19 | 45.27 | प्राप्त नहीं किया गया |
| 14. | श्री राधा कृष्ण इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड | प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना-2.0 अल्पकालिक प्रशिक्षण | - तदैव- | फील्ड तकनीशियन और कंप्यूटिंग, दस्तावेज़ीकरण, आंकलन और रिटेलर, प्रशिक्षु सहयोगी और ग्राहक सेवा कार्यकारी | 18.2.19 | 34.21 | प्राप्त नहीं किया गया |
| 15. | मेंटर स्किल्स इंडिया | प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना-2.0 अल्पकालिक प्रशिक्षण | - तदैव- | टैक्सी ड्राइवर, शौफ़र शो-रूम होस्टेस | 20.3.18 | 48.96 | प्राप्त नहीं किया गया |
| 16. | ओरियन एडुटेक | प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना-2.0 अल्पकालिक प्रशिक्षण | - तदैव- | स्व-नियोजित दर्जी, हेयर स्टाइलिस्ट, मिलन एवं अभिवादन अधिकारी | 21.3.18 | 7.29 | प्राप्त नहीं किया गया |
| 17. | आईएल एंड एफएस (लर्नेट स्किल लिमिटेड) | प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना-2.0 पूर्व शिक्षण की मान्यता | - तदैव- | हाउस कीपिंग, स्ट्रीट फ़ूड विक्रेता | | 3.45 | प्राप्त नहीं किया गया |
| **योग** | | | | | | **233.3** | |
| **सकल योग** | | | | | | **1,147.03** | **166.02** |

* *परियोजना लागत का पांच प्रतिशत।*

** *नौ परियोजनाओं के संबंध में परियोजना लागत की गणना हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम द्वारा नहीं की गई थी और इसलिए निष्पादन गारंटी की राशि की गणना नहीं की जा सकी क्योंकि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में प्रशिक्षण सेवा प्रदाता को सामान्य लागत मानदंडों (प्रति घंटा/दिन/अभ्यर्थी के आधार पर) के आधार पर भुगतान किया गया था।*

## परिशिष्ट-4.7

*(संदर्भ: परिच्छेद 4.3.4 व 4.5.3)*

**संकल्प योजना के अंतर्गत भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का विवरण**

| क्र. सं. | घटक | उप-घटक | भौतिक प्रगति | वित्तीय प्रगति | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | स्वीकृत राशि (₹ लाख में) | व्यय (₹ लाख में) |
| 1. | योजना, वितरण और उच्च गुणवत्ता वाले बाजार प्रासंगिक प्रशिक्षण की निगरानी के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर संस्थागत सुदृढ़ीकरण | संस्थागत सुदृढ़ीकरण- जिला और मुख्यालय स्तर पर संसाधनों की भर्ती | संसाधन अभी तक नियुक्त नहीं किए गए | 86.40 | 0 |
| 2. | -तदैव- | कौशल ओरिएंटेड कार्यक्रम/कार्यशालाएं | हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम की जिला टीमों को कार्य सौंपा गया। केवल शिमला जिले में दो कौशल ओरिएंटेशन कार्यशालाओं में 43 प्रतिभागियों ने भाग लिया। | 38.00 | 0.81 |
| 3. | कौशल विकास कार्यक्रमों की बेहतर गुणवत्ता और बाजार प्रासंगिकता | कौशल उन्नयन, डिजाइन हस्तक्षेप और राज्य विशिष्ट कला और शिल्प के विपणन से संबंधित प्रयास | चंबा रुमाल, काष्ठ शिल्प, कुल्लू टोपी आदि नौकरियों में शिल्पकारों और कारीगरों की क्षमता वृद्धि पहल के लिए 12 अक्टूबर 2021 को हस्तशिल्प और हथकरघा निगम लिमिटेड के साथ समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। | 44.80 | 41.23 (हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम लिमिटेड को अग्रिम के रूप में हस्तांतरित राशि) उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त हुआ; व्यय का विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया। |

| क्र. सं. | घटक | उप-घटक | भौतिक प्रगति | वित्तीय प्रगति | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | स्वीकृत राशि (₹ लाख में) | व्यय (₹ लाख में) |
| 4. | -तदैव- | प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण का संचालन | कारीगरों, बुनकरों और अन्य हितधारकों के कौशल उन्नयन के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित नहीं किए गए | 3.00 | 0 |
| 5. | -तदैव- | मोबाइल कौशल वैन के माध्यम से अभ्यर्थी जुटाने, प्रेरित करने, जागरूकता का आयोजन | मोबाइल स्किल वैन तैनात की गई एवं राज्य के 12 जिलों में से आठ जिलों को शामिल किया गया। अक्टूबर 2022 तक दूसरा दौर शुरू नहीं हुआ। | 10.80 | 1.72 |
| 6. | - तदैव- | कारीगर क्लस्टर विकास | अक्टूबर 2022 तक विकसित नहीं हुआ | 15.00 | 0 |
| 7. | - तदैव- | उद्यमिता विकास के लिए सहायता के साथ-साथ उद्योग सम्मेलन, प्रदर्शनियां और विपणन हस्तक्षेप | हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम के कर्मचारियों के लिए केवल उद्योग सम्मेलन व अनुभव दौरे आयोजित किए गए। हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम प्रायोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम से प्रशिक्षित/ प्रमाणित अभ्यर्थियों के लिए वित्तीय साक्षरता, संस्थागत सुदृढ़ीकरण, व्यवसाय योजना तैयारी आदि में उद्यमिता विकास गतिविधियों/प्रयासों की अक्टूबर 2022 तक संभावना नहीं जताई गई। | 12.60 | 2.08<br><br>असम भ्रमण (1.47)<br><br>मुंबई भ्रमण (0.61) |
| **योग** | | | | **210.6** | **45.84** |

## परिशिष्ट-4.8

*(संदर्भ: परिच्छेद 4.7.1)*

**एमआईएस डेटा के विश्लेषण के दौरान पाई गई अनियमितताओं/गलत डेटा प्रविष्टियों का विवरण**

| विवरण | मानदंड | लिए गए कुल अभ्यर्थी | | गलत प्रविष्टियां | अनियमितताओं के विवरण |
|---|---|---|---|---|---|
| दोहरा/तिहरा प्रशिक्षण एवं अन्य अनियमितताएं | अभ्यर्थी हिमाचल प्रदेश कौशल विकास परियोजना के तहत केवल एक बार प्रशिक्षण का लाभ उठा सकते हैं और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत दो प्रशिक्षणों के बीच कम से कम छह माह का अंतर होना चाहिए। | 62,179 | हिमाचल प्रदेश कौशल विकास परियोजना: 41,532 | 2,307 (दोहरा प्रशिक्षण, आदि) | - समान पाठ्यक्रम एवं समान पंजीकरण तिथि पाई गई: 115<br>एक ही पाठ्यक्रम और अलग-अलग पंजीकरण तिथि पाई गई: 262<br>- विभिन्न पाठ्यक्रमों में एक से अधिक पंजीकरण पाए गए: 1930 |
| | | | प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना: 20,495 | 535 (एक से अधिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया जाना, आदि दर्शाया गया।) | - समान पाठ्यक्रम और समान पंजीकरण तिथि पाई गई: 152<br>- एक ही पंजीकरण तिथि और अलग-अलग पाठ्यक्रम पाए गए: 6<br>- छह माह के भीतर विभिन्न पाठ्यक्रमों में एक से अधिक पंजीकरण पाए गए: 78<br>- छह माह के भीतर एक ही पाठ्यक्रम में एक से अधिक पंजीकरण पाए गए: 98 |
| आयु | अभ्यर्थियों की आयु 18-45 वर्ष के मध्य होनी चाहिए।<br>हालांकि समझौता-ज्ञापन/फ्लेक्सी एमओयू/पूर्व शिक्षण की मान्यता पाठ्यक्रमों में हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम द्वारा कोई ऊपरी आयु सीमा प्रदान नहीं की गई। | 62,179 | | 10 | आयु को माईनस में दर्शाया गया है (अर्थात - 2013, - 96, - 90 आदि)। |
| | | -तदैव- | | 132 | अभ्यर्थियों की आयु 0 से 14 वर्ष के बीच है |
| | | -तदैव- | | 73 | अभ्यर्थियों की आयु 65 वर्ष से अधिक पाई गई। |
| सम्पर्क विवरण | एमआईएस में मोबाइल की | -तदैव- | | 230 | 10 से कम अंकों का मोबाइल नंबर दर्ज किया गया। |

| विवरण | मानदंड | लिए गए कुल अभ्यर्थी | गलत प्रविष्टियां | अनियमितताओं के विवरण |
|---|---|---|---|---|
| | प्रविष्टि का प्रावधान किया गया। | | 216 | 10 से अधिक अंकों का मोबाइल नंबर दर्ज किया गया। |
| | | | 4 | ई-मेल/ पता दर्ज किया गया |
| पाठ्यक्रम प्रारंभ तिथि | पाठ्यक्रम प्रारंभ व समापन तिथि की प्रविष्टि का प्रावधान किया गया। | - तदैव- | 3,462 | फ़ील्ड खाली छोड़ दी गई है, अतः प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना/हिमाचल प्रदेश कौशल विकास परियोजना के तहत दोहरे मामलों का पता नहीं लगाया जा सकता है। |
| पाठ्यक्रम पूर्ण होने की तिथि | | | 16,812 | |
| | | | 4 | पाठ्यक्रम पूरा होने की गलत प्रविष्टि पाई गई, अर्थात अगस्त 1900, नवंबर 1021 व अगस्त 1922। |
| आंकलन तिथि | आंकलन तिथि की प्रविष्टि का प्रावधान किया गया। | - तदैव- | 17,449 | फ़ील्ड खाली छोड़ दिया गया |
| | | | 4 | आंकलन तिथि की गलत प्रविष्टियां पाई गईं, जैसे 2062, 1900, 1922 |
| आंकलन के प्रयासों की संख्या | अभ्यर्थियों द्वारा आंकलन के प्रयासों की संख्या प्रविष्ट करने का प्रावधान किया गया। | - तदैव- | 33 | त्रुटिपूर्ण प्रविष्टियां पाई गईं, जैसे 144.98, 148.17, आदि। |
| प्रमाणन की तिथि | प्रमाणन की तिथि | 30,212 | 7,872 | फ़ील्ड खाली छोड़ दिया गया। |
| नौकरी का प्रस्ताव देने की तिथि | वह तिथि जब नौकरी का प्रस्ताव दिया गया। | 5,566 | 695 | फ़ील्ड खाली छोड़ दिया गया। |
| | | | 5 | त्रुटिपूर्ण प्रविष्टियां पाई गईं, अर्थात 7,000; 1,920; 1,899 |

## परिशिष्ट-5.1

*(संदर्भ: परिच्छेद 5.1.2)*

**मार्च 2017 एवं सितंबर 2020 में स्वीकृत परियोजना का विवरण**

**(₹ लाख में)**

| क्र. सं. | मार्च, 2017 की स्वीकृति के अनुसार स्वीकृत परियोजना | | सितम्बर 2020 की स्वीकृति के अनुसार स्वीकृत परियोजना | | अंतिम स्थिति | छोड़ी गई परियोजना पर किया गया व्यय |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | परियोजना का नाम | स्वीकृत राशि | परियोजना का नाम | स्वीकृत राशि | छोड़ दी गई/ बनाए रखी | |
| 1. | क्यारीघाट में कन्वेंशन सेंटर | 2,500.00 | क्यारीघाट में कन्वेंशन सेंटर | 2,500.00 | बनाए रखा | लागू नहीं |
| 2. | आइस स्केटिंग रिंक शिमला | 800.00 | लागू नहीं | लागू नहीं | छोड़ दिया | 26.00 (विज्ञापन पर 3 लाख और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने पर 23 लाख) |
| 3. | शिमला में हेलीपोर्ट | 700.00 | शिमला में हेलीपोर्ट | 1,213.25 | बनाए रखा | लागू नहीं |
| 4. | सुन्नी क्षेत्र में जल क्रीड़ा केंद्र और उपकरण | 600.00 | लागू नहीं | लागू नहीं | छोड़ दिया | शून्य |
| 5. | टिपरा में सड़क किनारे सुविधाएं | 500.00 | लागू नहीं | लागू नहीं | छोड़ दिया | शून्य |
| 6. | मनाली में कैफेटेरिया और टीआरसी के साथ बहु-स्तरीय पार्किंग | 1,000.00 | लागू नहीं | लागू नहीं | छोड़ दिया | शून्य |
| 7. | अंतर्राष्ट्रीय मानक मुक्त स्टैंडिंग आर्टिफिशियल क्लाइम्बिंग वॉल | 300.00 | अंतर्राष्ट्रीय मानक मुक्त स्टैंडिंग आर्टिफिशियल क्लाइम्बिंग वॉल | 300.00 | बनाए रखा | लागू नहीं |
| 8. | डल झील का विकास और सौंदर्यीकरण | 400.00 | डल झील का विकास और सौंदर्यीकरण | 400.00 | बनाए रखा | लागू नहीं |
| 9. | बीड में पैराग्लाइडिंग केंद्र और उपकरण | 800.00 | बीड में पैराग्लाइडिंग केंद्र और उपकरण | 800.00 | बनाए रखा | लागू नहीं |
| 10. | नादौन में सड़क किनारे सुविधाएं एवं राफ्टिंग केंद्र | 300.00 | लागू नहीं | लागू नहीं | छोड़ दिया | शून्य |
| 11. | सौरव कालिया वन विहार | 300.00 | लागू नहीं | लागू नहीं | छोड़ दिया | 18.00 (निर्माण कार्य) |
| 12. | कांगड़ा में ग्राम हाट | 400.00 | कांगड़ा में ग्राम हाट | 400.00 | बनाए रखा | लागू नहीं |
| 13. | भलेई माता में कला एवं शिल्प केंद्र | 400.00 | भलेई माता में कला एवं शिल्प केंद्र | 400.00 | बनाए रखा | लागू नहीं |
| 14. | साइनेज, गैन्ट्रीज सीसीटीवी और पूरे सर्किट के लिए वाईफाई | 501.00 | साइनेज, गैन्ट्रीज सीसीटीवी और पूरे | 501.00 | बनाए रखा | लागू नहीं |

| क्र. सं. | मार्च, 2017 की स्वीकृति के अनुसार स्वीकृत परियोजना | | सितम्बर 2020 की स्वीकृति के अनुसार स्वीकृत परियोजना | | अंतिम स्थिति | छोड़ी गई परियोजना पर किया गया व्यय |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | परियोजना का नाम | स्वीकृत राशि | परियोजना का नाम | स्वीकृत राशि | छोड़ दी गई/ बनाए रखी | |
| | | | सर्किट के लिए वाईफाई | | | |
| 15. | | | शिमला में प्रकाश एवं ध्वनि शो | 866.26 | जोड़ी गई | लागू नहीं |
| 16. | | | हाटकोटी में माँ हाटेश्वरी मंदिर का विकास | 303.96 | जोड़ी गई | लागू नहीं |
| **योग** | | **9,501.00** | | **7,684.47** | | |
| आर्किटेक्ट शुल्क @ दो प्रतिशत | | 190.02 | | 153.69 | | |
| आकस्मिकता शुल्क @ तीन प्रतिशत | | 285.03 | | 230.53 | | |
| **सकल योग** | | **9,976.05** | | **8,068.69** | | |

*टिप्पणी: मार्च 2017 में कुल 14 परियोजनाओं को मंज़ूरी दी गई और सितंबर 2020 के दौरान संशोधित किया गया, जिसके अनुसार 10 परियोजनाओं (14 प्रारंभिक - 6 हटाए गए + 2 जोड़े गए = 10) को अंततः मंज़ूरी दी गई।*

# परिशिष्ट-5.2

*(संदर्भ: परिच्छेद 5.2.1)*

## हिमालयी सर्किट के अंतर्गत तैयार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के परामर्शदाताओं का विवरण

| क्र. सं. | घटक का नाम | कार्यकारी एजेंसी | परामर्शदाता | परामर्शदाता का चयन कैसे किया गया | परामर्शदाता की नियुक्ति की तिथि | परामर्शदाता द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तिथि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | संपूर्ण हिमालयन सर्किट | हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम | मैसर्स शर्मा एंड एसोसिएट्स, संजौली | फर्म को जनवरी 2006 से हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम की अनुमोदित सूची में सूचीबद्ध किया गया। ₹ 4.50 लाख में कार्य आवंटित किया गया। | 16.09.2015 | 27.02.2017 |
| 2. | क्यारीघाट में कन्वेंशन सेंटर | हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास बोर्ड | मैसर्स शाह टेक्निकल कंसल्टेंट | हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास बोर्ड ने स्वदेश दर्शन योजना के तहत इन घटकों की विस्तृत ड्राइंग (कार्यकरण व संरचनात्मक लागत अनुमान, मात्रा बिल) के साथ विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का कार्य एक परामर्शदाता अर्थात मेसर्स शाह टेक्निकल कंसल्टेंट को विज्ञापित निविदा आमंत्रित किए बिना आवंटित कर दिया और इस तर्क पर बोलियों को अंतिम रूप दे दिया कि परामर्शदाता फरवरी 2006 से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए एशियाई विकास बैंक परियोजना (पर्यटन विभाग द्वारा निष्पादित) के लिए काम कर रहा था। | 01.07.2017 | 04.01.2018 |
| 3. | शिमला में हेलीपोर्ट | हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास बोर्ड | मैसर्स शाह टेक्निकल कंसल्टेंट | | 01.07.2017 | 13.01.2018 |
| 4. | डल झील,धर्मशाला का विकास और सौंदर्यीकरण | हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास बोर्ड | मैसर्स शाह टेक्निकल कंसल्टेंट | | 07.07.2018 | 28.07.2018 |
| 5. | कांगड़ा में ग्राम हाट | हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास बोर्ड | मैसर्स शाह टेक्निकल कंसल्टेंट | | 01.07.2017 | 28.07.2018 |
| 6. | बीड में पैराग्लाइडिंग केंद्र और उपकरण | हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास बोर्ड | मैसर्स शाह टेक्निकल कंसल्टेंट | | 07.07.2018 | 06.08.2018 |
| 7. | आइस स्केटिंग रिंक शिमला | हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास बोर्ड | मैसर्स शाह टेक्निकल कंसल्टेंट | | 07.07.2018 | 19.03.2019 |
| 8. | माँ हाटेश्वरी मंदिर, हाटकोटी का विकास | हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम | श्री सुशील शर्मा एंड एसोसिएट्स, शिमला | परियोजना लागत के 1.5 प्रतिशत की दर पर कार्य आवंटित किया गया। फर्म को जनवरी 2006 से हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम की अनुमोदित सूची में सूचीबद्ध किया गया। | 04.09.2019 | 23.12.2019 |
| 9. | भलेई माता में कला एवं शिल्प केन्द्र का निर्माण | हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम | मैसर्स ग्रासरूट रिसर्च एंड कंसल्टेंसी | विज्ञापित निविदा आमंत्रित करके। | 02.01.2019 | 12.06.2019 |
| 10. | साइनेज, गैन्ट्री, सीसीटीवी और पूरे सर्किट के लिए वाईफाई | हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम | हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम | कोई निविदा आमंत्रित नहीं की गई थी क्योंकि घटकों के परामर्श का कार्य हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम द्वारा स्वयं किया गया था। | लागू नहीं | 10.10.2018 |
| 11. | अंतर्राष्ट्रीय मानक मुक्त-स्टैंडिंग आर्टिफिशियल क्लाइम्बिंग वॉल, मनाली | अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण एवं संबद्ध खेल संस्थान | मैसर्स पैरामाउंट कंसल्टेंट, देहरादून | विज्ञापित निविदा आमंत्रित करके, परामर्श और निर्माण कार्य एक ही फर्म द्वारा किया जाना था। | 11.07.2019 | बोलियां प्रस्तुत करते समय निविदादाताओं को बोलियों के साथ डिजाइन भी प्रस्तुत करना था। |

## परिशिष्ट-5.3

*(संदर्भ: परिच्छेद 5.2.1.6)*

**फर्म/परामर्शदाता को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट कार्य के आबंटन में विलम्ब तथा परामर्शदाता से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्राप्त होने में विलम्ब का विवरण**

| क्र. सं. | कार्य का नाम और कार्यान्वयन एजेंसियों का नाम | पर्यटन विभाग द्वारा सौंपे गए कार्य की तिथि | कार्यकारी एजेंसियों द्वारा परामर्शदाता को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट का कार्य आवंटित करने की तिथि | फर्म/परामर्शदाता से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्राप्त होने की तिथि | फर्म/परामर्शदाता से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्राप्त होने की देय तिथि (30 दिन) | दी गई 30 दिनों की अवधि के बाद विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्राप्त होने में विलम्ब (दिन) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | भलेई माता, जिला चम्बा में कला एवं शिल्प केंद्र (हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम) | 17.05.2018 | 02.01.2019 | 12.06.2019 | 01.02.2019 | 131 |
| 2. | क्यारीघाट जिला सोलन में कन्वेंशन सेंटर का निर्माण। (हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास बोर्ड) | 31.12.2016 | 01.07.2017 | 04.01.2018 | 31.07.2017 | 156 |
| 3. | हेलीपोर्ट शिमला, शिमला जिला का निर्माण (हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास बोर्ड) | 31.12.2016 | 01.07.2017 | 13.01.2018 | 31.07.2017 | 165 |
| 4. | कांगड़ा में प्रस्तावित ग्राम हाट का निर्माण (हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास बोर्ड) | 31.12.2016 | 01.07.2017 | 28.07.2018 | 31.07.2017 | 361 |

# परिशिष्ट-6.1

*(संदर्भ: परिच्छेद 6.1)*

## 2018-21 के दौरान कृषि यंत्रीकरण उप-मिशन के तहत 2WD ट्रैक्टरों की खरीद पर दी गई सब्सिडी का जिला-वार विवरण

(राशि ₹ में)

| जिला | वर्ष | मामलों की संख्या | कुल लागत | देय सब्सिडी | दी गई सब्सिडी | मानदंड से अधिक दी गई सब्सिडी |
|---|---|---|---|---|---|---|
| पालमपुर | 2018-19 | 37 | 2,15,51,000 | 92,50,000 | 1,07,75,500 | 15,25,500 |
| | 2019-20 | 190 | 12,85,83,400 | 4,75,00,000 | 5,61,96,700 | 86,96,700 |
| | 2020-21 | 202 | 12,31,60,429 | 5,05,00,000 | 5,98,57,000 | 93,57,000 |
| | **योग** | **429** | **27,32,94,829** | **10,72,50,000** | **12,68,29,200** | **1,95,79,200** |
| सिरमौर | 2018-19 | 63 | 3,73,38,000 | 1,57,50,000 | 1,84,47,500 | 26,97,500 |
| | 2019-20 | 128 | 7,73,61,000 | 3,20,00,000 | 3,77,89,500 | 57,89,500 |
| | 2020-21 | 48 | 2,97,25,500 | 1,20,00,000 | 1,42,84,750 | 22,84,750 |
| | **योग** | **239** | **14,44,24,500** | **5,97,50,000** | **7,05,21,750** | **1,07,71,750** |
| उना | 2018-19 | 109 | 7,49,81,541 | 2,72,50,000 | 3,24,82,000 | 52,32,000 |
| | 2019-20 | 147 | 9,31,68,865 | 3,67,50,000 | 4,38,83,928 | 71,33,928 |
| | 2020-21 | 65 | 3,87,03,406 | 1,62,50,000 | 1,89,77,066 | 27,27,066 |
| | **योग** | **321** | **20,68,53,812** | **8,02,50,000** | **9,53,42,994** | **1,50,92,994** |
| चंबा | 2019-20 | 15 | 84,12,000 | 35,00,000 | 40,76,000 | 5,76,000 |
| | 2020-21 | 1 | 6,25,000 | 2,50,000 | 3,00,000 | 50,000 |
| | **योग** | **16** | **90,37,000** | **37,50,000** | **43,76,000** | **6,26,000** |
| **सकल योग** | | **1,005** | **63,36,10,141** | **25,10,00,000** | **29,70,69,944** | **4,60,69,944** |

## 2018-21 के दौरान कृषि यंत्रीकरण उप-मिशन के तहत दिए गए 4WD ट्रैक्टरों का जिला-वार विवरण

| पीटीओ, हॉर्सपावर@ | ट्रैक्टर का नाम | पालमपुर | | | सिरमौर | | | उना | | | चंबा | | | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | |
| 20 से कम | सोनालीका डीआई-22 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | **8** |
| | वीएसटी शक्ति एमटी 180डी | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1** |
| | कुबोटा बी2741एस | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1** |
| | सोनालीका इंटरनेशनल जीटी-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **2** |
| | **योग** | **0** | **0** | **2** | **3** | **1** | **0** | **4** | **2** | **0** | **0** | **0** | **0** | **12** |
| 20 से 40 के बीच | महिंद्रा जीवो 245 डीआई | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | **16** |
| | सोनालीका डीआई-30 बागबान | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **8** |
| | वीएसटी शक्ति एमटी 270 विराट | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **4** |
| | वीएसटी इसुबिश I शक्ति वीटी-224-आईडी | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1** |
| | जॉन डीयर 5105डी | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | **12** |
| **योग** | | **1** | **4** | **5** | **7** | **1** | **0** | **10** | **8** | **4** | **0** | **1** | **0** | **41** |
| **सकल योग** | | **1** | **4** | **7** | **10** | **2** | **0** | **14** | **10** | **4** | **0** | **1** | **0** | **53** |

*@ पी.टी.ओ. (पावर-टेक-ऑफ) हॉर्सपावर वह शक्ति दर्शाता है जो एक इंजन उत्पन्न करता है।*

© भारत के
नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

https://cag.gov.in/ag/himachal-pradesh